एचएमटी लिमिटेड

72वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024 - 25

Skill India

सहायक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट

एचएमटी वॉचेस लिमिटेड की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट

श्री एच.डी. कुमारस्वामी, केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री, श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियाँ, श्रीमती समीना कोहली, निदेशक, वित्त (अतिरिक्त प्रभार) एचएमटी लिमिटेड और अन्य अधिकारीगण, बेंगलुरु में आईएमटीईएक्स 2025 में एचएमटी स्टॉल के उद्घाटन के अवसर पर

श्री एच.डी. कुमारस्वामी, केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री, श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियाँ, बेंगलुरु (एमबीएक्स) स्थित एचएमटी मशीन टूल्स फैक्ट्री के दौरे के दौरान

राजभाषा पर संसदीय समिति की तीसरी उप-समिति की बैठक में एचएमटी का वरिष्ठ अधिकारीगण

एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट		
अनुभाग	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	एचएमटी लिमिटेड	I - 240
2	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	I - 148
3	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	1 - 82
4	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	1 - 50

कॉर्पोरेट ध्येय

- इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्वयं को सुदृढ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता से समृद्ध विश्व की प्रीमियर कम्पनी के रूप में स्थापित करना।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि के सुनिश्चय के माध्यम से बाजार नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करना।
- शेयरधारकों की ओर समूह की समृद्धि के लिए संवहनीय विकास की प्राप्ति करना।

कॉर्पोरेट उद्देश्य एवं लक्ष्य

- विश्व श्रेणी की उत्कृष्टता से युक्त इंजीनियरिंग सामान एवं सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से भारतीय उद्योग में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना।
- उत्पाद प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण विधियों को अद्यतन करने के अनवरत प्रयासों के माध्यम से प्रौद्योगिकी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजारों एवं व्यवसायों के मिश्रण के विकास के माध्यम से अपने परिचालनों का वैश्वीकरण करना।
- अपने स्टेकधारकों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए नियोजित पूंजी पर संतोषजनक लाभ प्राप्ति का सुनिश्चय करना।
- सक्रिय, सुखद एवं फलप्रद कार्य परिवेश प्रदान करना।

माननीय अध्यक्ष का संबोधन
एचएमटी लिमिटेड की 72वीं वार्षिक बैठक

मेरे प्यारे शेयरधारकों,

वर्ष 2024-25 के लिए एचएमटी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सम्मानित हूं। हम पिछले वर्ष की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करेंगे। वैश्विक दृष्टिकोण, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और हमारे राष्ट्र के भविष्य पर विनिर्माण पहलों के प्रभाव को स्वीकार करना भी अत्यंत आवश्यक है।

वैश्विक दृष्टिकोण

वैश्विक अर्थव्यवस्था मामूली लेकिन असमान विस्तार के चरण में प्रवेश कर रही है। आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक (अप्रैल 2025) के अनुसार, विश्व सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2024 में 3.2 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर 2025 में 3.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में व्यापारिक तनाव और सख्त मौद्रिक नीति से उत्पन्न होने वाले बढ़ते जोखिमों के बावजूद, मुख्य मुद्रास्फीति में अपनी क्रमिक गिरावट जारी रहने की संभावना है। हालांकि, वैश्विक व्यापार वृद्धि 2025 में केवल 1.7 प्रतिशत तक काफी धीमी होने का अनुमान है। यह आपूर्ति-श्रृंखला के पुनर्संरचना और बढ़ती नीतिगत अनिश्चितता दोनों को दर्शाता है, जो निकट भविष्य में निवेश और सीमा-पार मांग को प्रभावित कर सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

2025 से 2030 तक भारत का आर्थिक दृष्टिकोण मज़बूत और आशावादी है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि 6.2 से 6.7% के आसपास रहने का अनुमान है। भारत के 2030 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद लगभग 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। प्रमुख विकास प्रेरक हैं - मज़बूत घरेलू मांग, बढ़ता निजी उपभोग, बढ़ा हुआ निवेश और डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल | मुद्रास्फीति मध्यम हो रही है, जिससे केंद्रीय बैंक को विकास को समर्थन देने के लिए गुंजाइश मिल रही है। संरचनात्मक सुधारों, बेहतर व्यापार नीतियों और बढ़ते मध्यम वर्ग से उपभोग और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं से चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन भारत का दीर्घकालिक मार्ग सकारात्मक और परिवर्तनकारी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य पर विनिर्माण का प्रभाव

विनिर्माण उच्च मूल्य-वर्धन रोज़गार सृजन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देकर भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी मामूली रूप से 15-17% के बीच रही है, लेकिन बुनियादी ढांचे में पर्याप्त पूंजीगत व्यय और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना के समर्थन से, यह 2032 तक सकल मूल्य वर्धन के लगभग 21% तक बढ़ने का अनुमान है। डिजिटल-ट्विन प्रौद्योगिकियों और उद्योग 4.0 को अपनाने से समर्थित, सटीक इंजीनियरिंग में बढ़ी हुई घरेलू क्षमता, भारतीय फर्मों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और कम लागत वाले विनिर्माण केंद्रों में होने वाले "चीन + 1" आपूर्ति-श्रृंखला बदलावों को हासिल करने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा, भारत के बढ़ते कार्यबल के एक बड़े हिस्से - जिसमें अर्ध-कुशल और कुशल श्रम शामिल हैं - को समायोजित करके, विनिर्माण विस्तार से घरेलू आय में वृद्धि होगी और शहरी तथा ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिलेगा। इससे पारंपरिक कृषि की हिस्सेदारी कम होने के बावजूद उपभोग की निरंतर वृद्धि को बल मिलेगा।

व्यापार परिदृश्य

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, सशक्त सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा खर्च, और एक युवा जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण लचीली वृद्धि की विशेषता से युक्त रही है। इसके साथ ही, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता जैसी सरकारी पहलें नए निवेश चक्रों को बढ़ावा दे रही हैं। कमोडिटी-मूल्य अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव सहित वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत के विविध विकास चालक और चल रहे संरचनात्मक सुधार इसे 2025 में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं।

क्षेत्रीय रुझान

विनिर्माण

विनिर्माण गतिविधि ने **तेजी पकड़ी है,** और वित्त वर्ष 2024-25 में क्षेत्र के लगभग 6.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। मशीनरी, रसायन और धातु क्षेत्रों में मज़बूत ऑर्डर बुक के कारण, पहली तिमाही में क्षमता उपयोग 75.8% के साथ 22 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। "मेक इन इंडिया" पहल और बढ़ते निजी बुनियादी ढाँचा निवेश विनिर्माताओं को आधुनिकीकरण करने और अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिए आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं।

सेवाएँ

सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जो सकल मूल्य वर्धन के आधे से अधिक का योगदान देता है। 2025 की शुरुआत में, सेवा क्षेत्र का पीएमआई बढ़कर 59.0 पर पहुँच गया, जो आईटी, वित्तीय सेवाओं और व्यापार-प्रक्रिया आउटसोर्सिंग में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। डिजिटल अपनाने, निर्यात मांग और बढ़ते घरेलू उपभोग के समर्थन से, इस क्षेत्र के लगभग 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

प्रौद्योगिकी एवं नवाचार

प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रमुख विकास चालक बने हुए हैं, जिसमें आईटी पर खर्च 2025 में 11% से अधिक बढ़कर लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आईटी सेवाओं के निर्यात का वैश्विक आउटसोर्सिंग मात्रा में लगभग 18% हिस्सा रहने की उम्मीद है। वेंचर कैपिटल गतिविधियाँ, विशेष रूप से एआई, फिनटेक और डीप-टेक स्टार्टअप्स में, मज़बूत बनी हुई हैं, जो भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते निवेशक विश्वास को दर्शाती हैं।

प्रदर्शन एवं व्यावसायिक उपलब्धियाँ

कंपनी के मुख्य व्यापार पोर्टफोलियो में खाद्य प्रसंस्करण मशीनों की उत्पाद श्रृंखला शामिल थी। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹8.31 करोड़ के मुकाबले ₹12.58 करोड़ का उत्पादन दर्ज किया और कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹36.05 करोड़ की तुलना में ₹11.34 करोड़ की बिक्री दर्ज की। बेंगलुरु स्थित सहायक व्यवसाय प्रभाग ने, पिछले वर्ष के ₹7.95 करोड़ और ₹11.86 करोड़ के मुकाबले, वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 9.05 करोड़ का उत्पादन (घड़ियों का संयोजन) और ₹14.83 करोड़ की बिक्री दर्ज की है।

वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का कुल कारोबार ₹ 26.17 करोड़ रहा, जबकि 2023-24 के दौरान यह ₹ 47.91 करोड़ था। वर्ष 2024-25 के दौरान कर-पूर्व लाभ ₹ 18.94 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 17.47 करोड़ था।

संचालन से राजस्व 2024-25 वर्ष के लिए ₹142.31 करोड़ बताया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹163.39 करोड़ था। एचएमटी समूह ने चालू वर्ष में निरंतर कारोबार से ₹143.05 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष के निरंतर संचालन में ₹130.08 करोड़ का घाटा हुआ था। पिछले वर्ष, भारत सरकार की देनदारियों की माफी के कारण, एचएमटी समूह को एचएमटी वॉचेस लिमिटेड से बंद हो चुके संचालन से ₹2680.84 करोड़ का लाभ हुआ था।

कंपनी अपने डेयरी मशीनरी व्यवसाय और घड़ियों की बिक्री का विस्तार करना चाहती है। डेयरी मशीनरी व्यवसाय में, कंपनी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उत्पाद उन्नयन, विनिर्माण सहयोग, और टर्नकी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी प्रकार, घड़ियों के व्यवसाय में, कंपनी बिक्री और बाजार उपस्थिति बढ़ाने के लिए वितरकों को नियुक्त कर रही है और नई शृंखलाएँ लॉन्च कर रही है।

भविष्य की संभावनाएं

डेयरी प्रसंस्करण उपकरण बाजार

भारत सरकार ने डेयरी-प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कई प्रमुख पहल की हैं, जिससे डेयरी मशीनरी क्षेत्र को सीधा समर्थन मिल रहा है। 2018-19 में, इसने डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढाँचा विकास कोष को कुल ₹11,184 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया (2018–23 के लिए)। इस राशि में से, ₹8,004 करोड़ को सहकारी समितियों और निजी प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए कम ब्याज वाले ऋणों (6.5% प्रति वर्ष की दर पर) के रूप में निर्धारित किया गया है ताकि वे बल्क मिल्क कूलर (थोक दूध कूलर), पाश्चराइज़र, मेम्ब्रेन-फिल्ट्रेशन यूनिट्स (झिल्ली-निस्पंदन इकाइयाँ) और स्वचालित पैकिंग लाइनें जैसे उपकरण स्थापित कर सकें (ऋण घटक परियोजना लागत के 80% तक सीमित है)।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट द्वारा 2025 की शुरुआत में अनुमोदित 'राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के संशोधित संस्करण में, दुग्ध-परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्राथमिक शीतलन केंद्रों और ग्राम-स्तरीय संग्रह बिंदुओं की स्थापना या उन्नयन के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं। यह कार्यक्रम सभी दुग्ध उत्पादक राज्यों में कोल्ड-चेन लिंकेज और

गुणवत्ता नियंत्रण बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है।

नाबार्ड और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग दोनों के समर्थन वाली ये योजनाएँ, एक साथ मिलकर, डेयरी मशीनरी में बड़े-टिकट के निवेश को काफी हद तक जोखिम-मुक्त कर चुकी हैं। इन्होंने प्रौद्योगिकी को अपनाने (जैसे, स्वचालित दुग्ध दोहन आई ओ टी - सक्षम निगरानी में तेजी लाई है और भारत की डेयरी-प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए आधार तैयार किया है।

संक्षेप में, भारतीय डेयरी-मशीनरी बाजार अगले दशक में मजबूत वृद्धि बनाए रखने के लिए तैयार है। यह वृद्धि बढ़ते हुए दुग्ध उत्पादन, मूल्यवर्धित उत्पादों की ओर उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव, और स्वचालन तथा गुणवत्ता निगरानी में चल रहे तकनीकी विकास से प्रेरित होगी।

मशीन टूल्स बाजार

घरेलू आधुनिकीकरण अभियानों और प्रमुख अंतिम-उपयोग उद्योगों से बढ़ती मांग के कारण, भारतीय मशीन-टूल्स बाजार निरंतर विस्तार के लिए तैयार है। आईएमएआरसी ग्रुप के अनुसार, यह बाजार 2024 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था और 2025 तथा 2033 के बीच 7.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है, जो इस अवधि के अंत तक अनुमानित 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह मजबूत प्रक्षेपवक्र, पारंपरिक से सीएनसी प्रौद्योगिकियों की ओर चल रहे बदलाव के साथ-साथ ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रक्षा और तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक-वाहन उद्योग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमता-वृद्धि परियोजनाओं को दर्शाता है।

भारत महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों जैसे कि उच्च-सटीकता स्पिंडल, नियंत्रण इकाइयों और गाइडवे के लिए आयात पर निर्भर बना हुआ है, जिससे मूल उपकरण निर्माताओं को मुद्रा उतार-चढ़ाव और आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्नत सीएनसी और एडिटिव-सबट्रैक्टिव हाइब्रिड प्लेटफॉर्म में प्रशिक्षित ऑपरेटरों के बीच कौशल की कमी नए उपकरणों के पूर्ण उपयोग में बाधा डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता (विशेष रूप से स्टील और विशेष मिश्र धातुओं) मशीन-टूल निर्माताओं और अंतिम-उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए लागत अनिश्चितता को बढ़ाती है।

आने वाले दशक में भारतीय मशीन-टूल्स उद्योग आधुनिकीकरण की लहर पर सवार होने के लिए तैयार है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का निरंतर एकीकरण, जिसे सरकार समर्थित प्रतिस्पर्धात्मकता पहलों से बल मिलेगा, आयात पर निर्भरता को कम करने, कार्यबल के कौशल को बढ़ाने और घरेलू तथा वैश्विक उपकरण बाजारों दोनों में बढ़ती हिस्सेदारी पर कब्ज़ा करने के लिए आवश्यक होगा।

सहायक कंपनियों की पहल

कंपनी की सहायक कंपनियों ने भी वर्ष 2024-25 के दौरान कई पहल कीं।

मशीन टूल्स व्यवसाय

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने कई महत्वपूर्ण पहल कीं, जिससे विनिर्माण उत्कृष्टता और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों के साथ रणनीतिक सहयोग के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को यूरोप स्थित एक प्रतिष्ठित रक्षा कंपनी से ₹2.5 करोड़ मूल्य का एक प्रतिष्ठित निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुआ। यह प्रतिष्ठित ऑर्डर न केवल विश्व स्तरीय मशीन टूल्स वितरित करने में एचएमटी की क्षमताओं को उजागर करता है, बल्कि वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में इसकी उपस्थिति को भी मजबूत करता है।

एचएमटी ने भुवनेश्वर में **ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण** को ₹12.5 करोड़ मूल्य की 62 मशीनें प्रदान कीं। यह पहल क्षेत्र में कौशल विकास का समर्थन करती है और व्यावसायिक प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप है।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने **तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय, ओडिशा** को 20 स्टैलियन-200 सीएनसी मशीनों की आपूर्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण घरेलू ऑर्डर भी पूरा किया। ₹9.5 करोड़ मूल्य की यह परियोजना सफलतापूर्वक निष्पादित की गई, जिसने राज्य में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं के आधुनिकीकरण में योगदान दिया।

इसके अलावा, एचएमटी ने **आयुध निर्माणी अंबाजारी** को बम शेल मशीनिंग के लिए तीन एसबी सीएनसी-30 मशीनों और तीन शेल टर्न मशीनों सहित छह मशीनें की आपूर्ति और कमीशनिंग (स्थापना) की। यह पहल भारत में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में एचएमटी के निरंतर योगदान का एक प्रमाण है।

इसके अतिरिक्त, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा **नौसेना खरीद महानिदेशालय, मुंबई** को सात मशीनें, जिनमें वर्टिकल टर्निंग सेंटर (वि टी सी 1600), सीएनसी मशीन (एल45 सीएनसी 3000), और

सीएनसी टर्निंग सेंटर (स्टैलियन 200) शामिल हैं, की आपूर्ति की गई। यह मल्टी-यूनिट आपूर्ति विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचएमटी के उत्पादन केंद्रों के एकीकृत क्षमताओं और समन्वय को दर्शाती है।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मशीन टूल्स प्रदर्शनी आई एम टी ई एक्स - 2025 (23 से 29 जनवरी 2025) में अपनी अब तक की सबसे शानदार उपस्थिति दर्ज की। एचएमटी पवेलियन का उद्घाटन भारत सरकार के माननीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री द्वारा किया गया। एचएमटी की भागीदारी का एक प्रमुख आकर्षण 'एचएमटी आई-कनेक्ट' का आधिकारिक लॉन्च था, जो सीएनसी मशीन के प्रदर्शन में केंद्रीकृत दृश्यता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक क्लाउड-आधारित एकीकरण प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने मशीन टूल सेक्टर में तकनीकी नवाचार के प्रति अपनी रणनीतिक प्रासंगिकता और प्रतिबद्धता को उजागर किया।

मशीन टूल्स के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने और उद्योग-शिक्षा जगत के सहयोग, ज्ञान साझा करने तथा क्षमता निर्माण को गति देने के लिए **विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगावी (कर्नाटक)** और साथ ही **आईआईटी, रुड़की** के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई** के लिए थ्री-पीस मैनिपुलेटर्स के 39 जोड़ों की आपूर्ति का एक प्रतिष्ठित ऑर्डर पूरा किया।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने **इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम** के लिए अपनी तरह के पहले थ्री-पीस मैनिपुलेटर-जेड का विकास सफलतापूर्वक पूरा किया।

भारी उद्योग मंत्रालय की पूंजीगत वस्तु योजना-2 के तहत, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी के सहयोग से, भारत में पहली बार, रैम टाइप बोरिंग मशीन और रोल ग्राइंडिंग मशीन का विकास कर रहा है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एम एच आई) ने व्यापार, बाजार, उत्पाद प्रोफाइल, कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे, वित्त आदि से संबंधित विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया। नीति आयोग के सदस्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), डॉ. वी. के. सारस्वत की अध्यक्षता में समिति ने अपनी सिफारिशें तैयार की हैं और टिप्पणी के लिए मसौदा रिपोर्ट परिचालित की है।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड का निर्यात

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड एचएमटी समूह की निर्यात इकाई के रूप में कार्य करता है, जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सीआईएस और अन्य उभरते बाजारों में इंजीनियरिंग वस्तुओं और कृषि मशीनरी से लेकर टर्नकी परियोजना सेवाओं और प्रशिक्षण-केंद्रों की स्थापना तक, भारत-निर्मित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का विपणन करता है।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड का निर्यात वर्ष 2024-25 के लिए ₹1.79 करोड़ रहा। कंपनी का मजबूत तुलन पत्र, जो स्थापना के बाद से ऋण-मुक्त होने के साथ सकारात्मक निवल मूल्य रखता है, और 50 से अधिक ईईपीसी निर्यात संवर्धन पुरस्कारों की इसकी प्राप्ति, इसकी वित्तीय सुदृढ़ता और विदेशी बाजारों में इसकी प्रतिष्ठा दोनों को रेखांकित करती है। आगे देखते हुए, एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड विदेश मंत्रालय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है। यह प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केंद्रों और एमएसएमई उत्पादन सुविधाओं के लिए नए अनुबंधों पर काम कर रहा है, जिससे इसकी निर्यात उपस्थिति और अधिक विविध और गहरी होनी चाहिए।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड को परियोजना निर्यात (बड़ा उद्यम) श्रेणी में 54वां ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार समारोह 18 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, माननीय श्री जितिन प्रसाद ने यह पुरस्कार प्रदान किया।

एचएमटी (इंटरनेशनल) ने गांधी मंडेला सेंटर ऑफ स्पेशलाइज़ेशन (जीएमसीओएस), प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका के लिए 'तीन वर्षीय रखरखाव योजना' परियोजना हेतु विदेश मंत्रालय के साथ ₹3 करोड़ मूल्य का एक समझौता किया। एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड वर्ष 2018-2019 से लगातार परियोजना निर्यात के लिए ईईपीसी पुरस्कार जीतती आ रही है।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड ने इंडो-म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, म्यिंगयान, म्यांमार के लिए 'पांच वर्षीय व्यापक रखरखाव योजना' नामक परियोजना के हिस्से के रूप में, 14 म्यांमार प्रशिक्षकों के अंतिम बैच का रखरखाव गतिविधियों पर 3 महीने की अवधि के लिए भारत में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

सहायक कंपनियाँ

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

सहायक कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹99.70 करोड़ की तुलना में ₹110.77 करोड़ की बिक्री हासिल की और पिछले वर्ष के ₹92.20 करोड़ की तुलना में ₹96.46 करोड़ का उत्पादन प्राप्त किया। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹160.99 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष ₹155.24 करोड़ का घाटा दर्ज किया गया था।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

सहायक कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹15.35 करोड़ का कारोबार हासिल किया, जबकि पिछले वर्ष 2023-24 में यह ₹17.59 करोड़ दर्ज किया गया था। सहायक कंपनी ने ₹1.99 करोड़ का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹4.81 करोड़ दर्ज किया गया था।

कॉर्पोरेट अभिशासन

कंपनी मूल्यों और सिद्धांतों के उच्चतम मानकों को अपनाने और बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती है। कंपनी सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा तैयार किए गए कॉर्पोरेट अभिशासन पर सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

कंपनी हितधारकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर विकास दर के लिए प्रयास जारी रखेगी। जबकि कंपनी विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं यह सभी हितधारकों और समग्र रूप से समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यावसायिकता पर ज़ोर देते हुए, कॉर्पोरेट अभिशासन और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के सर्वोत्तम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

आभार

मैं इस अवसर पर माननीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री, माननीय भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (भारी उद्योग), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव, आर्थिक सलाहकार और भारी उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के प्रति कंपनी को प्रदान किए गए उनके असीम समर्थन और मार्गदर्शन के लिए ईमानदारी से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कंपनी के सुचारु संचालन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों आदि के अधिकारियों का भी उनके सभी समर्थन के लिए आभारी हूँ। मैं संबंधित राज्य सरकारों, संयुक्त कार्य भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी बहुमूल्य सहायता और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों और सभी एचएमटीयन्स के प्रति भी अपना ईमानदारी से आभार और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बेहद चुनौतीपूर्ण वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अपनी अटल प्रतिबद्धता, आत्मविश्वास और निरंतर समर्थन दिया।

मैं भारत और विदेश में हमारे सभी सम्मानित ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और संरक्षण के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और उन्हें उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ।

मैं अन्य सभी हितधारकों को भी उनके बहुमूल्य समर्थन, सहयोग और कंपनी के प्रदर्शन में निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों के समर्पित और प्रतिबद्ध संसाधन तथा हमारे सम्मानित शेयरधारकों के बहुमूल्य समर्थन के साथ, हमारी कंपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी और अपने हितधारकों के लिए मूल्य संवर्धित करेगी।

मैं एचएमटी और इसके प्रबंधन में आपके निरंतर विश्वास के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को नमस्कार करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ!

ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
बेंगलूरु

यह कंपनी की 72वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड होने का दावा नहीं करता है।

यह पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया है।

एचएमटी लिमिटेड

विषय-सूची

निदेशक मंडल 1

प्रदर्शन की मुख्य बातें / प्रदर्शन के मुख्य आकर्षण 2

निदेशकों की रिपोर्ट 3

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट 14

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण 19

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट 23

कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाण पत्र 42

एचएमटी लिमिटेड की सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट 49

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट 56

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट 60

सीईओ और सीएफओ प्रमाण पत्र 68

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 70

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 87

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 91

तुलन पत्र / बैलेंस शीट 103

लाभ और हानि खाता 105

नकदी प्रवाह विवरण 107

एकल वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले टिप्पणियाँ 109

समेकित वित्तीय विवरण 152

यह पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया है।

निदेशक मंडल (13.10.2025 को)

श्री. राजेश कोहली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (05.04.2024 से प्रभाव)
श्री. प्रेम चंद्र मौर्या	सरकार नामित निदेशक (17.07.2025 से प्रभाव)
श्रीमती. समीनाकोहली	निदेशक (वित्तीय) (अतिरिक्त प्रभार) (10.06.2024 से प्रभाव)
डॉ। कार्तिक चंदूलाल	भद्रा स्वतंत्र निदेशक (01.04.2025 से प्रभाव)
श्री. दत्तानिया दिनेशभाई रामजीभाई	स्वतंत्र निदेशक (15.07.2025 से प्रभाव)

मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री. विकास अग्रवाल, आइटीएस (1997) (01.08.2024 से प्रभाव)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्रीमती. अपर्णा. आर

कंपनी सचिव
श्री. किशोर कुमार एस

वैधानिक लेखा परीक्षक
मेस्सर्स. जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
8/90, पंपा महाकवि रस्ता,
चिक्कण्ण गार्डेन, शंकरपुरा,
बेंगलूरु, कर्नाटका 560004

सचिवीय लेखा परीक्षक
डी वेंकटेश्वरलु
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सं.170, 2nd फ्लोर, 2nd क्रास, 1st ब्लाक,
कोरमंगला, बेंगलूरु 560 034

बैंकर्स
यूको बैंक

पंजीकृत कार्यालय
"एचएमटी भवन"
59,बैल्लारी रोड
बेंगलूरु - 560 032

कॉर्पोरेट पहचान संख्या
L29230KA1953GOI000748

रिजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांस्फर एजेंट
केफिन टेक्नालजीस लिमिटेड
(पहले केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) सेलेनियम बिल्डिंग, टवर-B,
प्लाट सं 31 एंड 32, वित्तीय जिल्ला, नानाक्रमगुडा,
सेरिलिंगमपल्लि, हैदराबाद, रंगारेड्डि, तेलेंगाण, भारत – 500032

निष्पादन हाइलाइट्स

(रुपए लाख में)

	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
परिचालन सांख्यिकी										
बिक्रीय	2617	4791	5159	1258	2346	2613	1960	1480	1043	726
अन्य आय *	5898	5127	4838	6916	6510	4331	3731	1730	1634	10448
सामाग्री	1028	3415	4286	473	1439	1738	1137	818	267	246
कर्मचारी लागत	672	755	734	1012	1101	1375	1003	1194	1026	1106
अन्य लागत	4844	3893	3441	1730	1422	1010	1065	894	5042	470
मूल्यह्रास	146	211	211	195	202	27	25	25	32	27
ब्याज पूर्व कर	1973	1747	1504	4685	4888	2806	2595	578	(3728)	9348
ब्याज पूर्व कर	79	-	13	850	1730	2	29	212	288	297
करों / (हानि)से पहले की कमाई	1894	1747	1491	3835	3158	2804	2566	366	(4016)	9051
कराधान (शुद्ध निकासी/रिफंड)	284	(695)	785	(1)	409	-	-	-	(1861)	-
बंद किए गए परिचालन (ट्रैक्टर्स)	-	-	-	-	-	22014	(841)	(1083)	(21794)	(10765)
शुद्ध आय	1610	2442	706	3836	2749	24818	1725	(717)	(23949)	(1714)
वित्तीय स्थिति										
शुद्ध स्थाई परिसंपत्तियां	1061	1206	1352	1117	1251	1393	1616	1723	1956	2229
चालू परिसंपत्तियां (गैर चालू सहित)	61508	59790	58966	48673	44239	41552	32000	18983	18832	9345
चालू देयताएं और प्रावधान (गैर चालू सहित)	19196	19238	21045	11244	10896	10966	23981	11878	20950	35387
कार्यशील पूंजी	42312	40552	37921	37429	33343	30586	8019	7105	(2117)	(26041)
नियोजित पूंजी	43373	41758	39273	38546	34594	31979	9635	8828	(161)	(23812)
निवेश	71978	71978	71978	71978	71978	71978	71978	72042	72029	76425
उधारी	64172	64172	64172	64172	64172	64172	66206	67155	57948	15094
अधिमान शेयर पूंजी (पीएससी)	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686
शुद्ध मूल्य	47493	45878	43393	42666	38714	36099	11721	10029	10234	33833
अन्य सांख्यिकी										
पूंजीगत व्यय	1	64	151	61	61	2	124	10	13	65
आंतरिक संसाधन उत्पन्न	2040	1958	1702	4030	3360	24845	1750	(692)	(25778)	(1687)
कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात	0.06	0.12	0.14	0.03	0.07	0.09	0.24	-	-	-
चालू अनुपात	3.2	3.11	2.8	4.33	4.06	3.79	1.33	1.60	0.90	0.26
पूंजी पर वापसी (%)	4.64	4.31	3.87	12.81	14.68	13.49	28.11	13.34	-	-
कर्मचारियों के संख्या	45	55	63	66	81	91	101	103	118	128
प्रति व्यक्ति बिक्री	58.16	87.11	81.89	19.06	28.96	28.71	19.41	14.37	8.84	5.67

* अतिरिक्त साधारण और असाधारण वस्तुएँ शामिल है

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
एचएमटी लिमिटेड बेंगलूरु

प्रिय सदस्यगण

वर्ष 2024-25 के लिए निदेशक मंडल आपकी कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 72वीं वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय विवरण को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

वित्तीय विशेषताएं या सारांश / कंपनी की निष्पादन स्थिति (स्टैंडअलोन)

रु. करोडों मे

विवरण	2024-25	2023-24
सतत संचालन से सकल राजस्व (आय)	**26.17**	**47.91**
अन्य आय	**58.98**	**51.27**
कुल आय	**85.15**	**99.18**
मूल्यह्रास पूर्व लाभ एवं वित्तीय लागत	**21.19**	**19.58**
मूल्यह्रास	**1.46**	**2.11**
कुल लाभ	**19.73**	**17.47**
वित्तीय लागत	**0.79**	**-**
अपरिहार्य मदों के पूर्व कुल लाभ	**18.94**	**17.47**
जॊडे अपरिहार्य मदों	**-**	**-**
कर के पूर्व शुद्ध लाभ	**18.94**	**17.47**
कर प्रावधान	**2.84**	**(6.95)**
कर के बाद शुद्ध लाभ	**16.10**	**24.42**
बंद किए गए कार्यकलापों से लाभ / (हानि)	**-**	**-**
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	**16.10**	**24.42**
अन्य व्यापक आय	**0.05**	**0.43**
कुल व्यापक आय	**16.15**	**24.85**

परिचालन परिणाम

कंपनी के प्रमुख व्यवसाय में फुड प्रोसेसिंग मशीन शामिल है । कंपनी ने गत वर्ष के रु. 8.31 करोड उत्पादन की तुलना में इस वर्ष रु. 12.58 करोड उत्पादन रहा और गत वर्ष के रु. 36.05 करोड (रु. 26.80 करोड पाउडर परियोजना से राजस्व सहित) के तुलना में इस वर्ष रु. 11.34 करोड का बिक्रि स्थापित किया । वित्त वर्ष 2023-24 के साथ तुलनात्मक रूप से एफपीए में बिक्री में कमी मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 लाख टन प्रति दिन दूध पाउडर परियोजना के पूरा होने के कारण है। हालांकि, यूनिट बिक्री में परिचालन से राजस्व में 22% की वृद्धि हुई है (अर्थात ₹9.25 करोड़ से बढ़कर ₹11.34 करोड़)

सहायक व्यापार प्रभाग, बैंगलोर ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹9.05 करोड़ का उत्पादन (घड़ियों की असेंबली) और ₹14.83 करोड़ की बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः ₹7.95 करोड़ और ₹11.86 करोड़ थी। बिक्री में घड़ियों की बिक्री और ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की बिक्री शामिल है| (बिक्री में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है)

वर्ष 2024-25 के दौरान कर-पूर्व लाभ ₹18.94 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹17.47 करोड़ था।

परिचालन से राजस्व वर्ष 2024-25 के लिए 142.31 करोड़ रुपये बताया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 163.39 करोड़ रुपये था। एचएमटी समूह ने चालू वर्ष में निरंतर कारोबार से 143.05 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष निरंतर परिचालन से यह घाटा 130.08 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष, भारत सरकार (जीओआई) की देनदारियों की छूट के कारण एचएमटी समूह को एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के बंद परिचालन से 2680.84 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।

भविष्य का दृष्टिकोण

डेयरी प्रसंस्करण उपकरण बाजार

वैश्विक डेयरी-प्रसंस्करण-उपकरण बाजार के अगले दशक में लगातार बढ़ने की उम्मीद है (सामान्य पूर्वानुमान मध्य-एकल-अंकीय सीएजीआर ~5-6.5%) दिखाते हैं, जो मूल्यवर्धित डेयरी (पनीर, दही, यूएचटी), संयंत्र आधुनिकीकरण, स्वचालन और एशिया-प्रशांत में मजबूत विकास की बढ़ती मांग से प्रेरित है। बाज़ार का अनुमान आम तौर पर 2024-2025 का आकार अरबों अमरीकी डालर के निम्न-किशोरों में होता है और लगभग 2030 तक लगभग 18-20 अरब अमरीकी डालर का पूर्वानुमान लगाया जाता है।

मशीन टूल्स बाज़ार

मशीन टूल्स बाजार काफी बड़ा है लेकिन विभिन्न बाजार स्रोतों

के आधार पर आकार में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। विकास के अनुमान भी अलग-अलग होते हैं, आम तौर पर बाजार खंड और भौगोलिक दायरे के आधार पर निम्न से उच्च एकल-अंक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) तक होते हैं। इस वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स, और बैटरी उत्पादन से बढ़ती मांग, साथ ही विनिर्माण को देश में फिर से शुरू करने की प्रवृत्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त (अलावा), उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों, जैसे कि सीएनसी ऑटोमेशन (स्वचालन), मशीन कनेक्टिविटी, और हाइब्रिड मशीनिंग, को लगातार अपनाना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, बाजार ऑटोमोटिव और औद्योगिक पूंजी व्यय में उतार-चढ़ाव के प्रति चक्रीय रूप से संवेदनशील बना हुआ है।

शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 1230 करोड़ रुपये और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रुपये है। 355.60 करोड़ (355601640 इक्विटी शेयर, जिनमें से प्रत्येक 10/- रुपये का है और पूर्ण रूप से चुकता है)

जमा राशि

कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V और उसके तहत बनाए गए संबंधित नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है।

लाभांश

कंपनी की परिचालन स्थितियों को देखते हुए (/ ध्यान में रखते हुए), बोर्ड ने शेयरधारकों को कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं करने का निर्णय लिया है। लाभांश वितरण नीति https://www.hmtindia.com/policy/ लिंक पर उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार खुलासा

कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करती है और निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जाती है।

i. वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या - शून्य

ii. वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या - शून्य

iii. नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या - शून्य

धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन 12 अगस्त 2019 को किया गया था। सीएसआर समिति की संरचना कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान की गई है। सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.hmtindia.com/policy/ पर उपलब्ध है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 2357.55 लाख रुपये है, इस प्रकार, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 2357.55 लाख रुपये का कम से कम दो प्रतिशत, यानी 47.15 लाख रुपये खर्च करना आवश्यक है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और संशोधनों में निर्धारित प्रारूप में अनुलग्नक -1 के रूप में प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों का विवरण अनुलग्नक -1क के रूप में संलग्न है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एन) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संदर्भ में कंपनी ने 'जोखिम प्रबंधन नीति' तैयार की है, जिसे कंपनी की वेबसाइट https://www.hmtindia.com/policies. पर रखा गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 12.07.2021 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया। जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट में दी गई है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के किसी भी कर्मचारी को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 197 के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिला।

सहायक कंपनियाँ / सहयोगी / संयुक्त उद्यम कंपनी

क. सहायक कंपनियाँ

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

सहायक कंपनी ने 2024-25 के दौरान 110.77 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की, जबकि पिछले वर्ष यह 99.70 करोड़ रुपये थी, और पिछले वर्ष के 92.20 करोड़ रुपये के मुकाबले 96.46 करोड़ रुपये का उत्पादन दर्ज किया। वर्ष 2024-25 के दौरान शुद्ध हानि 160.99 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि पिछले वर्ष यह 155.24 करोड़ रुपये की हानि थी।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

सहायक कंपनी ने एक करोड़ रुपये का कारोबार किया जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान 15.35 करोड़ रुपये जबकि पिछले वर्ष 2023-24 में 17.59 करोड़ रुपये दर्ज किए गए थे। सहायक कंपनी ने कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 1.99 करोड़ रुपये दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह 4.81 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।

बंद होने वाली सहायक कंपनी

वर्ष 2016 के दौरान आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के निर्णय के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएमटी वॉचेस लिमिटेड का परिचालन बंद कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई परिचालन बिक्री या आय या व्यय नहीं है क्योंकि बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

ख. सहयोगी / संयुक्त उद्यम कंपनी सुडमो-एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड

संयुक्त उद्यम कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई कारोबार नहीं कर सकी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस कंपनी को 0.99 लाख रुपये का शुद्ध हानि हुआ है|

गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीएसएमटीसी)

एचएमटी लिमिटेड और जीआईआईसी लिमिटेड के बीच इस सहयोगी कंपनी ने लंबे समय से अपना परिचालन बंद कर दिया है। अब जीआईआईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने जीएसएमटीसी के परिसमापन को मंजूरी दे दी है, जो गुजरात सरकार की मंजूरी के अधीन होगा। कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी के अधीन जीएसएमटीसी के परिसमापन को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। मामला विचाराधीन (/प्रक्रियाधीन) है।

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएँ वित्तीय वर्ष 2024-25 के समेकित वित्तीय विवरणों में फॉर्म एओसी-1में प्रदान की गई हैं।

भारतीय लेखा मानक

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधन नियमों (जो कंपनी पर लागू होते हैं) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों और अधिनियम के अन्य प्रावधानों का सभी भौतिक पहलुओं में पालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

शेयर पूंजी में कमी

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 16.10.2018 के आदेश के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित 848,490,000 इक्विटी शेयरों (प्रत्येक ₹10/- का) को कम करके (कैबिनेट अनुमोदन के अनुसार), कंपनी की शेयर पूंजी में कमी को ₹1204.09 करोड़ से ₹355.60 करोड़ तक पुष्टि/अनुमोदित किया है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 16 अक्टूबर, 2018 को जारी अपने आदेश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित प्रत्येक 10 रुपये के 849000000 इक्विटी शेयरों में कमी करके कंपनी की शेयर पूंजी को 1204.09 करोड़ रुपये से घटाकर 355.60 करोड़ रुपये करने की पुष्टि की है। हालांकि, स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शेयर पूंजी में कटौती (/ कमी) की प्रक्रिया प्रक्रियात्मक अनुपालनों के लिए लंबित है, जो रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के परामर्श से प्रक्रियाधीन हैं।

भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी (/शेयरधारिता) 10 रुपये की 279566626 है, जो कंपनी में 78.62% हिस्सेदारी के बराबर है, जबकि आरटीए रिकॉर्ड के अनुसार 10 रुपये की 1128056626 इक्विटी हिस्सेदारी (/शेयरधारिता) है। अतः लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी की चुक्ता शेयर पूंजी और आरटीए द्वारा प्रदान किए गए शेयरधारिता पैटर्न के बीच अंतर है।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (सूचीयन दायित्व और

प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत आवश्यक रूप से, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सहायक कंपनियों के साथ हैं और लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं, साथ ही इन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी संलग्न है।

प्रत्येक सहायक कंपनी की वित्तीय जानकारी कंपनी की समेकित तुलन-पत्र के हिस्से के रूप में प्रदान की गई है । सहायक कंपनियों के अलग-अलग लेखापरीक्षित खाते उन सदस्यों को अनुरोध पर उपलब्ध कराए जाएंगे जो उन्हें प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के वार्षिक खाते और अन्य जानकारी, किसी भी सदस्य द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और कंपनी की वेबसाइट www.hmtindia.com पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

मानव संसाधन

31 मार्च, 2025 तक कंपनी की कर्मचारी संख्या 45 थी, जिसमें विनिर्माण संयंत्रों और अन्य कार्यालय में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी शामिल थे। 31 मार्च, 2025 को कंपनी के रजिस्टर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला कर्मचारी श्रेणियों आदि में कर्मचारियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

अनुसूचित जाति	10
अनुसूचित जनजाति	03
अन्य पिछड़ा वर्ग	08
भूतपूर्व सैनिक	0
विकलांग व्यक्ति	0
महिला कर्मचारी	14
अल्पसंख्यक	03

कार्मिक और औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कंपनी में कार्मिक और औद्योगिक संबंध की स्थिति सौहार्दपूर्ण रही।

राजभाषा का कार्यान्वयन

कंपनी राजभाषा अधिनियम, नियमों और नीति को सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसका उद्देश्य सभी कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाना है। अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए इकाइयों, सहायक कंपनियों और कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलुरु में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।

राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी की सभी इकाइयों में सितंबर 2024 के दौरान हिंदी दिवस / हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया था। कॉरपोरेट कार्यालय में एचएमटी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें चित्रकथा, आशु भाषण, आधिकारिक भाषा लिखित प्रश्नोत्तरी और विविधा शामिल हैं। हिंदी दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार वितरित किए गए और हिंदी सप्ताह के हिस्से के रूप में एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

नियमित अभ्यास, दिन के हिंदी शब्द को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है, और हिंदी समाचार पत्रों को दैनिक रूप से खरीदा जाता है ताकि कर्मचारियों को आधिकारिक भाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कर्मचारियों को हिंदी में हस्ताक्षर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा (/अतिरिक्त, हिंदी अधिकारी और अधिकारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) द्वारा आयोजित बैठकों, कार्यक्रमों, ऑनलाइन वेबिनारों और हिंदी महीने के समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

सतर्कता गतिविधियां।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी के कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं (/नेतृत्व करते हैं)। भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 5(47)/2010- पी.ई.एक्स दिनांक 30 अगस्त 2024 के माध्यम से, श्री विकास अग्रवाल, आईटीएस (1997) को एचएमटी लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रारंभिक 03 वर्ष की अवधि के लिए सौंपा है।

कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग धारक कंपनी के साथ-साथ सहायक कंपनियों में भी सतर्कता कार्य करता है।

विनिर्माण इकाइयों और विपणन कार्यालयों में सतर्कता कार्य मुख्य

सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में सतर्कता अधिकारियों द्वारा देखा जाता है।

सभी इकाई (/यूनिट) सतर्कता अधिकारी अपनी मासिक सतर्कता / निरीक्षण रिपोर्ट और आकस्मिक (/आश्चर्य) निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)) को भेजते हैं। इस प्रकार प्राप्त रिपोर्टों की मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय में आगे की कार्रवाई के लिए जाँच की जाती है। इकाई सतर्कता अधिकारी इकाई के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक संपत्ति रिटर्न का सत्यापन भी करते हैं।

इकाई सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले नियमित निरीक्षणों के अलावा, मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न सहायक कंपनियों और इकाइयों का दौरा करके उच्च मूल्य की खरीद/ठेकों और प्रणालियों का सीटीई (सीवीसी में मुख्य तकनीकी परीक्षक) प्रकार का निरीक्षण आयोजित करते हैं।

सीवीओ/ इकाई वीओ द्वारा फाइलों के निरीक्षण के दौरान देखे गए (/पाए गए) नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया और विचलन की गंभीरता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। इकाई सतर्कता अधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने निरीक्षण के दौरान पाए गए विचलनों पर त्रैमासिक सतर्कता कार्यशाला में चर्चा करें और संबंधित अधिकारियों को यह परामर्श दें कि सतर्कता विभाग द्वारा इंगित किए गए नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन दोहराया न जाए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024, निवारक सतर्कता उपाय सह गृह व्यवस्था गतिविधियाँ को 16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक 3 महीने के लिए वीएडब्ल्यू के अग्रदूत के रूप में अभियान चलाया गया। इसका विषय **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"** था, और इसे सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों की सभी इकाइयों और कार्यालयों में मनाया गया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, एचएमटी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या
नैतिकता और शासन	04
खरीद	85
साइबर स्वच्छता और सुरक्षा	100
नैतिकता और शासन	84
सार्वजनिक खरीद	2
आचार संहिता नियम	85
संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ	23
अखंडता और नैतिकता	04
सीटीई प्रकार का निरीक्षण और सार्वजनिक खरीद पर निवारक सतर्कता	02

वीएडब्लू अखंडता प्रतिज्ञा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन माध्यम से

अखंडता प्रतिज्ञा	430

वीएडब्लू के दौरान प्रतियोगिताएँ:	
प्रश्नोत्तरी	225
नारा	
निबंध	
कार्टून	
लघु भाषण	

क्रम संख्या	गतिविधियाँ	विवरण
1	पर्चे / बैनर वितरित करना	संगठन के कर्मचारियों के बीच पम्फलेट बनाकर वितरित किए गए।
2	कार्यशाला / संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, अजमेर (एमटीए) - नए भर्ती किए गए अधिकारियों के लिए सतर्कता जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की गई। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलामस्सेरी (एमटीके) – नए शामिल हुए परियोजना सहयोगियों के लिए मानव संसाधन विभाग के सहयोग से भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ पर कार्यशाला आयोजित की गई।
3	पत्रिका / न्यूज़लेटर जारी करना	शून्य
4	कोई अन्य गतिविधियाँ	सतर्कता के बारे में जागरूकता पैदा करने और फैलाने के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु में 14.11.2024 को सुबह 10:00 बजे 2 किलोमीटर की वॉकथॉन आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 40 कर्मचारियों ने भाग लिया।

निविदा प्रक्रिया में सभी नियमों और प्रक्रियाओं और पारदर्शिता के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन करने का प्रयास करके निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया। प्रस्तावित प्रणाली सुधारों में से कुछ इस प्रकार हैं:

1. अधिकारियों के एपीएआर को ऑनलाइन भरने का सुझाव ।
2. अधिकारियों के संपत्ति विवरण को ऑनलाइन भरने का सुझाव
3. एचएमटी क्रय नियमावली को अद्यतन करने का प्रस्ताव |
4. पुराने चित्रों, भूमि के रिकॉर्ड, मानव संसाधन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण।
5. भुगतान करने और भुगतान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लेन-देन।
6. जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद को अधिकतम करना।
7. लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वित्त) पर आवधिक निरीक्षण का सुझाव |
8. प्रबंधन को इंटीग्रिटी पैक्ट (/सत्यनिष्ठा संधि) अपनाने के लिए राज़ी किया जा रहा है| मामला 8.6.2017 को आयोजित एचएमटीएल के निदेशक मंडल की 326वीं बैठक में उठाया गया था और बोर्ड का निर्णय था "एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों में अखंडता समझौते को अपनाना और कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को अखंडता समझौते को अपनाने के लिए आधार तय करने और अखंडता समझौते के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्य और चीजें करने और बोर्ड को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया"। इसके तदनुसार, एचएमटी लिमिटेड ने 05 जून 2025 को आयोजित अपनी 374वीं बोर्ड बैठक में पैरा संख्या: 21 में इंटीग्रिटी पैक्ट (/सत्यनिष्ठा संधि) क्लॉज को शामिल करके मौजूदा खरीद मैनुअल में संशोधन को मंजूरी दे दी है और कार्यालय आदेश संख्या 13/25 दिनांक 12 जून, 2025 के माध्यम से इसे एचएमटी लिमिटेड में लागू कर दिया गया है।
9. एचएमटी और गैर-एचएमटी अधिकारियों को क्वार्टर आवंटन के लिए एसओपी का सुझाव दिया गया।
10. भविष्य में अस्पताल से प्राप्त नुस्खे के मेडिकल बिलों के सत्यापन/पासिंग के लिए एसओपी बनाई जा सकती है।
11. सलाहकार नोट-अग्रदाय खाते में विसंगतियों के संबंध में।
12. शक्तियों के प्रत्यायोजन और घड़ियों को उपहार में देने की नीति को अद्यतन करने का सुझाव दिया गया।

13. संगठन में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सतर्कता पर अधिक जागरूकता पहल (प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि) का सुझाव दिया।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक -2 के रूप में अलग से संलग्न है।

निगमित प्रशासन

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न किया गया है, साथ ही ऑडिटर से अनुपालन प्रमाणपत्र को अनुलग्नक-3क के रूप में जोड़ा गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में विवरण अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और उनके द्वारा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के संदर्भ में निम्नलिखित बयान देते हैं:

- 31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;
- ऐसी लेखांकन नीतियों को चुना गया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया है, तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो विवेकपूर्ण और उचित हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है (/सावधानी बरती गई है;) ;
- वार्षिक वित्तीय विवरण चालू संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे;
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ मौजूद थीं और पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं;

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3)(क) के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक के वार्षिक विवरणी की एक प्रति अपनी वेबसाइट https://www.hmtindia.com/investor-relation/ar/ पर उपलब्ध है।

लेखा परीक्षकों

मैसर्स। जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बेंगलुरु को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी और इसके सहायक व्यापार प्रभाग (एबीडी) के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मैसर्स। आर के मुले एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी डिवीजन, औरंगाबाद के लिए शाखा लेखा परीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों का उत्तर अनुलग्नक-5 के रूप में दिया गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा को करने के लिए श्री डी. वेंकटेश्वरलू, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-6 के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर अनुलग्नक-6क के रूप में संलग्न हैं।

गैर-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण (/सामग्री) सहायक कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम, 2015 के विनियम 24क के प्रावधानों के अनुसरण में, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और एचएमटी (आई) लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट, टिप्पणियों के जवाब के साथ कंपनी की एक गैर सूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनियों को इस रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-7, 7क, 8 और 8क के रूप में संलग्न किया गया है।

व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

बीएसई के सर्कुलर नं. 20240510-48 और एनएसई परिपत्र सं. एनएसई/सीएमएल/2024/11 दिनांक: 10 मई 2024, बीआरएसआर को पूरी रिपोर्ट प्रकाशित करने के बजाय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में एक लिंक के रूप में प्रदान किया जा सकता है। इस तरह से बीआरएसआर-25 को https://www.hmtindia.com/बिजनेस- रिस्पॉन्सिबिलिटी-एंड-स्टेनेबिलिटी-रिपोर्ट/ लिंक से एक्सेस किया जा सकता है

बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, एचएमटी को कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रदर्शन के मूल्यांकन से एमसीए की 5 जून, 2015 और 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचनाओं के संदर्भ में छूट प्राप्त है, जिसका मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारी उद्योग मंत्रालय और/या लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है।

बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान, आठ बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और उनका विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, सभी निदेशकों की नियुक्ति और नियम व शर्तों का निर्धारण (जिसमें कार्यात्मक निदेशकों की अवधि और पारिश्रमिक शामिल है) भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के संबंध में नियुक्ति/ पारिश्रमिक डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एचएमटी के कार्मिक मैनुअल (/नियमावली) में शामिल नीतियों द्वारा संचालित होते हैं।

निदेशक मंडल / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने 26 मार्च 2024 के आदेश के तहत एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री राजेश कोहली, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को सौंपा है, जो श्री के. रविशंकर, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्थान पर हैं, और यह तत्काल प्रभाव से और उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या एक नियमित पदधारक के कार्यभार संभालने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी स्वीकृति के अधीन। श्री राजेश कोहली (डीआईएन: 10333951) ने श्री के. रविशंकर (डीआईएन: 10540509) के स्थान पर 5 अप्रैल 2024 को दोपहर में एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

श्रीमती रीता सक्सेना (डीआईएन: 10294769), महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा), मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ने 25 मई, 2024 से अपने कार्यकाल की समाप्ति पर एचएमटी लिमिटेड की निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) का पद छोड़ दिया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 जून, 2024 के आदेश द्वारा, एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु में निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती समीना कोहली, महाप्रबंधक (वित्त-एसबीडी और आईएसजी), बीएचईएल, बेंगलुरु को एक वर्ष की अवधि के लिए, या पद पर नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी के अधीन, सौंपा है। तदनुसार, श्रीमती समीना कोहली (डीआईएन: 10663362) को कार्यभार संभालने की तिथि 10 जून, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में शामिल किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने 23 जुलाई, 2024 के आदेश के तहत डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835), आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को सुश्री मुक्ता शेखर (डीआईएन: 10118859), पूर्व-संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर 23 जुलाई, 2024 से और अगले आदेश तक कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तदनुसार, डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835) को 23 जुलाई, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में शामिल किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष के बाद, भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 मार्च 2025 के आदेश द्वारा, डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा को एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक / गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दे दी है।

डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा (डीआईएन: 09453387) को 01 अप्रैल, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 अप्रैल, 2025 और 26 जून, 2025 के आदेशों द्वारा, एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री राजेश कोहली, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, को क्रमशः 05 अप्रैल, 2025 से 30 जून, 2025 की अवधि के लिए और 30 जून, 2025 के बाद से 24 मार्च, 2026 तक यानी बीएचईएल में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक, या नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी के अधीन, बढ़ा दिया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने दिनांक 23 मई, 2025 के आदेश द्वारा, एचएमटी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती समीना कोहली, महाप्रबंधक (वित्त), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), को 25.05.2025 से 24.05.2026 तक एक वर्ष की अगली अवधि के लिए, या नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी के अधीन, बढ़ाने की सूचना दी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा, श्री दतानिया दिनेशभाई रामजीभाई को एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक / गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दे दी है। निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने के बाद, श्री दतानिया दिनेशभाई रामजीभाई (डीआईएन: 11193263) को 15 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 14 जुलाई, 2025 के आदेश द्वारा, डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर, श्री प्रेम चंद्र मौर्या, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना दी है। निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने के बाद, श्री प्रेम चंद्र मौर्या (डीआईएन: 11198433) को 17 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा (डीआईएन: 09453387), श्री प्रेम चंद्र मौर्या (डीआईएन: 11198433) और श्री दतानिया दिनेशभाई रामजीभाई (डीआईएन: 11193263) को आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के साथ पठित कंपनी के पार्षद अंतर्नियम के अनुच्छेद 67(4) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति/बोर्ड ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है।

श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। बोर्ड उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है।

श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), श्रीमती अपर्णा आर., मुख्य वित्तीय अधिकारी, और श्री किशोर कुमार एस, कंपनी सचिव 31.03.2025 तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं, जो तक हैं।

स्वतंत्र निदेशक की घोषणा तथा आईआईसीए द्वारा अनुरक्षित डेटा बैंक में पंजीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा और आईआईसीए द्वारा बनाए गए डेटा बैंक में पंजीकरण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

आचार संहिता

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बोर्ड सदस्य(यों) और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त करने के संबंध में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-9 के रूप में संलग्न है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में एक विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है।

वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ

31 मार्च, 2025 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई हैं।

संबंधित पक्ष लेन-देन

संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण नोटों में वित्तीय विवरणों को दिया जाता है।

वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे और सामान्य शर्तों पर आधारित थे। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया गया है, अर्थात्, ऐसे लेन-देन जो पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक हों।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ज) के तहत आवश्यक, फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेन-देन का खुलासा लागू नहीं होता है।

ऋण, गारंटियों और निवेशों का विवरण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत गारंटी और निवेश करने का कोई उदाहरण नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋणों का विवरण वित्तीय विवरणों को नोट में दिया गया है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एकमुश्त निपटान (/एकबारगी निपटान) का कोई उदाहरण नहीं है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई आवेदन या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

अन्य खुलासे

सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण रिकॉर्ड, दोनों ही भौतिक और डिपॉजिटरी रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा बनाए रखे जाते हैं।

किसी भी नियामक (कों) या न्यायालय (यों) या न्यायाधिकरण (णों) द्वारा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू रहने की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

31 मार्च, 2025 तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को किसी भी राशि का हस्तांतरण करने की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्डों का रखरखाव कंपनी पर लागू होता है।

तदनुसार, कंपनी द्वारा ऐसे रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं।

कंपनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

आभारोक्ति

आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों, विभिन्न राज्य सरकारों, विदेशी सहयोगियों, सहायक कंपनियों, आपूर्तिकर्ताओं, भारतीय रिजर्व बैंक, यूको बैंक और भारत तथा विदेश में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों के उनके निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए आभारी हैं और उनका धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक इस अवसर पर सभी एचएमटी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और ईमानदार योगदान और प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना व्यक्त करना चाहेंगे, और एक विश्व स्तरीय एचएमटी के निर्माण की दिशा में उनकी निरंतर सेवाओं की उम्मीद करते हैं।

कृते एवं निदेशकों की मंडल के निमित

ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29.09.2025

अनुलग्नक - 1

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण:

सीएसआर दृष्टिकोण: व्यक्तियो, ग्रह और संगठनात्मक लक्ष्यों/ विकास का ध्यान रखते हुए सतत विकास और समावेशी विकास में योगदान देना।

सीएसआर मिशन

क. समाज के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉरपोरेट इकाई बनना।

ख. हम जिन समुदायों से जुड़े हैं, उनके लिए सुविधाओं का सृजन और विकास करना।

ग. सभी हितधारकों के सामूहिक और एकीकृत प्रयास के माध्यम से आर्थिक, पर्यावरणीय और कल्याणकारी विकास उद्देश्यों को संतुलित करना।

उद्देश्य: इस नीति को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है: कंपनी द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों को पूरा करने के लिए ढांचा प्रदान करना, जिसमें निष्पादन के तौर-तरीके और इसके कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी निगरानी तंत्र शामिल है, जो कंपनी अधिनियम 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों, और समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के दायरे में हैं;

क. कंपनी के सभी स्तरों पर सीएसआर पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना, अपने सभी हितधारकों के हितों को पहचानते हुए, अपने व्यवसाय का संचालन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से करना।

ख. अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, समुदाय में सद्भावना उत्पन्न करना और एचएमटी के लिए एक सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

नीति की मुख्य बातें

क. यह नीति मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी संशोधन नियम, 2014 और डीपीई दिशानिर्देशों के सभी प्रासंगिक खंडों/धाराओं को शामिल करती है।

ख. यह नीति कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा किए जाने वाले गतिविधियों और उन पर किए जाने वाले व्यय से संबंधित है, जिसमें कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में की गई गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं।

ग. सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां, जिनसे केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ होता है, अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं मानी जाएंगी।

घ. सीएसआर और स्थिरता बजट व्यय अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तय (/निर्धारित) किया जाएगा।

ङ. कंपनी हर समय अपनी सीएसआर टीम के कौशल का निर्माण और विकास करने और संगठन के भीतर सीएसआर जागरूकता के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगी।

च. सीएसआर परियोजनाओं का निष्पादन आम तौर पर इन-हाउस टीमों द्वारा या राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों के साथ उपयुक्त साझेदारी के माध्यम से किया जा सकता है। जहां तक संभव हो, एचएमटी के कार्यबल को केवल निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए।

छ. सीएसआर गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट सीएसआर समिति और यूनिट सीएसआर समिति (आवश्यक आधार पर) का गठन किया गया है।

2. सीएसआर समिति के सदस्यों का विवरण:

क्रं. सं	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशन की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थित हुए
1	श्री राजेश कोहली[1]	सभापति / अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	4	4
2	श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[2]	सभापति / अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	-	-
3	श्रीमती आरती भटनागर[3]	सदस्य / सरकारी नामित निदेशक	-	-
4	डॉ. रेणुका मिश्रा[4]	सदस्य / सरकारी नामित निदेशक	3	3
5	श्रीमती मुक्ता शेखर[5]	सदस्य / सरकारी नामित निदेशक	1	1
6	श्रीमती समीना कोहली[6]	सदस्य / निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	3	2
7	श्रीमती रीता सक्सेना[7]	सदस्य / निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	1	1

1. *05.04.2024 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।*
2. *05.04.2024 से अध्यक्ष नहीं है।*
3. *25.05.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त और 10.06.2024 से सदस्य नहीं है।*
4. *23.07.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।*
5. *23.07.2024 से सदस्य नहीं है।*
6. *10.06.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।*
7. *24.05.2024 से सदस्य नहीं है।*

3. "सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट/सार्वजनिक की जाती हैं।"

समिति की संरचना: https://www.hmtindia.com/investor-relation/share-holder-information/

सीएसआर नीति: https://www.hmtindia.com/policies/

सीएसआर परियोजनाएँ: https://www.hmtindia.com/investor-relation/csr/

4. यदि लागू हो, तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का कार्यकारी सारांश वेब-लिंक/लिंकों के साथ प्रदान करें।

लागू नहीं

5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

रु 23,57,55,121/-

(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:

रु 47,15,103/-

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य #

पिछले वित्तीय वर्षों की चल रही सीएसआर परियोजनाओं के हिस्से के रूप में खर्च की जाने वाली धनराशि का विवरण नीचे तालिका संख्या 7 में दिया गया है।.

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए यदि कोई राशि समायोजित की जानी आवश्यक है: शून्य

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)]: रु. 47,15,103/-

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (वर्तमान परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा अन्य दोनों पर) खर्च की गई राशि: रु. 44,80,103/-

(ख) प्रशासनिक शीर्षों में खर्च की गई राशि: रु. 2,35,000/-

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]: रु. 47,15,103/- @

@ वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्टिंग के दौरान कुल सीएसआर राशि निर्धारित की गई।

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर की खर्च की गई या बिना खर्च की गई राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपए में)	अप्रयुक्त राशि (रुपए में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न किए गए सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी फंड में हस्तांतरित की गई राशि		
	राशि	हस्तांतरण की दिनांक	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की दिनांक
1,79,000/-*	45,36,103/-	29.04.2025	-	-	-

** 31.03.2025 की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित खर्च की गई राशि.*

च) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:	47,15,103/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	1,79,000/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की खर्च न की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्रंसं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष/ वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत खर्च न किए गए सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत खर्च न किए गए सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में) *	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में) **	यदि लागू हो, तो धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी फंड में अंतरित की गई राशि		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में) ***	कमी, यदि कोई हो
					राशि	हस्तांतरण की दिनांक		
1	2021-22	4103000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	2022-23	4271260	82019	82019	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	2023-24	2780000	2780000	2780000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* 01.04.2024 तक, ** वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्टिंग में खर्च किया गया *** 31.03.2025 के अनुसार शेष

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई या अधिग्रहित की गई है: नहीं

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी संपत्ति(यां) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्रंसं	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]]	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिन कोड	निर्माण की दिनांक	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत मालिक की संस्था /प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
लागू नहीं							

9. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।: लागू नहीं

ह०/- (हस्ताक्षर)

(राजेश कोहली)
{अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)} और
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

दिनांक -29.09.2025

संलग्नक -1A

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों का विवरण
(चल रही और चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य सीएसआर परियोजनाओं की स्थिति)

क्र.सं.	31.03.2025 तक आवंटित सीएसआर राशि (रुपये में)	परियोजना पूरी होने पर खर्च की गई सीएसआर राशि (रुपये में)	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का स्थान	कार्यान्वयन का तरीका	परियोजना की अवधि / पूर्ण होने की तारीख
1	*रु. 24,39,740 अनुमानित, वास्तविक के अधीन विविध खर्चों सहित	रु.23,55,740.20	सरकारी जिला टीबी केंद्र, मंड्या, कर्नाटक को जीनएक्सपर्ट 4/4 मॉड्यूल 10 ऑप्टिक चैनल कार्ट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (सीबीएनएएटी) मशीन का योगदान	मद संख्या I (स्वास्थ्य देखभाल)	मंड्या कर्नाटक	सीधे / प्रत्यक्ष	30.09.2025 --- चल रही परियोजना 19.04.2025 तारीख को पूरी हुई
2	*रु. 3,53,500 अनुमानित, वास्तविक के अधीन विविध खर्चों सहित	रु. 3,34,500.00	मेसर्स श्री गुरुजी सेवा न्यास को लेजर और अल्ट्रासाउंड के साथ एक चिकित्सा उपकरण (2-चैनल इलेक्ट्रोथेरेपी) का योगदान	मद संख्या I (स्वास्थ्य देखभाल)	इंदौर मध्य प्रदेश	सीधे / प्रत्यक्ष	30.09.2025 --- चल रही परियोजना 19.04.2025 तारीख को पूरी हुई
3	*रु. 13,27,863 अनुमानित, वास्तविक के अधीन विविध खर्चों सहित	रु. 12,95,600.00	मंड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मंड्या, कर्नाटक को चिकित्सा उपकरणों का योगदान	मद संख्या I (स्वास्थ्य देखभाल)	मंड्या कर्नाटक	सीधे / प्रत्यक्ष	30.09.2025 --- चल रही परियोजना 02.09.2025 तारीख को पूरी हुई
4	*रु. 1,80,000 अनुमानित, वास्तविक के अधीन विविध खर्चों सहित	रु. 1,76,970.00	बैंगलोर, कर्नाटक में मेसर्स ब्लेस सोसाइटी ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट को शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का योगदान	मद संख्या II (शिक्षा)	बैंगलोर कर्नाटक	सीधे / प्रत्यक्ष	30.09.2025 --- चल रही परियोजना 14.05.2025 तारीख को पूरी हुई
5	रु. 1,79,000	रु. 1,79,000.00	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	मद संख्या VIII (प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान)	-	सीधे / प्रत्यक्ष	28.03.2025 --- पूर्ण
6	-	** रु. 3,58,955.80 (शेष राशि)	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	मद संख्या VIII (प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान)	-	सीधे / प्रत्यक्ष	22.09.2025 --- पूर्ण
7	*रु. *2,35,000*	रु. 14,337.00	प्रशासनिक व्यय				
	रु. 47,15,103.00	रु. *47,15,103.00*					

** वित्तीय वर्ष 2024-25 के चल रहे सीएसआर परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शेष राशि को, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परियोजना के पूरा होने और सीएसआर राशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के बिंदु संख्या VIII में निर्धारित केंद्रीय सरकारी कोष, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।*

*** सीएसआर परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शेष राशि को 22.09.2025 को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जो कि एक केंद्रीय सरकारी कोष है, में स्थानांतरित कर दिया गया है।*

कृत्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29.09.2025

अनुलग्नक - 2

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

वैश्विक आर्थिक वातावरण

वैश्विक डेयरी-प्रसंस्करण उपकरण बाजार में स्थिर, मध्यम एकल-अंकीय वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग, कोल्ड-चेन बुनियादी ढांचे के विस्तार और प्रसंस्करण लाइनों के आधुनिकीकरण के कारण सभी क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिल रहा है। स्वचालन, आईओटी एकीकरण और स्थिरता (ऊर्जा-कुशल पाश्चराइजेशन और अपशिष्ट-सुधार प्रणाली) मुख्य रूप से निकट अवधि के विकास में सहायक होते हैं, जबकि व्यापार-नीति में परिवर्तन और आपूर्ति-श्रृंखला क्षेत्रीय निवेश पैटर्न का पुनर्निर्धारण करते हैं।

उद्योग संरचना और विकास

उद्योग मोटे तौर पर मुट्ठी भर वैश्विक सिस्टम इंटीग्रेटर्स और ओईएम (जो प्रीमियम, पूर्ण-लाइन टर्नकी समाधानों पर हावी हैं, जैसे: पैकेजिंग, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और स्वचालित मीटरिंग) और क्षेत्रीय व स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के एक बड़े आधार के बीच विभाजित है, जो लागत, अनुकूलन और बिक्री-पश्चात समर्थन के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। बड़े खिलाड़ी अनुसंधान एवं विकास और डिजिटल सेवाओं में निवेश जारी रखे हुए हैं, जिससे शीर्ष स्तर पर समेकन में तेजी आ रही है, जबकि घरेलू निर्माता (भारतीय पूंजीगत-वस्तु फर्मों सहित) छोटे संयंत्रों और उभरते-बाज़ार के ठेकों को जीतने के लिए आयात प्रतिस्थापन, मॉड्यूलर सिस्टम और सेवा नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल के विकास के रुझान मॉड्यूलर, मापनीय प्रसंस्करण ब्लॉकों, क्लाउड-सक्षम प्रदर्शन निगरानी, और एसएमई के लिए अपनाने की बाधाओं को कम करने हेतु उपकरण निर्माताओं, डेयरी सहकारी समितियों और वित्तपोषण एजेंसियों के बीच साझेदारी पर ज़ोर देते हैं।

भारत में डेयरी मशीनरी उद्योग का भविष्य (या दृष्टिकोण)

भारत का डेयरी उद्योग विश्व स्तर पर सबसे बड़ा है, जो वैश्विक दूध उत्पादन का 23% हिस्सा है। देश का दूध उत्पादन 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 209.96 मिलियन टन हो गया, जो 6.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। दूध उत्पादन और प्रसंस्करण में वृद्धि और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण भारतीय डेयरी मशीनरी बाजार में आने वाले वर्षों में मज़बूत वृद्धि होने का अनुमान है।

एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय डेयरी मशीनरी बाजार के 2025 और 2033 के बीच 12.35% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2033 तक 57,001 बिलियन रुपये तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत सरकार डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढाँचा विकास कोष का उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्रों और मशीनरी का आधुनिकीकरण करना है।

बढ़ती मांग, तकनीकी प्रगति और सरकारी समर्थन के कारण भारत में डेयरी मशीनरी का भविष्य का दृष्टिकोण आशाजनक लग रहा है, जिसके चलते मज़बूत विकास होने का अनुमान है।

नए अवसर

औरंगाबाद स्थित खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग भारत के खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग के तेज़ विस्तार का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसके 2022 में 3.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर 4.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। संसाधित डेयरी, पेय पदार्थों और सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग, कड़े खाद्य-सुरक्षा और गुणवत्ता नियमों के साथ मिलकर, टर्नकी संयंत्र समाधानों और उन्नत उपकरणों जैसे कि होमोजीनाइज़र, प्लेट हीट एक्सचेंजर और निरंतर मक्खन बनाने वाली मशीनों में निवेश को बढ़ावा दे रही है। सरकारी वित्तपोषण योजनाएँ, विशेष रूप से डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढाँचा विकास कोष और पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास कोष, पाश्चराइज़र, सेपरेटर और कोल्ड-चेन सिस्टम लगाने के लिए कम ब्याज वाला ऋण प्रदान करती हैं, जिससे पूंजीगत व्यय का जोखिम और कम हो जाता है और सहकारी समितियों तथा निजी प्रोसेसर दोनों के लिए पहुँच में सुधार होता है। इसके अलावा, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में उभरते निर्यात के अवसर, जिसका प्रमाण

टर्नकी डेयरी परियोजनाओं (उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में खुल्ना सुविधा) से मिलता है, एचएमटी के बैनर तले औरंगाबाद के टर्नकी और ओईएम उत्पादों के लिए एक तैयार बाज़ार प्रदान करते हैं।

चुनौतिया

इन अवसरों के बावजूद, एफपीए इकाई को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक खाद्य-प्रसंस्करण मशीनरी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें अल्फा लावल, जीईए और एसपीएक्स जैसे स्थापित खिलाड़ी प्रीमियम सेगमेंट पर कब्ज़ा कर रहे हैं और घरेलू निर्माताओं पर मूल्य निर्धारण दबाव डाल रहे हैं। हाई-टेक उपकरणों को चालू करने और उनका रखरखाव करने के लिए आवश्यक तकनीकी रूप से कुशल ऑपरेटरों और सेवा इंजीनियरों की लगातार कमी ग्राहक संतुष्टि को कम करने और पश्य विपणन राजस्व को सीमित करने का जोखिम पैदा करती है। इसके अतिरिक्त, यूनिट को कच्चे माल की कीमत में अस्थिरता (स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु घटक) और आंतरायिक आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों का सामना करना होगा, जिससे विनिर्माण लागत बढ़ सकती है और डिलीवरी की समय-सीमा बढ़ सकती है। अंत में, बदलते पर्यावरण और सुरक्षा विनियमों के लिए स्वच्छ, अधिक ऊर्जा-कुशल मशीनरी में निरंतर निवेश की आवश्यकता है, जिससे ऐसे समय में निरंतर अनुसंधान एवं विकास खर्च की आवश्यकता होती है जब वित्तपोषण पर गंभीर प्रतिबंध लगे हुए हैं।

जोखिम और चिंताएं

सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, क्षेत्र को कई चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है जो विकास को बाधित कर सकते हैं। कच्चे दूध की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक निरंतर जोखिम बना रहता है, क्योंकि खरीद कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रोसेसरों के लिए मार्जिन की भविष्यवाणी करना और नए उपकरणों पर पूंजीगत व्यय को उचित ठहराने में मुश्किल हो सकती है। परिवहन संबंधी बाधाओं या पुर्जों की कमी के कारण होने वाले आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान परिचालन संबंधी अनिश्चितताओं को और बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्नत डेयरी मशीनरी से जुड़ी उच्च पूंजी गहनता छोटे सहकारी समितियों और निजी प्रोसेसरों के लिए वित्तपोषण बाधाएं उत्पन्न करती है, जिनके पास अक्सर अनुकूल ऋण शर्तों तक पहुंच का अभाव होता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, कृषि स्तर पर कुशल तकनीशियनों की कमी स्वचालित प्रणाली को अपनाने में धीमा कर सकती है, जिससे आधुनिक उपकरणों की दक्षता लाभ को सीमित किया जा सकता है।

खंड-वार / उत्पाद-वार प्रदर्शन

खाद्य प्रसंस्करण उपकरण

i. एसएस सेंट्रीफ्यूगल पंप: बाजार में अच्छी तरह से स्वीकार्य है, लेकिन अधिक लागत के कारण व्यवसाय कम है।

ii. क्रीम विभाजक: 1 किलोलीटर (केएल) और केएल क्षमता वाले क्रीम विभाजक के लिए बाजार बहुत अच्छा है। लेकिन यह उच्च क्षमता वाले विभाजक, यानी 5 केएल, 10 केएल और 20 केएल, के लिए उनके प्रदर्शन की समस्या के कारण बाजार में टिक नहीं पाया।

iii. होमोजिनाइजर: 1 केएल और 2 केएल की क्षमता के साथ होमोजिनाइजर को बाजार में अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है, लेकिन 3 केएल और 5 केएल, होमोजिनाइजर का कारोबार कम है।

iv. दूध पाश्चराइजर/चिलर: क्लिप-ऑन टाइप गैसकेटों की अनुपलब्धता के कारण, हम प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं। यहां तक कि गैसकेटी पर क्लिप के साथ पीएचई प्लेट खरीदने के बाद भी हमारे ओवरहेड के कारण हमारी कीमतें बहुत अधिक हैं। इसलिए दूध पाश्चराइजर्स/चिलर्स के लिए व्यापार बहुत कम है।

v. घी के निर्माण में उपयोग होने वाले सफेद मक्खन के उत्पादन के लिए, विशेष रूप से लगातार मक्खन बनाने की मशीन के लिए मजबूत बाजार मांग की पहचान की गई है। यह मशीन इस खंड में कुशलतापूर्वक और विश्वसनीय रूप से कार्य करती जबकि हमारा वर्तमान मॉडल सफेद मक्खन के लिए अनुकूलित है, वहीं आयातित संस्करण सफेद और नमकीन मक्खन दोनों को संभालने की लचीलापन भी प्रदान करते हैं, जो बाजार की जरूरतों के आधार पर भविष्य में सुधार का अवसर प्रस्तुत करता है।

घड़ियाँ

vi. ऑटोमैटिक डे डेट (स्वचालित दिन, तिथि) मॉडल: डिज़ाइन सौंदर्यशास्त्र के कारण बाजार में अच्छी तरह से स्वीकार्य हैं। बिक्री में वृद्धि के लिए अधिक विपणन प्रयासों की आवश्यकता है।

vii. क्वार्ट्ज: क्वार्ट्ज के लिए बहुत अच्छा बाजार है क्योंकि एचएमटी घड़ियों की कीमत आकर्षक है।

viii. हाथ में लगी यांत्रिक घड़ियां: बाजार में अच्छी तरह से स्वीकार की जाती हैं, लेकिन घटकों की अनुपलब्धता के कारण, हेंड वुंड वाली यांत्रिक घड़ियों का (इस्का) उत्पादन सीमित है।

वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का कारोबार 26.17 करोड़ रुपये रहा, जिसका शुद्ध लाभ 16.10 करोड़ रुपये रहा।

खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग, औरंगाबाद के संबंध में चालू वर्ष के दौरान इसका कारोबार पिछले वर्ष के 36.05 करोड़ रुपये से घटकर 11.34 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष के दौरान पाउडर परियोजना से राजस्व के कारण मुख्य रूप से है।

भारत सरकार से कंपनी की कुल उधार (ऋण) 31.03.2025 तक 641.72 करोड़ रुपये थी।

अनुपात विश्लेषण

	2024-25	2023-24
व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात	1.87	2.92
माल-सूची आवर्त अनुपात	2.16	4.46
ब्याज कवरेज अनुपात	24.97	शून्य
चालू अनुपात	0.78	0.76
ऋण समता (इक्विटी)अनुपात	1.43	1.48
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	75.39%	36.46%
शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	61.53%	50.98%
निवल मूल्य पर प्रतिफल	0.03	0.05

व्यापार प्राप्य आवर्त में कमी आई है, जिसका कारण पिछले वर्ष पाउडर परियोजना से प्राप्त राजस्व के कारण कारोबार में कमी आना है।

माल-सूची आवर्त में कमी आई है, जिसका कारण पिछले वर्ष पाउडर परियोजना से प्राप्त राजस्व के कारण कारोबार में कमी आना है।

वर्ष के दौरान उधार पर ब्याज के कारण ब्याज कवरेज अनुपात। चालू अनुपात में वृद्धि हुई है, जिसका कारण वर्ष के दौरान एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दिए गए ऋण की वजह से चालू संपत्तियों में वृद्धि होना है।

वर्ष के दौरान अर्जित लेखा लाभ पर कुल इक्विटी में वृद्धि के कारण ऋण समता (इक्विटी) अनुपात में कमी आई।

बिक्री में कमी के कारण परिचालन लाभ मार्जिन में वृद्धि हुई।

शुद्ध लाभ मार्जिन में कमी मुख्य रूप से पिछले वर्ष के दौरान आयकर प्रावधान में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में कमी के कारण है।

शुद्ध संपत्ति पर रिटर्न में कमी पिछले वर्ष के दौरान आयकर प्रावधान की वापसी के कारण पीएटी में कमी के कारण हुई है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने अपने परिचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं:

i. पूंजीगत और राजस्व व्यय करने के लिए प्राधिकार सीमाओं के साथ शक्तियों का स्पष्ट (/प्रतिबंधात्मक सही) प्रत्यायोजन।

ii. लेखांकन, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट प्रशासन (/ निगमित सचालन) के लिए सुस्थापित कॉर्पोरेट (/ परिपूरण निगमित) नीतियां।

iii. संपत्तियों को अनाधिकृत उपयोग, नुकसान या निपटान से सुरक्षित रखना, और यह सुनिश्चित करना कि लेन-देन अधिकृत, दर्ज और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं।

iv. वार्षिक एवं दीर्घकालिक व्यापार (/ व्यवसाय) योजनाओं को तैयार करने और उनकी (/प्रतिपादन एवं) समीक्षा करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

v. विस्तृत वार्षिक बजट जिसमें विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत (/ तहत) मासिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाया गया हो।

vi. वर्तमान आधार पर बजट के संदर्भ में कोर समिति द्वारा प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा।

vii. कानूनों और विनियमों का अनुपालन।

कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, यूनिटों/डिविजनों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त बाहरी कंपनियां के साथ मिलकर, कंपनी द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं/नीतियों की समीक्षा, मूल्यांकन और जाँच करता है, और सार्थक तथा उपयोगी सुधारों का सुझाव देता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग कंपनी के संपूर्ण दायरे में पारदर्शिता लाने के लिए परिचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करना सुनिश्चित करने हेतु कंपनी की यूनिटों / डिविजनों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करती है। सुधार के सुझावों पर विचार किया जाता है और लेखापरीक्षा समिति सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

लेखापरीक्षा समिति कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ भी चर्चा करती है ताकि, अन्य बातों के अलावा, कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर उनके विचारों का पता लगाया जा सके और निदेशक मंडल को समय-समय पर अपनी प्रमुख टिप्पणियों से अवगत कराती है।

मानव संसाधन

दिनांक 31.03.2025 तक, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या 618 थी, जिसमें विनिर्माण संयंत्रों और अन्य कार्यालयों में तकनीकी तथा अन्य पेशेवर क्षेत्रों में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियां शामिल थीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

दिनांक 31.03.2025 तक कंपनी और अनुषंगी-वार योग्यता स्थिति

क्र.सं.	कंपनी और सहायक	31.03.2025 स्थिति के अनुसार आईपी	इंजीनियरिंग स्नातक	डिप्लोमा धारक	पेशेवार		आईटी आई/ एनएसी	सामान्य स्नातकों/ स्नातकोत्तर	अन्य
					मा.स.	वित्त			
1	एचएमटी लिमिटेड	45	13	4	5	2	4	16	1
2	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	559	90	103	4	7	259	38	58
3	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	14	11	0	1	1	0	1	0
	कुल	**618**	**114**	**107**	**10**	**10**	**263**	**55**	**59**

कंपनी ने कई कठोरता (/संयम के) उपायों को लागू करके और कंपनी में अधिशेष मानव शक्ति के युक्तिकरण के माध्यम से कार्मिक लागत को नीचे लाने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान एचएमटी और इसकी सहायक कंपनियों में वीआर (/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) योजना का लाभ उठाकर अलग हुए कर्मचारियों की संख्या के आँकड़े शून्य हैं।

कुछ क्षेत्रों में अधिशेष मानव शक्ति को कर्मचारियों को प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण प्रदान करके और उन्हें संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में तैनात करके पुनः-तैनाती योजना के तहत लगाया गया है। कंपनी कर्मचारी छोड़ने की दर को रोकने के लिए कुशल और पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है।

कर्मचारी एवं औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कंपनी में कार्मिक और औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बना रहा।

कृते एवं निदेशकों की मंडल के निमित
ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली)
{अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन:10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक -29.09.2025

अनुलग्नक - 3

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

I. कंपनि की विचारधारा

सेबी विनियमन, 2015 के विनियम 17 के अनुपालन में, और समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक उक्त विनियमन में उल्लिखित मामलों और कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

कंपनी के पास "बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता" है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सभी निदेशक, कार्यकारी निदेशक और महाप्रबंधक शामिल हैं।

कंपनी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों का पालन कर रही है, जैसे कि निदेशक मंडल की संरचना में उचित संतुलन बनाना, लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों का गठन करना, बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले सूचना और व्यवसाय का पर्याप्त खुलासा करना, आदि।

II. निदेशक मंडल

लिस्टिंग आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में न्यूनतम छः निदेशक होने चाहिए, जिनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, जिनमें एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल हो। 31 मार्च, 2025 तक, निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दो सरकारी नामित निदेशक और निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) शामिल थे। कंपनी निदेशकों कि नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए लिस्टिंग प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध सरकार को किया गया है।

कंपनी का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में संचालित किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की आठ (8) बैठकें आयोजित की गईं जो कैलेंडर वर्ष 2024 में 7 मई, 26 जुलाई, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 2 सितंबर, 14 नवंबर को और कैलेंडर वर्ष 2025 में 15 जनवरी, 14 फरवरी को हुईं।

निदेशकों की संरचना और वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों तथा आम बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

नाम	श्रेणी	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठकें	उपस्थिति विवरण		31.03.2025 तक धारित अन्य निदेशन पदों और समिति सदस्य / अध्यक्ष पदों की संख्या		
			बोर्ड बैठकें	एजीएम/ ईजीएम	निदेशक पद	# समिति	
						सदस्यता	अध्यक्षपद
श्री राजेश कोहली (डीआईएन:10333951) (05.04.2024 से)	सी एंड एमडी	8	8	हाँ	4	1	-
श्री के. रविशंकर (डीआईएन: 10540509) (05.04.2024 तक)	सी एंड एमडी	-	-	लागू नहीं	3	1	-
श्रीमती आरती भटनागर (डीआईएन:10065528)	एनईएनआई	8	7	-	6	2	3

श्रीमती रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835) (23.07.2024 से)	एनईएनआई	7	7	हाँ	9	-	-
श्रीमती मुक्ता शेखर (डीआईएन: 10118859) (23.07.2024 तक)	एनईएनआई	1	1	लागू नहीं	8	-	-
श्रीमती समीना कोहली (डीआईएन: 10663362) (10.06.2024 से)	ईएनआई	7	6	-	-	-	-
श्रीमती रीता सक्सेना (डीआईएन: 10294769) (24.05.2024 तक)	ईएनआई	1	1	लागू नहीं	-	-	-

सी व एमडी: अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ईएनआई: कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र, एनईएनआई: गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र, एनईआई: गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 26 के अनुसार, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में ऑडिट समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया जाता है।

कोई भी निदेशक 31.03.2025 तक कंपनी में इक्विटी शेयर नहीं रख रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी निदेशक के बीच कोई संबंध नहीं था।

अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद धारण करने वाले निदेशकों का विवरण और उनके निदेशक पद की श्रेणी 31.03.2025 तक:

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियां जहां निदेशक पद धारित है	निदेशक पद धारिता का वर्ग
आरती भटनागर	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	एनईएनआई
	एमएमटीसी लिमिटेड	एनईएनआई
	दी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिआ लिमिटेड	एनईएनआई

एनईएनआई: गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र

निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय/अभ्यस्तता कार्यक्रम।

निदेशकों को कंपनी के कारोबार, परिचालन की प्रकृति और समय-समय पर अन्य महत्वपूर्ण मामलों से अवगत कराया जाता है। निदेशकों के मंडल के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार की गई है। निदेशकों की सुविधा के अनुसार, उन्हें विभिन्न प्रशिक्षणों, सेमिनारों, सम्मेलनों, अधिवेशनों आदि के लिए नामित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को कोई अभ्यस्तता कार्यक्रम नहीं दिया गया था क्योंकि मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

निदेशक (/के) मंडल के कौशल, विशेषज्ञता और दक्षता (/ क्षमताओं) पर मैट्रिक्स

एचएमटी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, बोर्ड के सभी निदेशकों का चयन किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

कंपनी के व्यवसाय(यें) और संबंधित क्षेत्र (क्षेत्रों) के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं भारत सरकार द्वारा पहचानी जाती हैं, और तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन सरकार द्वारा अपनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। कार्यात्मक निदेशकों की भर्ती के समय, रिक्त पद की घोषणा और उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन (कार्य विवरण), उम्मीदवारों की वांछनीय योग्यता और अनुभव प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम चयन बोर्ड को भेजे जाते हैं। निदेशक मंडल की कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता नीचे दी गई है।

क्रं सं.	निदेशक का नाम	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता
1	श्री राजेश कोहली (डीआईए न:10333951)	श्री राजेश कोहली मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक हैं। श्री राजेश कोहली एनआईटी कुरुक्षेत्र (हरियाणा) से ऑनर्स के साथ मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनके पास 36 वर्षों से अधिक का उद्योग अनुभव है। उन्होंने 1987 में हरिद्वार (उत्तराखंड) स्थित बीएचईएल के हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट को शामिल हुए। उन्होंने बीएचईएल में उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे सुपरकंडक्टिंग मशीनों, बड़ी विद्युत मशीनों और रक्षा व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, जिसमें अनुसंधान और विकास , और आईपीआर पोर्टफोलियो शामिल हैं। उन्होंने 2016 में कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट डिवीज़न में नई दिल्ली स्थित बीएचईएल कॉर्पोरेट ऑफिस में कार्यभार संभाला। उन्हें मूल उपकरण निर्माता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली का व्यापक अनुभव है। नई दिल्ली में बीएचईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके हालिया प्रभार में प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग, संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, अनुसंधान और विकास और नवाचार रणनीति, ज्ञान प्रबंधन, लागत अनुकूलन आदि सहित विभिन्न भूमिकाएँ शामिल थीं। उनके नेतृत्व में, बीएचईएल ने विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में वैश्विक ओईएम के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी की; और हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला, कोयले से रसायन और रेल परिवहन क्षेत्रों में नई साझेदारियों पर काम कर रही है। हाल ही में, उन्होंने कोयला गैसीकरण के लिए बीएचईएल की इन-हाउस तकनीक और उसके बाद विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के लिए रसायनों में उसके रूपांतरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप बीएचईएल ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बीएचईएल के पोर्टफोलियो के विविधीकरण में उसके हित को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कई अन्य गठबंधनों पर सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में प्रबंधन बिरादरी के साथ सक्रिय रूप से काम किया। वह एक प्रमाणित टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एसेसर हैं और सीआईएमडेटा यूएसए के माध्यम से एक प्रमाणित प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट लीड भी हैं।
2	श्री कृष्णास्वामी रविशंकर (डीआईएन: 10540509)	श्री के. रविशंकर मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड / कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास / हैदराबाद में कार्यकारी निदेशक थे। श्री के. रविशंकर ने वर्ष 1985 में मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई., 1989 में आर.ई.सी., त्रिची से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में एम.ई., 1995 में इग्नू, नई दिल्ली से एम.बी.ए. और वर्ष 2016 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु से एम.ए. (अंग्रेजी) किया।

		श्री रविशंकर ने अक्टूबर 1985 में तिरुचिरापल्ली इकाई में एक इंजीनियर ट्रेनी के रूप में बीएचईएल में शामिल हुए। उन्होंने दबाव भागों और बॉयलर लेआउट समूहों में विभिन्न क्षमताओं में उत्पाद इंजीनियरिंग विभाग में और सामग्री प्रबंधन समूह में खरीद/ कच्चे माल के प्रमुख के रूप में सेवा की है। इसके बाद उन्होंने 2015 से 2018 तक महाप्रबंधक/इंजीनियरिंग/ बॉयलर के रूप में कार्य किया। मई 2018 में, उनका तबादला भारी उद्योग मंत्रालय के तहत गठित एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विकास के लिए मिशन निदेशालय में बीएचईएल-कॉर्पोरेट ऑफिस में कर दिया गया, जहाँ वह बॉयलर आइलैंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए परियोजनाओं के विकास हेतु जिम्मेदार थे। वह कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन के नए विकास क्षेत्रों के तहत हाइड्रोजन बिजनेस ग्रुप के प्रमुख भी थे, जिसमें उन्होंने बीएचईएल में व्यवसाय विकास के लिए व्यापार क्षमता, प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं और रोड मैप को संबोधित किया। कॉरपोरेट अनुसंधान और विकास के प्रमुख के रूप में, उन्होंने इन-हाउस विकास के माध्यम से संगठन की तकनीकी विकास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और रसायन और हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के लिए कोयले के नए और आगामी व्यावसायिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। नवंबर 2023 में, उन्हें कॉर्पोरेट अनुसंधान और विकास के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।
3	श्रीमती आरती भटनागर (डीआईएन: 10065528)	श्रीमती आरती भटनागर 1990 बैच की भारतीय रक्षा लेखा सेवा की सिविल सेवक हैं। वह वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। श्रीमती आरती भटनागर के पास अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री है और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा रणनीतिक अध्ययन में एम. फिल. की उपाधि है। वह नेशनल डिफेंस कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं। रक्षा बलों के वित्त, खातों और ऑडिट से निपटने में लगभग 25 वर्षों के अनुभव के साथ, उनकी विशेषज्ञता रक्षा खरीद और खरीद अनुबंधों से निपटने में है। सुश्री आरती भटनागर ने संयुक्त सचिव (सुरक्षा), कैबिनेट सचिवालय के रूप में पांच वर्षों के लिए एसपीजी का संचालन किया है। सुश्री आरती भटनागर एयर इंडिया, पवन हंस लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी हैं।
4	डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835)	डॉ. रेणुका मिश्रा वर्तमान में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं। डॉ. रेणुका मिश्रा, पीएचडी, एमए (अर्थशास्त्र) भारतीय आर्थिक सेवा (2003 बैच) की अधिकारी हैं। इससे पहले वह विकास आयुक्त (एमएसएमई), आर्थिक मामलों के विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग के कार्यालय में भारत सरकार के कार्यालयों में सेवा कर चुकी हैं। डॉ. रेणुका मिश्रा ने कराधान, वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और महिलाओं की भेद्यता जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले विभिन्न पत्रिकाओं/मैगजीनों में प्रकाशित कई लेखों/पत्रों की नियमित लेखिका रही हैं।

5	श्रीमती मुक्ता शेखर (डीआईएन: 10118859)	श्रीमती मुक्ता शेखर ने भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। सुश्री मुक्ता शेखर 1994 बैच की आईआरएएस अधिकारी हैं। उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज में मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल. और सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली से इतिहास में स्नातकोत्तर पूरा किया है। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र वित्तीय प्रबंधन और परियोजना वित्त है। उन्होंने भारतीय रेलवे और भारत सरकार में विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है, जिसमें उन्होंने वित्तीय मूल्यांकन और परियोजना वित्त में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने डीएमआरसी में संयुक्त महाप्रबंधक स्तर पर भी काम किया, जहां वह डीएमआरसी के दूसरे चरण की परियोजनाओं के लिए सहयोगी वित्त अधिकारी थीं। उन्होंने भारत सरकार के रेल मंत्रालय के पश्चिमी रेलवे की अग्रणी पीपीपी परियोजनाओं के लिए फंड प्रबंधन और अन्य अनुबंध संबंधी गतिविधियों को संचालित किया है। सुश्री मुक्ता शेखर के पास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र में भी विविध अनुभव है और उन्होंने विदेश मंत्रालय में 5 वर्षों तक काम किया, जहां वह अन्य देशों के साथ भारत के विकास सहायता कार्यक्रम, निवेश और व्यापार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विवादों, निवेश और व्यापार समझौतों और नागरिक उड्डयन मामलों के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखभाल कर रही थीं। उन्होंने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रियायती वित्तपोषण पैकेज जैसी नवीन योजनाओं के लिए तौर-तरीके भी तैयार किए. सुश्री मुक्ता शेखर ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के खाद्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की देखभाल की, जिसमें बहु-पक्षीय एजेंसियों, खाद्य तेल क्षेत्र, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर केंद्रीय पूल स्टॉक के तहत खरीदे गए खाद्यान्न की गुणवत्ता नियंत्रण शामिल था।
6	श्रीमती समीना कोहली (डीआईएन: 10663362)	श्रीमती समीना कोहली के पास बीएचईएल में विभिन्न क्षमताओं में काम करने के साथ-साथ वित्त संचालन की विस्तृत श्रृंखला में 32 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में, श्रीमती. समीना कोहली बीएचईएल में महाप्रबंधक हैं और सोलर बिजनेस डिवीजन और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप के वित्त कार्य का नेतृत्व कर रही हैं। वह 3 दशको के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में एक समृद्ध और बहुमुखी अनुभव लाती हे वित्त प्रमुख के रूप में, वह करीबी निगरानी और शामिल मुद्दों के तेजी से समाधान के माध्यम से शीघ्र परियोजना निष्पादन और लागत नियंत्रण में सहायक रही हैं। उन्होंने पहले बीएचईएल के कॉर्पोरेट ऑफिस और विद्युत क्षेत्र में भी वित्त विभाग में विभिन्न पदों पर काम किया था। प्रक्रिया-प्रेमी व्यक्ति होने के नाते, उन्होंने वित्त और लेखांकन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलीकरण पहल का नेतृत्व किया है। उन्होंने बजटन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, परिचालन प्रबंधन, परियोजना लेखांकन, कराधान, ऑडिटिंग, प्राप्य प्रबंधन, व्यापार देय आदि जैसे क्षेत्रों को संभाला है। वह एक योग्य लागत लेखाकार और कंपनी सचिव हैं।

7	श्रीमती रीता सक्सेना (डीआईएन: 10294769)	श्रीमती रीता सक्सेना के पास बीएचईएल में विभिन्न क्षमताओं में काम करने के साथ-साथ वित्त संचालन की विस्तृत श्रृंखला में 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वह एक योग्य लागत लेखाकार और वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं। सुश्री रीता सक्सेना बीएचईएल में महाप्रबंधक थीं और दक्षिण स्थित इकाइयों/क्षेत्र /प्रभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का नेतृत्व कर रही थीं। इससे पहले बीएचईएल के औद्योगिक सिस्टम समूह के प्रमुख वित्त के रूप में, वह करीबी निगरानी और शामिल मुद्दों के तेजी से समाधान के माध्यम से शीघ्र परियोजना निष्पादन और लागत नियंत्रण में सहायक थीं। विभिन्न पदों पर रहते हुए, उन्होंने पहले प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट डिवीजन और बीएचईएल कॉर्पोरेट ऑफिस के वित्त कार्यों में काम किया और परियोजना लेखांकन, अप्रत्यक्ष कराधान, ऑडिटिंग, प्राप्य प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों को संभाला। वह बीएचईएल के पीईएम डिवीजन में वित्त कार्य के कंप्यूटरीकरण में सहायक थीं। उन्होंने प्रतिष्ठित एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) अनुसंधान एवं विकास परियोजना की एसोसिएट परियोजना निदेशक (वित्त) के रूप में भी कार्य किया, जो एमएचआई द्वारा वित्त पोषित परियोजना थी जहाँ बीएचईएल, आईजीसीएआर और एनटीपीसी के साथ प्रमुख निष्पादन एजेंसी थी, और उनके पास संपूर्ण परियोजना प्रबंधन का अनुभव था।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण (/परिचय/बायोडाटा)

डॉ. कार्तिक चंदूलाल भादरा, श्री दातनिया दिनेशभाई रामजीभाई और श्री प्रेम चंद्र मौर्य को आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 67 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) क्रमानुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, आगामी वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निदेशकों का मंडल उक्त निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करते हैं।

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 36(3) के अनुसार, नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त (बायोडाटा/) परिचय वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना के साथ संलग्न है।

III बोर्ड (/मंडल) की समितियाँ

लेखा परीक्षा समिति

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात्: डॉ. रेणुका मिश्रा, सरकारी नामित निदेशक, अध्यक्ष के रूप में; श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार); और श्रीमती समीना कोहली, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार), सदस्यों के रूप में। कंपनी सचिव समिति की बैठकों के संयोजक होंगे। कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा समिति को उपलब्ध निदेशकों के साथ बरकरार रखा गया, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(8) के संदर्भ में, मंडल ने वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश करना, सांविधिक लेखा

परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए उन्हें किए जाने वाले भुगतान को मंजूरी देना, अनुमोदन के लिए बोर्ड

को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच करना, जहाँ आवश्यक हो, सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना, इत्यादि.,

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की साथ (7) बैठकें आयोजित की गईं जो कैलेंडर वर्ष 2024 में 7 मई, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 2 सितंबर, 14 नवंबर को और कैलेंडर वर्ष 2025 में 15 जनवरी, 14 फरवरी को हुईं।

2024-25 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थित का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
1	श्री राजेश कोहली[1]	सी एंड एमडी	7	7
2	श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[2]	सी एंड एमडी	-	-
3	सुश्री आरती भटनागर[3]	एनईएनआई	-	-
4	डॉ. रेणुका मिश्रा[4]	एनईएनआई	6	6
5	सुश्री मुक्ता शेखर[5]	एनईएनआई	1	1
6	श्रीमती समीना कोहली[6]	ईएनआई	6	5
7	सुश्री रीता सक्सेना[7]	ईएनआई	1	1

1. 05.04.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।
2. 05.04.2024 से सदस्य नहीं है।
3. 25.05.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त और 10.06.2024 से सदस्य नहीं है।
4. 23.07.2024 से सभापति के रूप में नियुक्त।
5. 23.07.2024 से सभापति नहीं है।
6. 10.06.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।
7. 24.05.2024 से सदस्य नहीं है।

क. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात्: डॉ. रेणुका मिश्रा, सरकारी नामित निदेशक, अध्यक्ष के रूप में; सुश्री आरती भटनागर, सरकारी नामित निदेशक; और श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), सदस्यों के रूप में।

कंपनी सचिव समिति की बैठक के संयोजक होंगे। कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति को उपलब्ध निदेशकों के साथ बरकरार रखा गया, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध विचारार्थ विषयों का पालन करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: निदेशक मंडल को प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित मामलों की सिफारिश करना, लोक उद्यम विभाग के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन पर सिफारिश करना, वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारी तथा

गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण की नीति की सिफारिश करना, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी के निदेशक मंडल के निर्देशों के तहत सूचीबद्ध किसी भी अन्य कार्य को करना।

वर्ष 2024-25 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक (1) बैठक कैलेंडर वर्ष 2024 में 2 सितंबर को आयोजित की गई थी।

2024-25 के दौरान आयोजित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण।

सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री राजेश कोहली [1]	सी एंड एमडी	1	1
श्री कृष्णास्वामी रविशंकर [2]	सी एंड एमडी	-	-
श्रीमती आरती भटनागर	एनईएनआई	1	1
डॉ. रेणुका मिश्रा [3]	एनईएनआई	1	1
श्रीमती मुक्ता शेखर [4]	एनईएनआई	-	-

1. 05.04.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।
2. 05.04.2024 से सदस्य नहीं है।
3. 23.07.2024 से सभापति नहीं है।
4. 23.07.2024 से सभापति नहीं है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों की नियुक्ति और उनके नियम व शर्तें निर्धारित करने (जिसमें कार्यात्मक निदेशकों का कार्यकाल और पारिश्रमिक शामिल है) का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के संबंध में नियुक्ति / पारिश्रमिक एचएमटी के व्यक्तिगत मैनुअल में शामिल नीतियों द्वारा शासित होते हैं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से यह प्रावधान किया कि निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2), (3) और (4) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।

निदेशकों को पारिश्रमिक

श्री कृष्णास्वामी रविशंकर और श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में, और सुश्री रीता सक्सेना, निदेशक (वित्त) के रूप में, तथा श्रीमती समीना कोहली, निदेशक (वित्त) के रूप में, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी से कोई पारिश्रमिक और परिलब्धियाँ प्राप्त नहीं कर रहे थे। इसलिए, पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिए अनुसार शून्य है।

राशि रुपये में

पारिश्रमिक का विवरण	श्री कृष्णास्वामी रविशंकर	श्री राजेश कोहली	श्रीमती रीता सक्सेना	श्रीमती समीना कोहली
सकल वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिलब्धियों का मूल्य / कमीशन / स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अंशकालिक सरकारी (सरकारी नामित) निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

किसी भी निदेशक को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है सिवाय गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के। बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए ₹5,000/- और प्रत्येक समिति की बैठकों के लिए ₹3,000/- की राशि बैठक शुल्क के रूप में भुगतान की जाती है।

कंपनी निदेशकों को कोई कमीशन का भुगतान नहीं करती है। कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

बैठक शुल्क प्राप्त करने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। अतः, वर्ष 2024-25 के दौरान गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क शून्य है।

ख. शेयरधारक समिति:

(i) शेयर अंतरण उप-समिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शेयर हस्तांतरण उप-समिति में श्री कृष्णास्वामी रविशंकर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 05.04.2024 तक, और श्री राजेश कोहली

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 05.04.2024 से कंपनी द्वारा जारी शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण आदी की देखभाल करने के लिए एकल सदस्य के रूप में शामिल होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तीन (3) बैठक आयोजित की गई।

(ii) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:'

श्री. किशोर कुमार एस, कंपनी सचिव

(iii) निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति / निवेशक शिकायत समिति

31.03.2025, तक, हितधारक संबंध समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात डॉ. रेणुका मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक अध्यक्ष के रूप में, श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और श्रीमती समीना कोहली, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) सदस्यो के रूप मे है। कंपनी सचिव समिति की बैठक के संयोजक हैं। कानून की भावना के अनुसार, हितधारक संबंध समिति को उपलब्ध निदेशकों के साथ बनाए रखा गया था, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की दो बैठकें आयोजित की गईं जो कैलेंडर वर्ष 2024 में 14 नवंबर को और कैलेंडर वर्ष 2025 में 14

हितधारक संबंध समिति के वित्त वर्ष 2024 - 25 को बैठको की उपस्थिति का विवरण

सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री राजेश कोहली[1]	सी एंड एमडी	2	2
श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[2]	सी एंड एमडी	-	-
श्रीमती आरती भटनागर[3]	एनईएनआई	-	-
डॉ. रेणुका मिश्रा[4]	एनईएनआई	2	2
श्रीमती मुक्ता शेखर[5]	एनईएनआई	-	-
श्रीमती समीना कोहली[6]	ईएनआई	2	1
श्रीमती रीता सक्सेना[7]	ईएनआई	-	-

1. 05.04.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।
2. 05.04.2024 से सदस्य नहीं है।
3. 25.05.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त और 10.06.2024 से सदस्य नहीं है।
4. 23.07.2024 से सभापति के रूप में नियुक्त।
5. 23.07.2024 से सभापति नहीं है।
6. 10.06.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।
7. 24.05.2024 से सदस्य नहीं है।

फरवरी को हुई।

संदर्भ शर्तों में कंपनी के प्रतिभूति धारकों की सभी शिकायतों की समीक्षा और समय पर निवारण तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 मे उल्लिखित कोई अन्य कार्य का निर्वहन।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, शेयरधारकों से 16 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका समाधान वर्ष के दौरान ही संतोषजनक ढंग से किया गया है। कोई शिकायत लंबित नहीं है।

लंबित शेयर अंतरणों की संख्या - शून्य

घ. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का पालन करने के लिए, निदेशक मंडल ने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर समिति) का गठन किया है।

31.03.2025, तक, सीएसआर समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को सभापति, डॉ. रेणुका मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्रीमती समीना कोहली, श्रीमती समीना कोहली, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार समिति के सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति की बैठक के संयोजक हैं। कानून की भावना के आधार पर, सीएसआर समिति में उपलब्ध निदेशकों को बरकरार रखा गया क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

सीएसआर समिति के अधिकार क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध होंगे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं जो कैलेंडर वर्ष 2024 में 7 मई, 2 सितंबर, 14 नवंबर को और कैलेंडर वर्ष 2025 में 14 फरवरी को हुई।

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण।

सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री राजेश कोहली[1]	सी एंड एमडी	4	4
श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[2]	सी एंड एमडी	-	-
श्रीमती आरती भटनागर[3]	एनईएनआई	-	-
डॉ. रेणुका मिश्रा[4]	एनईएनआई	3	3
श्रीमती मुक्ता शेखर[5]	एनईएनआई	1	1
श्रीमती समीना कोहली[6]	ईएनआई	3	2
श्रीमती रीता सक्सेना[7]	ईएनआई	1	1

1. 05.04.2024 से सभापति के रूप में नियुक्त।
2. 05.04.2024 से सभापति नहीं है।
3. 25.05.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त और 10.06.2024 से सदस्य नहीं है।
4. 23.07.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।
5. 23.07.2024 से सदस्य नहीं है।
6. 10.06.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।
7. 24.05.2024 से सदस्य नहीं है।

E. जोखिम प्रबंधन समिति

31.03.2025, तक, जोखिम प्रबंधन समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात डॉ. रेणुका मिश्रा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक को सभापति, श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और श्री एस के कड़बे, महाप्रबंधक (संचालन और विपणन), एचएमटी लिमिटेड समिति के सदस्यो के रूप में समिति मे शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति बैठक के संयोजक हैं।

कानून की भावना के आधार पर, जोखिम प्रबंधन समिति में उपलब्ध निदेशकों को बरकरार रखा गया क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्तें सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत बताई गई हैं जिसमें विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना शामिल है, ताकि उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ

सुनिश्चित की जा सके, जोखिम प्रबंधन प्रणाली आदि की पर्याप्ता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख तथा कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करना आदि शामिल है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, दो (2) जोखिम प्रबंधन समिति बैठकें कैलेंडर वर्ष 2024 में 26 जुलाई को और कैलेंडर वर्ष 2025 में 14 फरवरी को आयोजित की गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री राजेश कोहली[1]	सी एंड एमडी	2	2
श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[2]	सी एंड एमडी	-	-
डॉ. रेणुका मिश्रा[3]	एनईएनआई	2	2
श्रीमती मुक्ता शेखर[4]	एनईएनआई	-	-
श्री एस. के. कडबे[5]	जीएम (ओ एंड एम)	2	2

1. 05.04.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त।
2. 05.04.2024 से सदस्य नहीं रहे।
3. 23.07.2024 से सभापति के रूप में नियुक्त।
4. 23.07.2024 से सभापति नहीं रहे।

F. वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के विवरण

नाम	वर्तमान पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख	वरिष्ठ प्रबंधन को पदोन्नति/ पदनामित करने की तिथि	समाप्ति की तिथि (पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद से परिवर्तन यदी कोई हो)
श्री एस. के. कडबे	महाप्रबंधक (एफपीए)	01.02.1993	01.07.2022	-
श्री. जे. के. प्रसाद	महाप्रबंधक (ओएंडएम) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, (अतिरिक्त प्रभार), ए बी डी एचएमटी लिमिटेड	12.03.1992	18.02.2025	-
श्री. एम.आर.वी. राजा	महाप्रबंधक (कानूनी)	17.10.1988	01.01.2020	30.09.2024
श्रीमती. अपर्णा आर	प्रबंधक (वित्त और लेखा) / सीएफओ.	28.01.2016	10.11.2023	-
श्री. किशोर कुमार एस	प्रबंधक (कंपनी सचिव)	20.03.2017	08.06.2017	-

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था।

IV सामान्य निकाय बैठकें

क. पिछले तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	समय
2021-2022*	30.09.2022	10.30 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय नंबर 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूरु-560 032.
2022-2023*	29.09.2023	10.30 पूर्वाह्न	
2023-2024*	22.11.2024	11.00 पूर्वाह्न	

* वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। मानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है।

ख) वार्षिक आम सभा की पिछली तीन बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

ग) डाक मतपत्र

पिछले वर्ष डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया।

V प्रकटीकरण

i. इसके प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी भौतिक प्रकृति का कोई लेन-देन नहीं हुआ, जिसका बडे पैमानें पर कंपनी की हितों का साथ संभवित संघर्ष हो सकता है।

ii. हम पुष्टि करते हैं कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से नहीं रोका गया। शिकायतों के मामले में कार्मिकों को वरिष्ठ प्रबंधन तक भी अप्रतिबंधित पहुँच प्रदान की गई थी।

iii. 'सामाग्री' सहायक कंपनियों के निर्धारण की और संबंधित पक्ष लेन-देन से निपटने की नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.hmtindia.com/policies/ पर रखी गई है।

iv. वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस से संबंधित विवरण एकल वित्तीय विवरणों के नोट 31 और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 में दिए गए थे। सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा अलग से नियुक्त किया गया था और ये वे लेखा परीक्षक नहीं थे जिन्होंने एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया था।

v. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण की तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव: शून्य

vi. वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ: शून्य

vii. डीमैट उंचति खाता / दावा ना किए गए उंचति खाता से संबंधित प्रकटीकरण: शून्य

viii. कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची: शून्य

ix. कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस से प्राप्त एक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध–10 के रूप में संलग्न है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

x. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशक मंडल ने अपनी समितियों की उन सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जो अनिवार्य रूप से आवश्यक थीं।

xi. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेद, निवारण) अधिनियम, 2013 से संबंधित खुलासे नीचे दिए गए हैं।

a. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या: शून्य

b. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

c. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

xii. विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या योग्य संस्थागत नियोजन के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग: लागू नहीं

xiii. कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर:

प्रशासनिक मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि वह लिस्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने हेतु, कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करे और साथ ही, महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के बोर्ड में कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त करे। इस संबंध में, प्रशासनिक मंत्रालय ने कंपनी के निदेशक मंडल में दो स्वतंत्र निदेशकों को नामित किया है, अर्थात् डॉ. कार्तिक चंदुलाल भद्रा और श्री दतानिया दिनेशभाई रामजीभाई। स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय परिणाम समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

xiv. राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश

आपकी कंपनी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का विवरण और चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका अनुपालन: शून्य

xv. खातों की बहियों में ऐसा कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए न हो, और निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति के रूप में किए गए और लेखांकित किए गए कोई भी खर्च नहीं थे।

xvi. प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय की तुलना में विवरण और वृद्धि के कारण - प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 8.40% है और वित्तीय व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 1.20% है।

VI शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान

एक योग्य प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के पास दर्ज कुल स्वीकृत इक्विटी शेयर पूंजी और

कुल जारी और सूचीबद्ध इक्विटी शेयर पूंजी के मिलान हेतु शेयर पूंजी लेखा परीक्षा की. लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने पुष्टि की कि कुल जारी/चुकाई गई पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल. तथा सीडीएसएल. के पास रखे गए कुल डीमैट शेयरों की संख्या से सहमत (मिलान) है। इसमें 73,34,20,900 इक्विटी शेयर अपवाद हैं, जो प्रत्येक ₹10/- के हैं और जिन्हें वर्ष 2005 से 2014 तक भारत के राष्ट्रपति को आवंटित किया गया था तथा स्टॉक एक्सचेंजों से लिस्टिंग अनुमोदन प्राप्त किया गया था। स्टॉक एक्सचेंजों से कॉर्पोरेट कार्रवाई और ट्रेडिंग अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 16.10.2018 के आदेश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति (कैबिनेट अनुमोदन के अनुसार) के पास रखे गए ₹10/- प्रत्येक के 8,48,49,000 इक्विटी शेयरों को घटाकर कंपनी की शेयर पूंजी को ₹1204.09 करोड़ से ₹355.60 करोड़ तक कम करने की पुष्टि/अनुमोदन किया था। कंपनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक ने 17.11.2018 को NCLT के आदेश को पंजीकृत किया और "एचएमटी लिमिटेड की शेयर पूंजी में कमी की पुष्टि करने वाला पंजीकरण प्रमाणपत्र" जारी किया। हालांकि, स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शेयर पूंजी में कमी की प्रक्रिया प्रक्रियात्मक अनुपालनों के कारण लंबित है, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग के लिए लिस्टिंग के बाद शुरू किया जाएगा। इसलिए, कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार चुकता शेयर पूंजी और आरटीए द्वारा प्रदान किए गए शेयरधारिता पैटर्न के बीच अंतर है।

VII सहायक कंपनियां

निदेशक मंडल बैठकों का कार्यवृत्त और असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर एक रिपोर्ट समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाती थी। महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों और उनके वैधानिक लेखा परीक्षकों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	निगमन की तारीख और स्थान	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति का नाम और तारीख
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	09th अगस्त 1999 बेंगलूरु	मैसर्स राजगोपाल एंड बद्री नारायणन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नियुक्ति की तिथि: 21.09.2024
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	13th दिसंबर 1974 बेंगलूरु	मैसर्स नागराज एंड अजीत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नियुक्ति की तिथि: 13.12.2024

VIII. संचार का माध्यम

कंपनी ने लिस्टिंग की ज़रूरतों के अनुसार प्रमुख समाचार पत्रों जैसे: द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, होसा दिगंता और राजस्थान पत्रिका में अपने तिमाही नतीजे प्रकाशित किए। उपरोक्त परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://www.hmtindia.com/ investor-relation/pr/ पर भी प्रदर्शित किए गए थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी दस्तावेज़, जैसे शेयरधारिता पैटर्न, वित्तीय परिणाम, वार्षिक रिपोर्ट आदि जमा करती रही है। कंपनी ने संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के सामने कोई प्रस्तुति नहीं दी है।

IX. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) और सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) द्वारा प्रमाणन प्राप्त कर लिया गया था और उसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। (संदर्भ अनुलग्नक – 11)

X. भेद खोलने वाले की नीति

कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने हेतु एक सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। यह नीति निदेशक(कों) या कर्मचारी(यों) के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और उपयुक्त या असाधारण मामलों में ऑडिट समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच का प्रावधान भी करती है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.hmtindia.com/policies/ पर उपलब्ध है।

XI. शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

i. वार्षिक आम सभा

दिनांक	7 नवंबर, 2025
समय	11.00 पूर्वाह्न
स्थल	कंपनी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 22 सितंबर, 2025 के परिपत्र के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो-विज़ुअल साधनों के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है। वार्षिक आम बैठक का मानद स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। विवरण के लिए, कृपया इस ए जी एम की सूचना देखें।

कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

ii. वित्तीय कैलेंडर

वित्त वर्ष 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025

iii. बहियां बंद करना

कृपया इस वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें।

iv. कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बीएसई लिमिटेड
फिरोज जीजीभॉय टावर्स **स्क्रिप कोड:** 500191
25वां तल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
"एक्सचेंज प्लाजा",
बांद्रा-कुलार् कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), **स्क्रिप चिन्ह:** एचएमटी
मुंबई–400 051

(वर्ष के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान कर दिया गया है।)

v. कंपनी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN):
L29230KA1953GOI000748

vi. शेयर अंतरण प्रणाली

संशोधित लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 40 के अनुसार, कंपनी ने भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए किसी भी नए अंतरण अनुरोध को स्वीकार करना बंद कर दिया है। तदनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का अंतरण केवल अभौतिक (कागज़ रहित) रूप में ही किया जा सकता है।

इसके अलावा, सेबी ने 25 जनवरी 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से, कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाज़ार में लेन-देन की सुगमता बढ़ाने के लिए, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, उप-विभाजन, समेकन, ट्रांसमिशन, आदि जैसे विभिन्न सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय अपनी प्रतिभूतियों को केवल डीमैट रूप में ही जारी करें। जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण किए हुए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डीमटेरियलाइज़ेशन के विभिन्न लाभ उठाने के लिए अपनी होल्डिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में परिवर्तित कर लें।

vii) अनिवार्य और गैर-आवश्यक आवश्यकताएं

कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, सिवाय उन गैर-अनुपालनों के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र और सेक्रेटरीयल ऑडिट रिपोर्ट में देखे गए हैं। गैर-अनुपालन के कारणों को सेक्रेटरीयल ऑडिटर्स की टिप्पणियों के जवाब के रूप में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

लिस्टिंग विनियमों में विवेकाधीन गैर-अनिवार्य सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति निम्नलिखित है: कंपनी के पास अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (कार्यकारी) का पद है और कोई गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। चूंकि कंपनी के वित्तीय नतीजे स्टॉक एक्सचेंजों को सौंपे जाते हैं, कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं और समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, इसलिए वे सभी शेयरधारकों को अलग से परिचालित नहीं किए जाते हैं। कंपनी असंशोधित लेखापरीक्षा राय वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। आंतरिक लेखा परीक्षक ऑडिट समिति को रिपोर्ट करता है।

viii. व्यापक आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई में शेयरों की उच्च/निम्न बाजार कीमत और बाज़ार सूचकांक का विवरण निम्नानुसार है:

बीएसई - कंपनी: एचएमटी लिमिटेड (स्क्रिप कोड – 500191)
अवधि: अप्रैल 2024 से मार्च 2025

बीएसई			बाजार सूचकांक (बंद)
महिने	उच्च कीमत	निम्न कीमत	एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स
अप्रैल -24	63.29	44.01	74482.78
मई -24	61.30	50.36	73961.31
जून -24	72.00	48.95	79032.73
जुलाई-24	102.60	60.85	81741.34
अगस्त-24	99.27	83.00	82365.77
सितंबर-24	95.00	77.95	84299.78
अक्टूबर-24	84.00	66.39	79389.06
नवंबर -24	75.98	61.02	79802.79
दिसंबर -24	72.00	61.25	78139.01
जनवरी -25	79.50	61.00	77500.57
फरवरी-25	68.74	48.05	73198.10
मार्च-25	53.80	46.61	77414.92

एनएसई - कंपनी: एचएमटी लिमिटेड (स्क्रिप कोड – 500191)
अवधि: अप्रैल 2024 से मार्च 2025

एनएसई			बाजार सूचकांक (बंद)
महिने	उच्च कीमत	निम्न कीमत	एनएसई निफ्टी
अप्रैल -24	63.45	41.85	22604.85
मई -24	61.00	51.05	22530.70
जून -24	71.00	49.25	24010.60
जुलाई-24	105.00	61.25	24951.15
अगस्त-24	99.30	82.50	25235.90
सितंबर-24	95.32	77.76	25810.85
अक्टूबर-24	84.50	65.20	24205.35
नवंबर -24	76.40	60.50	24131.10
दिसंबर -24	72.00	61.50	23644.80
जनवरी -25	79.80	60.99	23508.40
फरवरी-25	69.00	48.30	22124.70
मार्च-25	54.50	45.50	23519.35

ix. * शेयरधारिता का वितरण:

31.03.2025 तक इक्विटी शेयरों का शेयरधारिता वितरण नीचे दिया गया है:

एचएमटी लिमिटेड					
31/03/2025 को शेयरधारिता का वितरण (राशिवार कुल)					
क्रं. सं.	श्रेणी (राशि)	धारकों की संख्या	% धारिता के प्रति	राशि (रू.)	% इक्विटी प्रति
1	1 - 5000	24697	91.36	21980670.00	0.18
2	5001 - 10000	1228	4.54	10033550.00	0.09
3	10001 - 20000	569	2.10	8539940.00	0.07
4	20001 - 30000	191	0.71	4949800.00	0.04
5	30001 - 40000	91	0.34	3294680.00	0.03
6	40001 - 50000	58	0.21	2726310.00	0.02
7	50001 - 100000	117	0.43	8501930.00	0.07
8	100001 and above	83	0.31	11980889520.00	99.50
	कुल	**27034**	**100.00**	**12040916400.00**	**100.00**

एचएमटी लिमिटेड					
31/03/2025 को शेयरधारिता का वितरण (शेयरवार कुल)					
क्रं. सं.	श्रेणी (राशि)	धारकों की संख्या	% धारिता के प्रति	राशि (रू.)	% इक्विटी प्रति
1	1 – 5000	26834	99.26	5152495	0.43
2	5001 - 10000	117	0.43	850193	0.07
3	10001 - 20000	44	0.16	655704	0.06
4	20001 - 30000	12	0.04	291410	0.02
5	30001 - 40000	9	0.03	320729	0.03
6	40001 - 50000	4	0.01	174546	0.01
7	50001 - 100000	8	0.03	527500	0.04
8	100001 and above	6	0.02	1196119063	99.34
	कुल	**27034**	**100.00**	**1204091640**	**100.00**

एचएमटी लिमिटेड				
31/03/2025 तक शेयरधारिता पैटर्न (कुल)				
क्रं. सं.	विवरण	मामलों की संख्या	कुल शेयर	% इक्विटी प्रति
1	एचयूएफ	385	561135	0.05
2	भारतीय म्युचुअल फंड	11	19000	0.00
3	बीमा कम्पनियां	1	100	0.00
4	निकाय कार्पोरेट	138	67855105	5.63
5	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1	6249	0.00
6	एनबीएफसी	1	2750	0.00
7	अनिवासी भारतीय	225	139920	0.01
8	प्रवर्तकों	2	1128056626	93.69
9	निवासी व्यक्ति	26270	7450755	0.62
	कुल:	**27034**	**1204091640**	**100.00**

* माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने अपने दिनांक 16.10.2018 के आदेश के माध्यम से, कंपनी की शेयर पूंजी को ₹1,204.09 करोड़ से घटाकर ₹355.60 करोड़ करने की पुष्टि/मंजूरी दी। यह कमी भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित ₹10/- प्रत्येक के 84,84,90,000 इक्विटी शेयरों को कम करके की गई है (जैसा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार था)। कंपनियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक ने एनसीएलटी के इस आदेश को 17.11.2018 को पंजीकृत किया और "एचएमटी लिमिटेड की शेयर पूंजी में कमी की पुष्टि करने वाला पंजीकरण प्रमाणपत्र" जारी किया। हालाँकि, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉज़िटरी के रिकॉर्ड में शेयर पूंजी को कम करने की प्रक्रिया, प्रक्रियात्मक अनुपालनों के कारण लंबित है, जो रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के परामर्श से विचाराधीन हैं। भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता 279566626 शेयर (प्रत्येक 10 रुपये का) है, जो कंपनी में 78.62% शेयरधारिता के समतुल्य है, जबकि आरटीए के रिकॉर्ड के अनुसार 1128056626 इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10 रुपये का) दिखाए गए हैं।

इसलिए, अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी और आरटीए द्वारा प्रदान किए गए शेयरधारिता पैटर्न में अंतर है। शेयर पूंजी में कमी पर विचार करने के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया है।

एचएमटी लिमिटेड				
31/03/2025 तक शेयरधारिता पैटर्न (कुल) (शेयर पूंजी में कमी पर विचार करने के बाद)				
क्रं. सं.	विवरण	मामलों की संख्या	कुल शेयर	% इक्विटी प्रति
1	एचयूएफ	385	561135	0.16
2	भारतीय म्युचुअल फंड	11	19000	0.01
3	बीमा कम्पनियां	1	100	0.00
4	निकाय कार्पोरेट	138	67855105	19.08
5	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1	6249	0.00
6	एनबीएफसी	1	2750	0.00
7	अनिवासी भारतीय	225	139920	0.04
8	प्रवर्तकों	2	279566626	78.62
9	निवासी व्यक्ति	26270	7450755	2.10
	कुल:	**27034**	**355601640**	**100.00**

x. अनुपालन

कंपनी ने एसईबीअइ (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (b) से (i) का विधिवत पालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के:

1. कंपनी के निदेशक मंडल में न्यूनतम छह निदेशक होने चाहिए, जिनमें से आधे निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संख्या चार थी, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दो सरकारी नामित निदेशक और निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) शामिल थे। निदेशक मंडल की संरचना और बाद की बैठकों के लिए कोरम एसईबीअइ (एलओडीआर) विनियमन के अनुपालन में नहीं हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25, के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्ति के कारण, कोई वैध रूप से गठित लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति नहीं थी और हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति को छोड़कर कोरम आवश्यकता का अनुपालन नहीं हो पाया। हालाँकि, कानून की भावना का पालन करते हुए, बोर्ड स्तरीय समितियों को बनाए रखा गया था।

3. एसईबीअइ (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 24 के अनुसार कंपनी (सूचीबद्ध इकाई) के एक स्वतंत्र निदेशक को गैर-सूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनियों के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

4. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार वार्षिक परिणाम प्रस्तुत करने में देरी

कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के उपरोक्त कुछ उदाहरणों के कारण, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था। कंपनी ने इस संबंध में प्रोसेसिंग फीस के साथ स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माने की माफ़ी माँगी है।

xi. फर्मों/कंपनियों को दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम, जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं, का नाम और राशि सहित सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा खुलासा

सहायक कंपनियों के अलावा अन्य फर्मों/कंपनियों को, जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं, कोई ऋण और/या ऋण की प्रकृति में अग्रिम नहीं दिए गए हैं।

xii. रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट

नाम: केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)
पता: सेलेनियं बिल्डिंग, टवर-बि, प्लाट सं 31 & 32, फैनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, ननक्रमगूडा, सेरिलिंगंपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डि, तेलंगाना, भारत–500 032.
ईमेल आइडी: einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री/फोन नंबर:1800 309 4001
व्हाट्सएप नंबर: (91) 910 009 4099 केपीआरआईएस एम (मोबाइल एप्लीकेशन): https://kprism. kfintech.com/
केफिनटेक संस्था की वैबसाइट: https://www. kfintech.com
आरटीए वैबसाइट: https://ris.kfintech.com
निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक):https://ris. kfintech.com/clientservices/isc

xii. शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन (डीमैट रूप):

कंपनी का शेयर 26 जून 2000 से अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड में कारोबार किए जाते हैं। कंपनी के शेयर दोनों डिपॉज़िटरी अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉज़िटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') और सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') में स्वीकृत हैं। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी के शेयर, जिसमें 760227891 इक्विटी शेयर थे, डीमैटेरियलाइज़्ड (डीमैट) रूप में रखे गए थे और शेष 443863749 शेयर भौतिक रूप में थे। डिपॉज़िटरी प्रणाली के तहत, कंपनी के शेयरों को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) INE262A01018 है।

xiii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ)

कंपनी अधिनियम,, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित, 31 मार्च, 2025 तक, आईईपीएफ को कोई राशि और शेयर हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

xiv. संयंत्र स्थल

i. खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग
एच-2, एमआईडीसि, चिकल्थाना एलए.
पोस्ट बॉक्स नम्बर 720, औरंगाबाद - 431 210

ii. अनुषंगी व्यवसाय डिवीजन
जालाहल्ली, बेंगलुरु – 560 013

iii. पत्रव्यवहार का पता:
पंजीकृत कार्यालय:
एचएमटी भवन, नम्बर 59, बेल्लारी रोड,
बेंगलुरु - 560 032, कनार्टक, भारत

कृत्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से
ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन:10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29.09.2025

अनुबंध - 3क

निगम संचालन पर प्रमाणपत्र

सेवा मे,
सदस्य,
एचएमटी लिमिटेड,
59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु

हम, जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एचएमटी लिमिटेड ("कंपनी") के सांविधिक लेखा परीक्षक, ने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के विनियम 17 से 27, उप-विनियमन (2) के खंड (ख) से (i) और अनुसूची V के पैरा ग, घ, और ङ में निर्धारित निगम संचालन की शर्तों के अनुपालन की जांच 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए की है।

प्रबंधन का दायित्व

निगम संचालन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी में सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित निगमात अभिशासन के प्रावधानों के साथ निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों, नीतियों और प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है। प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है कि कंपनी का गवर्नेंस ढाँचा लागू कानूनों, नियामक आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, और सभी प्रासंगिक खुलासे, रिपोर्टिंग और प्रमाणन हितधारकों और स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर और सटीक तरीके से किए जाते हैं।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित निगम संचालन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करना है। हमारी जाँच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया/इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों के अनुसार की गई थी, जो इस प्रमाण पत्र के उद्देश्य के लिए लागू होते हैं, और आईसीएआई द्वारा

जारी विशेष उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई थी, जिसमें यह आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें। हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्युसी 1), ऑडिट और ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाएँ अनुबंधों के प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट है और न ही उन पर कोई राय की अभिव्यक्ति। हमने ऐसे आवश्यक परीक्षण किए हैं और ऐसी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रमाणित करने में हमें सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समझा गया।

सशर्त (आरक्षित) राय

कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और जानकारी की हमारी जाँच के आधार पर, हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सेबी लिस्टिंग विनियमों के गैर-अनुपालन के निम्नलिखित उदाहरणों को देखा/पाया:

विनियम 17(1) — समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और एक महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई थी, जिसके कारण गैर-अनुपालन हुआ।

विनियम 17(2A) — कंपनी बोर्ड बैठकों के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं कर सकी क्योंकि उसमें एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति का अभाव था।

बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी सेबी

(LODR) विनियम, 2015 के विनियम 18(1), 19(1), 19(2), 20(2A), और 21(2) के तहत निर्धारित अपनी बोर्ड समितियों, जिनमें लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल हैं, के उचित गठन की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रही है।

विनियम 18(2) — चूँकि वर्ष भर कंपनी में आवश्यक स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, इसलिए सभी लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में निर्धारित कोरम पूरा नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप लगातार गैर-अनुपालन होता रहा।

विनियम 24(1) — वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी असूचीबद्ध भौतिक सहायक कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की, जिसके कारण गैर-अनुपालन हुआ।

उपरोक्त को छोड़कर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सेबी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे बताते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड् अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000863S
ह०/-
(हस्ताक्षर)
राजगोपाल ए
(भागीदार) साझेदार
एम. नं 205296

स्थल: बेंगलूरु
दिनांक: 25-08-2025
युडीआईएन: 25205296BMIFHP4654

अनुबंध - 4

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और बहिर्वाह

A. ऊर्जा का संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या उसका प्रभाव

- उत्पादन लक्ष्य को बाधित किए बिना मशीन शॉप अब3 शिफ्ट के बजाय 2 शिफ्ट के साथ चल रही है इससे बहुत बिजली की बचत हुई।
- कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय में बाहरी परिधीय प्रकाश व्यवस्था को फिक्स्चर के साथ एलईडी प्रकाश व्यवस्था से बदल दिया गया है।
- मशीनों की लोडिंग पूर्व-नियोजित है। इसलिए, मशीनों का निष्क्रिय समय कम हो गया है।
- नए एलईडी स्ट्रीट लईट फिट्टिंग्स (85 नग), ऊर्जा बचत एलईडी बल्ब (51 नग) और एलईडी ट्यूब लाइट्स (44 नग) और 20W एलईडी बैटन फिटिंग्स (41 नग) को पुरानी गैर-कार्यशील एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है। किसी भी मौजूदा फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी लाइटों से नहीं बदला गया है। वर्तमान में, टाउनशिप (आवासीय क्षेत्र) में कोई सोडियम वाष्प लैंप या पारा वाष्प लैंप नहीं हैं।
- मौजूदा पुराने रिओस्टैट प्रकार के पंखे रेगुलेटरों को इलेक्ट्रॉनिक पंखे रेगुलेटरों से बदल दिया गया है।
- घड़ी संयोजन और घड़ी शोरूम में एयर कंडीशनर को 5-स्टार बीआईएस रेटिंग में अपग्रेड कर दिया गया है।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

- कंपनी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त खुली भूमि के उपयोग पर काम कर रही है।

(iii)ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

- कंपनी ऊर्जा कुशल वैकल्पिक आपातकालीन बिजली आपूर्ति उपकरण, पावर ट्रांसफार्मर आदि की योजना बना रही है।

B. प्रौद्योगिकी अवशोषण:

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास:

- इस क्षेत्र में विकास और विस्तार की अपार संभावनाएँ हैं। इस इकाई को संयुक्त उद्यम के साथ उन्नत (अपग्रेड) किया जा सकता है।
- नवीनतम तकनीक वाली मशीनरी मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।
- खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग के लिए सहयोग समझौते प्रौद्योगिकी के आधार पर, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया गया है। बाज़ार में पहले से ही विकसित और उपलब्ध तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एफपीए (FPA) उत्पादों के डिज़ाइन को उन्नत करने की आवश्यकता है।

- नवीनतम और थीम-आधारित डिज़ाइन के साथ घड़ियों के नए मॉडल पेश करने की योजना बना रहे हैं।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ:

- खाद्य प्रसंस्करण इकाई, औरंगाबाद ने 1000 किग्रा/घंटा क्षमता की सतत मक्खन बनाने की मशीन, 60kL क्षमता का मिल्क साइलो, 250L/h क्षमता का मिल्क होमोजेनाइज़र और 9kL के रोड मिल्क टैंकर विकसित किए।
- उत्पादन बढ़ाने और उत्पाद लागत को कम करने के लिए अद्यतन विनिर्माण विधियों और प्रौद्योगिकी।

(iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी की गणना वित्तीय वर्ष की शुरुआत से की गई है:

- वित्तीय बाधाओं के कारण कंपनी ने पिछले चार वर्षों के दौरान किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया है।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया खर्च: शून्य

C. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

कुल विदेशी मुद्रा आय एवं व्याय

- कमाई: 51.72 लाख रुपई
- आउटगो: शून्य

कृत्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थल: बेंगलूरु
दिनांक: 29.09.2025

अनुबंध - 5

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के खातो पर वैधानिक लेखा परीक्षा को द्वारा की गई टिप्पणीयो पर प्रबंधन के उत्तर

लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
1. हम खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी इकाई, औरंगाबाद की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसका लेखा परीक्षा मेसर्स आर. के. मुले एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया था, जिसमें माल-सूची मूल्यांकन से संबंधित एक सशर्त राय शामिल है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट 2(ii)(j) में बताए अनुसार, कच्चे माल, स्टोर और पुर्जों की माल-सूची का मूल्यांकन भारित औसत लागत विधि का उपयोग करके किया जाता है। हालाँकि, अपर्याप्त ऑडिट साक्ष्य के कारण शाखा लेखा परीक्षक दरों और लागतों की सटीकता को सत्यापित करने में असमर्थ थे। नतीजतन, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि माल-सूची मूल्यांकन में कोई भौतिक गलत विवरण है या नहीं और वित्तीय विवरणों पर इसका कोई परिणामी प्रभाव है या नहीं।	माल-सूची का मूल्यांकन भारित औसत लागत विधि का उपयोग करके किया जाता है, सिवाय कम मूल्य की वस्तुओं से युक्त उपभोग्य सामग्रियों के मामले में, जिनका मूल्यांकन अनुमानित आधार पर किया जाता है। भंडार विभाग में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्थापित किया जाना है। हालाँकि, माल-सूची के मूल्यांकन में कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।
2. सहायक व्यावसायिक प्रभाग, बेंगलुरु में, कंपनी ने उपयोग की गई दरों के लिए पर्याप्त सहायक साक्ष्य के बिना चार्टर्ड मूल्यांकक की रिपोर्ट के आधार पर माल-सूची का मूल्यांकन किया है। यह दृष्टिकोण कच्चे माल, स्टोर और पुर्जों के मूल्यांकन के लिए भारित औसत लागत विधि का उपयोग करने की घोषित लेखांकन नीति के अनुरूप नहीं है। पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य के अभाव में और घोषित नीति से विचलन के कारण, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि रिपोर्ट किए गए माल-सूची मूल्यों में किसी समायोजन, यदि कोई हो, की आवश्यकता है या नहीं।	इस यूनिट को भारत सरकार द्वारा सहायक कंपनी की घोषणा के बाद वर्ष 2016 के दौरान एचएमटी वाचेज लिमिटेड से सामग्री प्राप्त हुई है। इन माल को अलग किया गया है और घड़ियों के निर्माण के लिए अच्छे माल आविष्कारों का उपयोग किया गया है। शेष माल-सूची जो उपयोग योग्य स्थिति नहीं हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कुछ वस्तुओं का मूल्यांकन एनआरवी/निष्पक्ष वास्तविक मूल्य के नीचे किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदी गई माल सूची के संबंध में खरीदे गए मूल्य की लागत पर विचार किया जाता है। खरीदे गए घटकों का उपयोग करके वर्ष 2024-25 के दौरान घड़ियों की असेंबली की गई हे । इस श्रेणी के लिए घड़ियों में परिवर्तित करने की मूल सामग्री लागत और प्रसंस्करण लागत पर विचार किया जाता है।

3. सहायक व्यवसाय कंपनी, बेंगलुरु में, कंपनी ने रु. डीमर्जर/ सब्सिडीकरण की पूर्व लागू योजना के तहत एक सहायक कंपनी से संबंधित भवनों के संबंध में 845 लाख रुपये और 714 लाख रुपये के रखरखाव खर्च किए गए। इन इमारतों को कंपनी की किताबों में परिसंपत्तियों के रूप में नहीं दर्शाया गया है, हालांकि किराए की आय को मान्यता दी गई है। यह व्यवस्था कंपनी और सहायक के बीच उपयोग, अधिकारों और दायित्वों की शर्तों को स्पष्ट रूप से स्थापित करने के लिए एक औपचारिक, कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौते द्वारा समर्थित नहीं है।	यह इकाई बेंगलुरु-स्थित इकाइयों के एस्टेट रखरखाव की देखभाल के लिए बनाई गई थी। परिणामस्वरूप, एस्टेट के रखरखाव की लागत में वृद्धि के कारण, इकाई ने आय अर्जित करना शुरू कर दिया है। कंपनी के सब्सिडीकरण (2000 से) के बाद, व्यवस्था की योजना के अनुरूप, भूमि और भवन मैसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इसलिए, भूमि और भवन इकाई के खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं। हालांकि, राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के स्वामित्व विलेख का उत्परिवर्तन अभी तक एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर नहीं हुआ है। भूमि के संबंध में नए पट्टे विलेख का निष्पादन लंबित है। चूँकि एबीडी बेंगलुरु स्थित कार्यालयों, जिसमें एचएमटी मशीन टूल्स डिवीजन, बेंगलुरु शामिल है, के एस्टेट और कर्मचारियों की देखभाल कर रहा है, इसलिए इकाई की पुस्तकों में किराये की आय दर्ज की गई है और साथ ही एस्टेट के रखरखाव की दिशा में खर्च भी किया जा रहा है।
4. सहायक व्यावसायिक कंपनी, बेंगलुरु, चालू अवधि के साथ-साथ पिछली अवधियों के लिए भी वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान अभी भी कर रही है, जैसा कि खातों की पुस्तकों में दर्ज है और जी एस टी पोर्टल पर है। इस तरह के मिलान के पूरा होने पर समायोजन प्रविष्टियाँ और अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलटने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मिलान के अभाव में, हम कंपनी के परिणाम या वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	नोट किया गया है। जीएसटीआर 2बी के साथ मिलान 9 और 9 सी फॉर्म दाखिल करने से पहले पूरा हो जाएगा और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां की जाएंगी।
5. आई एन डी ए एस 109 के लिए वित्तीय आस्तियों के मूल्यह्रास को मापने और मान्यता देने हेतु एक अपेक्षित क्रेडिट हानि (ई सी एल) मॉडल के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। हालाँकि, प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, ऑडिट अवधि के दौरान हानि भत्ता निर्धारित करने के लिए कोई ईसीएल मैट्रिक्स तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, हम स्टैंडअलोन आई एन डी ए एस वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन करने में असमर्थ हैं।	प्रावधान वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं। खातों में किए गए प्रावधानों की समीक्षा प्रबंधन द्वारा निरंतर आधार पर की जाती है।

6. सहायक कंपनी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से बकाया प्राप्य के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कोई भत्ता नहीं बनाया गया है, जो हमारी राय में सहायक कंपनी के निरंतर नुकसान और नकारात्मक निवल मूल्य के कारण महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम वहन करता है। हानि भत्ते का निर्माण न करने से परिसंपत्तियों का अति-कथन और वर्ष के लाभ का अल्प-कथन होता है, जो ऐसी हानि की सीमा तक है, और जो कि अनिश्चित है।	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के पास विशाल भूमि बैंक है, और इन भूमियों का बाजार मूल्य उनसे प्राप्त होने वाली लंबी अवधि की बकाया राशि से कहीं अधिक है, भले ही मार्गदर्शन मूल्य पर विचार किया जाए। इसकी वसूली भूमि की बिक्री से प्राप्त आय से की जाएगी। इस प्रकार, कोई अपेक्षित क्रेडिट हानि नहीं है।
7. कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयताओं, अन्य चालू देनदारियों, और अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए बाहरी पुष्टि प्राप्त नहीं की हैं। ऐसी पुष्टियों और वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अभाव में, हम इन शेषों की सटीकता, पूर्णता और अस्तित्व के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। तदनुसार, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि इन मदों के संबंध में किसी समायोजन की आवश्यकता है या नहीं।	सभी पक्षों को 31.03.2025 की शेष राशि की पुष्टि करने का अनुरोध करते हुए ईमेल और डाक के माध्यम से पत्र भेजे गए थे। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार समाधान लगातार किए जा रहे हैं। प्रबंधन के आकलन के अनुसार जहां भी आवश्यक हो, परिणामी समायोजन और प्रावधान किए गए हैं।

कृत्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थल: बेंगलूरु
दिनांक: 29.09.2025

अनुबंध -6

फार्म संख्या: एमआर-3

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य,
एचएमटी लिमिटेड
(सीआईएन: L29230KA1953GOI000748)
एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560 032

मैंने एचएमटी लिमिटेड (सीआईएन: L29230KA1953GOI000748) (जिसे इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम निगमित व्यवहारों के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई कि इसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की लेखा-पुस्तकों, कागज़ातों, कार्यवृत्त-पुस्तकों, दाखिल किए गए फॉर्मों और विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर, और साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और स्पष्टीकरणों, तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने मोटे तौर पर निम्नलिखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास बोर्ड की उचित प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक, उस तरीके से और उसके अधीन मौजूद हैं, जैसा कि इसके बाद रिपोर्टिंग की गई है:

मैंने एचएमटी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रखे गए और मुझे उपलब्ध कराए गए पुस्तकों, कागज़ातों, कार्यवृत्त-पुस्तकों, दाखिल किए गए फॉर्मों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम तथा उप-नियम;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम तथा विनियम, जहाँ तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार का संबंध है;

v. कंपनी पर लागू होने की सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध (/निषेध)) विनियम, 2015;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2021; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित हैं और ग्राहक के साथ व्यवहार करते हैं;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2021; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का वापसी) विनियम, 2018; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं); और

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक

ii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली और इसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जाँच, तथा विभाग प्रमुखों द्वारा तैयार किए गए और कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए अनुपालन प्रमाण-पत्रों के परीक्षण (परीक्षण-जांच) के आधार पर, कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी पर लागू होने वाले निम्नलिखित लागू कानूनों / दिशानिर्देशों / नियमों का काफी हद तक (या सार रूप में) अनुपालन किया है:

i. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश

ii. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश

iii. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश / विनियम

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन और वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा-पुस्तकों के रखरखाव की इस ऑडिट में समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि इनकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा की जा चुकी है।

क) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंध में टिप्पणियां / गैर-अनुपालन / प्रतिकूल टिप्पणियां / योग्यताएं इस प्रकार हैं:

i. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड में पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) की आवश्यकताओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं

किया है।

ii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

iii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

iv. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की सीएसआर समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ख) सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन के संबंध में टिप्पणियाँ / गैर-अनुपालन / प्रतिकूल टिप्पणियाँ / आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं:

i. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में {बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति सहित पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण} सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 17 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की गणपूर्ति (कोरम) के संबंध में सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 17 (2ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

iii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना, समिति के अध्यक्ष और गणपूर्ति (कोरम) के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 18 (1) और 18 (2) (बी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

iv. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और अध्यक्ष के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 19(1)/19(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

v. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हितधारक संबंध समिति की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 20 (2ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

vi. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 21(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

vii. कंपनी ने 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को 70 दिनों की देरी से जमा करके, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करने के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 33 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

viii. कंपनी ने अपनी गैर-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के बोर्ड में सूचीबद्ध इकाई के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 24(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ix. कंपनी ने सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 6 के प्रावधानों का अनुपालन अधिकारी के संबंध में नहीं किया है, कि वह एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो सूचीबद्ध इकाई के पूर्णकालिक रोज़गार में हो, निदेशक मंडल से एक स्तर से अधिक नीचे न हो और जिसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

क. कंपनी के निदेशक मंडल का गठन ऊपर उल्लिखित टिप्पणि्यों के अधीन विधिवत किया गया है और समीक्षाधीन अविध के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए बदलाव कंपनी अिधिनयम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

ख. बोर्ड बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी तथा स्पष्टीकरण माँगने और प्राप्त करने के लिए और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

ग. बोर्ड बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, जैसा कि निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज हैं, अपेक्षित बहुमत से किए जाते हैं, जैसा भी मामला हो।

घ. मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, जैसा कि कंपनी द्वारा दर्शाया गया है और जिस पर मैंने भरोसा किया है, कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

ङ. मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि ऑडिट अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई ऐसी घटना/कार्रवाई नहीं हुई है जिसका प्रमुख असर हो। हालांकि, वर्ष के दौरान हुई कुछ घटनाओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. कंपनी की जारी पूंजी को दिनांक 16 अक्टूबर 2018 के एनसीएलटी आदेश द्वारा ₹1,204.09 करोड़ से घटाकर ₹355.60 करोड़ कर दिया गया था। हालांकि, शेयर पूंजी में यह कमी स्टॉक एक्सचेंजों / डिपॉजिटरी के अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) में अद्यतन (अपडेट) नहीं की गई है। यह प्रक्रियागत अनुपालन के लिए लंबित है जो कि प्रक्रियाधीन है।

2. भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति के अनुसरण में, इसकी सहायक कंपनी अर्थात एचएमटी वॉचेस लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बीएसई और एनएसई ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1), 17(2ए), 18(1) और 18 (2)(बी), 19(1)/19(2), 20(2)/20(2ए), 21(2) और 33 के तहत गैर-अनुपालन (जो बोर्ड की संरचना, बोर्ड की समितियों की संरचना और स्टॉक एक्सचेंजों को लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने में देरी से संबंधित है) के लिए प्रत्येक पर कुल ₹58,64,600/- का जुर्माना लगाया है।

   कंपनी ने जुर्माने की छूट के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को अभ्यावेदन (representation) प्रस्तुत किया है, क्योंकि सरकारी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा की जानी होती है, साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम जमा करने में हुई देरी के लिए भी छूट माँगी है। छूट के आवेदन दोनों एक्सचेंजों के समक्ष लंबित थे।

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 18 अगस्त 2025

डी वेंकटेश्वरलू
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर 8554 :: सीपी नंबर 7773
यूडीआइएन: F008554G001023392
पीआर No: 1617 / 2021

इस रिपोर्ट का पठन हमारे समतिथि के पत्र के साथ किया जाना है जो अनुबंधक में प्रस्तुत है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुबंध -A

सेवा मे
सदस्य
एचएमटी लिमिटेड
(सीआईएन: L29230KA1953GOI000748)
एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560032

इसी तारीख की मेरी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी, मेरे ऑडिट के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. मैंने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑडिट पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। मेरा मानना है कि मैंने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं भी आवश्यक था, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जाँच केवल परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 18th अगस्त 2025

डी वेंकटेश्वरलू
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर 8554 :: सीपी नंबर 7773
यूडीआइएन: F008554G001023392
पीआर No: 1617 / 2021

अनुबंध – 6क

31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षा पर सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

संदर्भ	सचिवीय लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
A) i)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड में पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) की आवश्यकताओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल की संरचना, मंडल स्तरीय समितियों की संरचना, मंडल स्तरीय समितियों के अध्यक्ष और निदेशक मंडल तथा मंडल स्तरीय समितियों की बैठकों की गणपूर्ति (कोरम) का अनुपालन नहीं किया जा सका। प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते भारी उद्योग मंत्रालय से कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु, एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बाद, प्रशासनिक मंत्रालय के आदेशों के आधार पर, डॉ. कार्तिक चंदुलाल भाद्रा और श्री दातनिया दिनेशभाई रामजीभाई को क्रमशः 01 अप्रैल, 2025 और 15 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में शामिल किया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों के साथ मंडल स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया गया। इसके तहत सभी अनुपालनों को सुनिश्चित किया गया है सिवाय निदेशक मंडल की संरचना के, जिसमें निदेशक मंडल के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और उनमें एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल होनी चाहिए।
ii)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की ऑडिट समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	
iii)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	
iv)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	
B) i)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, {निदेशक मंडल में पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक, जिसमें स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति शामिल है, न होने के कारण}	
ii)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की गणपूर्ति (कोरम) के संबंध में सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (2A) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	
iii)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऑडिट समिति की संरचना, समिति के अध्यक्ष और गणपूर्ति के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) और 18 (2) (बी) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	

iv)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और अध्यक्ष के संबंध में सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 19(1)/ 19(2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	
v)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हितधारकों संबंध समिति की संरचना के संबंध में सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 20 (2ए) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	
vi)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना के संबंध में सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 21(2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	
vii)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करने के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, क्योंकि इसे 70 दिनों की देरी से जमा किया गया था।	एचएमटी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों की इकाइयाँ पूरे भारत में बेंगलुरु, पिंजौर, औरंगाबाद, हैदराबाद, कलामस्सेरी, अजमेर और रानीबाग में हैं। विभिन्न इकाइयों में लेखा-परीक्षा प्रगति पर थी और कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को पूरा करने और एक्सचेंजों को 09 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए। इसलिए, वित्तीय परिणामों को जमा करने में 70 दिनों की देरी हुई।
viii)	कंपनी ने अपनी असूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में सूचीबद्ध इकाई के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24(1) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	प्रशासनिक मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि वह लिस्टिंग विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक को असूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करे।
ix)	कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 6 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, जिसके संबंध में अनुपालन अधिकारी एक ऐसा अधिकारी होगा जो सूचीबद्ध इकाई के पूर्णकालिक रोज़गार में हो, निदेशक मंडल से एक स्तर से अधिक नीचे न हो, और जिसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया जाएगा।	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में 12 दिसंबर, 2024 के संशोधन के मद्देनजर, अनुपालन अधिकारी को निदेशक मंडल से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं होना चाहिए। वर्तमान में, कंपनी ने प्रबंधक (कंपनी सचिव) को, जो एक योग्य कंपनी सचिव है और कंपनी के पूर्णकालिक रोज़गार में है, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया है। प्रबंधक (कंपनी सचिव) का पद निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे नहीं है। हालाँकि, प्रबंधक (कंपनी सचिव) सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट कर रहे हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29.09.2025

अनुबंध -7

फॉर्म संख्या एमआर 3

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा मे
सदस्य
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560032

हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, जिसका CIN: U02922KA1999GOI025572 है और पंजीकृत कार्यालय संख्या 59, बेल्लारी रोड, बैंगलोर – 560032 में स्थित है (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है), द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट अभ्यासों के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से की गई थी जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए फॉर्मों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर, और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास, उस सीमा तक और उस तरीके से, जो उस पर लागू होते हैं, उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इसके बाद किए गए रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए फॉर्मों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जाँच, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम।

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एस सी आर ए) और उसके तहत बनाए गए नियम – कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम – कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि समीक्षाधीन लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं।

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, यदि कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) हो, तो उस सीमा तक।

हमने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। ऊपर उल्लिखित।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

निदेशक मंडल की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, लेकिन एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले नहीं भेजे गए थे, और जब भी अल्प सूचना पर बैठक आयोजित की गई थी, तो सभी निदेशकों की सहमति ली गई थी और बैठक में सभी निदेशक उपस्थित थे। इसके अलावा, बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अधिकांश निर्णय को स्वीकार किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज और अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर डालने वाली ऐसी कोई घटना/कार्यवाही नहीं हुई।

सामान्य तौर पर, यह देखा गया कि कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण के अधीन होने के कारण, सभी आवश्यक अभिलेखों को उचित रूप से बनाए रख रही है और विभिन्न लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्ववर्ती (ऊपर के) पैराग्राफों में उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के:

1. ***सूचीबद्ध इकाई की महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी होने के नाते, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24(1) के तहत इसके निदेशक मंडल में इसकी धारक कंपनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। कंपनी को निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में इस विनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) का अनुपालन अभी भी करना बाकी है***
2. ***लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने कई उदाहरणों में कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक देय राशियों का समय पर भुगतान नहीं किया है, और परिणामस्वरूप, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और सांविधिक प्राधिकरणों से नोटिस प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों में कंपनी के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं।***

एस केदारनाथ एंड एसोसिएट्स के लिए
स्वयंभू केदारनाथ
एम. नं.: F3031 | सीओपी नंबर: 4422
आईसीएसआई एफआरएन: S2010KR128100 आईसीएसआई पीआरएन: 1437/2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: F003031G001201351

दिनांक: सितंबर 02, 2025
स्थान: बेंगलूरु

इस रिपोर्ट को सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट के साथ संलग्न हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए तथा यह रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

व्यवहार में कंपनी सचिव द्वारा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा मे
सदस्य
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
नंबर 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560032

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ऑडिट पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है कि सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के संबंध में हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके। यह सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहाँ भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। उद्योग-विशिष्ट कानूनों के तहत अनुपालन की जाँच कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लागू कानूनों की सूची के आधार पर की गई।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच केवल परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस केदारनाथ एंड एसोसिएट्स के लिए

स्वयंभू केदारनाथ
एम. नं.: F3031 | सीओपी नंबर: 4422
आईसीएसआई एफआरएन: S2010KR128100 आईसीएसआई पीआरएन:1437/2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: F003031G001201351

दिनांक: सितंबर 02, 2025
स्थान: बेंगलूरु

अनुबंध – 7क

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षा पर सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब

संदर्भ	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
01	**एक सूचीबद्ध इकाई की भौतिक सहायक कंपनी होने के नाते, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 24(1) के तहत, इसके बोर्ड में इसकी होल्डिंग कंपनी) का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। कंपनी अभी तक निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में इस विनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) का अनुपालन नहीं कर पाई है।**	निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन और नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का विषय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
02	**ऑडिट के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने कई उदाहरणों में कर्मचारियों से संबंधित वैधानिक देय राशियों का समय पर भुगतान नहीं किया है और परिणामस्वरूप, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 इत्यादि के तहत प्रावधानों का उल्लंघन किया है और वैधानिक प्राधिकारियों से नोटिस प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमे हैं।**	कंपनी कई वर्षों से घाटा उठा रही है, इसलिए जैसा कि लेखा परीक्षकों द्वारा देखा गया है, यह वैधानिक देय राशियों का समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं है। कंपनी आंतरिक परिचालन से धन जुटाने और वैधानिक देय राशियों का समय पर भुगतान करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

कृत्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से
ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29.09.2025

अनुबंध -8

प्रारूप संख्या एमआर-3

सचिवीय परीक्षण विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 तथा सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 24A के अनुसरण में।]

सेवा मे

सदस्य

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

नंबर 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560032, कर्नाटक भारत

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और सुशासन के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से आयोजित किया गया था कि इसने हमें कंपनी के कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की पुस्तकों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए फॉर्मों और विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर, और सचिवीय ऑडिट के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष ('ऑडिट अवधि') को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र मौजूद है, जिस सीमा तक, जिस तरीके से, और जो रिपोर्टिंग इसके बाद की गई है, उसके अधीन।

हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए फॉर्मों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम तथा उप-नियम; कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं।

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक हैं; रिपोर्ट की अवधि के लिए लागू नहीं।

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993; कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं।

(v) कंपनी पर लागू होने वाले अन्य कानून: हमें सूचित किए अनुसार, कंपनी एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 सहित सभी लागू कानूनों का पालन किया है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस -1) और आम बैठकों (एसएस -2) से संबंधित सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है;

तदनुसार, हम यह बताते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभिन्न लागू कानूनों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ मौजूद थीं और यह कि कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, निम्नलिखित अधिनियम, नियम, दिशानिर्देश और विनियम **लागू नहीं** थे:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 जिसमें उसका संशोधन शामिल है;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018 जिसमें उसका संशोधन शामिल है;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 जिसमें उसका संशोधन शामिल है;

(च) कंपनी अधिनियम से संबंधित और ग्राहक के साथ व्यवहार करने वाले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2021 जिसमें उसके संशोधन शामिल हैं;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियम, 1998 और उसका संशोधन;

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 जिसमें उसका संशोधन शामिल है;

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष) विनियम, 2009 जिसमें उसका संशोधन शामिल है और.

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और विमोच्य अधिमान शेयर का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2013 जिसमें उसका संशोधन शामिल है.

हमने इस संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है:

(क) लागू वित्तीय कानून, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून, वित्तीय रिकॉर्ड का रखरखाव, आदि, चूँकि वे सांविधिक (वित्तीय) लेखा परीक्षकों, कर लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन रहे हैं।

(ख) स्टॉक एक्सचेंज(जों) के साथ सूचीकरण समझौता, क्योंकि कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है, और एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, तथा एचएमटी लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी है।

(c) कंपनी द्वारा सूचित किए गए अनुसार, कंपनी पर लागू उद्योग-विशिष्ट कानून / सामान्य कानून का अनुपालन किया गया है। प्रबंधन ने यह भी प्रतिनिधित्व और पुष्टि की है कि सभी कानून, नियम, नियम, विनियम, आदेश, मानक और दिशानिर्देश, जो विशेष रूप से कंपनी पर उद्योग / श्रम आदि से संबंधित लागू होते हैं, उनका अनुपालन किया गया है।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत गठित किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए। उक्त अनुपालन को निम्नलिखित के साथ पढ़ा जाना चाहिए:

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, यह देखा गया कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24(1) के अनुसरण में, असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया।

तथापि, भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2023 के आदेश के अनुसार, श्रीमती अंजू मखीजा को कंपनी द्वारा प्रभावी दिनांक 10.06.2023 से गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बोर्ड बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अध्यक्ष द्वारा विधिवत दर्ज और हस्ताक्षरित बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार, बैठकों में लिए गए निर्णय सर्वसम्मत थे और किसी भी असहमतिपूर्ण विचार को दर्ज नहीं किया गया है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में कोई संशोधन / परिवर्तन नहीं किया गया था।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप उसमें पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद थीं, ताकि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित किया जा सके।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि, ऑडिट अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, आदि के अनुसरण में, कंपनी के मामलों पर प्रमुख असर डालने वाली कोई अन्य विशिष्ट घटनाएँ / कार्रवाईयाँ नहीं थीं।

जी हरिता एंड एसोसिएट्स के लिए
जी हरिता कंपनी सचिव अभ्यास मे
एफसीएस 5521
सीपी नं.10749 पीआरसी नं.: 6941/2025
यूडीआईएन: F005521G001018071

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक:14 अगस्त, 2025

नोट:
इस रिपोर्ट को **'अनुलग्नक-ए'** के साथ पढ़ा जाना है, जो इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

'अनुलग्नक-ए'

सेवा मे
सदस्य
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
नंबर 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560032, कर्नाटक भारत

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करें।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑडिट पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों जैसे आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क, आदि की शुद्धता और उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।

4. जहाँ कहीं भी आवश्यक था, हमने लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन के प्रतिनिधित्व प्राप्त किए हैं।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(f) के संदर्भ में प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

7. यह ऑडिट कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दायर किए गए फॉर्म और रिटर्न, कंपनी द्वारा प्रदान किए गए या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किए गए दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन के साथ-साथ कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा ऑडियो और/या दृश्य माध्यमों से प्रदान की गई जानकारी के आधार पर आयोजित किया गया था।

जी हरिता एंड एसोसिएट्स के लिए
जी हरिता कंपनी सचिव अभ्यास मे
एफसीएस 5521
सीपी नं.10749 पीआरसी नं.: 6941/2025
यूडीआईएन: F005521G001018071

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक:14 अगस्त, 2025

अनुबंध – 8क

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के सचिवीय ऑडिट पर सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर (जवाब)

संदर्भ	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
01	रिपोर्ट की अवधि के दौरान, यह देखा गया कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24(1) के अनुसरण में, असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। तथापि, भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2023 के आदेश के अनुसार, श्रीमती अंजू मखीजा को कंपनी द्वारा प्रभावी दिनांक 10.06.2023 से गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।	प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी) के एक स्वतंत्र निदेशक को एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी) के निदेशक मंडल में नियुक्त करे ताकि सूचीबद्धता विनियमों का अनुपालन किया जा सके। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

कृत्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से
ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29 सितंबर 2025

अनुबंध – 9

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी की आचार संहिता के साथ

ये प्रमाणित किया जाता है की

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन शामिल हैं, एक आचार संहिता अपनाई है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन तथा अंशकालिक निदेशकों के लिए एक आचार संहिता को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

उक्त आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इसे कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को भी परिचालित किया गया है; और,

सभी बोर्ड सदस्यों, जिनमें पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों शामिल हैं, और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29 सितंबर 2025

अनुबंध – 10

निदेशकों की गैर-अनर्हता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा C खंड (10)(i) के अनुसरण में)

सेवा मे
सदस्या
एचएमटी लिमिटेड
(सीआईएन: L29230KA1953GOI000748)
एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु – 560032

मैंने एचएमटी लिमिटेड, जिसका सीआईएन L29230KA1953GOI000748 है और पंजीकृत कार्यालय एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बैंगलोर-560032 में स्थित है, (और जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, रिकॉर्डों, फॉर्मों, रिटर्न और खुलासों की जाँच की है, जो इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। यह जाँच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) को अनुसूची V पैरा-C खंड 10(i) के साथ पठित करते हुए की गई है।

मेरी राय में और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार तथा कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा मुझे प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर और किए गए निम्नलिखित सत्यापन के अनुसार:

i. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज़;
ii. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर निदेशक पहचान संख्या की स्थिति का सत्यापन;
iii. कंपनी को निदेशकों द्वारा दिए गए खुलासे; और
iv. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिबंध सूची।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2025 को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1	श्रीमती आरती भटनागर	10065528	14/02/2023
2	श्रीमती रीता सक्सेना[1]	10294769	25/08/2023
3	श्रीमती मुक्ता शेखर[2]	10118859	04/09/2023
4	श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[3]	10540509	08/03/2024
5	श्री राजेश कोहली[4]	10333951	05/04/2024
6	श्रीमती समीना कोहली[5]	10663362	10/06/2024
7	डॉ. रेणुका मिश्रा[6]	08635835	23/07/2024

1. *निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 25.08.2023 से प्रभावी रूप से नियुक्त किए गए और 25.05.2024 से प्रभावी रूप से पदमुक्त/हटा दिए गए।*
2. *सरकारी नामांकित निदेशक के रूप में 04.09.2023 से प्रभावी रूप से नियुक्त किए गए और 23.07.2024 से प्रभावी रूप से पदमुक्त/हटा दिए गए।.*
3. *अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 08.03.2024 से प्रभावी रूप से नियुक्त किए गए और 05.04.2024 से प्रभावी रूप से पदमुक्त/हटा दिए गए।*
4. *अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 05.04.2024 से प्रभावी रूप से नियुक्त किए गए।*
5. *निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 10.06.2024 से प्रभावी रूप से नियुक्त किए गए।*
6. *सरकारी नामांकित निदेशक के रूप में 23.07.2024 से प्रभावी रूप से नियुक्त किए गए*

मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व इन पर हमारे सत्यापन के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है।

यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

डी वेंकटेश्वरलू
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर 8554 :: सीपी नंबर 7773
यूडीआइएन: F008554G001023392
पीआर No: 1617 / 2021

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 31 जुलाई 2025

अनुबंध – 11

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणपत्र

यह एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल को प्रमाणित करने के लिए है कि:

(a) हमने वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन शामिल नहीं है, न ही इनमें कोई भौतिक तथ्य छोड़ा गया है, और न ही इनमें ऐसे कथन शामिल हैं जो गुमराह करने वाले हो सकते हैं;

(ii) ये विवरण एक साथ मिलकर कंपनी के मामलों का सच्चा और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, और ये मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।

(b) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कोई भी लेन-देन कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नहीं हैं।

(c) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसी आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन या संचालन में पाई गई कमियों, यदि कोई हो, जिसके बारे में हमें जानकारी है, का खुलासा किया है, और उन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव करते हैं, उनका भी खुलासा किया है।

(c) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचित किया है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन, और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट कर दिया गया है; और

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की कोई भी घटना जिसके बारे में हमें जानकारी हुई है, और उसमें प्रबंधन या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी कर्मचारी की संलग्नता, यदि कोई हो।

कृते एचएमटी लिमिटेड
ह०/- (हस्ताक्षर)
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
मुख्य कायर्कारी अधिकारी

ह०/- (हस्ताक्षर)
अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी
दिनांक: 23 जुलाई 2025

स्टैंड अलोन

वित्तीय

विवरण

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(उप महानिदेशक, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक कार्यालय, हैदराबाद, द्वारा दिनांक 02-09-2025 के अनंतिम टिप्पणियों के परिणामस्वरूप जारी किया गया है और यह हमारी दिनांक 23-07-2025 की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करता है।)

एचएमटी लिमिटेड के सदस्यों को -

एकल वित्तीय विवरणों के
लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

सशर्त राय:

हमने एचएमटी लिमिटेड ("कंपनी") के एकल वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा (ऑडिट) किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति का तुलन-पत्र, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण, तथा एकल वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। इनमें कंपनी की औरंगाबाद स्थित शाखा के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिटर्न्स भी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के 'सशर्त राय का आधार' खंड में दिए गए अपवादों के अलावा, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2025 को कंपनी की वित्तीय स्थिति, तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके रोकड़ प्रवाहों का एक सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

सशर्त राय का आधार:

1. हम मैसर्स आर. के. मुले एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द्वारा लेखा परीक्षित फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें इन्वेंट्री (माल-सूची) के मूल्यांकन से संबंधित एक सशर्त टिप्पणी शामिल है। जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट 2(ii)(j) में बताया गया है, कच्चे माल, स्टोर और कल-पुर्जों की इन्वेंट्री का मूल्यांकन भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। हालांकि, अपर्याप्त ऑडिट साक्ष्य के कारण शाखा ऑडिटर दरों और लागतों की सटीकता को सत्यापित करने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि इन्वेंटरी मूल्यांकन में कोई भौतिक गलत विवरण है या नहीं और वित्तीय विवरणों पर इसका परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, क्या है।
2. सहायक व्यावसायिक प्रभाग, बेंगलुरु में, कंपनी ने उपयोग की गई दरों के लिए पर्याप्त सहायक साक्ष्य के बिना, चार्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के आधार पर इन्वेंट्री का मूल्यांकन किया है। यह तरीका कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स का भारित औसत लागत विधि का उपयोग करके मूल्यांकन करने की घोषित लेखांकन नीति के अनुरूप नहीं है। पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य की कमी और घोषित नीति से विचलन के कारण, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि रिपोर्ट किए गए इन्वेंट्री मूल्यों में किसी समायोजन यदि कोई हो, की आवश्यकता है या नहीं।
3. सहायक व्यावसायिक कंपनी, बेंगलुरु में, कंपनी ने विलयन /सहायक कंपनीकरण की पिछली लागू की गई योजना के तहत एक सहायक कंपनी से संबंधित भवनों के संबंध में ₹ 845 लाख की किराया आय को मान्यता दी है और ₹ 714 लाख का रखरखाव खर्च किया है। हालांकि किराया आय को मान्यता दी गई है, लेकिन ये भवन कंपनी की लेखा-पुस्तकों में संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं हैं। यह व्यवस्था कंपनी और सहायक कंपनी के बीच उपयोग की शर्तों, अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से स्थापित करने के लिए एक औपचारिक, कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौते द्वारा समर्थित नहीं है।

4. सहायक व्यावसायिक कंपनी, बेंगलुरु अभी भी चालू के साथ-साथ पिछली अवधियों के लिए भी माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का समाधान करने की प्रक्रिया में है, जैसा कि लेखा-पुस्तकों में दर्ज किया गया है, उसे जीएसटी पोर्टल से मिलाया जा रहा है। इस समाधान के पूरा होने पर समायोजन प्रविष्टियों और अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के पलटने की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह के समाधान के अभाव में, हम कंपनी के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

5. इंड एएस 109 के लिए आवश्यक है कि वित्तीय संपत्तियों के मूल्यह्रास को मापने और पहचानने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग किया जाए। हालांकि, प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हानि भत्ता निर्धारित करने के लिए ऑडिट अवधि के दौरान कोई ईसीएल मैट्रिक्स तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, हम एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन करने में असमर्थ हैं।

6. सहायक कंपनी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से प्राप्त होने वाली बकाया राशि के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए कोई भत्ता नहीं बनाया गया है, जो हमारी राय में, सहायक कंपनी के लगातार नुकसान और नकारात्मक शुद्ध संपत्ति को देखते हुए, महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम रखता है। हानि भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का अति-मूल्यांकन और वर्ष के लिए लाभ का अल्प-मूल्यांकन होता है, जिसकी मात्रा अनिर्धारित है।

7. कंपनी ने व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, अन्य चालू देनदारियों, और अन्य चालू संपत्तियों के लिए बाहरी पुष्टिकरण प्राप्त नहीं किए हैं। ऐसे पुष्टिकरणों और वैकल्पिक ऑडिट प्रक्रियाओं के अभाव में, हम इन शेषों की सटीकता, पूर्णता और अस्तित्व के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। तदनुसार, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि इन मदों के संबंध में किसी समायोजन की आवश्यकता है या नहीं।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियाँ नामक अनुभाग में किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

1. हम आपका ध्यान 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 49 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें एचएमटी लिमिटेड ने बेंगलुरु स्थित एसयूडीएमओ एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड (मेसर्स एसयूडीएमओ - एचएमटी) में ₹ 15 लाख (50% इक्विटी शेयर) का निवेश किया है, जिसमें ₹ 10/- प्रत्येक के 1,50,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर शामिल हैं। मेसर्स एसयूडीएमओ-एचएमटी का कोई परिचालन नहीं है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी (मेसर्स एसयूडीएमओ-एचएमटी) को बंद करने की मंजूरी (फरवरी 2020) दे दी है और अनुमोदन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को समापन का प्रस्ताव (जुलाई 2021) प्रस्तुत किया है।

2. हम आपका ध्यान 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 50 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें एचएमटी लिमिटेड ने भावनगर स्थित गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मेसर्स जीएसएमटीसी) में ₹ 20.84 लाख (39.86% इक्विटी शेयर) का निवेश किया है, जिसमें ₹ 1/- प्रत्येक के 20,84,050 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर शामिल हैं। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स जीएसएमटीसी के

परिसमापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी (मार्च 2021) दी और गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड (जीआईआईसी) को सहमति पत्र जारी किया। जीआईआईसी ने गुजरात सरकार, उद्योग और खान विभाग से अनुमोदन के अधीन (सितंबर 2021) मेसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन को मंजूरी दी। एचएमटी लिमिटेड दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसमापन शुरू करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

3. हम आपका ध्यान 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 51 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें एचएमटी लिमिटेड ने नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नाइजीरिया (मेसर्स एनएमटीएल) में 1 नाइरा प्रत्येक के 30,00,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर में निवेश किया है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स एनएमटीएल में हिस्सेदारी बेचने के लिए (फरवरी 2020) मंजूरी दी और अब भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

4. हम आपका ध्यान 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 3C अतिरिक्त जानकारी (d) और (e) और 34 (ii) की ओर आकर्षित करते हैं, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (अंतरिती) को ₹ 926.64 लाख में और उत्तराखंड सरकार (अंतरिती) को ₹ 7202.10 लाख में भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है। इसमें कंपनी (हस्तांतरणकर्ता) को संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त हो चुका है और उसने भूमि का आंशिक कब्जा भी दे दिया है, लेकिन प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण बिक्री का पंजीकरण लंबित है।

5. हम आपका ध्यान वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 3B के पाद टिप्पणी संख्या 2 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य का मूल्यांकन किसी योग्य मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त नहीं किया है और कंपनी की ऐसी निवेश संपत्तियों का केवल मार्गदर्शक मूल्य ही प्रकट किया है।

6. हम आपका ध्यान एकल वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 35(i) की ओर आकर्षित करते हैं, जो ₹ 3686 लाख की अधिमान शेयर पूंजी के गैर-मोचन का वर्णन करता है।

7. हम वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 58 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो समाप्त हो चुके पट्टे समझौतों के गैर-नवीनीकरण से संबंधित है।

8. हम एकल वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 33B(h) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सेबी विनियमों के कुछ गैर-अनुपालनों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने/अर्थदंड के संबंध में आकस्मिक देनदारी के प्रकटीकरण से संबंधित है। कंपनी ने छूट की मांग की है, क्योंकि कुछ गैर-अनुपालन उसके नियंत्रण से परे हैं और मामले का परिणाम वर्तमान में अनिश्चित है। उक्त देनदारी के लिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि यह कार्यवाही के अंतिम समाधान पर निर्भर है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा विषय वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय सूचित करने के लिए संबोधित किया गया था, और हम इन विषयों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

योग्य राय के आधार' खंड में वर्णित विषय को छोड़कर, हमने यह निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए कोई अन्य मुख्य लेखा परीक्षा विषय नहीं है।

अन्य विषय

1. कंपनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण एक अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने 20 सितंबर, 2024 को उन विवरणों पर एक संशोधित राय (संशोधित) व्यक्त की थी। किए गए आक्षेपों और वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव को, अनसुलझे मामलों के लिए, इस रिपोर्ट में उचित

रूप से विचार किया गया है।

2. हमने कंपनी के इन एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल, औरंगाबाद स्थित खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी इकाई के वित्तीय विवरणों/सूचना का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार ₹ 1555.94 लाख की कुल परिसंपत्तियाँ और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 1179.99 लाख का कुल राजस्व दर्शाया गया है। शाखा के वित्तीय विवरणों/सूचना का लेखा परीक्षण शाखा लेखा परीक्षक मेसर्स आर.के. मूले एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, औरंगाबाद द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारी राय, जहाँ तक इस इकाई के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है। शाखा लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट के "अन्य विषय" खंड के तहत कुछ विसंगतियों की सूचना दी है, न कि उन्हें योग्य राय के आधार के रूप में शामिल किया है। चूँकि ये टिप्पणियाँ विशेष रूप से शाखा से संबंधित हैं, शाखा लेखा परीक्षक द्वारा इन्हें आक्षेप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए इन्हें इस रिपोर्ट में संबोधित नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करने में, यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों से, या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है। यदि, हमने जो कार्य किया है उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का एक सच्चा और उचित दृष्टिकोण करते हैं।

इस ज़िम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो ऐसे एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो सच्चा और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की निरंतर परिचालन जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, निरंतर परिचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करने, और निरंतर परिचालन के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन का इरादा या तो कंपनी का परिसमापन करना या परिचालन बंद करना न हो, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की

निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारे उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण हमेशा एक भौतिक गलत विवरण का पता लगा पाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी (fraud) या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, वे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा परीक्षा मानकों' के अनुसार किए गए लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, पहचानना और आकलन करना; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करना; और हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले भौतिक गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण, या आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और उन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता कैसी है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और किए गए लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित खुलासों की उचितता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के निरंतर परिचालन आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित करना कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के निरंतर परिचालन जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी निरंतर परिचालन जारी रखना बंद कर सकती है।
- एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और यह निर्धारित करना कि क्या एकल वित्तीय विवरण सच्ची प्रस्तुति प्राप्त करने के तरीके से अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ, अन्य बातों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसकी पहचान हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान की है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को एक ऐसा विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी

संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जिनके बारे में उचित रूप से यह सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर असर डालते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी संवादित करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं, जिस हद तक वे लागू होते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित होने के नाते, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

a. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

b. हमारी राय में, उपर्युक्त 'योग्य राय का आधार' पैराग्राफ में वर्णित मामले को छोड़कर, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।

c. इस रिपोर्ट द्वारा कवर की गई तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, लेखा पुस्तकों के साथ सहमत हैं।

d. हमारी राय में, योग्य राय के आधार में वर्णित मामले को छोड़कर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का, जिसे कंपनी (खाते) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, अनुपालन करते हैं।

e. चूँकि यह संस्था एक सरकारी संस्था है और सरकारी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या जीएसआर. 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) लागू नहीं होती है। इसलिए, इस पर टिप्पणी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

f. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

g. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर:

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के नोट 33 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध, जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध शामिल हैं, नहीं हैं जिनके लिए लागू कानूनों या लेखा मानकों के तहत किसी भी महत्वपूर्ण संभावित हानि के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं थी।

iv. a) कंपनी के प्रबंधन ने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह दर्शाया है कि कंपनी ने किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), जिनमें विदेशी संस्थाएं शामिल हैं ("मध्यस्थ"), को इस समझ के साथ कोई भी धनराशि (चाहे उधार लिए गए फंड, शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में नहीं दी है, चाहे यह समझ लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार

देंगे या उनमें निवेश करेंगे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की वस्तु प्रदान करेंगे।

b) कंपनी के प्रबंधन ने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खों के नोट्स में खुलासा की गई बातों के अलावा, यह दर्शाया है कि कंपनी को किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), जिनमें विदेशी संस्थाएं शामिल हैं ("फंडिंग पार्टियाँ"), से इस समझ के साथ कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे यह समझ लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की वस्तु प्रदान करेगी।

c) आधारित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसके कारण हमें यह विश्वास हो कि ऊपर (क) और (ख) के तहत दिए गए अभ्यावेदनों में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

v. कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लागू नहीं होता है।

vi. हमारे परीक्षण के आधार पर, जिसमें नमूना जाँचें शामिल थीं, कंपनी ने अपनी लेखा पुस्तकें बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादित लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की विशेषता है, सिवाय इसके कि कुछ शाखाओं में ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं की गई है। ऑडिट ट्रेल की अनुपस्थिति में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि उक्त सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संबंधित लेन-देनों के लिए संचालित हुई या नहीं, या ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने के कोई उदाहरण थे या नहीं।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक सी" में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर एक विवरण देते हैं।

कृते जी आर एस एम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000863S

गोपालकृष्ण हेगड़े
साझेदार
भागीदार एम. सं 208063

स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 10-09-2025
यूडीआईएन: 25208063BMNZND4462

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

एचएमटी लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित "अनुलग्नक ए" में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i). कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ और अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:

a) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(B) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है और इसलिए पैराग्राफ 3(i)(a)(B) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के आकार को ध्यान में रखते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन हर तीन साल में एक बार किया जाता है, जिसे उचित माना जाता है। अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन पिछली बार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया था (अब निष्क्रिय हो चुके ट्रैक्टर प्रभाग को छोड़कर), जिसमें कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गईं।

c) सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं), जैसा कि वित्तीय विवरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत खुलासा किया गया है, निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी के नाम पर धारित हैं:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	*के नाम पर धारित*	*क्या प्रवर्तक निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी द्वारा धारित*	*धारण की अवधि*	*कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण*
सीआईडीसीओ से लीजहोल्ड भूमि	*रु 5.00 लाख*	*सीआईडीसीओ*	*नहीं*	*1983 से*	*भूमि पर अतिक्रमण है और मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है*

d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

e) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही लंबित है।

(ii) a) जैसा कि हमें समझाया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी के माल-सूची का प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की आवृत्ति उचित है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भी महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गईं।

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में लेखा

पुस्तकों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को कोई भी कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः, आदेश का पैराग्राफ 3(ii)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iii) क)हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने सहायक कंपनियों , संयुक्त उद्यमों या किसी अन्य पक्षकारों को ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम दिए हैं।

(क) वर्ष के दौरान कुल राशि का विवरण, और सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऐसे ऋणों या अग्रिमों के संबंध में तुलन पत्र की तिथि को बकाया शेष नीचे दिया गया है:

विवरण	*ऋण (लाख रुपए में)*	*अग्रिम (लाख रुपए में)*	*गारंटी (लाख रुपए में)*	*सुरक्षा (लाख रुपए में)*
वर्ष के दौरान कुल राशि				
सहायक कंपनियाँ	*4,086.00*	*44.88*	-	-
संयुक्त उद्यम	-	*(0.17)*	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेष				
सहायक कंपनियाँ	*34,668.41*	*1,644.41*	-	-
संयुक्त उद्यम	-	*3.23*	-	-

(ख) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगियों के अलावा अन्य को कोई ऋण और अग्रिम तथा गारंटी या प्रतिभूतियाँ प्रदान नहीं की गई हैं।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी द्वारा किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी और दिए गए ऋणों के नियम और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।.

ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों का मूलधन और ब्याज, 31 मार्च 2025 की तारीख के अनुसार अतिदेय है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

इकाई का नाम	*राशि (लाख रुपए में)*	*देय तिथि*	*विलंब की सीमा (दिनों में)*	*टिप्पणियाँ, यदि कोई हो*
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	*456.99*	*31-03-2019*	*2192*	-
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	*1345.47*	*31-03-2020*	*1826*	-
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	*1640.73*	*31-03-2021*	*1461*	-
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	*1828.65*	*31-03-2022*	*1096*	-

घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों, के संबंध में, एक राशि है जो तुलन पत्र की तिथि के अनुसार 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय है। यह अतिदेय राशि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात् एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, को दिए गए ऋणों के संबंध में है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(लाख रुपए में)

मामलों की संख्या	*अतिदेय मूलधन राशि*	*अतिदेय ब्याज*	*कुल अतिदेय*	*टिप्पणियाँ (यदि कोई हो)*
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	*34,668.41*	*5,271.85*	*39,940.26*	-

ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान देय होने वाला कोई ऋण नहीं दिया गया है, जिसे उसी पक्षकार को दिए गए मौजूदा अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए नवीनीकृत या विस्तारित किया गया हो या नए सिरे से ऋण प्रदान किया गया हो।

च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने किसी भी पक्षकार को ऋण की प्रकृति में ऐसा ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जो पुनर्भुगतान की शर्तों और अवधि को निर्धारित नहीं करता है, जो इस प्रकार हैं:

	सभी पक्षकार	*प्रवर्तक*	*संबंधित पक्ष*
ऋण/अग्रिम की प्रकृति में कुल ऋण राशि			
- मांग पर चुकाने योग्य (लाख रुपये में)	*4,184*	-	*4,184*
- समझौते में पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट नहीं है	-	-	-
ऋण/अग्रिमों की प्रकृति में कुल ऋणों का %	*11.20%*		*11.20%*

(iv) हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने दिए गए ऋणों, जमाओं (डिपॉजिट) और किए गए निवेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने कोई भी जमा स्वीकार नहीं की है और न ही कंपनी के पास ऐसी कोई राशि है जिसे जमा माना जाता हो, जिस पर अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश लागू होते हों। अतः, कारो का पैराग्राफ 3 (v) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vi) केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के तहत कंपनी के किसी भी उत्पाद/सेवा के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। इस प्रकार, कारो का पैराग्राफ 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जाँच के आधार पर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में लेखा पुस्तकों में काटी गई/उपार्जित राशियों को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान संबंधित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा नहीं कराया गया है।

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं के संबंध में कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च 2025 को बकाया नहीं थी, सिवाय निम्नलिखित के, जो उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं।

अविवादित देयताओं का विवर			
क्र. सं.	अधिनियम की प्रकृति	देयता की प्रकृति	राशि (लाख रुपए में)
1.	कर्मचारी राज्य बीमा	कर्मचारी राज्य बीमा	2.34
2.	वैट / सीएसटी	वैट / सीएसटी पर ब्याज	1.25
3.	जीएसटी	जीएसटी पर ब्याज	0.17
4.	ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम	संपत्ति कर	867.92
5.	बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका	संपत्ति कर	39.96

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, और उपकर की कोई भी राशि विवाद के कारण जमा नहीं की गई है, सिवाय नीचे बताए गए के:

विवादित देयताओं का विवर				
अधिनियम की प्रकृति	देयता की प्रकृति	राशि (लाख रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है
हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अध्यादेश 2000	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर	486.17	वर्ष 2005 से 2017 तक	माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
जीएसटी	ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील में जीएसटी	62.72	वर्ष 2019-2020 के लिए	अपीलीय ट्रिब्यूनल
कर्मचारी भविष्य निधि	भविष्य निधि	1210.48	विभिन्न वर्ष	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्रिब्यूनल

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारणों के दौरान, वर्ष के दौरान आय के रूप में, बही-खातों में पहले अअभिलेखित किसी भी लेन-देन को समर्पित या प्रकट नहीं किया है।

(ix) क) हमारे ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारा मत है कि कंपनी ने नीचे बताए गए के अलावा अपने ऋणदाताओं को ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है:

उधार की प्रकृति जिसमें प्रतिभूतियाँ भी शामिल हैं - भारत सरकार से	भुगतान न की गई राशि (लाख रुपए में)	कब से देय है	भुगतान न किए गए विलंब के दिन
ब्याज मुक्त ऋण दिनांक 21/01/2017	6073.60	21/01/2018	2626
---- वही ----	6073.60	21/01/2019	2261
---- वही ----	6073.60	21/01/2020	1896
---- वही ----	6073.60	21/01/2021	1530
---- वही ----	6073.60	21/01/2022	1165

ब्याज मुक्त ऋण दिनांक 16/02/2017	*4800.00*	*16/02/2018*	*2600*
---- वही ----	*4800.00*	*16/02/2019*	*2235*
---- वही ----	*4800.00*	*16/02/2020*	*1870*
---- वही ----	*4800.00*	*16/02/2021*	*1504*
---- वही ----	*4800.00*	*16/02/2022*	*1139*
ब्याज मुक्त ऋण दिनांक 29/04/2017	*1958.00*	*29/04/2018*	*2528*
---- वही ----	*1958.00*	*29/04/2019*	*2163*
---- वही ----	*1958.00*	*29/04/2020*	*1797*
---- वही ----	*1958.00*	*29/04/2021*	*1432*
---- वही ----	*1958.00*	*29/04/2022*	*1067*

ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है, और इसलिए इस पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ-साथ कंपनी की तुलन पत्र की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी फंड का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके खाते में किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई फंड नहीं लिया है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा किए गए प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

(x)क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा किए गए ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर; सार्वजनिक निर्गम / फॉलो-ऑन-ऑफर जिसमें ऋण साधन शामिल हैं के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया था।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(b) लागू नहीं होता है।

(xi)क) किए गए ऑडिट प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख) किए गए ऑडिट प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट हमारे द्वारा या कंपनी के अन्य ऑडिटरों द्वारा दायर नहीं की गई है।

ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई

(xii). कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, और इसलिए आदेश के खंड 3(xii)(a), (b) और (c) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii). हमारी राय में, और हमारी ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 188 के अनुपालन में हैं, और उनका विवरण लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv). क) कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास उसके व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई थीं और हमने उन पर विचार किया है।

(xv). हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi).क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

ख) किए गए ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ नहीं की हैं।

ग) किए गए ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित मुख्य निवेश कंपनी नहीं है।

घ) किए गए ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, समूह में एक से अधिक मुख्य निवेश कंपनी नहीं है। इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xvii). कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii). वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, और तदनुसार खंड $3(xviii)$ लागू नहीं होता है।

(xix). हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, और वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अवधि और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ

संलग्न अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारा यह मत है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को मौजूद अपनी देनदारियों (liabilities) को, जब वे देय हों, तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं है।

(xx) क) कंपनी के पास चालू नहीं हुई परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष में कोई अप्रयुक्त (unspent) राशि नहीं है, जो धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में है।

ख) जारी परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर अप्रयुक्त राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	*"जारी परियोजनाओं" के लिए सीएसआर गतिविधियों पर अप्रयुक्त राशि*	*वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर विशेष खाते में हस्तांतरित राशि*	*नियत तारीख के बाद हस्तांतरित राशि (जमा करने की तारीख निर्दिष्ट करें)*
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*
2024-2025	*रु 45.36 lakhs*	*रु 45.36 lakhs*	-

जीआरएसएमएंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000863S

गोपालकृष्ण हेगड़े
भागीदार
एम. सं 208063

स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 10-09-2025
यूडीआईएन: 25208063BMNZND4462

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध एचएमटी लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर समान तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

एचएमटी लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा के साथ-साथ, हमने इस तिथि के अनुसार कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का भी लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन, "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट " में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। इसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की, जो कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं।

वे मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हुए।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में निम्नलिखित शामिल थे: वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दुर्बलता के मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर अपनी लेखा परीक्षा राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की

विश्वसनीयता और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

उन रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि: आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने हेतु आवश्यक रूप से लेन-देन रिकॉर्ड किए जाते हैं; और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान को रोकने या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन द्वारा अतिलंघन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भविष्य की अवधियों के लिए अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

सशर्त राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण दुर्बलताएँ पाई गई हैं:

कंपनी में समग्र रूप से

1. माल और सेवा कर (GST) पोर्टल के साथ माल और सेवा डेटा के समय पर समाधान के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।
2. सूची और सूची के मूल्यांकन के संबंध में कंपनी के पास उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है।
3. व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयताओं और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय शेषों की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

प्रभागों (शाखाओं) के संबंध में विशिष्ट

4. एचएमटी लिमिटेड की एबीडी यूनिट - ई-कॉमर्स और आउटलेट के माध्यम से इनवॉइस और बिक्री पर नियंत्रण की उचित प्रणाली कंपनी के पास नहीं है।
5. एचएमटी लिमिटेड की खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद लेखा परीक्षक ने यह पाया है कि डिवीजन के पास स्थिर परिसंपत्तियों के सत्यापन और समाधान के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

महत्वपूर्ण दुर्बलता' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जिसके कारण उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा। हमारी राय में, उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण दुर्बलताओं के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर (जो नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर पड़ सकते हैं), कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाए रखा है और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे। यह राय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक

नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2025 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा में लागू किए गए लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में उपरोक्त पहचानी और रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण दुर्बलताओं पर विचार किया है, और ये महत्वपूर्ण दुर्बलताएँ कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

जीआरएसएमएंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000863S

गोपालकृष्ण हेगड़े
भागीदार
एम. सं 208063

स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 10-09-2025
यूडीआईएन: 25208063BMNZND4462

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक – सी"

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों पर रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत

	निर्देश / उप-निर्देश	*लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ*
1.	लेखा परीक्षक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए, कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए, सभी निवेशों (चाहे सूचीबद्ध हों या गैर-सूचीबद्ध) के उचित मूल्यांकन का आकलन करेंगे। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन करना, यह सुनिश्चित करना कि वे इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानकों) के अनुरूप हैं, और सहायक दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तार्किकता, और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेंगे, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट की जाएगी।	एचएमटी लिमिटेड के पास समूह / स्थान की कंपनियों के लिए सामान्य ट्रस्ट हैं जो पीएफ (भविष्य निधि) और ग्रेच्युटी का प्रबंधन करते हैं। ग्रेच्युटी ट्रस्ट ने अपने फंड भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश किए हैं। कंपनी ने प्रासंगिक इंड एएस मानक के तहत अपने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के दायित्वों के संबंध में एक एक्चुअरी से रिपोर्ट प्राप्त की है। एक्चुअरी ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सूचित निवेशों के उचित मूल्य को अपनाया है। हालाँकि, हमें बीमा कंपनी द्वारा मूल्य पर पहुँचने के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। पीएफ ट्रस्ट का फंड केवल बैंक (आरबीआई सहित) जमाओं में रखा गया है और इसका मूल्य केवल बैंक शेष के बराबर है। हमें सूचित किया गया है कि, उपरोक्त उल्लिखित ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंडों के अलावा, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के संबंध में कंपनी द्वारा या ट्रस्टों के माध्यम से कोई सीधा निवेश नहीं किया गया है।
2.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की कोई व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने के खाते की सत्यनिष्ठा पर क्या निहितार्थ हैं और यदि कोई वित्तीय निहितार्थ हैं, तो उन्हें बताया जाए।	कंपनी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने के लिए "टैली प्राइम" लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। वर्तमान में, वेतन, सूची, इनवॉइसिंग, सूची मूल्यांकन, मूल्यह्रास की गणना और कुछ अन्य लेखांकन पहलू इस लेखांकन प्रणाली के बाहर हैं। इन्हें सामान्य सॉफ्टवेयर या इस लेखांकन प्रणाली से स्वतंत्र किसी अन्य उपयोगिता का उपयोग करके तैयार किया जाता है।

		इन उपयोगिताओं से उत्पन्न गणनाओं/जानकारी को वाउचर के रूप में लेखांकन सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है। इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। हालाँकि, आंतरिक जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जाती है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था, और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान की शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	वर्ष के दौरान, कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई अनुदान/सब्सिडी/अन्य निधि प्राप्त नहीं हुई है।
4.	क्या कंपनी ने मुख्य जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हाँ, तो (a) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है? (b) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने मुख्य जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर ली है और जोखिम प्रबंधन नीति भी बनाई है। हमारी राय में, जोखिमों की प्रकृति को देखते हुए, जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हालाँकि, कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की है।
5.	क्या कंपनी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, और सेबी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, CERT-IN, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी वे लागू होते हैं? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।	कंपनी सामान्य तौर पर H2 / Q4 के वित्तीय परिणामों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सेबी/कंपनी अधिनियम, 2013 के निम्नलिखित विनियमों का अनुपालन नहीं किया है: • स्वतंत्र निदेशकों / स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति • लेखा परीक्षा समिति, नामांकन/पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति, हितधारक संबंध समिति की संरचना

		• वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के संबंध में निदेशक मंडल / समिति की गणपूर्ति हमें सूचित किया गया है कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, CERT-IN, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में जो आवश्यकताएँ सीधे कंपनी पर लागू होती हैं, उनका कोई अन्य गैर-अनुपालन नहीं है।

जीआरएसएमएंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000863S

गोपालकृष्ण हेगड़े
भागीदार
एम. सं 208063

स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 10-09-2025
यूडीआईएन: 25208063BMNZND4462

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 10 सितम्बर, 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस लेखापरीक्षा का निर्वाह कार्यशील प्रपत्रों की पहुंच के बिना मुख्यत सांविधिक लेखापरीक्षकों से पूछताछ एवं लेखांकन रिकार्ड की चयनित जांच तक सीमित था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों से मेरे द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान कुछ प्रेक्षण किए गए थे, मैं अब सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के प्रति अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत कोई टिप्पणी अथवा कुछ और उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

कृत्ते एवं भारत के नयिंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

Nawal

(वी.एम.वी नवल किशोर)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक अंकेक्षण
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 11 सितम्बर 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि

एचएमटी लिमिटेड (''कम्पनी'') भारतीय मूल की एक सरकारी कम्पनी है तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत इसका निगमन वर्ष 1953 मे हुआ था। इसका पंजीकृत कार्यालय एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलुरू-560 032 में स्थित है। कम्पनी के शेयर भारत में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी खाद्य प्रस्संकरण मशीनों का निर्माण करती है|

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) निर्माण का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के साथ सभी पहलुओं का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधन नियम, जैसा कि कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू होता है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति बीमांकक आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार भारतीय रुपए में, केवल कुछ वित्तीय प्रपत्रों के अलावा जिनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया गया है, नीचे प्रस्तुत लेखांकन नीतियों के अनुसार की गई है। ऐतिहासिक लागत का सामान्य आधार माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य है।

ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप

क) अनुमानों का उपयोग :

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने और अनुमान लगाने होते है जिनसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। तथापि, ऐसे अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित होते हैं, इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य में संपत्ति या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता पढ़ सकती है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकृति दी जाती है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी पी ई) की प्रस्तुति अधिग्रहण अथवा निर्माण, निवल वैटेबल करों की लागत में से तिथि के अनुसार संचित मूल्यह्रास के अनुसार की गई है। लागत में पूंजीयन की गई परिसम्पति को उपयोग के लिए तैयार किए जाने तक की प्रत्यक्ष लागत और अधिग्रहण से सम्बद्ध ऋण की संबंधित वित्तीयन लागतें शामिल हैं।

भूमि के विकास से संबंधित व्यय का पूंजीयन उस वर्ष किया जाता है जिस वर्ष व्यय किया जाता है।

तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों के बकाया शेष का वर्गीकरण् अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रुप में किया जाता है।

पीपीई की मद की लागत संपत्ति के रूप में स्वीकृति केवल तब दी जाती है, जब:

क) जब यह संभावना हो कि मद से जुडे भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्रभावित होंगे; तथा

ख) मद की लागत का मापन विश्वसनीय रुप किया जा सकता हो ;

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से १२ माह की अवधि में बिक्री के धारित पीपीइ की मदों का वहन लागत अथवा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर प्रकटीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र उपकरण की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब;

क) निपटान किए ; अथवा

ख) जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नही होते है

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में तब शामिल किया जाता है जब मद की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

विशेष उपकरण:

माल अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग के लिए निर्मित और क्रय किए गए विशेष उपकरणों पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद माना जाता है और वर्षों के उपयोगि जीवन पर उनका मूलह्रास किया जाता है।

ग) पट्टे

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकार होती है उन पट्टों का वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टाकार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टाकार होती है, तो यह हेड लीज और सब लीज में अलग- अलग अपने हितों के अंतर्गत आती है । उप पट्टे को मुख्य पट्टे से उअप्तन्न होने वाली उअपयोग के अधिकार संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत है।

पट्टाकार के रुप में परिचालन पट्टे

क) परिचालन पट्टों से किराये की आय को सामान्यतः प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वोकृति दी जाति है, जो की तब नही दी जाती है जब कंपनी की संभावित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि की भरपाइ के लिए इनके किराए की संरचना संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरुप की जाती है, एसी वृद्धि की स्वीकृति उस वर्ष की जाती है, जिस वर्ष में एसे लाभ प्रात्प होते है।

ख) मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भुगतान को प्रासंगिक पट्टे के रुप की अवधि के दौरान सीधी रेखा के अधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रुप में स्वीकृति दी जाती है।

पट्टेदार के रुप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उनका वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

क) पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति के उपयोग का कोइ अधिकार नहो होता है और एसे पट्टे पर भुगतान प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानी खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रुप में स्वीकार किए जाते है।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रुप में, उपयोग के अधिकार और अपनी पट्टे की (आरओयू) व्यवस्था के लिए किसी पट्टा देता को स्वीकृति देती है। अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, अगर इसमें किसी पहचानी गइ संपत्ति का उपयोग शामिल है और संपत्ति का उपयोग से सभी आर्थिक लाभ मिलते है और पहचानी गइ संपत्ति के उपयोग को

निर्देशित करने का अधिकार है सिवाय इसके कि महॊने या उससे कम और कम मूल्य के पट्टॊं की अवधि के पट्टे 12 महीना, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार [अर परिचालन व्यय के रुप में पट्टे के भुगतान कॊ मान्यता देती है।

उपयॊग अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पहले किए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायॊजित पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि के साथ साथ कॊइ प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हॊगि_। उपयॊग के अधिकार की संपत्ति कॊ बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कॊइ हॊ, घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायॊजित किया जाता है।

उपयॊग के अधिकार संपत्ति का मूलह्रास प्रारंभ हीने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयॊग कर के पट्टे की अवधि या उपयॊग के अधिकार संपत्ति के उपयॊगी जीवन से कम है।

कंपनी पट्टे की देनदारी को पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापन तब करती है जब भुगतान पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर नहीं किया गया है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। लीज देनदारी और आरओयू संपत्ति को तुलना पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) ऋण लागतें :

ऋण लागत में ब्याज एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं जो किसी इकाई द्वारा निधियों की प्राप्ति के वहन की करती हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उधार लेने की लागत जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उस अवधि तक भी शामिल होती है जब तक कि वे उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

ङ) निवेश सम्पत्ति:

संव्यवहार की लागत सहित निवेश संपत्तियों का प्रारंभिक मापन किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, के अनुसार प्रस्तुति की जाती है।

कम्पनी द्वारा निवेश परिसम्पतिके निर्माण घटक का मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा जब उन्हें उपयोग के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है। किसी परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के अंतर की स्वीकृति अस्वीकृति की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

च) अमूर्त परिसम्पतियां

i) अमूर्त संपत्ति की प्रस्तुति संचित परिशोधन एवं अक्षमता हानि को घटाकर लागत पर की गई है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर उस तिथि से किया गया है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल के निर्धारण का आधार अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारकॊं जैसे) जैसे कारकों तथा परिसंपत्ति (कि उद्योग की स्थिरता एवं ज्ञात प्रौद्योगिकी उन्नति से भावी नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्यय पर निर्भर करती है।

ii) तकनीकी अनुभव पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

iii) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/खरीदे गए सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति के की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है।

iv) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान चरण:

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय का प्रभारण वर्ष में लाभ और हानि खाते में किया जाता है।

विकास चरण:

नई अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने गए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित विकास लागतों पर किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छ) मूलह्रास और परिशोधन :

संपति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा के आधार पर अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोज्यता काल पर, आवर्धन अथवा संवर्धन की तिथि के संदर्भ में यथानुपात प्रदान किया जाता है। जब कभी भी संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाता है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण के बही मूल्य के रूप में 1/- रुपये का मूल्य रखा जाता है। संपति, संयंत्र एवं उपकरण 10,000/- रुपये से कम लागतकी खरीद के वर्ष में रु. 1 के मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' के रुप में भी जाना जाता है की लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और (संयंत्र एवं उपकरण से अलग उपयोज्यता काल है, उसका अलग से मूल्यह्रास किया जाएगा।)

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों का पांच साल की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और जिन वस्तुओं की कीमत रुपये 750 से कम है, उनका अधिग्रहण निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रास किया जाता है।

परिशोधन विधियों और अमूर्त संपत्ति के उपयोज्यता काल की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत का डेटा भी शामिल है।

ज : स्वामियों को वितरण के लिए धारित गौर चालु परिसंपत्तियां और बंद परिचालन :

यदि उअनकी अग्रणीत राशि मुख्य रुप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री वितरण के माध्यम से वसूलीय है तो कंपनो गैर वर्तमान संपत्तियों का वर्गीकरण स्वामियों को वितरण को पूरा करने के लिए / वितरण धारित के रुप में करती है। बिक्री/ बिक्री वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाई को यह संकेत देना चाहिए की बिक्री/ वितरण महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना न्ही है अथवा बिक्री/ वितरण का निर्णय वापस ले लिया जाएगा । वर्गीकरण की तिथी से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/ वितरण के प्रबंधन प्रतिबद्ध होना चाहिए ।

बिक्री के लिए / स्वामियों औउर निपटान समूहओं के वितरण के लिए रखी गाइ गैर वर्तमाअन – संपत्तियों को उअन्की अग्रणीत राशि और बेचने / वितरित करने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री/ वितरण के लिए धारित रुप में वर्गीकृत गैर वर्तमान परिसंपत्तियां तुलना पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती है।

झ : सरकारी अनुदान :

सरकारी अनुदानों के लिए स्वीकृति तब दी जाती है जब अनुदान प्राप्ति और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन का औचित्यपरक आश्वासन होता है। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति की जानी है, व्यय हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोज्यता काल पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

ञ) मालसूची :

कच्चे माल, भंडार और पुर्जे, टूल्स और उपकरण, स्क्रैप, कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। भारित औसत लागत विधि अपनाकर सामग्रियों की लागत ज्ञात की जाती है।

कार्य प्रगति की लागत, तैयार माल और मार्गस्थ माल में प्रत्यक्ष सामग्रियां, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले परिवर्तनीय एवं निश्चित ओवरहेड का उचित भाग शामिल है।

नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए अतिरेक को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाते है। तथापि, नॉन मूविंग मालसूची के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब पांच साल से अधिक समय तक उनमें संचलन नहीं होता है और वे सामान्य अथवा विशिष्ट ऑर्डर के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

ट : राजस्व स्वीकृति

यदि किसी ग्राहक अनुबंध की संग्रहणीयता को अनुबंध के अंतर्गत तब संभावित माना जाता है, जब अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व, भुगतान शर्तो के साथ दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी गई है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और इसलिए, ये कंपनी को मिलने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व/ आय से बाहर रखा गया है।

i) माल और सेवाओं की बिक्री:

राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब ग्राहक को माल अथवा सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जब उसे उत्पादों का अधिकार प्राप्त होता है और उत्पाद अथवा सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को ग्रहण करता है। आम तौर पर, शीर्षक और जोखिमों का हस्तांतरण और माल के स्वामित्व का प्रतिफल अनुबंधित रूप से परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) किराया आय:

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधर पर स्वीकृति दे जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए किराए की संरचना की जाती है, ऐसी वृद्धि को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष में इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं।

iii) लाभांश आय:

लाभांश आय को स्वीकृति तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यतः तब होता है जब शेयर्धारक लाभांश के लिए अनुमोदन देते है ।

iv) ब्याज आय:

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय लिखितों से होने वाली आय सहित ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

v) वारंटी:

जब उत्पाद की बिक्री की जाती है अथवा ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है, तो वारंटी संबंधित लागत के प्रावधानों को स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक स्वीकृति ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। वारंटी संबंधित लागतों का प्रारंभिक अनुमान वार्षिक रुप से संशोधित किया जाता है

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में क्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से वारंटी का प्रावधान है।

vi) विस्तारित वारंटी:

जब कंपनी विस्तारित वारंटी का विक्रय करती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से राजस्व आस्थगित हो जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में स्वीकृति प्राप्त होती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद के मूल्य में शामिल हैं और संबंधित उत्पाद के लिए बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कंपनी इन दो मदों के लिए लेखांकन करती है।

ठ : विदेशी मुद्रा अंतरण :

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गीत मौद्रिक आस्तियों और देन्दारियों की तुलनपत्र की तिथि के प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यत्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है। इस तरह के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि वितरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है।

गैर मौद्रिक संपत्ति और गैर मौद्रिक देनदारियों को एक विदेशी मुद्रा का मापन ऐतिहासिक लागत पर संव्ययहार की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंतरण करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ अथवा हानि उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ का निर्धारण करने में शामिल होते हैं जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह मदों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित किया जाता है, लेनदेन की तिथि पर प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अंतरण किया जाता है।

ढ : सेवा निवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ :

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के अंतर्गत छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके योग्य कर्मचारियों को उपदान प्रदान किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित और प्रशासित एक ट्रस्ट के लिए आवश्यक सीमा तक वार्षिक योगदान दिया जाता है, जिसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पूरी तरह से कवर की जाती है। जिसका संपूर्ण राशि रुपये 50,000 हर एक कर्मचारियों के लिए योग्य है और दिया जाता है। बाकी प्रवधान खाते में रखा जाता है अगर कोइ अतिरिक्त देयता हो तो ग्रेचुयूटी के भुगतान के लिए उस पर उर्जित है।

एक परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके पात्र कर्मचारियों को सैटलमेंट भत्ता (एसए) प्रदान किया जाता है।

कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना अर्थात उपदान और एसए के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में स्वीकृति देती है। निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ हानि अन्य व्यापक आय में मान्य है। इंड एएस के अनुसार अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ और हानियों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है। जो कि इंड एएस अनुपालन अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी धारित आय के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) पर पुनः मापित लाभ और हानियों की स्वीकृति देती है।

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान, ईएलई एसए और एकमुश्त मुआवजे को चुकता किए जाने के वर्ष में पूरी तरह बट्टा किया जाता है। 50,000/- रुपये हर एक कर्मचारी को जीवन बीमा निगम से ग्रेच्युटी में अलग रुप से बाकी धन राशि के साथ दिया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में, उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए संबंधित प्रावधान खाते और उससे अधिक 50,000/- ग्रेच्युटी में नाम से किया जाता है।

उपदान, ईएलई और एसए के लिए किए गए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन वीआरएस के अनुसार पुनर्लेखन किया जाता है।

वीआरएस के अंतर्गत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए ब्राडों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ण) आय कर :

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति अथवा देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि की प्रस्तुति में वर्तमान और आस्थगित कर को स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में शामिल किया जाता है।

i) चालू कर :

चालू आयकर संपत्ति और देनदारियों का मापन कराधान अधिकारियों से वसूल अथवा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित हैं।

ii) आस्थगित कर:

आस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है।

त) प्रावधान :

किसी प्रावधान को स्वीकृति तब दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है जिसमें यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने से आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और उससे दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेंगे। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्वकर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के प्रभाव से प्रावधान में हुई वृद्धि को लाभ और हानि में विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने की पुष्टि करता है अथवा किसी गैर स्वीकृति प्राप्त वर्तमान दायित्व की क्योंकि उसमें दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की पुष्टि नहीं होती है। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देयता को स्वीकृति नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है।

थ) अक्षमता हानि :

i) वित्तीय परिसम्पतियां:

कंपनी द्वारा तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय परिसम्पतियों का समूह क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं है। इंड एएस 109 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का हानि भत्ता के माध्यम से मापन आवश्यक है। कंपनी उन सभी व्यापार प्राप्तियों के उपयोज्यता काल की अपेक्षित हानि को संज्ञान में लेती है जो वित्तीय संव्यवहार नहीं हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से काफी बढ़ गया है तो अन्य सभी वित्तीय परिचुसम्पतियों के लिए, अनुमानित क्रेडिट हानियों को 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि अथवा उपयोज्यता काल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां:

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, अथवा जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति अथवा नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रणित राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व कर छूट दर का उअपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

हानि नुकसान लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है। हानि के बाद, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

द) वित्तीय प्रपत्र :

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के संविदाकारी प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है तथा प्रारंभ में इनका मापन संव्यवहार लागतों का समायोजन करके उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। संव्यवहार लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य प्र वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसंपत्ति अथवा वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य से जोड़ा अथवा घटाया जाता है।

i) नकदी और नकदी समतुल्य

कंपनी प्रत्येक अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्रों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद समतुल्य हैं। नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा वह शेष राशि शामिल होती है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पति:

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित होती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों का धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए उन निर्दिष्ट तिथियों की प्रस्तुति करती हैं जब पूरी तरह से हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हो सकेगा।

iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति:

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तिः वित्तीय परिसंपत्ति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर तब मापा जाता है जब ये वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यवस्था के भीतत धारित होती है तथा जिनका उद्देश्य सांविधानाम्तक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्ति बेचने और अनुबंध की शर्तों दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसम्पति का प्रतिशत नकद प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होता है जब केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों की प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं मापा गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत स्वीकृति दी जाती है।

v) वित्तीय देयताएं:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके बाद में वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

vi) वित्तीय साधनों की स्वीकृति समाप्त करना:

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण इंडस्ट्रीज़ एएस 109 के तहत अमान्यता के लिए योग्य हो जाता है, तो कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को पहचान नहीं देती है। किसी भी वित्तीय संपत्ति को उसकी संपूर्णता में मान्यता न देने पर, कैरिंग राशि (गैर-मान्यता की तारीख पर) और प्राप्त किसी भी प्रतिफल (किसी भी नई संपत्ति और नई देयता के बीच अंतर सहित) के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक हिस्सा) को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है।

vii) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य:

अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित तारतम्यता और स्वीकृतियों का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

उचित मूल्य तारतम्यता:

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के

इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान संपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है,

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण है) प्रत्येक रिपोर्टींग अवधि के अंत में।

viii) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश:

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश लागत पर किया जाता है।

iii) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, पूर्वानुमान एवं धारणाएं:

कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, पूर्वानुमान तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की सूचित मात्रा और साथ-साथ प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। इन धारणाओं और अनुमानों की अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन करने पड़ते हैं।

i) निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

क) परिचालन पट्टा – पट्टाकार के रुप में कंपनी :

कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो पर वाणिज्यिक संपत्ति किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का एक बड़ा भाग नहीं है, कि इनसे स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों का धारण होता हो तथा ये अनुबंध परिचालन पट्टे हो सकते हों।

ख) बंद परिचालन :

दिनांक 27/10/2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुसार ट्रैक्टर डिवीजनों के परिचालनों को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इंड एएस 16, इंड एएस 40 और इंड एएस 105 की परिभाषाओं के आधार पर किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि कंपनी पट्टा किराया उत्पन्न करने के लिए भूमि और भवनों के प्रमुख भाग तीसरे पक्ष को पट्टे पर देगी और तदनुसार, इनका वर्गीकरण निवेश संपत्तियों के रूप में किया गया

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कॉर्पोरेट मुख्यालय का भवन, जिसमें संपत्ति के महत्वपूर्ण भाग का उपयोग कंपनी के स्वामित्व की संपत्ति के रूप में किया जाता है और कुछ भाग कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया गया है। प्रबंधन की भवन को बेचने की कोई मंशा नहीं है और भवन का जो भाग पट्टे पर दिया गया है वह अल्पावधि के

लिए है और तदनुसार, इसे संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) पूर्वानुमान एवं धारणाएँ

वे प्रमुख धारणाएं जिनसे भविष्य में एवं रिपोर्टिंग तिथि को पूर्वानुमानों के प्रमुख स्रोतों के प्रति अनिश्चितता हो सकती है तथा जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन किए जाने एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास की धारणाएं तथापि, बाजार में परिवर्तन अथवा परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर ये पूर्वानुमानों में परिलक्षित होते हैं।

क) आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति कटौतियोग्य अस्थाई के लिए उस विस्तार तक की जाती है जिनमें कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं के प्रति उपयोग के लिए भावी करयोग्य लाभ प्राप्त होने संभावित हों। कंपनी आस्थगित कर संपत्ति की स्वीकृति नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अप्रयुक्त कर हानियां हुई है और इनसे भविष्य के कर योग्य लाभ के लिए विश्वास योग्य लाभ की कोई निश्चितता नहीं है।

ख) परिभाषित लाभ दायित्व:

परिभाषित लाभ उपदान योजना, भविष्य निधि और सैटलमेंट भत्ते की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर; भविष्य वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन और इसकी लंबी अवधि में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

अधिकांश मापदंड छूट दर में परिवर्तन की शर्त पर हैं। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन द्वारा सरकारी बांडों की ब्याज दरों को विचार में लिया जाता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित होती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अर्जित अवकाश नकदीकरण जैसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने की उम्मीद के रूप में संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत का मापन। गैर-संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियों पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थितियां होती हैं। सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मूल्यांकन और दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती हैं।

दीर्घावधि के कर्मचारी लाभों का मापन परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के अनुसार अनिश्चितता की डिग्री के अनुसार नहीं है। इस कारण से, अन्य व्यापक आय में पुनः मापन की स्वीकृति नहीं की जाती है।

घ) वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मापन :

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रिय बाजारों में

उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य का मापन एनएवी/एनआरवी मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, सुस्पष्ट बाजारों से प्राप्त किया जाती है, लेकिन जहां यह संभव नहीं होता, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्धारण करना पड़ते हैं। ऐसे निर्धारणों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, मूल्यों में अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से धारणाओं के परिवर्तन वित्तीय प्रपत्रों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

स्टैंडअलोन तुलन पत्र दिनांक 31 मार्च 2025 को

(लाख रुपए में)

विवरण	टिप्पणीयां	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3क	**190.87**	308.11
निवेश संपत्ति	3ख	**573.88**	601.36
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
निवेश	4	**71,977.91**	71,977.91
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	**240.98**	127.70
स्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	5	**37.61**	47.93
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	13	**75.15**	71.74
		73,096.40	**73,134.75**
चालू परिसंपत्तियाँ			
माल-सूची	6	**1,249.06**	1,174.90
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्य	7	**1,283.82**	1,517.35
रोकड़ और रोकड़ तुल्य	8	**210.83**	607.53
रोकड़ और रोकड़ तुल्य के अलावा बैंक शेष	9	**14,854.77**	16,817.73
ऋण	10	**34,668.41**	30,582.41
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	**5,632.06**	5,703.43
चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	12	**566.40**	583.70
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	13	**2,688.94**	2,555.97
		61,154.29	**59,543.02**
बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	3ग	**296.15**	296.15
		296.15	**296.15**
कुल परिसंपत्तियाँ		**134,546.84**	**132,973.92**
इक्विटी और देयताएँ			
शेयर पूंजी	14	**35,560.16**	35,560.16
अन्य इक्विटी	15	**11,932.55**	10,317.79
कुल इक्विटी		**47,492.71**	**45,877.95**
गैर-चालू देयताएँ			
गैर-चालू वित्तीय देयता	17	**-**	-
अन्य गैर-चालू देयताएँ	21	**8,128.74**	8,128.74
प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	18	**233.83**	231.35
		8,362.57	**8,360.09**

स्टैंडअलोन तुलन पत्र दिनांक 31 मार्च 2025 को

(लाख रुपए में)

विवरण	टिप्पणीयां	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	16	**64,229.55**	64,171.74
व्यापार देय	19		
एमएसएमई की कुल बकाया देय राशियाँ		**113.23**	150.90
एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशियाँ		**1,887.02**	2,444.40
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**3,689.05**	3,686.00
अन्य चालू देयताएँ	21	**8,339.16**	7,808.23
प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	18	**85.25**	116.34
अन्य	23	**291.42**	288.19
चालू कर देयताएँ (शुद्ध)	22	**56.88**	70.08
		78,691.56	**78,735.88**
कुल देयताएँ		**87,054.13**	**87,095.97**
कुल इक्विटी और देयताएँ		**134,546.84**	**132,973.92**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

हमारे सम दिनांक के रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी आर एस एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ़आर्एन : 000863S

(गोपालकृष्ण हेगडे)
साझेदार

सदस्यता संख्या : 208063

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : जुलाई 23, 2025

कृते एवं एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन 10333951

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन 10663362

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

यथा 31 मार्च को 2025 समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि विवरणियाँ

(रु. लाखों में)

विवरण	टिप्पणीयां	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
जारी संचालन			
संचालन से राजस्व	24	**2,617.31**	4,791.24
अन्य आय	25	**5,897.75**	5,126.72
कुल आय		**8,515.06**	**9,917.96**
व्यय			
उपयोग की गई सामग्री की लागत	26	**1,028.37**	3,414.70
तैयार माल, व्यापारिक माल और कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन	27	**(148.49)**	(102.83)
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**672.05**	754.87
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**145.47**	210.54
वित्त लागत	30	**79.47**	0.32
अन्य व्यय	31	**4,844.04**	3,893.02
कुल व्यय		**6,620.91**	**8,170.62**
असाधारण वस्तुओं और निरंतर परिचालनों से कर पूर्व लाभ / (हानि)		**1,894.15**	**1,747.34**
असाधारण वस्तुओं	32	-	-
निरंतर परिचालनों से कर पूर्व लाभ / (हानि)		**1,894.15**	**1,747.34**
(1) चालू कर		**275.00**	320.00
(2) स्थगित कर		**8.83**	(35.07)
(3) पिछली अवधियोसे संबंधित कर का समायोजन		-	(980.00)
		283.83	**(695.07)**
निरंतर परिचालनों से कर पूर्व लाभ / (हानि)		**1,610.32**	**2,442.41**
बंद हुए परिचालन		-	-
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**1,610.32**	**2,442.41**

यथा 31 मार्च को 2025 समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि विवरणियाँ

(रु. लाखों में)

विवरण	टिप्पणीयां	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
अनुवर्ती में लाभ या हानी के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं करने वाली अन्य व्यापक आय			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ / (हानि)		**5.93**	34.06
कर आय / (व्यय)		**1.49**	(8.58)
बाद की आवधि में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीण करने वाली नेट अन्य व्यापक आय		**4.44**	**42.64**
वर्ष के लिए कुल प्रचलि आय, कर रहित		**1,614.76**	**2,485.05**
निरंतरि परिचालनों के लिए प्रति शेयर आय	39		
i) जारी कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ		**0.45**	0.69
ii) जारी कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय कम किया गया लाभ		**0.45**	0.69
बंद किए गए परिचालनों के लिए प्रति शेयर आय			
i) बंद किया गया कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ		**-**	-
ii) बंद किया गया कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय कम किया गया लाभ		**-**	-
निरंतर और बंद किए गएकार्यों से प्रति शेयर आय			
i) वर्ष के लिए इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ		**0.45**	0.69
ii) वर्ष के लिए इक्विटी धारकों को देय कम किया गया (या तनुभूत) लाभ		**0.45**	0.69

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टोप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

हमारे सम दिनांक के रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी आर एस एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ़आर्एन : 000863S

(गोपालकृष्ण हेगडे)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 208063

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : जुलाई 23, 2025

कृते एवं एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन 10333951

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन 10663362

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

यथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडलॉन नकदी प्रवाह विवरणियां

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
परिचालन कार्यकलाप		
जारी कार्यकलापों से कर से पहले का लाभ / (हानि)	**1,894.15**	1,747.34
कर-पूर्व लाभ	**1,894.15**	**1,747.34**
शुद्ध नकदी प्रवाह के लिए करपूर्व लाभ को समेकल के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवमूल्यन:	**117.99**	181.58
निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास	**27.48**	28.96
ब्याज आय	**(3,520.60)**	(2,781.26)
वित्त लागत	**79.47**	0.32
कार्यशील पूंजी समायोजन:		
प्रावधानों, ग्रैच्युइटी और सरकारी अनुदानों में संचलन	**(385.48)**	(37.64)
व्यापार और अन्य प्राप्य और पूर्व-भुगतानों में वृद्धि	**(1,351.77)**	206.08
माल सूची में (वृद्धि) / कमी	**(72.94)**	(195.57)
व्यापार और अन्य देनदारियों में वृद्धि	**(64.12)**	(961.79)
	(3,275.82)	(1,811.98)
आयकर (भुगतान) / प्रतिलोमित किया गया	**(270.90)**	217.20
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(3,546.72)**	**(1,594.78)**
निवेश कार्यकलाप		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त राशि	**-**	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	**(0.75)**	(63.59)
बैंकों में जमा	**1,860.69**	(6,586.87)
प्राप्त ब्याज	**1,308.69**	1,215.05
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले शुद्ध नकद प्रवाह	**3,168.63**	**(5,435.41)**
वित्तपोषण कार्यकलाप		
ब्याज भुगतान	**(76.42)**	(0.32)
उधार से प्राप्त राशि	**57.81**	**-**
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल हुए / (उपयोग हुआ) शुद्ध नकद प्रवाह	**(18.61)**	**(0.32)**

यथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडलोन नकदी प्रवाह विवरणियां

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
नकद और नकद तुल्यांक में शुद्ध वृद्धि	**(396.70)**	(7,030.51)
शुद्ध विदेशी विनिमय अंतर		
नकद और नकद तुल्यांक का प्रारंभिक शेष (नोट 8 देखें)	**607.53**	7,638.04
नकद और नकद तुल्यांक का अंतिम शेष (नोट 8 देखें)	**210.83**	**607.53**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टोप्पणियां जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है		

नोट:

1) उपरोक्त विवरण पद्धति के रूप में तैयार किया गया है जैसा कि इंड एएस 7 में निर्धारित किया गया है।

2) बैंक जमा, जो वर्ष के दौरान ₹10306.05 लाख जमा किए गए और ₹12166.74 लाख परिपक्व हुए। (नोट 57 देखें)

3) पिछले वर्ष के राशियों को, जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारे सम दिनांक के रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी आर एस एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ़आर्एन : 000863S

(गोपालकृष्ण हेगडे)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 208063

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : जुलाई 23, 2025

कृते एवं एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन 10663362

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

इक्विटी शेयर विवरण में परिवर्तन

A. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2025 को

(रु. लाखों में)

1 अप्रैल 2024 को शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2025 को शेष राशि
35560.16	-	**35,560.16**

31 मार्च 2024 को

(रु. लाखों में)

1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 को शेष राशि
35,560.16	-	35,560.16

B अन्य इक्विटी

31 मार्च 2025 को

(रु. लाखों में)

	आरक्षितियाँ और अधिशेष		अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
	सामान्य आरक्षिति	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल 2024 को शेष राशि	13,453.11	(1,437.14)	(1,698.18)	10,317.79
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	1,610.32	4.44	1,614.76
1 अप्रैल 2025 को शेष राशि	**13,453.11**	**173.18**	**(1,693.74)**	**11,932.55**

31 मार्च 2024 को

(रु. लाखों में)

	आरक्षितियाँ और अधिशेष		अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
	सामान्य आरक्षिति	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	13,453.11	(3,879.55)	(1,740.82)	7,832.74
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	2,442.41	42.64	2,485.05
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**13,453.11**	**(1,437.14)**	**(1,698.18)**	**10,317.79**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

हमारे सम दिनांक के रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी आर एस एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ़्आर्एन : 000863S

(गोपालकृष्ण हेगडे)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 208063

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : जुलाई 23, 2025

कृते एवं एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन 10333951

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन 10663362

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अंग के रूप में टिप्पणिया

3A. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाखों में)

	भूमि और भूमि विकास	भवन	संयंत्र और मशीनरी	फर्नीचर, फिक्सचर और कार्यालय उपकरण	विशेष उपकरण	परिवहन वाहन	भूमि-पट्टे	कुल
सकल वहन मूल्य								
1 अप्रैल 2023 को	**158.19**	**891.41**	**10,810.70**	**467.59**	**623.99**	**63.55**	**17.09**	**13,032.52**
जोड़िए	-	48.26	13.98	1.35	-		-	63.59
निवेश संपत्ति को हस्तांतरण (नोट 3ख (iii) ग देखें)	(158.19)	(596.68)						(754.87)
निपटान			0.34	(0.34)	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को	-	**342.99**	**10,825.02**	**468.60**	**623.99**	**63.55**	**17.09**	**12,341.24**
जोड़ / समायोजन	-	-	-	0.75	-		-	0.75
निपटान	-	-	(86.93)	-	-	-	-	(86.93)
31 मार्च 2025 को	-	**342.99**	**10,738.09**	**469.35**	**623.99**	**63.55**	**17.09**	**12,255.06**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल 2023 को	-	**431.15**	**10,550.87**	**459.27**	**620.91**	**63.55**	**10.48**	**12,136.23**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	89.44	99.75	2.30	-	-	0.12	191.61
वर्ष 2023-24 के लिए हस्तांतरित निवेश संपत्ति से संबंधित मूल्यह्रास ((नोट 3ख (iii) ग देखें)		(10.03)						(10.03)
निपटान / समायोजन			1.06	(1.06)				-
निवेश संपत्ति में स्थानांतरण पर 1.4.2023 तक का संचित मूल्यह्रास ((नोट 3ख (iii) ग देखें))	-	(284.68)			-	-	-	(284.68)
31 मार्च 2024 को	-	**225.88**	**10,651.68**	**460.51**	**620.91**	**63.55**	**10.60**	**12,033.13**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	71.21	44.02	2.63	-	-	0.13	117.99
निपटानड़ / समायोजन	-		(86.93)	-	-	-	-	(86.93)
31 मार्च 2025 को	-	**297.09**	**10,608.77**	**463.14**	**620.91**	**63.55**	**10.73**	**12,064.19**
शुद्ध वहन मूल्य								
31 मार्च 2025 को	-	**45.90**	**129.32**	**6.21**	**3.08**	-	**6.36**	**190.87**
31 मार्च 2024 को	-	117.11	173.34	8.09	3.08	-	6.49	308.11

शुद्ध वहन मूल्य	**31-03-25**	**31-03-24**
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	**190.87**	308.11

अतिरिक्त जानकारी:

(a) इंड एएस-36 के अनुसार परिसंपत्तियों की हानि के कारण लेखांकित नुकसान की मात्रा - शून्य. कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान सभी पीपीई परिसंपत्तियों के लिए हानि मूल्यांकन किया। इस कारण से, वर्ष भर कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

भूमि:

(b) औरंगाबाद में 29.84 एकड़ पट्टे की भूमि कंपनी के कब्ज़े में है, जिसमें से 4.94 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। इसके अलावा, अतिक्रमण की गई भूमि को बहाली के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

(c) अस्थायी रूप से निष्क्रिय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वहन मूल्य: - शून्य

(d) पूरी तरह से ह्रासित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सकल वहन मूल्य, जो अभी भी उपयोग में है, ₹11,169.58 लाख है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंग के रूप में टिप्पणियां

(रु. लाखों में)

	भूमि और भूमि विकास	भवन	कुल
3B.निवेश संपत्ति			
सकल वहन मूल्य			
1 अप्रैल 2023 को	**10.75**	**1,444.97**	**1,455.72**
जोडिए			-
पीपीई से हस्तांतरण (नीचे नोट (iii) (ग) देखें)	158.19	596.68	754.87
31 मार्च 2024 को	**168.94**	**2,041.65**	**2,210.59**
जोडिए	-	-	-
निपटाऩ / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2025 को	**168.94**	**2,041.65**	**2,210.59**
ह्रास और हानि			
1 अप्रैल 2023 को	**-**	**1,295.59**	**1,295.59**
मूल्यह्रास	-	28.96	28.96
पीपीई (PPE) से हस्तांतरित ह्रास/मूल्यह्रास (वर्ष 2023-24 के लिए) (नीचे दिए गए नोट (iii) (ग) का संदर्भ लें)		10.03	10.03
पीपीई से हस्तांतरण (1.4.2023 तक का संचित मूल्यह्रास) (नीचे नोट (iii) (ग) देखें)		284.68	284.68
निपटाऩ / समायोजन		-	-
31 मार्च 2024 को	-	**1,609.23**	**1,609.23**
मूल्यह्रास		27.48	27.48
निपटाऩ / समायोजन		-	-
31 मार्च 2025 को	**-**	**1,636.71**	**1,636.71**
शुद्ध वहन मूल्य			
31 मार्च 2025 को	**168.94**	**404.94**	**573.88**
31 मार्च 2024 को	168.94	432.42	601.36

अतिरिक्त जानकारी:

i) कंपनी के कुछ भूमि और भवन को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है जिस संपत्ति पर मालिक का कब्ज़ा नहीं है।

ii) कंपनी ने स्वतंत्र मूल्यांकनदाता से निवेश संपत्ति का कोई उचित मूल्यांकन नहीं प्राप्त किया है। हालांकि, निर्देश मूल्य के आधार पर मार्च 31, 2025 में निवेशन के संपत्ति का उचित मूल्य रु. 4,52,094.25 लाख है (पिछले वर्ष रु. 4,49,281.05 लाख)

iii) **भूमि:**

(क) संबंधित राज्य सरकारो द्वारा पिंजौर, कलमस्सेरी और हैदराबाद में दी गयी भूमी कंपनी के कब्ज़े में है, 382.54 एकडें, 27 एकडें और 660.75 एकडें क्रमशः, नाममात्र रु 1/- प्रत्येक मूल्य दर और कंपनी के पास 2.89 एकडें ज़मीन पर बेंगलुरू मे कब्ज़ा हैं ।

(ख) हैदराबाद भूमि के संबंध में, 28.40 एकड़ क्षेत्र को विभिन्न सरकारी विभागों को पट्टे पर दिया गया था। हस्तांतरण के पंजीकरण लंबित होने के कारण, कंपनी ने एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ एक विनिमय समझौते के तहत 14.20 एकड़ भूमि के बदले में 14.20 एकड़ भूमि को जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 1,000 वर्ग गज भूमि को पट्टे पर दिया है, जिसके लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, और हैदराबाद में तेलंगाना (जिसे पहले आंध्र प्रदेश कहा जाता था) डाक विभाग को दो एकड़ अतिरिक्त भूमि जारी करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका विक्रय विलेख निष्पादित होना लंबित है। कंपनी ने तेलंगाना सरकार (जिसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार कहा जाता था) द्वारा 106 एकड़ और 35 गुंठा भूमि पर पुनः कब्ज़ा करने के खिलाफ माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है। कंपनी के स्वामित्व वाली हैदराबाद की 300 एकड़ भूमि को तेलंगाना सरकार (जिसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार कहा जाता था) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के भुगतान और शेष भूमि के लिए विपणन योग्य स्वामित्व जारी करने के बदले में सौंपने के प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल कुछ 'भूमि और भवन' को निवेश संपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है, जिसका शुद्ध ब्लॉक मूल्य 31 मार्च, 2024 को रु. 450.13 था। यह पुनर्वर्गीकरण अइएनडी ऐएस के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्ति की प्रकृति और उपयोग की समीक्षा के बाद किया गया है। इस पुनर्वर्गीकरण के प्रभाव को समाहित करने के लिए, 31 मार्च, 2024 की तुलनात्मक संख्याओं को संशोधित किया गया है। पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव इस प्रकार है:

(रु. लाखों में)

विवरण	पूर्व प्रस्तुति के अनुसार	समायोजन	पुनर्कथन के अनुसार
क) पीपीई - सकल ब्लॉक	13,096.11	(754.87)	12,341.24
ख) पीपीई - मूल्यह्रास	12,327.84	(294.71)	12,033.13
ग) पीपीई - शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	768.27	(460.16)	308.11
क) निवेश संपत्ति - मूल्यह्रास	1,455.72	754.87	2,210.59
ख) निवेश संपत्ति - सकल ब्लॉक	1,314.52	294.71	1,609.23
ग) निवेश संपत्ति - शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	141.20	460.16	601.36

अतिरिक्त जानकारी:

निवेश संपत्ति की आय और व्यय का विवरण

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-24
निवेश संपत्तियों से व्युत्पन्न किराया राशि	**1,126.29**	1,023.72
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) किराये कि आय का उत्पादन	**(368.59)**	(419.04)
किराये की आय अर्जित नहीं करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	**(2.59)**	(2.54)
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्ययों से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ/(हानि)	**755.11**	602.14
कम – मूल्यहास	**22.05**	22.80
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	**733.06**	**579.34**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

3C. बिक्री के लिए आयोजित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ-

(रु. लाखों में)

	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
संपत्ति की प्रकृति		
भूमि	**24.13**	24.13
भवन	**272.02**	272.02
कुल	**296.15**	**296.15**

अतिरिक्त जानकारी:

(क)बेंगलुरु में 5.80 एकड़ की भूमि, जिसे 'बिक्री के लिए आयोजित परिसंपत्ति' के तहत वर्गीकृत किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के समक्ष विचाराधीन है। कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उक्त भूमि के संबंध में एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय से उचित निर्देश माँगे गए हैं। उपरोक्त भूमि से संबंधित आगे की कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अंतिम परिणाम के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(ख)भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड (बंद होने के तहत) की अचल संपत्तियाँ को वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 296.06 लाख के बही मूल्य पर एचएमटी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। अचल संपत्तियों के हस्तांतरण का अधिकार सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, और एचएमटी लिमिटेड इन संपत्तियों के निपटान होने तक उनका संरक्षक रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लागू व्यय और करों की कटौती के बाद बिक्री की आय भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी जाए।

(ग) कंपनी के पास बेंगलूरू में 89.74 ऐकड की उपहार मे मिला भूमि है, जिस्मे से 7.0 एकड भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है और अनधिकृत कब्ज़धारियों कोस्थानंतरित के लिए ये मामल कर्नाटक सर्कार का समक्ष उठाया गया है।

(घ) कंपनी ने 45.622 एकड भूमि कब्ज़े कि अनुमति दी है और 7202.10 लाख रुपयें कि पूरी बिक्री पर विचार किया है और पंजीकरण के लिए लंबित है (नोट संख्या 34 (ii) (2) को देखे)।

(ङ) उपयुक्त भूमि से प्राप्त बिक्री आय को लागू कर लगाने के बाद भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाना है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
4. वित्तीय परिसंपत्तियां		
इक्विटी प्रपत्रों में निवेश		
अन्य व्यापक आय के माध्यं से उचित मूल्य पर निवेश (एफवीटीओसीआइ)		
अनउद्धृत इक्विटी शेयर (पूर्ण चुक्ता)		
30,00,000 (पिछले वर्ष: 30,00,000) नाईजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड मे नायरा प्रत्येक रूप में पूर्ण चुक्ता - शेयरधारिता का 15% (नोट संख्या 51 देखें)	-	-
कुल। एफवीटीओसीआइ निवेश	-	-
सहायक कंपनियों, समबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी उपकरणों में लागत पर		
संयुक्त उद्यमों के निवेश		
1,50,000 (पिछले वर्ष: 1,50,000) सूडमो एच एम टी इंजिनीयर्स (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूरु में 1 रुपए मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुक्ता इक्विटी शेयर शेयरधारिता का 50% (नॉट संख्या 49 देखें)	**15.00**	15.00
समबद्ध कंपनियों मे निवेश		
20,84,050 (पिछले वर्ष: 20,84,050) सुडमो एच एम टी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, भावनगर मे 20,84,050 1 रुपए मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुक्ता इक्विटी शेयर - शेयरधारिता का 39.86% (नॉट संख्या 50 देखें)	-	-
सहायक कंपनियों में निवेश		
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरु मे 10 रू मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुक्ता 7,20,000० (पिछले वर्ष: 7,20,000) इक्विटि शेयर 6,90,000 (पिछले वर्ष: 6,90,000) बोनस शेयर सहित - शेयरधारिता का 100%	**3.00**	3.00
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरु मे 10 रू मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुक्ता 27,65,99,137 (पिछले वर्ष: 27,65,99,137) इक्विटि शेयर - शेयरधारिता का 100% (नीचे नॉट देखें)	**27,659.91**	27,659.91
एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, बेंगलूरु मे 10 रू मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुक्ता 64,90,100 (पिछले वर्ष: 64,90,100) इक्विटि शेयर - शेयरधारिता का 100%	**649.01**	649.01
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी प्रपत्रों में कुल निवेश	**28,326.92**	**28,326.92**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
वरियता शेयरों में निवेश		
सहायक कंपनियों में निवेश		
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलूरु (सहायक कंपनी) मे 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 4,43,00,000 (पिछले वर्ष: 4,43,00,000) 3.5% प्रतिदेय वरियता शेयर. (नीचे नॊट देखें)	**44,300.00**	44,300.00
वरियता शेयरों में कुल निवेश	**44,300.00**	**44,300.00**
कुल	**72,626.92**	**72,626.92**
घटाएँ: सहायक कंपनियों मे निवेश के लिए भत्ता		
एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, बेंगलूरु	**649.01**	649.01
	649.01	**649.01**
कुल निवेश	**71,977.91**	**71,977.91**
चालू	**-**	**-**
गैर-चालू	**71,977.91**	71,977.91
उद्धृत निवेशों की कुल राशि	**-**	-
अनउद्धृत निवेशों की कुल राशि	**72,626.92**	72,626.92
निवेशों के मूल्य में हुई हानि की कुल राशि	**649.01**	649.01

अतिरिक्त जानकारी:

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) द्वारा आदेश संख्या (501/2006) दिनांक 13.06.2008 के माध्यम से अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसरण में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बकाया ऋणों को इक्विटी और वरीयता शेयरों में बदलने और ऐसे शेयरों पर स्टाम्प शुल्क की छूट का प्रावधान था। इसके रिणामस्वरूप, कंपनी ने रु 26,08,99,037 इक्विटी शेयरों और रु 4,43,00,000 (3.5%) वरीयता शेयरों के संबंध में शेयर प्रमाणपत्र जारी करने पर कर्नाटक सरकार से स्टाम्प शुल्क में छूट की मांग की थी। हालांकि, स्टाम्प शुल्क में 100% छूट को स्वीकार करने की कोई मंजूरी कर्नाटक सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। जबकि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने वरीयता शेयर पूंजी में वृद्धि पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान विरोध के साथ कर दिया है, लेकिन शेयर प्रमाणपत्रों के वास्तविक निर्गम पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान अभी भी बकाया है। इसलिए, इसके अनुसरण में, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने आज की तारीख तक एचएमटी लिमिटेड को शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए हैं।

5. अस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)		
अस्थगित कर संपत्ति	**66.49**	73.69
घटाएँ: अस्थगित कर संपत्ति (नोट 44 देखें)	**28.88**	25.76
	37.61	**47.93**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
6. माल-सूचियाँ		
कच्चा माल और घटक	**485.28**	555.20
कार्य प्रगति पर	**271.83**	326.88
तैयार माल	**690.22**	486.39
व्यापारिक भंडार	**25.17**	25.46
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	**22.14**	24.64
उपकरण और औजार	**27.08**	30.21
कबाड़ (रद्दी सामान)	**0.69**	0.69
	1,522.41	1,449.47
घटाएँ : अचल माल सूची के लिए प्रावधान	**273.35**	274.57
	1,249.06	**1,174.90**
7. व्यापार प्राप्य		
प्रतिभूत, अच्छा समझ गया	-	-
अप्रतिभूत, अच्छा समझ गया	**1,283.82**	1,517.35
अप्रतिभूत, अच्छा नही समझ गया *	**7,262.04**	7,610.77
	8,545.86	9,128.12
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		
अप्रतिभूत, अच्छा नही समझ गया *	**7,262.04**	7,610.77
	1,283.82	**1,517.35**

कम्पनी के निदेशकों अथवा अन्य अिधकारियों से पृथक पृथक अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार अथवा अन्य प्राप्य नहीं है तथा न किन्ही ऐसी फर्मों अथवा निजी कम्पनियों से क्रमशः कोई व्यापार अथवा अन्य प्राप्य हैं जिनमे निदेशक साझेदार, निदेशक अथवा सदस्य हैं।

*** संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते के विरुद्ध अपलिखित करें (नोट 57 देखिए)**

विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
असुरक्षित संदिग्ध माना गया - प्रारंभिक शेष	**7,610.77**	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	24.28	
घटाएँ: प्रावधान के विरुद्ध अपलिखित राशि	373.01	
असुरक्षित संदिग्ध माना गया - अंतिम शेष	**7,262.04**	
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - प्रारंभिक शेष	**(7,610.77)**	
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	24.28	
जोड: प्रावधान के विरुद्ध अपलिखित राशि	373.01	
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - अंतिम शेष	**(7,262.04)**	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

7क व्यापार प्राप्तियों का आयुवार विवरण

पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत के अनुसार स्थिति

(रु. लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 माह से कम	6 माह - 1वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अप्रतिभूत - अच्छा समझ गया	249.94	862.49	137.59	27.40	6.40	**1,283.82**
अप्रतिभूत - संदिग्ध माना गया					117.96	**117.96**
प्रतिभूत - अच्छा समझ गया	-	-	-	-	-	**-**
प्रतिभूत - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	7,144.08	**7,144.08**
	249.94	**862.49**	**37.59**	**27.40**	**7,268.44**	**8,545.86**

पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत के अनुसार स्थिति

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 माह से कम	6 माह - 1वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अप्रतिभूत - अच्छा समझ गया	738.88	670.66	74.86	17.68	15.27	**1,517.35**
अप्रतिभूत - संदिग्ध माना गया					93.69	**93.69**
प्रतिभूत - अच्छा समझ गया	-	-	-	-	-	**-**
प्रतिभूत - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	7,517.08	**7,517.08**
	738.88	**670.66**	**74.86**	**17.68**	**7,626.04**	**9,128.12**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
8. राशि और राशि तुल्य		
चालू	**210.11**	605.76
नकदी और चेक उपलब्ध	**0.72**	1.77
	210.83	**607.53**
9. नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष:		
एस्क्रो खाते (एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड के अल्पसंख्यक शेयरधारकों को भुगतान के लिए)	**6.74**	9.80
तीन माह से आर्धिक किंतु बारह माह से कम परिपक्वता वाली जमाराशि	**13,662.34**	15,693.95
शेष परिपक्वता अवधि बारह महीने से कम वाली जमाराशि	**1,185.69**	1,113.98
	14,854.77	**16,817.73**
10. व्यय		
असुरक्षित - अच्छा माना गया		
शायक कंपनियों को ऋण		
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	**34,668.41**	30,582.41
कुल	**34,668.41**	**30,582.41**
11. अन्य वित्तीय संपत्तियां		
गैर-चालू		
प्रतिभूत, अच्छा समझ गया		
बारह से अधिक माह की परिपक्वता वाले बैंकों में जमा	**223.02**	120.75
बैंक जमा पर अर्जित और देय ब्याज	**17.96**	6.95
	240.98	**127.70**
चालू		
प्रतिभूत - अच्छा समझ गया		
बैंक जमा पर अर्जित और देय ब्याज	**360.21**	381.58
असुरक्षित - अच्छा माना गया		
सहायक कम्पिनयों को दिए गए ऋण पर उपार्जित एवं देय ब्याज	**5,271.85**	5,321.85
	5,632.06	**5,703.43**
12. चालू कर संपत्तियां / (देयता) (शुद्ध)		
अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्य	**955.48**	652.78
घटाएं: चालू कर प्रावधान	**389.08**	69.08
	566.40	**583.70**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
13. अन्य चालू संपत्तियां		
गैर-चालू		
असुरक्षित - अच्छा माना गया		
सरकारी प्राधिकारियों और अन्य के पास सुरक्षा जमा	**75.15**	71.74
	75.15	**71.74**
चालू		
अग्रिम और अन्य प्राप्त		
नकदी अथवा वस्तु में वसूली योग्य अग्रिम		
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	**1,386.02**	1,288.02
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	**258.39**	311.51
अग्रिम #	**818.59**	777.58
जमा	**225.94**	178.86
	2,688.94	2,555.97
अप्रतिभूत - संदिग्ध समझा गया		
अग्रिम *	**346.19**	362.27
व्यापार प्राप्य पर ब्याज	**8,217.64**	8,217.64
	8,563.83	**8,579.91**
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता *	**346.19**	362.27
व्यापार प्राप्य पर ब्याज के लिए भत्ता	**8,217.64**	8,217.64
	8,563.83	**8,579.91**
	-	**-**

अतिरिक्त जानकारी:

 # शामिल

(a) पिंजौर, हरियाणा में स्थित 446.02 एकड़ भूमि का अंतरण एचएसआईआईडीसी (412.69 एकड़) तथा भारतीय रेल (33.33 एकड को वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया है तथा 31.3. 2025 की स्थिति के अनुसार एचएसआईआईडीसी से रु. 4.99/- लाख (पिछले वर्ष् रु. 4.99/-लाख) प्राप्त के लिऐ शेष हैं।.

(b) संयुक्त कंपनियों को रु. 3.23 लाख अग्रिम रु. 3.40 लाख पिछले वर्ष)

*** संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते के विरुद्ध अपलिखित करें (नोट 57 पडे)**

विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
संदिग्ध माने गए अग्रिम - प्रारंभिक शेष	**362.27**	
जोड: इस वर्ष किए गए प्रावधान	3.90	
घटाएं : प्रावधान के विरुद्ध अपलिखित करें	19.98	
संदिग्ध माने गए अग्रिम - अंतिम शेष	**346.19**	
संदिग्ध माने गए अग्रिम - प्रारंभिक शेष	**(362.27)**	
जोड: इस वर्ष किए गए प्रावधान	3.90	
घटाएं : प्रावधान के विरुद्ध अपलिखित करें	19.98	
संदिग्ध माने गए अग्रिम - अंतिम शेष	**(346.19)**	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को		31-मार्च-2024 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
14 इक्विटि शेयर पूंजी				
अधिकृत शेयर पूंजी				
10 रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटि शेयर	**1,23,00,00,000**	**123,000.00**	1,23,00,00,000	123,000.00
	1,23,00,00,000	**123,000.00**	1,230,000,000	123,000.00
जारी, अंशद एवं चुकता:				
10 रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटि शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में	**35,56,01,640**	**35,560.16**	35,56,01,640	35,560.16
वर्ष के दौरान जारी	**-**	**-**	-	-
वर्ष के दौरान कमी	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में	**35,56,01,640**	**35,560.16**	35,56,01,640	35,560.16

अतिरिक्त जानकारी:

1 इक्विटि शेयर:

कंपनी के पास इक्विटि शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट देने का पात्र है। कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा एवं भुगतान भारतीय रुपए में किया जाता है।

कम्पनी का ऋणशोधन होने की स्थित में इक्विटि शेयरों के धारक, सभी वरीयता राशियों के वितरण के पश्चात, कम्पनी की शेष परिसम्पितयों की प्राप्ति के पात्र होंगे। शेयरधारकों द्वारा धारित इक्वटी शेयरों की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा।

2 **कम्पनी के शेयरों का 5% से भी अधिक धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण**

शेयरधारकं का नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
इक्विटि शेयर :				
भारत के माननीय राष्ट्रपति	**27,95,66,626**	**78.62%**	27,95,66,626	78.62%
विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि	**6,75,38,614**	**18.99%**	6,75,38,614	18.99%

3 **वर्ष के अंत प्रोमोटरों द्वारा धारित शेयर**

प्रोमोटर का नाम	वर्ष की शुरुवात में शेयरों की संख्या	वर्ष की अंत में शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
भारत के माननीय राष्ट्रपति	**27,95,66,626**	27,95,66,626	**78.62%**	-

4 **पिछले 5 वर्षो के दौरान शेयर जारी करने के संबंध में जानकारी**

- कंपनी ने नगद में भुगतान प्राप्त किए बिना कोई भी शेयर जारी नहीं किए हैं।
- कंपनी ने कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं।
- कंपनी ने शेयरों की पुनर्खरीद (बाय-बैक) नहीं की है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
15 अन्य इक्विटी:		
i) सामान्य रिज़र्व	**13,453.11**	13,453.11
ii) प्रतिधारित आय	**173.18**	(1,437.14)
iii) अन्य व्यापक आय (ओसिआई)	**(1,693.74)**	(1,698.18)
कुल	**11,932.55**	**10,317.79**

आरक्षितियों की प्रकृति और उद्देश्य:

(a) **सामान्य आरक्षित :** यह कंपनी द्वारा भविष्य की (ज्ञात/अज्ञात) देनदारियों को पूरा करने के लिए बनाए गए मुनाफे का संचय है।

(b) **प्रतिधारित आय :** वह लाभ है जो कंपनी ने अब तक कमाया है, जिसमें से सामान्य आरक्षित में हस्तांतरण और शेयरधारकों को किए गए अन्य वितरण को घटा दिया गया है।

(c) **अन्य व्यापक आय:** यह कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन में हुए बदलावों को दर्शाता है।

16. ऋण		
चालू	-	-
प्रतिभूति		
बैंक से सावधि ऋण (नीचे फुटनोट 1 देखें)	**57.81**	-
अप्रतिभूति ऋण		
भारत सरकार से ऋण (डिफ़ॉल्ट) (नीचे फ़ुट नोट 2 देखें) भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण (डिफ़ॉल्ट) (नीचे फ़ुट नोट 3 देखें)	**64,158.00**	64,158.00
	13.74	13.74
कुल वर्तमान ऋण	**64,171.74**	**64,171.74**
कुल प्रतिभूति ऋण	**57.81**	-
कुल अप्रतिभूति ऋण	**64,171.74**	64,171.74

टिप्पणि:

1. सुरक्षित ऋण

उधार लेने का प्रकार	ऋणदाता का नाम	प्रतिभूति की प्रकृति	पुनर्भुगतान की शर्तें	पुनर्भुगतान में चूक
एफडी पर ऋण	केनरा बैंक	एफडी रु.120.00 लाख	माँग पर, ब्याज दर 7.75% प्रति वर्ष	शून्य

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

2. असुरक्षित ऋणों: चूक की अवधि और राशि निम्नलिखित है:

उधार लेने की प्रकृति [ब्याज मुक्त]	ऋणदाता का नाम	किस्त की राशि और चूक की अविध (रु. लाख में)	दिनोंकी संख्या विलंब या अवैतिनक
i) भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण दिनांक 21/01/2017 रु. 30368 लाख	भारत सरकार	a) 21.01.2018 से रु. 6,073.60 लाख रुपए देय। b) 21.01.2019 से रु. 6,073.60 लाख रुपए देय। c) 21.01.2020 से रु. 6,073.60 लाख रुपए देय। d) 21.01.2021 से रु. 6,073.60 लाख रुपए देय। e) 21.01.2022 से रु. 6,073.60 लाख रुपए देय।	2625 2260 1895 1529 1164
ii) भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण दिनांक 16.02.2017 रु. 24000 लाख	भारत सरकार	a) 16.02.2018 से रु. 4,800 लाख रुपए देय। b) 16.02.2019. से रु. 4,800 लाख रुपए देय। c) 16.02.2020 से रु.4,800 लाख रुपए देय। d) 16.02.2021 से रु. 4,800 लाख रुपए देय। e) 16.02.2022 से रु. 4,800 लाख रुपए देय।	2599 2234 1869 1503 1138
iii) भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण दिनांक 29.04.2017 रु. 9790 लाख	भारत सरकार	a) 29.04.2018 से रु. 1,958 लाख रुपए देय। b) 29.04.2019 से रु. 1,958 लाख रुपए देय। c) 29.04.2020 से रु. 1,958 लाख रुपए देय। d) 29.04.2021 से रु. 1,958 लाख रुपए देय। e) 29.04.2022 स रु. 1,958लाख रुपए देय।	2527 2162 1796 1431 1066

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी को आईआईएम, बेंगलूरू को कम्पनी के समेकन एवं पुनर्संरचना के संबंध में वित्तीय एवं रणनीतिक समीक्षा हेतु परामर्शी प्रभार के रूप में चुकता किए गए 13.74 लाख रुपए की प्राप्ति धनवापसी के रूप में हुई है। कम्पनी द्वारा भारीउद्योग विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है कि क्या यह राशि अनुदान है अथवा ऋण है। प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर इसे वर्ष् में आय अथवा ऋण के रूप में इसका उपचार भारी उद्योग विभाग से पुष्टि प्राप्त होने के वर्ष में किया जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
17. गैर-चालू वित्तीय देयता	**-**	**-**
18. कमर्चारी लाभ के लिए प्रावधान		
गैर-चालू		
ग्रेच्युटी	**31.62**	21.55
अर्जित अवकाश नकदीकरण	**135.02**	134.10
सैटलमेंट भत्ता	**29.90**	33.81
भविष्य निधि	**37.29**	41.89
	233.83	**231.35**
चालू		
अर्जित अवकाश नकदीकरण	**27.95**	52.68
सैटलमेंट भत्ता	**2.42**	8.78
वेतन एवं वेतन संशोधन बकाया (1992-1995)	**54.88**	54.88
	85.25	**116.34**
19. व्यापार देय		
एमएसएमई को कुल बकाया देय राशियाँ	**113.23**	150.90
एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशियाँ	**1,887.02**	2,444.40
कुल	**2,000.25**	**2,595.30**

19क एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसार अनिवार्य प्रकटन

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अप्राप्त / बकाया मूल राशि और उस पर देय ब्याज:		
- मूल राशि।	**113.23**	150.90
- ब्याज	**2.00**	2.00
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि।.	**-**	-
वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	**-**	-
भुगतान में देरी की अवधि का देय और भुगतान योग्य ब्याज (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद चुकाया गया है), एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत बताए गए ब्याज को जोड़े बिना।		
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित और अप्राप्त ब्याज की राशि।	**2.00**	2.00
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से, आगे के वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, जब तक कि ऊपर बताया गया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।		

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

19B आयु अनुसार जानकारी:

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में: (रु. लाखों में)

ववरिण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखत अविध के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	112.46	0.74	0.03	-	**113.23**
अन्य	611.31	417.32	8.27	850.12	**1,887.02**
विवादित बकाया - एमएसएमई					-
विवादित बकाया - अन्य					-
	723.77	**418.06**	**8.30**	**850.12**	**2,000.25**

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में: (रु. लाखों में)

ववरिण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखत अविध के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	150.00	0.59	-	0.31	**150.90**
अन्य	1,304.58	282.74	2.38	854.70	**2,444.40**
विवादित बकाया - एमएसएमई					-
विवादित बकाया - अन्य					-
	1,454.58	**283.33**	**2.38**	**855.01**	**2,595.30**

20. अन्य वित्तीय देयतायें

3.5% वरीयता शयेर पूंजी (डिफाल्टेड)	**3,686.00**	3,686.00
बैंक के टर्म लोन / सावधि ऋण पर जमा हुआ और बकाया ब्याज।	**3.05**	-
कुल	**3,689.05**	**3,686.00**

अतिरिक्त जानकारी:

1. 3.5% वरीयता शयेर पूंजी

प्रत्येक प्रतिदेय वरीयता शेयर का सममूल्य रु. 100/- प्रति शेयर है और यह 3 वर्ष के बाद प्रतिदेय है। वरीयता शेयरों पर प्रित वर्ष 3.5% का लाभांश मिलता है और सचित लाभांश का संचयी लाभांश इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो जाता है। लाभांश अिधकार संचयी हैं। परिसमापन की स्थिति में वरीयता शेयर इक्विटी शेयरों से आगे होते हैं।

जनवरी 2016 के दौरान सीसीईए अनुमोदन और डीएचआई के निर्देशों के अनुसार, 100/- रुपये प्रति (रुपये 44,300.00 लाख) के 4,43,00,000 में से 4,06,14,000 (रुपये 40,614.00 लाख) के 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयरों को कंपनी द्वारा सहायक कंपिनयों एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, एचएमटी चिनार वॉचेज लिमिटेड और एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड को दिए गए ऋण और अिग्रम को समाप्त कर दिया गया है।

शेष 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयरों के लिए 29 मार्च 2007 की मंजूरी संख्या एफ.नं.5.1(1)/2005.पी.ई.एक्स द्वारा कंपनी को स्वीकृत पुनरुद्धार योजना को बिकी आय से वरीयता शयेर पूंजी के मोचन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की अधिशेष संपत्तियों की पहचान की गई। चूकी पहचानी गई परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं हुई है जो कि मोचन के लिए पूर्व शर्त है शषे 3.5% प्रतिदेय वरीयता शयेर पूंजी का मोचन नहीं गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
21. अन्य देयताएं		
गैर-चालू		
भूमि की बिक्री से प्राप्त अग्रिम	**8,128.74**	8,128.74
[(संधर्भ टिप्पणी संख्या 3सी-अतिरिक्त जानकारी और टिप्पणी संख्या 34 (ii)]		
	8,128.74	8,128.74
चालू		
अग्रिम के रूप मे प्राप्त राजस्व	**66.48**	90.79
उपार्जित व्यय	**49.68**	43.68
अन्य देयताएँ (जमा बयाना राशि, वैधानिक बकाया, आदि)	**8,223.00**	7,673.76
कुल	**8,339.16**	**7,808.23**
22. चालू कर देयताएँ		
वर्तमान कर प्रावधान	**275.00**	320.00
घटाएँ: अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्य	**218.12**	249.92
कुल	**56.88**	**70.08**

23. प्रावधान - अन्य

विवरण	वारण्टी दावे	अप्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान	अन्य	कुल
1 अप्रैल 2024 को	**9.88**	**1.25**	**277.06**	**288.19**
वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाला	**3.23**	-	-	**3.23**
उपयोग की गई		-	-	-
अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई	-	.	-	-
31 मार्च 2025 को	**13.11**	**1.25**	**277.06**	**291.42**
चालू	13.11	1.25	277.06	291.42
	-			
1 अप्रैल 2023 को	7.04	1.25	277.06	**285.35**
वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाला	2.84	-	-	**2.84**
उपयोग की गई	-	-	-	-
अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई	-	.	-	-
31 मार्च 2024 को	**9.88**	**1.25**	**277.06**	**288.19**
चालू	9.88	1.25	277.06	288.19

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
24. संचालन से राजस्व उत्पादों की बिक्री		
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	**931.50**	764.34
घड़ियाँ	**1,475.04**	1,158.66
पुज और सहायक उपकरण	**103.90**	108.69
पाउडर परियोजना से राजस्व	**-**	2,679.58
	2,510.44	4,711.27
सेवाओ की बिक्री		
विविध नौकरियां और विविध बिक्री	**106.87**	79.97
	106.87	79.97
संचालन से राजस्व	**2,617.31**	**4,791.24**
25. अन्य आय		
ब्याज आय		
बैंक जमा पर ब्याज आय	**1,247.72**	1,206.97
सहायक कंपिनयों से एचसी ऋण पर प्राप्त ब्याज	**2,272.27**	1,544.11
डीलरों/अन्य से ब्याज	**0.61**	30.18
	3,520.60	2,781.26
अन्य आय		
स्टाफ/अन्य से वसूल	**370.71**	357.14
सहायक कंपिनयों से रॉयल्टी	**7.68**	8.82
किराए से आय	**1,845.76**	1,776.56
वापस लिखे गए प्रावधान	**5.99**	84.47
वसूली किए गए डूबे हुए ऋण	**66.81**	
अन्य गैर-परिचालन आय	**80.20**	118.47
	2,377.15	2,345.46
कुल अन्य आय	**5,897.75**	**5,126.72**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
26. उपभोग की गई सामग्री की लागत		
कच्चा माल और घटक		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**555.20**	467.45
जोड़ें: क्रय	**922.52**	3,480.16
	1,477.72	3,947.61
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**485.28**	555.20
कच्चे माल और उपभोग किए गए घटकों की लागत	**992.44**	3,392.41
स्टोर, स्पेयर, उपकरण और पैकिंग सामग्री की खपत	**35.93**	22.29
कुल उपभोग किया गया कच्चा माल और घटक	**1,028.37**	**3,414.70**
उपभोग की गई सामग्री का विवरण		
स्टील	**61.13**	107.44
लौह कास्टिंग	**24.42**	-
अलौह कास्टिंग	**-**	14.46
मानक भाग और घटक	**879.01**	2,531.12
अन्य	**27.88**	739.39
कुल	**992.44**	**3,392.41**
27. सूची में परिवर्तन		
तैयार माल		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**486.39**	430.28
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**690.22**	486.39
सूची में परिवर्तन	**(203.83)**	(56.11)
प्रगितरत कार्य		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**326.88**	279.69
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**271.83**	326.88
सूची में परिवर्तन	**55.05**	(47.19)
व्यापार का कुल माल		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**25.46**	25.93
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**25.17**	25.46
सूची में परिवर्तन	**0.29**	0.47
रद्दी		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**0.69**	0.69
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**0.69**	0.69
सूची में परिवर्तन	**-**	-
कुल	**(148.49)**	**(102.83)**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
28. कमर्चारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और बोनस	**545.77**	609.86
मकान किराया भत्ता	**25.93**	25.62
ग्रेच्युटी	**11.24**	18.53
पीएफ और एफपीएस में योगदान	**53.30**	61.25
डिपाज़िट लिंक्ड बीमा	**0.17**	0.17
कल्याण व्यय	**35.64**	39.44
	672.05	**754.87**
29. मूल्यह्रास और परिशोधन		
मूरत संपत्ती का मूल्यह्रास	**117.99**	181.58
निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास	**27.48**	28.96
	145.47	**210.54**
30. वित्त लागत		
ब्याज व्यय		
बैंक से सावधि ऋण	**78.25**	-
अन्य	**-**	0.01
अन्य उधार लागत		
छूट शुल्क	**1.22**	0.31
कुल वित्त लागत	**79.47**	**0.32**
31. अन्य व्यय		
विनिर्माण व्यय		
बिजली और इंधन	**31.50**	29.94
बिक्री एवं वितरण व्यय		
विज्ञापन और प्रचार	**6.56**	8.15
बाहरी ढुलाई	**11.11**	9.17
स्थापना व्यय		
किराया	**59.70**	27.28
दरें और कर	**204.54**	452.56
बीमा	**9.71**	11.16
पानी और बिजली	**377.91**	366.40
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	**13.01**	13.06
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	**2.27**	2.52
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	**28.18**	-
वारंटी दावे	**3.22**	2.84

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
पीएफ ट्रस्ट को हुआ नुकसान	**31.75**	10.11
अशाध्यऋण	**2,272.27**	1,549.57
यात्रा खर्च	**37.88**	26.96
मरम्मत और रखरखाव मशीनरी के अलावा	**353.26**	461.22
सुरक्षा शुल्क	**264.10**	227.58
आकिस्मक श्रम शुल्क	**417.41**	363.88
व्यावसायिक और कानूनी शुल्क	**80.96**	48.36
कार्पोरेट की सामाजिक ज़िम्मेदारी#	**47.15**	56.55
विनिमय में अंतर	**1.20**	-
अन्य व्यय	**647.95**	284.00
घटाएँ: सहायक कंपिनयों से सामान्य व्यय की वसूली	**(57.60)**	(58.29)
	4,844.04	**3,893.02**
* सहित		
लेखा परीक्षक के रूप में	**2.17**	2.07
कराधान संबंधी मामलों के लिए	**-**	0.20
अन्य सेवाओ के लिए	**-**	0.25
पिछले वर्ष की लेखा परीक्षक का शुल्क	**0.10**	-
	2.27	**2.52**

 # कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ, कंपनी को इसकी सीएसआर नीति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है

i) वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	**47.15**	56.55
ii) पिछले वर्ष की कमी की राशि	**28.62**	42.71
	75.77	**99.26**
iii) वर्ष के दौरान खर्च किए गई राशि		
- स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में परियोजना पर - की गई आपूर्ति		
> महिलाओ के लिए पुनः प्रयोज्य सेनेटरी नैपिकन, यादगीर जिला	-	0.75
> एलमिको, बेंगलूरु के माध्यम से दिव्यांगजनों / वरिष्ठ नागरिकों / विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम सहायता और सहायक उपकरण	-	20.70
> दिदव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम सहायता एवं सहायक उपकरण/एलमिको, चिक्कमगलुरु के माध्यम से विकलांग व्यक्ति	-	15.00

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
> संगीत वाद्ययंत्र, नेत्रहीन के लिए छड़ी आदि मेससर् ब्लेस को ग्रामीण एवं शहरी विकास सोसायटी एवं मेससर् स्वावलंबन अंगिवकला सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, बेंगलूरु	-	5.00
> बेंगलुरु के कर्नाटक पब्लिक स्कूल की छात्राओं को ब्लेज़र/जैकेट की आपूर्ति	**2.48**	-
> सरकारी वैद्य्कीय हॉस्पिटल, औरंगबाद के लिए एम्बुलेंस	**21.75**	-
> प्रशासनिक व्यय	-	0.44
> मासिक धर्म	**0.75**	
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरण	**5.43**	28.75
वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	**30.41**	**70.64**
iv) **सीएसआर रिज़र्व** (राशि सी/एफ यानी वर्ष के अंत में कमी प्रशासनिक व्यय सहित)	**45.36**	**28.62**

कमी के कारण: कंपनी ने कुछ सीएसआर गितिविधयों की पहचान की है स्वास्थ्य, पोषण,शिक्षा आदि के क्षेत्र में नीचे उल्लेखित:

क) जिला टीबी केंद्र, मांड्या को CBNAAT मशीन की आपूर्ति शासकीय

ख) श्री गुरुजी सेवा न्यास को इलेक्ट्रो थेरेपी, लेजर और अल्ट्रासाउंड की आपूर्ति

ग) मांड्या चिकित्सा विज्ञान संस्थान को चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति

घ) ब्लेस सोसाइटी ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, बेंगलूरू को शैक्षणिक संबंधित सामग्री की आपूर्ति

32. असाधारण मदें	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

	विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
33	**आकिस्मक देयताएँ**		
	कंपनी के ऋण केरूप में अस्वीकृत दावे:		
	क. कानूनी मामले		
	क) अपील में लंबित कर संबंधी दावे		
	i) आय कर	**37.92**	37.92
	ख) तालाबंदी, बकाया वेतन, प्रोत्साहन और वार्षिक बोनस आिद से संबंधित कमर्चारी संबंधी दावे, सुनिश्चित सीमा तक न्यायिनणर्यन के लिए लंबित हैं	**52.64**	52.64
	ग) दोषपूर्ण उत्पाद, दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष को चोट लगने, सामग्री की अपूर्ति से संबंधित दावे आिद से संबंधित विभिन्न मामले	**4,135.52**	4,154.95
	घ) एचएमटी वॉचेस लिमिटेड से संबंधित कर्मचारियों और अन्य आकिस्मक देयताओं से संबंधित विभिन्न कानूनी मामले	**9,855.75**	9,896.80
	ङ) जीवन तारा बिल्डिंग में अप्रैल 2010 तक कंपनी के कब्जे वाले परिसर के संबंध में विवादित पट्टा किराया भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली का है।	**311.77**	311.77
	ख. कानूनी मामले के अलावा		
	च) जारी की गई गारंटी और काउंटर गारंटी और एलसी [(एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को जारी 12272 लाख रुपये की कॉरपोरेट गारंटी के विरुद्ध 8063.00 लाख रुपये और 8045.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष) सहित)]	**8,223.08**	8,127.61
	छ) स्रोत पर कर कटौती के कम और गैर प्रेषण के लिए ट्रेस सॉफ़्टवेयर के तहत स्रोत पर आयकर कटौती की मांग मामला जांच के अधीन	**79.09**	79.12
	ज) स्टॉक एक्सचेंजों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत कुछ गैर-अनुपालनों जैसे निदेशक मंडल, सिमितयों की संरचना, खातों को जमा करने में देरी आिद के लिए कंपनी पर जुमार्ना लगाया है। स्टॉक एक्सचेंजों के परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को एक्सचजें म छूट आवेदन दाखिल करने से पहले एक्सचजें के परिपत्रों के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, कुछ मामलों में, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों से दंड की छूट मिली है। कंपनी ने फिर से जुमार्ना माफ करने का अनुरोध किया है और स्टॉक एक्सचेंजों से जवाब की प्रतीक्षा कर रही है। कुल जुर्माना राशि (करीब):	**825.84**	510.11

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
i) एक निरीक्षण के आधार पर, BESCOM (बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी) ने 18-8-2020 को टाउनशिप क्षेत्र में बिजली के व्यावसायिक उपयोग के लिए ₹122 लाख की मांग उठाई (जबकि कनेक्शन औद्योगिक उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया था)। इस मांग में पिछली तारीख से संशोधित टैरिफ, ब्याज और जुर्माना शामिल था।एचएमटी लिमिटेड ने जमा राशि के रूप में ₹ 61 लाख का भुगतान किया और उचित अधिकारियों के समक्ष मांग नोटिस के विरुद्ध अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकरण ने [दिनांक 6-5-2025 के आदेश के तहत] अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। प्राधिकरण ने BESCOM को निर्देश दिया कि औद्योगिक टैरिफ के तहत पहले से लगाए गए मांग राशि को घटाकर, बिना किसी जुर्माने के एकल दर लागू करते हुए एक संशोधित नोटिस जारी किया जाए। भुगतान योग्य राशि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है और BESCOM से नया मांग नोटिस प्राप्त होने के बाद ही यह तय की जाएगी।		

34 अन्य प्रकटन:

i) "भारत सरकार ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कं पनी एचएमटी वॉचस लिमिटेड के पूंजीगत व्यय को इक्विटी (100 लाख रुपये) और ऋण (100 लाख रुपये) के रूप में पूरा करने के लिए मार्च 2007 के दौरान कंपनी को 200 लाख रुपये की योजना सहायता जारी की थी। निर्धारित अविध के भीतर सहायक कंपनी द्वारा धनराशि का उपयोग न करने के कारण, भारत सरकार ने दिसंबर 2009 के दौरान कंपनी को 200 लाख रुपये की कुल योजना सहायता वापस करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, कंपनी ने फरवरी 2010 के दौरान भारत सरकार को 100 लाख रुपये की ऋण राशि वापस कर दी है। हालाँकि इक्विटी हिस्से की वापसी के संबंध में चूकी कंपनी ने भारत सरकार की मंज़ूरी की शर्तों के अनुसार, अप्रैल 2007 के दौरान भारत के राष्ट्रपित के पक्ष मे 10/- रुपये (100 लाख रुपये) के 10,00,000 इक्विटी शेयर पहले ही जारी कर दिए हैं। ऐसा नहीं किया जा सका, क्योंकि इससे शेयर पूंजी मे कमी आएगी जिसके लिए शयेर धारकों की मंज़ूरी और कंपनी अधिनियम और इस संबंध मे लागू नियमों के अनुसार, अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, और इसे भारत सरकार को सूचत कर दिया गया है। इस पर भारत सरकार से अगले निर्देशों की प्रतीक्षा है।"

ii) अन्य देनदारियों में भूमि की बिक्री के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम राशि शामिल है जो बंगलौर में भूमि और इमारतों की बिक्री के लिए मेससर् रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) से 926.64 लाख रुपये और उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से 7202.10 लाख रुपये (टीडीएस सिहत) है। भूमि के मूल्य को बिक्री क्वे लिए रखी गई गैर-वतर्मान परिसंपत्तियों के अंतगर्त शामिल किया गया है। हालांकि कंपनी ने आरआरआई के संबंध में क्रेता को भूमि बेचने और उस पर कब्ज़ा देने तथा जीओयूके के संबंध में क्रेता को भूमि का आशिक कब्ज़ा देने के लिए एक समझौता किया है, लेकिनबिक्री विलेख के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन लंबित होने तक इस लेनदेन को बिक्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

	विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
35	**वरीयता शेयर पूंजी:**		
(i)	भारत सरकार ने मार्च 2007 के दौरान एक सहायक कंपनी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी-एमटीएल) की पुनरुद्धार योजना को मंज़ूरी देते हुए 3.5% वरीयता शयेर पूंजी के रूप मे 44,300 लाख रुपये की नकदी डालने की मंज़ूरी दी थी। जिसे कंपनी के माध्यम से सहायक कंपनी मे वरीयता शयेर पूंजी मे निवेश के लिए भेजा गया था,जिसे 3 साल बाद यानी 31.3.2010 को एचएमटी-एमटीएल की अधिशेष अचल संपत्तियां की बिक्री से भुनाया जाना था। "हालाँकि, सीसीईए अनुमोदन के अनुसार 100/- रुपये मूल्य के 44300000 शेयरों में से 40614000 शेयरों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे 100/- रुपये मूल्य वाले 36,86,000 शेष शेयर बचे हैं। जिन्हें अचल संपत्ति कि बिक्री पर भुनाया जाना प्रस्तावित है।		
(ii)	भारत सरकार को देय अधिमानी शेयरों पर निश्चिंत संचयी लाभांश (उस पर कर सहित)	**5,607.63**	5,607.63
36	**शामिल ग्रिम**		
	कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी, महंगाई भत्ते के बकाया (यदि कोई हो) के लिए किए गए तदर्थ भुगतान, जिनका समायोजन होना बाकी है, और इस सीमा तक का प्रावधान खातों में किया गया है।	**24.29**	24.29
37	**प्रमुख प्रबंधकार्य कार्मिकों के साथ लेनदेन**		
	कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का मुआवजा		
	i) अल्पकालिक कमर्चारी लाभ	**26.39**	23.24
	ii) पद - रोजगार लाभ	**3.79**	3.26
	iii) अन्य दीघकालिक लाभ	**2.08**	1.79
	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को भुगतान किया गया कुल मुआवजा	**32.26**	**28.29**

38 क उचित मूल्य

नीचे गए सेट में समूह के वित्तीय साधनों की वहन राशि और उचित मूल्य की श्रेणी के आधार पर तुलना की गई है, उन अन्य राशि वा जो उचित मूल्यों के उचित अनुमान हैं।

(रु. लाखों में)

विवरण	वहन राशि		उचित मूल्य	
	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024
वित्तीय संपत्ति				
ऋण - लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	**34,668.41**	30,582.41	**34,668.41**	30,582.41
कुल	**34,668.41**	**30,582.41**	**34,668.41**	**30,582.41**
वित्तीय देयताएँ				
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	-	-
ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण	**64,171.74**	64,171.74	**64,171.74**	64,171.74
कुल	**64,171.74**	**64,171.74**	**64,171.74**	**64,171.74**

कंपनी ने आकलन किया है कि नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य मौजूदा देयताएँ इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी वहन राशि का अनुमान लगाती हैं। कंपनी ने यह भी आकलन किया है कि ब्याज मुक्त भारत सरकार के ऋण को छोड़कर भारत सरकार (जीओआई) ऋण उनकी वहन राशि के बराबर है क्योंकि लेनदेन लागत नहीं लगाई जाती है।

भारत सरकार के ब्याज मुक्त ऋण का उचित मूल्य 5 वर्ष की पुनर्भुगतान अविध केलिए ऋण राशि मे छूट देकर निकाला जाता है। गणना के प्रयोजन के लिए 8% को प्रभावी ब्याज दर माना जाता है।

कंपनी ने 3.5% वरीयता शेयरों में चूक की है जो पहले से ही मोचन के लिए परिपक्व हैं और इसलिए खातों में कोई उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

38ख उचित मूल्य पदानुक्रम

31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024 को मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण के साथ उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 के भीतर वर्गीकृत उचित मूल्य माप में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट नीचे दिखाए गए हैं:

31 मार्च 2025 तक संपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम

(रु. लाखों में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	मूल्यांकन विधि	उचित मूल्य मापन की प्रयुक्त			
			कुल	सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	अवलोकन योग्य प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण (स्तर 2)	गैर-अवलोकन महत्वपूर्ण योग्य (स्तर 3)
उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियां						
एफवीटीओसीआए (FVTOCI) पर मापे गए वित्तीय निवेश						
गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर						
नेजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड (नीछे(क) देखो)		-		Nil		Nil
ऐसी संपत्तियां जिन्के उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया						
निवेश संपत्ति						
भूमि*	**31-मार्च-25**		**452,094.25**			**452,094.25**
वित्तीय दायित्व						
ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण	**31-मार्च-25**		**64,171.74**			**64,171.74**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

31 मार्च 2024 तक संपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रमउचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियां: *(रु. लाखों में)*

विवरण			उचित मूल्य मापन की प्रयुक्ता		
			कुल	सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	अवलोकन योग्य प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण (स्तर 2)	गैर-अवलोकन महत्वपूर्ण योग्य (स्तर 3)
	मूल्यांकन की तिथि	मूल्यांकन विधि				
उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियां						
एफवीटीओसीअए (FVTOCI) पर मापे गए वित्तीय निवेश						
गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर						
नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड			-	-		-
ऐसी संपत्तियां जिन्के उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया						
निवेश संपत्ति						
भूमि*	**31-मार्च-24**		449,281.05			449,281.05
वित्तीय दायित्व						
ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण	**31-मार्च-24**		64,171.74			64,171.74

*** निवेश संपत्ति के बाद से वित्तीय विवरणों में बताए गए मागर्दशर्न मूल्य के आधार पर नहीं**

A) नैजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड भारत के बाहर निगिमत कंपनी है, और दिनांक 31-12-2020 के इसके नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इसलिए उचित मूल्य रु. शून्य माना जाता है।

-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रु. लाखों में)

विवरण	31-मार्च-2025 को	31-मार्च-2024 को
39. प्रति शेयर आय (ईपीएस)		
इक्विटी धारकों को देय लाभः		
सतत संचालन	**1,610.32**	2,442.41
बंद संचालन	-	-
बुनियादी आय के लिए इक्विटी धारकों को दिया जाने वाला लाभ	**1,610.32**	**2,442.41**
इक्विटी धारकों के कारण देय लाभ का तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजन	**1,610.32**	**2,442.41**
बुनियादी ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**35,56,01,640**	35,56,01,640
तनुकरण का प्रभावः		
परिवर्तनीय वरीयता शेयर	-	-
तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	**35,56,01,640**	**35,56,01,640**
निरंतर संचालन के लिए प्रित शेयर आय		
i) इक्विटी धारकों के कारण जारी संचालन से मूल लाभ	**0.45**	0.69
ii) इक्विटी धारकों के कारण जारी संचालन से तुलकरण लाभ	**0.45**	0.69
बंद संचालन के लिए प्रित शेयर आय		
i) इक्विटी धारकों के कारण बंद संचालन से मूल लाभ	**-**	-
ii) इक्विटी धारकों के कारण बंद संचालन से तुलकरण लाभ	**-**	-

* रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित कोई अन्य लेनदेन नहीं हुआ है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

40 भारतीय लेखा मानक-19 कमर्चारी लाभ के अनुसार, परिभाषित प्रकटन नीचे दिए गए हैं:

i) परिभाषित अंशदान योजना:

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
पेंशन निधि में नियुक्ता का योगदान	**4.45**	4.54

ii) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

कंपनी कर्मचारियों को भविष्य निधि न्यास, ग्रेच्युटी और सेटलमेंट भत्ता प्रदान करती है, जो सभी परिभाषित लाभ योजनाएँ है. कंपनी ने भविष्य निधि के लिए एक स्वतंत्र बीमांकक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की है।

a) कंपनी की परिभाषित लाभ योजना के दायित्व को निर्धारित करने में उपयोग की गई मुख्य धारणाएँ नीचे दिखाई गई हैं:

	31 मार्च 2025 %	31 मार्च 2024 %
छूट की दर:		
ग्रेच्युटी योजना	**6.95**	7.23
निपटान भत्ता	**6.95**	7.23
भविष्य में वेतन वृद्धि		
ग्रेच्युटी योजना	**10.00**	10.00
निपटान भत्ता	**10.00**	10.00

जनसांख्यिकीय मान्यताओं का सारांश	ग्रेच्युटी योजना		निपटान भत्ता	
	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024
मृत्यु दर (आई.ए.एल.एम. (2012-14) (संशोधित) अंतिम मृत्यु दर सारणी के % के रूप में) {पिछले वर्ष आई.ए.एल.एम. (2012-14) अंतिम मृत्यु दर सारणी}	**100%**	100%	**100%**	100%
विकलांगता दर (उपयुक्त मृत्यु दर के % के अनसार)	**0%**	0%	**0%**	0%
निकासी दर	**1% to 3%**	1% to 3%	**1% to 3%**	1% to 3%
संघर्षन दर				
सामान्य समाप्ति आयु	**60 yrs**	60 yrs	**60 yrs**	60 yrs
औसत भाश्वी सेवा	**20.28**	18.48	**20.28**	18.48

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

40 कमर्चारी लाभ (जारी):

A. **कमर्चारी लाभ दायित्व**

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना और निपटानभत्ते की लागत और ग्रेच्युटी दायित्व का वतर्मान मूल्य एक्चूरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक्चूरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तिवक विकास से विभिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन मे शामिल जटिलताओं और इसकि दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक पारिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येकरिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओ की समीक्षा की जाती है।

1) ग्रेच्युटी

31 मार्च 2025 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. लाखों में)

विवरण	01-अप्रैल-2024	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ का भुगतान किया गया	अन्य व्यापक आय में पुनमार्पन लाभ/(हानि)					नियोक्ता द्वारा अंशदान	31-मार्च-2025
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	उप-योग लाभ / हानि में शामिल है		योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय धारणाओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय धारणाओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओ.सी. आई. में शामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	(363.05)	(13.73)	(20.57)	(34.30)	157.21	(0.09)	-	(5.31)	6.48	1.08	-	(239.06)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	341.50	-	23.06	23.06	(157.21)	0.09	-	-	-	0.09	-	207.44
लाभ दायित्व	**(21.55)**			**(11.24)**	-					**1.17**	-	**(31.62)**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. लाखों में)

विवरण	01-अप्रैल-2023	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ का भुगतान किया गया	अन्य व्यापक आय में पुनमार्पन लाभ/(हानि)					नियोक्ता द्वारा अंशदान	31-मार्च-2024
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	उप-योग लाभ / हानि में शामिल है		योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय धारणाओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय धारणाओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओ.सी. आई. में शामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	365.32	15.90	26.72	42.62	19.99	7.11	-	5.26	37.27	24.90	-	363.05
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	330.29	-	24.09	24.09	(19.99)	7.11	-	-	-	7.11	-	341.50
लाभ दायित्व	**(35.03)**			**(18.53)**						**32.01**		**(21.55)**

2) निपटान भत्ता:

31 मार्च 2025 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. लाखों में)

विवरण	01-अप्रैल-2024	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ का भुगतान किया गया	अन्य व्यापक आय में पुनमार्पन लाभ/(हानि)					नियोक्ता द्वारा अंशदान	31-मार्च-2025
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	उप-योग लाभ / हानि में शामिल है		योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय धारणाओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय धारणाओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओ.सी. आई. में शामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व												
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(42.59)	-	(2.78)	(2.78)	8.30	-	-	(1.34)	6.09	4.75	-	(32.32)
लाभ दायित्व	**(42.59)**			**(2.78)**	**8.30**					**4.75**		**(32.32)**

152 of 546
HMT Group Annaul Report FY24-25-Hindi.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/HMT%20Group%20Annaul%20Rep...
12/5/2025, 12:33 PM

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. लाखों में)

विवरण	01-अप्रैल-2023	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ का भुगतान किया गया	अन्य व्यापक आय में पुनमार्पन लाभ/(हानि)					नियोक्ता द्वारा अंशदान	31-मार्च-2024
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	उप-योग लाभ / हानि में शामिल है		योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय धारणाओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय धारणाओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओ.सी. आई. में शामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	(43.42)	-	(3.19)	(3.19)	1.97	-	-	(1.56)	3.61	2.05	-	(42.59)
लाभ दायित्व	**(43.42)**			**(3.19)**	**1.97**					**2.05**		**(42.59)**

3) भविष्य निधि (ब्याज की न्यूनता):

कंपनी का भविष्य निधि में भुगतान/देय योगदान और देयता/दायित्व को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कमर्चारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। छूट प्रदान करने की शर्त यह है कि नियोक्ता को ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में वैधानिक दर के मुकाबले किसी भी तरह की कमी को पूरा करना होगा। कंपनी को फंड की संपत्तियों और निवेश पर रिटर्न के संबंध में निकट भविष्य में किसी भी अन्य दायित्व की उम्मीद नहीं है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर दायित्व को मान्यता दी है। ट्रस्ट द्वारा अर्जित की जाने वाली अपेक्षित ब्याज दर और अपेक्षित भविष्य की ईपीएफओ ब्याज दर के बीच अंतर के कारण दायित्व का वतर्मान मूल्य, 31.3.2025 को रु.37.29 लाख रुपये और 31.3.2024 को रु.41.89 लाख रुपये की कमी हुई है।

file:///C:/Users/HP/Downloads/HMT%20Group%20Annaul%20Rep...

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

40 कमर्चारी लाभ (जारी):

ख संवेदनशीलता का विष्लेषण

प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ जिनके प्रति परिभाषित लाभ योजनाएँ विशेष रूप से संवेदनशील हैं, छूट दर और पूर्ण वेतन वृद्धि दर हैं। निम्नलिखित तालिका रिपोर्टिंग आवधि के अंत में अनुमानों में 100 आधार अंकों की वृद्धि या कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रिपोर्ट किए गए परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करती है:

(i) ग्रेच्युटी (रु. लाखों में)

विवरण	**31 मार्च 2025 को**		31 मार्च 2024 को	
	घटत	**बढत**	घटत	बढत
छूट दर में परिवर्तन	**17.82**	**21.28**	17.13	20.27
वेतन वृद्धि कि दर में परिवर्तन	**9.40**	**8.50**	9.73	8.50
निकासी दरों में परिवर्तन	**1.00**	**1.15**	1.07	1.27

(ii) संवेदनशीलता का विष्लेषण (रु. लाखों में)

विवरण	**31 मार्च 2025 को**		31 मार्च 2024 को	
	घटत	**बढत**	घटत	बढत
छूट दर में परिवर्तन	**4.42**	**5.54**	4.97	6.88
वेतन वृद्धि कि दर में परिवर्तन	**4.50**	**5.51**	5.12	6.29
निकासी दरों में परिवर्तन	**4.73**	**5.96**	5.36	6.25

ग. अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रेच्युटी हेतु अपेक्षित अंशदान 31.62 लाख रुपये तथा निपटान भत्ता शून्य है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

41 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन और प्रकटीकरण

क्र. सं	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
1	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड., बेंगलूरु (एमटीएल)	सहायक
	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड., बेंगलूरु (एचडब्लूएल)	
	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरु (एचएमटी (आई))	
2	सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूरु	संयुक्त उद्यम
	नैजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नैजीरिया	
3	गुजरात राज्य मशीन टूल्स कार्पोरेशन, भावनगर	एसोसिएटस
4	श्री राजेश कोहली (05 अप्रैल 2024 से)	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी (केएमपी)
	श्री कृष्णास्वामी रविशंकर (08 मार्च 2024 से अप्रैल 2024 तक)	
	सुश्री आरती भटनागर (14 फ़रवरी 2023 से)	
	डॉ. रेणुका मिश्रा (23 जुलाई 2024 से)	
	सुश्री मुक्ता शेखर (04 सितम्बर 2023 से 23 जुलाई 2024 तक)	
	सुश्री समीना कोहली (10 जून 2024 से)	
	सुश्री रीता सक्सेना (25 अगस्त 2023 से 24 मई 2024 तक)	
	श्री एस. किशोर कुमार	
	सुश्री अर्पणा आर	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन:

दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा उसका पुनर्भुगतान

a) ऋण

(रु. लाखों में)

संबंधित पार्टी का नाम	स्थिति	प्रारंभिक शेष	दिया गया ऋण	पुनर्भुगतान	स्थानांतरण	समापन शेष
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	चालू वर्ष	30,582.41	4,086.00		-	34,668.41
	पिछले वर्ष	27,470.43	3,111.98		-	30,582.41
"एच स ऋण पर अिजर्त ब्याज और देय"	चालू वर्ष	5,321.85	-	-	(50.00)	5,271.85
	पिछले वर्ष	5,371.85	-	-	(50.00)	5,321.85

b) **अग्रिम (डेबिट/क्रेडिट)**

संबंधित पार्टी का नाम	स्थिति	प्रारंभिक शेष	दिया गया ऋण	पुनर्भुगतान	स्थानांतरण	समापन शेष
सुडमो एच्एम्टी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड	चालू वर्ष	3.40	3.23	-	(3.40)	3.23
	पिछले वर्ष	8.70	3.40	-	(8.70)	3.40
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	चालू वर्ष	1,288.02	98.00	-	-	1,386.02
	पिछले वर्ष	1,198.30	89.72	-	-	1,288.02
एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	चालू वर्ष	-	-	-	-	-
	पिछले वर्ष	-	76.13	-	(76.13)	-
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	चालू वर्ष	311.51		53.12	-	258.39
	पिछले वर्ष	246.92	64.59	-	-	311.51

* अग्रिम में देय व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है

c) संबंधित पक्षों अथार्त सहायक कंपिनयों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश का विवरण नोट संख्या 4 के तहत दिया गया है। ' कंपनी ने वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को कोई गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

d) लेन-देन करने वाली संबंधित पार्टी का नाम

(रु. लाखों में)

		एमटीएल	एचडब्लूएल	एचएमटी (आई)	कुल
परिचालन से राजस्व	चालू वर्ष	-	-	-	-
	पिछले वर्ष	-	-	39.83	39.83
अन्य आय:	चालू वर्ष	2272.27	-	-	2,272.27
	पिछले वर्ष	1544.11	5.38	-	1,549.49
सामान्य खर्च:					
अन्य व्यय	चालू वर्ष	2272.27	-	59.70	2,331.97
	पिछले वर्ष	1544.11	-	27.28	1,571.39
व्यय की वसूली	चालू वर्ष	(18.82)	-	(38.78)	(57.60)
	पिछले वर्ष	(19.05)	-	(39.24)	(58.29)

(रु. लाखों में)

e) प्रमुख प्रबंधकार्य वित्तियां के साथ लेन-देन:	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
केएमपी को दिया गया पारिश्रमिक		
- एस. किशोर कुमार	**16.91**	15.87
- कामना मेहता	**-**	6.84
- अपर्णा आर	**15.35**	5.58
	32.26	**28.29**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

42 अनुपात विश्लेषण

	अनुपात	अंश	हर	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	% अंतर	25% से अधिक विचलन का कारण
1	चालू अनुपात	मौजूदा संपत्ति	मौजूदा देनदारियां	0.78	0.76	2.63%	
2	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल कर्ज	शेयरहोल्डर की इक्विटी	1.43	1.48	-3.38%	
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा (ब्याज+मूलधन)	0.03	0.03	0.00%	
4	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	3.45%	5.47%	-36.96%	पिछले वर्ष कर प्रावधान वापस लेने और इस वर्ष आस्थगित कर देनदारी के कारण कर पश्चात लाभ में कमी आई है।
5	माल-सूची आवर्त अनुपात	बिक्री	औसत मालसूची	2.16	4.46	-51.55%	बिक्री में कमी
6	व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात	उधार बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	1.87	2.92	-35.94%	व्यापार प्राप्य में कमी
7	व्यापार देय आवर्त अनुपात	शुद्ध उधार खरीद / सेवाएं	औसत व्यापार देय	0.42	2.32	-82.00%	व्यापार देयताओं में वृद्धि और उधार खरीद एवं सेवाओं में कमी
8	शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	(0.14)	(0.19)	-25.08%	कार्यशील पूंजी में कमी
9	शुद्ध लाभ अनुपात	कर-पूर्व शुद्ध लाभ	राजस्व	61.53%	50.98%	20.69%	
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मर्तू शुद्ध-मूल्य + कुल ऋण	1.64%	1.54%	6.87%	
11	निवेश पर प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं				चूँकि निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं है, इसलिए शून्य

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

43. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक - 108 ("परिचालन खंड") के अनुसार, खंड संबंधी जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स के तहत प्रदान की गई है।

वर्ष के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण प्रभाग न एक ग्राहक को ₹114.21 लाख की बिक्री की है, जो राजस्व के 10% से अधिक है।

44. अस्थगित कर

आयकर के लिए प्रावधान इंड एएस 12 - 'आयकर' के अनुसार किया गया है।

स्थगित कर संपत्ति/ (देयता) में बदलाव (रु. लाखों में)

विवरण	31.3.2025	31.3.2024
वर्ष की शुरुआत में शुद्ध स्थगित कर संपत्ति/देयता	**47.93**	**4.28**
जोड़ें: वर्ष के लिए (स्थगित कर लाभ) / प्रभार	(10.32)	43.65
वर्ष के अंत में शुद्ध स्थगित कर संपत्ति/देयता	**37.61**	**47.93**

31 मार्च 2025 को शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति में निम्नलिखित के कारण होने वाले सामयिक अंतरों से उत्पन्न होने वाला कर प्रभाव शामिल है:

विवरण	31.3.2025	31.3.2024
मूल्यह्रास	(28.88)	(25.76)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	66.49	73.69

कंपनी ने भविष्य के व्यावसायिक लाभों की उचित निश्चितता के अभाव में, अनुपयोगी कर हानियों पर आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

45. बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, भारत सरकार से समर्थन और अन्य व्यावसायिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने सतत व्यापार के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, और यह माना गया है कि परिसंपत्तियों और देयताओं के वहन मूल्य में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

46. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रभारों के सूचकांक में आईडी 80046855 वाला एक प्रभार अभी भी खुला है, जो भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक का ऋण बहुत पहले ही चुका दिया था। चूँकि यह मामला लगभग पच्चीस साल पुराना है, इसलिए प्रभार की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के समन्वय से प्रयास किए जाएँगे।

47. गुजरात स्टेट मशीनटूल्स कॉर्पोरेशन में निवेश एक सहयोगी कंपनी होने के कारण, खातों की पुस्तकों में पूरी तरह से प्रावधानित कर दिया गया है, क्योंकि एचएमटी लिमिटेड के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर कंपनी की निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसलिए उचित मूल्य शून्य दर्शाया गया है।

48. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसरण में, कंपनी ने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दिए गए ऋणों पर इस वर्ष की अप्राप्य ब्याज आय ₹2272.27 लाख को अन्य खर्चों के तहत अशोध्य ऋण के रूप में दर्ज किया है।.

49. कंपनी ने सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बैंगलोर (मेसर्स सुडमो-एचएमटी) में ₹15 लाख (इक्विटी शेयरों का 50%) का निवेश किया है, जिसमें ₹10/- प्रत्येक के 1,50,000 इक्विटी शेयर पूर्ण चुकता शामिल हैं। मेसर्स सुडमो-एचएमटी का कोई परिचालन नहीं है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी है (फरवरी 2020) और अनुमोदन के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय को बंदी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है (जुलाई 2021)।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

50. कंपनी ने गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन, भावनगर (मेसर्स जीएसएमटीसी.) में ₹20.84 लाख (इक्विटी शेयरों का 39.86%) का निवेश किया है, जिसमें ₹1/- प्रत्येक के 20,84,050 इक्विटी शेयर पूर्ण चुकता शामिल हैं। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स जीएसएमटीसी. के परिसमापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी (मार्च 2021) और गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड (जीआईआईसी) को एक सहमति पत्र जारी किया। जीआईआईसी ने गुजरात उद्योग और खान विभाग, सरकार की मंजूरी के अधीन मेसर्स जीएसएमटीसी. के परिसमापन को मंजूरी दी (सितंबर 2021)। कंपनी आगे की कार्रवाई के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसमापन शुरू करने हेतु भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है।

51. कंपनी ने नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नाइजीरिया (मेसर्स एनएमटीएल.) में 1 नैरा प्रत्येक के 30,00,000 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है, जो पूर्ण चुकता हैं। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स एनएमटीएल. में हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दी (फरवरी 2020) और प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन माँगा। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से आगे के संचार की प्रतीक्षा है।

52. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत हटाई गई (struck off) कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।

53. भारतीय लेखा मानकों में वे संशोधन जो कंपनी पर लागू होते हैं, उनसे कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

54. व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, व्यापार देयताओं और अन्य चालू देयताओं के तहत शेष राशियाँ पुष्टि के अधीन हैं, हालांकि अधिकांश मामलों में पुष्टि मांगी गई है।

55. कंपनी ने किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएं शामिल हैं) "मध्यस्थों" को कोई भी धनराशि (चाहे उधार लिए गए फंड से हो या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में नहीं दी है, चाहे वह समझ लिखित में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ["अंतिम लाभार्थी"] को उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा।

56. कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएं शामिल हैं) ["फंडिंग पक्ष"] से कोई धनराशि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की है, चाहे वह समझ लिखित में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ["अंतिम लाभार्थी"] को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी।

57. तुलना के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित जानकारी पिछले वर्ष संकलित नहीं की गई थी।

58. कंपनी उन सभी पट्टा समझौतों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में है, जहाँ पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है। नवीनीकरण होने तक, पट्टे को वर्तमान शर्तों के तहत ही दर्ज किया जाता रहेगा।

59. पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

यह पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया है।

यह पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया है।

यह पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(उप निदेशक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक कार्यालय, हैदराबाद द्वारा पीडीसीए/ए/सी/डेस्क/2024-25/एचएमटी/1.19/188 दिनांक 02-09-2025 के माध्यम से की गई अनंतिम टिप्पणियों के परिणामस्वरूप जारी किया गया, और यह हमारी दिनांक 23-07-2025 की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करता है)

एचएमटी लिमिटेड के सदस्यों को –

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

सशर्त राय

हमने एचएमटी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है), इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी और संयुक्त उद्यमों (धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों को सामूहिक रूप से "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी रिपोर्ट के 'सशर्त राय का आधार' खंड को छोड़कर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रस्तुत करते हैं और 31 मार्च, 2025 को समूह के मामलों की स्थिति, उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

सशर्त राय का आधार

परिचय: समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी सशर्त राय बनाते समय, हमने समूह में शामिल घटकों की ऑडिट रिपोर्टों में निहित आपत्तियों (या शर्तों) और अन्य टिप्पणियों को ध्यान में रखा है। ऐसा करते हुए, हमने समेकित वित्तीय स्थिति और परिणामों के लिए प्रासंगिक तरीके से मामलों को प्रस्तुत करने हेतु पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया है। तदनुसार, जो मदें सामान्य हैं और पहले से ही समूह-स्तर की आपत्तियों के अंतर्गत शामिल हैं, उन्हें दोहराया नहीं गया है; जो मामले समूह स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं माने गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है; और जो नगण्य पाए गए या आपत्तियों की प्रकृति के नहीं थे, उन्हें अनदेखा कर दिया गया है। नीचे दिया गया विवरण केवल उन्हीं मामलों को शामिल करता है जो, हमारे विचार से, समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं और हमारी सशर्त राय का आधार बनते हैं।

सामान्य आपत्तियाँ (समूह-स्तर के मुद्दे)::

इंड एएस 109 का अनुपालन न करना – अपेक्षित ऋण हानि मॉडल:

1. इंड एएस 109 वित्तीय आस्तियों पर हानि को पहचानने और मापने के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल के अनुप्रयोग की अपेक्षा करता है। हालाँकि, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, समूह ने ऑडिट अवधि के दौरान इस मॉडल के तहत कोई ईसीएल मैट्रिक्स तैयार नहीं किया है और न ही कोई हानि मूल्यांकन किया है। परिणामस्वरूप, हम आवश्यक हो सकने वाले किसी भी हानि भत्ते की पर्याप्तता का आकलन करने में असमर्थ रहे।

2. पार्टी शेषों के लिए बाहरी पुष्टिकरण का अभाव:

   समूह ने व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, अन्य चालू आस्तियों और अन्य चालू देयताओं के संबंध में बाहरी पुष्टिकरण प्राप्त नहीं किए हैं। ऐसे पुष्टिकरणों और वैकल्पिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं के अभाव में, हम इन शेषों के अस्तित्व, पूर्णता

और सटीकता को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तदनुसार, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि इन मदों के संबंध में कोई समायोजन आवश्यक हो सकता है या नहीं।

3. इंड एएस 2 – के मूल्यांकन का अनुपालन न करना

कई स्थानों पर, इन्वेंट्री का मूल्यांकन समूह की घोषित लेखांकन नीति के अनुसार नहीं किया गया है, जिसका इंड एएस 2 का अनुपालन करना आवश्यक है, और भौतिक सत्यापन भी अपर्याप्त रहा है। विश्वसनीय वैकल्पिक प्रक्रियाओं के अभाव के कारण, हम इन्वेंट्री के मूल्य में किसी भी संभावित गलत विवरण की सीमा और वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

4. जीएसटी कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का गैर-समाधान:

समूह की अधिकांश इकाइयाँ वर्तमान और पिछली दोनों अवधियों के लिए जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध शेष राशियों के साथ किताबों में दर्ज इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान करने की प्रक्रिया में हैं। रिपोर्टिंग की तारीख तक मिलान की प्रक्रिया अधूरी है, और यदि कोई उत्क्रमण या सुधार होता है, तो उसके लिए समायोजन प्रविष्टियाँ अभी तक दर्ज नहीं की गई हैं। एक पूर्ण मिलान के अभाव में, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के किसी भी संभावित अधिक विवरण के प्रभाव या समूह की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर इसके निहितार्थ का आकलन करने में असमर्थ हैं।

विशिष्ट आपत्तियाँ (घटक-स्तर के मुद्दे)

5. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड का ऑडिट

क. वैधानिक देय राशियों के भुगतान में देरी: इस सहायक कंपनी की कई इकाइयों में, पीएफ, ग्रेच्युटी, जीएसटी और टीडीएस/टीसीएस आदि सहित वैधानिक देय राशियों को जमा करने में सामान्य देरी हुई है। हालाँकि ऐसी देरी से ब्याज और दंड लग सकता है, लेकिन इस मद पर वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और संभावित प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। इस तरह के प्रमाणीकरण के अभाव में, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि इस संबंध में किसी समायोजन की आवश्यकता है या नहीं।

पीएफ ट्रस्ट द्वारा हुई हानि: कंपनी अपने विभिन्न यूनिटों पर पीएफ ट्रस्टों द्वारा हुई हानि की भरपाई करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, 31-03-2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पीएफ ट्रस्टों के लेखांकन/वित्तीय स्थिति के गैर-पूरा होने के मद्देनज़र, प्रावधान अनंतिम आधार पर किया गया है। यदि वास्तविक हानि में बदलाव आता है, तो यह वर्ष के लिए कंपनी के परिणामों को प्रभावित करेगा। तदनुसार, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि इन मदों के संबंध में कोई समायोजन आवश्यक है या नहीं।

ख. भारत सरकार के ऋण पर ब्याज का अधिक प्रावधान: कंपनी ने वर्ष के दौरान भारत सरकार के ऋण पर ब्याज का ₹ 31.09 लाख का अधिक प्रावधान किया है। 31-03-2025 तक ब्याज की राशि ₹ 59,747.94 लाख है, लेकिन कंपनी ने कुल ₹ 59,779.03 लाख को गलत तरीके से दर्ज किया है, जिसमें से ₹ 59,384.25 लाख उपार्जित और देय ब्याज के तहत और ₹ 394.78 लाख का 31-03-2006 तक का दंडात्मक ब्याज अन्य वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया है।

6 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड एमटीए, अजमेर का ऑडिट

क. ग्रेच्युटी के भुगतान में चूक: यूनिट ने सेवानिवृत्त हुए या सेवा से अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में ₹ 299.34 लाख की ग्रेच्युटी के निपटान/भुगतान में

चूक की है। इसके अतिरिक्त, ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि इंड एएस 19 – कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

ख. जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का गैर-उत्क्रमण: यूनिट ने उन आपूर्तियों और सेवाओं के संबंध में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को उत्क्रमित (रिवर्स) नहीं किया है, जिनके लिए 31 मार्च, 2025 तक 180 दिनों से अधिक समय से भुगतान बकाया है, जिसकी राशि ₹ 14.70 लाख है। यह जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, और परिणामस्वरूप, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य और देनदारियां उस सीमा तक अधिक बताई गई हैं।

च. महत्वपूर्ण मामले पर जोर देने वाला पैराग्राफ: यूनिट के ऑडिटर ने "महत्वपूर्ण मामले पर जोर" नामक पैराग्राफ के तहत यह उल्लेख किया है कि कुछ एमएसएमई विक्रेताओं के मामले में, विक्रेताओं को भुगतान में देरी होने के बावजूद, अनिवार्य ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

7. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड एमटीके - कलामस्सेरी का ऑडिट

क. वसूली योग्य दावे: यूनिट ने 31 मार्च, 2025 तक ₹ 199.92 लाख के वसूली योग्य दावे का खुलासा किया है, जो कई वर्षों से बकाया है और वर्ष के दौरान इसमें कोई हलचल नहीं हुई है। राशि की वैधता या वसूली योग्यता को सिद्ध करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज़, बाहरी पुष्टि, या पत्राचार प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा, यदि लागू हो, तो किसी भी मूल्यह्रास हानि का निर्धारण करने के लिए इंड एएस 109 – वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार कोई आकलन नहीं किया गया है।

ख. किराये की आय की गैर-मान्यता और व्यय का गलत वर्गीकरण: यूनिट ने होटल व्यवसाय संचालित कर रही एक बाहरी पार्टी को बिजली, पानी और भूमि जैसी कुछ बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ प्रदान की हैं। हालाँकि, ऐसी सुविधाओं के उपयोग के संबंध में कोई किराये की आय मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। इसके अलावा, होटल द्वारा खर्च किए गए बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है और वित्तीय विवरणों में इसे गलत तरीके से "कर्मचारी लाभ व्यय" के तहत वर्गीकृत किया गया है। हमारी राय में, आय को मान्यता न देना और व्यय का गलत वर्गीकरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनुपालन में नहीं है। पर्याप्त रिकॉर्ड के अभाव के कारण, हम इस मामले के वित्तीय प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

ग. यूनिट की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, के एस ई बी द्वारा जारी किए गए बिजली बिल में 31 मार्च, 2025 तक ₹ 895.32 लाख का बकाया देय दर्शाया गया है। हालाँकि, कंपनी ने अपनी पुस्तकों में इस देनदारी के लिए केवल ₹ 568.02 लाख ही दर्ज किए हैं। शेष राशि ₹ 327.30 लाख को न तो स्वीकार किया गया है और न ही इसका प्रावधान किया गया है, और न ही कंपनी द्वारा इस मांग के विरुद्ध कोई औपचारिक विवाद या कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इस बात का समर्थन करने के लिए किसी भी दस्तावेज़ीकरण के अभाव में कि देनदारी विवादित है, हमारा विचार है कि लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अनरकॉर्डेड राशि को एक प्रावधान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी।

घ. यूनिट की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, ₹ 99.65 लाख के नगरपालिका कर बकाया की मांग प्राप्त हुई थी और केवल ₹ 51.83 लाख का प्रावधान किया गया है। शेष ₹ 47.81 लाख का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि इसे केवल एक आकस्मिक देनदारी के रूप में दर्शाया गया है।

8. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड एमटीएच, हैदराबाद का ऑडिट

इंड एएस 40 का अनुपालन न करना: यूनिट/डिवीजन ने इंड एएस 40 - निवेश संपत्ति का अनुपालन नहीं किया है, जिसके तहत यूनिट/डिवीजन को उस संपत्ति का खुलासा करना आवश्यक है जिससे वह किराये की आय अर्जित कर रहा है।

9. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड एमबीएक्स, बैंगलोर का ऑडिट

इस सहायक कंपनी की शाखा/यूनिट के ऑडिटर ने विभिन्न मामलों पर आधारित ऑडिट साक्ष्य में महत्वपूर्ण सीमाओं के कारण राय व्यक्त करने से इनकार कर दिया है, और हम प्रारंभिक परिचय पैराग्राफ के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर केवल प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करते हैं।

क) प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कच्चे माल (उपभोग्य वस्तुओं सहित) का मूल्यांकन ईआरपी रिकॉर्ड के अनुसार लागत पर किया गया है; हालाँकि, ऐसी लागत के आधार को नहीं समझाया गया है। अर्ध-निर्मित माल, तैयार माल, और ट्रांज़िट में माल का मूल्यांकन जॉब कार्ड और अनुमानित लागतों, जिसमें ओवरहेड शामिल हैं, का उपयोग करके किया गया है। सहायक दस्तावेज़ीकरण के अभाव में, इन्वेंट्री मात्राओं और मूल्यांकन की सटीकता को सत्यापित नहीं किया जा सका। इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए अनुमानित लागत का उपयोग इंड एएस 2 – इन्वेंट्री का अनुपालन नहीं करता है, जिसके लिए लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, और यह घोषित लेखांकन नीति 2(j) के भी असंगत है। यूनिट ऑडिटर ने स्क्रैप रिकॉर्ड, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन और गैर-चल इन्वेंट्री के प्रावधान को सत्यापित करने में अपनी असमर्थता बताई है।

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन: प्रबंधन की घोषित नीति, जिसके अनुसार हर तीन साल में एक बार भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए, के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। यह नीति भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अभाव में, हम इन संपत्तियों के भौतिक अस्तित्व पर टिप्पणी करने या वित्तीय विवरणों पर किसी भी संभावित प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

ग. एमएसएमई देनदारियाँ और विलंबित ब्याज: यूनिट ने एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान करने का आधार या समर्थक उद्यम पंजीकरण विवरण प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा, पिछली अवधियों से संबंधित विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इस जानकारी के अभाव में, हम एमएसएमई खुलासों की सटीकता को सत्यापित करने या अ-प्रावधानित ब्याज के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

घ. परिसमापन हर्जाने का प्रावधान: यूनिट ने कुछ ग्राहक अनुबंधों के तहत माल की आपूर्ति में देरी के कारण उत्पन्न होने वाले परिसमापन हर्जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जहाँ डिलीवरी की समय-सीमाएँ प्रवर्तनीय शर्तों का हिस्सा हैं। प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन और प्रासंगिक दस्तावेज़ीकरण के अभाव में, हम यह आकलन करने में असमर्थ हैं कि इंड एएस 37 – प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ' के अनुसार किसी प्रावधान की आवश्यकता है या नहीं।

ङ. पिछली अवधियों की कुछ त्रुटियों, या खर्चों के गलत प्रावधान को, वर्तमान वर्ष में इन राशियों को अन्य आय के रूप में पलट कर सुधारा गया है – (i) वापस लिखी गई अग्रिम राशि में से ₹110 लाख

(ii) ग्रेच्युटी से संबंधित ₹310.49 लाख (मुख्यतः दोहरी प्रविष्टि के कारण) (iii) वारंटी से संबंधित ₹3.09 लाख (iv) ग्रेच्युटी पर ब्याज के रूप में भुगतान किए गए ₹10 लाख और (v) ₹15.11 लाख का ब्याज। यह उपचार इंड एएस 8 – लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां का अनुपालन नहीं करता है, जिसके तहत ऐसी पिछली अवधि की त्रुटियों को संबंधित पिछली अवधि के आंकड़ों के विपरीत पूर्वव्यापी रूप से समायोजित करना आवश्यक है।"

हमने अपना लेखा-परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियाँ' खंड में किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं

चालू संस्था से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता

1. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के संबंध में

   एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लेखा परीक्षकों ने चालू संस्था की अवधारणा को अपनाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल किया है: कंपनी को चालू और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अपनी सभी यूनिटों / प्रभागों में घाटा हुआ है। ये परिस्थितियाँ एक महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता के अस्तित्व को दर्शाती हैं, जो कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरण चालू संस्था के आधार पर इस आधार पर तैयार किए गए हैं जिसमें भारत सरकार से चल रहे समर्थन और एक पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन की अपेक्षा शामिल है।

2. एचएमटी वॉचेस लिमिटेड

   एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लेखा परीक्षकों ने चालू संस्था की अवधारणा को अपनाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल किया है: "हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.8ए की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया में है और उसके पास कोई परिसंपत्तियाँ या देनदारियाँ नहीं हैं। इसलिए, वित्तीय विवरण चालू संस्था के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा विषय वे विषय हैं जो, हमारे व्यावसायिक निर्णय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के दौरान संबोधित किया गया था, और हम इन विषयों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

सशर्त राय का आधार खंड में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने यह निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए कोई अन्य मुख्य लेखा परीक्षा विषय नहीं हैं।.

विषय पर ज़ोर देने वाला अनुच्छेद

1. हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कुछ घटक लेखा परीक्षकों ने अपनी-अपनी ऑडिट रिपोर्टों में

'विषय पर ज़ोर देने वाला अनुच्छेद' शामिल किया है। वहाँ संदर्भित विषय या तो हमारी रिपोर्ट के 'सशर्त राय का आधार' खंड में पहले से ही विचारे जा चुके हैं, या समेकित स्तर पर प्रासंगिक अथवा महत्वपूर्ण नहीं हैं, या समेकित वित्तीय विवरणों में कोई तदनुरूपी प्रकटीकरण नहीं किया गया है। तदनुसार, इन विषयों को हमारी रिपोर्ट में 'विषय पर ज़ोर देने वाला अनुच्छेद' के रूप में पुनरुत्पादित नहीं किया गया है।

2. हम नोट संख्या 3ए के पाद-टिप्पणी (ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहाँ यह कहा गया है कि समूह ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्तियों का क्षति आकलन नहीं किया है, क्योंकि यह आकलन ठीक पिछले वर्ष ही किया गया था।

3. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 37(1)(जे) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सेबी विनियमों के कुछ गैर-अनुपालन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने/अर्थदंड से संबंधित एक आकस्मिक देनदारी के प्रकटीकरण के संबंध में है। कंपनी ने छूट मांगी है, क्योंकि कुछ गैर-अनुपालन उसके नियंत्रण से बाहर हैं और इस मामले का परिणाम वर्तमान में अनिश्चित है। उक्त देनदारी के लिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि यह कार्यवाही के अंतिम समाधान पर निर्भर है।

4. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 37(1)(ए)(iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो संपत्ति कर से संबंधित आकस्मिक देनदारियों के संबंध में है। इसमें एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के पीटीएच हैदराबाद प्रभाग पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा 31 मार्च 2025 तक ₹462.49 लाख की संपत्ति कर माँग शामिल है। इस माँग के मुकाबले, केवल ₹6.96 लाख का भुगतान किया गया है और इसे अन्य खर्चों के तहत लेखाबद्ध किया गया है। ₹455.53 लाख की शेष माँग को खातों की पुस्तकों में प्रावधानित नहीं किया गया है, बल्कि इसके बजाय ₹277.36 लाख की राशि को आकस्मिक देनदारियों के तहत आंशिक रूप से प्रकट किया गया है।

5. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 49 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि समूह ने 'इंड एएस 108 – ऑपरेटिंग सेगमेंट (प्रचालन खंड)' के तहत आवश्यक खंड जानकारी का खुलासा किया है। हालांकि, वित्तीय विवरणों में खंडों की पहचान और मापन के आधार की रूपरेखा बताने वाली कोई औपचारिक लेखा नीति शामिल नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विष

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट एक अन्य ऑडिटर द्वारा किया गया था, जिसने उन विवरणों पर 20 सितंबर 2024 को असमाधानित मामलों (Unresolved Matters) के लिए, दी गई आपत्तियों (Qualifications) और वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव को इस रिपोर्ट में उचित रूप से विचार किया गया है।

2. हमने तीन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2025 की तारीख को ₹32,430.88 लाख की कुल परिसंपत्तियाँ, ₹17,566.61 लाख का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹(-)1,629.29 लाख की शुद्ध नकदी प्रवाह दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में एक संयुक्त उद्यम के संबंध में ₹0.50 लाख का समूह का शुद्ध हानि का हिस्सा भी शामिल है, जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी का ऑडिट हमारे द्वारा नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों का ऑडिट अन्य ऑडिटरों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम

की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह उपर्युक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य ऑडिटरों की रिपोर्टों पर आधारित है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दिए गए अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य ऑडिटरों के कार्य और रिपोर्टों तथा वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों में संशोधित नहीं की गई है

3. धारक कंपनी को 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दो सहयोजियों अर्थात् 'गुजरात मशीन टूल्स लिमिटेड' और 'नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड' के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसीलिए उन्हें इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य के लिए विचारा नहीं गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर (शामिल) नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट (लेखा-परीक्षा) के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते हुए, यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है, या हमारे ऑडिट से प्राप्त ज्ञान के साथ असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। ये विवरण समूह, उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का सत्य और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं।

समूह में शामिल कंपनियों के साथ-साथ उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं: अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव, ताकि समूह और उसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके व पता लगाया जा सके; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों।

पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे। ये नियंत्रण उन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सत्य और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं (चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो), और जिनका उपयोग उपर्युक्त धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के साथ-साथ उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के

संबंधित निदेशक मंडल निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं: समूह और उसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करना। जहाँ लागू हो, चालू संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करना। चालू संस्था लेखांकन आधार का उपयोग करना, सिवाय इसके कि जब प्रबंधन का इरादा समूह को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का हो, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो। समूह में शामिल कंपनियों के साथ-साथ उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारे उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं या नहीं—चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया एक ऑडिट हमेशा भौतिक गलत विवरण मौजूद होने पर उसे पकड़ लेगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, अकेले या कुल मिलाकर, उनसे उचित रूप से यह अपेक्षित किया जा सकता है कि वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार एक ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पूरे ऑडिट के दौरान व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना—चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो—उन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करना और निष्पादित करना, तथा हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले भौतिक गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निष्प्रभावी करना शामिल हो सकता है।
- ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(आई) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटीकरणों की यथोचितता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू संस्था आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, यह देखना कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना आवश्यक है हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ समूह और

उसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम को चालू संस्था के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।

- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह मूल्यांकन करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति को प्राप्त करता है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ, अन्य बातों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में संचार करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

इसके अतिरिक्त, हम शासी-प्रभारितों को यह बताते हुए एक विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सभी आवश्यक नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है। साथ ही, हम उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य बातों से भी अवगत कराते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं, और लागू होने पर, उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों की भी जानकारी देते हैं।.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के तहत भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथा सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, जैसा कि 'अन्य विषय' पैरा में बताया गया है, हम "परिशिष्ट ए" में आदेश के पैरा 3(xxi) में निर्दिष्ट उन मामलों का एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जो आपत्तिजनक या प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं। .
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि

क. हमने उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं;

ख. हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ, जहाँ तक उन बहियों की और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जाँच से स्पष्ट होता है, रखी गई हैं;

ग. इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण (जिसमें समेकित अन्य व्यापक आय विवरण शामिल है), समेकित इक्विटी में परिवर्तन विवरण और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजन के लिए लेखा बहियों के साथ सहमत हैं;

घ. मारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के साथ पठित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

ङ. होल्डिंग कंपनी के निदेशकों से 31 मार्च 2025 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, जिन्हें होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दर्ज किया गया है, और अधिनियम की धारा 139 के तहत नियुक्त सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, समूह तथा उसकी सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनी का कोई भी निदेशक, अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत, 31 मार्च 2025 को एक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है;

च. होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम के वित्तीय पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की

परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारे पृथक रिपोर्ट के लिए "परिशिष्ट बी" देखें, और

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, जैसा कि 'अन्य विषय' पैरा में उल्लेख किया गया है;

i. समेकित वित्तीय विवरणों ने लंबित मुकदमों के समेकित वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है - समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 37 का संदर्भ लें।

ii. समूह के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध (डेरिवेटिव अनुबंधों सहित) नहीं हैं, जिनके लिए लागू कानूनों या लेखांकन मानकों के तहत किसी भी महत्वपूर्ण संभावित हानि हेतु प्रावधान करने की आवश्यकता हो।

iii. समूह तथा उसकी सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाने वाली अपेक्षित राशियों के हस्तांतरण में कोई देरी नहीं हुई है।

iv. (क) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों (जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं और जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा किया गया है) के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को यह अभ्यावेदन दिया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समूह, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा (चाहे उधार लिए गए फंडों से हो या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंडों से) कोई भी फंड अग्रिम में या ऋण के रूप में या निवेश के रूप में निम्नलिखित को नहीं दिए गए या उनमें निवेशित नहीं किए गए हैं:

किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को, जिसमें विदेशी इकाइयाँ शामिल हैं ("मध्यस्थ"), इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ समूह, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की वस्तु प्रदान करेगा;

(ख) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों (जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं और जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा किया गया है) के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को यह अभ्यावेदन दिया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समूह, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों को किसी भी व्यक्ति या इकाई से, जिसमें विदेशी इकाइयाँ शामिल हैं ("फंडिंग पार्टी"), कोई भी फंड इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे वह लिखित में दर्ज हो या अन्यथा, कि समूह, सहयोगी और संयुक्त उद्यम, प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की वस्तु प्रदान करेगा; और

(ग) हमारे द्वारा किए गए तथा सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों (जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं और जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा किया गया है) के लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारी

या अन्य लेखा परीक्षकों की सूचना में ऐसी कोई बात आई है जिसके कारण हमें या अन्य लेखा परीक्षकों को यह विश्वास हो कि उप-खंड (क) और (ख) के तहत दिए गए अभ्यावेदनों में कोई तात्विक गलत बयानी है;

v. होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियाँ, सहयोगी और भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियों ने वर्ष के दौरान कोई भी लाभांश न तो घोषित किया है और न ही भुगतान किया है, और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लागू नहीं होता है।

vi. हमारी जाँच (जिसमें परीक्षण जाँचें शामिल थीं) के आधार पर, समूह ने अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की विशेषता है, सिवाय इसके कि कुछ संस्थाओं में लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं की गई है। लेखापरीक्षा ट्रेल के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि उक्त सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा वर्ष भर सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देनों के लिए संचालित हुई या नहीं, या लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ के कोई उदाहरण थे या नहीं।

कृत जी आर एस एम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000863S

गोपालकृष्ण हेगड़े
भागीदार
एम. नं. 208063

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 16-9-2025
यूडीआईएन: 25208063BMNZNJ3907

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट 'ए'

एचएमटी लिमिटेड ('होल्डिंग कंपनी') के सदस्यों को दिए गए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित परिशिष्ट 'ए' के संबंध में, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई लेखा बहियों और अभिलेखों के आधार पर, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम बताते हैं कि:

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश (CARO) रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सीआईएन	संबंध	कैरो रिपोर्ट के खंड की संख्या जिसमें योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी है
1	एच एम टी लिमिटेड	L29230KA1953GOI000748	होल्डिंग कंपनी	खंड (i) (b) खंड (i) (c) खंड (iii) (a) (A) खंड (iii) (c) खंड (iii) (d) खंड (iii) (f) खंड (vii) (a) खंड (vii) (b) खंड (ix) (a) खंड (xxiv)
2	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	U02922KA1999GOI025572	सहायक कंपनी	खंड (i) (b), (c) खंड (ii) (a) खंड (vii) (a) खंड (vii) (b) खंड (ix) (a) खंड (xvii)
3	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	U33301KA1999GOI25573	सहायक कंपनी	-
4	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	U3309KA1974GOI002707	सहायक कंपनी	-

कृत जी आर एस एम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000863S

गोपालकृष्ण हेगड़े
भागीदार
एम. नं. 208063

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 16-9-2025
यूडीआईएन: 25208063BMNZNJ3907

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट 'बी'

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(एचएमटी लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समान दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैरा 1(च) में संदर्भित)

हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संयोजन में, उस तारीख की स्थिति के अनुसार "एचएमटी लिमिटेड" के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। ये मानदंड भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' ('मार्गदर्शन नोट') में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' और 'लेखा परीक्षा मानकों' के अनुसार की, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने की सीमा तक निर्धारित माना जाता है।

वे मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा उसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था, और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हुए।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, इन नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, तात्विक दुर्बलता के मौजूद होने के जोखिम का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के तात्विक गलत बयानी के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और नीचे 'अन्य विषय' पैरा में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार उनके द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जो:

(1) कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विवरण में, सटीकता और निष्पक्षता से दर्शाने वाले अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं;

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने हेतु आवश्यक रूप से दर्ज किए गए हैं, और यह भी कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें साठगांठ की संभावना या नियंत्रणों पर प्रबंधन का अनुचित अतिलंघन शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तात्विक गलत बयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का भविष्य की अवधियों तक प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा बिगड़ सकती है।

सशर्त राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित तात्विक दुर्बलताओं की पहचान की गई है:

समूह समग्र रूप से

1. समूह के पास जीएसटी पोर्टल के साथ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) डेटा के समय पर समाधान के लिए एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।
2. समूह के पास इन्वेंट्री और इन्वेंट्री के मूल्यांकन के संबंध में उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है।
3. समूह के पास व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों और अन्य तात्विक वित्तीय शेषों की पुष्टि प्राप्त करने के लिए एक उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

समूह/सहायक/इकाई के संबंध में विशिष्ट

4. एचएमटी लिमिटेड की एबीडी यूनिट, बैंगलोर: डिवीजन में ई-कॉमर्स और आउटलेट्स के माध्यम से चालानों और बिक्री पर नियंत्रण की उचित प्रणाली नहीं है।
5. एचएमटी लिमिटेड की फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद के लेखा परीक्षक ने यह देखा है कि: डिवीजन

में स्थिर परिसंपत्तियों के सत्यापन और समाधान के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

6. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लेखा परीक्षक ने यह देखा है कि:

   क. कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लेखांकन, और उसके पूंजीकरण तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने के संबंध में उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

   ख. कंपनी में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर उनके समय पर पूंजीकरण को सुनिश्चित करने और स्थिर परिसंपत्तियों के सत्यापन के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव है।

   ग. कंपनी में लेखांकन सिद्धांतों के चयन और सुसंगत अनुप्रयोग के साथ-साथ समग्र अवधि-समाप्ति वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों में भी एक महत्वपूर्ण कमी है।.

एक 'तात्विक दुर्बलता' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जिसके कारण यह उचित संभावना है कि समूह के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की तात्विक गलत बयानी को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा। हमारी राय में, उपर्युक्त वर्णित तात्विक दुर्बलताओं के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर, समूह ने सभी तात्विक पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 को प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

हमने 31 मार्च 2025 के समूह के **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों** की अपनी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की **प्रकृति**, **समय** और **सीमा** को निर्धारित करने में, ऊपर पहचानी और रिपोर्ट की गई **तात्विक दुर्बलताओं** पर विचार किया है, और ये तात्विक दुर्बलताएँ समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को **प्रभावित नहीं करती हैं**।

अन्य विषय

होल्डिंग कंपनी के इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह तीन सहायक कंपनियों (जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं) से संबंधित है, ऐसी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों पर आधारित है जो हमें उपलब्ध कराई गई हैं।

कृत जी आर एस एम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000863S

गोपालकृष्ण हेगड़े
भागीदार
एम. नं. 208063

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 16-9-2025
यूडीआईएन: 25208063BMNZNJ3907

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, एचएमटी लिमिटेड, बैंगलोर के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड, बैंगलोर के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है। यह बताया गया है कि यह उनके द्वारा संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 16 सितंबर 2025 के माध्यम से किया गया है जो उनकी पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 23 जुलाई 2025 का अधिभावी है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखापरीक्षा किया है। हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और एचएमटी वॉचेस लिमिटेड (सहायक कंपनियों) के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया, लेकिन उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड (सहायक कंपनी) और गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सहयोगी कंपनी) के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा नहीं किया। इसके अलावा, संयुक्त उद्यम सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बैंगलोर पर अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(बी) लागू नहीं होती हैं, क्योंकि यह एक निजी इकाई है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने न तो इस कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया है और न ही इसका पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ तक तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावित करने के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधन को देखते हुए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या पूरक के रूप में देने के लिए कोई अन्य टिप्पणी नहीं है।

की ओर से और उनके लिए
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

Nawal

(वी.एम.वी नवल किशोर)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा,

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 19 सितंबर 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि

एचएमटी लिमिटेड (''कम्पनी'') भारतीय मूल की एक सरकारी कम्पनी है तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत इसका निगमन वर्ष 1953 मे हुआ था। इसका पंजीकृत कार्यालय एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलुरू-560 032 में स्थित है। कम्पनी के शेयर भारत में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी खाद्य प्रस्संकरण मशीनों का निर्माण करती है|

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) निर्माण का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के साथ सभी पहलुओं का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधन नियम, जैसा कि कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू होता है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति बीमांकक आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार भारतीय रुपए में, केवल कुछ वित्तीय प्रपत्रों के अलावा जिनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया गया है, नीचे प्रस्तुत लेखांकन नीतियों के अनुसार की गई है। ऐतिहासिक लागत का सामान्य आधार माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य है।

ii) समेकन का आधार:

एचएमटी लिमिटेड (मूल कंपनी), सहायक कंपनियों, सम्बद्ध कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यम (सामूहिक रूप से समूह के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरण इस समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण में उपयोग के लिए गए उसी रिपोर्टिंग तिथि समान रिपोर्टिंग तिथि के लिए निर्मित किए गए हैं जो मूल कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष है। मूल कम्पनी को सम्बद्ध कंपनी से प्राप्त वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए है तथा उक्त सम्बद्ध कम्पनी की निवल सम्पति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तदनुसार निवेशों के मूल्य की सीमा तक हानियों का समेकन किया गया है।

iii) समेकन और इक्विटी लेखांकन के सिद्धांत:

क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को एक साथ क्रमबद्ध आधार पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह जैसी मदों को एक साथ जोड़कर, इंट्रा-ग्रुप शेष एवं इंट्रा-ग्रुप संव्यवहारों को पूर्णतः समाप्त करके, सम्मिलित किया जाता है।

ख) इंट्रा-ग्रुप संव्यवहारों से उत्पन लाभ अथवा हानि वह है जो परिसम्पतियों, जैसे कि मालसूची एवं सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण, में स्वीकृति प्राप्त होते हैं, उनका पूर्ण विलोपन किया जाता है।

ग) प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कम्पनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के भाग को हटा दिया जाता है।

घ) वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनी के लाभ / हानि में गैर- नियंत्रणकारी हितों के अंशभाग का निर्धारण करके कम्पनी के शेयरधारकों से सम्बद्ध निवल आय ज्ञात करने के लिए उसका समायोजन समूह की आय के प्रति किया जाता है।

ङ) समेकित सहायक कंपनियों की निवल संपत्ति में गैर नियंत्रकारी अंशभाग का निर्धारण करके उसकी समेकत तुलन पत्र में उसकी प्रस्तुति देयताओं एवं कम्पनी के शेयरधारकों की इक्विटी से अलग करके की जाती है।

च) सम्बद्ध कम्पनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखांकन इंड एएस 28- सम्बद्ध कम्पनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश के अंतर्गत इक्विटी विधि के उपयोग से किया जाता है।

छ) कंपनी और इसकी सम्बद्ध कम्पनियों के बीच लेन-देन से होने वाले अप्राप्त लाभ और हानि का विलोपन करने के पश्चात, सम्बद्ध कम्पनियों और संयुक्त उद्यम की निवल संपत्ति में अधिग्रहण के पश्चात के परिवर्तनों में अपने अंशभाग का लेखांकन अपने समेकित लाभ एवं हानि विवरण से उस सीमा तक करती कि इसकी सम्बद्धता सम्बद्ध कम्पनी के लाभ एवं हानि विवरण एवं उपलब्ध सूचना के आधार पर इसके रिजर्व के शेष से हो सके।

iv) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप :

क) अनुमानों का उपयोग:

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने और अनुमान लगाने होते है जिनसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। तथापि, ऐसे अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित होते हैं, इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य में संपत्ति या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता पढ़ सकती है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकृति दी जाती है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी पी ई) की प्रस्तुति अधिग्रहण अथवा निर्माण, निवल वैटेबल करों की लागत में से तिथि के अनुसार संचित मूल्यह्रास के अनुसार की गई है। लागत में पूंजीयन की गई परिसम्पति को उपयोग के लिए तैयार किए जाने तक की प्रत्यक्ष लागत और अधिग्रहण से सम्बद्ध ऋण की संबंधित वित्तीयन लागतें शामिल हैं।

भूमि के विकास से संबंधित व्यय का पूंजीयन उस वर्ष किया जाता है जिस वर्ष व्यय किया जाता है।

तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों के बकाया शेष का वर्गीकरण् अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूजनीय अग्रिम के रुप में किया जाता है।

पीपीई की मद की लागत संपत्ति के रूप में स्वीकृति केवल तब दी जाती है, जब:

क) जब यह संभावना हो कि मद से जुडे भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्रभावित होंगे; तथा

ख) मद की लागत काअ मापन विश्वसनीय रुप किया जा सकता हो ;

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से १२ माह की अवधि में बिक्री के धारित पीपीइ की मदों का वहन लागत अथवा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर प्रकटीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र उपकरण की स्वीकृति तब समाप्त होति है जब ;

क) निपटान किए पर ; अथवा

ख) जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविश्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नही होते है

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में तब शामिल किया जाता है जब मद की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

विशेष उपकरण:

माल अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग के लिए निर्मित और क्रय किए गए विशेष उपकरणों पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद माना जाता है और 5 वर्षी के उपयोगी जीवन पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

ग) पट्टे

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकार होती है उन पट्टों का वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टाकार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

पट्टाकार के रुप में परिचालन पट्टे

क) `परिचालन पट्टों से किराये की आय को सामान्यतः प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वोकृति दी जाति है, जो की तब नही दी जाती है जब कंपनी की संभावित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धी की भरपाइ के लिए इनके किराए की संरचना संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरुप की जाती है, एसी वृद्धि की स्वीकृति उस वर्ष की जाती है, जिस वर्ष में एसे लाभ प्रात्प होते है।

ख) `मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भौगतान को प्रासंगिक पट्टे के रुप की अवधि के दौरान सीधी रेखा के अधार पर लाभ और हानी खाते में व्याय के रुप में स्वीकृति दी जाती है।

पट्टेदार के रुप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उनका वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

क) पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति के उपयोग का कोई अधिकार नहो होता है और ऐसे पट्टे पर भुगतान प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानी खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्याय के रुप में स्वीकार किए जाते है।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रुप में, उपयोग के अधिकार और अपनी पट्टे की (आरओयू) व्यवस्था के लिए किसी पट्टा देयता को स्वीकृति देती है। अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, अगर इसमें किसी पहचानी गइ संपत्ति का उपयोग शामिल है और संपत्ति का उपयोग से सभी आर्थिक लाभ मिलते है और पहचानी गइ संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है सिवाय इसके कि महोने या उससे कम और कम मूल्य के पट्टों की अवधि के पट्टे 12 महीने, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्याय के रुप में पट्टे के भुअगतान को मान्यता देती है।

उपयोग अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पहले किए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि के साथ साथ कोइ प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोइ हो, घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए मायोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार संपत्ति का मूलह्रास प्रारंभ हीने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उअपयोग कर के पट्टे की अवधि या उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन से कम है।

कंपनी पट्टे की देनदारी को पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापन तब करती है जब भुगतान पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर नहीं किया गया है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट

दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। लीज देनदारी और आरओयू संपत्ति को तुलना पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) ऋण लागतें :

ऋण लागतों ब्याज एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं जो किसी इकाई द्वारा निधियों की प्राप्ति के वहन की जाती हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उधार लेने की लागत जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उस अवधि तक भी शामिल होती है जब तक कि वे उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

ङ) निवेश सम्पत्ति:

संव्यवहार की लागत सहित निवेश संपत्तियों का प्रारंभिक मापन किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, के अनुसार प्रस्तुति की जाती है।

कम्पनी द्वारा निवेश परिसम्पतिके निर्माण घटक का मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा जब उन्हें उपयोग के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है। किसी परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के अंतर की स्वीकृति अस्वीकृति की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

च) अमूर्त परिसम्पतियां

i) अमूर्त संपत्ति की प्रस्तुति संचित परिशोधन एवं अक्षमता हानि को घटाकर लागत पर की गई है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर उस तिथि से किया गया है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल के निर्धारण का आधार अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कारकों तथा परिसंपत्ति कि उद्योग की स्थिरता एवं ज्ञात प्रौद्योगिकी उन्नति) से भावी नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्यय पर निर्भर करती है।

ii) तकनीकी अनुभव पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

iii) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/ खरीदे गए सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति के की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है।

iv) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान चरण:

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान

पर व्यय का प्रभारण वर्ष में लाभ और हानि खाते में किया जाता है।

विकास चरण:

नई अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने गए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित विकास लागतों पर किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छ) मूलह्रास और परिशोधन :

संपति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा के आधार पर अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोज्यता काल पर, आवर्धन अथवा संवर्धन की तिथि के संदर्भ में यथानुपात प्रदान किया जाता है। जब कभी भी संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाता है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण के बही मूल्य के रूप में 1/- रुपये का मूल्य रखा जाता है। संपति, संयंत्र एवं उपकरण 10,000/- रुपये से कम लागतकी खरीद के वर्ष में रु. 1 के मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' के रुप में भी जाना जाता है की लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और (संयंत्र एवं उपकरण से अलग उपयोज्यता काल है, उसका अलग से मूल्यह्रास किया जाएगा।)

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों का पांच साल की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और जिन वस्तुओं की कीमत रुपये से कम है 750 उनका अधिग्रहण निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रास किया जाता है।

परिशोधन विधियों और अमूर्त संपत्ति के उपयोज्यता काल की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भी शामिल है।

ज) स्वामियों को वितरण के लिए धारित गौर चालु परिसंपत्तियां और बंद परिचालन :

यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रुप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री वितरण के माध्यम से वसूलीय है तो कंपनो गैर वर्तमान संपत्तियों का वर्गीकरण स्वामियों को वितरण को पूरा करने के लिए / वितरण धारित के रुप में करती है। बिक्री/ बिक्री वितरण को पूरा करने के लिए अवश्यक कारवाई को यह संकेत देना चाहिए की बिक्री/ वितरण महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना न्ही है अथवा बिक्री/ वितरण का निर्णय वापस ले लिया जाएगा । वर्गीकरण की तिथी से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/ वितरण के प्रबंधन प्रतिबद्ध होना चाहिए।

बिक्री के लिए / स्वामियों औउर निपटान समूहओं के वितरण के लिए रखी गाइ गैर वर्तमाअन – संपत्तियों को उअन्की अग्रणीत राशि और बेचने / वितरित करने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री/ विअतरण के लिए धारित रुप में वर्गीकृत गैर वर्तमान परिसंपत्तियां तुलना पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती है।

झ) सरकारी अनुदान :

सरकारी अनुदानों के लिए स्वीकृति तब दी जाती है जब अनुदान प्राप्ति और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन का औचित्यपरक आश्वासन होता है। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति की जानी है, व्यय हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोज्यता काल पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

ञ) मालसूची

कच्चे माल, भंडार और पुर्जे, टूल्स और उपकरण, स्क्रैप, कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। भारित औसत लागत विधि अपनाकर सामग्रियों की लागत ज्ञात की जाती है।

कार्य प्रगति की लागत, तैयार माल और मार्गस्थ माल में प्रत्यक्ष सामग्रियां, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले परिवर्तनीय एवं निश्चित ओवरहेड का उचित भाग शामिल है।

नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए अतिरेक को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाते है। तथापि, नॉन मूविंग मालसूची के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब पांच साल से अधिक समय तक उनमें संचलन नहीं होता है और वे सामान्य अथवा विशिष्ट ऑर्डर के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

ट) राजस्व स्वीकृति

यदि किसी ग्राहक अनुबंध की संग्रहणीयता को अनुबंध के अंतर्गत तब संभावित माना जाता है, जब अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व, भुगतान शर्तो के साथ दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी गई है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और इसलिए, ये कंपनी को मिलने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व/ आय से बाहर रखा गया है।

i) माल और सेवाओं की बिक्री:

राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब ग्राहक को माल अथवा सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जब उसे उत्पादों का अधिकार प्राप्त होता है और उत्पाद अथवा सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को ग्रहण करता है। आम तौर पर, शीर्षक और जोखिमों का हस्तांतरण और माल के स्वामित्व का प्रतिफल अनुबंधित रूप से परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) किराया आय:

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधर पर स्वीकृति दे जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए किराए की संरचना की जाती है, ऐसी वृद्धि को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष में इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं।

iii) लाभांश आय:

लाभांश आय को स्वीकृति तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यतः तब होता है जब शेयर्धारक लाभांश के लिए अनुमोदन देते है ।

iv) ब्याज आय:

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय लिखितों से होने वाली आय सहित ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

v) वारंटी:

जब उत्पाद की बिक्री की जाती है अथवा ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है, तो वारंटी संबंधित लागत के प्रावधानों को स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक स्वीकृति एतिहासिक अनुबव पर आधारित है। वारंटी संबंधित लागतों का प्रारंभिक अनुमान वार्षिक रुप से संशोढित किया जाता है

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में क्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से वारंटी का प्रावधान है।

vi) विस्तारित वारंटी:

जब कंपनी विस्तारित वारंटी का विक्रय करती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से राजस्व आस्थगित हो जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में स्वीकृति प्राप्त होती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद के मूल्य में शामिल हैं और संबंधित उत्पाद के लिए बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कंपनी इन दो मदों के लिए लेखांकन करती है।

ठ) विदेशी मुद्रा अंतरण :

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं। विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गीत मौद्रिक आस्तियों और देन्दारियों की तुलनपत्र की तिथी के प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यत्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है। इस तरह के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि वितरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है।

गैर मौद्रिक संपत्ति और गैर मौद्रिक देनदारियों को एक विदेशी मुद्रा का मापन ऐतिहासिक लागत पर संव्ययहार की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंतरण करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ अथवा हानि उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ का निर्धारण करने में शामिल होते हैं जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह मदों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित किया जाता है, लेनदेन की तिथि पर प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अंतरण किया जाता है।

ढ) सेवा निवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ :

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के अंतर्गत छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके योग्य कर्मचारियों को उपदान प्रदान किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित और प्रशासित एक ट्रस्ट के लिए आवश्यक सीमा तक वार्षिक योगदान दिया जाता है, जिसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पूरी तरह से कवर की जाती है। जिसका संपूर्ण राशि रुपये हर एक कर्मचारियों के लिए योग्य है और दिया जाता है। बाकी प्रवधान खाते में रखा जाता है अगर कोइ अतिरिक्त देयता हो तो ग्रेचुयूटी के भुगतान के लिए उस पर उर्जित है।

एक परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके पात्र कर्मचारियों को सैटलमेंट भत्ता (एसए) प्रदान किया जाता है।

कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना अर्थात उपदान और एसए के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में स्वीकृति देती है। निवल परिभाषित लाभ देयता/ (परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ औउनि अन्य व्यापक आय में मान्य है। इंड एएस के अनुसार अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ और हानियों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है। जो कि इंड एएस अनुपालन अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी धारित आय के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) पर पुनः मापित लाभ और हानियों की स्वीकृति देती है।

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान, ईएसई एसए और

एकमुश्त मुआवजे को चुकता किए जाने के वर्ष में पूरी तरह बट्टा किया जाता है। 50,000/- रुपये हर एक कर्मचारी को जीवन बीमा इगम से ग्राच्युटी में अलग रुप से बाकी धन राशि के साथ दिया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में, उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए संबंधित प्रावधान खाते और उससे अधिक 50,000/- ग्राच्यूटी में नाम से किया जाता है।

उपदान, ईएलई और एसए के लिए किए गए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन वीआरएस के अनुसार पुनर्लेखन किया जाता है।

वीआरएस के अंतर्गत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए ब्राडों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ण) आय कर :

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति अथवा देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि की प्रस्तुति में वर्तमान और आस्थगित कर को स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त है ।

i) चालू कर :

चालू आयकर संपत्ति और देनदारियों का मापन कराधान अधिकारियों से वसूल अथवा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित हैं।

ii) आस्थगित कर:

आस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है।

त) प्रावधान :

किसी प्रावधान को स्वीकृति तब दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है जिसमें यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने से आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और उससे दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेंगे। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्वकर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के प्रभाव से प्रावधान में हुई वृद्धि को लाभ और हानि में विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने की पुष्टि करता है अथवा किसी गैर स्वीकृति प्राप्त वर्तमान दायित्व की क्योंकि उसमें दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की पुष्टि नहीं होती है। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देयता को स्वीकृति नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है।

थ) अक्षमता हानि :

i) वित्तीय परिसम्पतियां:

कंपनी द्वारा तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय परिसम्पतियों का समूह क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं है। इंड एएस 109 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का हानि भत्ता के माध्यम से मापन आवश्यक है। कंपनी उन सभी व्यापार प्राप्तियों के उपयोज्यता काल की अपेक्षित हानि को संज्ञान में लेती है जो वित्तीय संव्यवहार नहीं हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से काफी बढ़ गया है तो अन्य सभी वित्तीय परिचुसम्पतियों के लिए, अनुमानित क्रेडिट हानियों को 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि अथवा उपयोज्यता काल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां:

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, अथवा जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति अथवा नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व कर छूट दर का उअपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

हानि नुकसान लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है। हानि के बाद, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

द) वित्तीय प्रपत्र :

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के संविदाकारी प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है तथा प्रारंभ में इनका मापन संव्यवहार लागतों का समायोजन करके उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। संव्यवहार लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य प्र वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसंपत्ति अथवा वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य से जोड़ा अथवा घटाया जाता है।

i) नकदी और नकदी समतुल्य

कंपनी प्रत्येक अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्रों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन

जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद समतुल्य हैं। नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा वह शेष राशि शामिल होती है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पति:

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित होती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों का धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए उन निर्दिष्ट तिथियों की प्रस्तुति करती हैं जब पूरी तरह से हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हो सकेगा।

iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति:

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तिः वित्तीय परिसंपत्ति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर तब मापा जाता है जब ये वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यवस्था के भीतत धारित होती है तथा जिनका उद्देश्य सांविधानाम्तक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्ति बेचने और अनुबंध की शर्तों दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसम्पति का प्रतिशत नकद प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होता है जब केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों की प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं मापा गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत स्वीकृति दी जाती है।

v) वित्तीय देयताएं:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके बाद में वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

vi) वित्तीय साधनों की स्वीकृति समाप्त करना:

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण इंडस्ट्रीज़ एएस 109 के तहत अमान्यता के लिए योग्य हो जाता है, तो कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को पहचान नहीं देती है। किसी भी वित्तीय संपत्ति को उसकी संपूर्णता में मान्यता न देने पर, कैरिंग राशि (गैर-मान्यता की तारीख पर) और प्राप्त किसी भी प्रतिफल (किसी भी नई संपत्ति और नई देयता के बीच अंतर सहित) के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक हिस्सा) को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है।

vii) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य:

अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित तारतम्यता और स्वीकृतियों का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

उचित मूल्य तारतम्यता:

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

► स्तर 1 - समान संपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित बाजार मूल्य

► स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है

► स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है,

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण है)

v) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, पूर्वानुमान एवं धारणाएं:

कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, पूर्वानुमान तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की सूचित मात्रा और साथ-साथ प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। इन धारणाओं और अनुमानों की अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन करने पड़ते हैं।

i) निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

क) परिचालन पट्टा – पट्टाकार के रुप में कंपनी :

कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो पर वाणिज्यिक संपत्ति किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का एक बड़ा भाग नहीं है, कि इनसे स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों का धारण होता हो तथा ये अनुबंध परिचालन पट्टे हो सकते हों।

ख) बंद परिचालन :

दिनांक 27/10/2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुसार ट्रैक्टर डिवीजनों के परिचालनों को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इंड एएस 16, इंड एएस 40 और इंड एएस 105 की परिभाषाओं के आधार पर किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि कंपनी पट्टा किराया उत्पन्न करने के लिए भूमि और भवनों के प्रमुख भाग तीसरे पक्ष को पट्टे पर देगी और तदनुसार, इनका वर्गीकरण निवेश संपत्तियों के रूप में किया गया

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कॉर्पोरेट मुख्यालय का भवन, जिसमें संपत्ति के महत्वपूर्ण भाग का उपयोग कंपनी के स्वामित्व की संपत्ति के रूप में किया जाता है और कुछ भाग कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया गया है। प्रबंधन की भवन को बेचने की कोई मंशा नहीं है और भवन का जो भाग पट्टे पर दिया गया है वह अल्पावधि के लिए है और तदनुसार, इसे संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) पूर्वानुमान एवं धारणाएँ

वे प्रमुख धारणाएं जिनसे भविष्य में एवं रिपोर्टिंग तिथि को पूर्वानुमानों के प्रमुख स्रोतों के प्रति अनिश्चितता हो सकती है तथा जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन किए जाने एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास की धारणाएं तथापि, बाजार में परिवर्तन अथवा परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर ये पूर्वानुमानों में परिलक्षित होते हैं।

क) आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति कटौतियोग्य अस्थाई के लिए उस विस्तार तक की जाती है जिनमें कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं के प्रति उपयोग के लिए भावी करयोग्य लाभ प्राप्त होने संभावित हों। कंपनी आस्थगित कर संपत्ति की स्वीकृति नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अप्रयुक्त कर हानियां हुई है और इनसे भविष्य के कर योग्य लाभ के लिए विश्वास योग्य लाभ की कोई निश्चितता नहीं है।

ख) परिभाषित लाभ दायित्व:

परिभाषित लाभ उपदान योजना, भविष्य निधि और सैटलमेंट भत्ते की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर; भविष्य वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन और इसकी लंबी अवधि में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

अधिकांश मापदंड छूट दर में परिवर्तन की शर्त पर हैं। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन द्वारा सरकारी बांडों की ब्याज दरों को विचार में लिया जाता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित होती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अर्जित अवकाश नकदीकरण जैसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने की उम्मीद के रूप में संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत का मापन। गैर-संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियों पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थितियां होती हैं। सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मूल्यांकन और दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती हैं।

दीर्घावधि के कर्मचारी लाभों का मापन परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के अनुसार अनिश्चितता की डिग्री के अनुसार नहीं है। इस कारण से, अन्य व्यापक आय में पुनः मापन की स्वीकृति नहीं की जाती है।

घ) वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मापन :

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य का मापन एनएवी/एनआरवी माश्र सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, सुस्पष्ट बाजारों से प्राप्त की जाती है, लेकिन जहां यह संभव नहीं होता, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्धारण करने पड़ते हैं। ऐसे निर्धारणों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, मूल्यों में अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से धारणाओं के परिवर्तन वित्तीय प्रपत्रों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

vi) वित्तीय विवरण का समेकन (सीएफएस) एचएमटी लिमिटेड की निम्नलिखित सहायक कंपनियों और सहयोगियों के साथ समेकितः

कंपनी (संस्था) का नाम	रिश्ते की प्रकृति	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	सहायक कम्पनी	भारत	100%	100%
एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	सहायक कम्पनी	भारत	100%	100%
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	सहायक कम्पनी	भारत	100%	100%
गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सम्बद्ध कम्पनी	भारत	39%	39%
सुडमो एचएमटी प्रोस्सेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	भारत	50%	50%

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(रु. लाखों में)

विवरण	नोट्स	31-मार्च-25 को	31-मार्च-24 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3क	**3,028.12**	3,403.40
पूँजी कार्य प्रगति पर	3क	**209.70**	331.29
निवेश संपत्ति	3ख	**601.05**	628.96
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3ग	**-**	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
निवेश	4	**17.71**	18.20
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	**505.48**	429.20
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	11	**381.22**	384.18
		4,743.28	**5,195.23**
चालू परिसंपत्तियाँ			
इन्वेंटरी / माल-सूची	5	**9,660.37**	11,601.64
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्तियां	6	**12,402.05**	13,424.24
नकद और नकद के समान	7	**497.54**	2,883.96
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	8	**20,078.94**	21,793.49
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	**434.18**	444.99
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	10	**932.56**	890.25
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	**3,542.77**	3,973.11
		47,548.41	**55,011.68**
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	3घ	**296.15**	296.15
कुल परिसंपत्तियाँ		**52,587.84**	**60,503.06**
इक्विटी और देयताएँ			
इक्विटी			
शेयर पूंजी	12	**35,560.16**	35,560.16
अन्य इक्विटी	13	**(2,25,349.97)**	(2,10,763.09)
कुल इक्विटी		**(1,89,789.81)**	**(1,75,202.93)**

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(रु. लाखों में)

विवरण	नोट्स	31-मार्च-25 को	31-मार्च-24 को
गैर-चालू देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	14	-	-
गैर-चालू वित्तीय देयता	15	-	-
अन्य गैर-चालू देयताएँ	20	**10,027.67**	10,049.95
प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	16	**3,554.43**	3,577.62
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	17	**(1.84)**	0.17
		13,580.26	**13,627.74**
चालू देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	14	**1,02,916.84**	1,02,937.49
व्यापार देय	18		
एमएसएमईको कुल बकाया देय राशियाँ		**888.38**	670.08
एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशियाँ,		**7,666.58**	9,614.71
अन्य वित्तीय देयताएँ	19	**63,073.30**	56,831.05
अन्य चालू देयताएँ	20	**51,920.00**	49,079.14
प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	16	**1,901.17**	2,456.69
अन्य	22	**396.45**	370.33
चालू कर देयताएँ (शुद्ध)	21	**34.67**	118.76
		2,28,797.39	**2,22,078.25**
कुल देयताएँ		**2,42,377.65**	**2,35,705.99**
कुल इक्विटी और देयताएँ		**52,587.84**	**60,503.06**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 000863S

(गोपालकृष्ण हेगड़े)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 208063
UDIN :
स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 23 जुलाई 2025

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

लाभ और हानि का समेकित विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. लाख में)

विवरण	नोट्स	वर्ष समाप्त 31-मार्च-25	वर्ष समाप्त 31-मार्च-24
जारी कार्यकलाप			
परिचालन से राजस्व	23	**14,230.57**	16,338.69
अन्य आय	24	**6,239.99**	5,370.11
कुल आय		**20,470.56**	**21,708.80**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	**6,027.85**	8,898.50
व्यापारिक माल की खरीद	26	**351.07**	536.24
तैयार माल, व्यापारिक माल और कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन	27	**1,514.01**	377.60
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**6,232.05**	7,582.17
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**745.69**	827.88
वित्त लागत	30	**6,967.24**	6,806.01
अन्य व्यय	31	**12,824.15**	10,280.29
घटाएँ: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य	32	**(185.41)**	(298.91)
कुल व्यय		**34,476.65**	**35,009.78**
जारी कार्यकलापों से (या निरंतर परिचालन से) सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश से लाभ / (हानि), असाधारण मदों और कर के अंश से पहले का लाभ / (हानि)		**(14,006.09)**	**(13,300.98)**
सहयोगी और संयुक्त उद्यम के लाभ / (हानि) का अंश	34	**(0.50)**	(0.57)
जारी कार्यकलापों से असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ / (हानि)		**(14,006.59)**	**(13,301.55)**
असाधारण मदें	33	**-**	-
जारी कार्यकलापों से कर से पहले का लाभ / (हानि)		**(14,006.59)**	**(13,301.55)**
(1) चालू कर		**318.05**	458.75
(2) आस्थगित कर		**(3.50)**	(33.93)
(3) पिछली अवधियों से संबंधित कर का समायोजन		**(15.76)**	(718.60)
	35	**298.79**	(293.78)
जारी कार्यकलापों से वर्ष के लिए लाभ		**(14,305.38)**	**(13,007.77)**
बंद किए गए कार्यकलाप			
बंद किए गए कार्यकलापों से वर्ष के लिए कर से पहले का लाभ / (हानि)	36	**-**	3,53,070.16
बंद किए गए कार्यकलापों की कर आय / (व्यय)		**-**	(84,986.12)
बंद किए गए कार्यकलापों से लाभ / (हानि)		**-**	**2,68,084.04**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**(14,305.38)**	**2,55,076.27**
अन्य व्यापक आय			
अन्य व्यापक आय जिसे बाद की अवधियों में लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ / (हानि)		**(280.01)**	25.54
आयकर प्रभाव - (जमा) / नाम		**1.49**	(8.58)
शुद्ध अन्य व्यापक आय जिसे बाद की अवधियों में लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		**(281.50)**	**34.12**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, कर के बाद		**(14,586.88)**	**2,55,110.39**

लाभ और हानि का समेकित विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. लाख में)

विवरण	नोट्स	वर्ष समाप्त 31-मार्च-25	वर्ष समाप्त 31-मार्च-24
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)			
जो निम्न को देय है:			
इक्विटी धारक		**(14,305.38)**	2,55,076.27
गैर-नियंत्रक हित		**-**	**-**
अन्य व्यापक आय जो निम्न को देय है:			
जो निम्न को देय है:			
इक्विटी धारक		**(281.50)**	34.12
गैर-नियंत्रक हित		**-**	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय जो निम्न को देय है:			
जो निम्न को देय है:			
इक्विटी धारक		**(14,586.88)**	2,55,110.39
गैर-नियंत्रक हित		**-**	-
जारी कार्यकलापों के लिए प्रति शेयर आय	47		
i) जारी कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ		**(4.02)**	(3.66)
ii) जारी कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय कम किया गया (या तनुभूत) लाभ		**(4.02)**	(3.66)
बंद किए गए कार्यकलापों के लिए प्रति शेयर आय			
i) बंद किए गए कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ		**0.00**	75.39
ii) बंद किए गए कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय कम किया गया (या तनुभूत) लाभ		**0.00**	75.39
जारी और बंद किए गए कार्यकलापों से प्रति शेयर आय			
i) वर्ष के लिए इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ		**(4.02)**	71.73
ii) वर्ष के लिए इक्विटी धारकों को देय कम किया गया (या तनुभूत) लाभ		**(4.02)**	71.73

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 000863S

(गोपालकृष्ण हेगड़े)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 208063
UDIN :
स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 23 जुलाई 2025

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	वर्ष समाप्त 31-मार्च-25	वर्ष समाप्त 31-मार्च-24
परिचालन कार्यकलाप		
जारी कार्यकलापों से कर से पहले का लाभ / (हानि)	**(14,006.59)**	(13,301.55)
बंद किए गए कार्यकलापों से कर से पहले का लाभ / (हानि)	**-**	3,53,070.16
कर पूर्व लाभ	**(14,006.59)**	**3,39,768.61**
कर से पहले के लाभ को शुद्ध रोकड़ प्रवाह से मिलाने के लिए समायोजन:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास और अवमूल्यन	**717.78**	798.49
निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास	**27.91**	29.39
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ	**(17.30)**	(23.09)
भारत सरकार (GOI) की देनदारियाँ जो माफ कर दी गईं	**-**	**(2,69,378.75)**
भारत सरकार (GOI) से प्राप्त अनुदान	**-**	(83,747.00)
वित्तीय आय (वित्तीय लिखतों में उचित मूल्य परिवर्तन सहित)	**(1,591.46)**	(1,535.97)
वित्तीय लागत (वित्तीय लिखतों में उचित मूल्य परिवर्तन सहित)	**6,967.24**	6,806.01
सहयोगी और संयुक्त उद्यम के (लाभ)/हानि का अंश	**0.50**	0.57
कार्यशील पूंजी समायोजन:		
प्रावधानों में हलचल/परिवर्तन	**(343.49)**	1,210.54
व्यापार और अन्य प्राप्य और पूर्व-भुगतानों में वृद्धि	**1,173.93**	5,539.68
स्टॉक (इन्वेंट्री) में कमी	**1,770.71**	4.94
व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि	**1,088.75**	564.94
	(4,212.02)	**38.36**
आयकर (भुगतान किया गया) / प्रतिलोमित	**(428.69)**	(84,714.88)
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह	**(4,640.71)**	**(84,676.52)**
निवेश कार्यकलाप		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त राशि	**17.33**	23.06
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	**(220.94)**	(382.55)
बैंकों में जमा	**1,612.28**	(5,877.89)
प्राप्त ब्याज	**1,591.26**	1,473.15
निवेश कार्यकलापों में उपयोग हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह	**2,999.93**	**(4,764.23)**
वित्तपोषण कार्यकलाप		

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	वर्ष समाप्त 31-मार्च-25	वर्ष समाप्त 31-मार्च-24
भुगतान किया गया ब्याज	**(724.99)**	(597.91)
भारत सरकार (GOI) से प्राप्त अनुदान	**-**	83,747.00
उधार का पुनर्भुगतान (शुद्ध)	**(20.65)**	(377.84)
वित्तपोषण कार्यकलापों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह / (में उपयोग हुआ)	**(745.64)**	**82,771.25**
रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक में शुद्ध वृद्धि	**(2,386.42)**	(6,669.50)
शुद्ध विदेशी विनिमय अंतर		
रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक का प्रारंभिक शेष (नोट 7 देखें)	**2,883.96**	9,553.46
रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक का अंतिम शेष (नोट 7 देखें)	**497.54**	**2,883.96**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट: 1) उपरोक्त विवरण को इंड एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है

2) वर्ष के दौरान की गई बैंक जमाएँ Rs. 10953.02 लाख और वर्ष के दौरान परिपक्व हुई Rs.12565.30 लाख। (नोट 65 देखें)

3) जहाँ भी लागू हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्गठित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 000863S

(गोपालकृष्ण हेगड़े)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 208063
UDIN :
स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 23 जुलाई 2025

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2025 को (रु. लाख में)

1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2025 को शेष
35,560.16	-	**35,560.16**

31 मार्च 2024 को शेष (रु. लाख में)

1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 को शेष
35,560.16	-	35,560.16

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2025 को (रु. लाख में)

विवरण	आरक्षितियाँ और अधिशेष				
	पूंजीगत आरक्षिति	प्रतिधारित आय	सामान्य आरक्षिति	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
1 अप्रैल 2024 को शेष	**2,270.82**	**(2,22,535.91)**	**16518.37**	**(7,016.37)**	**(2,10,763.09)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक शेष राशि	**2,270.82**	**(2,22,535.91)**	**16,518.37**	**(7,016.37)**	**(2,10,763.09)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**(14,305.38)**	**-**	**(281.50)**	**(14,586.88)**
31 मार्च 2025 को शेष	**2,270.82**	**(2,36,841.29)**	**16,518.37**	**(7,297.87)**	**(2,25,349.97)**

31 मार्च 2024 को

विवरण	आरक्षितियाँ और अधिशेष				
	पूंजीगत आरक्षिति	प्रतिधारित आय	सामान्य आरक्षिति	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
1 अप्रैल 2023 को शेष	**2,270.82**	**(4,77,696.10)**	**16,600.97**	**(7,049.17)**	**(4,65,873.48)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2023 को शेष	**2,270.82**	**(4,77,696.10)**	**16,600.97**	**(7,049.17)**	**(4,65,873.48)**
बंद किए गए कार्यकलाप	-	2,68,084.04	-	-	2,68,084.04
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	(13,007.77)	-	34.12	(12,973.65)
31 मार्च 2024 को शेष	**2,270.82**	**(2,22,619.83)**	**16,600.97**	**(7,015.05)**	**(2,10,763.09)**

लेखों का हिस्सा बनने वाली सामग्री लेखांकन नीतियां और नोट्स

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 000863S

(गोपालकृष्ण हेगड़े)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 208063

स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 23 जुलाई 2025

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

3क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाख में)

विवरण	भूमि और भूमि भवन	विकास	संयंत्र और मशीनरी	फर्नीचर, फिक्सचर और कार्यालय उपकरण	विशेष उपकरण	परिवहन वाहन	पट्टागत भूमि	कुल
सकल वहन मूल्य								
1 अप्रैल 2023 को शेष	**259.55**	**3,776.80**	**38,954.39**	**1,143.49**	**2,304.42**	**103.53**	**17.09**	**46,559.27**
जोड़	-	48.26	113.01	3.58	298.91	-	-	**463.76**
निवेश संपत्ति को हस्तांतरण (नोट 3ख (iii) ग देखें)	(158.19)	(596.68)	-	-	-	-	-	**(754.87)**
निपटान	-	-	(17.34)	(0.36)	-	-	-	**(17.70)**
31 मार्च 2024 को शेष	**101.36**	**3,228.38**	**39,050.06**	**1,146.71**	**2,603.33**	**103.53**	**17.09**	**46,250.46**
जोड़	**-**	**20.34**	**134.53**	**2.25**	**185.41**	**-**	**-**	**342.53**
निपटान / समायोजन	**-**	**-**	**(91.77)**	**0.30**	**-**	**(5.36)**	**-**	**(96.83)**
31 मार्च 2025 को शेष	**101.36**	**3,248.72**	**39,092.82**	**1,149.26**	**2,788.74**	**98.17**	**17.09**	**46,496.16**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल 2023 को शेष	**-**	**2,757.95**	**36,386.35**	**1,118.11**	**1,974.56**	**103.53**	**10.48**	**42,350.98**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	110.29	519.86	6.29	171.96	-	0.12	**808.52**
वर्ष 2023-24 के लिए हस्तांतरित निवेश संपत्ति से संबंधित मूल्यह्रास	-	(10.03) (0.01)	(16.62)	(1.10)	-	-	-	**(10.03)** **(17.73)**
निवेश संपत्ति को हस्तांतरण (नोट 3ख (iii) ग देखें)								
निपटान / समायोजन								
1 अप्रैल 2023 तक का निवेश संपत्ति संचित मूल्यह्रास को हस्तांतरण (नोट 3ख (iii) ग देखें)	-	(284.68)	-	-	-	-	-	**(284.68)**
31 मार्च 2024 को शेष	**-**	**2,573.52**	**36,889.59**	**1,123.30**	**2,146.52**	**103.53**	**10.60**	**42,847.06**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	**-**	**93.20**	**438.00**	**7.28**	**179.17**	**-**	**0.13**	**717.78**
निपटान / समायोजन	**-**	**-**	**(91.77)**	**0.33**	**-**	**(5.36)**	**-**	**(96.80)**
31 मार्च 2025 को शेष	**-**	**2,666.72**	**37,235.82**	**1,130.91**	**2,325.69**	**98.17**	**10.73**	**43,468.04**
शुद्ध वहन मूल्य								
31 मार्च 2025 को शेष	**101.36**	**582.00**	**1,857.00**	**18.35**	**463.05**	**-**	**6.36**	**3,028.12**
31 मार्च 2024 को शेष	101.36	654.86	2,160.47	23.41	456.81	-	6.49	3,403.40

	31-03-25	31-03-24
शुद्ध वहन मूल्य		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	**3,028.12**	3,403.40
पूंजीगत कार्य प्रगति पर - प्रारंभिक	**331.29**	412.50
जोड़	-	-
निपटान / समायोजन	**(121.59)**	(81.21)
पूंजीगत कार्य प्रगति पर - समापन	**209.70**	**331.29**

अतिरिक्त जानकारी:

वर्ष के लिए आईएनडी एएस-36 के अनुसार परिसंपत्तियों के अपक्षय (या हानि) के कारण दर्ज की गई हानि की मात्रा शून्य है। कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान सभी पीपीई (प्लांट, प्रॉपर्टी और उपकरण) परिसंपत्तियों का अपक्षय मूल्यांकन किया था। इसलिए, इस वर्ष ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।.

HMT Group Annaul Report FY24-25-Hindi.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/HMT%20Group%20Annaul%20Rep...
12/5/2025, 12:33 PM

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

भूमि :

(i) एचएमटी एमटीएल के पास क्रमशः बंगलौर, कलामास्सेरी और हैदराबाद में स्थित भूमि है जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपहार में दी गई थी। इस भूमि का माप क्रमशः 177.75 एकड़, 166.00 एकड़ और 227.30 एकड़ है, जिसका सांकेतिक मूल्य प्रत्येक के लिए ₹ 1 रखा गया है।

(ii) कंपनी के पास औरंगाबाद में 29.84 एकड़ पट्टागत भूमि है, जिसमें से 4.94 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। अतिक्रमित भूमि की बहाली के लिए आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

(iii) राजस्थान सरकार द्वारा दरों को अंतिम रूप दिए जाने तक, मशीन टूल यूनिट अजमेर में राजस्व भूमि को औद्योगिक उपयोग में बदलने के लिए देय रूपांतरण शुल्कों के लिए कोई प्रावधान खातों में नहीं किया गया है, क्योंकि यह मामला विचाराधीन (सब-ज्यूडिस) है और पट्टे के समझौते (पट्टा विलेख) का निष्पादन लंबित है।

खसरा संख्या 6767 (2.17 बीघा / 0.87 एकड़ भूमि) 1976 से एचएमटी एमटीएल के नाम पर हस्तांतरित नहीं की गई है। इस भूमि का खाली कब्ज़ा अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। समझौते के अनुसार, भूमि के मालिक को भूमि का मुआवजा तो दे दिया गया है, लेकिन इस भूमि पर बने पक्के / कच्चे मकानों के लिए तब तक मुआवजा नहीं दिया गया है जब तक कि राजस्थान सरकार द्वारा मुआवजे की राशि अंतिम रूप नहीं दे दी जाती है।

(Iv) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एचएमटी-मशीन टूल्स लिमिटेड को सौंपी गई 195 एकड़ और 33 गुंटा भूमि से संबंधित मामले में, एचएमटी-एमटीएल ने आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य के खिलाफ माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 20012/2003 दायर की है। इस याचिका में, एचएमटी-एमटीएल ने 195.33 एकड़ भूमि की सीमांकन करने और इसे एचएमटी-एमटीएल को सौंपने के लिए निर्देश माँगे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में, सर्वेक्षण और निपटान विभाग, रंगारेड्डी जिला के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, यह संज्ञान में आया है कि लगभग 39 एकड़ भूमि एचएमटी-एमटीएल के वास्तविक कब्जे में नहीं है, जब कि एचएमटी-एमटीएल ने डिक्री धारकों के लिए पूरी 195.33 एकड़ भूमि का भुगतान किया है। उपरोक्त भूमि में से, 6000 वर्ग मीटर भूमि एपीएसईबी को 33 केवी स्विचिंग स्टेशन और 33/11 केवी इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए आवंटित की गई है। एपीएसईबी द्वारा देय मुआवजे की राशि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। जीएचएमसी ने कवाडीगुडा, सिकंदराबाद में उपलब्ध 3000 वर्ग गज भूमि में से 238.86 वर्ग गज भूमि को उनके द्वारा चलाए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यक्रम के लिए बिना किसी मुआवजे के अधिग्रहित करने हेतु दिनांक 01.12.2007 को नोटिस संख्या 41/86/RW/TPS/GHMC/SC/2007 के माध्यम से नोटिस जारी किया था। एचएमटी-एमटीएल ने इसका विरोध किया और उनके द्वारा सड़क चौड़ीकरण कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के लिए प्रचलित बाजार दर पर मुआवजे की मांग की है, जो अभी लंबित है।

एचएमटी-एमटीएल के संबंध में

1) वर्ष 2020-21 के दौरान, **कर्नाटक सरकार** (**जीओके**) ने **पीन्या प्लांटेशन क्षेत्र**, **बेंगलुरु** में स्थित **एचएमटी** के स्वामित्व और कब्जे वाली भूमि (जिसमें एचएमटी वॉचेस लिमिटेड और एचएमटी द्वारा पहले बेची गई भूमि भी शामिल है) की **डी-नोटिफिकेशन** की अनुमति के लिए **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** में एक **अंतरिम आवेदन** दायर किया था। यह भूमि 1960

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

के दशक से एचएमटी के कब्जे में है, जिसका कुल माप 443 **एकड़** (एचएमटी को प्रदान/उपहार/अधिग्रहित) था, जिसमें से वर्तमान में 266 **एकड़** एचएमटी के स्वामित्व और कब्जे में शेष है। इस 266 एकड़ में से 172.34 **एकड़** भूमि **एचएमटी**, **एमबीएक्स**, **बेंगलुरु** से संबंधित है। कर्नाटक सरकार (जीओके) ने अब इस **अंतरिम आवेदन** को **वापस लेने** के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी ने **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** में एक **हस्तक्षेप/पक्षकार बनने** का आवेदन दायर किया है। वर्तमान में यह मामला **सर्वोच्च न्यायालय में लंबित** है।

2) भूमि अधिग्रहण के संबंध में बीबीएमपी से प्राप्त ₹ 1850 लाख की आंशिक क्षतिपूर्ति को "अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों" के तहत भूमि की बिक्री के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। शेष ₹ 152 लाख की राशि अभी भी लंबित है।

3) बीबीएमपी ने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, जयनगर, बेंगलुरु की संपत्ति के लिए पीआईडी संख्या 07/77/5 (खाता पंजीकरण) आवंटित की है। 1997-98 से 2023-24 की अवधि के लिए एकमुश्त निपटान योजना के तहत ₹ 26,36,00,555/- संपत्ति कर का भुगतान करने के बाद, कंपनी ने बीबीएमपी से कई बार खाता प्रमाणपत्र और उसका अर्क जारी करने का अनुरोध किया है, लेकिन यह अभी तक जारी नहीं किया गया है। खातों की पुस्तकों में, भूमि का क्षेत्रफल 330.28 एकड़ दर्शाया गया है, जबकि विवरण में यह 334.26 एकड़ आया है। 3.98 एकड़ का यह अंतर मापने/लेखांकन के दौरान खरब भूमि से हटाए जाने के कारण माना जाता है। हालाँकि, इसके संबंध में कोई स्पष्टता और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं।

अन्य:

(1) अस्थायी रूप से निष्क्रिय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वहन मूल्य: शून्य।

(2) होल्डिंग कंपनी की पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुकी, किंतु अभी भी उपयोग में लाई जा रही संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सकल वहन राशि: ₹ 11169.58 लाख।

(3) कंपनी कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना के अनुसार, एचएमटी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) को स्थिर परिसंपत्तियाँ 1.4.2000 को ₹ 202.10 करोड़ के सकल मूल्य, ₹ 151.46 करोड़ के मूल्यह्रास के लिए आरक्षिति और ₹ 50.64 करोड़ के शुद्ध मूल्य पर हस्तांतरित की गई हैं।

(4) स्थिर परिसंपत्तियों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत निहित अचल संपत्तियाँ शामिल हैं। हालाँकि, राजस्व रिकॉर्ड में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर स्वामित्व विलेखों का नामांतरण अभी होना बाकी है। पट्टागत भूमि के संबंध में नए पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना लंबित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

3क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में आयु-वार विवरण (लाख रुपए में)

विवरण	पूंजीगत कार्य प्रगति पर में अवधि-वार राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सीएनसी क्षैतिज मशीनिंग केंद्र					-
सीएनसी बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन					-
नए हैंगर का निर्माण		-	-	-	-
डीज़ल जनरेटर	-				-
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	209.70	209.70
	-	-	-	**209.70**	**209.70**

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में आयु-वार विवरण

विवरण	पूंजीगत कार्य प्रगति पर में अवधि-वार राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सीएनसी क्षैतिज मशीनिंग केंद्र					-
सीएनसी बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन					-
नए हैंगर का निर्माण		-	-	11.59	11.59
डीज़ल जनरेटर	-				-
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	110.00	209.70	319.70
	-	-	**110.00**	**221.29**	**331.29**

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में पूंजीगत कार्य प्रगति पर की पूर्णता अनुसूची का विवरण:

उन पूंजीगत कार्यों की प्रगति के लिए, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है

पूंजीगत कार्य प्रगति पर		में पूरा किया जाना है			
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
संयंत्र और मशीनरी			-		
एचएमटी सीएनसी क्षैतिज मशीनिंग केंद्र - एचएमसी 1000		170.00			
एचएमटी सीएनसी खराद स्टैलियन 200 यूएल		38.98			
रेक्सरोथ निर्मित बाहरी गियर पंप		0.72			-
		209.70	**-**	**-**	**-**

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में पूंजीगत कार्य प्रगति पर की पूर्णता अनुसूची का विवरण:

उन पूंजीगत कार्यों की प्रगति के लिए, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है

पूंजीगत कार्य प्रगति पर		में पूरा किया जाना है			
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
संयंत्र और मशीनरी			110.00		
एचएमटी सीएनसी क्षैतिज मशीनिंग केंद्र - एचएमसी 1000		170.00			
एचएमटी सीएनसी खराद स्टैलियन 200 यूएल		38.98			
रेक्सरोथ निर्मित बाहरी गियर पंप		0.72			-
		209.70	**110.00**	**-**	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	भूमि और भूमि विकास	भवन	कुल
3ख. निवेश संपत्ति			
सकल वहन मूल्य			
1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	18.11	1,471.14	1,489.25
जोड़	-	-	-
पीपीई से हस्तांतरण (नीचे नोट (iii) (ग) देखें)	158.19	596.68	754.87
31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	**176.30**	**2,067.82**	**2,244.12**
जोड़			-
31 मार्च 2025 को अंतिम शेष	**176.30**	**2,067.82**	**2,244.12**
			-
मूल्यह्रास और अवमूल्यन			-
1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	**-**	**1,301.09**	**1,301.09**
मूल्यह्रास	-	19.36	19.36
पीपीई से हस्तांतरित मूल्यह्रास (वर्ष 2023-24 के लिए) (नीचे नोट (iii) (ग) देखें)		10.03	10.03
पीपीई से हस्तांतरण (1.4.2023 तक संचित मूल्यह्रास) (नीचे नोट iii (ग) देखें)	**-**	284.68	284.68
31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	**-**	**1,615.16**	**1,615.16**
मूल्यह्रास	**-**	**27.91**	**27.91**
31 मार्च 2025 को अंतिम शेष	**-**	**1,643.07**	**1,643.07**
शुद्ध वहन मूल्य			
31 मार्च 2025 को	**176.30**	**424.75**	**601.05**
31 मार्च 2024 को	176.30	452.66	628.96

अतिरिक्त जानकारी:

i) कंपनी ने कुछ भूमि और भवन को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है, जो मालिक के कब्जे वाली संपत्ति नहीं है।

ii) कंपनी ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से निवेश संपत्ति का उचित मूल्य प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर, 31 मार्च 2025 को निवेश संपत्ति का उचित मूल्य ₹ 5,59,514.29 लाख है (पिछले वर्ष ₹ 5,56,701.09 लाख था)।

iii) **भूमि**:

(a) कंपनी के पास पिंजौर, कलामास्सेरी और हैदराबाद में स्थित भूमि है, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपहार में दी गई थी। इस भूमि का माप क्रमशः 382.54 एकड़, 209.85 एकड़ और 660.75 एकड़ है, जिसका सांकेतिक मूल्य प्रत्येक के लिए ₹ 1/- रखा गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास बेंगलुरु में खरीदी गई 2.89 एकड़ भूमि भी कब्जे में है।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(b) **हैदराबाद** की भूमि के संबंध में, 28.40 **एकड़** क्षेत्र को हैदराबाद में विभिन्न सरकारी विभागों को **पट्टे** पर दिया गया था। हस्तांतरण के पंजीकरण के लंबित होने के कारण, कंपनी ने एक **राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** के साथ एक **विनिमय समझौते** के तहत 14.20 **एकड़** भूमि के बदले 14.20 **एकड़** भूमि जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। कंपनी ने 1,000 **वर्ग गज** भूमि भी **पट्टे** पर दी है, जिसके लिए **पट्टा विलेख** निष्पादित किया गया था। कंपनी ने हैदराबाद में **तेलंगाना** (जिसे पहले आंध्र प्रदेश कहा जाता था) **डाक विभाग** को **दो एकड़** अतिरिक्त भूमि जारी करने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसका निष्पादन अभी **लंबित** है। कंपनी ने **तेलंगाना सरकार** (जिसे पहले **आंध्र प्रदेश सरकार** कहा जाता था) द्वारा 106 **एकड़ और** 35 **गुंटा** भूमि पर **पुनः कब्ज़ा** करने के खिलाफ **आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** से **रोक** प्राप्त की है। हैदराबाद में कंपनी के स्वामित्व वाली 300 **एकड़** भूमि को **तेलंगाना सरकार** (जिसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार कहा जाता था) को **आंशिक बिक्री प्रतिफल** के भुगतान और **शेष भूमि** के लिए **विपणन योग्य स्वामित्व** जारी करने के बदले **समर्पण** करने के प्रस्ताव पर अभी कोई **अंतिम निर्णय** नहीं हुआ है।

(c) वर्तमान वर्ष के दौरान, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल कुछ भूमि और भवन को निवेश संपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है, जिसका मूल्य 31 मार्च, 2024 को ₹ 450.13 (शुद्ध ब्लॉक मूल्य) था। यह पुनर्वर्गीकरण आईएनडी एएस (इंड एएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्ति की प्रकृति और उपयोग की समीक्षा के बाद किया गया है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2024 के तुलनात्मक आँकड़ों को इस बदलाव को दर्शाने के लिए पुनर्कथन किया गया है। पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव निम्नलिखित है:

(लाख रुपए में)

विवरण	जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
क) पीपीई - सकल ब्लॉक	47,005.34	(754.87)	46,250.46
ख) पीपीई - मूल्यह्रास	43,141.77	(294.71)	42,847.06
ग) पीपीई - नेट ब्लॉक (ए-बी)	3,863.57	(460.16)	3,403.40
क) निवेश संपत्ति - सकल ब्लॉक	1,489.25	754.87	2,244.12
ख) निवेश संपत्ति - मूल्यह्रास	1,320.45	294.71	1,615.16
ग) निवेश संपत्ति - नेट ब्लॉक (ए-बी)	168.80	460.16	628.96

अतिरिक्त जानकारी:

निवेश संपत्ति की आय और व्यय संबंधी जानकारी

(लाख रुपए में)

	31-मार्च-25	31-मार्च-24
निवेश संपत्तियों से प्राप्त किराये की आय	**1,134.31**	1,031.29
किराये की आय अर्जित करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	**(368.59)**	(419.04)
किराये की आय अर्जित नहीं करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	**(2.59)**	(2.54)
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्ययों से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**763.13**	609.71
घटाएँ – मूल्यह्रास	**(22.48)**	(23.23)
अप्रत्यक्ष व्ययों से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**740.65**	**586.48**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

3ग. अमूर्त परिसंपत्ति (लाख रुपए में)

विवरण	31-मार्च-25 को	31-मार्च-24 को
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	**123.38**	-
घटाएँ: समायोजित सरकारी अनुदान	**123.38**	-
समापन शेष	-	-
शुद्ध वहन मूल्य	**-**	-

3घ बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियां (लाख रुपए में)

विवरण	31-मार्च-25 को	31-मार्च-24 को
भूमि एवं भूमि विकास	**24.13**	24.13
इमारतों	**272.02**	272.02
कुल	**296.15**	**296.15**

अतिरिक्त जानकारी:

एचएमटी लिमिटेड

(क) बेंगलूरू में स्थित 5.80 एकड़ भूमि, जिसे "बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों" के तहत वर्गीकृत किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उक्त भूमि के संबंध में एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय से उचित निर्देश माँगे गए हैं। उपर्युक्त भूमि के संबंध में आगे की कार्रवाई का निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही के अंतिम परिणाम के आधार पर किया जाएगा।

(ख) भारत सरकार की मंजूरी के अनुरूप, वर्ष 2022-23 के दौरान एचएमटी वॉचेस लिमिटेड (जो बंद होने की प्रक्रिया में है) की अचल परिसंपत्तियाँ ₹ 296.06 लाख के पुस्तकीय मूल्य पर एचएमटी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई हैं। अचल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के अधिकार सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए हैं, और एचएमटी लिमिटेड इन संपत्तियों के निपटान तक इनका संरक्षक है। एचएमटी लिमिटेड लागू खर्चों और करों की कटौती के बाद बिक्री की आय को प्रशासनिक मंत्रालय को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेगा।

(ग) कंपनी के पास बेंगलूरू में स्थित 89.74 एकड़ उपहार में मिली भूमि का कब्जा है, जिसमें से 7 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है, और अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए यह मामला कर्नाटक सरकार के साथ उठाया गया है।

(घ) कंपनी ने 45.622 एकड़ भूमि का कब्जा दिया है और ₹ 7202.10 लाख का पूरा बिक्री प्रतिफल प्राप्त कर लिया है, जिसका पंजीकरण होना अभी लंबित है।

(ङ) उपरोक्त वर्णित भूमि से प्राप्त बिक्री आय को लागू करों की कटौती के बाद भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाना है।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31-मार्च-25 को	31-मार्च-24 को
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
4. निवेश		
इक्विटी साधनों में निवेश		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर (पूर्ण चुकता)		
30,00,000 (पिछला वर्ष: 30,00,000) नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नाइजीरिया में 1 नाइरा प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर - शेयरधारिता का 15% (नोट 57 देखें)	-	-
कुल एफवीटीओसीआई निवेश	-	-
सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश		
कुल अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य निवेश		
सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बैंगलोर में ₹ 10 प्रत्येक के 1,50,000 (पिछला वर्ष: 1,50,000) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर - शेयरधारिता का 50% (नोट 55 देखें)	**17.71**	18.20
सहयोगियों में निवेश		
गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भावनगर में ₹ 1 प्रत्येक के 20,84,050 (पिछला वर्ष: 20,84,050) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर - शेयरधारिता का 39.86% (नोट 56 देखें)	-	-
सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी साधनों में कुल निवेश	**17.71**	**18.20**
कुल	**17.71**	**18.20**
कुल निवेश	**17.71**	**18.20**
वर्तमान	-	-
गैर-वर्तमान	**17.71**	18.20
सूचीबद्ध निवेशों की सकल राशि	-	-
गैर-सूचीबद्ध निवेशों की सकल राशि	**17.71**	18.20
निवेशों के मूल्य में अपक्षय (हानि) की सकल राशि	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31-मार्च-25 को	31-मार्च-24 को
5. माल-सूची		
कच्चा मील और घटक	**3,068.73**	3,173.54
पारगमन में माल और घटक	**26.76**	9.37
कार्य प्रगति पर	**4,240.31**	4,797.86
तैयार माल	**2,247.35**	3,462.34
व्यापारिक स्टॉक	**56.99**	44.04
पारगमन में माल	**253.94**	-
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	**1,286.31**	1,452.56
उपकरण और औजार	**274.94**	277.98
कबाड़	**56.69**	65.05
	11,512.02	13,282.74
घटाएँ: न हिलने वाली इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	**1,851.65**	1,681.10
	9,660.37	**11,601.64**
6. व्यापार प्राप्य		
असुरक्षित - अच्छा माना गया	**12,402.05**	13,424.24
असुरक्षित - संदिग्ध माना गया*	**17,412.92**	17,101.78
	29,814.97	30,526.02
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता,		
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	**17,412.92**	17,101.78
	12,402.05	**13,424.24**

कंपनी के किसी भी निदेशक या अन्य अधिकारियों से न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य बकाया है, और न ही ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य बकाया है जिसमें कोई निदेशक साझेदार, निदेशक या सदस्य है।

***संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते (प्रोविज़न) के विरुद्ध अपलिखित (राइट-ऑफ) करें (नोट 65 देखें)**

विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
असुरक्षित संदिग्ध माना गया - प्रारंभिक शेष	**17,101.78**	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	**763.81**	
घटाएँ : प्रावधान के विरुद्ध अपलिखित (राइट-ऑफ)	**452.67**	
असुरक्षित संदिग्ध माना गया - अंतिम शेष (या समापन शेष)	**17,412.92**	
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - संदिग्ध - प्रारंभिक शेष	**(17,101.78)**	
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	**763.81**	
जोड़ें: प्रावधान के विरुद्ध अपलिखित (राइट-ऑफ)	**452.67**	
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - संदिग्ध - अंतिम शेष	**(17,412.92)**	

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

6क व्यापार प्राप्तियों का आयु-वार विवरण,

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति अनुसार. (लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद - अच्छा माना गया	4,497.91	1,374.34	1,423.32	1,182.91	3,923.57	12,402.05
निर्विवाद - संदिग्ध माना गया	24.09	10.31	5.99	137.24	10,091.21	10,268.84
विवादास्पद - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
विवादास्पद - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	7,144.08	7,144.08
	4,522.00	**1,384.65**	**1,429.31**	**1,320.15**	**21,158.86**	**29,814.97**

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति अनुसार

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	4,342.08	1,355.94	3,152.04	1,283.78	3,290.40	13,424.24
निर्विवाद - अच्छा माना गया	-	1.26	34.15	144.96	9,404.33	9,584.70
निर्विवाद - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
विवादास्पद - अच्छा माना गया	-	-	-	-	7,517.08	7,517.08
विवादास्पद - संदिग्ध माना गया	**4,342.08**	**1,357.20**	**3,186.19**	**1,428.74**	**20,211.81**	**30,526.02**

(लाख रुपए में)

विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
7. रोकड़ और रोकड़ तुल्य		
चालू खाते	**483.72**	1,884.90
तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता वाली जमाएँ	**10.60**	994.90
हाथ में नकदी और चेक	**3.22**	4.16
	497.54	**2,883.96**
8. रोकड़ और रोकड़ तुल्य के अलावा बैंक शेष		
चालू खाता (सर्ज)	**9.43**	22.67
एस्क्रो खाते	**56.66**	59.72
तीन महीने से अधिक लेकिन बारह महीने से कम की परिपक्वता वाली जमाएँ	**18,827.16**	20,597.12
बारह महीने से कम की शेष परिपक्वता वाली जमाएँ	**1,185.69**	1,113.98
	20,078.94	**21,793.49**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
गैर-चालू		
सुरक्षित - अच्छा माना गया		
बारह महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंकों के पास जमाएँ	**223.36**	121.09
बैंकों के पास मार्जिन मनी	**264.16**	301.16
उपार्जित और देय ब्याज	**17.96**	6.95
	505.48	**429.20**
चालू		
सुरक्षित - अच्छा माना गया		
बैंक जमाओं पर उपार्जित और देय ब्याज	**434.18**	444.99
	434.18	**444.99**
10. चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		
अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्तियाँ*	**1,321.64**	959.33
घटाएँ: वर्तमान कर प्रावधान	**389.08**	69.08
	932.56	**890.25**
* मुख्य रूप से टीडीएस प्राप्तियाँ शामिल हैं		
11. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
गैर-चालू		
असुरक्षित - अच्छा माना गया		
सरकारी प्राधिकरणों और अन्य के पास सुरक्षा जमाएँ	**381.22**	384.18
पूंजीगत अग्रिम	**1.97**	1.97
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	**1.97**	1.97
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	**381.22**	**384.18**
चालू		
अग्रिम और अन्य प्राप्तियाँ		
असुरक्षित - अच्छा माना गया		
अग्रिम #	**3,302.66**	3,779.31
जमाएँ	**240.11**	193.80
	3,542.77	**3,973.11**
असुरक्षित - संदिग्ध माना जाता है		
अग्रिम *	**1,132.41**	1,124.99
व्यापार प्राप्य पर ब्याज	**8,217.64**	8,217.64
	9,350.05	9,342.63
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता *	**1,132.41**	1,124.99
व्यापार प्राप्य पर ब्याज के लिए भत्ते	**8,217.64**	8,217.64
	9,350.05	**9,342.63**
	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

अतिरिक्त जानकारी:

#**शामिल है**

(क) पिंजौर, हरियाणा में 446.02 एकड़ भूमि वर्ष 2019-20 के दौरान एचएसआईआईडीसी (412.69 एकड़) और भारतीय रेलवे (33.33 एकड़) को हस्तांतरित कर दी गई है और दिनांक 31.03.2025 की स्थिति अनुसार एचएसआईआईडीसी से ₹4.99 लाख (पिछले वर्ष भी ₹4.99 लाख) की राशि देय है।

(ख) संयुक्त उद्यमों को अग्रिम ₹3.23 लाख (पिछले वर्ष ₹3.40 लाख)

* संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते के विरुद्ध बट्टे खाते में डालना (नोट 65 देखें) (लाख रुपए में)

विवरण	31-मार्च-25 को	31-मार्च-24 को
संदिग्ध माने गए अग्रिम - प्रारंभिक शेष	**1,124.99**	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	**28.80**	
घटाएँ: प्रावधान के विरुद्ध अपलेखन	**21.38**	
संदिग्ध माने गए अग्रिम - अंतिम शेष	**1,132.41**	
संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता - संदिग्ध - प्रारंभिक शेष	**(1,124.99)**	
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	**28.80**	
जोड़ें: प्रावधान के विरुद्ध अपलेखन	**21.38**	
संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता - संदिग्ध - अंतिम शेष	**(1,132.41)**	

12 समता शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31-मार्च-25 को		31-मार्च-24 को	
	No	मात्रा	**No**	मात्रा
अधिकृत शेयर पूंजी:				
₹10 प्रत्येक के समता शेयर	***1,23,00,00,000***	***123,000.00***	*1,23,00,00,000*	*123,000.00*
	1,23,00,00,000	***123,000.00***	*1,23,00,00,000*	*123,000.00*
जारी, अभिदत्त और चुकता:				
10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर				
जारी, अभिदत्त और चुकता:	**355,601,640**	**35,560.16**	355,601,640	35,560.16
वर्ष के दौरान जारी किए गए	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान कमी	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के अंत में	**355,601,640**	**35,560.16**	355,601,640	35,560.16

अतिरिक्त जानकारी:

1 समता शेयर:

कंपनी के पास केवल एक वर्ग के समता शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। समता शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित और वितरित करती है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, समता शेयरों के धारक कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए समता शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

2 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
समता शेयर:				
माननीय भारत के राष्ट्रपति	**27,95,66,626**	**78.62%**	27,95,66,626	78.62%
विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि	**6,75,38,614**	**18.99%**	6,75,38,614	18.99%

3 वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर:

प्रवर्तक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	कुल शेयर का %	कुल शेयर का %
माननीय भारत के राष्ट्रपति	**27,95,66,626**	27,95,66,626	**78.62%**	-

4. पिछले 5 वर्षों में शेयरों के निर्गम से संबंधित जानकारी:
- कंपनी ने नकद भुगतान प्राप्त किए बिना कोई शेयर जारी नहीं किया है।
- कंपनी ने कोई बोनस शेयर जारी नहीं कयिा है।
- कंपनी ने शेयरों का कोई पुनर्खरीद नहीं किया है।

(लाख रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2025** को	**31 मार्च 2024** को
13. अन्य इक्विटी		
i) पूंजी आरक्षि:	**2,270.82**	2,270.82
ii) सामान्य आरक्षिति:	**16,518.37**	16,600.97
iii) प्रतिधारित आय:	**(236,841.29)**	(222,619.83)
iv) अन्य व्यापक आय	**(7,297.87)**	(7,015.05)
कुल	**(225,349.97)**	(210,763.09)

अतिरिक्त जानकारी:

आरक्षितियों की प्रकृति और उद्देश्य

(क) **पूंजी आरक्षित:** पूंजी आरक्षित, प्रागा टूल्स लिमिटेड में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और भारत सरकार द्वारा धारित समता शेयरों के अंकित मूल्य के अंतर के लिए है, जिसका एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है, और बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत विलय योजना के अनुसार उनमें से प्रत्येक को ₹1 का प्रतिफल भुगतान किया जाना है।

(ख) **सामान्य आरक्षित:** यह कंपनी द्वारा भविष्य के (ज्ञात/अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए रखे गए संचित लाभों को दर्शाता है।

(ग) प्रतिधारित आय: प्रतिधारित आय वे लाभ हैं जो कंपनी ने अब तक अर्जित किए हैं, जिसमें से सामान्य आरक्षिति में हस्तांतरण और शेयरधारकों को किए गए अन्य वितरणों को घटा दिया गया है।

(घ) अन्य व्यापक आय: यह कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है।.

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2025** को	**31 मार्च 2024** को
14. उधार		
चालू		
सुरक्षित		
सावधि ऋण (नीचे फुटनोट संख्या 1 देखें)	**57.81**	-
नकद क्रेडिट (नीचे फुटनोट संख्या 2 देखें)	**3,834.49**	3,912.95
	3,892.30	**3,912.95**
असुरक्षित		
भारत सरकार से ऋण (डिफ़ॉल्ट) #	**99,010.80**	99,010.80
भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण (डिफ़ॉल्ट) (नीचे फुटनोट संख्या 3 देखें)	**13.74**	13.74
	99,024.54	**99,024.54**
कुल चालू उधार	**102,916.84**	**102,937.49**
समग्र सुरक्षित ऋण	**3,892.30**	3,912.95
समग्र असुरक्षित ऋण	**99,024.54**	99,024.54

टिप्पणी:

1. सुरक्षित ऋण

उधार का प्रकार	ऋणदाता का नाम	सुरक्षा की प्रकृति	पुनर्भुगतान शर्तें	पुनर्भुगतान में चूक
उधार का प्रकार	केनरा बैंक	सावधि जमा ₹120 लाख	मांग पर ब्याज 7.75% प्रति वर्ष	कोई नहीं
सावधि जमा के विरुद्ध ऋण	**ऋणदाता का नाम**	**सुरक्षा की प्रकृति**	**पुनर्भुगतान शर्तें**	**पुनर्भुगतान में चूक**
कैश क्रेडिट ₹3842 लाख	यूको बैंक	इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्तियों का बंधक	कार्यशील पूंजी सुविधाएं, ब्याज @ 16.65% प्रति वर्ष।	कोई नहीं
कैश क्रेडिट ₹1175 लाख	पीएनबी	इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्तियों का बंधक	कार्यशील पूंजी सुविधाएं, ब्याज @ 16.65% प्रति वर्ष।	कोई नहीं
कैश क्रेडिट ₹565 लाख	एसबीआई	इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्तियों का बंधक	कार्यशील पूंजी सुविधाएं, ब्याज @ 16.55% प्रति वर्ष।	कोई नहीं
कैश क्रेडिट ₹100 लाख	यूनियन बैंक	इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्तियों का बंधक	कार्यशील पूंजी सुविधाएं, ब्याज @ 16.65% प्रति वर्ष।	कोई नहीं

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

2. उपर्युक्त कैश क्रेडिट (नकद ऋण) मांग पर चुकाने योग्य हैं और यह कंपनी की संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं, जिसमें इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्तियाँ शामिल हैं। यह प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं और भाग लेने वाले बैंकों के बीच सम-श्रेणी में रखते हुए, कंपनी की अचल संपत्ति के टाइटल डीड जमा करके साम्यिक बंधक के रूप में संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा भी सुरक्षित हैं।.
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी को कंपनी की समेकन और पुनर्गठन योजना की वित्तीय और रणनीतिक समीक्षा के लिए आईआईएम, बैंगलोर को भुगतान किए गए परामर्श शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु ₹13.74 लाख प्राप्त हुए हैं। हालांकि, कंपनी भारी उद्योग विभाग से यह स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है कि क्या यह राशि अनुदान है या ऋण स्पष्टीकरण के आधार पर, भारी उद्योग विभाग से पुष्टि मिलने के वर्ष में इसे आय या उधार माना जाएगा।.

चूक की अवधि और राशि (संदर्भ नोट संख्या 67)

(लाख रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2025** को	**31 मार्च 2024** को
15. गैर-चालू वित्तीय देयता	-	-
16. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
गैर-चालू		
ग्रेच्युटी	**2,178.69**	2,229.44
अर्जित अवकाश नकदीकरण	**1,087.62**	1,122.86
समाधान भत्ता	**233.89**	165.92
भविष्य निधि	**54.23**	59.40
	3,554.43	**3,577.62**
चालू		
ग्रेच्युटी	**619.71**	675.33
अर्जित अवकाश नकदीकरण	**239.78**	315.33
समाधान भत्ता	**35.98**	45.88
मजदूरी और वेतन संशोधन का बकाया (1992-1995)	**1,005.70**	1,420.15
	1,901.17	**2,456.69**
17. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)		
आस्थगित कर देयता	**107.54**	121.62
स्थगित कर परिसंपत्ति	**109.38**	121.45
	(1.84)	**0.17**
18. व्यापार देय		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कुल बकाया देय राशियाँ	**888.38**	670.08
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशियाँ	**7,666.58**	9,614.71
कुल	**8,554.96**	**10,284.79**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

18क सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण.

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदत्त (असुरक्षित) रहने वाली मूल राशि और उस पर देय ब्याज:		
- मूल राशि	**926.05**	670.08
- ब्याज	**143.84**	72.69
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	**1.78**	1.14
वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	**-**	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और संदेय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान भुगतान की गई है लेकिन नियत दिन के बाद), पर इसमें एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।		
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित (संचित) और अदत्त (असुरक्षित) रहने वाली ब्याज की राशि।	**143.84**	72.69
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत एक कटौती योग्य व्यय (डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर) की अस्वीकृति के प्रयोजनों के लिए छोटी इकाई को उपरोक्त ब्याज के बकाया का वास्तविक भुगतान किए जाने तक, उत्तरवर्ती वर्षों में भी देय और संदेय रहने वाली अतिरिक्त ब्याज की राशि।		

18B व्यापार देयता (ट्रेड पेयबल) आयु-वार विवरण

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में (लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	559.07	109.92	46.19	173.20	888.38
अन्य	4,095.97	829.54	735.64	2,005.43	7,666.58
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	4,655.04	**939.46**	**781.83**	**2,178.63**	**8,554.96**

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में (लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	445.33	111.81	61.41	51.53	670.08
अन्य	5,617.85	1,317.08	375.69	2,304.09	9,614.71
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	6,063.18	**1,428.89**	**437.10**	**2,355.62**	**10,284.79**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
19. अन्य वित्तीय देयताएँ		
3.5% वरीयता शेयर पूंजी (चूक की गई)	**3,686.00**	3,686.00
उधार पर उपार्जित और देय ब्याज:		
भारत सरकार से ऋण	**59,384.25**	53,145.05
बैंक से मियादी ऋण/सावधि ऋण	**3.05**	-
कुल	**63,073.30**	**56,831.05**

3.5% वरीयता शेयर पूंजी

प्रत्येक प्रतिदेय वरीयता शेयर का अंकित मूल्य ₹100/- प्रति शेयर है और यह 3 साल बाद प्रतिदेय है। वरीयता शेयरों पर प्रति वर्ष 3.5% लाभांश मिलता है और उपार्जन पर संचयी लाभांश का इक्विटी शेयरों में परिवर्तन किया जाता है। लाभांश अधिकार संचयी हैं। परिसमापन की स्थिति में, वरीयता शेयर, इक्विटी शेयरों से आगे होते हैं।

सीसीईए की मंजूरी और उस पर डीएचआई के जनवरी 2016 के निर्देशों के अनुसार, ₹100/- प्रत्येक के 4,43,00,000 शेयरों (₹44,300.00 लाख) में से 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयरों के 4,06,14,000 शेयरों (₹40,614.00 लाख) को विलुप्त कर दिया जाएगा और कंपनी द्वारा एचएमटी वॉचेस लिमिटेड एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड और एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड को दिए गए ऋणों और सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिमों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

शेष 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयरों के लिए, कंपनी को 29 मार्च 2007 के स्वीकृत संख्या F.No.5.1(1)/2005.PE.X के तहत स्वीकृत पुनरुद्धार योजना में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की चिह्नित अतिरिक्त परिसंपत्तियों की बिक्री की आय से वरीयता शेयर पूंजी का मोचन निर्दिष्ट किया गया है। चूंकि चिह्नित परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं हुई है, जो कि मोचन के लिए एक पूर्व-शर्त है, इसलिए शेष 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयर पूंजी का मोचन नहीं किया गया है।

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
20. अन्य देयताएँ		
गैर-चालू		
भूमि बिक्री के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम	**9,979.59**	9,979.59
भारत सरकार से अनुदान	**25.28**	47.56
सहायता अनुदान	**22.80**	22.80
	10,027.67	**10,049.95**
चालू		
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	**4,848.91**	5,521.60
उपार्जित व्यय	**853.70**	1,084.99
अन्य देनदारियां (कर्मचारी संबंधी देनदारियां, खर्चों के लिए ओएसएल, ईएमडी, सांविधिक देय राशियाँ आदि)	**46,217.39**	42,472.55
कुल	**51,920.00**	**49,079.14**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
21. चालू कर देयताएँ (शुद्ध)		
वर्तमान कर प्रावधान	**318.05**	458.75
घटाएं: अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्तियां	**283.38**	339.99
कुल	**34.67**	**118.76**

22. प्रावधान - अन्य

विवरण	वारंटी दावे	अप्रत्यक्ष करों और वेतन संशोधन की बकाया राशि के लिए प्रावधान	अन्य	कुल
1 अप्रैल 2024 को	**92.02**	**1.25**	**277.06**	**370.33**
वर्ष के दौरान उत्पन्न/उद्भूत	**106.73**	-	-	**106.73**
उपयोग किया गया	**(75.46)**	**-**	-	**(75.46)**
अप्रयुक्त राशि को वापस किया गया	**(5.15)**	**-**	-	**(5.15)**
31 मार्च 2025 को	**118.14**	**1.25**	**277.06**	**396.45**
चालू	**118.14**	**1.25**	**277.06**	**396.45**
1 अप्रैल 2023 को	104.46	1.25	277.06	**382.77**
वर्ष के दौरान उत्पन्न/उद्भूत	70.47	-	-	**70.47**
उपयोग किया गया	(81.92)	-	-	**(81.92)**
अप्रयुक्त राशि को वापस किया गया	(0.99)	-	-	**(0.99)**
31 मार्च 2024 को	**92.02**	**1.25**	**277.06**	**370.33**
चालू	**92.02**	**1.25**	**277.06**	**370.33**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 को
23. परिचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	**931.50**	724.51
घड़ियाँ	**1,475.04**	1,158.66
पुर्जे और सहायक उपकरण	**103.90**	108.69
पाउडर परियोजना से राजस्व	**-**	2,679.58
	2,510.44	**4,671.44**
सेवाओं की बिक्री		
फुटकर कार्य और विविध बिक्री	**106.87**	79.97
	106.87	**79.97**
कुल	**2,617.31**	**4,751.41**
मशीन टूल्स		
उत्पादों की बिक्री	**7,977.79**	8,161.77
सहायक उपकरण	**1,484.52**	1,199.10
	9,462.31	**9,360.87**
सेवाओं की बिक्री		
सेवाओं की बिक्री	**317.89**	275.16
फुटकर कार्य और विविध बिक्री	**264.06**	161.32
पैकिंग/अग्रेषण शुल्क	**33.82**	31.31
	615.77	**467.79**
कुल	**10,078.08**	**9,828.66**
निर्यात		
बिक्री और कमीशन	**1,393.87**	1,108.71
तकनीकी सेवाएं	**10.67**	12.90
परियोजना बिक्री और सेवाएं	**129.91**	637.01
निर्यात सहायता	**0.73**	-
	1,535.18	**1,758.62**
परिचालन से राजस्व	**14,230.57**	**16,338.69**
24. अन्य आय		
ब्याज आय		
बैंक जमा पर ब्याज आय	**1,583.74**	1,499.24
डीलरों / अन्य से ब्याज	**7.72**	36.73
	1,591.46	**1,535.97**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 को
अन्य कमाई		
कर्मचारी/अन्य से वसूली	**416.06**	422.92
प्राप्त किराया	**2,655.46**	2,352.43
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	**17.30**	23.09
सरकारी अनुदान	**-**	20.35
प्रावधान वापस लिए गए	**581.85**	524.83
अशोध्य ऋण (डूबे हुए ऋण) की वसूली	**66.81**	-
पहले के आकस्मिक व्ययों को पलटना (रिवर्स करना)	**102.29**	-
अन्य गैर-परिचालन आय	**808.76**	490.52
	4,648.53	**3,834.14**
कुल अन्य आय	**6,239.99**	**5,370.11**

25. उपयोग की गई सामग्री की लागत

कच्चा माल और कलपुर्जे		
वर्ष के प्रारंभ में माल-सूची (इन्वेंट्री)	**3,173.54**	2,840.05
जोड़ें: खरीद	**4,590.63**	7,713.49
	7,764.17	10,553.54
घटाएं: वर्ष के अंत में माल-सूची (इन्वेंट्री)	**3,068.72**	3,173.54
उपयोग किए गए कच्चे माल और कलपुर्जों की लागत	**4,695.45**	7,380.00
स्टोर्स, पुर्जों, औजारों और पैकिंग सामग्री की खपत	**1,332.40**	1,518.50
उपयोग किए गए कुल कच्चे माल और कलपुर्जे	**6,027.85**	**8,898.50**
उपयोग की गई सामग्री का विवरण		
इस्पात	**496.68**	319.18
अलौह धातुएँ	**6.58**	125.38
लौह ढलाई	**613.27**	557.24
अलौह ढलाई	**14.75**	45.52
फोर्जिंग	**52.42**	36.75
मानक पुर्जे और कलपुर्जे	**3,221.04**	5,032.46
अन्य	**290.71**	1,263.47
कुल योग	**4,695.45**	**7,380.00**

26. व्यापारिक माल की खरीद

व्यापारिक माल की खरीद	**351.07**	536.24
	351.07	**536.24**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 को
27. सूची में परिवर्तन		
तैयार माल		
वर्ष के प्रारंभ में माल-सूची	**3,462.34**	3,812.30
घटाएं: वर्ष के अंत में माल-सूची	**2,247.35**	3,462.34
सूची में परिवर्तन	**1,214.99**	**349.96**
कार्य प्रगति पर		
वर्ष के प्रारंभ में माल-सूची	**4,797.86**	4,427.36
घटाएं: वर्ष के अंत में माल-सूची	**4,240.31**	4,797.86
सूची में परिवर्तन	**557.55**	**(370.50)**
व्यापारिक स्टॉक		
वर्ष के प्रारंभ में माल-सूची	**44.04**	411.26
घटाएं: वर्ष के अंत में माल-सूची	**56.99**	44.04
सूची में परिवर्तन	**(12.95)**	**367.22**
पारगमन में माल		
वर्ष के प्रारंभ में माल-सूची	**-**	**-**
घटाएं: वर्ष के अंत में माल-सूची	**253.94**	**-**
सूची में परिवर्तन	**(253.94)**	**-**
कबाड़		
वर्ष के प्रारंभ में माल-सूची	**65.05**	95.97
घटाएं: वर्ष के अंत में माल-सूची	**56.69**	65.05
सूची में परिवर्तन	**8.36**	**30.92**
कुल	**1,514.01**	**377.60**
28. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और बोनस	**4,496.56**	5,414.70
मकान किराया भत्ता	**86.50**	102.44
ग्रेच्युटी	**345.04**	399.36
पीएफ और एफपीएस में अंशदान	**488.31**	539.44
जमा संबद्ध बीमा	**32.83**	47.63
ईएसआई में अंशदान	**3.40**	3.77
कल्याण व्यय	**779.41**	1,074.83
	6,232.05	**7,582.17**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 को
29. मूल्यह्रास और परिशोधन		
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	**717.78**	798.49
निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास	**27.91**	29.39
	745.69	**827.88**
30. वित्त लागत		
ब्याज व्यय		
भारत सरकार के ऋण	**6,239.19**	6,208.10
ब्याज व्यय (भा.स. ऋण)	**648.58**	597.59
बैंकों से नकद साख ऋण	**78.25**	-
अन्य	**-**	0.01
अन्य उधार लेने की लागत		
बट्टाकरण शुल्क	**1.22**	0.31
कुल वित्त लागत	**6,967.24**	**6,806.01**
31. अन्य व्यय		
विनिर्माण व्यय		
बिजली और ईंधन	**821.90**	932.51
मशीनरी की मरम्मत	**20.08**	26.00
गैर-चल स्टॉक के लिए प्रावधान	**320.43**	209.04
विक्रय और वितरण व्यय		
विज्ञापन और प्रचार	**16.93**	22.79
बाहरी ढुलाई	**114.64**	166.04
स्थापना व्यय		
किराया	**33.39**	29.37
दरें और कर*	**3,980.85**	1,435.04
बीमा	**41.64**	43.61
पानी और बिजली	**466.46**	449.61
भवन की मरम्मत	**41.27**	35.15
मुद्रण और लेखन सामग्री	**40.45**	41.06
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमि #	**9.50**	9.68
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**790.99**	1,601.29
वारंटी के दावे	**108.77**	73.76
पीएफ ट्रस्ट द्वारा उठाई गई हानि	**898.91**	779.47
डूबे हुए ऋण	**-**	5.46
यात्रा व्यय	**177.44**	192.60
यात्रा व्यय	**483.07**	606.08
सुरक्षा शुल्क	**576.79**	488.15
आकस्मिक श्रम शुल्क	**2,143.09**	2,026.59
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व***	**47.15**	56.55

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 को
प्रौद्योगिकी मंच "सर्ज" के व्यय	-	19.27
विनिमय में अंतर	**0.24**	2.39
आस्थगित आय का प्रतिवर्तन - पिछले वर्षों का सरकारी अनुदान**	**101.10**	0.00
प्रशिक्षण व्यय - कौशल विकास	**5.50**	3.32
अन्य व्यय	**1,583.56**	1,025.46
	12,824.15	**10,280.29**

* इसमें बीबीएमपी, बैंगलोर को ओटीएस के तहत भुगतान किए गए ₹1999.84 लाख के संपत्ति कर का बकाया शामिल है।

** वर्ष के दौरान, कंपनी ने एक सॉफ्ट डेवलपमेंट पहल "प्रोजेक्ट सर्ज" के लिए व्यय और संबंधित सरकारी अनुदान के लेखांकन उपचार का पुनर्मूल्यांकन किया। पहले, विकास व्यय को लाभ और हानि विवरण में दिखाया गया था, और अनुदान को आस्थगित अनुदान आय के रूप में मान्यता दी गई थी। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर और लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप, कंपनी ने निर्धारित किया है कि यह व्यय "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। परिणामस्वरूप, पहले मान्यता प्राप्त व्यय और अनुदान आय को उलट दिया गया है, और विकास लागतों को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के तहत पूंजीकृत किया गया है और प्राप्त सरकारी अनुदान की सीमा तक समायोजित करके इसका खुलासा किया गया है।

# शामिल हैं		
लेखा परीक्षक के रूप में	**6.24**	6.14
कराधान मामलों के लिए	**1.69**	2.03
पिछले वर्ष का लेखा परीक्षा शुल्क	**0.10**	-
लागत लेखा परीक्षा शुल्क और व्यय	**1.47**	1.26
अन्य सेवाओं के लिए	**-**	0.25
	9.50	**9.68**

***** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर.)**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, जिसे डी.पी.ई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाता है, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना आवश्यक है, कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत जो तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किया गया हो अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार। वर्ष के लिए सी.एस.आर. व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

i) वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	**47.15**	56.55
ii) पिछले वर्ष से कम पड़ी राशि	**28.62**	42.71
	75.77	99.26
iii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		
-स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में परियोजना पर - आपूर्ति		
> महिलाओं को पुन: प्रयोज्य सैनिटरी नैपकिन, यादगिर जिला	-	0.75
> दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम सहायता एवं सहायक उपकरण/ एलिमको के माध्यम से बेंगलुरु	-	-
	-	20.70

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 को
> दिव्यांगों/वरिष्ठ नागरिकों/विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम सहायता और सहायक उपकरण	-	-
एलिमको के माध्यम से चिक्कमंगलूरु	-	15.00
> संगीत वाद्य यंत्र, नेत्रहीनों की छड़ियाँ, आदि., मेसर्स ब्लेस	-	-
सोसाइटी ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट को और मेसर्स स्वावलंबन	-	-
अंगविकला सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंगलोर को	-	5.00
> कर्नाटक पब्लिक स्कूल, बैंगलोर में छात्राओं को ब्लेज़र/जैकेट की आपूर्ति	**2.48**	-
> सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद को एम्बुलेंस की आपूर्ति	**21.75**	-
> प्रशासनिक व्यय	-	0.44
> मासिक धर्म	**0.75**	-
पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में हस्तांतरण	**5.43**	28.75
वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि	**30.41**	**70.64**
iv) सीएसआर रिज़र्व (आगे ले जाई गई राशि यानी वर्ष के अंत में कमी {प्रशासनिक व्यय सहित}	**45.36**	**28.62**

कमी के कारण Tकंपनी ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि के क्षेत्र में कुछ सीएसआर की चल रही गतिविधियों की पहचान की है, जैसा कि नीचे संदर्भित है:

क) सरकारी जिला टीबी केंद्र, मांड्या को सीबीएनएएटी मशीन की आपूर्ति

ख) श्री गुरुजी सेवा न्यास को लेजर और अल्ट्रासाउंड के साथ इलेक्ट्रोथेरेपी की आपूर्ति

ग) मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति

घ) बीएलईएसएस सोसाइटी ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, बैंगलोर को शिक्षा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति

32. आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य

दुकान में निर्मित विशेष उपकरण	**(185.41)**	(298.91)
	(185.41)	**(298.91)**

33. असाधारण मदें

	-	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

34. संयुक्त उद्यम में हित

खाद्य प्रसंस्करण मशीनों के विपणन में शामिल संयुक्त उद्यम एसयूडीएमओ- एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड में कंपनी का 50% हित है। समेकित वित्तीय विवरणों में, एसयूडीएमओ- एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड में कंपनी का हित ईक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। संयुक्त उद्यम की इंड-एएस वित्तीय विवरणों पर आधारित संक्षिप्त वित्तीय जानकारी, और समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ उसका समाधान (मिलान) नीचे दिया गया है

	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
चालू परिसंपत्तियाँ जिसमें नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं	**38.75**	39.92
चालू देनदारियाँ जिसमें देय कर शामिल है	**(3.34)**	(3.52)
इक्विटी	**35.41**	36.40
कंपनी के स्वामित्व का अनुपात	**0.50**	0.50
निवेश की वहन राशि	**17.71**	**18.20**

सूडमो-एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड का लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण:

राजस्व	**2.86**	2.79
वित्त लागत	**-**	-
अन्य व्यय	**(3.85)**	(3.93)
कर-पूर्व लाभ	**(0.99)**	(1.14)
आयकर व्यय	**-**	-
वर्ष का लाभ (जारी संचालन)	**(0.99)**	(1.14)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (जारी संचालन)	**(0.99)**	**(1.14)**
वर्ष के लाभ में कंपनी का हिस्सा	**(0.50)**	**(0.57)**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
35.आयकर		
31 मार्च 2025 को और 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्षों के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:		
जारी संचालन		
लाभ और हानि का विवरण		
लाभ या हानि अनुभाग		
वर्तमान आयकर:		
वर्तमान आयकर प्रभार	**318.05**	458.75
स्थगित कर:		
अस्थायी अंतरों के उद्भव और प्रतिलोमन से संबंधित	**(3.50)**	(33.93)
कर का समायोजन :		
पिछले वर्षों से संबंधित	**(15.76)**	(718.60)
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**298.79**	**(293.78)**
ओसीआई अनुभाग		
वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर		
बंद किए गए कार्यकलाप		
वर्तमान आयकर	**-**	84,986.12
पिछली वर्षों से संबंधित कर का समायोजन	-	-
	-	**84,986.12**
ओसीआई अनुभाग		
वर्ष के दौरान ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित स्थगित कर		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ / (हानि)	**1.49**	(8.58)
ओसीआई पर प्रभारित आयकर	**1.49**	**(8.58)**

अतिरिक्त जानकारी:

कंपनी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तभी ऑफसेट करती है जब उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को समायोजित (सेट ऑफ) करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और स्थगित कर परिसंपत्तियाँ तथा स्थगित कर देनदारियाँ एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।

सहायक कंपनियों द्वारा कर व्यय का समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार, इसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

36. बंद किए गए कार्यकलाप

"क) वित्त वर्ष (FY) 2015-16 में सीसीईए की मंजूरी के अनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड और एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड का संचालन बंद कर दिया जाएगा। परिणामस्वरूप, एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड और एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड के लिए क्रमशः 10 मार्च 2022 और 20 अप्रैल 2022 के आदेश द्वारा विघटन आदेश पारित किया गया है।

ख) तदनुसार, नीचे दिए गए परिणामों में केवल एचएमटी वॉचेस लिमिटेड शामिल है।"

वर्ष के लिए बंद किए गए संचालन के परिणाम नीचे प्रस्तुत किए गए हैं: (लाख रुपए में)

ववरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 को
राजस्व		
अन्य आय	-	61.21
व्यय		
अन्य व्यय	-	116.80
बंद किए गए कार्यकलापों से असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ / (हानि)	-	**(55.59)**
असाधारण मदें		
भारत सरकार की देनदारियाँ जो माफ कर दी गईं	-	269,378.75
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	-	83,747.00
बंद किए गए कार्यकलापों से असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ / (हानि)	-	**353,070.16**
कर (व्यय) / आय		
वर्तमान कर-पूर्व लाभ / (हानि) से संबंधित	-	**84,986.12**
बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य के मापन से संबंधित (स्थगित कर)		
बंद किए गए कार्यकलापों से असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ / (हानि)	-	**268,084.04**
बंद किए गए संचालन की गैर-चालू परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार है:		
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	-	-
हुए शुद्ध नकदी प्रवाह इस प्रकार हैं:		
परिचालन	-	(1,363.99)
निवेश	-	59.68
वित्तपोषण	-	-
शुद्ध नकदी (बहिर्वाह) / अंतर्वाह	-	**(1,304.31)**
प्रति शेयर आय:		
मूल, बंद किए गए कार्यकलापों से वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	-	75.39
शुद्ध नकदी (बहिर्वाह) / अंतर्वाह	-	75.39

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
37. आकस्मिक देनदारियाँ		
1) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है; विवरण		
विवरण		
a) अपील में लंबित कर-संबंधी दावे		
i) उत्पाद शुल्क	**-**	-
ii) बिक्री कर	**213.55**	213.55
iii) संपत्ति कर	**3,933.66**	8,080.05
iv) आयकर	**37.92**	37.92
b) रियायती बिक्री कर के आरोपण के विरुद्ध संबंधित फॉर्मों की अप्राप्ति	**54.40**	54.40
c) कर्मचारी-संबंधी दावे जो तालाबंदी, बकाया मजदूरी, प्रोत्साहन और वार्षिक बोनस आदि से संबंधित हैं, और न्यायनिर्णय के लिए लंबित हैं, जहाँ तक पता लगाया जा सकता है	**1,815.50**	1,772.17
d) दोषपूर्ण उत्पाद, तीसरे पक्ष को चोट पहुँचाने वाली दुर्घटना, सामग्री की आपूर्ति से संबंधित दावों आदि से संबंधित विभिन्न मामले	**14,957.09**	14,693.67
e) कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न कानूनी मामले और एच.एम.टी. वॉचेस लिमिटेड से संबंधित अन्य आकस्मिक देनदारियाँ (संदर्भ नोट संख्या 60)	**9,855.75**	9,896.80
f) जारी की गई गारंटी, प्रति-गारंटी और एलसी [(एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को जारी की गई ₹12272 लाख की कॉर्पोरेट गारंटी के विरुद्ध ₹8063 लाख और ₹8045 लाख (पिछले वर्ष) शामिल है)]	**9,606.71**	11,188.27
g) कंपनी द्वारा अप्रैल, 2010 तक उपयोग किए गए जीवन तारा बिल्डिंग (एलआईसी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के स्वामित्व वाली) परिसर के संबंध में विवादित पट्टा किराया।	**311.77**	311.77
h) टीडीएस की कम और गैर-प्रेषण के लिए ट्रेसेज सॉफ्टवेयर के तहत स्रोत पर काटे गए आयकर की मांग - मामला विचाराधीन है।	**79.09**	79.12
i) पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	**-**	-

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
j)	शेयर बाजारों ने सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत कुछ गैर-अनुपालनों, जैसे कि निदेशक मंडल की संरचना, समितियों, खातों को प्रस्तुत करने में देरी आदि के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है। शेयर बाजारों के परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट के आवेदन बाजार को दाखिल करने से पहले एक्सचेंज के परिपत्रों के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है। तदनुसार, कुछ मामलों में, कंपनी को शेयर बाजारों से जुर्माने में छूट मिली है। कंपनी ने शेयर बाजारों से जुर्माने में छूट के लिए फिर से अनुरोध किया है। कुल जुर्माने की राशि (लगभग):	**825.84**	510.11
k)	एक निरीक्षण के आधार पर, बेसकॉम ने 18-08-2020 को टाउनशिप क्षेत्र में बिजली के व्यावसायिक उपयोग के लिए ₹122 लाख की मांग उठाई (जबकि कनेक्शन औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त किया गया था)। इस मांग में पिछली तिथि से संशोधित टैरिफ, ब्याज और जुर्माना शामिल था। एचएमटी लिमिटेड ने ₹61 लाख जमा के रूप में भुगतान किए और उपयुक्त अधिकारियों के पास मांग नोटिस के विरुद्ध अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकरण ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया [आदेश दिनांक 06-05-2025 के माध्यम से]। प्राधिकरण ने बेसकॉम को निर्देश दिया कि औद्योगिक टैरिफ के तहत पहले से लगाए गए मांग राशि को घटाने के बाद, बिना किसी जुर्माने के एकल दर लागू करते हुए एक संशोधित नोटिस जारी किया जाए। देय राशि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है और बेसकॉम से नई मांग मिलने के बाद ही तय की जाएगी।		

38. अन्य खुलासे

(a) भारत सरकार ने एच.एम.टी. वॉचेस लिमिटेड, जो कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए मार्च 2007 के दौरान कंपनी को ₹200 लाख की योजना सहायता जारी की थी, जो इक्विटी (₹100 लाख) और ऋण (₹100 लाख) के रूप में थी। सहायक कंपनी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन निधियों का उपयोग न करने के कारण, भारत सरकार ने दिसंबर 2009 के दौरान कंपनी को कुल ₹200 लाख की योजना सहायता वापस करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, कंपनी ने फरवरी 2010 के दौरान भारत सरकार को ₹100 लाख की ऋण राशि वापस कर दी है। हालांकि, इक्विटी भाग की वापसी के संबंध में, चूंकि कंपनी ने भारत सरकार की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार अप्रैल 2007 के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में पहले ही ₹10/- प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर (₹100 लाख) जारी कर दिए थे, इसलिए यह वापसी नहीं की जा सकी, क्योंकि यह शेयर पूंजी में कमी मानी जाएगी जिसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी और कंपनी अधिनियम तथा इस संबंध में लागू नियमों के अनुसार अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी, और यह बात भारत सरकार को सूचित कर दी गई है। इस संबंध में भारत सरकार से आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा है।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024

(b) अन्य देनदारियाँ (गैर-चालू) में शामिल हैं:

कंपनी की दो संपत्तियों की बिक्री पूरी करने के प्रयास अभी भी लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन लेनदेन के लिए प्राप्त अग्रिम राशि को 'अन्य गैर-चालू देनदारियों' के तहत वर्गीकृत किया गया है और संपत्तियों की लागत को «बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ" के तहत वर्गीकृत किया गया है: (1) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से ₹926.64 लाख प्राप्त हुए और बेचने के लिए एक समझौता निष्पादित किया गया था और कब्जा हस्तांतरित कर दिया गया है, लेकिन संबंधित प्राधिकरणों से लंबित मंजूरी के कारण पंजीकरण पूरा नहीं हो सका। (2) उत्तराखंड सरकार से ₹7,202.10 लाख (टीडीएस सहित) प्राप्त हुए, यह बिक्री निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा नीलामी और बातचीत के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को की गई थी। पंजीकरण में इसलिए देरी हुई है क्योंकि कंपनी वर्तमान में उक्त संपत्ति पर कब्जा किए हुए पूर्व-कर्मचारियों से खाली कब्जा प्राप्त करने में असमर्थ रही है। चूंकि दोनों लेनदेन अधूरे हैं, इसलिए कंपनी ने अपनी बहियों में बिक्री को मान्यता नहीं दी है। तदनुसार, कोई भी पूंजीगत लाभ कर देनदारी उस वित्तीय वर्ष में दर्ज की जाएगी जिसमें परिसंपत्तियों की बिक्री पर आय को मान्यता दी जाएगी।

39. वरीयता शेयर पूंजी

भारत सरकार ने मार्च 2007 के दौरान सहायक कंपनी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी-एमटीएल) की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी देते हुए, 3.5% वरीयता शेयर पूंजी के रूप में ₹44300 लाख के नकद निवेश की मंजूरी दी थी। यह राशि सहायक कंपनी की वरीयता शेयर पूंजी में निवेश के लिए कंपनी के माध्यम से भेजी गई थी। यह राशि एचएमटी-एमटीएल की अधिशेष अचल संपत्तियों की बिक्री से 3 साल बाद, यानी 31.03.2010 को, भुनाई जानी थी।

हालांकि, सीसीईए की मंजूरी के अनुसार, ₹100/- प्रत्येक के 4,43,00,000 शेयरों में से 4,06,14,000 शेयर बुझा दिए जाएंगे। इसके बाद ₹100/- प्रत्येक के 36,86,000 शेयरों का शेष बचेगा, जिसे अचल संपत्ति की बिक्री पर भुनाने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार को देय वरीयता शेयरों पर निश्चित संचयी लाभांश का बकाया (उस पर कर सहित)	**5,607.63**	5,607.63

40. इन्वेंटरी में शामिल हैं

एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए स्थापना और चालू करने के संबंध में देय राशि।	**213.06**	405.47

41. व्यापार प्राप्यों में शामिल हैं

एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए स्थापना और चालू करने के संबंध में देय राशि।	**194.13**	243.41
विलंबित आपूर्तियों पर दावा किए गए / यदि दावा किए गए तो परिसमापन हर्जाने और अग्रिमों पर ब्याज के लिए रोकी गई राशि।	-	-
उन पार्टियों से देय राशि जिनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में मामले दर्ज किए गए हैं, जो लंबित हैं।	-	-
एचएमटी (आई) लिमिटेड के संबंध में तीन वर्ष से अधिक के बकायों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो ग्राहकों से विशिष्ट पुष्टियों द्वारा समर्थित नहीं हैं।	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
42. अग्रिमों में शामिल हैं		
कर्मचारियों के अग्रिमों, बोनस आदि से वसूली योग्य राशि, जो न्यायनिर्णय / बातचीत के लिए लंबित है।	**2.54**	2.54
वेतन / मजदूरी, महंगाई भत्ता के बकायों की ओर कर्मचारियों को किए गए तदर्थ भुगतान, यदि कोई हो, जिसका समायोजन लंबित है और इस सीमा तक खातों में प्रावधान किया गया है।	**28.37**	148.40
43. आकस्मिक परिसंपत्ति		
अतीत में बट्टे खाते में डाले गए ऋण, लेकिन न्यायालयों के समक्ष वसूली कार्यवाही जारी है।	**120.43**	138.98

44. संबंधित पक्षकार लेनदेन और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत प्रकटीकरण

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध
श्री राजेश कोहली (दिनांक 05.04.2024 से प्रभावी) श्री कृष्णास्वामी रविशंकर (दिनांक 08.03.2024 से 05.04.2024 तक प्रभावी) सुश्री आरती भटनागर (दिनांक 14.02.2023 से प्रभावी) डॉ. रेणुका मिश्रा (दिनांक 23.07.2024 से प्रभावी) सुश्री मुक्ता शेखर (दिनांक 04.09.2023 से 23.07.2024 तक प्रभावी) सुश्री समीना कोहली (दिनांक 10.06.2024 से प्रभावी) सुश्री रीता सक्सेना (दिनांक 25.08.2023 से 24.05.2024 तक प्रभावी) श्री एस. किशोर कुमार सुश्री अपर्णा आर	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन **कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक**	**31 मार्च 2025**	**31 मार्च 2024**
श्री एस. किशोर कुमार	**16.91**	15.87
सुश्री अपर्णा आर	**15.35**	5.58
सुश्री कामना मेहता	**-**	6.84
	32.26	**28.29**
निदेशकों की बैठक शुल्क	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहायक कंपनियों के साथ संबंधित पक्ष लेन-देन		
समेकन में अपनी सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन और शेष समाप्त कर दिए जाते हैं।		
संयुक्त उद्यम के साथ संबंधित पक्ष लेन-देन		
एसयूडीएमओ एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड अग्रिम (नाम/जमा)		
अग्रिम (डेबिट/क्रेडिट)		
दिया गया अग्रिम (शुद्ध)	3.40	8.70
लिया गया अग्रिम (शुद्ध)	3.23	3.40
हस्तांतरण	-	-
अंतिम शेष	(3.40)	**(8.70)**
जमा शेष	**3.23**	**3.40**

45. उचित मूल्य

नीचे कंपनी के वित्तीय साधनों के वहन राशि और उचित मूल्य की तुलना वर्गानुसार दी गई है, उन साधनों को छोड़कर जिनकी वहन राशि उनके उचित मूल्यों का तर्कसंगत अनुमान है।

	वहन राशि		उचित मूल्य	
	31-मार्च-25	**31-मार्च-24**	**31-मार्च-25**	**31-मार्च-24**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
एफवीटीओसीआई वित्तीय निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ				
उधार	**38,745.10**	**38,765.75**	38,745.10	38,765.75
ब्याज मुक्त - भारत सरकार	**64,171.74**	**64,171.74**	64,171.74	64,171.74
कुल	**102,916.84**	**102,937.49**	**102,916.84**	**102,937.49**

प्रबंधन ने यह आकलन किया कि नकदी और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट, और अन्य वर्तमान देयताएं मोटे तौर पर उनकी वहन राशि के बराबर हैं, इसका मुख्य कारण इन साधनों की अल्पावधि परिपक्वता है। प्रबंधन ने यह भी आकलन किया कि ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण को छोड़कर भारत सरकार ऋण उनकी वहन राशि के लगभग बराबर हैं, क्योंकि इन पर कोई लेन-देन लागत नहीं लगाई जाती है।

ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण का उचित मूल्य ऋण राशि को 5 वर्ष की चुकौती अवधि के लिए छूट देकर निकाला गया है। गणना के उद्देश्य से, 8% को ब्याज की प्रभावी दर माना गया है।

कंपनी ने 3.5% विमोचनीय अधिमान शेयर में चूक की है जो विमोचन के लिए परिपक्व हो चुके हैं, और इसलिए खातों में कोई उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है।.

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

46. उचित मूल्य पदानुक्रम

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 के तहत वर्गीकृत उचित मूल्य मापन में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अगोचर इनपुट एक मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण के साथ नीचे दिखाए गए हैं:

31 मार्च 2025 तक परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण (लाख रुपए में)

				उचित मूल्य मापन का उपयोग करके		
			कुल	सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट (स्तर 3)
	मूल्यांकन की तिथि	मूल्यांकन तकनीक				
उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियाँ:						
एफवीटीओसीआई वित्तीय निवेश:						
असूचीबद्ध इक्विटी शेयर						
नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड			-			-
वे परिसंपत्तियाँ जिनके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है						
निवेश संपत्तियां						
भूमि *	31 मार्च 2025	वृत्त दर	**559,514.29**			**559,514.29**
वित्तीय देयताँ						
ब्याज मुक्त भारत सरकार, ऋण	31 मार्च 2025		**64,171.74**			**64,171.74**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

31 मार्च 2024 तक परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण (लाख रुपए में)

				उचित मूल्य मापन का उपयोग करके		
			कुल	सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट (स्तर 3)
	मूल्यांकन की तिथि	मूल्यांकन तकनीक				
उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियाँ:						
एफवीटीओसीआई वित्तीय निवेश:						
असूचीबद्ध इक्विटी शेयर						
नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड			-			-
वे परिसंपत्तियाँ जिनके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है						
निवेश संपत्तियां						
भूमि *	31 मार्च 2024	वृत्त दर	556,701.09			556,701.09
वित्तीय देयताँ						
ब्याज मुक्त भारत सरकार, ऋण	31 मार्च 2024		64,171.74			64,171.74

* मार्गदर्शन मूल्य पर आधारित।

A) नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, भारत के बाहर निगमित एक कंपनी है, और 31-12-2020 की अपनी नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार इसकी निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और इसलिए इसका उचित मूल्य शून्य माना गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

47. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(लाख रुपए में)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
जारी कार्यकलाप	**(14,305.38)**	(13,007.77)
बंद किए गए कार्यकलाप	-	268,084.04
मूल आय के लिए इक्विटी धारकों को देय लाभ	**(14,305.38)**	**255,076.27**
तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी धारकों को देय लाभ	**(14,305.38)**	**255,076.27**
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**355,601,640**	355,601,640
तनुकरण का प्रभाव:		
परिवर्तनीय अधिमान शेयर	-	-
तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	**355,601,640**	**355,601,640**
जारी कार्यकलापों के लिए प्रति शेयर आय		
i) जारी कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ	**(4.02)**	(3.66)
ii) जारी कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय कम किया गया (या तनुभूत) लाभ	**(4.02)**	(3.66)
बंद किए गए कार्यकलापों के लिए प्रति शेयर आय		
i) बंद किए गए कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ	-	75.39
ii) बंद किए गए कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय कम किया गया (या तनुभूत) लाभ	-	75.39

* रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्रमाणीकरण की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़े कोई अन्य लेन-देन नहीं हुए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

48. भारतीय लेखा मानक-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, परिभाषित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

i) परिभाषित अंशदान योजना:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष
पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान	**88.81**	99.40

ii) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

कंपनी कर्मचारियों को भविष्य निधि ट्रस्ट, ग्रेच्युटी और सेटलमेंट भत्ता में अंशदान करती है, जो परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं।

कंपनी [(एचएमटीएल) और एचएमटी(आई)] ने भविष्य निधि के लिए एक स्वतंत्र एक्चुअरी से वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की है।

क) कंपनी की योजना के परिभाषित लाभ दायित्व को निर्धारित करने में उपयोग की गई प्रमुख मान्यताएँ नीचे दिखाई गई हैं।

	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
	%	%
बट्टा दर:		
ग्रेच्युटी योजना	**6.95**	7.23
सेटलमेंट भत्ता	**6.95**	7.23
भविष्य की वेतन वृद्धि:		
ग्रेच्युटी योजना	**10.00**	10.00
सेटलमेंट भत्ता	**10.00**	10.00

जनसांख्यिकीय मान्यताओं का सारांश	ग्रेच्युटी योजना		सेटलमेंट भत्ता	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
मृत्यु दर IALM (2012-14) (संशो.) अल्टिमेट मृत्यु दर तालिका के प्रतिशत के रूप में) {पिछले वर्ष की IALM (2012-14) अल्टिमेट मृत्यु दर तालिका}	**100%**	100%	**100%**	100%
विकलांगता दर (उपरोक्त मृत्यु दर के प्रतिशत के रूप में)	**0%**	0%	**0% to 5%**	0% to 5%
निकासी दर	**1% to 3%**	1% to 3%	**1% to 3%**	1% to 3%
कर्मचारी छोड़ने की दर				
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु*				
औसत भविष्य सेवा	**19.04**	18.12	**19.04**	18.12

*टिप्पणी: एचएमटी लिमिटेड और एचएमटी (आई) लिमिटेड के मामले में 60 वर्ष की आयु।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के मामले में 58 वर्ष की आयु। हालांकि, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड में कोई कर्मचारी नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

48 क. कर्मचारी लाभ दायित्व

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना और समापन भत्ता की लागत, और ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक घटनाक्रमों से भिन्न हो सकती हैं। इनमें डिस्काउंट दर, भविष्य की वेतन वृद्धि और मृत्यु दर (Mortality Rates) का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी लंबी अवधि की प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। सभी मान्यताओं की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

A. ग्रेच्युटी

31 मार्च 2025 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2024	लाभ या हानि में प्रभारित (चार्ज) ग्रेच्युटी लागत			लाभ या हानि में प्रभारित (चार्ज) ग्रेच्युटी लागत							नियोक्ता द्वारा अंशदान	31 मार्च 2025
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किए गए लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर)	परिसंपत्ति सीमा के कारण पुनर्मापन (ब्याज आय को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अन्य व्यापक आय (OCI) में शामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	**(4,445.41)**	**(161.90)**	**(286.17)**	**(448.07)**	**842.34**	**(0.09)**	**0.00**	**0.00**	**(59.32)**	**(205.02)**	**(264.43)**	**0.00**	**(4,315.57)**
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1,540.64**	**0.00**	**107.58**	**107.58**	**(835.86)**	**46.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46.16**	**658.65**	**1,517.17**
लाभ देयता	**(2,904.77)**			**(340.49)**	**6.48**						**(218.27)**	**658.65**	**(2,798.40)**

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	1 अप्रैल 2023	लाभ या हानि में प्रभारित (चार्ज) ग्रेच्युटी लागत			लाभ या हानि में प्रभारित (चार्ज) ग्रेच्युटी लागत							नियोक्ता द्वारा अंशदान	31 मार्च 2025
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किए गए लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर)	परिसंपत्ति सीमा के कारण पुनर्मापन (ब्याज आय को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अन्य व्यापक आय (OCI) में शामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	(4,750.50)	(205.10)	(315.34)	(520.44)	822.93	(7.11)	**0.00**	**0.00**	(31.43)	41.14	2.60	**0.00**	(4,445.41)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,444.99	**0.00**	98.93	98.93	(822.93)	13.25	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	13.25	806.40	1,540.64
लाभ देयता	**(3,305.51)**			**(421.51)**	**0.00**						**15.85**	**806.40**	**(2,904.77)**

कंपनी और उसकी सहायक कंपनी की अलग-अलग योजनागत परिसंपत्तियाँ हैं। होल्डिंग कंपनी ने अतिरिक्त राशि का वित्तपोषण किया है। हालाँकि, सहायक कंपनी के संबंध में एक देयता है जिसे एक-दूसरे के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रकट नहीं किया जा सकता।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

ख. सेटलमेंट भत्ता

31 मार्च 2025 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2024	लाभ या हानि में प्रभारित (चार्ज) ग्रेच्युटी लागत			लाभ या हानि में प्रभारित (चार्ज) ग्रेच्युटी लागत							नियोक्ता द्वारा अंशदान	31 मार्च 2025
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किए गए लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर)	परिसंपत्ति सीमा के कारण पुनर्मापन (ब्याज आय को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अन्य व्यापक आय (OCI) में शामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	**(211.80)**	**(25.60)**	**(13.43)**	**(39.03)**	**47.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(8.71)**	**(57.59)**	**(66.30)**	**0.00**	**(269.87)**
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
लाभ देयता	**(211.80)**			**(39.03)**	**47.26**						**(66.30)**	**0.00**	**(269.87)**

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	1 अप्रैल 2023	लाभ या हानि में प्रभारित (चार्ज) ग्रेच्युटी लागत			लाभ या हानि में प्रभारित (चार्ज) ग्रेच्युटी लागत							नियोक्ता द्वारा अंशदान	31 मार्च 2025
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किए गए लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर)	परिसंपत्ति सीमा के कारण पुनर्मापन (ब्याज आय को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अन्य व्यापक आय (OCI) में शामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	(234.40)	(19.70)	(15.56)	(35.26)	48.19	**0.00**	**0.00**	**0.00**	(4.04)	13.71	9.67	**0.00**	(211.80)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
लाभ देयता	**(234.40)**			**(35.26)**	**48.19**						**9.67**	**0.00**	**(211.80)**

C. भविष्य निधि (ब्याज की कमी)

कंपनी का भविष्य निधि में दिया गया/देय अंशदान तथा देयता/दायित्व उपार्जन आधार पर मान्यता प्राप्त है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। छूट दिए जाने की शर्तों में यह निर्धारित है कि ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर और सांविधिक दर के बीच यदि कोई कमी होती है, तो नियोक्ता उस कमी को पूरा करेगा। फंड की परिसंपत्तियों और निवेश पर प्रतिफल को देखते हुए, कंपनी निकट भविष्य में किसी और दायित्व का अनुमान नहीं लगाती है।

कंपनी (स्टैंडअलोन) ने 31 मार्च 2025 को किए गए एक्चुअरियल मूल्यांकन के आधार पर दायित्व को मान्यता दी है, जिसके अनुसार ट्रस्ट द्वारा अर्जित होने वाली अपेक्षित ब्याज दर और अपेक्षित भविष्य की ईपीएफओ ब्याज दर के बीच अंतर के कारण दायित्व का वर्तमान मूल्य मौजूद है। 31 मार्च 2025 को यह ब्याज की कमी ₹ 54.23 लाख थी, और 31 मार्च 2024 को यह ₹ 59.40 लाख थी।

238 of 546
HMT Group Annaul Report FY24-25-Hindi.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/HMT%20Group%20Annaul%20Rep...
12/5/2025, 12:33 PM

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

48ख. कर्मचारी लाभ (जारी):

ख संवेदनशीलता विश्लेषण:

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए मुख्य एक्चुअरियल मान्यताएँ जिन पर वे विशेष रूप से संवेदनशील हैं, वे हैं बट्टा दर और पूर्ण वेतन वृद्धि दर। निम्न तालिका रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रिपोर्ट किए गए परिभाषित लाभ दायित्व पर इन मान्यताओं में 100 आधार अंकों की वृद्धि या कमी के कारण पड़ने वाले प्रभाव को संक्षेप में प्रस्तुत करती है:

(i) ग्रेच्युटी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
बट्टा दर में परिवर्तन	**211.09**	**189.21**	179.01	162.28
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	**178.67**	**187.05**	117.35	113.63
निकासी दरों में परिवर्तन	**2.94**	**2.76**	26.51	23.00

(ii) Settlement Allowance

(Rs. In lakhs)

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
बट्टा दर में परिवर्तन	**32.49**	**28.86**	16.03	15.94
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	**29.04**	**34.49**	15.16	17.27
निकासी दरों में परिवर्तन	**29.61**	**31.04**	15.52	17.09

च ग्रेच्युटी के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित अंशदान ₹1,624.57 लाख होगा, और निपटान भत्ता शून्य होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

49. सेगमेंट रिपोर्टिंग

31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ वर्ष

I. राजस्व

(लाख रुपए में)

विवरण	खाद्य प्रसंस्करण इकाई	मशीन उपकरण	परियोजनाएँ	अन्य	समायोजन / अंतर-सेगमेंट समाप्ति	कुल
राजस्व	**1133.94**	**11077.27**	**1535.18**	**1483.37**	**(999.19)**	**14,230.57**
ब्याज आय	**11.23**	**124.55**	**218.58**	**3,509.37**	**(2,272.27)**	**1,591.46**
कुल	**1,145.17**	**11,201.82**	**1,753.76**	**4,992.74**	**(3,271.46)**	**15,822.03**
घटाएं:						
ब्याज खर्च	**1.21**	**9,160.04**	**0.00**	**78.26**	**(2,272.27)**	**6,967.24**
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	**13.31**	**586.41**	**13.81**	**132.16**	**-**	**745.69**
सेगमेंट परिणाम	**1,130.65**	**1,455.37**	**1,739.95**	**4,782.32**	**(999.19)**	**8,109.10**
जोड़ें: अनआवंटनीय आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,648.03**
घटाएँ: अनआवंटनीय खर्च	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,763.72**
कर से पहले कुल लाभ / हानि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(14,006.59)**
घटाएँ: आयकर खर्च	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**298.79**
वर्ष के लिए लाभ / हानि						**(14,305.38)**

II. परिसंपत्तियां और देनदारियां

विवरण	खाद्य प्रसंस्करण इकाई	मशीन उपकरण	परियोजनाएँ	अन्य	कुल सेगमेंट	समायोजन / अंतर-सेगमेंट समाप्ति	कुल
कुल परिसंपत्तियाँ	**2,009.33**	**26,385.85**	**5,887.32**	**20,599.44**	**54,881.94**	**(2,294.10)**	**52,587.84**
कुल देयताएँ	**1,409.16**	**57,702.60**	**1,881.09**	**17,691.81**	**78,684.66**	**163,692.99**	**242,377.65**

31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष

I. राजस्व

विवरण	खाद्य प्रसंस्करण इकाई	मशीन उपकरण	परियोजनाएँ	अन्य	समायोजन / अंतर-सेगमेंट समाप्ति	कुल
राजस्व	3604.75	9970.00	1758.62	1186.49	(181.17)	16,338.69
ब्याज आय	14.63	129.66	169.16	2,766.63	(1,544.11)	1,535.97
कुल	3,619.38	10,099.66	1,927.78	3,953.12	(1,725.28)	17,874.66
घटाएं:						
ब्याज खर्च	0.32	8,349.80	-	-	(1,544.11)	6,806.01
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	13.31	604.26	13.08	197.23	-	827.88
सेगमेंट परिणाम	**3,605.75**	**1,145.60**	**1,914.70**	**3,755.89**	**(181.17)**	**10,240.77**
जोड़ें: अनआवंटनीय आय	-	-	-	-	-	3,833.57
घटाएँ: अनआवंटनीय खर्च	-	-	-	-	-	27,375.89
कर से पहले कुल लाभ / हानि	-	-	-	-	-	(13,301.55)
घटाएँ: आयकर खर्च	-	-	-	-	-	(293.78)
वर्ष के लिए लाभ / हानि						**(13,007.77)**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

II. परिसंपत्तियां और देनदारियां

(लाख रुपए में)

विवरण	खाद्य प्रसंस्करण इकाई	मशीन उपकरण	परियोजनाएँ	अन्य	कुल सेगमेंट	समायोजन / अंतर-सेगमेंट समाप्ति	कुल
कुल परिसंपत्तियाँ	2,440.32	31,338.52	5,705.62	22,621.70	62,106.16	(1,603.10)	**60,503.06**
कुल देयताएँ	1,936.54	56,426.12	1,924.13	17,253.76	77,540.55	158,165.44	**235,705.99**

वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों का समाधान

(लाख रुपए में)

लाभ / हानि का समाधान	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सेगमेंट परिणाम	8,109.10	10,240.77
जोड़ें: अनआवंटनीय आय	4,648.03	3,833.57
घटाएँ: अनआवंटनीय खर्च	26,763.72	27,375.89
कर से पहले जारी परिचालनों का लाभ / हानि	(14,006.59)	**(13,301.55)**
जोड़ें / घटाएँ: बंद परिचालनों से लाभ या हानि	-	353,070.16
कर से पहले कुल लाभ / हानि	(14,006.59)	339,768.61
घटाएँ: कर खर्च	(298.79)	(84,692.34)
वर्ष के लिए लाभ / हानि	(14,305.38)	**255,076.27**
परिसंपत्तियों का समाधान		
सेगमेंट परिचालन परिसंपत्तियां	54,881.94	62,106.16
अंतर-सेगमेंट (समाप्ति)	(2,294.10)	(1,603.10)
कुल परिसंपत्तियां	52,587.84	**60,503.06**
देयताओं का समाधान		
सेगमेंट परिचालन देयताएं	78,684.66	77,540.55
बंद परिचालनों की देयताएं	-	-
अंतर-सेगमेंट (समाप्ति)	(2,294.10)	(1,603.10)
आस्थगित कर देयताएं	(1.84)	0.17
उधार	165,988.93	159,768.37
कुल देयताएँ	242,377.65	**235,705.99**

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

पूंजीगत व्यय में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का जोड़ शामिल है।

अंतर-सेगमेंट आय और व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं समेकन पर समाप्त कर दी जाती हैं और 'समायोजन और समाप्ति' कॉलम में परिलक्षित होती हैं।

कंपनी ने 2016 में एक परिचालन सेगमेंट के रूप में वर्गीकृत किया है। इंड-एएस 108 यह मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है कि क्या सेगमेंट प्रकटीकरण बंद परिचालनों पर लागू होते हैं। हालाँकि निपटान किया गया सेगमेंट महत्वपूर्ण है, कंपनी ने इंड-एएस 108 के तहत सेगमेंट प्रकटीकरणों के भीतर इसके परिणामों का खुलासा नहीं किया है। इंड-एएस 105 बताता है कि अन्य मानकों की आवश्यकताएं बंद परिचालनों पर लागू नहीं होती हैं, जब तक कि वे विशेष रूप से उन पर लागू होने वाले प्रकटीकरणों को निर्दिष्ट न करें। चूंकि इंड-एएस 108 बंद परिचालनों का संदर्भ नहीं देता है, इसलिए इकाइयों को उन्हें रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट के रूप में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। बंद परिचालनों की परिसंपत्तियां और देयताएं 'समायोजन और समाप्ति' कॉलम में रिपोर्ट की जाती हैं।

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रमुख ग्राहक- परिचालन से राजस्व के 10% से अधिक ग्राहकों से राजस्व का विवरण		
क) भारत		
खाद्य प्रसंस्करण इकाई	**114.21**	**2,679.58**
मशीन उपकरण	**4,092.64**	**3,118.03**
कुल	**4,206.85**	**5,386.31**
ख) भारत के बाहर	-	-
कुल (क +ख)	**4,206.85**	**5,386.31**

समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

50 अनुपात विश्लेषण

	अनुपात	अंश	हर	वि.व. 24-25	वि.व. 23-24	% बदलाव	विचलन का कारण
1	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	वर्तमान देनदारियां	0.21	0.25	-16.11%	-
2	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	चालू देयताएं	-	-	-	-
		ऋण सेवा के लिए					
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	उपलब्ध (ईबीआईटीडीए)	आयशेयरधारक इक्विटी	-0.06	-0.05	10.76%	-
4	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात	करों के बाद शुद्ध लाभ	ऋण सेवा (ब्याज + मूलधन)	-	-	-	-
5	इन्वेंट्री आवर्त अनुपात	बिक्री	औसत शेयरधारक इक्विटी	1.34	1.40	-4.22%	-
6	व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात	उधार बिक्री	औसत मालसूची	1.10	1.02	8.04%	-
7	व्यापार देय आवर्त	शुद्ध उधार खरीद / सेवाएं	औसत व्यापार प्राप्य	0.67	1.06	-36.99%	क्रेडिट में कमी के कारण
8	शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत व्यापार देय	-0.08	-0.05	60.00%	पिछले वर्ष में एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के बंद परिचालनों की भारत सरकार की देयताओं को राइट बैक करने के परिणामस्वरूप शुद्ध बिक्री में कमी और औसत नकारात्मक कार्यशील पूंजी में कमी के कारण।
9	शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	राजस्व	-100.53%	1561.18%	-106.44%	पिछले वर्ष में एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के बंद परिचालनों की भारत सरकार (GOI) की देयताओं को राइट बैक करने के परिणामस्वरूप कर के बाद लाभ में कमी के कारण।
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई (ईबीआईटी)	नियोजित पूंजी = मर्तू शुद्ध-मूल्य + कुल ऋण	-	-	-	इक्विटी नकारात्मक होने के कारण नियोजित पूंजी पर प्रतिफल निर्धारित और तुलना नहीं किया जा सकता है।
11	निवेश पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं है, इसलिए अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

51 समूह का गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक निवेश है, जो एक सहयोगी कंपनी है। सूचना की अनुपलब्धता के कारण समूह ने इसे सहयोगी के रूप में लेखांकित हीं किया था। तदनुसार, इंड-एएस के कार्यान्वयन पर, कंपनी ने इसे इंड-एएस 28 के अनुसार लेखांकित किया है।

52 समूह का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बिक्री के लिए रखे गए गैर-चालू परिसंपत्तियों के प्राप्त करने योग्य मूल्य भारत सरकार के समर्थन और अन्य व्यावसायिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने यह मानते हुए समूह के वित्तीय विवरण किए हैं कि यह एक चालू संस्था है और परिसंपत्तियों और देयताओं के वहन मूल्य में किसी भी समायोजन को आवश्यक नहीं माना गया है।

53 स्थगित कर:

आय करों के लिए प्रावधान आई एन डी एएस 12- आय करों के संदर्भ में किया गया है।

स्थगित कर संपत्ति/ (देयता) में बदलाव (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष की शुरुआत में शुद्ध स्थगित कर संपत्ति/देयता	**0.17**	42.68
जोड़ें: वर्ष के लिए (स्थगित कर लाभ) / प्रभार	**(2.01)**	(42.51)
वर्ष के अंत में शुद्ध स्थगित कर संपत्ति/देयता	**(1.84)**	0.17

शुद्ध स्थगित कर संपत्ति/ (देयता) में निम्नलिखित के कारण होने वाले समयांतर से उत्पन्न होने वाला कर प्रभाव शामिल है:

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
मूल्यह्रास	**(106.50)**	(120.58)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	**108.34**	120.41

होल्डिंग कंपनी ने भविष्य में व्यावसायिक लाभों की उचित निश्चितता के अभाव में अप्रयुक्त कर हानियों पर स्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

54 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रभार सूचकांक में आईडी 80046855 वाला एक प्रभार अभी भी खुला है, जो भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक का ऋण बहुत पहले ही चुका दिया है। चूंकि यह मामला लगभग पच्चीस साल पुराना है, इसलिए प्रभार की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के समन्वय में प्रयास किए जाएंगे।

55 कंपनी ने एसयूडीएमओ एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बैंगलोर में रु. 15 लाख (इक्विटी शेयरों का 50%), जिसमें रु. 10/- प्रत्येक के 1,50,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर शामिल हैं, का निवेश किया है। मैसर्स एसयूडीएमओ-एचएमटी का कोई परिचालन नहीं है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने की मंजूरी (फरवरी 2020) दी है और मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (जुलाई 2021) को समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

56 कंपनी ने गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन, भावनगर (मैसर्स जीएसएमटीसी) में रु. 20.84 लाख (इक्विटी शेयरों का 39.86%), जिसमें रु. 1/- प्रत्येक के 20,84,050 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर शामिल हैं, का निवेश किया है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मैसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी (मार्च 2021) और गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड (जीआईआईसी) को सहमति पत्र जारी किया। जीआईआईसी ने गुजरात सरकार के उद्योग और खान विभाग से अनुमोदन के अधीन मैसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन को मंजूरी दी (सितंबर 2021)। कंपनी आगे की कार्रवाई के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसमापन शुरू करने हेतु भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है।

57 कंपनी ने नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नाइजीरिया (मैसर्स एनएमटीएल) में 1 नैरा प्रत्येक के 30,00,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मैसर्स एनएमटीएल में हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दी (फरवरी 2020) और प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन मांगा। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से आगे के संचार की प्रतीक्षा है।

58 समूह ने किसी भी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("बिचौलिए") शामिल हैं, को कोई भी धनराशि (चाहे उधार लिए गए फंड, या शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में नहीं दी है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि बिचौलिया, समूह द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा।

59 समूह को किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("फंडिंग पार्टी") शामिल हैं, से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि समूह, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा।

60 कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।

61 बीईएससीओएम ने एमबीएक्स के बिजली बिल में रु. 122 लाख जोड़े हैं। एबीडी पहले ही रु. 61 लाख का भुगतान कर चुका है और बीईएससीओएम के जुर्माने/दावे के खिलाफ अदालत गया है। एबीडी कानूनी मामले की देखरेख कर रहा है और चूंकि संपत्ति उसके नियंत्रण में है, इससे संबंधित किसी भी वित्तीय निहितार्थ को एबीडी द्वारा वहन किया जाएगा।

62 एमबीएक्स ने गेल को भूमि पट्टे पर दी है। अनसुलझे कानूनी मुद्दों के कारण, यह इकाई गेल से कोई आय बिल नहीं कर रही है। गेल से सुरक्षा जमा के रूप में रु. 1.4 करोड़ प्राप्त हुए थे।

63 भारतीय लेखा मानकों में जो संशोधन कंपनी पर लागू होते हैं, उनसे कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

64 'व्यापार प्राप्य', 'ऋण और अग्रिम', 'व्यापार देय' और 'अन्य वर्तमान देनदारियां' के तहत शेष राशि की पुष्टि होना बाकी है, हालांकि अधिकांश मामलों में पुष्टि मांगी गई है।

65 तुलना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े प्रकट नहीं किए गए हैं क्योंकि संबंधित जानकारी पिछले वर्ष में संकलित नहीं की गई थी।

66 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए पुनर्समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

64 चूक की अवधि और राशि इस प्रकार हैं:

एचएमटी लिमिटेड

उधार लेने की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	किस्त की राशि और चूक की अवधि	दिनों की संख्या विलंब या अवैतनिक
भारत सरकार के ऋण [ब्याज मुक्त] दिनांकित 21.01.2017 रु. 30368 लाख	भारत सरकार	1) रु. 6,073.60 लाख तारीख 21.01.2018 से	2625
		2) रु. 6,073.60 लाख तारीख 21.01.2019 से	2260
		3) रु. 6,073.60 लाख तारीख 21.01.2020 से	1895
		4) रु. 6,073.60 लाख तारीख 21.01.2021 से	1529
		5) रु. 6,073.60 लाख तारीख 21.01.2022 से	1164
भारत सरकार के ऋण [ब्याज मुक्त] दिनांकित 16.02.2017 रु. 24000 लाख	भारत सरकार	1) रु. 4,800 लाख तारीख 16.02.2018 से	2599
		2) रु. 4,800 लाख तारीख 16.02.2019 से	2234
		3) रु. 4,800 लाख तारीख 16.02.2020 से	1869
		4) रु. 4,800 लाख तारीख 16.02.2021 से	1503
		5) रु. 4,800 लाख तारीख 16.02.2022 से	1138
भारत सरकार के ऋण [ब्याज मुक्त] दिनांकित 29.04.2017 रु.9790 लाख	भारत सरकार	1) रु. 1,958 लाख तारीख 29.04.2018 से	2527
		2) रु. 1,958 लाख तारीख 29.04.2019 से	2162
		3) रु. 1,958 लाख तारीख 29.04.2020 से	1796
		4) रु. 1,958 लाख तारीख 29.04.2021 से	1431
		5) रु. 1,958 लाख तारीख 29.04.2022 से	1066
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड			
कैपेक्स ऋण @15.50% ब्याज दिनांकित 30.03.2006 रु. 395 लाख	भारत सरकार	1) रु. 79 लाख तारीख 02.04.2007 से	6572
		2) रु. 79 लाख तारीख 02.04.2008 से	6206
		3) रु. 79 लाख तारीख 02.04.2009 से	5841
		4) रु. 79 लाख तारीख 02.04.2010 से	5476
		5) रु. 79 लाख तारीख 02.04.2011 से	5111
VRS ऋण @ 3.5% ब्याज दिनांकित 01.11.2007 रु. 2784.76 लाख	भारत सरकार	1) रु. 556.95 लाख तारीख 27.12.2008 से	5937
		2) रु. 556.95 लाख तारीख 27.12.2009 से	5572
		3) रु. 556.95 लाख तारीख 27.12.2010 से	5207
		4) रु. 556.95 लाख तारीख 27.12.2011 से	4842
		5) रु. 556.96 लाख तारीख 27.12.2012 से	4476
वैधानिक देय राशियों के भुगतान के लिए @15.50% ब्याज दिनांकित 29.03.2007 रु. 782 लाख	भारत सरकार	1) रु. 156.40 लाख तारीख 30.03.2008 से	6209
		2) रु. 156.40 लाख तारीख 30.03.2009 से	5844
		3) रु. 156.40 लाख 30.03.2010 तारीख से	5479
		4) रु. 156.40 लाख तारीख 30.03.2011 से	5114
		5) रु. 156.40 लाख तारीख 30.03.2012 से	4748

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

VRS ऋण @ 3.5 ब्याज दिनांकित 31.12.2008 रु. 1216.43 लाख	भारत सरकार	1) रु. 243.29 लाख तारीख 15.01.2010 से	5553
		2) रु. 243.29 लाख तारीख 15.01.2011 से	5188
		3) रु. 243.29 लाख तारीख 15.01.2012 से	4823
		4) रु. 243.29 लाख तारीख 15.01.2013 से	4457
		5) रु. 243.27 लाख तारीख 15.01.2014 से	4092
वैधानिक देय राशियों के भुगतान के लिए @13.50% ब्याज दिनांकित 24.07.2012 रु. 4442.61 लाख	भारत सरकार	1) रु. 888.52 लाख तारीख 01.08.2013 से	4259
		2) रु. 888.52 लाख तारीख 01.08.2014 से	3894
		3) रु. 888.52 लाख तारीख 01.08.2015 से	3529
		4) रु. 888.52 लाख तारीख 01.08.2016 से	3163
		5) रु. 888.52 लाख तारीख 01.08.2017 से	2798
वैधानिक देय राशियों के भुगतान के लिए @13.50% ब्याज दिनांकित 18.03.2014 Rs.1960 लाख	भारत सरकार	1) रु. 39 2 लाख तारीख 21.03.2015 से	3662
		2) रु. 392 लाख तारीख 21.03.2016 से	3296
		3) रु. 392 लाख तारीख 21.03.2017 से	2931
		4) रु. 392 लाख तारीख 21.03.2018 से	2566
		5) रु. 392 लाख तारीख 21.03.2019 से	2201
वैधानिक देय राशियों के भुगतान के लिए @13.50% ब्याज दिनांकित 23.09.2014 रु. 2400 लाख	भारत सरकार	1) रु. 480 लाख तारीख 04.10.2015 से	3465
		2) रु. 480 लाख तारीख 04.10.2016 से	3099
		3) रु .480 लाख तारीख 04.10.2017 से	2734
		4) रु. 48 0लाख तारीख 04.10.2018 से	2369
		5) रु. 480 लाख तारीख 04.10.2019 से	2004
कार्यशील पूंजी ऋण @13.50% ब्याज दिनांकित 23.09.2014 रु. 2500 लाख	भारत सरकार	1) रु. 500 लाख तारीख 04.10.2015 से	3465
		2) रु. 500 लाख तारीख 04.10.2016 से	3099
		3) रु. 500 लाख तारीख 04.10.2017 से	2734
		4) रु. 500 लाख तारीख 04.10.2018 से	2369
		5) रु. 500 लाख तारीख 04.10.2019 से	2004
वैधानिक देय राशियों के भुगतान के लिए @13.50% ब्याज दिनांकित 09.10.2014 रु.1891 लाख	भारत सरकार	1) रु. 378.20 लाख तारीख 11.10.2015 से	3458
		2) रु. 378.20 लाख तारीख 11.10.2016 से	3092
		3) रु. 378.20 लाख तारीख 11.10.2017 से	2727
		4) रु. 378.20 लाख तारीख 11.10.2018 से	2362
		5) Rs . 378.20 लाख तारीख 11.10.2019 से	1997
वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए @13.50% ब्याज दिनांकित 09.10.2014 Rs. 2743 लाख	भारत सरकार	1) रु. 548.60 लाख तारीख 11.10.2015 से	3458
		2) रु. 548.60 लाख तारीख 11.10.2016 से	3092
		3) रु. 548.60 लाख तारीख 11.10.2017 से	2727
		4) रु. 548.60 लाख तारीख 11.10.2018 से	2362
		5) रु. 548.60 लाख तारीख 11.10.2019 से	1997

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

1997 के वेतन संशोधन को लागू करने के लिए @7.00% ब्याज दिनांकित 06.02.2015 रु. 2934 लाख	भारत सरकार	1) रु. 586.80 लाख तारीख 10.02.2016 से	3336
		2) रु. 586.80 लाख तारीख 10.02.2017 से	2970
		3) रु. 586.80 लाख तारीख 10.02.2018 से	2605
		4) रु. 586.80 लाख तारीख 10.02.2019 से	2240
		5) रु. 586.80 लाख तारीख 10.02.2020 से	1875
कार्यशील पूंजी ऋण @13.50% ब्याज दिनांकित 06.02.2015 रु. 5000 लाख	भारत सरकार	1) रु. 1000 लाख तारीख 10.02.2016 से	3336
		2) रु. 1000 लाख तारीख 10.02.2017 से	2970
		3) रु. 1000 लाख तारीख 10.02.2018 से	2605
		4) रु. 1000 लाख तारीख 10.02.2019 से	2240
		5) रु. 1000 लाख तारीख 10.02.2020 से	1875
वैधानिक देय राशियों के भुगतान के लिए @13.50% ब्याज दिनांकित 31.03.2015 रु. 2634 लाख	भारत सरकार	1) रु. 526.8 0 लाख तारीख 31.03.2016 से	3286
		2) रु. 526.8 0 लाख तारीख 31.03.2017 से	2921
		3) रु. 526.8 0 लाख तारीख 31.03.2018 से	2556
		4) रु. 526.8 0 लाख तारीख 31.03.2019 से	2191
		5) रु. 526.8 0 लाख तारीख 31.03.2020 से	1825
1997 के वेतन संशोधन को लागू करने के लिए @7.00% ब्याज दिनांकित 30.09.2015 रु. 3170 लाख	भारत सरकार	1) रु. 634 लाख तारीख 03.10.2016 से	3100
		2) रु. 634 लाख तारीख 03.10.2017 से	2735
		3) रु. 634 लाख तारीख 03.10.2018 से	2370
		4) रु. 634 लाख तारीख 03.10.2019 से	2005
		5) रु. 634 लाख तारीख 03.10.2020 से	1639

समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

65 वैधानिक समूह जानकारी

इकाई का नाम	शुद्ध आस्तियाँ अर्थात, कुल आस्तियाँ घटा कुल देयताएँ		लाभ और हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध आस्तियों के % के रूप में	लाख रुपए में	समेकित शुद्ध लाभ / हानि के % के रूप में	लाख रुपए में	समेकित शुद्ध अन्य व्यापक आय के % के रूप में	लाख रुपए में	समेकित शुद्ध कुल व्यापक आस्तियों के % के रूप में	लाख रुपए में
एच एम टी लिमिटेड								
31 मार्च 2025 को शेष	**22.20%**	-59,802.62	**-11.26%**	**1,610.32**	**-1.58%**	**4.44**	**-11.07%**	**1,614.76**
31 मार्च 2024 को शेष	22.87%	-57,331.38	0.96%	2,442.41	124.97%	42.64	0.97%	2,485.05
सहायक कंपनियाँ								
1 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड								
31 मार्च 2025 को शेष	**79.30%**	-213,628.80	**112.54%**	**-16,099.30**	**116.01%**	**-326.58**	**112.61%**	**-16,425.88**
31 मार्च 2024 को शेष	78.65%	-197,202.94	-6.09%	-15,524.15	-19.99%	-6.82	-6.09%	-15,530.97
2 **एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड**								
31 मार्च 2025 को शेष	**-1.49%**	4,006.23	**-1.29%**	**184.10**	**-14.44%**	**40.64**	**-1.54%**	**224.74**
31 मार्च 2024 को शेष	-1.51%	3,781.49	0.03%	79.92	-4.98%	-1.70	0.03%	78.22
3 **एचएमटी वॉचेस लिमिटेड**								
31 मार्च 2025 को शेष	**0.00%**	-	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**
31 मार्च 2024 को शेष	0.00%	-	105.10%	268,078.66	0.00%	-	105.08%	268,078.66
सभी सहायक कंपनियों में गैर-नियंत्रित हित								
31 मार्च 2025 को शेष	**0.00%**	-	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**
31 मार्च 2024 को शेष	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
सहयोगी कंपनियाँ (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
31 मार्च 2025 को शेष	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31 मार्च 2024 को शेष	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
एसयूडीएमओ एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड								
31 मार्च 2025 को शेष	**-0.01%**	17.71	**0.00%**	**-0.50**	**0.00%**		**0.00%**	**-0.50**
31 मार्च 2024 को शेष	-0.01%	18.20	0.00%	-0.57	0.00%		0.00%	-0.57
कुल								
31 मार्च 2025 को शेष	**100.00%**	**-269,407.48**	**100.00%**	**-14,305.38**	**100.00%**	**-281.50**	**100.00%**	**-14,586.88**
31 मार्च 2024 को शेष	100.00%	-250,734.63	100.00%	255,076.27	100.00%	34.12	100.00%	255,110.39

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

प्रारूप एओसी-1

सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

(कंपनी (खाते) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

भाग "क": सहायक कंपनियाँ

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी राशि लाखों रुपये में प्रस्तुत की जानी है)

क्र. सं	विवरण	विवरण		
		1	2	3
1	सीआईएन	U02922KA1999GOI025572	U33309KA1974GOI002707	U33301KA1999GOI025573
2.	सहायक कंपनी का नाम	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड
3.	वह तारीख जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	09-08-99	13-12-74	09-08-99
4	वे प्रावधान जिनके तहत कंपनी एक सहायक कंपनी बन गई है।	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87)(i) के तहत।		
5	संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	शून्य	शून्य	शून्य
6	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शून्य	शून्य	शून्य
7	शेयर पूंजी	27659.91	72	649.01
8	आरक्षितियाँ और अधिशेष (संचित लाभ / (हानियाँ))	(241288.44)#	3934.23	(649.01)
9	कुल परिसंपत्तियाँ	26385.85	6045.03	-
10	कुल देयताएँ	240014.37	2038.8	-
11	निवेश	-	-	-
12	कारोबार	11077.27	1535.18	-
13	कर-पूर्व लाभ	(16,099.30)	199.06	-
14	कराधान के लिए प्रावधान	-	14.96	-
15	कराधान के बाद लाभ	(16,099.30)	184.10	-
16	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य
17	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100%	100%	100%

इसमें ₹ 2270.82 लाख का पूँजी आरक्षित शामिल है

1. उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है - शून्य

2. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया है - शून्य

समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

प्रारूप एओसी-1

सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

(कंपनी (खाते) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

भाग "क": सहायक कंपनियाँ

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी राशि लाखों रुपये में प्रस्तुत की जानी है)

क्र. सं	विवरण	विवरण		
		1	2	3
1	सीआईएन	U02922KA1999GOI025572	U33309KA1974GOI002707	U33301KA1999GOI025573
2.	सहायक कंपनी का नाम	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड
3.	वह तारीख जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	09-08-99	13-12-74	09-08-99
4	वे प्रावधान जिनके तहत कंपनी एक सहायक कंपनी बन गई है।	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87)(i) के तहत।		
5	संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	शून्य	शून्य	शून्य
6	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शून्य	शून्य	शून्य
7	शेयर पूंजी	27659.91	72	649.01
8	आरक्षितियाँ और अधिशेष (संचित लाभ / (हानियाँ))	(241288.44)#	3934.23	(649.01)
9	कुल परिसंपत्तियाँ	26385.85	6045.03	-
10	कुल देयताएँ	240014.37	2038.8	-
11	निवेश	-	-	-
12	कारोबार	11077.27	1535.18	-
13	कर-पूर्व लाभ	(16,099.30)	199.06	-
14	कराधान के लिए प्रावधान	-	14.96	-
15	कराधान के बाद लाभ	(16,099.30)	184.10	-
16	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य
17	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100%	100%	100%

इसमें ₹ 2270.82 लाख का पूँजी आरक्षित शामिल है

1. उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है - शून्य

2. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया है - शून्य

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

26वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की 26वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष का अभिभाषण

मेरे प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष वर्ष 2024-25 के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गर्व हो रहा है। हमें पिछले वर्ष की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करने के लिये वैश्विक दृष्टिकोण, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और हमारे राष्ट्र के भविष्य पर विनिर्माण पहलों के प्रभाव को स्वीकार करना भी आवश्यक है।

वैश्विक दृष्टीकोण

वैश्विक अर्थव्यवस्था सामान्य रुप से चल रहा है, लेकिन असमान विस्तार के दौर में प्रवेश कर रही है। आईएमएफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) के अनुसार, विश्व जीडीपी वृद्धि दर 2024 के 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 3.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जबकि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार तनाव और सख्त मौद्रिक नीति के कारण लगातार बढ़ते जोखिमों के बावजूद, मुख्य मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे गिरावट जारी रहेगी। हालाँकि, 2025 में वैश्विक व्यापार वृद्धि दर घटकर केवल 1.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो आपूर्ति-श्रृंखला के पुनर्गठन और बढ़ती नीतिगत अनिश्चितता दोनों पर दिखाई पड़ता है, जो निकट भविष्य में निवेश और सीमा पार मांग को कम कर सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

2025 से 2030 तक भारत का आर्थिक दृष्टीकोण मजबूत और आशावादी है, जिसमें जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.2-6.7% प्रति वर्ष अनुमानित है। भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर हो रहा है, जिसका जीडीपी लगभग 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। विकास के प्रमुख प्रेरकों में मज़बूत घरेलू माँग, बढ़ता निजी उपभोग, बढ़ता निवेश और डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल शामिल हैं। मुद्रास्फीति में कमी आ रही है, जिससे केंद्रीय बैंक को विकास को समर्थन देने की गुंजाइश मिल रही है। संरचनात्मक सुधारों, बेहतर व्यापार नीतियों और बढ़ते मध्यम वर्ग से उपभोग और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा मिलने की आशा है। वैश्विक अनिश्चितताओं से चुनौतियाँ बनी हुई हैं, इसके बावजूद भारत की दीर्घकालिक प्रगति सकारात्मक और परिवर्तनकारी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य पर विनिर्माण का प्रभाव

उच्च मूल्य-संवर्धन, रोज़गार सृजन और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर विनिर्माण भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालाँकि हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 15-17% के बीच मामूली रूप मे ही है, लेकिन 2032 तक इसके सकल मूल्य-संवर्धन के लगभग 21% तक बढ़ने का अनुमान है, जिसे बुनियादी ढाँचे में पर्याप्त पूंजीगत व्यय और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का समर्थन प्राप्त है, जिसने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव घटकों के निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश किया है। डिजिटल-ट्विन प्रौद्योगिकियों और उद्योग 4.0 को अपनाने से, सटीक इंजीनियरिंग में बढ़ी हुई घरेलू क्षमता, भारतीय फर्मों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और कम लागत वाले विनिर्माण केंद्रों में "चीन + 1" आपूर्ति-श्रृंखला बदलावों को अपनाने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों सहित भारत के विस्तारित कार्यबल के एक बड़े हिस्से को अवशोषित करके विनिर्माण विस्तार से घरेलू आय में वृद्धि होगी और शहरी और ग्रामीण मांग में तेजी बढ़ेगी, जिससे पारंपरिक कृषि की हिस्सेदारी कम होने के बावजूद निरंतर उपभोग वृद्धि को बल मिलेगा।

व्यावसायिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था में मज़बूत घरेलू माँग, मज़बूत सार्वजनिक अवसंरचना व्यय और युवा

जनसांख्यिकीय लाभांश द्वारा संचालित लचीली वृद्धि की विशेषता बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वास्तविक कुल घरेलू उत्पाद में लगभग 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो अपने दशकीय औसत को बनाए रखेगा। अनुकूल मानसूनी वर्षा ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जबकि स्वस्थ ऋण वृद्धि और ग्रामीण आय में सुधार ने निजी उपभोग को बल दिया है। साथ ही, उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए उन्नत ऋण सहायता जैसी सरकारी पहल नए निवेश चक्रों को बढ़ावा दे रही हैं। सामाग्रि-कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत के विविध विकास कारक और चल रहे संरचनात्मक सुधार इसे 2025 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने की स्थिति में रखते हैं।

क्षेत्रीय रुझान

विनिर्माण

विनिर्माण गतिविधि में तेज़ी आई है और वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र में लगभग 6.2% की वृद्धि हुआ है। मशीनरी, रसायन और धातुओं में मज़बूत ऑर्डर बुक के कारण, पहली त्रैमासिक में क्षमता उपयोग 22 त्रैमासिकों के उच्चतम स्तर 75.8% पर पहुँच गया हैं। "मेक इन इंडिया" पहल और बढ़ते निजी बुनियादी ढाँचे के निवेश निर्माताओं को अपने उत्पादन का आधुनिकीकरण और विविधता लाने के लिए और प्रोत्साहित कर रहे हैं।

सेवाएँ

सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जो कुल मूल्य वर्धन में आधे से अधिक का योगदान देता है। 2025 की शुरुआत में, सेवा पीएमआई 59.0 तक पहुँच गया, जो आईटी, वित्तीय सेवाओं और व्यवसाय-प्रक्रिया आउटसोर्सिंग में मज़बूत वृद्धि को दर्शाता है। डिजिटल अपनाने, निर्यात माँग और बढ़ती घरेलू खपत के कारण इस क्षेत्र के लगभग 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

प्रौद्योगिकी और नवाचार

प्रौद्योगिकी और नवाचार विकास के प्रमुख चालक बने हुए हैं, और 2025 तक आईटी खर्च 11% से अधिक बढ़कर लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। वैश्विक आउटसोर्सिंग मात्रा में आईटी सेवाओं के निर्यात का योगदान लगभग 18% होने की उम्मीद है। उद्यम पूंजी गतिविधि, विशेष रूप से एआई, फिनटेक और गहरी तकनीकी नये छोटे उद्यमों में, मजबूत बनी हुई है, जो भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दिखाती है।

कृषि

कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। अनुकूल मौसम और सामान्य से अधिक वर्षा ने फसल की पैदावार को बढ़ावा दिया है और ग्रामीण आय जरिये को मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे घरेलू खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण उपभोग दोनों को बढ़ावा मिल रहा है।

प्रदर्शन

कंपनी ने पिछले वर्ष के 99.70 करोड़ रुपये के मुकाबले 110.77 करोड़ रुपये की बिक्री और पिछले वर्ष के 92.20 करोड़ रुपये के मुकाबले 96.46 करोड़ रुपये का उत्पादन किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान 160.99 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष 155.24 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया गया था।

भविष्य का दृष्टिकोण

मशीन टूल्स बाज़ार

भारतीय मशीन टूल्स बाज़ार निरंतर विस्तार के लिए तैयार है, जो घरेलू आधुनिकीकरण अभियान और प्रमुख अंतिम-उपयोग उद्योगों की बढ़ती माँग, दोनों पर आधारित है। आई एम ए आर सी समूह के अनुसार, यह बाज़ार 2024 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया और 2025 से 2033 के बीच 7.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर 2025 और 2033 के अंत तक अनुमानित 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। यह मज़बूत प्रगति पारंपरिक से सीएनसी तकनीकों की ओर चल रहे बदलाव के साथ-साथ ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रक्षा और तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग जैसे

क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमता-वृद्धि परियोजनाओं को प्रदर्शित करती है।

प्रमुख विकास कारकों में घटक निर्माण में अधिक सटीकता, उत्पादकता और लचीलेपन की अनिवार्यता शामिल है। एम्बेडेड सेंसर, डिजिटल ट्विन्स और पूर्वानुमानित-रखरखाव मंच जैसी उद्योग 4.0 प्रथाओं को तेज़ी से अपनाने से वास्तविक समय प्रक्रिया अनुकूलन संभव होता है और रुकना कम होता है। "मेक इन इंडिया" पहल और निजी बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश से उन्नत मशीन टूल्स में नए पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि स्वचालित, बहु-अक्षीय मशीनिंग प्रणालियों की ओर बदलाव से निर्माताओं को बढ़ती हुई सटीक सहनशीलता और जटिल ज्यामिति को पूरा करने में मदद मिल रही है।

फिर भी, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों, विशेष रूप से उच्च-परिशुद्धता वाले दुर्बल पदार्थ, नियंत्रण इकाइयों और मार्गदशक मार्ग के लिए आयात पर निर्भर है, जिससे ओईएम को मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्नत सीएनसी और योगात्मक घटवात्मक संकर मंच पर में प्रशिक्षित प्रचालकों के बीच कौशल की कमी, नए उपकरणों के पूर्ण उपयोग में बाधा डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल (विशेषकर स्टील और विशेष मिश्र धातुओं) की कीमतों में उतार-चढ़ाव मशीन उपकरण निर्माताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं, दोनों के लिए लागत अनिश्चितता को बढ़ाता है।

इन जोखिमों को कम करने और स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने अपनी पूंजीगत वस्तु योजनाओं के माध्यम से लक्षित समर्थन तैनात किया है। जनवरी 2022 में शुरू की गई भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के दूसरे चरण के तहत 1,207 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय (जिसमें से 975 करोड़ रुपये बजटीय सहायता है) के साथ 33 परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें उत्कृष्टता केंद्र, सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र और परीक्षण एवं प्रमाणन अवसंरचना शामिल हैं। पूंजीगत वस्तुओं के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम और सीमा शुल्क में ढील सहित पूरक नीतिगत उपायों का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निवेश को जोखिम मुक्त करना और घरेलू अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है।

निष्कर्षतः, भारतीय मशीन-टूल्स उद्योग आने वाले दशक में आधुनिकीकरण की लहर पर सवार होने के लिए तैयार है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की पहल

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने कई महत्वपूर्ण पहल कीं है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों के साथ विनिर्माण उत्कृष्टता और रणनीतिक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बल मिला।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को यूरोप स्थित एक प्रतिष्ठित रक्षा कंपनी से 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का एक प्रतिष्ठित निर्यात आदेश प्राप्त हुआ। यह प्रतिष्ठित आदेश न केवल विश्व स्तरीय मशीन टूल्स प्रदान करने में एचएमटी की क्षमताओं को उजागर करता है, बल्कि वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में इसकी उपस्थिति को भी मजबूत करता है।

एचएमटी एमटीएल ने भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण (ओएसडीए) को 12.5 करोड़ रुपये मूल्य की 62 मशीनें प्रदान कीं। इस पहल ने क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा दिया है और व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसंरचना को बढ़ाने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप है।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय (डीटीईटी), ओडिशा को 20 स्टैलियन-200 सीएनसी मशीनों की आपूर्ति से जुड़ा एक प्रमुख घरेलू आदेश को भी पूरा किया। 9.5 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया, जिससे राज्य में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं के आधुनिकीकरण में योगदान मिला।

इसके अलावा, एचएमटी ने आयुध निर्माणी अंबाझरी (ओएफएजे) को बम के खोल बनाने के लिए तीन एसबीसीएनसी-30 मशीनों और तीन शेल टर्न मशीनों सहित छह मशीनों की आपूर्ति और

कमीशनिंग की। यह पहल भारत में रक्षा निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में एचएमटी के निरंतर योगदान का प्रमाण है।

इसके अतिरिक्त, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा नौसेना खरीद महानिदेशालय (डीजीएनपी), मुंबई को वर्टिकल टर्निंग लेथ (वीटीएल 1600), सीएनसी मशीन (एल45 सीएनसी 3000), और सीएनसी टर्निंग सेंटर (स्टैलियन 200) सहित सात मशीनों की आपूर्ति की गई। यह बहु-इकाई आपूर्ति विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचएमटी के उत्पादन केंद्रों में एकीकृत क्षमताओं और समन्वय को प्रदर्शित करती है।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मशीन टूल्स प्रदर्शनी, आईएमटीईएक्स- 2025 (23 से 29 जनवरी 2025) में अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपस्थिति दर्ज करायी है। एचएमटी मंडप का उद्घाटन भारत सरकार के माननीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री द्वारा किया गया। एचएमटी की भागीदारी का एक प्रमुख आकर्षण एचएमटी आई-कनेक्ट का आधिकारिक शुभारंभ था, जो सीएनसी मशीन के प्रदर्शन की केंद्रीकृत दृश्यता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक क्लाउड-आधारित एकीकरण मंच है। कंपनी ने मशीन टूल्स क्षेत्र में तकनीकी नवाचार के लिए अपनी रणनीतिक प्रासंगिकता और प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

मशीन टूल्स के क्षेत्र में संयुक्त कार्य करने और उद्योग, शैक्षणिक सहयोग, ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण के विकास में तेजी लाने के लिए विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू), बेलगावी (कर्नाटक) और आईआईटी, रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), मुंबई के लिए 39 जोड़ी थ्री-पीस मैनिपुलेटर (टीपीएम) की आपूर्ति का एक प्रतिष्ठित ऑर्डर पूरा किया।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर), कलपक्कम के लिए अपनी तरह के पहले थ्री-पीस मैनिपुलेटर-जेड (टीपीएम-जेड) का विकास सफलतापूर्वक पूरा किया है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की पूंजीगत वस्तु योजना-2 (सीजी योजना-2) के अंतर्गत, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी के सहयोग से भारत में पहली बार रैम प्रकार की बोरिंग मशीन और रोल ग्राइंडिंग मशीन विकसित कर रहा है।

एमएचआई ने व्यवसाय, बाजार, उत्पाद प्रोफ़ाइल, कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे, वित्त आदि से संबंधित विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया। नीति आयोग के सदस्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) डॉ. वी. के. सारस्वत की अध्यक्षता में समिति ने सिफारिशें तैयार की हैं और टिप्पणियों के लिए मसौदा रिपोर्ट प्रसारित की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन

कंपनी मूल्यों और सिद्धांतों के उच्चतम मानकों को अपनाने और बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर तैयार किए गए सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

कंपनी हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप निरंतर विकास दर के लिए प्रयास करती रहेगी। कंपनी विकास में तेज़ी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही, यह पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य में व्यावसायिकता पर ज़ोर देते हुए, कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के सर्वोत्तम मानकों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेगी, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों और समग्र समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में वृद्धि करना है।

आभार

मैं इस अवसर पर माननीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, माननीय भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (भारी उद्योग), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव, आर्थिक सलाहकार और भारी उद्योग मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के

प्रति कंपनी को दिए गए अपार सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों आदि का भी कंपनी के सुचारू संचालन में दिए गए सहयोग के लिए आभारी हूँ। मैं संबंधित राज्य सरकारों, संयुक्त कार्यकारी भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी बहुमूल्य सहायता और समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

मैं बोर्ड के अपने सम्मानित सहयोगियों और सभी एचएमटी कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस अत्यंत चुनौतीपूर्ण वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और निरंतर समर्थन दिया है।

मैं भारत और विदेशों में अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और संरक्षण के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ।

मैं अन्य सभी हितधारकों को भी उनके बहुमूल्य समर्थन, सहयोग और कंपनी के प्रदर्शन में निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि समर्पित और प्रतिबद्ध कर्मचारियों और हमारे सम्मानित शेयरधारकों के बहुमूल्य समर्थन के साथ, हमारी कंपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगी और अपने हितधारकों के लिए मूल्य बढ़ाएगी।

मैं एचएमटी और उसके प्रबंधन में निरंतर विश्वास के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूँ और आपको शुभकामनाएँ देता हूँ!

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
बेंगलुरु

यहा कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड नहीं है।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

विषय सूचि

निदेशक मंडल, लेखा परीक्षक, बैंकर, कॉर्पोरेट विज़न और लक्ष्य 2

निष्पादन हाइलाइट्स 3

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 4

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 16

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट 19

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक 23

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 28

कॉर्पोरेट शासन का प्रमाण पत्र 32

प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा 32

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 33

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां 94

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 95

तुलन पत्र 107

लाभ एवं हानि लेखा 109

नकदी प्रवाह विवरण 111

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट 112

निदेशक मंडल

श्री राजेश कोहली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (05-04-2024 से)
श्री के रविशंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (05-04-2024 तक)
श्री प्रेम चन्द्र मौर्य	निदेशक (17-07-2025 से)
श्रीमती मुक्ता शेखर	निदेशक (23-07-2024 तक)
डॉ.रेणुका मिश्रा	निदेशक (23-07-2024 से)
श्री राजेश कुमार	निदेशक(17-07-2025 तक)

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स राजगोपाल और बद्री नारायणन	चार्टर्ड एकाउंटेंट

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स एस.केदारनाथ एंड एसोसिएट्स	प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

बैंकर्स

यूको बैंक,	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक
एक्सिस बैंक	भारतीय स्टेट बैंक

पंजीकृत कार्यालय

"एचएमटी भवन 59, बेल्लारी रोड बेंगलुरु-560 032

कॉर्पोरेट पहचान संख्या

U02922KA1999G01025572

कॉर्पोरेट विज़न

ग्राहकों की सर्वश्रेष्ठ संतुष्टि के उद्देश्य से समसामयिक प्रौद्योगिकी से युक्त उत्कृष्ट उत्पाद एवं सेवाओं की प्रस्तुति करके अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विनिर्माण समाधान प्रदात्ता बनना।

कॉर्पोरेट लक्ष्य

- मैटल कटिंग/मैटल फोर्मिंग के क्षेत्र में 'प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता' का प्रमुख स्रोत बनना.
- समग्र उद्योग को 'वन स्टॉप शॉप' के आधार पर 'उच्चतर गुणवत्ता स्मपत्र लागत प्रतिस्पर्धी समाधान' उपलब्ध करवाना।
- सभी रणनीतिक क्षेत्रों को संवहनीय समर्थन प्रदान करना।.
- अनवरत नवोपायों के माध्यम से ग्राहक की प्रत्याशों से भी आगे बढ़ना।
- राष्ट्र के समग्र औद्योगिक विकास के लिए विनिर्माण सेक्टर को नेतृत्व एवं दिशानिर्देशन प्रदान करना।

निष्पादन हाइलाइट्स

(मूल्य लाख रुपए में)

	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
संचालन के आकडें										
बिक्री	11077	9970	14224	15253	16582	17623	21741	17708	19752	21783
अन्य आय	4618	3162	3280	890	1187	1577	2041	2825	2860	2164
सामग्रि	4999	5484	5046	6470	7444	9067	8893	7583	7829	8968
कर्मचारी लागत	5356	6576	6772	8171	8401	10279	11051	13137	13176	14588
अन्य लागत	11,693	7,941	9,856	6874	6136	847	2474	5895	7,961	5,348
मूल्यह्रास	586	604	709	777	755	913	884	970	1010	965
ब्याज से पेहले का आय	-6,939	-7,174	-4,878	-6149	-4967	-1905	480	-7051	-7364	-6033
ब्याज	9160	8350	8287	8424	8312	7967	6863	5874	5395	4633
आय (हानी) कर से पहले	-16099	-15524	-13165	-14573	-13279	-9872	-6383	-12925	-12759	-10666
कर										
कुल आय	-16099	-15524	-13165	-14573	-13279	-9872	-6383	-12925	-12759	-10666
वित्तीय स्थिती										
कुल अचल संपत्ती	3242	3652	3932	5046	5446	5443	5316	5472	6019	6731
वर्तमान संपत्ती	23143	27686	32749	33887	37451	38218	37668	28116	27990	27018
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	234816	225170	214727	203250	192138	184466	172865	151335	134168	114652
कार्यशील पूजी	-211673	-197484	-181978	-169363	-154687	-146248	-135197	-123219	-106178	-87634
व्ययसाय मूलधन	-213628	-197203	-181672	-168474	-153983	-140805	-129881	-117747	-100159	-80903
निवेश										
फुटकर व्याय										
ऋण							634	5288	10335	16797
निवल मूल्य	-213628	-197203	-181672	-168474	-153983	-140805	-1,30,515	-123035	-110494	-97698
अन्य आंकडें										
पूंजी लागत	220	398	691	410	164					
आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न	-15513	-14920	-12456	-13796	-12524	-8959	-5499	-11955	-11749	-9701
कार्यशील पूंजी कारोबारी अनुपात	-0.05	-0.05	-0.08	-0.09	-0.11	-0.12	-0.16	-0.14	-0.19	-0.25
वर्तमान अनुपात	0.10	0.12	0.15	0.17	0.19	0.21	0.22	0.19	0.21	0.24
पूंजी पर वापसी % में	-3.38	-3.79	-2.79	-3.81	-3.37	-1.41	-0.39	8.43	7.10	6.94
कर्मचारी (संखा)	559	649	731	796	889	1064	1246	1425	1651	1902
प्रति व्यक्ति बिक्री	19.82	15.36	19.46	19.16	18.65	16.56	17.45	12.43	11.96	11.45

निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25

प्रति,
सदस्यगण,
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड,
बेंगलुरु

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर अपनी पच्चीसवीं वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण, साथ ही उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी का वित्तीय सारांश / प्रदर्शन

(करोड़ रुपये में)

आय	2024-2025	2023-2024
परिचालन से कुल राजस्व	110.77	99.70
अन्य आय	46.18	31.62
कुल आय	156.95	131.32
ब्याज और मूल्यह्रास से पहले का लाभ	-63.53	-65.70
मूल्यह्रास और परिशोधन के लिए प्रावधान	5.86	6.04
कुल लाभ	-69.39	-71.74
वित्त व्यय	91.60	83.50
ओसीआई को छोड़कर कर से पहले शुद्ध लाभ	-160.99	-155.24
कर के लिए प्रावधान	-	-
कर के बाद शुद्ध लाभ	-160.99	-155.24

आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान 110.77 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 99.70 करोड़ रुपये थे। समीक्षाधीन वर्ष में उत्पादन प्रदर्शन 96.46 करोड़ रुपये रहा है , जबकि पिछले वर्ष यह 92.20 करोड़ रुपये थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 73.27 करोड़ रुपये के आदेश मिले है, जबकि पिछले वर्ष यह 104.73 करोड़ रुपये थे।

कंपनी के परिचालन के परिणामस्वरूप (-) 160.99 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पिछले वर्ष (-) 155.24 करोड़ रुपये (ओसीआई को छोड़कर) का घाटा हुआ था।

बाज़ार परिदृश्य और भविष्य का दृष्टिकोण

गार्डनर के विश्व मशीन टूल्स आउटपुट सर्वेक्षण के अनुसार, भारत का मशीन टूल्स उद्योग वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है, जो मशीन टूल्स उत्पादन में नौवें और उपभोग में छठे स्थान पर है। भारतीय मशीन टूल्स बाज़ार का मूल्य 2024 में लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025 से 2033 तक 7.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है। बाज़ार में इस वृद्धि का श्रेय तेज़ी से हो रहे औद्योगीकरण, ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों से बढ़ती माँग, स्वचालन और रोबोटिक्स को अपनाने में वृद्धि, विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार, सटीक इंजीनियरिंग की माँग और बुनियादी ढाँचे के विकास पर बढ़ते ध्यान को दिया जा रहा है।

इस संदर्भ में, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड भारत की औद्योगिक आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए रणनीतिक रूप से खुद को स्थापित कर रहा है। कंपनी परमाणु ऊर्जा, रक्षा, एयरोस्पेस, रेलवे और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से संलग्न है, जहाँ आने वाले वर्ष में महत्वपूर्ण ऑर्डर प्रवाह की उम्मीद है। ये सहयोग भारत सरकार के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। नवाचार, आधुनिकीकरण और रणनीतिक पहुँच पर अपने नए सिरे से ध्यान केंद्रित करके, एचएमटी एमटीएल का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों में सार्थक योगदान दे रहा है और मशीन टूल्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर रहा है।

भारत के मशीन टूल्स बाज़ार के रुझान :

क) सरकारी पहलों का कार्यान्वयन

लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से घरेलू मशीन टूल्स बाज़ार के विकास पथ को आकार देने

में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति और मेक इन इंडिया अभियान जैसी पहलों ने सामूहिक रूप से विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित किया है। विनिर्माण क्षेत्र देश के कुल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देता है और 27.3 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। सरकार ने 2025 तक देश के आर्थिक उत्पादन में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने के उद्देश्य से कई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किये हैं। विनिर्माण क्षेत्र का विकास मशीन टूल्स उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा, सरकार बजट सहायता, कर नीतियों, आयात प्रतिस्थापन रणनीतियों और औद्योगिक गलियारों एवं विनिर्माण क्लस्टर सुविधाओं के रूप में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, एमएसएमई के बढ़ते विकास पर केंद्रीकृत और उनकी प्रौद्योगिकी शक्तियों को बढ़ाने से स्थानीय मशीन टूल्स की मांग में वृद्धि हुई है, आयात पर निर्भरता कम हुई है और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ रही है।

ख) सीएनसी और हाइब्रिड स्मार्ट टूल्स में वृद्धि

कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (सीएनसी) और हाइब्रिड स्मार्ट टूल्स के तेज़ी से अपनाने से भारत के मशीन टूल्स बाज़ार में हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। ये प्रौद्योगिकियाँ ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों में सटीक मशीनिंग, बेहतर परिचालन प्रभावशीलता और लागत कम से कम करने को सुगम बना रही हैं। भारतीय निर्माता बहुमुखी उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हाइब्रिड टूल्स प्रदान करने के लिए रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और उच्च-स्तरीय सामग्री प्रसंस्करण के साथ सीएनसी प्रणालियों को तेज़ी से एकीकृत कर रहे हैं। इसके अलावा, उच्च-परिशुद्धता वाले उद्योगों में कम-बैच, कस्टम उत्पादन समाधानों की बढ़ती आवश्यकता ने इस बदलाव को और बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, स्थानीय उद्योग जगत के खिलाड़ी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित सीएनसी नियंत्रण प्रणालियों में भी निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा सहयोगात्मक और शैक्षणिक पहल स्मार्ट टूल विकास में नवाचार को प्रेरित कर रही हैं, जबकि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप एक तकनीकी रूप से उन्नत मशीन टूल्स उद्योग का निर्माण हो रहा है, जो भारत की बदलती विनिर्माण आकांक्षाओं को सक्षम बना रहा है।

ग) डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 को अपनाना

उद्योग 4.0 के व्यापक स्वरूप में स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), औद्योगिक आईओटी (आईआईओटी) और स्मार्ट विनिर्माण सिद्धांतों के एकीकरण के साथ बाजार में व्यापक बदलाव आ रहा है। डिजिटल परिवर्तन पूर्वानुमानित रखरखाव, वास्तविक समय प्रक्रिया निगरानी और डेटा-संचालित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करके उत्पादन परिदृश्य को बदल रही है। कंपनियाँ उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने, डाउनटाइम कम करने और संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए संबंधित मशीनों, सेंसर और क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रही हैं। डिजिटलीकरण की ओर इस कदम को मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों जैसी नीतिगत पहलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है, जो विनिर्माण क्षेत्रों में स्मार्ट तकनीकों की स्वीकृति को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सरकार और उद्योग द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजिटल नवाचार केंद्र, एमएसएमई और अन्य निर्माताओं को उद्योग 4.0 की ओर बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। पारंपरिक विनिर्माण विषयों के साथ उन्नत डिजिटल उपकरणों का अभिसरण एक भविष्य-सुरक्षित मशीन टूल्स उद्योग का विकास कर रहा है जो उत्पादकता और दक्षता में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है।

घ) बाज़ार में चुनौतियाँ और अवसर

बाज़ार कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है जो इसकी पूरी क्षमता को बाधित करती हैं। प्रमुख मुद्दों में से एक कुशल जनशक्ति की कमी है, विशेष रूप से परिष्कृत सीएनसी

मशीनों को चलाने और कंप्यूटर-एकीकृत प्रणालियों को संभालने के लिए तैयारी होनी चाहिए। प्रतिभा की यह कमी तकनीकी अपनाने में देरी करती है और उत्पादकता को प्रभावित करती है, खासकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए यह समस्या आती है। इसके अलावा, बाज़ार को कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, खासकर स्टील, मिश्र धातु और सटीक पुर्जों के लिए, जिससे निर्माताओं के लिए लागत नियोजन और मार्जिन में गड़बड़ी होती है। यह क्षेत्र एक बिखरी हुई आपूर्ति श्रृंखला से भी ग्रस्त है, जिसमें रसद संबंधी अक्षमताएँ और प्रमुख घटकों की सीमित घरेलू उपलब्धता अक्सर लंबे समय तक चलने और आयात पर निर्भरता का कारण बनती है, जैसे कि सीएनसी सिस्टम, बॉल स्क्रू, बेयरिंग, लीनियर स्केल आदि। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत के मशीन टूल्स बाज़ार विश्लेषण के अनुसार, बाज़ार अपार अवसर प्रदान करता है। स्थानीय विनिर्माण की बढ़ती माँग, पीएलआई और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से सरकार से सहायता, और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और स्वचालन में बढ़ा हुआ निवेश अपार विकास के अवसर प्रदान करता है। उद्योग 4.0 की ओर बदलाव, निर्यात अवसरों और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ मिलकर भारत को विश्व मशीन टूल्स उद्योग का केंद्र बिंदु बनाता है।

भारत के मशीन टूल्स बाज़ार का आकार और पूर्वानुमान:

मशीन टूल्स का उपयोग कई तरह के कार्यों, जैसे काटने, आकार देने, ड्रिलिंग, पीसने और घिसने के लिए किया जाता है। ये उपकरण उत्पाद की एकरूपता बढ़ाते हैं और आवश्यक मानवीय प्रयासों को कम करते हैं। वर्तमान में, भारतीय बाज़ार में विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स उपलब्ध हैं, जिनमें छोटे वर्कबेंच स्थापित उपकरणों से लेकर ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले बड़े उपकरण शामिल हैं।

आईएमएआरसी द्वारा भारत के मशीन टूल्स बाज़ार का आकार 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है और उन्होंने अनुमान लगाया है कि 2033 में यह 7.8% की अनुमानित CAGR (2025-2033) के साथ 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।

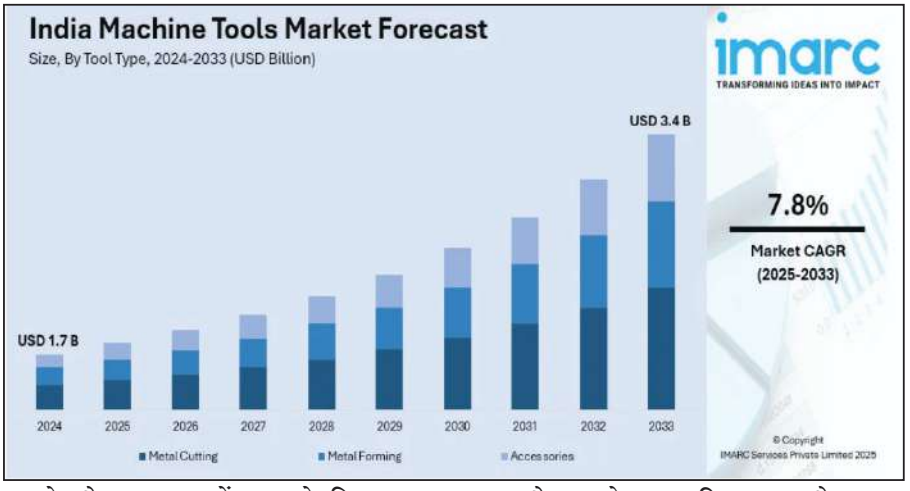

समग्र उत्पादकता बढ़ाने और श्रमदक्षता में सुधार के लिए बढ़ता औद्योगिक स्वचालन भारत में बाजार की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इसके अलावा, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की संख्या में वृद्धि और उत्पाद गुणवत्ता पर कड़े मूल्यांकन मानदंड, भारत के मशीन टूल्स बाजार की वृद्धि को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा, कम श्रम और कच्चे माल की लागत और कम कर दरों के कारण कई विदेशी कंपनियां भारत में अपने विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं। इससे इन निर्माताओं को देश में अपने उपभोक्ता आधार का विस्तार करने के लिए विकास के अवसर मिल रहें हैं। इसके अलावा, बढ़ती ऊर्जा मांग भारत में नए तेल और गैस क्षेत्रों की खोज को बढ़ावा दे रही है, जिससे बाजार की वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

भारत मशीन टूल्स उद्योग विभाजन:

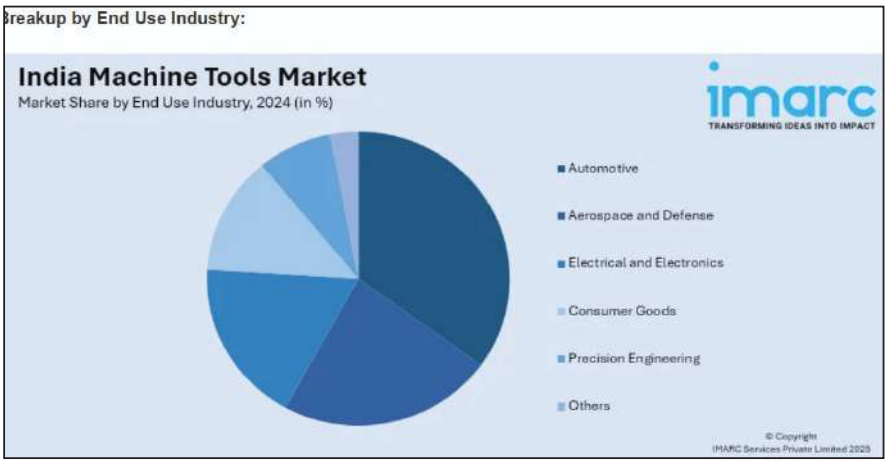

धातु काटने के औज़ार बाज़ार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। धातु के पुर्जों को आकार देने और उन्हें परिष्कृत करने के लिए इन औज़ारों की आवश्यकता होती है, जो इन्हें बड़े पैमाने पर विनिर्माण का एक अभिन्न अंग बनाता है। जैसे-जैसे भारत एक अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, उच्च-परिशुद्धता वाले, लंबे समय तक चलने वाले काटने के औज़ारों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बाज़ार में उच्च-तकनीकी धातु काटने वाले औज़ारों का भी विकास हुआ है, जो औज़ारों की आयु और काटने की दक्षता को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वचालन और बुद्धिमान कारखानों पर बढ़ते ज़ोर ने उच्च-तकनीकी धातु काटने वाले औज़ारों के उपयोग को और बढ़ा दिया है।

भारत में मशीन टूल्स का बाज़ार प्रौद्योगिकी प्रकार पर आधारित है:

क) पारंपरिक मशीन टूल्स

पारंपरिक मशीन टूल्स उद्योग में, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) और पारंपरिक उद्योगों में, बहुत मूल्यवान होता हैं। धातु को आकार देने, ड्रिल करने और घुमाने के लिए मैन्युअल रूप से चलाने वाले ये औजार किफ़ायती और रखरखाव में आसान होते है।

हैं। स्वचालन की बढ़ती लहर के बावजूद, पारंपरिक मशीनें प्रोटोटाइपिंग, मरम्मत और कम मात्रा में उत्पादन के लिए लोकप्रिय बनी हुई हैं। इनके उपयोग में आसानी के कारण ये उन क्षेत्रों के लिए आदर्श हैं, जहां जटिल प्रोग्रामिंग के बिना लचीलेपन और सटीकता की आवश्यकता होती है, जिससे ये भारत के विविध विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से छोटे, विशिष्ट प्रचालनों में, एक महत्वपूर्ण घटक बन जाते हैं।

ख) सीएनसी (कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण) मशीन टूल्स।

भारत में मशीन टूल्स बाजार में सीएनसी मशीनों ने क्रांति ला दी है, जो उच्च सटीकता, स्वचालन और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ जटिल विनिर्माण कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा संचालित ये अत्याधुनिक मशीनें ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों की सेवा करती हैं, जहाँ सटीकता और निरंतरता सर्वोपरि है। देश स्मार्ट विनिर्माण की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में उत्पादकता बढ़ाने, मानवीय त्रुटियों को कम करने और दक्षता को अधिकतम करने में सीएनसी मशीनें केंद्र में हैं। उद्योग 4.0 कार्यान्वयन के साथ-साथ उच्च-गुणवत्ता वाले, व्यक्तिगत उत्पादों की बढ़ती आवश्यकता अभी भी भारत के विनिर्माण उद्योगों में सीएनसी तकनीक के सार्वभौमिक अनुप्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

लाभांश

वर्ष के दौरान हुए नुकसान को देखते हुए, आपके निदेशक वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी और वरीयता शेयर पूंजी पर किसी भी लाभांश की सिफारिश करने में असमर्थ हैं।

आरक्षित निधियाँ

वर्ष के दौरान हुए नुकसान को देखते हुए, बोर्ड द्वारा किसी भी आरक्षित निधि में कोई राशि ले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

शेयर पूँजी

कंपनी की जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूँजी 719,59,91,370 रुपये थी, जिसमें 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 27,65,99,137 इक्विटी शेयर और 100 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 4,43,00,000 अधिमान्य शेयर शामिल हैं, जो पूरी तरह से होल्डिंग कंपनी एचएमटी लिमिटेड के पास हैं। 31 मार्च 2025 तक कंपनी की कुल संपत्ति (-) 2136.29 करोड़ रुपये है।

भारतीय लेखा मानक

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 111 (ई) दिनांक 16.02.2015) के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किया हैं।

भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय जीएपी (GAP) को कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ प्रतिस्थापित किया है।

सावधि जमा

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार वर्ष के आरंभ/अंत में कोई बकाया सावधि जमा नहीं थी।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने होल्डिंग कंपनी के अनुरूप जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी है। बोर्ड ने अपने विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ कंपनी द्वारा तय की जाने वाली सीमा के अधीन, सत्यनिष्ठा समझौते को भी अपनाया है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

मानव संसाधन

31.03.2025 तक कंपनी के कुल कर्मचारी 559 थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 81 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए और कंपनी में कोई कर्मचारी शामिल नहीं हुआ। 31.3.2025 तक कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों का विवरण नीचे दिया गया है:

अनुसूचित जाति	121
अनुसूचित जनजातियाँ	27
अन्य पिछड़ा वर्ग	192
भूतपूर्व सैनिक	0
विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	8
महिला कर्मचारी	33
अल्पसंख्यक	29

कर्मचारी संबंध

संचालन में आई कठिनाइयों के बावजूद, वर्ष के दौरान कंपनी में सौहार्दपूर्ण और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रहे। इसके अलावा, स्थानांतरित कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कुछ अदालती मामलों को छोड़कर, वर्ष के दौरान कोई बड़ी औद्योगिक संबंध समस्याएँ नहीं देखी गईं।

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी सरकार के निर्देशों के अनुसार राजभाषा अधिनियम, नियमों और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु निरंतर प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य सभी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए इकाइयों, सहायक कंपनियों और कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलुरु में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी की सभी इकाइयों में सितंबर 2024 के दौरान हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह मनाया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय में एचएमटी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए चित्रकथा, तात्कालिक भाषण, राजभाषा लिखित प्रश्नोत्तरी और विविधा सहित विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। भव्य हिंदी दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार वितरित किए गए और हिंदी सप्ताह के अंतर्गत एक कार्यशाला भी आयोजित किया गया था।

नियमित रूप से, दिन का हिंदी शब्द प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है और कर्मचारियों को राजभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिदिन हिंदी समाचार पत्र प्राप्त किया जाता हैं। कर्मचारियों को हिंदी में हस्ताक्षर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, हिंदी अधिकारी और कार्यपालक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित बैठकों, कार्यक्रमों, ऑनलाइन वेबिनार और हिंदी माह समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

सतर्कता गतिविधियाँ

भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी के कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग का प्रमुख होता है। भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 5(47)/2010-P.E.X दिनांक 30 अगस्त 2024 के तहत श्री विकास अग्रवाल, आईटीएस (1997) को एचएमटी लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) का कार्यभार सौंपा है। यह कार्यभार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग, होल्डिंग कंपनी के साथ-साथ सहायक कंपनियों में भी सतर्कता संबंधी कार्य करता है। विनिर्माण इकाइयों और विपणन कार्यालयों में सतर्कता संबंधी कार्य मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

सभी इकाई सतर्कता अधिकारी अपनी मासिक सतर्कता/ निरीक्षण रिपोर्ट और आकस्मिक निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजते हैं। प्राप्त रिपोर्टों की आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय में जाँच की जाती है। यूनिट सतर्कता अधिकारी, यूनिट के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक संपत्ति रिटर्न का भी सत्यापन करते हैं।

इकाई का सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षणों के अलावा, सीवीओ विभिन्न सहायक कंपनियों और यूनिटों का दौरा करके उच्च मूल्य की खरीद/अनुबंधों और प्रणालियों का सीटीई (सीवीसी में मुख्य तकनीकी परीक्षक) प्रकार का निरीक्षण भी करते हैं।

मुख्य सतर्कता अधिकारी/इकाई सतर्कता अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान पाए गए नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघनों को दर्ज किया गया और विचलन की गंभीरता के आधार पर आगे की कार्यवाही को किया जाता हैं। इकाई सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निरीक्षण के दौरान पाए गए विचलनों पर त्रैमासिक सतर्कता कार्यशाला में चर्चा करें और संबंधित अधिकारियों को सलाह दें कि सतर्कता विभाग द्वारा बताए गए नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघनों की पुनरावृत्ति न हो।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024, निवारक सतर्कता उपाय सह हाउसकीपिंग गतिविधियाँ 16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक तीन महीने के लिए VAW के अग्रदूत के रूप में "राष्ट्रों की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति" विषय पर अभियान चलाया गया। "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" को सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों की सभी इकाइयों और कार्यालयों में मनाया गया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एचएमटी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और विवरण नीचे दिया गया है:

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या
नैतिकता और शासन	04
खरीद	85
साइबर स्वच्छता और सुरक्षा	100
नैतिकता और शासन	84
सार्वजनिक खरीद	2
आचरण नियम	85
संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ	23
अखंडता और नैतिकता	04
सार्वजनिक खरीद पर सीटीई प्रकार का निरीक्षण और निवारक सतर्कता	02

वीऐडबल्यु अखंडता प्रतिज्ञा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन माध्यम से

अखंडता प्रतिज्ञा	430

VAW सप्ताह के दौरान प्रतियोगिता:	255
प्रश्नोत्तरी	
नारा	
निबंध	
कार्टून	
संक्षिप्त भाषण	

क्र.सं	गतिविधियाँ (कार्यकलाप)	विवरण
1	पर्चे/बैनर वितरित करें	संगठन के कर्मचारियों के बीच पर्चे बनाकर वितरित किये गये
2	कार्यशाला / संवेदीकरण कार्यक्रमों का संचालन	एमटीए (अजमेर) - नवनियुक्त अधिकारियों के लिए सतर्कता जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की गई।
		एमटीके (कलमस्सेरी) - नए शामिल हुए परियोजना सहयोगियों के लिए मानव संसाधन विभाग के साथ मिलकर भूमिका और जिम्मेदारियों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
3	जर्नल/न्यूज़लेटर का अंक	शून्य
4	कोई अन्य गतिविधियाँ	सतर्कता के बारे में जागरूकता लाने और उसका प्रसार करने के लिए 14.11.2024 को सुबह 10:00 बजे एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु में 2 किलोमीटर की वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 40 कर्मचारियों ने भाग लिया।

निविदा प्रक्रिया में सभी नियमों, प्रक्रियाओं और पारदर्शिता के सभी मानदंडों का अच्छी तरह से पालन करने का प्रयास करके निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया। सुझाव दिये गये कुछ पद्धतियों का सुधार इस प्रकार हैं:

1. अधिकारियों की वार्षिक रिपोर्ट (APAR) ऑनलाइन भरने का सुझाव।
2. अधिकारियों के संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन भरने का सुझाव।

3. एचएमटी खरीद नियमों का सामायिक बनाने का प्रस्ताव।
4. पुराने रेखाचित्रों, भूमि रिकॉर्ड, मानव संसाधन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण।
5. भुगतान करने और भुगतान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लेनदेन।
6. GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद को अधिकतम करना।
7. लेखा परीक्षण रिपोर्ट (वित्त) पर आवधिक निरीक्षण का सुझाव।
8. प्रबंधन को सत्यनिष्ठा संधि अपनाने के लिए राजी किया जा रहा है। यह मामला 8.6.2017 को आयोजित एचएमटीएल के निदेशक मंडल की 326वीं बैठक में उठाया गया था और बोर्ड का निर्णय था "एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों में सत्यनिष्ठा संधि को अपनाना और कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने का आधार तय करने और सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्य करने और बोर्ड को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया।

   इसके बाद (/तदनुसार), एचएमटी लिमिटेड ने 05 जून 2025 को आयोजित अपनी 374वीं बोर्ड बैठक में पैरा संख्या: 21 में इंटीग्रिटी पैक्ट (/सत्यनिष्ठा संधि) क्लॉज को शामिल करके मौजूदा खरीद मैनुअल में संशोधन को मंजूरी दे दी है और कार्यालय आदेश संख्या 13/25 दिनांक 12 जून, 2025 के माध्यम से इसे एचएमटी लिमिटेड में लागू कर दिया गया है।
9. एचएमटी और गैर-एचएमटी अधिकारियों को क्वार्टर आवंटित करने के लिए एसओपी का सुझाव दिया गया।
10. भविष्य में अस्पताल से प्राप्त दवाओं के पर्चे के लिए मेडिकल बिलों के सत्यापन/पासिंग के लिए एसओपी बनाया जा सकता है।
11. सलाहकार नोट - अग्रदाय खाते में विसंगतियों के संबंध में।
12. शक्तियों के प्रत्यायोजन और घड़ियों के उपहार की नीति को अद्यतन करने का सुझाव दिया गया।
13. संगठन में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सतर्कता पर अधिक जागरूकता पहल (प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि) का सुझाव दिया गया।

कॉर्पोरेट प्रशासन

आपकी कंपनी सर्वोत्तम प्रशासन प्रथाओं को अपनाने और हर समय सच्ची भावना से उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति और निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से, भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश जारी किया हैं, जो वित्तीय वर्ष 2010-11 से अनिवार्य हैं। दिशानिर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी सर्वोत्तम प्रशासन और प्रकटीकरण प्रथाओं को अपनाकर उत्कृष्टता के लिये प्रयास करता है।

इस रिपोर्ट के भाग के रूप में कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ संलग्न है। प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण पर एक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एक घोषणा भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन

सरकारी कंपनी होने के नाते, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को 5 जून, 2015 और 5 जुलाई, 2017 की एमसीए अधिसूचनाओं के अनुसार कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रदर्शन के मूल्यांकन से छूट दी गई है, जो कि प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारी उद्योग मंत्रालय और/या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों की तिथि के बाद की घटनाएँ

इस रिपोर्ट की तिथि को, जिस वित्तीय वर्ष से यह वित्तीय विवरण संबंधित है, उसके अंत तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई है।

महत्वपूर्ण और सारवान आदेश

नियामकों, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों द्वारा कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करने

वाला कोई भी महत्वपूर्ण और सारवान आदेश पारित नहीं किया गया है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का, जहाँ तक लागू हो पालन किया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई भी प्रमुख अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में दावा न किए गए लाभांश का हस्तांतरण

चूँकि पिछले वर्ष कोई भी अवैतनिक/दावा नही किया गया लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति लागू की है।

आलोच्य वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई शिकायत दर्ज नहीं किया गया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(c) के अनुसार निम्नलिखित कथन करते हैं:

- 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;
- ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग सुसंगत रूप से किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण बनाए गए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है;
- वार्षिक वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे;
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ मौजूद थीं और पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं;

चूँकि कंपनी के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित वार्षिक समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, इसलिए बोर्ड और उसकी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के मूल्यांकन के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। चूँकि आपकी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, इसलिए डीपीई द्वारा जारी कार्मिक नीतियों और दिशानिर्देशों को अन्य सीपीएसई के अनुरूप अपनाया जा रहा है। हालाँकि, आपकी कंपनी के पास वरिष्ठ प्रबंधन और कार्यात्मक निदेशकों सहित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति या मूल्यांकन के संबंध में नीति है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के अनुसार : https://hmtmachinetools.com

कंपनी का वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे इस प्रकार देखा जा सकता है:

लेखा परीक्षक

1. सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स राजगोपाल एवं बद्री नारायणन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और कंपनी के लिए अलग से शाखा लेखा परीक्षक भी नियुक्त किये गये हैं।

2. लागत लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न इकाइयों के लिए लागत लेखा परीक्षा करने हेतु निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति किया गया है:

- मेसर्स चिदानंद एंड कंपनी, लागत लेखाकार, कंपनी के समेकित लेखा परीक्षा के लिए और एमबीएक्स, एमटीएच एवं पीटीएच इकाई के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा के लिए।
- मेसर्स एम.के. एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, एमटीपी इकाई के संबंध में कंपनी द्वारा बनाये गये लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा के लिए।
- मेसर्स जय जॉर्ज एंड एसोसिएट्स, एमटीके इकाई के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा के लिए।
- एमटीए इकाई के संबंध में कंपनी द्वारा बनाये गये लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षण के लिए मेसर्स आर.के. भंडारी एंड कंपनी, लागत लेखाकार।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, श्री एस. केदारनाथ एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन की प्रतिक्रिया सहित इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

स्वतंत्र निदेशक की घोषणा और IICA द्वारा अनुरक्षित डेटा बैंक में पंजीकरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। तदनुसार, ये प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण सहित विवरण।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत कोई आवेदन या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए वास्तविक चिंताओं की सूचना देने हेतु एक सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। यह नीति निदेशक/निदेशकों या कर्मचारी/कर्मचारियों को प्रताड़ित किये जाने के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करती है और अनुचित या असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच का भी प्रावधान करती है।

धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों (कार्यात्मक निदेशकों के कार्यकाल एवं पारिश्रमिक सहित) की नियुक्ति एवं नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

कार्यात्मक निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति/ पारिश्रमिक, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप एचएमटी के व्यक्तिगत नियमावली में शामिल नीतियों द्वारा शासित होते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

भारी उद्योग मंत्रालय ने 26 मार्च, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री राजेश कोहली, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को सौंपा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, के. रविशंकर को तत्काल प्रभाव से और उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, एक वर्ष की अवधि के लिए या किसी नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी स्वीकृति के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया है। तदनुसार, श्री राजेश कोहली (डीआईएन:10333951) को श्री के. रविशंकर के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने पर 5 अप्रैल, 2024 (पूर्वाह्न) से कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में शामिल किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 23 जुलाई, 2024 के अपने आदेश के तहत भारी उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार डॉ. रेणुका मिश्रा को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। वे भारी उद्योग मंत्रालय की पूर्व संयुक्त सचिव सुश्री मुक्ता शेखर के स्थान पर इस पद पर कार्यरत रहेंगी। तदनुसार, डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835) को 23 जुलाई, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में शामिल किया गया है।

ऊपर बताए गए को छोड़कर, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है।

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में नीचे दिए गए परिवर्तन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तिथि को हुए।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 अप्रैल, 2025 के अपने आदेश के माध्यम से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के कार्यकारी निदेशक, श्री राजेश कोहली को एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए माननीय मंत्री (एचआई) की मंजूरी दी, जो कि 05.04.2025 से 30.06.2025 तक की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के शामिल होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अधीन है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 26 जून, 2025 के अपने आदेश के माध्यम से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के कार्यकारी निदेशक, श्री राजेश कोहली को एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने को 30.06.2025 से आगे 24.03.2026 तक अर्थात भेल में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक, या किसी नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अधीन, विस्तार देने की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 14 जुलाई, 2025 के अपने आदेश के माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री प्रेम चंद्र मौर्य को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के बोर्ड में श्री राजेश कुमार के

स्थान पर सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की।

श्री प्रेम चंद्र मौर्य (डीआईएन: 11198433) को आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के साथ पठित कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), श्री आलोक कुमार बेहरा, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री ओम प्रकाश सिंह, कंपनी सचिव, 31.03.2025 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

आभार

निदेशकगण एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों, विभिन्न राज्य सरकारों, आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों, यूको बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ और भारत तथा विदेश में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों के प्रति उनके निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशकगण कंपनी के समक्ष उपस्थित कठिन परिस्थितियों के बावजूद, वर्ष के दौरान संचालन में सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान की भी ईमानदारी से सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 24 सितंबर 2025

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

क. उद्योग संरचना एवं विकास

आईएमटीएमए से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारतीय मशीन टूल्स उद्योग में लगभग 1000 इकाइयाँ हैं, जिनमें से 500 ओईएम हैं और शेष आपूर्ति श्रृंखलाएँ मशीन टूल्स, सहायक उपकरण/अटैचमेंट, सबसिस्टम और पुर्जों के उत्पादन में लगी हुई हैं। इनमें से लगभग 25 बड़े पैमाने के क्षेत्र में हैं, जो उद्योग के कुल कारोबार का 70% हिस्सा हैं और शेष एमएसएमई क्षेत्र में हैं। लगभग 75% प्रमुख भारतीय मशीन टूल उत्पादक आईएसओ प्रमाणित हैं। जहाँ बड़े संगठित खिलाड़ी भारत के भारी और मध्यम उद्योगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, वहीं लघु उद्योग क्षेत्र छोटे और मध्यम मशीन टूल्स, सहायक उपकरण और अन्य इकाइयों की माँग को पूरा करता है। कई मशीन टूल्स निर्माताओं ने यूरोपीय बाज़ारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीई मार्किंग प्रमाणन भी प्राप्त किया है।

ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रक्षा, रेलवे, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान्य इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई, कृषि, वुडवर्किंग, अर्थमूविंग और निर्माण, फर्नीचर आदि जैसे क्षेत्रों में विविध उत्पादों के उत्पादन में मेटल कटिंग और मेटल फॉर्मिंग (धातु कार्य) मशीन टूल्स की प्रमुख भूमिका है। भारत में मेटलवर्किंग मशीन टूल्स उद्योग विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स जैसे टर्निंग मशीन, मशीनिंग सेंटर, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, प्रेस, पंचिंग मशीन, मल्टी-टास्किंग, मेटल एडिटिव और विशेष प्रयोजन मशीनें प्रदान करके विनिर्माण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। हालाँकि उद्योग को अभी भी उच्च तकनीक वाली मशीनों की पूरी क्षमता और माँग को पूरा करना बाकी है, फिर भी हाल के वर्षों में भारतीय मशीनों की घरेलू बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ है।

भारत अपने आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के करीब पहुँच रहा है। 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण और मजबूत घरेलू सुधारों से प्रेरित होकर, देश अब वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% है, और नाममात्र जीडीपी 106.57 लाख करोड़ (2014-2015) से रु. 331.03 लाख करोड़ (2024-2025) हुई है।

विकास की गति बनी रहने का अनुमान है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.5% (2025-2026) रहने का अनुमान लगाया है। सेवा निर्यात 158 अरब अमेरिकी डॉलर (2013-2014) से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 387 अरब अमेरिकी डॉलर (2024-2025) हो गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी 1.05 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, और वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों के दौरान इक्विटी प्रवाह में रिकॉर्ड 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुद्रास्फीति औसतन 8.2% (2004-2014) से घटकर लगभग 5% (2015-2025) हो गई, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.6% (2024-2025) रह गई, जो 2018-2019 के बाद सबसे कम है।

केंद्रीय बजट 2025 में घोषित कुछ उपाय, जिनमें निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन और लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत शामिल है, विनिर्माण पहलों को मज़बूत कर सकते हैं। भारतीय मशीन टूल्स उद्योग विनिर्माण की रीढ़ के रूप में उभरा है और मुझे विश्वास है कि यह उद्योग राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

भारतीय मशीन टूल्स उद्योग अपनी उन्नति की प्रवृत्ति जारी रखे हुए है, वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन 7% बढ़कर 14,566 करोड़ (1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि इस अवधि के दौरान खपत 17% बढ़कर 31,781 करोड़ (3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँचने का अनुमान है।

गार्डनर इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित विश्व मशीन टूल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, भारतीय मशीन टूल्स उद्योग कैलेंडर वर्ष 2024 में मशीन टूल्स के उत्पादन में 9वें और उपभोग में चौथे स्थान पर होगा। ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में भारतीय मशीन टूल्स की मांग में सबसे आगे हैं, जो कुल क्षमता का लगभग 50% है। सामान्य इंजीनियरिंग, रेलवे, रक्षा, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और अन्य क्षेत्र भी मशीन टूल्स की मांग की तलाश में हैं। नए उत्पादों की पहचान और विकास, स्थायी प्रथाओं को अपनाने और गहन अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से तकनीकी उत्कृष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की उभरती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।

IMARC समूह के अनुसार, भारतीय मशीन टूल्स बाजार 2032 तक यू एस$ 3.2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2024-2032 के दौरान 8.2% की वृद्धि दर (CAGR) प्रदर्शित करता है। समग्र उत्पादकता बढ़ाने और एर्गोनॉमिक्स में सुधार के लिए बढ़ता औद्योगिक स्वचालन भारत में बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, उत्पाद की गुणवत्ता पर कड़े मूल्यांकन मानदंडों के साथ-साथ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की संख्या में वृद्धि बाजार के विकास को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, कम श्रम और कच्चे माल की लागत और कम कर दरों के कारण, कई विदेशी कंपनियां भारत में अपने विनिर्माण आधार स्थापित कर रही हैं। यह देश में अपने उपभोक्ता आधार का विस्तार करने के लिए इन निर्माताओं को विकास के अवसर प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, बढ़ती ऊर्जा मांग भारत में नए तेल और गैस क्षेत्रों की खोज को बढ़ावा दे रही है

ख. आयात पर उच्च निर्भरता:

भारतीय मशीन टूल्स उद्योग वर्तमान में कुल खपत का लगभग 56% पूरा करने में सक्षम है। भारत वर्तमान में कम मात्रा, उच्च मूल्य, उच्च तकनीक और बड़े आकार के मशीन टूल्स के आयात पर निर्भर है।

ग. विकास के प्रमुख कारक:

- निरंतर सुधारों के बल पर, भारत के अगले 3 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- विनिर्माण भारत में उच्च विकास वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद के 17% के साथ, विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत चार बाजार अवसरों का लाभ उठा सकता है: निर्यात का विस्तार, आयात का स्थानीयकरण, आंतरिक मांग और अनुबंध निर्माण।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जैसी पहलों के माध्यम से भारत धीरे-धीरे उद्योग 4.0 की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है।
- वैश्विक विनिर्माण मानकों के अनुरूप मुख्य विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने के लिए विनिर्माण हेतु पीएलआई योजना भी।
- भारत सरकार ने भारत को विश्व मानचित्र पर एक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम शुरू किया।
- इसलिए, पिछले वर्ष की तुलना में 2025-26 के दौरान परमाणु, रक्षा, एयरोस्पेस, रेलवे और रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग से अच्छी संख्या में ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।

घ. खतरे:

- कंपनी की खराब क्रेडिट रेटिंग के कारण ब्याज दर में वृद्धि।
- सीएनसी मशीनरी और उपकरणों के लिए आयात शुल्क में कमी।

- पुरानी/पुनर्निर्मित आयातित मशीनों का आगमन।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए समान अवसर उपलब्ध न होना।
- प्रौद्योगिकी का तेजी से अप्रचलन।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की कमी और जनशक्ति का ह्रास।
- वैश्विक बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा।

ङ. खंडवार या उत्पादवार प्रदर्शन

कंपनी की वर्ष 2024-25 के लिए खंडवार बिक्री इस प्रकार है-

कंपनी को कुल 73.27 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर बुकिंग प्राप्त हुए। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बिक्री 110.77 करोड़ रुपये थी। खंडवार बिक्री इस प्रकार है:

सेक्टर	रुपये करोड़ में
ऑटोमोबाइल	10.41
रेलवे	0.49
रक्षा	25.49
धातु	8.32
औद्योगिक मशीनरी और मध्यवर्ती	13.97
बिजली	14.34
उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएँ	0.66
अन्य	25.42
पुर्जों	11.67
कुल	110.77

च. दृष्टिकोण:

प्राथमिक उपयोगकर्ता उद्योगों में रक्षा, बिजली, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ शामिल हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं में मशीन टूल्स के प्रमुख उपयोगकर्ताओं में बियरिंग, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। औद्योगिक मशीनरी, धातु एवं खनन, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों ने 2024-25 के दौरान कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

IMARC समूह के अनुसार, भारत मशीन टूल्स बाजार कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है जो इसकी पूरी क्षमता में बाधा डालती हैं। प्रमुख मुद्दों में से एक कुशल जनशक्ति की कमी है, विशेष रूप से परिष्कृत सीएनसी मशीनों को संचालित करने और कंप्यूटर-एकीकृत प्रणालियों को संभालने के लिए। प्रतिभा की यह कमी प्रौद्योगिकी को अपनाने में देरी करती है और उत्पादकता को प्रभावित करती है, खासकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए। इसके अलावा, बाजार को कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से स्टील, मिश्र धातु और सटीक भागों के लिए, जो निर्माताओं के लिए लागत नियोजन और मार्जिन को गड़बड़ा देता है। यह क्षेत्र एक बिखरी हुई आपूर्ति श्रृंखला से भी ग्रस्त है, जिसमें लॉजिस्टिक अकुशलताएं और प्रमुख घटकों की सीमित घरेलू उपलब्धता अक्सर लंबे लीड टाइम और आयात पर निर्भरता का कारण बनती है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत मशीन टूल्स बाजार विश्लेषण के अनुसार, बाजार अपार अवसर प्रदान करता है उद्योग 4.0 की ओर बदलाव, निर्यात अवसरों और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ मिलकर भारत को विश्व मशीन टूल्स उद्योग का केंद्र बिंदु बनाता है।

भारत सरकार की हालिया पहल लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से घरेलू मशीन टूल्स बाजार के विकास पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत सरकार की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति और मेक इन इंडिया अभियान जैसी पहलों ने सामूहिक रूप से विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित किया है। विनिर्माण क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देता है और 27.3 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। सरकार ने 2025 तक देश के आर्थिक उत्पादन में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने के उद्देश्य से कई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। विनिर्माण क्षेत्र मशीन टूल्स उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा, सरकार बजट सहायता, कर नीतियों, आयात प्रतिस्थापन रणनीतियों और औद्योगिक गलियारों और विनिर्माण क्लस्टर सुविधाओं के रूप में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, एमएसएमई के विकास पर बढ़ते ध्यान और

उनकी तकनीकी शक्तियों को बढ़ाने से स्थानीय मशीन टूल्स की मांग में और वृद्धि हुई है, आयात पर निर्भरता कम हुई है और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है। सरकारी योजनाएँ, क्षेत्रीय औद्योगिक पार्क, बुनियादी ढाँचे पर खर्च, रक्षा निर्यात को बढ़ावा, पूंजीगत वस्तुओं की घरेलू खरीद को प्राथमिकता, दुनिया द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के लिए कई स्रोतों को प्राथमिकता देना और भारत का पसंदीदा स्रोतों में से एक होना।

परिणामस्वरूप, उद्योग अधिक कुशल, उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बन रहा है। यह वृद्धि सरकार की मेक इन इंडिया पहल से प्रेरित होगी, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। उद्योग को भारतीय मशीन टूल्स कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास में बढ़ते निवेश से भी लाभ हो रहा है।

छ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास परिचालन दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग और नियंत्रण, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन आदि के संबंध में व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए प्राधिकरण सीमाओं के साथ शक्तियों का स्पष्ट प्रत्यायोजन।
- लेखांकन, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए सुनिर्धारित कॉर्पोरेट नीतियाँ।
- अनधिकृत उपयोग, हानि या निपटान से परिसंपत्तियों की सुरक्षा, और यह सुनिश्चित करना कि लेनदेन अधिकृत, रिकॉर्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं।
- वार्षिक और दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाओं के निर्माण और समीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- विभिन्न मदों के अंतर्गत मासिक लक्ष्यों का विस्तृत विवरण देते हुए विस्तृत वार्षिक बजट।
- बजट के संदर्भ में कोर समिति द्वारा निरंतर आधार पर कार्य निष्पादन की समीक्षा।

ज) मानव संसाधन

आपकी कंपनी का मानना है कि मानव संसाधन उसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

कंपनी में कार्यरत प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें उच्चतर ज़िम्मेदारियाँ संभालने में सक्षम बनाने पर ज़ोर दिया गया।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों को प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुख्य ध्यान कंपनी की वृद्धि और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिभाओं को बनाए रखने और उन्हें विकसित करने पर रहा।

झ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एचएमटी समूह ने कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए विभिन्न विनिर्माण इकाइयों में अस्पताल, स्कूल और खेल के मैदान स्थापित किए हैं।

ञ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का अनुपालन

संशोधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करती है अनुरूप है। यह घोषणा पुष्टि करतI है कि कंपनी मातृत्व लाभ से संबंधित सभी वैधानिक दायित्वों को बरकरार रखेगी, जिससे कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होगा।

कॉर्पोरेट प्रशासन

सरकारी कंपनियों पर लागू, भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर तैयार किए गए दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु उचित कार्रवाई शुरू कर दी है।

निदेशक मंडल

31.03.2025 तक, निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक शामिल थे। वर्ष 2024-25 के दौरान, कैलेंडर वर्ष 2024 में 6 अगस्त, 2 सितंबर, 30 दिसंबर और कैलेंडर वर्ष 2025 में 31 मार्च को चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गई। निदेशकों की संरचना और वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों और आम बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

नाम	वर्ग	उपस्थिति विवरण			अन्य निदेशक पदों और समिति की संख्या सदस्य/अध्यक्षता		
		बोर्ड बैठकें	बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति %	सामान्य बैठक	निदेशक	समिति	
						सदस्यता	अध्यक्ष
श्री कृष्णास्वामी रविशंकर (डीआईएन: 10540509) (05.04.2024 तक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0	लागू नही होता	लागू नही होता	3	1	-
श्री राजेश कोहली (डीआईएन: 10333951) (05.04.2024 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	100%	हाँ	4	4	1
सुश्री मुक्ता शेखर (डीआईएनः 10118859) (23.07.2024 तक	एनईएनआई	0	लागू नही होता	लागू नही होता	8	-	-
डॉ.रेणुका मिश्रा (डीआईएन:08635835) (23.07.2024 से)	एनईएनआई	4	100%	हाँ	9	3	1
श्री राजेश कुमार (डीआईएन: 09403746)	एनईएनआई	4	100%	हाँ	3	3	-

*सीएमडी और एनईएनआई: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईएनआई: कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र, एनईएनआई: गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र, एनईआई: गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र, एनए: लागू नहीं

वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:
श्री राजेश कोहली

श्री राजेश कोहली को 05.04.2024 से एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

58 वर्षीय श्री राजेश कोहली मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में कार्यकारी निदेशक हैं। श्री राजेश कोहली एनआईटी कुरुक्षेत्र (हरियाणा) से मैकेनिकल इंजीनियर (ऑनर्स) हैं और उन्हें उद्योग में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे 1987 में हरिद्वार (उत्तराखंड) स्थित भेल के भारी विद्युत उपकरण संयंत्र में कार्यरत हुए। उन्होंने भेल में अनुसंधान एवं विकास, तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विभागों सहित अतिचालक मशीनों, बड़ी विद्युत मशीनों और रक्षा व्यवसाय जैसी उन्नत तकनीकों के विविध क्षेत्रों में कार्य किया है।

वे 2016 में कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रभाग में नई दिल्ली स्थित भेल कॉर्पोरेट कार्यालय में शामिल हुए। उन्हें मूल उपकरण उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का व्यापक अनुभव है। बीएचईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके हालिया कार्यभार में प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग, संयुक्त उद्यम, एम एंड ए, आर एंड डी और नवाचार रणनीति, ज्ञान प्रबंधन,

लागत अनुकूलन आदि सहित विविध भूमिकाएं शामिल थीं। उनके नेतृत्व में, बीएचईएल ने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में वैश्विक ओईएम के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी की; और हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला, कोयले से रसायन और रेल परिवहन क्षेत्रों में नई साझेदारियों पर काम किया है।

हाल ही में, उन्होंने कोयला गैसीकरण के लिए बीएचईएल की इन-हाउस तकनीक को बढ़ावा देने और विविध औद्योगिक उपयोग के लिए रसायनों में इसके आगे रूपांतरण का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप बीएचईएल ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बीएचईएल के पोर्टफोलियो में विविधता लाने में रुचि को आगे बढ़ाने के लिए कई अन्य ऐसे गठबंधनों पर सक्रिय रूप से काम किया। राजेश कोहली, एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड और एचएमटी वॉचेस लिमिटेड कंपनियों में भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पदों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक पद पर कार्यरत हैं।

अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण और विशाल अनुभव के साथ, वे टीम-एचएमटी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे।

डॉ. रेणुका मिश्रा

डॉ. रेणुका मिश्रा को 23.07.2024 से एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं।

52 वर्षीय डॉ. रेणुका मिश्रा, पीएचडी, एमए (अर्थशास्त्र) भारतीय आर्थिक सेवा (2003 बैच) की अधिकारी हैं। वे इससे पहले भारत सरकार के विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत रही हैं।

डॉ. रेणुका मिश्रा कराधान, वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और महिलाओं की संवेदनशीलता जैसे क्षेत्रों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कई लेखों/पत्रिकाओं की नियमित लेखिका रही हैं।

निदेशकों के लिए परिचयात्मक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

कंपनी ने निदेशकों को कंपनी, उसके संचालन, नीतियों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में उनकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों से परिचित कराया है।

बोर्ड की समितियाँ

क) लेखा परीक्षा समिति

वर्ष 2024-25 के दौरान, कैलेंडर वर्ष 2024 में 6 अगस्त, 2 सितंबर और 30 दिसंबर को लेखा परीक्षा समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान निदेशकों की संरचना और समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	समिति में पदनाम	उपस्थिति विवरण		
		भाग लेने के लिए पात्र बैठक की संख्या	बैठक में भाग लेने वालों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
श्री राजेश कुमार	अध्यक्ष	3	3	100%
श्री के रविशंकर (05.04.2024 तक)	सदस्य	0	0	शून्य
श्री राजेश कोहली (डीआईएन: 10333951) (05.04.2024 से)	सदस्य	3	3	100%

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

वर्ष 2024-25 के दौरान, समिति की एक बैठक कैलेंडर वर्ष 2024 में 6 अगस्त 2024 को आयोजित की गई। निदेशकों की संरचना और समिति में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	समिति में पदनाम	उपस्थिति विवरण		
		भाग लेने के लिए पात्र बैठक की संख्या	बैठक में भाग लेने वालों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
श्री राजेश कुमार	अध्यक्ष	1	1	100%
श्री के रविशंकर (05.04.2024 तक)	सदस्य	0	0	शून्य
श्री राजेश कोहली (डीआईएन: 10333951) (05.04.2024 से)	सदस्य	1	1	100%

निदेशकों का पारिश्रमिक

बोर्ड और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए 5000 रुपये और लेखा परीक्षा समितियों के लिए 3000 रुपये की बैठक शुल्क निर्धारित है। बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी द्वारा वास्तविक व्यय के अनुसार वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक को व्यक्तिगत वाहन से 500 रुपये की प्रतिपूर्ति की जाती है।

पूर्णकालिक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण शून्य है, क्योंकि 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में कोई पूर्णकालिक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2021-22	28.09.2022	12:30 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय, नंबर 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरू - 560032
2022-23	29.09.2023	09:30 प्रातः	ऊपरोक्त अनुसार
2023-24	30.10.2024	11:00 प्रातः	ऊपरोक्त अनुसार

चालू वर्ष की वार्षिक आम बैठक सितंबर 2025 में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

खुलासे

इसके प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय/आरओसी, बेंगलुरु में वैधानिक रिटर्न दाखिल कर दिया है। कंपनी की कुछ इकाइयों द्वारा देय वैधानिक देय राशि बकाया है।

संपर्क के साधन

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी समय-समय पर होल्डिंग कंपनी मेसर्स एचएमटी लिमिटेड को वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करती है। वार्षिक परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hmtmachinetools.com पर भी अपडेट किए जाते हैं।

****

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी एवं अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय का विवरण इस प्रकार है:

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय:

i. कर्मचारियों और निवासियों के बीच ऊर्जा संरक्षण और उसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने से बिजली की खपत में कमी आई है।

ii. पानी का पुनर्चक्रण, विशेष रूप से कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए।

iii. स्विचिंग, डी-क्लैम्पिंग आदि का उपयोग करके अत्यधिक रोशनी के स्तर को मानक स्तर तक कम करना।

iv. उपयोग में न होने पर लाइट/पंखे/एग्जॉस्ट पंखे आदि को बंद करना।

v. ऊर्जा संरक्षण के लिए स्क्रैप और और पुनः उपयोगी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।

vi. उपयोगिता आपूर्तिकर्ता के साथ टैरिफ संरचना का अनुकूलन करना।

vii. उच्च लोड फैक्टर बनाए रखने के लिए संचालन का समय निर्धारण करना।

viii. जहाँ भी संभव हो, फ्लोरोसेंट ट्यूबों को एलईडी लाइटों और सौर पैनलों से बदलना।

ix. सभी विद्युत उपकरणों का इष्टतम उपयोग।

x. कई इकाइयों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से की जा रही है, जिससे कैंटीन में बिजली की खपत कम हो गई है।

xi. रात में अनावश्यक प्रिंटर, कंप्यूटर, कॉपियर मशीनें बंद कर देना।

xii. मशीनों को बेकार चलने से रोकें।

xiii. ऊर्जा कुशल मोटरों को बदलें।

xiv. बिजली के बिल और प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग को कम करने के लिए बिजली की अधिकतम माँग को नियंत्रित करें।

xv. भट्ठी के प्रदर्शन को अनुकूलित करने और उत्पादन बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव करके ऊर्जा की खपत में कमी लाएँ।

xvi. ऊष्मा उपचार/फाउंड्री भट्टियों में कार्य योजना के परिणामस्वरूप विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी आई।

xvii. डीजल की अधिकतम माँग और खपत को कम करने के लिए रविवार को इंडक्शन भट्टी चलाएँ।

xviii. भट्ठी में ऊष्मा पुनर्प्राप्ति उपकरणों की रेट्रोफिटिंग करें।

xix. कैपेसिटर का नियमित निवारक रखरखाव करें।

xx. तनाव निवारण भट्टी पर कम भार पड़ने से बचाएँ।

xxi. फाउंड्री में मध्यम आवृत्ति भट्ठी का अधिकतम उपयोग और लाइन आवृत्ति भट्टियों का कम उपयोग।

xxii. पावर फैक्टर को 0.98 तक बनाए रखें और बिजली बिल में छूट प्राप्त करें।

xxiii. ओमेगा और मिक्सर का अधिकतम उपयोग जिससे ऊर्जा की बचत होती है।

xxiv. संपीड़ित वायु रिसाव को न्यूनतम किया जाता है और शिफ्ट परिवर्तन / लंच ब्रेक के दौरान स्विच ऑफ कर दिया जाता है।

ख) ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हों, लागू किए जा रहे हैं।

विनिर्माण इकाई, स्ट्रीट लाइटिंग, आवासीय कॉलोनी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कैप्टिव बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी विनिर्माण इकाइयों में रूफटॉप फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

ग) वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर प्रभाव:

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप विभिन्न भार केंद्रों पर विद्युत ऊर्जा की खपत में पर्याप्त कमी आई है और ऊर्जा लागत को कम करने में मदद मिली है।

घ) उत्पादन की प्रति इकाई कुल ऊर्जा खपत:

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी विशिष्ट उद्योगों की सूची में शामिल नहीं है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण- प्रपत्र ख

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

1. कंपनी द्वारा किये गये अनुसंधान एवं विकास के विशिष्ट क्षेत्र:

क) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/अवशोषण:

- प्रोटोटाइप टीपीएमजेड का सफलतापूर्वक निर्माण किया और मेसर्स आईजीसीएआर को 65 लाख रुपये मूल्य की आपूर्ति की।
- बीईएल एडाप्टर असेंबली

  एचएमटी ने बीईएल को एडाप्टर असेंबली की 11 इकाइयाँ विकसित और आपूर्ति कीं, जिनका उपयोग पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) उथले पानी के जहाजों (SWC) में किया जाता है।

ख) उत्पाद विकास के लिए प्रौद्योगिकी संवर्धन/उन्नयन:

- मेसर्स बीएआरसी, मुंबई को टीपीएम जेड - 35 जोड़े + 6 जोड़े परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की।
- एचएमसी-500 एसएलडी का इन-लाइन स्पिंडल के साथ पहली बार विकास, एटीसी और डीडीआर टेबल का अधिग्रहण, जिससे असेंबली के घंटों और कमीशनिंग समय में कमी आई।
- एचएमटी शेलटर्न सीएनसी मशीन विशेष रूप से फोर्ज्ड ब्लैंक से गोले की रफ मशीनिंग के लिये डिज़ाइन की गई है। इस मशीन में एक ट्यूबलर संरचना वाला कंप्यूटर-अनुकूलित बेड है, जो बेहतर कठोरता और स्थिरता प्रदान करता है। 20-डिग्री का विन्यास आसान स्वारफ प्रवाह और लोडिंग-अनलोडिंग कार्यों के लिए सुगमता प्रदान करता है। बिस्तर मार्गदर्शक कठोर और जमीन पर होता है। एमटीके ने आयुध निर्माणी अंबाझरी को तीन शेल टर्न लेथ डिज़ाइन, विकसित और आपूर्ति की है।

- एचएमटी ने एक प्रमुख टर्नकी परियोजना के तहत ओडिशा जिले के 20 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 20 स्टैलियन 200एस मशीनें विकसित कीं। ये मशीनें क्लाउड सपोर्ट के साथ IoT-एकीकृत हैं।

ग) मीजूदा मशीनों का विकास:

- एफएन3यू मिलिंग मशीन पर मोटराइज्ड ओवर आर्म का पुनःविकास।

- आयातित हेड्स पर निर्भरता को समाप्त करने के लिये नये हेड के साथ टीआरएम5वी का विकास।
- कॉलम के नीचे फीड मोटर और कम फुटप्रिंट के साथ वीएमसी-300एम के नए उन्नत संस्करण का विकास।
- VT539 मशीन में डिज़ाइन में सुधार किया गया है, जिसमें स्तंभ और क्रॉस स्लाइड पर अंतर्निहित गाइडवे प्रदान किए गए हैं ताकि निर्माण चक्र का समय कम किया जा सके और लागत में बचत की जा सके।
- VT607 मशीन में क्रॉस स्लाइड और क्रॉस रेल और टूल क्लैम्पिंग व्यवस्था में संशोधन करके डिज़ाइन में सुधार किया गया है ताकि निर्माण चक्र का समय कम किया जा सके और लागत में बचत की जा सके।
- आसान असेंबली के लिए DC102 एनकोडर माउंटिंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

   मशीनों की दक्षता में वृद्धि, उत्पादन चक्र में कमी और नए अवसर विकसित हुए।

3. भविष्य की कार्य योजनाएँ:

क) भारत को आत्मनिर्भर बनाने और "मेक इन इंडिया" मशीनें बनाने के लिए मूल प्रौद्योगिकियों के अनुरूप नए उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।

ख) रैम टाइप बोरिंग मशीन, रोल ग्राइंडिंग मशीन और रोलिंग एवं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लिए घिसाव एवं घर्षण मापन हेतु प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आईआईटी बीएचयू के साथ समझौता ज्ञापन।

ग) डबल कॉलम सीएनसी वीटीएल में नए प्रकारों का विकास।

घ) रेलवे के वित्तीय सहयोग से एक्सल मशीनिंग लाइन की स्थापना हेतु चर्चा एवं प्रस्तुति।

ङ) उच्च गति मल्टी एक्सिस मशीनिंग केंद्रों, मल्टी टास्किंग मशीनों के विकास और निर्माण हेतु तकनीकी साझेदार की तलाश।

च) कॉर्पोरेट डिज़ाइन और अनुसंधान एवं विकास की स्थापना

छ) कलामस्सेरी और बेंगलुरु में अत्याधुनिक फाउंड्री सुविधाओं की स्थापना

ज) स्वदेशी अनुसंधान के साथ भारत में सीएनसी प्रणाली का विकास

झ) देश में बॉल स्क्रू की मांग को पूरा करने के लिए बॉल स्क्रू निर्माण सुविधा की स्थापना।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय विवरण (लाखों रुपये में)

क)	पूंजी	₹ शून्य
ख)	आवर्ती	₹ शून्य
	कुल	₹ शून्य

5. कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय:

   % (टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में) लागू नहीं

6. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:

   मशीन टूल्स के क्षेत्र में संयुक्त कार्य करने तथा उद्योग अकादमिक सहयोग, ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण के विकास में तेजी लाने के लिए विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू), बेलगावी (कर्नाटक) और आईआईटी, रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) पूंजीगत वस्तु योजना-2 (सीजी स्कीम-2) के अंतर्गत, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, भारत में पहली बार, आईआईटी बीएचयू, वाराणसी के सहयोग से रैम प्रकार की बोरिंग मशीन, रोल ग्राइंडिंग मशीन विकसित कर रहा है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, उत्पादों और सेवाओं के लिए निर्यात बाज़ार बढ़ाने हेतु की गई पहल और कंपनी के उत्पादों के संयंत्र निर्यात का प्रबंधन एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो होल्डिंग कंपनी एचएमटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

उपयोग की गई और अर्जित कुल विदेशी मुद्रा:

	विवरण	(लाखों रुपये में)
1.	अर्जित विदेशी मुद्रा	999.19
2.	विदेशी मुद्रा व्यय (आयात का सीआईएफ मूल्य)	195.39
3.	यात्रा के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य
4.	रॉयल्टी के कारण मुद्राएँ	शून्य
5.	तकनीकी जानकारी/पेशेवरशुल्क, ब्याज और अन्य मामले	शून्य

फार्म संख्या एओसी-2

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और नियम 8(2) के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु, जिसमें तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन-देन भी शामिल हैं।

1. ऐसे अनुबंधों, व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण जो निश्चित दूरी के आधार पर नहीं हैं

(a) संबंधित पक्ष का नाम और ऐसे लेन-देनों की प्रकृति जो निश्चित दूरी के आधार पर नहीं हैं

(b) अनुबंधों, व्यवस्थाओं/लेन-देनों की प्रकृति: लागू नहीं होता है

(c) अनुबंधों, व्यवस्थाओं/लेन-देनों की अवधि: लागू नहीं होता है

(d) अनुबंधों, व्यवस्थाओं या लेन-देनों की मूल शर्तें, यदि कोई हो, मूल्य सहित: लागू नहीं होता है

(e) ऐसे अनुबंधों, व्यवस्थाओं या लेन-देनों में प्रवेश करने का औचित्य: लागू नहीं होता है

(f) अनुमोदन की तिथि(या तिथियाँ) बोर्ड: लागू नहीं होता है

(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: लागू नहीं होता है

(ज) धारा 188 के प्रथम प्रावधान के अनुसार सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि: लागू नहीं होता है

2. भौतिक अनुबंधों, व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण

(क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति: लागू नहीं होता है

(ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन की प्रकृति: लागू नहीं होता है

(ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधि: लागू नहीं होता है

(घ) अनुबंधों, व्यवस्थाओं या लेन-देन की शर्तें, मूल्य सहित, यदि कोई हो: लागू नहीं होता है

(ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(या तिथियाँ): लागू नहीं होता है

(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: लागू नहीं होता है

निदेशक मंडल की ओर से
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 24 सितंबर 2025

फॉर्म संख्या MR 3

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधनियिम, 2013 की धारा 2014 (1) तथा कंपनी (नयिुक्त एिवं पूरबंधन कार्मकिों के पारशि्रमकि) नयिमावली, 2014 के

सदस्यों के लिए
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
संख्या 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत - 560032

हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, जिसका CIN: U02922KA1999GOI025572 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय संख्या 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु - 560032 में है, (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस प्रकार किया गया है कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया जा सके।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो उस सीमा तक, उस तरीके से लागू होते हैं और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल प्रपत्रों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम – कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम - कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखे जाते हैं।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार, यदि कोई हो, की सीमा तक।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी बनाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और विस्तृत नोट्स कम

से कम सात दिन पहले नहीं भेजे जाते थे, और जब भी बैठक अल्प सूचना पर आयोजित की जाती थी, तो सभी निदेशकों की सहमति ली जाती थी और बैठक में सभी निदेशकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती थी। इसके अलावा, बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत से लिया गया निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में आकार के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं | कंपनी के संचालन एवं संचालन की निगरानी करना और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कामकाज पर कोई बड़ा असर डालने वाली कोई घटना/कार्रवाई नहीं की है।

सामान्य तौर पर, यह देखा गया कि कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन, सभी आवश्यक अभिलेखों का उचित रखरखाव कर रही है और विभिन्न लागू कानूनों के अनुपालन के लिए स्थापित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

निम्नलिखित को छोड़कर, पूर्वगामी पैराग्राफ में उल्लेखित सभी बातें लागू नहीं होंगी:

1. एक सूचीबद्ध इकाई की एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी होने के नाते, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 24(1) के तहत इसके बोर्ड में इसकी होल्डिंग कंपनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। कंपनी ने अभी तक इस विनियमन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) का अनुपालन नहीं किया है, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में।

2. लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने कई मामलों में कर्मचारियों से संबंधित वैधानिक बकाया का समय पर भुगतान नहीं किया है और परिणामस्वरूप, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि के तहत प्रावधानों का पालन नहीं किया है और वैधानिक अधिकारियों से नोटिस प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं।

एस केदारनाथ एंड एसोसिएट्स के लिए
स्वयंभू केदारनाथ
एम. संख्या: F3031 | सीओपी संख्या: 4422
आईसीएसआई एफआरएन: S2010KR128100
आईसीएसआई पीआरएन: 1437/2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: FOO3031G001201351
दिनांक: 8 सितंबर, 2025
स्थान: बेंगलुरु

यह रिपोर्ट सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न हमारे पत्र के साथ पढ़ी जानी है और यह रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

साचिविक लेखापरीक्षा का अनुलग्नक
पेशेवर सचिवीय लेखा परिक्षक द्वारा जारी

सेवा में
सदस्यों को
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
संख्या 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु – 560032
इस पत्र के साथ हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट पढ़ी जाए:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। उद्योग-विशिष्ट कानूनों के तहत अनुपालन की जाँच कंपनी द्वारा प्रदान की गई लागू कानूनों की सूची के आधार पर की गई थी।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस केदारनाथ एंड एसोसिएट्स के लिए
स्वयंभू केदारनाथ
मो. संख्या: F3031 | सीओपी संख्या: 4422
आईसीएसआई एफआरएन: S2010KR128100
आईसीएसआई पीआरएन: 1437/2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: FOO3031F001105176

दिनांक: 8 सितंबर, 2025
स्थान: बेंगलुरु

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षा पर सचिवीय लेखापरीक्षाकर्ता द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट

रेफर.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	कंपनी का जवाब
1	एक सूचीबद्ध इकाई की एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी होने के नाते, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 24(1) के तहत इसके बोर्ड में इसकी होल्डिंग कंपनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। कंपनी को अभी भी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में इस विनियमन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) का अनुपालन करना है।	सभी श्रेणियों के निदेशकों का नामांकन और नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का विषय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करे।
2	लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने कई मामलों में कर्मचारियों से संबंधित वैधानिक देय राशि का समय पर भुगतान नहीं किया है और परिणामस्वरूप, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और उसे वैधानिक प्राधिकारियों से नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे भी चल रहे हैं।	कंपनी कई वर्षों से घाटे में चल रही है, इसलिए लेखा परीक्षकों के अनुसार, वह वैधानिक बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पा रही है। कंपनी आंतरिक परिचालन से धन जुटाने और वैधानिक बकाया राशि का समय पर भुगतान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 8 सितंबर 2025

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

कॉर्पोरेट प्रशासन का प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U02922KA1999GOI025572

सेवा में

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (कंपनी) द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की अनुपालन शर्तें प्रबंधन की ज़िम्मेदारी हैं। हमारी जाँच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो एक लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का सभी भौतिक मामलों में अनुपालन किया है, निम्नलिखित के अपवाद के साथ:-

क) एक सूचीबद्ध प्रविष्टि की एक भौतिक सहायक कंपनी होने के नाते, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 24(1) के अंतर्गत इसके बोर्ड में इसकी होल्डिंग कंपनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। कंपनी ने अभी तक इस विनियमन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) का अनुपालन कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में नहीं किया है।

(ख) लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने कई मामलों में कर्मचारियों से संबंधित वैधानिक बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं किया है और परिणामस्वरूप, प्रावधान निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि का उल्लंघन किया है और उसे वैधानिक प्राधिकारियों से नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

राजगोपाल और बद्री नारायणन के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 020244, फर्म पंजीकरण संख्या 0030248
स्थान: बेंगलुरु,
दिनांक: 20.09.2025
UDIN: 25020244BMIVFS7262

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

विषय: आचार संहिता - खंड 3.4.2 के अंतर्गत घोषणा
यह प्रमाणित किया जाता है कि:
डीपीई के कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के प्रावधानों के अनुसरण में, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक आचार संहिता लागू है।

उक्त आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इसे बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को भी वितरित कर दिया गया है; और,

सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
दईएन: 10333951

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 8 सितम्बर, 2025

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के सदस्य गण को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सीआईएन: UO2922KA1000GOIO25572

(भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षक कार्यालय, हैदराबाद द्वारा PDCA/A/c/Desk/2024-25/HMT(MT)/1.31/185 दिनांक 01.09.2025 के माध्यम से प्रदान की गई अस्थायी टिप्पणियों के क्रम में जारी किया गया तथा यह हमारी पूर्व में दिनांक 11.07.2025 को जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करता है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने मेसर्स एचएमटी **मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु** (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 के तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय को शामिल कर), इक्विटी में बदलाव का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हम बताते हैं कि, कंपनी के वित्तीय विवरणों में एचएमटी बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स, एचएमटी अजमेर, एचएमटी पिंजौर, एचएमटी हैदराबाद, एचएमटी कलमस्सेरी , प्रागा टूल्स - हैदराबाद, एचएमटी विपणन प्रभाग बेंगलुरु और एचएमटी निदेशालय-बैंगलोर के आठ प्रभागों के वित्तीय विवरणों का संकलन शामिल है। जिसमें एचएमटी निदेशालय बेंगलुरु को छोड़कर प्रत्येक प्रभाग नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र वैधानिक लेखापरीक्षा के अधीन है। इनमें से छह इकाइयों/प्रभागों की लेखा परीक्षा अन्य सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, बेंगलुरु में विपणन इकाई/प्रभाग की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की जाती है और एचएमटी निदेशालय बेंगलुरु की लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं की जाती है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, यथासंशोधित (भारतीय लेखा मानक) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों द्वारा 31 मार्च, 2025 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नुकसान, कुल व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और इसके नकदी प्रवाह के बारे में आवश्यक जानकारी देते हैं।

उचित राय का आधार (एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लिए – एचएमटी बेंगलुरु को छोड़कर सभी इकाइयों/प्रभागों जिसके लिए घटक लेखा परीक्षक ने राय के लिए अस्वीकरण दिया है)

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधान और वहां बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

हम विभिन्न इकाइयों/प्रभागों के घटक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए निम्नलिकित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो हमारी राय में गलत बयान के नतीजा है और समेकित वित्तीय विवरण पर अर्हक राय देने पर विचार किया गया है।

क. एमटीए, अजमेर

1) इकाई/प्रभाग से सेवानिवृथी/अलग हुए कर्मचारियों के मामले में **2,99,34,694/-** रुपयों तक उपदान के निपटान/ अदायगी में इकाई/प्रभाग ने चूक की है। आगे, इकाई/प्रभाग ने उपदान की गैर अदायगी/निपटान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

2) इकाई/प्रभाग ने उन आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए जीएसटी को प्रतिवर्ती नहीं किया है जिसकी अदायगी 31.03.2025 को यथास्थिति 180 दिनों से अधिक बकाया है। इसमें **14,69,890/-** रुपए है।

ख. एमटीके – कलमस्सेरी

1) 31.03.2025 को यथास्थिति इकाई/प्रभाग ने **1,99,92,112/-** रुपयों के वसूली-योग्य दावे को दर्शाया है, जो कई वर्षों से बही में बकाया है। वर्ष के दौरान कोई संव्यवहार रिकार्ड नहीं किया गया है। इस दावे की वैधता या पुनाप्रप्थी को सिद्ध करने के लिए कोई समर्थक प्रलेखीकरण, पुष्टिकरण या पत्राचार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आगे, इण्ड एएस 109 - वित्तीय लिखतों के अधीन हानि का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

2) इकाई/प्रभाग ने जनवरी से मार्च 2025 की अवधि के लिए मासिक जीएसटी विवरणी (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी) दाखिल नहीं किया है। संभावित ब्याज, विलंब शुल्क या जुर्माना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो इण्ड एएस 37- प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुपालन में नहीं है।

3) इकाई/प्रभाग ने एक होटल कारोबार चलाने वाली बाहरी पार्टी को बिजली, पानी और भूमि की सुविधाएँ प्रदान की है। तथापि, उक्त पार्टी से किराए के संबंध में कोई आय प्राप्त नहीं हुआ है। होटल द्वारा वहन किए गए बिजली और जल प्रभार को कंपनी ने भुगतान किया है और उन्हें बही खाते में "कर्मचारी लाभ व्यय" के अधीन वर्गीकृत किया गया है। हमारी राय में, आय की गैर-मान्यता और व्यय की गलत मान्यता प्रयोज्य वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुरूप नहीं है। उपयुक्त अभिलेखों और समर्थक प्रलेखन न होने के कारण उपरोक्त वित्तीय प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

4) केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) द्वारा जारी बिजली बिल के अनुसार, हम आपका ध्यान कलमस्सेरी इकाई/ प्रभाग की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर आकर्षित करते हैं, जहां 31 मार्च 2025 को यथास्थिति कंपनी द्वारा देय राशि **8,95,32,123/-** रुपये है। तथापि, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में केवल **5,68,01,959/-** रुपये की देनदारी को मान्यता दी है। शेष **3,27,30,264/-** रुपये की राशि को स्वीकार या प्रावधान नहीं किया गया है, इसके विरुद्ध कंपनी ने कोई औपचारिक विवाद या कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। यह दर्शाने के लिए कि देनदारी वास्तव में विवादित है, कोई भी समर्थक प्रलेखन नहीं है। हमारी राय है कि प्रयोज्य वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार कथित राशि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था।

ग. एमटीपी – पिंजौर

1) इकाई/प्रभाग ने अपने भविष्य निधि दायित्वों का बीमांकिक मूल्यांकन नहीं है, जो इण्ड एएस 19 - कर्मचारी लाभ के अंतर्गत परिभाषित लाभ योजना के रूप में अनुकूल है।

घ. एमटीएच – हैदराबाद

1) इकाई/प्रभाग के पास वस्तु सूची परिचालन कार्यविधियों की तुलना में पर्याप्त राशि है, अत: वस्तु सूची प्रक्रिया के सथ्यापन की पूर्वधारणा के बिना, भौतिक माल के अस्तित्व पर संदेह उठता है। तथापि, हमने इस मामले में पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन कथित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की प्रासंगिकता को इण्ड एएस 2 के अनुसार ऐसे प्रावधान के लिए मापनीयता को पूरा नहीं किया जा सकता है।

2) इकाई/प्रभाग ने इण्ड एएस 40-निवेश संपत्ति का अनुपालन नहीं किया है, जिसके तहत इकाई/प्रभाग को उस संपत्ति के बारे में बताना चाहिए, जिससे उसे वह किराया मिलता है।

3) इकाई/प्रभाग के पास विभिन्न स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों का पर्याप्त देय है, जबकि ये राशि संबंधित फोरम के समक्ष विरूपण और विवादों के अधीन हैं, इस संबंध में उनके द्वारा कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया और प्रबंधन की पुष्टि में इसे आकस्मिक देनदारियों के भाग के रूप में रिपोर्ट किया गया है। साथ ही, सी एण्ड एजी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को देय संपत्ति कर की मान्यता पर टिप्पणी की है कि कंपनी ने इसे आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाया है। प्रबंधन के स्पष्टीकरण के अनुसार, नगर निगम आयोग से बातचीत की गई और इसके परिणाम आगामी वर्षों में दी जाएगी। हालांकि, इन आकस्मिक देयताओं के मामले में लगातार जानकारी उपलब्ध है, लेकिन मदों के पूर्वानुमानित परिणाम को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और परिणामस्वरूप उस पर राय नहीं दी जा सकती है।

ङ. विपणन प्रभाग

1) इकाई/प्रभाग ने वर्ष के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी फॉर्म में मासिक जीएसटी विवरणी फाइल किया है। हालाँकि, जीएसटीआर-2बी और बही खाता के अनुसार निवेश कर जमा (आईटीसी) के बीच मिलान नहीं किया गया है। ऐसे मिलान के न होने से, खातों में दर्ज निवेश कर जमा की शुद्धता और पूर्णता पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं।

2) इकाई/प्रभाग ने उसी पीएएन के अधीन कर्नाटक राज्य के बाहर अन्य जीएसटी-पंजीकृत इकाई/प्रभागों से कमीशन आय अर्जित की है, लेकिन कर का भुगतान नहीं किया है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार, ऐसी इकाई/प्रभागों को अलग-अलग व्यक्ति माना जाता है। सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची I के साथ पठित धारा 7(1) (सी) के अधीन, अलग-अलग व्यक्तियों के बीच अंतर-इकाई/प्रभाग आपूर्ति, कर योग्य आपूर्ति है।

च. पीटीएच, हैदराबाद

1) इकाई/प्रभाग ने इण्ड एएस 36 - परिसंपत्तियों की हानि के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार, अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि का मूल्यांकन नहीं किया है।

2) अन्य चालू देयताओं में भविष्य निधि ट्रस्ट और ग्रेच्युटी ट्रस्ट निपटान के लिए ₹56.16 करोड़ की लंबी बकाया राशि शामिल है। सांविधिक देयों के विलंबित जमा से होने वाले जुर्माना ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3) जीएसटी, टीडीएस और व्यावसायिक कर के अंतर्गत सांविधिक दायर करने में विलंब हुआ या दायर नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज और जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, इन गैर-अनुपालनों से संबंधित विलंब शुल्क और जुर्माने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

छ. राय के अस्वीकरण का आधार – एम्विएक्स, बेंगलुरु

हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनी के एमबीएक्स बेंगलुरु की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें घटक लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा साक्ष्य में महत्वपूर्ण सीमाओं के आधार पर अपनी राय को अस्वीकृत किया है। घटक लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि:

(i) इण्ड एएस 2 – वस्तु सूची

हम वित्तीय विवरण में नोट संख्या 5 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ईआरपी में दर्शाए अनुसार, लागत के आधार पर उपभोग्य सामग्रियों सहित कच्चे माल का मूल्यांकन किया गया है। कच्चे माल के मूल्यांकन का आधार हमें स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रगतिशील कार्य, तैयार माल और मार्गस्थ माल

का मूल्य कार्य आदेश के लिए जारी किए गए जॉब कार्ड के आधार पर लिया जाता है और उपरिलागत सहित स्टॉक मूल्यांकन अनुमानित लागत के आधार पर होता है। वस्तु सूची मात्रा की शुद्धता और वस्तु सूची के प्रत्येक वस्तु के लिए विचार किए गए मूल्य को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यक कार्य/समर्थन नहीं किए गए थे। इण्ड एएस -2 के अनुसार, वस्तु सूची का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर होना चाहिए। अनुमानित लागत पर वस्तु सूची का मूल्यांकन इण्ड एएस - 2 के आवश्यकताओं का उल्लंघन है और लेखांकन नीति 2(जे) के अनुरूप नहीं है।

(ii) वस्तु सूची का मूल्यांकन (जारी)

- रद्दी माल उत्पन्न और मूल्यांकन के रिकार्ड: दैनिक आधार पर रद्दी माल उत्पन्न करने की रिकार्ड, सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे। रद्दी माल उत्पन्न करने पर उचित नियंत्रण और भौतिक रद्दी माल की मात्रा पर नज़र रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। रद्दी माल के मूल्यांकन के रिकार्ड भी नहीं दिए गए।

- वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन: वर्ष के दौरान वस्तु सूची का कोई भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। इसके अलावा, प्रबंधन ने पिछले वर्ष के सीएजी लेखा परीक्षक द्वारा दी गई अर्हताओं के आधार पर उत्तर दिया, जो इस प्रकार है: "इकाई/प्रभाग, वित्त वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षा के दौरान, इण्ड एएस-2 के अनुपालन के साक्ष्य में शाखा लेखा परीक्षक को सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा। इकाई/प्रभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमित अंतराल पर किया जाए।" प्रबंधन ने हमें यह भी आश्वासन दिया था कि वर्ष के दौरान वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया।

- स्टॉक बही खाता: हमारे सत्यापन के लिए हमें मदवार स्टॉक बही खाते उपलब्ध नहीं कराए गए। 579.70 लाख रुपये की कुल खरीदारी में से, लगभग 370.30 लाख रुपये की खरीदारी को गैर-स्टॉक मदों के रूप में दर्ज किया गया था, न कि नियमित स्टॉक कोड के माध्यम से।

- अचल वस्तु सूची के लिए प्रावधान: वित्तीय एवं लेखा नीति संख्या 2(जे) के नोट - 5 को संदर्भित करें- इकाई/प्रभाग ने अचल वस्तु सूची के मदों के लिए प्रावधान बनाया है जो 5 वर्षों से अधिक समय से गतिमान नहीं हैं। इकाई/प्रभाग ने अचल मदों की कुल लागत का 95% प्रावधान के रूप में प्रदान किया है। कच्चे माल और प्रगतिशील कार्य के पुराने विवरण दिए गए थे। तथापि, आवश्यक विवरण न दिए जाने के कारण पुराने विवरण सत्यापित नहीं किए जा सके। पूर्ण विवरण के अभाव में, हम वस्तु सूची के प्रावधान की सत्यता और वित्तीय विवरणों में अचल वस्तु सूची के लिए कम या अधिक प्रावधान के तदनुरूपी प्रभाव पर टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

- वास्तविक लागत के आधार पर वस्तु सूची के कार्य की अनुपलब्धता, मात्राओं के निर्धारण का आधार तथा नियमित अंतराल पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन न किए जाने के कारण, हम वस्तु सूची मात्राओं की यथार्थता तथा वित्तीय विवरणों के लिए माने गए मूल्य और इण्ड एएस-2 के अनुपालन तथा वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन

हम वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 3ए की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमें बताया गया था कि प्रबंधन की नीति है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन तीन वर्षों में एक बार किया जाना

चाहिए। पीपीई का भौतिक सत्यापन विगत वित्त वर्ष 2021-22 में किया गया था और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। भौतिक सत्यापन की नीति का पालन भी हमें नहीं बताया गया। नीतिगत विवरणों के न होने और भौतिक सत्यापन न किए जाने के कारण, हम संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(iv) एमएसएमई विक्रेता - पहचान और ब्याज प्रावधान

हम नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें एमएसएमई विक्रेताओं को व्यापार देय का खुलासा किया गया है। एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान के लिए प्रबंधन ने आधार और कार्यप्रणाली या इकाई/प्रभाग द्वारा पालन की गई प्रक्रिया के बारे में विवरण नहीं दिया है।

हमने इकाई/प्रभाग द्वारा वर्गीकृत एमएसएमई विक्रेताओं की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए उद्यम पंजीकरण का विवरण मांगा था। लेकिन, इसे नहीं दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 से पहले की अवधि के लिए एमएसएमई देय पर ब्याज नहीं दिए गए जो पहले की अवधि से लंबित बिलों से संबंधित है।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम प्रकटीकरण की यथार्थता और वित्तीय स्थिति पर ब्याज के प्रभाव, यदि कोई हो, को सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं।

(v) व्यापार प्राप्य

- पुष्टिकरण: हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें ₹,402.72 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4,383.19 लाख) की व्यापारिक प्राप्तियों का खुलासा किया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ग्राहक-वार शेष राशि की पुष्टि नहीं की गई।
- ग्राहकों से पुष्टिकरण पत्रों के न होने से, हम व्यापारिक प्राप्तियों की यथार्थता की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।
- दीर्घावधि: व्यापारिक प्राप्तियों की दीर्घावधि निर्धारण नियत तिथि के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि बीजक की तिथि से किया गया।
- परिणामस्वरूप, हम नोट संख्या 6ए में बताए गए व्यापारिक प्राप्तियों के अवधि निर्धारण के संबंध में यथार्थता की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।
- संदिग्ध प्राप्य और बट्टे खाते में डालना: कुल व्यापारिक प्राप्य ₹4,402.71 लाख हैं, जिनमें से ₹ 2,653.71 लाख संदिग्ध दर्शाए गए हैं।
- ₹ 1,556.33 लाख के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान वित्तीय वर्ष 1986-87 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के हैं। देनदारों को बड़ी संख्या में बट्टे खाते में डाला गया होगा, जो कि नहीं किया गया है, जिससे कुल प्राप्य राशि और प्रावधान के आँकड़े गलत दर्शाए गए हैं, जबकि वसूली की कोई संभावना नहीं है।
- प्राप्य राशियों के लिए प्रावधान: यह कंपनी की नीति है कि यदि प्राप्य राशियाँ 5 वर्ष से अधिक अवधि की हों, तो प्रावधान किए जाएँ। हमने स्पष्टीकरण माँगा था कि 5 वर्ष से कम अवधि के होने पर भी व्यक्तिगत बीजकों पर राशियाँ क्यों लंबित हैं। हमें कारण नहीं बताए गए और जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी जानकारी के अभाव में, यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि बकाया के रूप में दर्शाई गई राशि ऐसे मामलों में सही है या नहीं।
- पिछले वर्ष की रिपोर्ट के मुख्य अनुच्छेद में लेखा परीक्षक ने बताया है कि इकाई/प्रभाग को अपने खातों में 3 वर्ष से अधिक अवधि के बकाया देनदारों

की शेष राशि को बट्टे खाते में डालना आवश्यक है। हमने इस संबंध में लिखित नीति मांगी थी। तथापि, वह उपलब्ध नहीं कराई गई। इकाई/प्रभाग ने केवल 5 वर्ष से अधिक की अवधि के बकाया देनदारों के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान बनाया है।

तथापि, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए ₹ 13.28 लाख की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कम दर्शाया गया है और व्यापारिक प्राप्तियाँ उसी सीमा तक अधिक बताई गई हैं।

- बीजक-वार बकाया: 31.03.24 को यथास्थिति बीजक-वार बकाया व्यापारिक प्राप्तियाँ और बीजक-वार प्रावधान हमें उपलब्ध नहीं कराए गए।

  उपरोक्त सभी के मद्देनजर, हम वित्तीय विवरणों में व्यापारिक प्राप्य, दर्शाए गए दीर्घावस्था व्यापारिक प्राप्य और अपेक्षित प्रावधानों यदि कोई हो, तो उसकी यथार्थता की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।

(vi) व्यापार देयताएं

- हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 789.96 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,285.87 लाख रुपये) के व्यापारिक देय राशि का खुलासा किया गया है।
- शेष राशि की पुष्टि: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए विक्रेता-वार शेष राशि की पुष्टि नहीं की गई।
- दीर्घावधि: व्यापारिक देय राशि की दीर्घावधि के आधार पर गणना नहीं की गई। कई मामलों में, व्यापारिक देय राशि तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। 789.96 लाख रुपये के कुल बकाया में से, 267.52 लाख रुपये 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है।
- उपरोक्त के मद्देनजर, हम व्यापारिक देय राशि के रूप में दर्शाई गई राशि और वित्तीय विवरणों में पुरानी तिथि की यथार्थता के संबंध में पुष्टि और संतुष्ट करने में असमर्थ हैं।

(vii) **विस्तारित अवधि के बाद भी समय पर निष्पादित नहीं किए गए सार्थक मूल्य राशि का ऑर्डर** – प्रभाव ग्राहक से प्राप्त अग्रिम - परमाणु ऊर्जा विभाग: नोट 18 देखें - टीपीएम-जेड मशीन की आपूर्ति के लिए वित्त वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग से 10.59 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। कंपनी ने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के लिए सुरक्षा के रूप में 10.66 करोड़ रुपये की अग्रिम बैंक गारंटी जारी की है। आपूर्ति को प्रभावी करने के लिए वास्तव में निर्धारित तारीख 10-11-2017 थी। इकाई/प्रभाग को वित्तीय वर्ष 2017-18 तक मशीन की 54 जोड़ी की आपूर्ति करनी थी, जिसकी कुल कीमत 10.11.2017 तक 35.10 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च 2025 को यथास्थिति 65 लाख रुपये की लागत पर केवल एक जोड़ी मशीन की आपूर्ति की गई है। आपूर्ति की तारीख के संशोधित विस्तार के अनुसार 31.12.2024 तक सभी विलंबित आपूर्ति के लिए उत्पाद के मूल्य के 5% तक अधिकतम निश्चित नुकसान आरोपित किया जाएगा। इकाई/प्रभाग ने सुपुर्दगी अवधि को 30 जून 2026 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था, जो ग्राहक के अनुमोदन हेतु लंबित है।

आपूर्ति की तारीख और शर्तों को बढ़ाने के संबंध में ग्राहक की ओर से आगे कोई सूचना न मिलने के कारण, हम ग्राहक द्वारा दी गई विस्तारित अवधि के भीतर आदेशित मात्रा की आपूर्ति न होने के कारण

वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इस आदेश पर इकाई/प्रभाग द्वारा चुकाई जाने वाली देयता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(viii) नोट 21 - विविध आय: ग्राहकों से अग्रिम रूप से प्राप्त ऋण को आय के रूप में वापस लिखा जाना

- विविध आय में लगभग 234 ग्राहकों से संबंधित ग्राहकों से अग्रिम के रूप में लिए गए 306.19 लाख रुपये के पुराने उधार शामिल हैं, जिन्हें वापस लिखा गया था। वापस लिखे गए अग्रिमों का विवरण, जैसे अग्रिम की तिथि, इसे लंबित रखने का कारण आदि, उपलब्ध नहीं कराया गया। विविध आय के प्रत्यावर्तन को कार्यालय नोट द्वारा यह तर्क देते हुए अनुमोदित किया गया कि "ग्राहक के विरुद्ध कोई आदेश लंबित नहीं था"। वापस लिखे गए अग्रिम में से 110 लाख रुपये भारी उद्योग विभाग से प्राप्त राशि से संबंधित हैं, जिसके विरुद्ध दिसंबर 2020 तक हमें सीए उपयोगी प्रमाणन की प्रति दी गई थी, जिसका संकेत है कि आय को वित्त वर्ष 2020-21 या उससे पहले स्वीकृत होना चाहिए था।

- पूर्व वर्ष की आय: 306.19 लाख रुपये की विविध आय पिछले वर्ष का मद है जिसका वित्तीय विवरण में खुलासा नहीं किया गया है। ग्राहक से अग्रिम राशि के कथित प्रत्यावर्तन पर जीएसटी से पहले की अवधि से संबंधित माल एवं सेवा कर या अन्य अप्रत्यक्ष कर देयों को भी नहीं बनाया गया है।

  पूर्व अवधियों को शामिल कर ग्राहक से अग्रिम राशियों के पूर्ण तर्क और समाधान के अभाव में, हम इन राशियों को विविध आय के रूप में मान्यता देने की यथार्थता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, हम पूर्व वर्षों की प्रत्यावर्तित राशियों से संबंधित चालू वर्ष में ली गई आय पर आयकर और अप्रत्यक्ष कर के प्रभावों पर भी टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

(ix) आय में वापस लिखी गई प्रावधानों की राशि

नोट 21ए देखें, वापस लिए गए प्रावधानों में ग्रेच्युटी के प्रावधान के प्रत्यावर्तन के लिए 313.58 लाख रुपये, 1992 के आधार संशोधन बकाया (310.49 लाख रुपये) और वारंटी (3.09 लाख रुपये) शामिल हैं। ग्रेच्युटी के प्रावधान के प्रत्यावर्तन के लिए 310.49 लाख रुपये कार्यालय नोट और 22 मई 2025 के अनुमोदन के प्रत्यावर्तन के अनुमोदन दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तथापि, प्रावधान कब बनाया गया था, इसकी कार्यप्रणाली और प्रावधान बनाने का कारण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

पूर्ण कार्यप्रणाली और विवरण के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में प्रावधानों के प्रत्यावर्तन की यथार्थता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, प्रत्यावर्तन पिछले वर्ष की मद है क्योंकि यह पुराने वर्षों से संबंधित है और पिछले वर्ष की आय के रूप में आवश्यक खुलासा भी वित्तीय विवरणों में नहीं दिया गया है।

(x) इस प्रभाग की संपत्तियों से प्राप्त किराये, एचएमटी लिमिटेड के मूल कंपनी में लेखांकित करना।

- प्राप्त किराया और संग्रहित जमा: मूल कंपनी एचएमटी लिमिटेड के खातों में इस इकाई/प्रभाग की भूमि और भवनों से प्राप्त 845 लाख रुपये का किराया लेखांकित है। किराये से आय की सूची हमें दी गई है। हमें बताया गया है कि एचएमटी लिमिटेड ने किराए पर दी गई संपत्तियों पर भी जमा राशि प्राप्त की है। हमें इस संबंध में 219.6 लाख रुपये की राशि दर्शाने वाली एक सूची दी गई है।

- कोई खुलासा नहीं: चालू वर्ष में इस इकाई/प्रभाग की संपत्तियों से संबंधित 845 लाख रुपये का किराया और ऐसी संपत्तियों को किराया पर देने पर संग्रहित जमा राशि को एचएमटी लिमिटेड के खातों में दर्ज

करने के संबंध में वित्तीय विवरणों में कोई खुलासा नहीं किया गया है।

- ऐसे उपाय के लिए आधार और अनुमोदन: एचएमटी लिमिटेड (मूल कंपनी) के खातों में किराये लेखांकित करने का कारण, हमें इस तरह के व्यवहार के लिए आवश्यक अनुमोदन दर्शाने वाले दस्तावेज़ों के साथ स्पष्ट नहीं किया गया है। उद्धृत एकमात्र कारण, वित्तीय वर्ष 31.03.2024 के लिए एचएमटी लिमिटेड की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षक की अर्हता पर दिए गए उत्तर के समान है, जहाँ परिसंपत्ति को मान्यता दिए बिना राजस्व को मान्यता दी गई। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में दी गई अर्हता और प्रबंधन का उत्तर निम्न है:

अर्हता

"ख) कंपनी उस जमीन पर स्थित भवनों से प्राप्त किराये की आय रिकार्ड करता है, जो कंपनी के बही खातों में रिकार्ड नहीं है। सत्यापन के लिए प्रस्तुत अभिलेखों की जाँच करने पर, जमीन की स्थिति और उसका स्वामित्व एचएमटी लिमिटेड के नाम पर है।"

"प्रबंधन का उत्तर - "इकाई/प्रभाग को बेंगलुरु में स्थित इकाई/प्रभाग की संपदा के रख-रखाव के लिए निर्मित किया गया था। परिणामस्वरूप, इकाई/प्रभाग के रख-रखाव लागत बढ़ने के कारण इकाई/प्रभाग ने आय अर्जित करना शुरू कर दिया। वर्ष 2000 में कंपनी के सब्सिडीकरण के बाद, प्रबंध योजना के अनुसार, भूमि और भवनों को मेसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए। अतएव, इकाई/प्रभाग के बही खातों में भूमि और भवन के रिकार्ड नहीं हैं। हालाँकि, इस संबंध में राजस्व रिकार्ड में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर अब तक अधिकार पत्र नहीं बना है। भूमि के संबंध में नए पट्टानामा अभी अमल में नहीं लाया गया है। चूँकि एबीडी, एचएमटी मशीन टूल्स प्रभाग, बेंगलुरु सहित बेंगलुरु स्थित कार्यालयों की संपदा और कर्मचारियों की देखभाल करता है, इसलिए इकाई/प्रभाग के खातों में रिकार्ड किया किराए से आय, संपदा के रखरखाव आदि के लिए है।"

- कई वर्षों से आय का लेखांकन: पिछले वित्तीय विवरणों और कंपनी द्वारा बताए गए विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इकाई/प्रभाग के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों के लिए एचएमटी लिमिटेड में राजस्व लेखांकन की कथित कार्यप्रणाली कई वर्षों से चली आ रही है।
- इकाई/प्रभाग द्वारा वहन की जाने वाली ऐसी संपत्तियों पर संपत्ति कर: उपरोक्त पैरा 10 में दिए गए हमारी राय के अस्वीकरण के आधार पर संपत्ति कर भुगतान से, ऐसा प्रतीत होता है कि जिन संपत्तियों के किराये की आय मूल कंपनी एचएमटी लिमिटेड में लेखांकित होते है, उनसे संबंधित संपत्ति कर का भुगतान इस इकाई/प्रभाग में किया जा रहा है।
- मांगे गए विवरण: हमने मूल कंपनी के हाथों में आय के लेखांकन के संबंध में संपूर्ण विवरण मांगे थे। विशेष रूप से, हमने निम्नलिखित विवरण मांगे थे:
  - एचएमटी मशीन टूल्स का एमबीएक्स प्रभाग संपत्ति का मालिक होने के बावजूद एचएमटी लिमिटेड के खाताओं में किराये की आय क्यों मान्यता दी जाती है, कारण बताएं।
  - कथित संपत्तियों से कोई आय कमाए बिना, इकाई/प्रभाग (एचएमटी मशीन टूल्स का एमबीएक्स) के खातों में क्यों कथित संपत्तियों के लिए संपत्ति कर पर व्यय को लेखांकित किया जाता है।
  - इस संबंध में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और एचएमटी लिमिटेड के बीच प्रबंध को पूर्ण

विवरण सहित हमें कोई उचित उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

- ऐसी आय पर आंतरिक नियंत्रण: यद्यपि किराए की आय को एचएमटी लिमिटेड में मान्यता प्राप्त बताया गया है, फिर भी उचित स्पष्टीकरण और विवरण के अभाव में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रण का सुनिश्चित नहीं किया किया जा सका:
  - संपूर्ण संपत्तियों को सूचीबद्ध करना, उपलब्ध दस्तावेजों की वित्तीय स्थिति और पीपीई रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करना।
  - उपरोक्त में से किराए पर दी गई संपत्तियों की सूची बनाना और उक्त संपत्तियों के विरुद्ध राजस्व का वित्तीय स्थिति को पता लगाना कि किराए पर दी गई संपत्तियों और किराए पर रखी गई लेकिन बेकार पड़ी संपत्तियों और उनसे कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ।
  - संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत दखल।
  - आय के रूप में दर्शाई गई राशि को प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किया गया है।
  - ऐसी संपत्तियों के रखरखाव पर किए जाने वाले व्यय जिस पर सहमति मिली और किए गए व्यय की तुलना।
- दिए गए स्पष्टीकरण

  हमें मूल कंपनी में किराये की आय के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया गया था:

  "बेंगलुरु के इकाई/प्रभागों की संपदा के रख-रखाव की देखभाल के लिए एबीडी/सीएसडी इकाई/प्रभाग का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप, संपदा के रख-रखाव की लागत में वृद्धि के कारण इकाई/प्रभाग ने आय अर्जित करना शुरू कर दिया। वर्ष 2000 में कंपनी के सब्सिडीकरण के बाद, भूमि और भवनों के प्रबंध योजना के क्रम में मेसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए थे। अतएव, भूमि और भवनों को एबीडी की बही खाताओं में रिकार्ड नहीं किया गया। तथापि, इस संबंध में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर अधिकार पत्र का उत्परिवर्तन अभी तक राजस्व अभिलेखों में नहीं किया गया है। भूमि के संबंध में नए पट्टानामा कार्यान्वयन हेतु लंबित हैं।

  चूँकि एबीडी, एचएमटी मशीन टूल्स, बेंगलुरु सहित बेंगलुरु स्थित कार्यालयों की संपदा और कर्मचारियों की देखभाल करता है, इसलिए संपदा के रख-रखाव हेतु किराये की आय एबीडी के खातों में रिकार्ड की जाती है।

  इसके अलावा, एबीडी प्रभाग द्वारा प्राप्त किराये की आय का सत्यापन उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।"

  एचएमटी लिमिटेड के एबीडी प्रभाग में लेखांकित आय की सूची के अलावा, उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रकृति और रख-रखाव व्यय के बारे में हमें कोई विवरण नहीं दिया गया।

  उपरोक्त सभी बातों पर दस्तावेज़ी प्रमाण और औचित्य सहित उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, हम निम्नलिखित पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं:

  - मूल कंपनी के हाथों में इकाई/प्रभाग से संबंधित 845 लाख रुपये की संपत्ति की आय के लेखांकन की शुद्धता और उसके प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं किया जा सकता।
  - मूल कंपनी के हाथों में इकाई/प्रभाग के किराये की आय के लेखांकन पर अप्रत्यक्ष कर का कोई प्रभाव।

- पीपीई के अधीन खुलासा किए गए जमीन और भवनों की प्रकृति की यथार्थता, क्योंकि कोई निवेश संपत्ति नहीं दर्शाई गई है।
- इकाई/प्रभाग में ऐसी संपत्तियों पर संपत्ति कर के व्यय के लेखांकन की यथार्थता और उसके प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं किया जा सकता।
- क्या ऐसी संपत्तियों से संबंधित किसी भी बिजली प्रभार का लेखा इकाई/प्रभाग के खातों में लेखांकित है क्योंकि एक सामान्य बिल प्रस्तुत होता है।

  पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसे तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब पूर्ण विवरण उपलब्ध कराए गए हो।

  चूँकि इकाई/प्रभाग की समग्र आय की तुलना में उत्पन्न आय का मूल्य महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि उपरोक्त सभी विवरणों का संपूर्ण खुलासा किया जाए।

(xi) इकाई/प्रभाग के जमीन और भवन

जमीन रिकार्ड के अनुसार इकाई/प्रभाग के नाम के जमीन का वित्तीय स्थिति या पीपीई सूची के अनुसार जमीन का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

भूमि और भवनों के संबंध में पीपीई अनुसूची के अनुलग्नक-1 का संदर्भ लें-

जैसा कि हमें सूचित किया गया है, बेंगलुरु काम्प्लेक्स में इकाई/प्रभाग के पास कुल 330.20 एकड़ की भूमि है, जो आंशिक रूप से उपहार में दी गई थी और आंशिक रूप से वर्षों से अर्जित की गई थी। कथित जमीन को कारखाना, भवनों, कार्यालयों, आवासीय क्वार्टरों, अस्पताल, सिनेमा, स्टेडियम, वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, आंतरिक सड़कों आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वहाँ विशाल खुली जगह भी है।

`हमने पाया कि हमें उपलब्ध कराए गए भूमि के दस्तावेजों में थोड़ी भिन्नताएँ थीं जो निम्न हैं:

क. पत्र संख्या एलएनडी (3) 55/73-74 दिनांक 08-10-1976 के तहत 03-11-1976 को तहसीलदार, बेंगलुरु उत्तर तालुक के प्रतिनिधित्व में पीण्या गाँव के सर्वेक्षण सं. 20 के अनुसार 20 गुंटा ज़मीन, कर्नाटक सरकार को मुफ्त दिया गया। तथापि, कथित ज़मीन हमें दी गई भूमि सूची के एक भाग के रूप में प्रकट हो रहा है। शेष 2.34 एकड़ ज़मीन का क्षेत्रफल, अधिकार पत्र से मेल नहीं खाता।

ख. जे.बी. कावल का सर्वेक्षण सं. 21 और 22 के अनुसार, 4.55 एकड़ ज़मीन के दस्तावेज़ हमें दिए गए थे। तथापि, ज़मीन के दस्तावेज़ों के अनुसार हमें दी गई ज़मीन के विवरण में बताए गए क्षेत्रफल से मेल नहीं खा रहा था।

कर्नाटक वन विभाग से दिनांक 04.11.2024 का पत्र भी है जो वन भूमि पर अवैध अधिपत्य और अधिपत्य के संबंध में है जिनका उत्तर कंपनी ने दे दिया है, जैसा कि हमें उपलब्ध कराए गए बोर्ड के कार्यवृत्त के सार से पता चलता है। लेकिन इस बारे में हमें कोई और विवरण नहीं दिए गए।

बोर्ड के कार्यवृत्त के सार के अलावा, हमें सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले और इकाई/प्रभाग की भूमि और भवनों पर इसके प्रभाव (यदि कोई हो) के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया गया।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण नोट के अनुलग्नक-1 में दी गई भूमि का विवरण, पूर्व में हमें दी गई

सूची 140.12 एकड़ भूमि की बिक्री के बाद का है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए।

स्वामित्व दस्तावेज़ में केवल मूल क्रय या दान की गई मात्रा का उल्लेख है और कर्नाटक नगर निगम अधिनियम/अन्य आदेश के अंतर्गत भूमि की बिक्री और अधिग्रहण के बाद में संबंधित सर्वेक्षण संख्याओं के अंतर्गत शेष मात्रा दर्शाने के लिए कोई स्वामित्व दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया है।

हमें यह नहीं दिखाया गया है कि इकाई/विभाग के पास उन संपत्तियों को किराए पर देने की प्रक्रिया के संबंध में एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जहाँ आय का लेखांकन मूल कंपनी में किया जा रहा है।

हमें बताया गया कि संपत्तियों के लिए खाता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा चुका है।

चूँकि इकाई/प्रभाग की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी भूमि और भवन हैं, इसलिए योग्य पेशेवरों द्वारा सभी भूमि और भवनों का गहन जांच की जानी चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

भूमि और भवन के स्वामित्व पर कानूनी राय, निर्मित क्षेत्र/सर्वेक्षण संख्याओं की पहचान और प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या के लिए स्वामित्व दस्तावेजों की सूची और भूमि और भवनों के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज़, भूमि की प्रकृति का विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उपरोक्त पैराग्राफ में जो कुछ उल्लिखित है, उसके मद्देनजर हम उपलब्ध भूमि के क्षेत्र की सटीकता, भूमि की उपयोगिता और अतिक्रमण (यदि कोई हो), भूमि की प्रकृति और पीपीई के तहत कंपनी के खातों में दर्शाई गई भूमि की लागत के साथ वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(xii) **इण्ड एएस-40 के अंतर्गत निवेश संपत्ति का खुलासा**

इकाई/प्रभाग ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत संपूर्ण भूमि और भवनों का खुलासा किया है। ऐसी भूमि और भवन हैं जिन्हें किराये पर दिया गया है और इकाई/प्रभाग द्वारा आय अर्जित की जाती है। वर्ष के दौरान अर्जित किराया 249 लाख रुपये है (नोट-21ए देखें)। ऐसी भूमि और भवन हैं जिन्हें 845 लाख रुपये के किराये पर दिया गया है जिसे एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी) के बही खातों में आय के रूप में मान्यता दी गई है। इण्ड एएस-40 के अनुसार, किराया अर्जित करने के इरादे से किसी भी भूमि या भवन का निवेश संपत्ति के रूप में खुलासा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इकाई/प्रभाग ने इण्ड एएस-40 की आवश्यकतानुसार कंपनियों की नियमावली, 2017 के नियम 2 (पंजीकृत मूल्य और मूल्यांकन) के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से निवेश संपत्ति के निष्पक्ष मूल्यांकन का खुलासा नहीं किया है।

(xiii) **बीबीएमपी द्वारा अधिग्रहित भूमि - प्राप्त मुआवजे को आय के रूप में नहीं, बल्कि अन्य गैर-चालू देयता के तहत दिखाया गया है**

इकाई/प्रभाग ने अधिग्रहण के लिए सहमत शर्तों के अनुसार बीबीएमपी को 4.25 एकड़ ज़मीन सौंप दी। अधिग्रहण का मुआवज़ा तय हो गया था। इकाई/प्रभाग को 31.03.2018 तक ही कुल 20.04 करोड़ रुपये के मुआवज़े में से 18.51 करोड़ रुपये मिल चुके थे। हमें बताया गया कि 1.53 करोड़ रुपये का शेष मुआवज़ा मिलना बाकी है।

हमें उपलब्ध कराए गए पत्राचार के अनुसार, बीबीएमपी को बहुत पहले ही अधिकार दिया गया था।

कंपनी द्वारा **23.11.2022** को जारी पत्र के अनुसार, बीबीएमपी को संपत्ति सौंपने के लिए संयुक्त माप भी कर लिया गया है।

बीबीएमपी ने निम्नलिखित सरकारी आदेशों का हवाला दिया है जिनके आधार पर संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था। तथापि, आदेश की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई।

- सरकार आदेश संख्या: यूडीडी 375 एमएनवाई 2018, बेंगलुरु दिनांक 20.09.2019
- सरकार आदेश संख्या: यूडीडी 183 एमएनवाई 2020, बेंगलुरु दिनांक 13.09.2020

कंपनी ने अन्य गैर-चालू देयताएं नोट संख्या 14ए के तहत अपने खातों में प्रस्तुत मुआवज़े के लिए राजस्व का लेखांकन नहीं किया है और इसे "भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त मुआवज़ा राशि" के रूप में दर्शाया गया है।

तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि हस्तांतरण को निम्नलिखित कारणों से बही खातों में मान्यता दी जानी चाहिए -

- भूमि का भौतिक अधिकार को हस्तांतरित कर दिया गया है और वर्तमान में कथित संपत्ति पर इकाई/प्रभाग का कोई अधिकार नहीं है।
- विचार पर बहुमत प्राप्त हुए हैं।

अधिग्रहण केएमसी अधिनियम 1976 की धारा 175 के तहत किया गया था।

उपरोक्त सभी तथ्य इस बात को इंगित करते हैं कि निष्पादन दायित्व पूरा हो चुका है, जिसके कारण प्राप्त मुआवज़े को राजस्व के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

राजस्व को मान्यता न देने का स्पष्टीकरण यह है कि उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकरण नहीं हुआ है। चूँकि यह सरकारी आदेश द्वारा अधिग्रहण का मामला है, इसलिए हमें बताया गया कि पंजीकरण आवश्यक नहीं है और अधिसूचना के आधार पर अभिलेखों में नाम बदला जा सकता है।

आयकर की धारा 45(5)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, मुआवज़े की पहली प्राप्ति के वर्ष में मुआवज़ा कर योग्य होता है।

इकाई/प्रभाग के बही खातों से बीबीएमपी को हस्तांतरित संपत्ति की लागत को भी निर्धारित नहीं जा सका।

मुआवज़े के रूप में प्राप्त राजस्व के गैर-लेखांकन के कारण, पिछले वर्षों के उपलब्ध और अधिशेष को कम आंका गया है। तथापि, हस्तांतरित संपत्ति का लागत विवरण उपलब्ध न होने के कारण प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो पिछले वर्ष प्राप्त मुआवज़े के लिए आयकर देयता का प्रावधान किया जाना चाहिए।

(xiv) सांविधिक देयों का विलंबित भुगतान

इन खातों में 31 मार्च, 2025 को यथास्थिति उचित प्राधिकारियों को भविष्य निधि देय राशि के विलंबित प्रेषण हेतु ब्याज/जुर्माना/क्षतिपूर्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है और यह परिमाणात्मक नहीं है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2025 को यथास्थिति ग्रेच्युटी देय राशि के भुगतान न करने/निपटान न करने पर देय जुर्माने/क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ग्रेच्युटी/भविष्य निधि देय राशि के विलंबित भुगतान के तथ्य को भी आकस्मिक देयता के भाग के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर इस गैर-प्रावधान के प्रभाव पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

(xv) इण्ड एएस प्रावधानों का गैर-अनुपालन

इण्ड एएस-109 के अनुसार, अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान - व्यापार प्राप्य के लिए वित्तीय विवरणों में वित्तीय साधन प्रदान नहीं किया गया है। हानि क्षति की माप और मान्यता के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मोडल के आवेदन के लिए इण्ड एएस-109 को एक सत्ता की जरूरत है। तथापि, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हानि हेतु प्रावधान बनाने के लिए लेखा परीक्षा अधीन अवधि के लिए कोई ईसीएल मेट्रिक्स नहीं बनाया गया। अत:, हम वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, उसे सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं।

(xvi) आकस्मिक देयताएं

हम वित्तीय विवरणों के अनुलग्नक 'बी' की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें प्रभाग के विरुद्ध लंबित मुकदमों और विभिन्न मामलों से संबंधित 5446.72 लाख रुपये की आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

हम वित्तीय विवरणों पर इन आकस्मिक देयताओं के प्रभाव और प्रकट की गई राशियों की यथार्थता का आकलन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपर्याप्त जानकारी के कारण कई मामलों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

(xvii) पूर्णतः उपयोग न किए गए या पूर्ण क्षमता से उपयोग न किए गए परिसंपत्ति के लिए क्षति हानि

हम वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 3ए की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

प्रबंधन ने एचएमटी (एमबीएक्स) प्रभाग के संयंत्र, मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियों के लिए दिनांक 01-07-2024 को एक मूल्यांकन रिपोर्ट दी है। हालाँकि, रिपोर्ट में परिसंपत्तियों की विस्तृत सूची, उनकी मात्रा, प्रकार और मूल्य का उल्लेख नहीं है, न ही इसे अचल परिसंपत्ति रजिस्टर से जोड़ा गया है। ऐसी व्यापक जानकारी के अभाव में, हम हानि प्रावधान की आवश्यकता, यदि कोई हो, पर टिप्पणी देने में असमर्थ हैं। रिपोर्ट में केवल इतना कहा गया है कि 31 मार्च 2024 को यथास्थिति परिसंपत्तियों का मूल्यांकन बही मूल्य से अधिक है।

इकाई/प्रभाग के पास संयंत्र, मशीनरी और विशेष उपकरण हैं जिनका मूल्य 701 लाख रुपये है।

संयंत्र, मशीनरी और विशेष उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी मांगी गई थी। तथापि, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

उक्त परिसंपत्तियों के उपयोग के पूर्ण विवरण और स्पष्टीकरण के अभाव में, हम इण्ड एएस-36 के तहत आवश्यक कथित परिसंपत्तियों की हानि पर टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

(xviii) टीडीएस विवरणी और भुगतान

अप्रैल 2024 से इकाई/प्रभाग द्वारा टीडीएस विवरणी दाखिल नहीं किया गया है। टीडीएस के प्रेषण में विलंब हुआ है। टीडीएस के विलंबित प्रेषण के लिए ब्याज का विवरण स्रोतों में नहीं दिया गया है।

(xix) जीएसटी विवरणी और मांग

बही खातों के साथ जीएसटी विवरणी के आंकड़ों का मिलान: हमें दी गई जानकारी और जीएसटी सामान्य पोर्टल के अनुसार, इकाई/प्रभाग ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सभी महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी विवरणी दायर कर दिया है। तथापि, लेखापरीक्षा के लिए खातों के आंकड़ों के साथ दायर किए जीएसटी विवरणी का मिलान उपलब्ध नहीं किया गया है।

पूर्ण मिलान के अभाव में, हम खातों में दर्शाई जीएसटी देयताएं, जीएसटी निवेश और जीएसटी लेज़र के इतिशेष की यथार्थता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

जीएसटी के मांग

आकस्मिक देयता में प्रकट जीएसटी मांग - ₹1955.15 लाख।

इकाई/प्रभाग ने ब्याज और जुर्माना सहित (उक्त मांगों पर) आकस्मिक देयता के रूप में निम्नलिखित जीएसटी मांगों का खुलासा किया है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है	राशि ₹ लाखों में)
1	2017-2018	305.20
2	2017-2018, 2018-19	149.67
3	2017-2018, 2018-19	365.83
4	2018-2019, 2019-2020, 2020-21	844.15
5	2020-2021	290.30

कथित नोटिस/आदेश के विरुद्ध की गई अपील/कार्रवाई का विवरण मांगा गया, जो आज की तारीख तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कथित जीएसटी मांग आकस्मिक देयता के भाग के रूप में दिखाई दे रहा है। संपूर्ण विवरण के अभाव में, हम लंबित मांग और वित्तीय विवरणों के मामले, यदि कोई हो और कथित मांगों के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है या नहीं, जिसके प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

(xx) **अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित पुष्टि**

पार्टियों से पुष्टि और अन्य चालू परिसंपत्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू वित्तीय देयताओं, अन्य चालू देयताओं के संबंध में कथित शेष राशि के कब से बकाया है, के विवरण के अभाव में, पार्टी की शेष राशि के मिलान की प्रक्रिया अधूरी है। पार्टियों से शेष राशि की पुष्टि न मिलने के कारण, हम बताए गए शेष राशि की यथार्थता और वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव (यदि कोई हो) के बारे में राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

(xxi) **वारंटी प्रावधान**

वारंटी पर लेखा नीति 2(के) को संदर्भित करें। इसके अनुसार, इकाई/प्रभाग को ऐतिहासिक अग्रता के आधार पर वारंटी संबंधी लागतों का प्रावधान करना था। वित्तीय विवरणों में वारंटी का प्रावधान 0.84 लाख रुपये है। कार्यप्रणाली और वारंटी प्रावधानों के लिए आधार हमें नहीं दिया गया है।

उचित कार्यप्रणाली के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त वारंटी प्रावधान की पर्याप्तता और यथार्थता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(xxii) **यूको बैंक खाते में शेष राशि - पीएफ अधिकारियों द्वारा बरामद**

पिछले वर्ष गलत शेष राशि को दिखाया गया था और तथ्य यह है कि 07.03.2024 को पीएफ संगठन द्वारा वसूल की गई 20 लाख रुपये की राशि, बही खाते में रिकार्ड नहीं किया गया था।

20 लाख रुपये की इस राशि को 24.32 लाख रुपये के प्रावधान में समायोजित किया गया था। फिलहाल, आगे की वसूली पर स्थगन दिया गया था।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयता को घटाकर 24 लाख रुपये कर दिया गया था, जिसका विवरण बही खातों में पहले ही दिया जा चुका है और 48.69 लाख रुपये की राशि आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई है।

इकाई/प्रभाग को 73 लाख रुपये की पूरी विवादित राशि आकस्मिक देयता के रूप में खुलासा करनी पड़ी और 20 लाख रुपये की राशि बही खातों में वसूली योग्य दिखाया गया है।

उपरोक्त पर संपूर्ण स्पष्टता के अभाव में, हम बही खातों में आकस्मिक देयता, कथित देयता के प्रति बनाए गए

प्रावधान के खुलासा की यथार्थता का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

(xxiii) **पूर्व वर्ष के मद**

- **अन्य खाते में प्रदत्त 10 लाख रुपये का ब्याज**

  नोट-26 - अन्य पर ब्याज में ग्रेच्युटी पर ब्याज के रूप में प्रदत्त 10 लाख रुपये शामिल हैं। ग्रेच्युटी पर कथित ब्याज कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर चुकाया गया था। कथित भुगतान वित्तीय वर्ष 2019 में किया गया था। यह व्यय पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित है और इसे वित्तीय विवरणों में पिछले वर्ष के व्यय के रूप में लेखांकित किया जाना चाहिए था।

- **अन्य पर ब्याज के अंतर्गत दर्शाए गए ₹15.11 लाख**

  हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 9 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए "अन्य पर ब्याज" के अधीन ₹15.11 लाख की मार्जिन राशि पर प्राप्य ब्याज को गलती से नामे कर दिया है। यह राशि प्राप्य आय को दर्शाती है और इसे पिछले वर्षों में "ब्याज आय - मार्जिन राशि" के अधीन मान्यता दी गई है।

  तदनुसार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अन्य ब्याज व्यय को उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है, जिसके लिए पूर्व वर्ष के समायोजन/ब्याज आय में सही आंकड़ों के आधार पर संगत समायोजन किया जाएगा।

(xxiv) **एचएमटी स्पोर्ट्स क्लब को देय 10 लाख रुपये।**

अन्य चालू देयता नोट संख्या 18 के अंतर्गत एचएमटी स्पोर्ट्स क्लब को 10 लाख रुपये की राशि देय दिखाई गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 से बकाया है। हमें इस राशि के निपटान के संबंध में पार्टियों के बीच प्रबंध के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। हमें यह भी नहीं बताया गया कि क्या यह राशि पुनर्दायगी की शर्तों, राशि और उस पर देय ब्याज (यदि कोई हो) के विवरण के साथ प्रतिदेय है। प्रबंध से संबंधित विवरण के अभाव में, हम वित्तीय स्थिति पर इस राशि के प्रभाव और इसके खुलासा पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकते।

(xxv) **अस्पताल व्यय और आय**

हम वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 21, नोट संख्या 24 और नोट संख्या 27 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अस्पताल का उपयोग इकाई/प्रभाग के कर्मचारियों, मूल कंपनी, अन्य संगठनों और आम जनता द्वारा किया जा रहा है।

उगाही 145.21 लाख रुपये की राशि नोट संख्या 21 के अंतर्गत विविध आय के रूप में दर्शाई गई है। अस्पताल पर व्यय की गई कुल 140.38 लाख रुपये की राशि में से 25.87 लाख रुपये नोट संख्या 27 के तहत विविध व्यय के रूप में दर्शाए गए हैं और 114.50 लाख रुपये नोट संख्या 24 के तहत कर्मचारियों से संबंधित कल्याण व्यय के रूप में दर्शाए गए हैं। दोनों आँकड़े कैसे निकाले गए इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। उचित कार्यप्रणाली और विवरण के अभाव में हम दोनों राशियों के खुलासा की यथार्थता पर टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

(xxvi) **गेल को पट्टे पर दी गई जमीन**

अतिरिक्त खुलासों के नोट 12 का संदर्भ लें जिसमें इकाई/प्रभाग ने खुलासा किया है कि इकाई/प्रभाग ने अपनी जमीन गेल को पट्टे पर दी है। कानूनी मुद्दों के कारण किराये की आय की निपटान नहीं की गई है। कानूनी मुद्दे का क्या समाधान हुआ और पट्टे के

किराये के गैर-लेखांकन के कारण हमें नहीं बताया गया है। इकाई/प्रभाग को सुरक्षा जमा के रूप में 140 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिसका नोट-14 में अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताओं के अंतर्गत खुलासा किया गया है। लेखांकित न किए प्राप्य किराये की आय का खुलासा नहीं किया गया है।

संपूर्ण विवरण के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयता के अंतर्गत लेखांकित न किए गए किराये की आय, ली गई सुरक्षा जमा राशि पर किसी प्रभाव और यदि कोई खुलासा आवश्यक हो, तो उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

मशीन टूल्स निदेशालय

(xxvii) **भारत सरकार ऋण पर ब्याज**

कंपनी ने वर्ष के दौरान भारत सरकार ऋण पर ब्याज की रू 31.09 लाख की अतिरिक्त प्रावधान कर दी है।

31.03.2025 तक देय ब्याज राशि रू 59,747.94 लाख है, किंतु कंपनी द्वारा गलत रूप से 59,779.03 लाख को लेखाबद्ध किया गया है, जिसमें रू 59,384.25 लाख को अक्रूड एवं बकाया ब्याज के अंतर्गत, तथा रू 394.78 लाख को 31.03.2006 तक देय दंडात्मक ब्याज के रूप में अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

मामला अनुच्छेद की अवधारणा

हम घटक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट कि गए निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए मौलिक हैं। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है:

1. एमबीएक्स, बेंगलुरु

क) हम वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट संख्या 11 में दिए गए खुलासे के अतिरिक्त खुलासा का उल्लेख करते हैं कि एचएमटी लिमिटेड ने इससे संबंधित वित्तीय निष्कर्षो पर ध्यान रखेगा। मार्च महीने के बिजली बिल में दर्शाए गए आंकड़ों की तुलना में, बिजली प्रभार के लिए 61.32 लाख रुपये की राशि कम थी, जिसका विवरण कथित नोट में है।

ख) नोट-27 -अन्य व्यय के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बही खातों में दर्शाई गई 386 लाख रुपये की पीएफ ट्रस्ट हानि, ट्रस्ट के अनंतिम वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

ग) हम तुलन पत्र के अतिरिक्त खुलासों का संदर्भ लेते हैं जो निम्न. हैं -

- तुलन पत्र में अतिरिक्त खुलासा के मद 5 का संदर्भ लें - व्यापार प्राप्य पर नोट में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निर्माण और प्रवर्तन के लिए देय शामिल हैं। हमें 194.13 लाख रुपये से संबंधित राशि का विस्तृत विवरण दिया गया था। तथापि, हमें यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त विवरण नहीं दिए गए थे कि क्या केवल यही राशियाँ हैं जिनका इस नोट के अधीन खुलासा अपेक्षित है।
- तुलन पत्र में अतिरिक्त खुलासा के मद 10 का संदर्भ लें - अनुसंधान एवं विकास पर व्यय में ₹23.64 लाख शामिल हैं। इकाई/प्रभाग ने अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए वेतन लागत का विस्तृत विवरण दिया था। किए गए अनुसंधान गतिविधियों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। इस शीर्ष के अधीन सामग्री, श्रम और अन्य उपरिव्यय जैसी अन्य लागतों का खुलासा नहीं किया गया है। उपरोक्त पर पूर्ण स्पष्टीकरण के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में खुलासे की यथार्थता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2. एमटीए, अजमेर

क) इकाई/प्रभाग ने देनदारों, लेनदारों और अग्रिमों आदि के लिए शेष राशि की पुष्टि नहीं दी है।

ख) इकाई/प्रभाग अपने सांविधिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज अदा कर रहा है। हमें सूचित किया गया है कि इकाई/प्रभाग लंबे समय से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

ग) इकाई/प्रभाग ने किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जो देय था। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए बकाया है (जिसका भुगतान किया गया लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद किया गया है)।

घ) इकाई/प्रभाग ने उन व्यापारिक देय राशियों का विवरण नहीं लिखा है जो 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं और जिनके लिए पार्टी ने राशि का दावा नहीं किया है।

ई) जैसा कि भूमि नोट 4.1 में उल्लेख किया गया है, राजस्थान सरकार द्वारा दरों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण, मशीन टूल इकाई/प्रभाग अजमेर में औद्योगिक उपयोग के लिए राजस्व भूमि के परिवर्तन के लिए देय अगर कोई हो, तो परिवर्तन प्रभार, के प्रावधान को खातों में नहीं किया गया है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और पट्टानामा का कार्यान्वयन लंबित है।

3. एमटीके इकाई/प्रभाग-कलमस्सेरी

क) हम आपका ध्यान कलमस्सेरी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि इकाई/प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक से संबंधित **99,65,039** रुपये की राशि भवन कर के बकाया के लिए कलमास्सेरी नगरपालिका से डिमांड नोटिस प्राप्त किया है। तथापि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए बकाया भवन कर देयता के रूप में अपनी बही खाता में केवल **51,83,611** रुपये ही दर्ज किया है। शेष **47,81,428** रुपये का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने नगरपालिका द्वारा की गई मांग के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की है या कोई औपचारिक विवाद दायर नहीं किया है। प्रबंधन ने उत्तर दिया है कि इसे कंपनी के वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाएगा और इसके विरुद्ध विवाद प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

ख) हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि व्यापारिक प्राप्य और देय राशियों के लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है। वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका।

4. एमटीपी – पिंजौर

क) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इकाई/प्रभाग ने 1987 से लंबित 8.78 लाख रुपये के सीमा शुल्क वापसी दावे को बट्टे खाते में नहीं डाला है। तथापि, इकाई/प्रभाग ने इसके लिए 8.78 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इकाई/प्रभाग ने इस दावे के संबंध में सीमा शुल्क विभाग से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है; न ही इकाई/प्रभाग के पास इस दावे के संबंध में कोई जानकारी है।

ख) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इकाई/प्रभाग ने 2007 से लंबित 1.55 लाख रुपये के वसूली योग्य दावे को बट्टे खाते में नहीं डाला है। तथापि, इकाई/प्रभाग ने इसके लिए 1.55 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इकाई/प्रभाग को इस दावे के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही, प्रबंधन ने दिनांक 28.01.2020 और फिर 18.02.2025 को प्रधान कार्यालय को पत्र द्वारा धनवापसी दावे को बट्टे खाते में डालने के लिए सूचित किया है, क्योंकि इकाई/प्रभाग को धनवापसी प्राप्त होना अनिश्चय है।

5. एमटीएच – हैदराबाद

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक महत्वपूर्ण भाग में भारी मशीनरी शामिल है जो पूरी तरह से मूल्यह्रासित है और नामित मूल्य पर ले जा रहा है। यद्यपि अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है और संपत्तियाँ भौतिक रूप से मौजूद हैं, फिर भी इकाई/प्रभाग ने अवशिष्ट मूल्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II का अनुपालन नहीं किया है और निरंतर उपयोगी जीवन का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। ऐसे मूल्यांकन के अभाव में, इण्ड एएस-16 के अंतर्गत संपत्तियों का मापन और मूल्यह्रास मान्य नहीं किया जा सका।

ख) घटक लेखापरीक्षक ने गैर-चालू संपत्तियों के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरणों के पास रखी गई सुरक्षा जमा राशि का उल्लेख किया और संभावित विवादों के कारण उनकी वसूली पर चिंता व्यक्त की। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि आकस्मिक देयताओं में पहले से खुलासा किए गए विवादों के अलावा ऐसा कोई ऐस विवाद नहीं है। इस मामले में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

ग) शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई और इण्ड एएस-107 के अधीन और इण्ड एएस-109 के अधीन ईसीएल कार्यप्रणाली के अंतर्गत खुलासे संबंधित मानकों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया जा सकता है।

घ) एमटीएच इकाई/प्रभाग की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पिछले वेतनमान संशोधनों के लिए सरकार समर्थित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों का उल्लेख है। इन अग्रिमों की ऐतिहासिक प्रकृति और समर्थक दस्तावेज़ों के अभाव में, घटक लेखापरीक्षक स्वतंत्र रूप से उनकी सटीकता की पुष्टि करने में असमर्थ रहे। प्रबंधन ने इन शेषों की वैधता की पुष्टि की है।

6. एमटीएमडी, बेंगलुरु

क) हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि व्यापारिक प्राप्यों और देय राशियों के लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है। वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

7. पीटीएच – हैदराबाद

क) पिछले चार वित्तीय वर्षों से यह प्रभाग भारी घाटे में चल रहा है और इसकी निवल संपत्ति ऋणात्मक हो गई है। इन परिस्थितियों के बावजूद, चालू व्यवसाय के आधार पर, सरकार के निरंतर समर्थन से प्रबंधन के मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर और परिचालन में अपेक्षित सुधारों के आधार पर, वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ख) प्रयोज्या प्रावधानों का गैर-अनुपालन के कारण भविष्य निधि ट्रस्ट को हुए नुकसान से संबंधित ₹2.91 करोड़ और परिचालन प्रभार के रूप में ₹1.69 करोड़ अन्य व्ययों में शामिल हैं।

ग) यह प्रभाग अपनी लेखा पुस्तकों का रखरखाव वास्तविक समय के आधार पर नहीं करता है। कई लेन-देन शुरू में उचंत खातों के माध्यम से किए गए और बाद में उचित अनुमोदन के बिना संशोधित किए गए, जो लेखांकन प्रक्रिया में कमज़ोरियों को दर्शाता है।

घ) बही खातों के अनुसार जीएसटी पोर्टल में दर्शाए गए जीएसटी के साथ मिलान नहीं किया गया है और आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, को लेखांकित नहीं किया गया है।

ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (60.59 लाख रुपये) और व्यापार देयताओं (5.02 लाख रुपये) के अंतर्गत शेष 3.27 करोड़ रुपये राशि संबंधित पार्टियों से समाधान और पुष्टि के अधीन है।

(च) ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) द्वारा लगाए गए संपत्ति कर से संबंधित वैधानिक देनदारियाँ

GHMC द्वारा 31 मार्च 2025 तक रु 462.49 लाख की माँग कंपनी को प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध मात्र रु 6.96 लाख का भुगतान किया गया है तथा उसे अन्य व्ययों (Other Expenses) के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

शेष देनदारी रु 455.53 लाख को चालू देनदारियों (Current Liabilities) के अंतर्गत खातों में प्रावधानित नहीं किया गया है, बल्कि इसका एक भाग रु 277.36 लाख संभाव्य देनदारियों (Contingent Liabilities) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक निर्णय के अनुसार, चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में विचार किया गया था; हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

चालू व्यवसाय

कंपनी को चालू और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अपनी सभी इकाइयों/प्रभागों में घाटा हुआ है। ये स्थितियाँ एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता होने का संकेत देती हैं जो कंपनी की एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरण एक चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार से निरंतर समर्थन और एक पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन की अपेक्षा शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक को शामिल कर, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन को शामिल कर, वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और निष्पक्ष दृष्टि देता है,

को बनाने और प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित वित्तीय विवरणों के लिए उत्तरदायी हैं। इस उत्तरदायित्व में इकाई/प्रभाग की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिविन्यास, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे और एक सही और निष्पक्ष विवरण देते थे और भौतिक गलतबयानी से मुक्त थे। चाहे जालसाजी या गलती से हो।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन, कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण जालसाजी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं और हमारी राय को शामिल करते हुए एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा-परीक्षण मानकों (एसएएस) के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा सकता है, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम -

- वित्तीय विवरणों में जालसाजी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। जालसाजी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं,

तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- खुलासों को शामिल कर वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें और यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

- भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतबयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना उत्पन्न करती है कि वित्तीय विवरण के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (क) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ख) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलतबयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को सहने के बारे में उचित माना जाए और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी देते हैं।

अन्य मामले

क) हमने कंपनी की छ: इकाइयों/प्रभागों, अर्थात् एमबीएक्स, बेंगलुरु, एमटीपी-पिंजौर, एमटीके-कलामास्सेरी, एमटीएच-हैदराबाद, पीटीएच-हैदराबाद, के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षक नहीं किया है; जिनमें 31 मार्च, 2025 तक के लिए 23,957.70 लाख रुपये (एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लिए 26,385.85 लाख रुपये में से) की संपत्तियाँ और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 13,082.52 लाख रुपये (एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लिए 15615.04 लाख रुपये में से) का कुल राजस्व दर्शाया गया है, जैसा कि कंपनी और एमटीडी निदेशालय के वित्तीय विवरणों में माना गया है, का लेखा-परीक्षण नहीं किया गया है।

ख) इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सी एण्ड एजी द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन इकाई/प्रभागों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह पूर्वोक्त इकाई/प्रभागों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

ग) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त प्रारंभिक टिप्पणियों तथा शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, यह संशोधित ऑडिट रिपोर्ट हमारी पूर्व रिपोर्ट दिनांक 11.07.2025 के स्थान पर जारी की गई है।

इन बिंदुओं के समावेशन से उत्पन्न परिवर्तनों को छोड़कर, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ/हानि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

क. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक 'ए' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

ख. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में, जहाँ तक उन बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित

लेखा-बहियाँ रखी हैं और जिन इकाइयों/प्रभागों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं।

(iii) धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त इकाई/प्रभाग लेखापरीक्षकों द्वारा उप-धारा (8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी की इकाई/प्रभागों के लेखाओं पर रिपोर्टें उक्त उप-धारा के प्रावधान के अंतर्गत हमें भेजी हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका उचित ढंग से निपटान किया है।

(iv) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, लाभ-हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा-बहियों और उन इकाइयों/प्रभागों से प्राप्त रिपोर्टों से मेल खाते हैं जिनका लेखापरीक्षा हमसे नहीं बल्कि अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है।

(v) हमारी राय में और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, उपरोक्त वित्तीय विवरण इण्ड एएस 2-वस्तु सूची, इण्ड एएस 40-निवेश संपत्ति, इण्ड एएस 19 - कर्मचारी लाभ और इण्ड एएस 36 - परिसंपत्तियों की हानि, इण्ड एएस 108 - खंड रिपोर्टिंग, इण्ड एएस 109 - वित्तीय उपकरण को छोड़कर कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन में हैं।

(vi) 31 मार्च 2025 को यथास्थिति निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, 31 मार्च 2025 को यथास्थिति अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी निदेशक को अनर्ह नहीं माना गया।

(viii) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

ग. कंपनी के (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी ने वित्तीय विवरणों के आकस्मिक देयता नोट में लंबित मुकदमों का खुलासा किया है।

(ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि तक व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं था जिसके लिए पूर्वानुमानित हानि के लिए प्रावधान की आवश्यकता थी।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

(iv) (क) प्रबंधन ने नोट संख्या 37 में यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") को भी शामिल कर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को अग्रिम या ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकार्ड किया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दें या अन्य व्यक्ति या इकाई/प्रभाग ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए संस्था या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या सदृश प्रस्तुत करेगा।

(घ) प्रबंधन ने नोट संख्या 38 में यह प्रस्तुत किया है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास है कि इकाई/प्रभाग ने विदेशी संस्था ("निधिकरण पार्टी") को शामिल कर किसी व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस सहमति के साथ, चाहे वह लिखित रूप से रिकार्ड हो या अन्यथा, कि इकाई/प्रभाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकारी पार्टी ("अंतिम लाभार्थी")

द्वारा या उनकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करेगा।

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त पैरा 2बी(iv)(ए) और 2बी(iv)(बी) के अधीन प्रस्तुत अनुसार, नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल नहीं है।

(v) कंपनी के लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 (जी) की आवश्यकताओं के अनुसरण में हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया और अन्य लेखापरीक्षकों, जिन्होंने हमारे लेखापरीक्षित इकाई/प्रभागों के अलावा अन्य इकाई/प्रभागों की लेखापरीक्षा की है, के रिपोर्ट, लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग से कंपनी ने अपने बही खातों को बनाए रखा है। तथापि, कथित सॉफ्टवेयर में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 3 के उप-नियम (1) के प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा ट्रायल को रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है।

तदनुसार, हम ऐसे लेखापरीक्षा ट्रायल के रख-रखाव और परिचालन और क्या इसे कंपनी के सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया गया है या नहीं- इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(vi) अधिनियम की धारा 197(16) यथा संशोधित की आवश्यकताओं के अनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 में अनिवार्य प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

(vii) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

(viii) अधिनियम की उप-धारा 143(5) के आवश्याकतानुसार, कंपनी के लिए हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर विवरण "अनुलग्नक सी" में देते हैं।

कृते राजगोपाल और बद्री नारायणन
सनदी लेखाकार

एम.एस.राजगोपाल
भागीदार
सदस्यता सं. 020244
फर्म पंजीकरण सं.003024S

स्थान बेंगलुरु
दिनांक: 11.09.2025
UDIN : 25020244BMIVEJ9393

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ए

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) (ए) कंपनी ने एमबीएक्स इकाई/प्रभाग-बेंगलुरु के, जहाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अनुसूची में कारखाने में निर्धारित संपत्ति की स्थिति या स्थान के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति को शामिल कर पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड का रख-रखाव किया है।

(बी) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन ने उचित अंतराल पर इन संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों का भौतिक जांच की है। हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति के मद्देनजर, प्रबंधन द्वारा इस तरह की जांच का दायरा और प्रक्रिया उचित है। **पीटीएच इकाई/ प्रभाग - हैदराबाद और एमबीएक्स इकाई/प्रभाग - बेंगलुरु को छोड़कर, जहाँ वर्ष 2024-25** के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों की भौतिक जांच नहीं की है। तथापि, बही खातों की तुलना में इस तरह के भौतिक जांच में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अचल संपत्ति का स्वामित्व पत्र (अचल संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी/ इकाई/प्रभाग पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पार्टी में विधिवत निष्पादित हैं) कंपनी के नाम होता हैं, इन मामलों के अलावा,

एमटीए - अजमेर:

राजस्थान सरकार द्वारा दरों को अंतिम रूप देने में विलंब, मशीन टूल इकाई/प्रभाग अजमेर में औद्योगिक उपयोग हेतु राजस्व भूमि के परिवर्तन हेतु देय, यदि कोई हो, के परिवर्तन प्रभारों का प्रावधान विचाराधीन मामले के रूप में लेखा में नहीं किया गया है क्योंकि मामला न्यायालय में है और पट्टानामा का निष्पादन लंबित है।

एमटीके – कलामास्सेरी:

संपत्ति का विवरण	कुल वहन मूल्य	के नाम में धारित	संबंध	धारित अवधि
अनुसूची सं. 3ए में भूमि, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	Rs..6,67,901	एचएमटी लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी	आरंभ से
अनुसूची सं. 3बी में भूमि, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	Rs.7,35,696	एचएमटी लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी	आरंभ से

एमबीएक्स - बेंगलुरु:

(i) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में इकाई/प्रभाग के पास कुल 330.20 एकड़ ज़मीन है, जो पिछले कुछ वर्षों में आंशिक रूप से उपहार में मिला और आंशिक रूप से अधिग्रहित की गई है। कथित ज़मीन का उपयोग कारखाने, भवन, कार्यालय, आवासीय क्वार्टर्स, अस्पताल, सिनेमा, स्टेडियम, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, आंतरिक सड़कों आदि के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यहाँ विशाल खुला क्षेत्र भी है। हमने पैरा 11 में राय के अस्वीकरण में विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं।

(ii) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, सड़कों के लिए उपयोग की जाने वाली लगभग 4.25 एकड़ ज़मीन का एक हिस्सा बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा अधिग्रहित किया गया है। 31 मार्च, 2025 को यथास्थिति, बीबीएमपी ने 18.50 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि का भुगतान किया है। यह नोट-18 के अंतर्गत खातों में प्राप्त अग्रिम राशि के रूप में दर्शाया गया है। बीबीएमपी द्वारा ज़मीन का भौतिक कब्ज़ा ले लेने के बावजूद, ज़मीन को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत दिखाया जाना जारी है। राय के अस्वीकरण के आधार पैरा 13 में हमारी विस्तृत टिप्पणी देखें।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई आरंभ नहीं की गई और न ही बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) के अधीन कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(च) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच के आधार पर, एमबीएक्स, बेंगलुरु, पीटीएच-हैदराबाद, एमटीए-अजमेर, एमटीएच-हैदराबाद को छोड़कर प्रबंधन ने उचित अंतराल पर वस्तु सूची की भौतिक जांच की है। हमारी राय में वस्तु सूची के सत्यापन के लिए कवरेज, प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड के हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। हालाँकि, बैंकों के साथ दायर तिमाही विवरण या विवरण बही खातों के अनुरूप नहीं थे। तथापि, जांच और खुलासे के लिए हमें पूर्ण विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ज) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के रिकार्ड और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टी में कोई निवेश नहीं किया है या उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टी को ऋण के रूप में कोई गारंटी, ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। अतः आदेश के खंड 3(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(झ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और वर्ष के दौरान रिकार्ड की हमारी जाँच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जिस पर अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों। अतः आदेश के खंड 3(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की

जाँच के आधार पर, कंपनी ने कोई जमा या मानित जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकार्डों का रख-रखाव निर्धारित किया है। अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, कंपनी द्वारा उचित लागत अभिलेख बनाए रखे गए हैं।

(छ) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और कंपनी के रिकार्ड और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जाँच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय राशियों सहित अविवादित वैधानिक देय राशियों के संबंध में बही खातों में कटौती/उपचित राशियाँ कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा नहीं की गई हैं। देय की तारीख से छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया देय राशियाँ नीचे दी गई हैं -

एमबीएक्स बेंगलुरु:

देय की प्रकृति	कुल देय (₹ लाखों में)	31.03.2025 को यथास्थिति छ: महीनों से अधिक (` लाखों में)
भविष्य निधि	2,750.65	2,649.58
पेंशन योगदान और प्रशासन प्रभार	218.36	208.69
उपदान	1,436.92	1,385.24
संपत्ति कर	115.19	115.19
स्रोत से कर कटौती	26.40	10.33
योग	**4,547.52**	**4,369.04**

एमटीएमडी-बेंगलुरु:

देय की प्रकृति	कुल देय राशि (₹ लाखों में)	छ: महीनों से अधिक (₹ लाखों में)
भविष्य निधि	139.39	97.94
उपदान और व्याज	341.18	314.60

एमटीके – कलमस्सेरी:

संविधि की प्रकृति	देय की प्रकृति	राशि	अवधि
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	भविष्य निधि ट्रस्ट को भविष्य निधि योगदान	1,99,08,166.00	सितंबर 2023-सितंबर 2024
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	जीएसटी टीडीएस	63,27,891.00	अप्रैल 2023-सितंबर 2024
आयकर अधिनियम 1961	स्रोत पर संग्रहित आयकर	3,82,966.00	छ: महीनों से अधिक
केरल वन अधिनियम 1961	वन विकास कर	97,761.00	छ: महीनों से अधिक

पीटीएच – हैदराबाद:

क्र.सं.	विवरण	राशि रुपयों में
1	व्यावासिक कर	1,46,600
2	भविष्य निधि	4,96,50,247
3	पेंशन	19,20,129
4	वेतन पर देय टीडीएस	1,88,672
5	व्यावासिक भुगतान पर देय टीडीएस	2,83,143
6	ठेकेदारों को देय टीडीएस	13,898
7	ईएसआईसी	1,65,415
8	देय जीएसटी	70,65,287

एमटीएच – हैदराबाद:

संविधि की प्रकृति	देय की प्रकृति	राशि रुपयों में
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस चूक	39,07,405
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	ईएसआई	4,25,119
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	पेंशन	88,29,792
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	21,44,86,616
तेलंगाना राज्य व्यवसाय, व्यापर, आजीविका और रोजगार कर अधिनियम, 1987	व्यावासिक कर	14,31,500

एमटीए-अजमेर :

क्र.सं.	देय की प्रकृति	छः महीनों से अधिक के लिए देय राशि (रुपए)
1	उपदान	₹ 2,99,34,694

एमटीपी – पिंजौर:

क्र.सं.	देय की प्रकृति	छः महीनों से अधिक के लिए देय राशि (₹ लाखों में)
1	व्याज सहित भविष्य निधि, पेंशन, वीपीएफ, सीपीएफ और ऋण	4704.65
2	उपदान	1206.75

(vii) (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की जाँच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, माल एवं सेवा कर, उपकर से देय हैं, जिन्हें किसी विवाद के कारण सक्षम प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है। इनका विवरण निम्नानुसार हैं –

एमबीएक्स – बेंगलुरु:

क्र.सं.	संविधि की प्रकृति	देय की प्रकृति	संबंधित वित्तीय वर्ष	कुल राशि (₹ लाखों में)	कहां से लंबित है
क	भविष्य निधि अधिनियम	भविष्य निधि	उपलब्ध नहीं	71.95	भविष्य निधि आयुकुत का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
		भविष्य निधि	उपलब्ध नहीं	664.98	
		भविष्य निधि	उपलब्ध नहीं	344.19	
		भविष्य निधि	उपलब्ध नहीं	425.55	
		भविष्य निधि	उपलब्ध नहीं	388.49	
		भविष्य निधि	उपलब्ध नहीं	829.44	
		भविष्य निधि	उपलब्ध नहीं	48.70	
ख	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	उपलब्ध नहीं	221.17	कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
		उत्पाद शुल्क	2008-09	6.42	कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
		उत्पाद शुल्क	2009-10	4.94	कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
		उत्पाद शुल्क	2012-13	58.76	कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
ग	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर	2018-2019, 2019-2020, 2020-2021	844.15	जीएसटी के अधीक्षक का आदेश। अपील अभी दायर की जानी है। लेखापरीक्षा के लिए अद्यतन स्थिति नहीं है।
घ	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर		214.35	कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
ङ	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर	2017-2018	305.20	अपील अभी दायर की जानी है। लेखापरीक्षा के लिए अद्यतन स्थिति नहीं है।
च	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर	2017-2018, 2018-2019	149.67	अपील अभी दायर की जानी है। लेखापरीक्षा के लिए अद्यतन स्थिति नहीं है।
छ	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर	2017-2018	365.83	अपील अभी दायर की जानी है। लेखापरीक्षा के लिए अद्यतन स्थिति नहीं है।
ज	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	वस्तु एवं सेवा कर	2020-2021	290.30	अपील अभी दायर की जानी है। लेखापरीक्षा के लिए अद्यतन स्थिति नहीं है।

एमटीके – कलामस्सेरी

संविधि की प्रकृति	देय की प्रकृति	राशि (रुपए)	अवधि	कहां से विवाद लंबित है
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय बिक्री कर	2,13,54,611	वि व 2008-2009	उच्च न्यायलय. केरल
केन्द्रीय वास्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017	वास्तु और सेवा कर	4,14,03,781	वि व 2019-2020	जीएसटी अपीलीय प्राधिकारी

एमटीएच – हैदराबाद

संविधि की प्रकृति	देय की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है	राशि रुपयों में
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	2011-12	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय (अपील), हैदराबाद	32.31 लाख
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	2001-02	उच्च न्यायलय तेलंगाना	64.77 लाख

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वर्ष के दौरान अभिलेखों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर कंपनी ने ऐसे किसी भी लेन-देन को समर्पित या खुलासा नहीं किया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण के दौरान पहले आय के रूप में बही खाता में दर्ज नहीं किया गया था।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने भारत सरकार को ऋण या अन्य उधार चुकाने या ब्याज के भुगतान में चूक की है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

कंपनी ने भारत सरकार से ऋण लिया है और भारत सरकार को ऋण और उधारी चुकाने में चूक की है। वर्ष के अंत तक चूक का विवरण निम्नलिखित है।

(रु लाखों में)

विवरण	मूलधन	व्याज	कुल	देरी के दिनों की संख्या
भारत सरकार से सावधि ऋण	34,852.80	59,747.94	94,237.05	निर्धारित नहीं किया जा सकता

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार, जैसा कि नोट संख्या - 43 में उल्लिखित है, कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण के रूप में किसी भी धनराशि का उपयोग नहीं किया है। इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने अपने सहयोगियों, सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों के भुगतान के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि नहीं जुटाई है।

(च) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(x)(क) के अंतर्गत आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, आगे के सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन जुटाने और उसके अनुप्रयोग से संबंधित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती, क्योंकि कंपनी एचएमटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से वैकल्पिक परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, लेखापरीक्षा मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जालसाजी या कंपनी पर कोई जालसाजी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) चूँकि वर्ष के दौरान कोई जालसाजी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा फार्म एडीटी-4 में रिपोर्ट दाखिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः आदेश के खंड 3(xi)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा अन्य लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और रिपोर्टों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी में मुखबिर तंत्र की नीति लागू है। तथापि, वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) निधि कंपनियों पर लागू प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, जहाँ कहीं भी लागू हो, अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेन-देनों का विवरण लागू लेखा मानकों की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, जिसे खंड 3(xiv)(क) के अनुसार अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया गया है।

(xv) कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को चालू और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण	वि व 2024-2025	वि व 2023-2024
नकद हानि (लाखों में)	15.839.45 लाख	13234.65 लाख

(xviii) लेखापरीक्षकों में यह परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई नई नियुक्ति के कारण हुआ है। वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। अतः, आदेश के खंड 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु, अनुपात और प्राप्ति की अपेक्षित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य सूचनाओं, प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारी राय में, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक इस बात में पर्याप्त अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी अपनी तुलन पत्र की तारीख पर वित्तीय देयताओं को तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय होने पर चुकाने में सक्षम है।

(xx) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दायित्वों का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है। इसलिए आदेश के खंड 3(xx) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(xxi) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में, जैसा कि मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, वित्तीय विवरणों में विभिन्न इकाइयों/प्रभागों की वित्तीय जानकारी शामिल है, जिनका अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है। हमने सीएआरओ, 2020 के अंतर्गत रिपोर्टिंग करते समय ऐसे अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है। जहाँ तक सीएआरओ, 2020 के अंतर्गत रिपोर्टें ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई हैं; हमने उनकी टिप्पणियों को इस रिपोर्ट के संबंधित खंडों में शामिल किया है।

कृते राजगोपाल और बद्री नारायणन
सनदी लेखाकार

एम.एस.राजगोपाल
भागीदार
सदस्यत्व सं. 020244
फर्म पंजीकरण सं.003024S

स्थान बेंगलुरु
दिनांक: 11.09.2025
UDIN : 25020244BMIVEJ9393

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड: बेंगलुरु
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-बी

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक मेसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इकाई के वित्तीय विवरणों का भी लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, इकाई द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक इकाई की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखा-परीक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण संबंधी मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाने वाले लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण पर लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण पर लागू और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और लेखा-परीक्षण की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक ग़लतबयानी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह जालसाजी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर इकाई की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

क. उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

ख. यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

ग. इकाई की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

राय

हमारी राय में और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, कंपनी के पास, नीचे उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

क) संबंधित विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने में देरी के कारण, कंपनी के पास उपयोग के लिए उपलब्ध अवधि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के पूंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास के कम प्रभार के कारण परिचालन परिणामों पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ा है।

ख) कंपनी ने वर्ष के अंत में विभिन्न संपत्तियों और देयताओं के शेषों के अस्तित्व के संबंध में सत्यापन नहीं किया है। कंपनी संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशियों की शेष राशि की पुष्टि प्रदान करने में असमर्थ है। यह कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

ग) कंपनी में भौतिक सत्यापन, परीक्षण, अस्तित्व के सत्यापन और इन्वेंट्री की पूर्णता के लिए प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमजोरी है।

घ) कंपनी में लेखांकन सिद्धांतों के चयन और अनुप्रयोग तथा अवधि के अंत में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण कमी है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय अर्ह है।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमज़ोरियों पर विचार किया है, और इन भौतिक कमज़ोरियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय दी है।

लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, 31 मार्च, 2025 को यथास्थिति वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता में उपर्युक्त भौतिक कमज़ोरियों की पहचान की गई है।

कृते राजगोपाल और बद्री नारायणन
सनदी लेखाकार

एम.एस.राजगोपाल
भागीदार
सदस्यता सं. 020244
फर्म पंजीकरण सं.003024S

स्थान बेंगलुरु
दिनांक: 11.09.2025
UDIN : 25020244BMIVEJ9393

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड: बेंगलुरु
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-सी

कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत अपेक्षित निर्देशों के अनुसार रिपोर्टिंग

क. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अनुद्धृत, दोनों का उचित मूल्यांकन करना। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का जांच, इंड एएस के साथ स्थिरता सुनिश्चित करना और समर्थन दस्तावेज़ों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।

कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों का प्रावधान किया है। जैसा कि सूचित किया गया है, ऐसे लाभों से संबंधित निवेश ट्रस्ट द्वारा किए जाने हैं। तथापि, ऐसे निवेशों के संबंध में कोई विवरण या दस्तावेज़ हमें उपलब्ध नहीं कराए गए। तदनुसार, हम इन निवेशों के उचित मूल्यांकन का आकलन करने या इस संबंध में मूल्यांकन पद्धति और इंड एएस के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ख. क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित करने की कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण से खातों की सच्चाई पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए।

हाँ, कंपनी सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणालियों के माध्यम से संचालित करती है। तथापि, लेखापरीक्षा ट्रेल और अन्य नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रणालियों को उन्नत करने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं देखा गया। तदनुसार, कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं देखे गए।

ग. क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित किया गया था और क्या प्राप्त निधि का उपयोग इसके नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया है। विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।

सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और अनुदान की शर्तों के अनुसार धनराशि का उपयोग किया गया था। तथापि, प्राप्त राशि एस्क्रो खाते में जमा है, जिसके लिए वर्ष के दौरान कोई ब्याज अर्जित नहीं होता है।

घ. क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?

वर्ष के दौरान, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख जोखिम क्षेत्र की पहचान नहीं की है। तदनुसार,

कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार नहीं की गई है, और हम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं या डेटा संपत्तियों की पहचान और मूल्यांकन से संबंधित पहलुओं पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ङ. क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, और सेबी, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सर्टिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी लागू हो? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, और सेबी, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सर्टिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कृते राजगोपाल और बद्री नारायणन
सनदी लेखाकार

एम.एस.राजगोपाल
भागीदार
सदस्यत्व सं. 020244
फर्म पंजीकरण सं.003024S

स्थान बेंगलुरु
दिनांक: 11.09.2025
UDIN : 25020244BMIVEJ9393

वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध प्रबंधक का उत्तर

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
एमटीए, अजमेर क) इकाई/ विभाग से ग्राच्युटी निपटान में चूक/ भुगतान में चूक रुपये 2,99,34,694/- तक कर्मचारी के निवृत्ति के प्रकरण / या उस इकाई/ विभाग से अलग दुसरे विभाग से भुगतान हो तब उस इकाई/ विभाग विमंबित भुगतान के लिए हो निवृत्ति राशि और ग्राच्युटी देते समय में सूद देने का प्रावधान नही बनाया गया है। ख) इकाई/विभाग ने उन आपूर्तियों और सेवाओं के लिए जीएसटी इनपुट वापस नहीं किया है जिनका भुगतान 31.03.2025 तक 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है। इसमें शामिल राशि 14,69,890 रुपये है।	क) वित्तीय कठिनाईयों के कारण यूनिट सेवानिवृत्ति के समय उपदान का समय पर भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। उपदान के ब्याज सहित लंबित भुगतान के संबंध में अनेक कर्मचारियों ने एएलसी के सम्मुख अपना मामला प्रस्तुत किया है। एएलसी के आदेश के आधार पर कम्पनी ऐसे कर्मचारियों को ब्याज का भुगतान करने से संबंधित प्रावधान कर रही है। ख) इस प्रेक्षण को नोट कर लिया है तथा अगले वित्तीय वर्ष अपेक्षित आईटीसी रिवर्सल किया जाएगा। भविष्य में ऐसा व्युतिक्रम न दोहराए जाने से संबंधित उपाय किए जाएंगे।
एमटीए, कलामस्सेरी क) इकाई/विभाग ने 31 मार्च 2025 तक ₹1,99,92,112/- का दावा वसूली योग्य दर्शाया है, जो कई वर्षों से पुस्तकों में बकाया है। वर्ष के दौरान इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। इस दावे की वैधता या वसूली योग्यता को प्रमाणित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज़, पुष्टिकरण या पत्राचार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 109 - वित्तीय लिखतों के अंतर्गत कोई क्षति का आकलन नहीं किया गया है। ख) इकाई/ विभाग ने जनवरी से मार्च 2025 अवधि के लिए अपने मासिक जीएसटी विवरणी का (जीएस्टीआर -1 और जीएसटी 3बी) दाखिल नही किया गया है। संभावनीय व्याज, विलंब शुल्क या दंड के लिये कोइ प्रवधान नही किया गया है, जो कि इंड एएस 37 प्रावधानो, आकस्मिक देनदारियों और अकस्मिक परिपंपत्तियों के अनुपालन में नही आता है।	क) इस प्रेक्षण को नोट कर लिया है तथा अगले वित्तीय वर्ष इसकी समीक्षा की जाएगी । ख) इसे नोट कर लिया है, सभी सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

ग) इकाई/विभाग ने होटल व्यवसाय संचालित करने वाली एक बाहरी कंपनी को बिजली, पानी और भूमि सुविधाएँ प्रदान की हैं। हालाँकि, उक्त कंपनी से किराए के संबंध में कोई आय नहीं दिखाया गया है। होटल द्वारा वहन किये गये बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है, और उन्हें लेखा पुस्तकों में "कर्मचारी लाभ व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हमारी राय में, आय की गैर-मान्यता और व्यय की गलत पहचान लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुरूप नहीं है। उपयुक्त अभिलेखों और सहायक दस्तावेज़ों के अभाव में उपरोक्त के वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है । घ) हम आपका ध्यान कलामस्सेरी इकाई/विभाग की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर आकर्षित करते हैं। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) द्वारा जारी बिजली बिल के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक कंपनी द्वारा देय राशि 8,95,32,123 रुपये है। हालाँकि, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में केवल 5,68,01,959 रुपये की देनदारी को मान्यता गिया गया है। शेष 3,27,30,264 रुपये की राशि को स्वीकार या प्रावधान नहीं किया गया है, हालाँकि कंपनी द्वारा इसके विरुद्ध कोई औपचारिक विवाद या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं किया गया है। यह दिखाने के लिए किसी सहायक दस्तावेज न होने के कारण देनदारी वास्तव में विवादित है। हमारा मानना है कि लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार उक्त राशि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था।	ग) यूनिट ने होटल व्यवसाय का परिचालन कर रहे किसी वैयक्तिक से सीधे कोई अनुबंध नहीं किया है, अपितु, किया गया अनुबंध एक कृषि सहकारी समिति के साथ स्पष्ट प्रतिबद्धता एवं सहमति के साथ किया गया है। किए गए अनुबंध के अनुसार समिति को किराए, बिजली प्रभारों एवं जल प्रभारों का संग्रहण करने एवं यूनिट को भुगतान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। कृषि सहकारी सहकारी समिति ने सौंपे गए दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। यूनिट द्वारा होटल का परिचालन कर रहे वैयक्तिक से किराए, बिजली एवं जल प्रभार के सभी बकायों की सीधे धनवापसी प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ कर दी गई है। घ) केएसईबी द्वारा किसी भी यथोचित औचित्य के बिना मार्च, 2024 माह के दौरान बिजली प्रभार के बिल में 327.30 लाख रुपए जोड़े गए हैं तथा अनेक बार अनुरोध करने पर भी उनके द्वारा अभी तक हमें विस्तृत बिल / उक्त राशि का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया है। यूनिट ने अध्यक्ष, केएसईबी के साथ चर्चा के दौरान इस अनुचित दावे के प्रति अपनी आपत्ति व्यक्त की है तथा केएसईबी की ओर से इसका सत्यापन एवं यथावश्यक संशोधन कार्रवाई की जाएगी।
एमटीपी –पिंजौर क) इकाई/ विभाग ने अपने भविष्य निधि दायित्व का बीमांकन मूल्यांकन नही किया है, जो भारतीय मानक 19 कर्मचारी लाभ के अंतर्गत परिभाषित लाभ योजना के रुप में योय है	क) इसे नोट कर लिया है, भविष्य निधि दायित्व का वास्तविक बीमांकिक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किया जाएगा

एमटीएच – हैदराबाद	
क) इकाई/विभाग द्वारा रखी गयी इन्वेंट्री में परिचालन गतिविधियों की तुलना में काफ़ी मात्रा में सामग्री है, इसलिए इन्वेंट्री सत्यापन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भौतिक इन्वेंट्री के अस्तित्व पर संदेह उत्पन्न होता है। हालाँकि, हमने इस संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उक्त उद्देश्य के लिए साक्ष्य की प्रासंगिकता सिद्ध नहीं हो पाई है क्योंकि भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसर एसी प्रावधान के लिए मापनीय प्राप्त नही किया जा सकता है ।	क) अधिकांश मालसूचियां की सम्बद्धता 5 से अधिक वर्षों से है तथा इनके संबंध में लेखा बहियों में प्रावधान किए गए हैं।
ख) इकाई/विभाग ने भारतीय मानक मानक 40-निवेश संपत्ति का अनुपालन नहीं किया है जिसके तहत इकाई/विभाग को उस संपत्ति का खुलासा करना होगा जिससे वह किराये की आय अर्जित कर रहा है ।	ख) इंड एएस40 का अनुपालन किया जाएगा।
ग) इकाई/ विभाग पर विभिन्न स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों का काफी बकाया है, जबकि ये राशियाँ संबंधित फोरम के समक्ष विकृतियों और विवादों के अधीन हैं, इस संबंध में उनके द्वारा कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया और प्रबंधन की पुष्टि में इसे आकस्मिक देनदारियों के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया गया है। साथ ही, सी & एजी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को देय संपत्ति कर की मान्यता पर टिप्पणी की है कि कंपनी ने इसे आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाया है। प्रबंधन के स्पष्टीकरण के अनुसार, नगर निगम के आयुक्तालय के साथ बातचीत हुई है और परिणामी प्रभाव आगामी वर्षों में घोषित किया जाएगा। हालाँकि, इन आकस्मिक देनदारियों के मामले में लगातार जानकारी उपलब्ध है लेकिन मदों के कुछ निश्चित परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है और परिणामस्वरूप उस पर राय नही दिया जा सकता है।	ग) कंपनी द्वारा संबंधित प्राधिकरण से एकमुश्त निपटान की प्रस्तावना की गई है, यथोचित प्रकटीकरण के उद्देश्य से इसके परिणाम ज्ञात किए जाएंगे।

विपणन विभाग	
क) इकाई/विभाग ने वर्ष के लिए फॉर्म GSTR-1 और GSTR-3B में मासिक GST रिटर्न दाखिल किया है। हालाँकि, GSTR-2B के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और लेखा पुस्तकों के बीच मिलान नहीं किया गया है। इस मिलान के अभाव में, हम पुस्तकों में दर्ज इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता और पूर्णता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।	क) इसे नोट कर लिया है। इसका समाधान किया जाएगा।
ख) इकाई/विभाग ने उसी पैन के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के बाहर अन्य जीएसटी-पंजीकृत इकाई/विभागों से कमीशन आय अर्जित की है, लेकिन कर का भुगतान नहीं किया है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार, ऐसी इकाई/विभागों को अलग-अलग व्यक्ति माना जाता है। सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची I के साथ धारा 7(1) (सी) के अंतर्गत, अलग-अलग व्यक्तियों के बीच अंतर-इकाई/विभाग आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति है।	ख) इसे नोट कर लिया है। इसका अनुपालन किया जाएगा।
पीटीएच – हैदराबाद	
क) इकाई/विभाग ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भारतीय लेखा मानक 36 - परिसंपत्तियों की क्षति के अंतर्गत अपेक्षित क्षति मूल्यांकन नही किया है।	क) यूनिट द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अक्षमता हानि के मूल्यांकन किए गए हैं।
ख) अन्य चालू देनदारियों में भविष्य निधि ट्रस्ट और ग्रेच्युटी ट्रस्ट निपटान के लिए ₹56.16 करोड़ की लंबी बकाया राशि शामिल है। वैधानिक देय राशि के विलंबित प्रेषण से उत्पन्न दंडात्मक ब्याज के लिए कोई प्रावधान नही किया गया है।	ख) यूनिट द्वारा लंबित भुगतान पर ब्याज की देयता प्रभारित करने की प्रक्रिया की जा रही है। जुर्माना ब्याज के प्रति यूनिट ने प्रतिवाद किया है।
ग) जीएसटी, टीडीएस और व्यावसायिक कर के अंतर्गत वैधानिक दाखिल करने में देरी हुई या दाखिल ही नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज और जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, इन गैर-अनुपालनों से संबंधित विलंब शुल्क और जुर्माने का कोई प्रावधान नही किया गया है।	ग) इसे नोट कर लिया है, सांविधिक विवरणों की प्रस्तुति नियत तिथि तक करने से संबंधित अनुपालन किए जाएंगे।

राय के अस्वीकरण का आधार – एम्बीएक्स बेंगलुरु हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनी के एमबीएक्स बेंगलुरु की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें घटक लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा साक्ष्य में महत्वपूर्ण सीमाओं के कारण अपनी राय से इनकार किया है। घटक लेखापरीक्षक द्वारा दिया गया रिपॉर्ट यह है की :	
(क) इंड एएस 2 – इन्वेंटरी हम वित्तीय विवरण में नोट संख्या 5 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपभोग्य सामग्रियों सहित कच्चे माल का मूल्य ईआरपी में दिखाई देने वाले लागत के आधार पर किया गया है। कच्चे माल के मूल्यांकन का आधार हमें नहीं समझाया गया है। कार्य-प्रगति, तैयार माल और पारगमन में माल का मूल्य कार्य आदेश के लिए जारी किए गए जॉब कार्ड के आधार पर लिया जाता है और ओवरहेड्स सहित स्टॉक मूल्यांकन अनुमानित लागत के आधार पर होता है। इन्वेंट्री मात्रा की शुद्धता और इन्वेंट्री के प्रत्येक आइटम के लिए विचार की गई कीमत को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यक कार्य/ सहायक प्रदान नहीं किए गए थे। इंड एएस-2 के अनुसार, इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर होना चाहिए। अनुमानित लागत पर इन्वेंट्री का मूल्यांकन इंड एएस-2 आवश्यकताओं का उल्लंघन है और लेखांकन नीति 2(j) के अनुरुप नही है	इसे नोट कर लिया है, तथा भविष्य में लेखापरीक्षकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।
(ख) इन्वेंटरी का मूल्यांकन (जारी) • स्क्रैप उत्पादन और मूल्यांकन के रिकॉर्ड: दैनिक आधार पर स्क्रैप उत्पादन के रिकॉर्ड सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे। स्क्रैप उत्पादन पर उचित नियंत्रण और भौतिक स्क्रैप मात्रा पर नज़र रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्क्रैप के मूल्यांकन के रिकॉर्ड भी उपलब्द कराया गया था।	विनिर्माण प्रक्रिया की शुरूआत फाउंड्री में मेटल डालने एवं मोल्डिंग से होती है, जिसमें उत्पन्न होने वाला ज़्यादातर स्क्रैप स्क्रैपिंग और फिनिशिंग के चरण में निकलता है। इसलिए, अलग-अलग प्रक्रिया चरण पर स्क्रैप उत्पति को ट्रैक करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। तथापि, नियंत्रण तंत्रव्यवस्था स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

• इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन: वर्ष के दौरान इन्वेंटरी का कोई भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। इसके अलावा, प्रबंधन ने पिछले वर्ष के सीएजी लेखा परीक्षक द्वारा दिये गये योग्यताओं के बारे में उत्तर दिया है, जो इस प्रकार है: "इकाई/विभाग, वित्त वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षा के दौरान, भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन को प्रमाणित करने वाले सभी दस्तावेज़ शाखा लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। इकाई/प्रभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि नियमित अंतराल पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाए।" प्रबंधन ने हमें यह भी आश्वासन दिया था कि वर्ष के दौरान इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, लेकिन इसका अनुपालन नही किया गया है।	भंडार मदों का भौतिक सत्यापन करने की एक नियमित प्रक्रिया है। यूनिट ने क एवं ख वर्ग की मदों की मदों का सत्यापन पूरा कर लिया है। ग वर्ग की मदों का कार्य प्रगति पर है। लेखापरीक्षक को वर्किंग पेपर्स भी प्रस्तुत किए गए थे।
• स्टॉक पुस्तिका : हमारे सत्यापन के लिए हमें मदवार स्टॉक पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया है। 579.70 लाख रुपये की कुल खरीद में से, लगभग 370.30 लाख रुपये की खरीद को गैर-स्टॉक वस्तुओं के रूप में दर्ज किया गया था, न कि नियमित स्टाक कोड के माध्यम से किया गया था।	इसे नोट कर लिया है तथा इसकी समीक्षा की जाएगी।
• गैर-चलती इन्वेंटरी के लिए प्रावधान: वित्तीय एवं लेखा नीति संख्या 2(j) की टिप्पणी - 5 देखें - इकाई/विभाग ने गैर-चलती इन्वेंटरी मदों के लिए प्रावधान बनाया है जो 5 वर्षों से अधिक समय से चल नहीं रहे हैं। इकाई/विभाग ने गैर-चलती मदों की कुल लागत का 95% प्रावधान के रूप में प्रदान किया है। कच्चे माल और प्रगतिरत कार्य का आयु विवरण प्रदान किया गया था। हालाँकि, आवश्यक विवरण न दिए जाने के कारण आयु विवरण सत्यापित नहीं किया जा सका। पूर्ण विवरण के अभाव में, हम इन्वेंटरी के प्रावधान की सत्यता और वित्तीय विवरणों में गैर-चलती इन्वेंटरी के लिए कम या अधिक प्रावधान के तदनुरूपी प्रभाव पर टिप्पणी करने कर्अने में असमर्थ है।	लेखपरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान लेखापरीक्षक को विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

वास्तविक लागत, मात्रा निर्धारण के आधार पर इन्वेंटरी की गणना की अनुपलब्धता और नियमित अंतराल पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन न किए जाने के कारण, हम इन्वेंटरी मात्रा की सत्यता और वित्तीय विवरणों के लिए विचारित मूल्य तथा भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में पर असमर्थ है।	ईआरपी में, कालक्रम डेटा उपलब्ध है तथा लेखापरीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्नों के जवाब एवं दिए गए स्पष्टीकरणों में इसका उल्लेख किया गया था। कम्पनी की कालक्रम नीति के अनुसार लेखाबहियों में प्रावधान किए गए हैं। इंडएएस52 के अनुपालन का सुनिश्चय किया जाएगा।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन हम वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 3A की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमें बताया गया था कि प्रबंधन की नीति है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन तीन वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए। पीपीई का भौतिक सत्यापन पहले वित्त वर्ष 2021-22 में किया गया था और इसे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। भौतिक सत्यापन की नीति का पालन भी हमें नहीं बताया गया। नीतिगत विवरणों के अभाव और भौतिक सत्यापन न किए जाने के कारण, हम संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगया जा सकता है।	स्थिर परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया था तथा कम्पनी के मानदंडों के अनुसरण में इसे अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाना है। जनशक्ति की कमी के दौरान सम्पति, संयंत्र एवं उपकरणों (पीपीई) का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका था। तथापि, भौतिक सत्यापन अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
एमएसएमई विक्रेता - पहचान और ब्याज प्रावधान हम नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें एमएसएमई विक्रेताओं को देय व्यापारिक राशि का खुलासा किया गया है। प्रबंधन ने एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान के लिए इकाई/प्रभाग द्वारा अपनाई गई आधार और कार्यप्रणाली या प्रक्रिया प्रदान नहीं किया गया है। हमने इकाई/विभाग द्वारा वर्गीकृत एमएसएमई विक्रेताओं की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उद्यम पंजीकरण का विवरण मांगा था। हालाँकि, यह उपलब्ध नहीं कराया गया। वित्त वर्ष 24-25 से पहले की अवधि के लिए एमएसएमई देय राशि पर ब्याज, जो पहले की अवधि के लंबित बिलों से संबंधित है, प्रदान नहीं किया गया।	विक्रेता पंजीकरण के समय यूनिट द्वारा एमएसएमई प्रमाणपत्र का संग्रहण किया गया था। ईआरपी में उद्यम पंजीकरण विवरण का समावेश करने से संबंधित अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। विक्रेताओं के भुगतान में हुई देरी यूनिट के सम्मुख व्याप्त आर्थिक कठिनाईयों के कारण से है, तथपि इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान किए जाएंगे।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम प्रकटीकरण की सत्यता की पुष्टि करने और वित्तीय स्थिति पर ब्याज के प्रभाव (यदि कोई हो) का आकलन करने में असमर्थ है।	
व्यापारिक प्राप्य • पुष्टिकरण: हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें ₹4,402.72 लाख (पिछले वर्ष ₹4,383.19 लाख) की व्यापारिक प्राप्य राशि का खुलासा किया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ग्राहक-वार शेष राशि की पुष्टि प्रदान नही किया गया है।	कंपनी द्वारा ग्राहकों से पुष्टियां प्राप्त करने के अनेक प्रयास किए गए हैं। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऑनगोइंग आधार पर की गई मिलान प्रक्रिया उपलब्ध है।
• ग्राहकों से पुष्टिकरण पत्रों के अभाव में, हम व्यापारिक प्राप्य राशि की सत्यता की पुष्टि करने में असमर्थ है ।	
• आयुवृद्धि: व्यापारिक प्राप्य राशि की आयुवृद्धि नियत तिथि के आधार पर नहीं की गई, बल्कि चालान की तिथि से किया गया है।	यूनिट की ओर से इनवॉयस तिथि के आधार पर कालक्रम का वर्गीकरण किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। तथापि, इस प्रेक्षण को नोट कर लिया गया है तथा वर्ष 2025-26 के दौरान आवश्यक सुधार कार्रवाई की जाएगी।
• परिणामस्वरूप, हम नोट संख्या 6A में प्रकट व्यापारिक प्राप्य राशि की आयुवृद्धि के संबंध में सत्यता की पुष्टि करने में असमर्थ है ।	
• संदिग्ध प्राप्य और बट्टे खाते में डालना: कुल व्यापार प्राप्य 4,402.71 लाख रुपये हैं, जिनमें से 2,653.71 लाख रुपये संदिग्ध के रूप में दिखाया गया है।	
• 1,556.33 लाख रुपये के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान वित्तीय वर्ष 1986-87 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के हैं। बड़ी संख्या में देनदारों को बट्टे खाते में डाला गया होगा, जो नहीं किया गया है, जिससे कुल प्राप्तियों और प्रावधान के आँकड़े गलत दर्शाए गए हैं, जबकि वसूली की कोई संभावना नही है।	प्राप्यों को संदेहास्पद दर्शाया गया है तथा विभिन्न बैठकों में इसकी समीक्षा प्रबंधन द्वारा की गई है। विधिवत समीक्षा के पश्चात आंकड़े निर्धारित करके प्रावधान किए गए हैं। बट्टा लेखन की प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाती है तथा तदनुसार, लेखा बहियों में प्रविष्टियां करने का सुनिश्चय किया जाता है।

• प्राप्तियों के लिए प्रावधान: कंपनी की नीति है कि यदि प्राप्तियां 5 वर्ष से अधिक अवधि की हैं, तो प्रावधान किए जाएँ। हमने इस बात पर स्पष्टीकरण माँगा था कि 5 वर्ष से कम अवधि के होने पर भी व्यक्तिगत चालानों पर राशियाँ लंबित क्यों हैं। हमें कारण नहीं बताये गये और जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी जानकारी के अभाव में, यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि ऐसे मामलों में बकाया के रूप में दिखाई गई राशियाँ सही है या नही।	इसे नोट कर लिया है। 13.28 लाख रुपए की राशि की समीक्षा की जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में इससे संबंधित प्रावधान किए जाएंगे। 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष से अधिक अवधि के बकाया देनदारों के प्रावधानों से संबंधित समीक्षा की जाएगी।
• लेखा परीक्षक ने पिछले वर्ष की रिपोर्ट के मुख्य अनुच्छेद में उल्लेख किया है कि इकाई/विभाग को अपनी पुस्तकों में 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया देनदारों की शेष राशि को बट्टे खाते में डालना आवश्यक है। हमने इस संबंध में लिखित नीति मांगी थी। हालाँकि, वह उपलब्ध नहीं कराई गई। इकाई/विभाग ने केवल 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया देनदारों के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की ₹13.28 लाख की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कम दर्शाया गया है और व्यापारिक प्राप्य उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।	
• चालान-वार बकाया: 31.03.24 तक चालान-वार बकाया व्यापारिक प्राप्य और चालान-वार प्रावधान हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम व्यापार प्राप्य, व्यापार प्राप्य आयु का खुलासा और वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रावधानों (यदि कोई हो) की सत्यता की पुष्टि करने में असमर्थ है।	यूनिट इनवॉयस वार बकायों का विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

व्यापारिक देय राशियां • हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 789.96 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,285.87 लाख रुपये) के व्यापारिक देय राशियों का खुलासा किया गया है। • शेष राशि की पुष्टि: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए विक्रेता-वार शेष राशि की पुष्टि प्रदान नहीं किया गया है। • अवधि: इसके अलावा, व्यापारिक देय राशियों की अवधि की जाँच नियत तिथि के आधार पर नहीं की गई। कई मामलों में, व्यापारिक देय राशियाँ तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थीं। कुल बकाया 789.96 लाख रुपये में से, 267.52 लाख रुपये 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है। • उपरोक्त के मद्देनजर हम व्यापार देयताओं के रूप में दर्शाया गया राशि और वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी आयु की सत्यता के संबंध में पुष्टि करने और स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ है।	आर्थिक संकट के कारण कम्पनी लेनदारों के बकाया का निपटान नहीं कर पा रही है। कम्पनी द्वारा विक्रेताओं से पुष्टियां प्राप्त करने संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया की गई है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऑनगोइंग आधार पर समाधान किया जाता है।
महत्वपूर्ण मूल्य राशि का ऑर्डर विस्तारित अवधि के बाद भी समय पर निष्पादित हुआ - निहितार्थ ग्राहक से प्राप्त अग्रिम - परमाणु ऊर्जा विभाग: नोट 18 देखें - वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान टीपीएम-जेड मशीन की आपूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से 10.59 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। कंपनी ने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि के लिए सुरक्षा के रूप में 10.66 करोड़ रुपये की अग्रिम बैंक गारंटी जारी की है। आपूर्ति करने की मूल नियत तिथि 10-11-2017 थी। इकाई/विभाग को वित्तीय वर्ष 2017-18 तक 10.11.2017 तक कुल 35.10 करोड़ रुपये की मशीन की 54 जोड़ी आपूर्ति करनी थी। 31 मार्च 2025 तक उत्पाद की केवल एक जोड़ी आपूर्ति की गई है, जिसकी कीमत 65 लाख रुपये है। आपूर्ति तिथि के 31.12.2024 तक संशोधित विस्तार के अनुसार, सभी विलंबित आपूर्तियों के लिए उत्पाद के मूल्य के 5% की सीमा तक अधिकतम परिसमाप्त क्षतिपूर्ति वसूली जायेगी। इकाई/विभाग ने 30 जून 2026 तक वितरण समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जो ग्राहक द्वारा अनुमोदन के कारण लंबित है।	यह एक नया विकास क्रम है। दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट केवल एक ही पेयर तैयार कर पाई थी। पैरा में दिए गए विवरण के अनुसार ग्राहक ने 31.12.2024 तक का समय विस्तार दिया था तथा की ओर से पहले से जून, 2026 का समय विस्तार प्राप्त कर लिया गया है जो कि विकास क्रम है। आर्डर के निष्पादन से संबंधित सामग्री एवं विनिर्माण प्रक्रिया विशिष्ट प्रकार की है जो कि रणनीतिक सेक्टर में उपयोग में लाई जाती है। टीपीएम-जैड से प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 से संबंधित है तथा इससे संबंधित कार्य प्रक्रिया / चर्चा पार्टी के साथ की गई है और पार्टी को वित्तीय वर्ष 2025-26 से इसकी आपूर्ति की जाएगी। तदनुसार, इससे बहियों में किसी प्रकार का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं हुआ है।

ग्राहक द्वारा आपूर्ति तिथि और शर्तों को बढ़ाने के संबंध में आगे कोई सूचना न मिलने के कारण, हम ग्राहक द्वारा दिए गए विस्तारित समय के भीतर आदेशित मात्रा की आपूर्ति न होने के कारण वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव और इस आदेश पर इकाई/प्रभाग द्वारा चुकाई जाने वाली देयता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।	
ग्राहकों से अग्रिम रूप से प्राप्त ऋणों को आय के रूप में वापस लिखा गया नोट 21 – विविध आय • विविध आय में लगभग 234 ग्राहकों से संबंधित ग्राहकों से अग्रिम रूप से प्राप्त 306.19 लाख रुपये के पुराने ऋण शामिल हैं, जिन्हें वापस लिखा गया था। वापस लिखे गए अग्रिमों का विवरण, जैसे अग्रिम की तिथि, लंबित रहने का कारण आदि, उपलब्ध नहीं कराया गया। विविध आय में वापसी को कार्यालय नोट द्वारा इस तर्क के साथ अनुमोदित किया गया था कि "ग्राहक के विरुद्ध कोई आदेश लंबित नहीं था"। वापस लिखे गए अग्रिम में से 110 लाख रुपये भारी उद्योग विभाग से प्राप्त राशि से संबंधित हैं, जिसके विरुद्ध हमें दिसंबर 2020 तक सीए उपयोग प्रमाणपत्र की प्रति दी गई थी, जिसका अर्थ है कि आय को वित्त वर्ष 20-21 या उससे पहले मान्यता दिया जाना चाहिए था । • पिछले वर्ष की आय: 306.19 लाख रुपये की विविध आय एक पिछले वर्ष की मद है जिसका वित्तीय विवरण में खुलासा नहीं किया गया है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि के प्रत्यावर्तन पर, यदि यह जीएसटी से पूर्व की अवधि से संबंधित है, तो माल एवं सेवा कर या अन्य अप्रत्यक्ष कर देयताओं के लिए देयता भी नहीं बनायी गयी है। पूर्व अवधियों सहित ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशियों के पूर्ण तर्क और समाधान के अभाव में, हम इन राशियों को विविध आय के रूप में मान्यता देने की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, हम पिछले वर्षों की प्रत्यावर्तन राशियों से संबंधित चालू वर्ष में ली गई आय पर आयकर और अप्रत्यक्ष कर के निहितार्थों पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।	ग्राहकों को देय राशि 5 से अधिक वर्ष पूर्व की है तथा ग्राहकों की ओर से इनका कोई दावा नहीं किया गया है। तदनुसार, इस राशि का पुनर्लेखन किया गया था तथा इसे अन्य आय की स्वीकृति दी गई थी।

आय में वापस लिखी गई प्रावधानों की राशी नोट 21A देखें, वापस लिए गए प्रावधानों में ग्रेच्युटी के प्रावधान के प्रत्यावर्तन हेतु 313.58 लाख रुपये, 1992 के आधार संशोधन बकाया (310.49 लाख रुपये) और वारंटी (3.09 लाख रुपये) शामिल हैं। ग्रेच्युटी के प्रावधान के प्रत्यावर्तन हेतु 310.49 लाख रुपये की राशि के लिए 22 मई 2025 के कार्यालय नोट और अनुमोदन, प्रत्यावर्तन हेतु अनुमोदन दस्तावेज़ के रूप में प्रदान किए गए थे। हालाँकि, प्रावधान कब बनाया गया, कार्यप्रणाली और प्रावधान बनाने के कारण का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। क्योंकि यह पुराने वर्षों से संबंधित है और पूर्व वर्ष की आय के रूप में आवश्यक प्रकटीकरण भी वित्तीय विवरणों में नहीं दिया गया है।	कर्मचारियों का कोई भुगतान देय नहीं है। तदनुसार, कोई प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं हैं। इस प्रकार, पैरा में किए गए उल्लेख के अनुसार आय के रूप में इसका पुनर्लेखन किया गया है।
इस विभाग की संपत्तियों से प्राप्त किराये की आय, एचएमटी लिमिटेड की मूल कंपनी में दर्ज है। प्राप्त किराये की आय और एकत्रित जमा: मूल कंपनी एचएमटी लिमिटेड के खातों में इस इकाई/प्रभाग की भूमि और भवनों से प्राप्त 845 लाख रुपये की किराये की आय दर्ज है। किराये की आय की सूची हमें दी गई है। हमें बताया गया है कि एचएमटी लिमिटेड ने किराये पर दी गई संपत्तियों पर भी जमा राशि एकत्रित की है। हमें इस संबंध में 219.6 लाख रुपये की सूची दिया गया है।	इस मामले की समीक्षा की जाएगी तथा भविष्य में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कोई खुलासा नहीं: चालू वर्ष में इस इकाई/प्रभाग की संपत्तियों से संबंधित ₹845 लाख की किराये की आय और ऐसी संपत्तियों को किराए पर देने पर एकत्रित जमा राशि को एचएमटी लिमिटेड की पुस्तकों में दर्ज किए जाने के संबंध में वित्तीय विवरणों में कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस तरह के व्यवहार का आधार और अनुमोदन: एचएमटी लिमिटेड (मूल इकाई) की पुस्तकों में किराये की आय को क्यों दर्ज किया जाता है, इसका कारण हमें ऐसे व्यवहार के लिए आवश्यक अनुमोदन दर्शाने वाले दस्तावेज़ों के साथ नहीं बताया गया है। उद्धृत एकमात्र कारण एचएमटी लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 31.03.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षक की योग्यता के बारे में दिए गए उत्तर के समान है, जहाँ परिसंपत्ति को मान्यता दिए बिना राजस्व को मान्यता देने का तथ्य सामने आया था। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में दी गई योग्यता और प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार है : **योग्यता :** क) कंपनी उस भूमि पर स्थित भवनों से उत्पन्न किराये की आय दर्ज करती है जो कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं है। सत्यापन के लिए प्रस्तुत अभिलेखों की जाँच करने पर, भूमि की स्थिति और उसका स्वामित्व एचएमटी लिमिटेड के नाम पर है।	
क कई वर्षों से आय का लेखा-जोखा: पिछले वित्तीय विवरणों और कंपनी द्वारा बताए गए विवरण से यह प्रतीत होता है कि एचएमटी लिमिटेड में इकाई/विभाग के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों के लिए राजस्व लेखांकन की उक्त पद्धति कई वर्षों से चली आ रही है। ख इकाई/ विभाग द्वारा वहन की जाने वाली ऐसी संपत्तियों पर संपत्ति कर: उपरोक्त पैरा 10 में हमारे मत के अस्वीकरण के आधार पर किए गए संपत्ति कर भुगतान से, ऐसा प्रतीत होता है कि जिन संपत्तियों की किराये की आय मूल कंपनी एचएमटी लिमिटेड में दर्ज है, उनसे संबंधित संपत्ति कर का भुगतान इसी इकाई/विभाग में किया जा रहा है	''एबीसी / सीएसडी यूनिट / डिवीजन का गठन बेंगलुरु में स्थित यूनिट / डिवीजनों की सम्पदा के अनुरक्षण के लिए किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, सम्पदा की अनुरक्षण लागत में वृद्धि होने के कारण से यूनिट / डिवीजन की आय उत्पति प्रारंभ हो गई। वर्ष 2000 में कम्पनी को अनुदान प्राप्त होने के पश्चात व्यवस्था योजना के अनुसरण में भूमि एवं भवनों का अंतरण मैसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को कर दिया गया था। तदनुसार, भूमि एवं भवनों को एबीडी की लेखा बहियों में रिकार्डबद्ध नहीं किया गया है। तथापि, इसके संबंध में एचएमटी मशीन टूल्स के नाम से राजस्व रिकार्ड में हक विलेख का नाम परिवर्तन नहीं हुआ है।''

मांगे गए विवरण: हमने मूल कंपनी के हाथों में आय के लेखांकन के संबंध में पूर्ण विवरण मांगा था। विशेष रूप से, हमने निम्नलिखित मांगे थे। ग इस बात पर तर्क कि किराये की आय को एचएमटी लिमिटेड की पुस्तकों में क्यों मान्यता दी गई है, जबकि एचएमटी मशीन टूल्स का एमबीएक्स डिवीजन संपत्ति का मालिक है। घ उक्त संपत्तियों से कोई आय अर्जित किए बिना, इकाई/विभाग (एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड) की पुस्तकों में उक्त संपत्तियों पर संपत्ति कर का व्यय क्यों दर्ज किया गया है। ङ इस संबंध में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और एचएमटी लिमिटेड के बीच क्या समझौता हुआ है? हमें पूर्ण विवरण सहित कोई उचित उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है। च एसी आय पर आंतरिक नियंत्रण: यद्यपि एचएमटी लिमिटेड में किराये की आय को मान्यता प्राप्त बताया गया है, फिर भी उचित स्पष्टीकरण और विवरण के अभाव में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। छ संपूर्ण संपत्तियों की सूची, उपलब्ध दस्तावेजों के साथ मानचित्रण और पीपीई रजिस्टर में प्रविष्टियां करना है ज उपरोक्त में से किराये पर दिया गया संपत्तियों की सूची और उक्त संपत्तियों के विरुद्ध राजस्व का मानचित्रण ताकि यह पता लगाया जा सके कि किराये पर दिया गया संपत्तियों और किरायों पर रखी गयी लेकिन बेकार पड़ी संपत्तियों और उनसे कोई किराया नहीं मिला, के लिए कोई राजस्व मान्यता छूट गया है या नही। झ संपत्ती पर किसी भी अनधिकृत कब्जे की स्थिति	चूंकि एबीडी द्वारा सम्पदा एवं एचएमटी मशीन टूल्स बेंगलुरु सहित बेंगलुरु में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों की देखरेख की जा रही है अत: किराया आय को सम्पदा आदि के अनुरक्षण के लिए एबीडी की बहियों में रिकार्डबद्ध किया जाता है। लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किराया आय का विवरण लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत किया गया था।

झ आय के रूप में दर्शाया गया राशि का लेखा उपार्जन आधार पर किया गया है।

ट एसी संपत्तियों के रखरखाव पर होने वाले व्यय पर सहमति हुयी है।

एचएमटी लिमिटेड के एबीडी विभाग में दर्ज आय की सूची के अलावा, उनके द्वारा किये गये रखरखाव व्यय की प्रकृति और प्रकृति के बारे में हमें कोई विवरण नहीं दिया गया है।

उपरोक्त सभी बातों पर दस्तावेज़ी प्रमाण और औचित्य के साथ उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, हम निम्नलिखित पर टिप्पणी करने में असमर्थ है:

क मूल कंपनी के हाथों में इकाई/विभाग से संबंधित 845 लाख रुपये की संपत्ति की आय के लेखांकन की शुद्धता और उसके निहितार्थों का परिमाणन नहीं किया जा सकता है।

ख मूल कंपनी के हाथों में इकाई/विभाग की किराये की आय के लेखांकन पर अप्रत्यक्ष करों का कोई निहितार्थ।

ग पीपीई के अंतर्गत प्रकट की गई भूमि और भवनों की प्रकृति का औचित्य, क्योंकि कोई निवेश संपत्ति नहीं दिखाया गया है।

घ इकाई/विभाग में ऐसी संपत्तियों पर संपत्ति कर के व्यय के लेखांकन की शुद्धता और निहितार्थों का परिमाणन नहीं किया जा सकता है।

ङ उक्त ऐसी संपत्तियों से संबंधित किसी भी बिजली शुल्क का लेखा इकाई/प्रभाग की पुस्तकों में किया गया था, क्योंकि एक सामान्य बिल प्राप्त होता है।

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर यदि कोई निहितार्थ है, तो उसका पता तभी लगाया जा सकता है जब पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाये।

➢ चूंकि इकाई/विभाग की समग्र आय की तुलना में उत्पन्न आय का मूल्य महत्वपूर्ण है, इसलिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त सभी पर पूर्ण प्रकटीकरण आवश्यक है

भूमि और भवन की इकाई/विभाग भूमि अभिलेखों या दस्तावेजों के अनुसार इकाई/विभाग के नाम की भूमि का मानचित्रण पीपीई सूची के अनुसार भूमि से उपलब्ध नहीं कराया गया है। भूमि एवं भवनों के संबंध में पीपीई अनुसूची के अनुलग्नक-1 देखें : कि हमें सूचित किया गया है, इकाई/विभाग के पास बेंगलुरु परिसर में कुल 330.20 एकड़ भूमि है, जो आंशिक रूप से उपहार में दिया गया था और आंशिक रूप से वर्षों से अधिग्रहित की गयी थी। उक्त भूमि का उपयोग कारखाना भवनों, कार्यालयों, आवासीय क्वार्टरों, अस्पताल, सिनेमा, स्टेडियम, वाणिज्यिक परिसर, आंतरिक सड़कों आदि के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वहाँ विशाल खुला क्षेत्र भी मौजूद है। 1. पीन्या गाँव की भूमि क्रमांक 20, 20 गुंटा ज़मीन, कर्नाटक सरकार को, जिसका प्रतिनिधित्व तहसीलदार, बेंगलुरु उत्तर तालुका ने किया था, दिनांक 03-11-1976 को पत्र क्रमांक LND (3) 55/73-74 दिनांक 08-10-1976 के माध्यम से निःशुल्क दी गई थी। हालाँकि, उक्त ज़मीन हमें प्रदान की गई भूमि सूची में दिखाई दे रही है। शेष 2.34 एकड़ ज़मीन का क्षेत्रफल, मालिकाना हक़ के दस्तावेज़ों से मेल नहीं खा रहा है। 2. जे.बी. कवल की भूमि क्रमांक 21 और 22, 4.55 एकड़ ज़मीन के दस्तावेज़ हमें प्रदान किए गये थे। हालाँकि, ज़मीन के दस्तावेज़ों के अनुसार क्षेत्रफल, हमें प्रदान की गई ज़मीन के विवरण में बताए गए क्षेत्रफल से मेल नहीं खा रहा था। कर्नाटक वन विभाग द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जे और कब्ज़े के संबंध में दिनांक 04.11.2024 को एक पत्र भी भेजा गया है, जिसका कंपनी द्वारा उत्तर दिया जा चुका है, जैसा कि हमें उपलब्ध कराए गए बोर्ड की कार्यवृत्त के अंश से पता चलता है। लेकिन इस बारे में हमें कोई और जानकारी नहीं दिया गया है।	कंपनी द्वारा आवश्यक प्रकटीकरणों के साथ धारित भूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। लेखापरीक्षकों द्वारा मूल रिकॉर्डों के साथ इनका भौतिक सत्यापन भी किया गया है।

बोर्ड की कार्यवृत्त के अंश के अलावा, हमें सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले और इकाई/विभाग की भूमि और भवनों पर इसके प्रभाव के बारे में कोई और जानकारी नहीं। संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण नोट के अनुलग्नक-1 में दी गई भूमि का विवरण, सूची में दी गयी 140.12 एकड़ भूमि की पूर्व में हुई बिक्री के बाद का है, लेकिन हमें इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्वामित्व दस्तावेज़ में केवल मूल खरीद या दान की गई मात्रा का ही उल्लेख है और कर्नाटक नगर निगम अधिनियम/अन्य आदेश के तहत भूमि की बिक्री और अधिग्रहण के बाद संबंधित सर्वेक्षण संख्याओं के अंतर्गत शेष मात्रा दर्शाने के लिए कोई भी स्वामित्व दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिन संपत्तियों की आय मूल कंपनी में दर्ज की जा रही है, उन्हें किराये पर देने की प्रक्रिया के संबंध में एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली रखने वाली इकाई/विभाग का हमें कोई विवरण नहीं दिखाया गया है। हमे बताया गया कि संपत्तियों के लिए खाता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा चुका है। इकाई/विभाग की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी भूमि और भवन हैं, इसलिए योग्य पेशेवरों द्वारा सभी भूमि और भवनों का गहन सत्यापन किया जाना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भूमि और भवन के स्वामित्व पर कानूनी राय, निर्मित क्षेत्र/ सर्वेक्षण संख्या की पहचान और प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या के लिए स्वामित्व के दस्तावेजों की सूची और भूमि और भवनों के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज, भूमि की प्रकृति का विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	

उपराकत अनुच्छेदों में उल्लिखित बातों के मद्देनजर, हम उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल की सटीकता, भूमि के उपयोग और अतिक्रमण (यदि कोई हो), भूमि की प्रकृति और पीपीई के तहत कंपनी की पुस्तकों में दिखायी गयी भूमि की लागत के साथ मानचित्रण पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।	
भारतीय लेखा मानक-40 के अंतर्गत निवेश संपत्ति का प्रकटीकरण इकाई/ विभाग ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत संपूर्ण भूमि और भवनों का प्रकटीकरण किया है। ऐसी भूमि और भवन हैं जिन्हें किराये पर दिया गया है और जिनसे इकाई/ विभाग द्वारा आय अर्जित की जाती है। वर्ष के दौरान अर्जित किराया ₹249 लाख है (नोट-21ए देखें)। ऐसी भूमि और भवन हैं जिन्हें किराये पर ₹845 लाख में किराये पर दिया गया है, जिसे एचएमटी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) की पुस्तकों में आय के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय लेखा मानक-40 के अनुसार, किराया अर्जित करने के उद्देश्य से किसी भी भूमि या भवन का प्रकटीकरण निवेश संपत्ति के रूप में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इकाई/ विभाग ने भारतीय लेखा मानक-40 के अनुसार, कंपनी (पंजीकृत मूल्य एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से निवेश संपत्ति का उचित मूल्यांकन प्रकट नहीं किया है	इसे नोट कर लिया है, इसकी पूर्ण समीक्षा की जाएगी।
बीबीएमपी द्वारा अधिग्रहित भूमि - प्राप्त मुआवज़ा आय के रूप में नहीं, बल्कि अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया गया है इकाई/विभाग ने अधिग्रहण के लिए सहमत शर्तों के अनुसार बीबीएमपी को 4.25 एकड़ ज़मीन सौंप दी। अधिग्रहण का मुआवज़ा तय हो गया था। इकाई/विभाग को 31.03.2018 तक कुल 20.04 करोड़ रुपये के मुआवज़े में से 18.51 करोड़ रुपये मिल चुके थे। हमें बताया गया कि 1.53 करोड़ रुपये का शेष मुआवज़ा मिलना बाकी है।	कंपनी को बीबीएमपी से 1.53 करोड़ की शेष राशि प्राप्त न होने के कारण से कम्पनी ने राशि की स्वीकृति राजस्व के रूप में नहीं की है। इसके अलावा, बीबीएमपी से प्राप्त पत्र के अनुसार वे पंजीकरण की प्रक्रिया कररहे हैं। तथापि आवश्यक कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2025-26 में की जाएगी।

हमे उपलब्ध कराया गया पत्राचार से पता चलता है कि बीबीएमपी को कब्ज़ा बहुत पहले ही दे दिया गया था। कंपनी द्वारा 23.11.2022 को जारी पत्र के अनुसार, बीबीएमपी को संपत्ति सौंपने के लिए संयुक्त माप भी कर लिया गया है। बीबीएमपी ने निम्नलिखित सरकारी आदेशों का हवाला दिया है जिनके आधार पर संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था। हालाँकि, आदेश की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं है। • सरकारी आदेश संख्या: UDD 375 MNY 2018, बेंगलुरु दिनांक 20.09. 2019 • सरकारी आदेश संख्या: UDD 183 MNY 2020, बेंगलुरु दिनांक 13.09.2020 कंपनी ने अभी तक अपनी पुस्तकों में प्राप्त मुआवज़े के लिए राजस्व का लेखा-जोखा नहीं रखा है और इसे अन्य गैर-वर्तमान देयता नोट संख्या 14A के तहत "भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध प्राप्त मुआवज़े की राशि" के रूप में दिखाया गया है। हालांकी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हस्तांतरण को निम्नलिखित के कारण पुस्तकों में मान्यता दी जानी चाहिए। • भूमी की भौतिक कब्ज़ा हस्तांतरित हो चुका है और वर्तमान में इकाई/विभाग का उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। • अधिकांश प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। • उक्त भूमि अधिग्रहण के लिए बीबीएमपी या इकाई/विभाग द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया है। • अधिग्रहण केएमसी अधिनियम, 1976 की धारा 175 के तहत किया गया था। उपराकत सभी तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि निष्पादन दायित्व पूरा हो चुका है, जिसके लिए प्राप्त मुआवज़े को राजस्व के रूप में मान्यता देना आवश्यक है।	

राजस्व को मान्यता न देने का कारण यह बताया गया है कि उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण नहीं हुआ है। चूँकि यह सरकारी आदेश के माध्यम से अधिग्रहण का मामला है, इसलिए हमें बताया गया कि पंजीकरण आवश्यक नहीं है और अधिसूचना के आधार पर अभिलेखों में स्वामित्व बदला जा सकता। आयकर की धारा 45(5)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, मुआवज़ा, मुआवज़े की पहली प्राप्ति के वर्ष में कर योग्य होता है। इकाई/ विभाग की पुस्तकों से बीबीएमपी को हस्तांतरित संपत्ति की लागत का भी पता नहीं लगाया जा सकता है। मुआवज़े के रूप में प्राप्त राजस्व का लेखा-जोखा न होने के कारण, पिछले वर्षों के भंडार और अधिशेष को कम करके आंका गया है। हालाँकि, हस्तांतरित संपत्ति की लागत का विवरण उपलब्ध न होने के कारण, इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो पिछले वर्ष प्राप्त मुआवज़े के लिए आयकर देयता का प्रावधान किया जाना चाहिए।	
वैधानिक देय राशियों का विलंबित भुगतान इन खातों में 31 मार्च, 2025 तक उपयुक्त प्राधिकारियों को भविष्य निधि देय राशियों के विलंबित प्रेषण हेतु ब्याज/ जुर्माना/क्षतिपूर्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और यह परिमाणात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2025 तक ग्रेच्युटी देय राशियों के निपटान/भुगतान न करने पर देय जुर्माने/ क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ग्रेच्युटी/भविष्य निधि देय राशियों के विलंबित भुगतान के तथ्य को भी आकस्मिक देयता के भाग के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर इस प्रावधान न करने के प्रभाव पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ है।	इसे नोट कर लिया है, सांविधिक अनुपालन के सुनिश्चय के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाएंगे। तथापि, कम्पनी के पास कार्यशील पूंजी की कमी के कारण वित्तीय कठिनाईयां व्याप्त हैं। ब्याज एवं शास्तियों का लेखांकन तब किया जाता है जब भुगतान किए जाते हैं।

इंड एएस प्रावधानों का अनुपालन न करना इंड-एएस109 - वित्तीय साधनों के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान, व्यापारिक प्राप्य राशियों के लिए वित्तीय विवरणों में प्रदान नहीं किया गया है। इंड-एएस 109 के अनुसार, किसी संस्था को हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसील) मॉडल लागू करना आवश्यक है। हालाँकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा अवधि के लिए हानि भत्ते के प्रावधान हेतु कोई ECL मैट्रिक्स तैयार नहीं किया गया था। इसलिए, हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ है।	प्रबंधन द्वारा विभिन्न बैठकों में की गई समीक्षा के अनुसार व्यापार प्राप्यों को संदेहास्पद दर्शाया गया है। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात ये आंकड़े निश्चित करके इनका व्यवस्थापन किया गया है। तथापि, इंड एएस 109 के अनुसार आवश्यक अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
आकस्मिक देयताएं हम वित्तीय विवरणों के अनुलग्नक 'बी' की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें विभाग के विरुद्ध लंबित मुकदमों और विभिन्न मामलों से संबंधित 5446.72 लाख रुपये की आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर इन आकस्मिक देयताओं के प्रभाव और प्रकट की गयी राशियों की शुद्धता का आकलन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपर्याप्त जानकारी के कारण कई मामलों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।	विभिन्न सांविधिक निकायों में लंबित निर्णयों के आधार पर आकस्मिक देयताओं का निर्धारण किया गया है। कम्पनी द्वारा इन प्रकटीकरणों के बारे में डेटा / विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
पूर्णतः उपयोग न की गयी या पूर्ण क्षमता से उपयोग न की गई परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास हानि। हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 3A की ओर ध्यान आकर्षित करते है। प्रबंधन एचएमटी (एमबीएक्स) विभग के संयंत्र, मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियों के लिए दिनांक 01-07-2024 की एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान की है। हालाँकि, इस रिपोर्ट में परिसंपत्तियों की विस्तृत सूची, जिसमें उनकी मात्रा, प्रकार और मूल्य का उल्लेख हो, शामिल नहीं है, और न ही इसे अचल परिसंपत्ति रजिस्टर से जोड़ा गया है। ऐसी व्यापक जानकारी के अभाव में, हम मूल्यह्रास प्रावधान की आवश्यकता, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। रिपोर्ट में केवल इतना कहा गया है कि परिसंपत्तियों का मूल्यांकन 31 मार्च 2024 तक बही मूल्य से अधिक है।	कंपनी की स्थिति गोइंग कंसर्न की है; परिसम्पतियों का मूल्यांकन बही मूल्य से अधिक होने के कारण से अक्षमता हानि लागू नहीं है। कंपनी द्वारा अक्षमता के कारण हुई हानि की स्थिति में रिपोर्ट प्रस्तुति का सुनिश्चय किया जाएगा।

इकाई/ विभाग के पास संयंत्र, मशीनरी और विशेष उपकरण हैं जिनका मूल्य 701 लाख रुपये है। संयंत्र मशीनरी और विशेष उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी मांगी गई थी। हालाँकि, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उक्त परिसंपत्तियों के उपयोग की पूर्ण कार्यप्रणाली और स्पष्टीकरण के अभाव में हम भारतीय लेखा मानक-36 के तहत अपेक्षित उक्त परिसंपत्तियों की हानि पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।	
टीडीएस रिटर्न और भुगतान इकाई/ विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से टीडीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। टीडीएस के प्रेषण में देरी हुई है। टीडीएस के विलंबित प्रेषण के लिए ब्याज का विवरण बही में नहीं दिया गया है।	इसे नोट कर लिया है, सांविधिक अनुपालन का सुनिश्चय करने के प्रत्येक प्रयास किए जाएंगे।
जीएसटी रिटर्न और माँगें जीएसटी रिटर्न के आंकड़ों का लेखा-जोखा के साथ मिलान: हमें प्रदान किये गये जानकारी और जीएसटी कॉमन पोर्टल के अनुसार, इकाई/विभाग ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सभी महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर दी गयी हैं। हालाँकि, लेखा-जोखा के आंकड़ों के साथ दाखिल जीएसटी रिटर्न का मिलान लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। पूर्ण मिलान के अभाव में, हम लेखा-जोखा में दिखायी देने वाली जीएसटी देनदारी, जीएसटी इनपुट और जीएसटी लेखा पुस्तिकाए के समापन शेष की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। **जीएसटी माँगें** आकस्मिक देयता में प्रदर्शित जीएसटी माँगें - ₹1955.15 लाख है। इकाई/विभाग ने ब्याज और जुर्माने सहित (उक्त माँगों पर) निम्नलिखित जीएसटी माँगों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया है।	आंकड़े जीएसटी विवरण के अनुसार हैं तथा लेखा बहियों से इनका समाधान किया गया है तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान इनकी प्रस्तुति लेखापरीक्षकों को की गई थी।

(टेबल नीचे दिया गया है)

क्र. स.	राशि किस वित्तीय वर्ष से संबंधित है	राशि (लाखों रूपये में)
1	2017-2018	305.20
2	2017-2018, 2018-19	149.67
3	2017-2018, 2018-19	365.83
4	2018-2019, 2019-2020, 2020-21	844.15
5	2020-2021	290.30

उक्त नोटिस/आदेश के विरुद्ध की गया अपील/कार्यवाही का विवरण मांगा गया था, जो आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त जीएसटी मांग आकस्मिक देयता के भाग के रूप में दिखायी दे रही है। पूर्ण विवरण के अभाव में, हम लंबित मांगों और मामलों, यदि कोई हो, का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं और यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि उक्त मांगों के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है या नहीं है ।

अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में पुष्टि

पक्षकारों से पुष्टि और अन्य चालू परिसंपत्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू वित्तीय देनदारियों, अन्य चालू देनदारियों के संबंध में उक्त शेष राशि के बकाया होने के विवरण के अभाव में, पक्षकारों की शेष राशि के समाधान की प्रक्रिया अधूरी है। पक्षों से शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध न होने के कारण, हम बताए गए शेष राशि की सत्यता और वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव (यदि कोई हो) के बारे में कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

शेष के संबंध में पुष्टि मांगी जाती है तथा ऑनगोइंग आधार पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मिलान प्रक्रिया की जाती है, दिशानिर्देशों एवं नीतियों का अनुसरण करके परिणामी समायोजन किए जाते हैं।

वारंटी प्रावधान

वारंटी संबंधी लेखा नीति 2(k) के अनुसार, इकाई/विभाग को ऐतिहासिक पूर्वानुभव के आधार पर वारंटी संबंधी लागतों का प्रावधान करना था। वित्तीय विवरणों में वारंटी का प्रावधान लगभग 0.84 लाख रुपये है। वारंटी प्रावधानों का कार्य-विधि और आधार हमें प्रदान नहीं किया गया है।

उचित कार्य-विधि के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त वारंटी प्रावधान की पर्याप्तता और शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वारंटी प्रावधान ऐतिहासिक अग्रता क्रम के आधार पर किए जाते हैं तथा इससे संबंधित वर्किंग लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध करवाई गई थी।

यूको बैंक खाते में पीएफ अधिकारियों द्वारा वसूल की गई शेष राशि। पिछले वर्ष गलत बैंक बैलेंस दिखाया गया था और यह तथ्य कि 07.03.2024 को पीएफ संगठन द्वारा 20 लाख रुपये की राशि वसूल की गई थी, पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। 20 लाख रुपये की इस राशि को 24.32 लाख रुपये के प्रावधान में समायोजित किया गया। इस बीच, आगे की वसूली पर रोक लगा दी गयी है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयता को घटाकर 24 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसका विवरण पुस्तकों में पहले ही दिया जा चुका है और 48.69 लाख रुपये की राशि आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गयी है। इकाई/विभाग को 73 लाख रुपये की पूरी विवादित राशि आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट करनी थी और 20 लाख रुपये की राशि पुस्तकों में वसूली योग्य दिखाई जानी चाहिए थी। उपरोक्त पर पूर्ण स्पष्टता के अभाव में, हम आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण और पुस्तकों में उक्त देयता के विरुद्ध बनाए गए प्रावधान की सत्यता का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।	इसे नोट कर लिया है, वर्ष 2025-26 में इसकी समीक्षा की जाएगी।
पिछले वर्ष की मदें • अन्य खातों में ₹10 लाख का ब्याज नोट-26 - अन्य पर ब्याज में ग्रेच्युटी पर ब्याज के रूप में ₹10 लाख का भुगतान शामिल है। ग्रेच्युटी पर उक्त ब्याज कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर दिया गया था। उक्त भुगतान वित्तीय वर्ष 2019 में किया गया था। यह व्यय पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित है और इसे वित्तीय विवरणों में पिछले वर्ष के व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था।	वास्तविक संव्यवहार व्यवहार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए थे तथा इनका लेखांकन किया गया था।

• **अन्य पर ब्याज के अंतर्गत ₹15.11 लाख दर्शाया गया** हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 9 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए "अन्य पर ब्याज" के अंतर्गत मार्जिन मनी पर देय ₹15.11 लाख की राशि को गलत तरीके से डेबिट किया है। यह राशि प्राप्य आय दर्शाती है और इसे पिछले वर्षों में "ब्याज आय - मार्जिन मनी" के अंतर्गत मान्यता दी जानी चाहिए था। तदनुसार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अन्य ब्याज व्यय को उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, जिसके लिए पूर्व वर्ष के समायोजन/ब्याज आय के अनुरूप समायोजन किया जाएगा, जो सही आंकड़ों पर आधारित होगा।	वर्गीकरण की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की जाएगी।
एचएमटी स्पोर्ट्स क्लब को 10 लाख रुपये बकाया। अन्य चालू देयता नोट संख्या 18 के अंतर्गत एचएमटी स्पोर्ट्स क्लब को 10 लाख रुपये की राशि बकाया दिखाई गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 से बकाया है। हमें इस राशि के निपटान के संबंध में पक्षों के बीच हुए समझौते के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। साथ ही, हमें यह भी नहीं बताया गया कि यह राशि वापसी योग्य है या नहीं, साथ ही भुगतान की शर्तों, राशि और उस पर देय ब्याज (यदि कोई हो) का विवरण भी नहीं दिया गया। व्यवस्था से संबंधित विवरण के अभाव में, हम वित्तीय स्थिति पर इस राशि के प्रभाव और इसके प्रकटीकरण पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते है।	स्पोर्ट्स क्लब से यह राशि प्राप्त हो गई है तथा इसकी प्रस्तुति देयता के रूप में की गई है। ब्याज के प्रति स्पोर्ट्स क्लब का कोई दावा नहीं है। इसकी समीक्षा वर्ष 2025-26 के दौरान की जाएगी।
अस्पताल व्यय और आय हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 21, नोट संख्या 24 और नोट संख्या 27 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। अस्पताल का उपयोग इकाई/विभाग के कर्मचारियों, मूल कंपनी, अन्य संगठनों और आम जनता द्वारा किया जा रहा है।	कर्मचारियों से संबंधित व्यय का यथोचित लेखांकन कल्याण व्यय के रूप में किया गया है तथा किए गए व्यय की प्रकृति के अनुसार शेष का उचित स्वरूप में वर्गीकरण विविध व्यय के रूप में किया गया है।

प्राप्त 145.21 लाख रुपये की राशि नोट संख्या 21 के अंतर्गत विविध आय के रूप में दर्शाई गई है। अस्पताल पर व्यय की गयी कुल 140.38 लाख रुपये की राशि में से 25.87 लाख रुपये नोट संख्या 27 के अंतर्गत विविध व्यय के रूप में दर्शाया गया हैं और 114.50 लाख रुपये कर्मचारियों से संबंधित नोट संख्या 24 के अंतर्गत कल्याण व्यय के रूप में दर्शाया गया हैं। हमें यह बताने के लिए कोई गणना नहीं किया गया, दोनों आँकड़े कैसे निकाले गये। उचित गणना और विवरण के अभाव में, हम दोनों राशियों के प्रकटीकरण की सत्यता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	मांगे गए विवरण की पूर्ण प्रस्तुति लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान की गई थी।
गेल को पट्टे पर दिये गये भूमि अतिरिक्त प्रकटीकरणों के नोट 12 का संदर्भ लें, जिसमें इकाई/विभाग ने खुलासा किया है कि इकाई/विभाग ने गेल को अपनी भूमि पट्टे पर दी है। कानूनी मुद्दों के कारण किराये की आय को मान्यता नहीं दी गयी है। कानूनी मुद्दे का क्या समाधान हुआ और पट्टे के किराये का लेखा-जोखा न रखने का कारण हमें नहीं बताया गया है। इकाई/प्रभाग को सुरक्षा जमा के रूप में 140 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिसका खुलासा नोट-14 में अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों के अंतर्गत किया गया है। प्राप्त होने वाली और लेखा-जोखा न रखने वाली किराये की आय का खुलासा नहीं किया गया है। पूर्ण विवरण के अभाव में, हम लेखा-जोखा न रखने वाली किराये की आय की राशि, ली गई सुरक्षा जमा राशि पर किसी भी प्रभाव और वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयता के अंतर्गत यदि कोई खुलासा आवश्यक हो, तो उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण विधिक मामले के बारे में चर्चा करके लेखापरीक्षकों को स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
मशीन टूल्स निदेशालय — भारत सरकार ऋण पर ब्याज कंपनी ने वर्ष के दौरान भारत सरकार ऋण पर ब्याज की रू 31.09 लाख की अतिरिक्त प्रावधान कर दी है। 31.03.2025 तक देय ब्याज राशि रू 59,747.94 लाख है, किंतु कंपनी द्वारा गलत रूप से 59,779.03 लाख को लेखाबद्ध किया गया है, जिसमें रू 59,384.25 लाख को अक्रूड एवं बकाया ब्याज के अंतर्गत, तथा रू 394.78 लाख को 31.03.2006 तक देय दंडात्मक ब्याज के रूप में अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।	किए गए अधिक प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रिवर्स किए जाएंगे।

निदेशक मंडल की ओर से
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

दिनांक: 20 अगस्त 2025
स्थान: बेंगलुरु

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह राय, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार किए गए एक स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होती है। उनके द्वारा यह कार्य अपनी संशोधित अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 11 सितंबर 2025 के माध्यम से किया गया है, जो उनकी पिछली अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 11 जुलाई 2025 का स्थान लेती है।

माने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष हेतु, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(a) के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा किया। इस अनुपूरक लेखा परीक्षा को स्वाधीन रूप से बिना किसी लेखा परीक्षकों के कागज़ातों एवं वैधानिक परीक्षकों की नियंत्रित जानकारी एवं कंपनी कार्मिक एवं लेखा की परीक्षा के आधार पर किया गया है।

चूँकि अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए कुछ लेखा परीक्षा अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधन किया गया है, इसलिए मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(b) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसमें पूरक जोड़ने के लिए आगे कोई टिप्पणी नहीं है।

कृते एवं उनकी ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक

Sd/-
(वी.एम.वी. नवल किशोर)
वाणिज्य लेखा परीक्षक के मुख्य निदेशक
हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दिनांक:19 सितंबर 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) पृष्ठभूमि

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ('कंपनी') एक शेड्यूल 'बी' सीपीएसई है, जिसकी स्थापना 09.08.1999 को एचएमटी लिमिटेड - होल्डिंग कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड मशीन टूल्स के निर्माण और विपणन के व्यवसाय के साथ-साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में मशीनों की मरम्मत और नवीनीकरण में सेवाएं प्रदान करती है।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) निर्माण का आधार :

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ सभी पहलुओं का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधन नियम, जैसा कि कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू होता है।

जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

ख) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप

क) अनुमानों का उपयोग :

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने और अनुमान लगाने होते है जिनसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। तथापि, ऐसे अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित होते हैं, इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य में संपत्ति या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता पढ़ सकती है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकृति दी जाती है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की प्रस्तुति अधिग्रहण अथवा निर्माण, निवल वैटेबल करों की लागत में से तिथि के अनुसार संचित मूल्यह्रास के अनुसार की गई है। लागत में पूंजीयन की गई परिसम्पति को उपयोग के लिए तैयार किए जाने तक की प्रत्यक्ष लागत और अधिग्रहण से सम्बद्ध ऋण की संबंधित वित्तीयन लागतें शामिल हैं।

भूमि के विकास से संबंधित व्यय का पूंजीयन उस वर्ष किया जाता है जिस वर्ष व्यय किया जाता है।

तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों के बकाया शेष का वर्गीकरण अन्य गैर-चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में किया जाता है।

पीपीई की मद की लागत संपत्ति के रूप में स्वीकृति केवल तब दी जाती है, जबः

क) जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे; तथा

ख) मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप किया जा सकता हो;

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 माह की अवधि में बिक्री के धारित पीपीई की मदों का वहन लागत अथवा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर प्रकटीकरण किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब;

क) निपटान किए पर; अथवा

ख) जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होते हैं

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में तब शामिल किया जाता है जब मद की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

विशेष उपकरणः
माल अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग के लिए निर्मित और क्रय किए गए विशेष उपकरणों पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद माना जाता है और 5 वर्षों के उपयोगी जीवन पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

ग) पट्टे

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकार होती है उन पट्टों का वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टाकार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टाकार होती है, तो यह हेड लीज और सब-लीज में अलग-अलग अपने हितों के अंतगर्त आती है। उप पट्टे को मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली उपयोग के अधिकार संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टाकार के रूप में परिचालन पट्टे

क) परिचालन पट्टों से किराये की आय को सामान्यतः प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की संभावित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए इनके किराए की संरचना संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप की जाती है, ऐसी वृद्धि की स्वीकृति उस वर्ष की जाती हैं, जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं।

ख) मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भुगतान को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उनका वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

क) पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति के उपयोग का कोई अधिकार नहीं होता है और ऐसे पट्टे पर भुगतान प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, उपयोग के अधिकार आरओयू और अपनी पट्टे की व्यवस्था के लिए किसी पट्टा देयता को स्वीकृति देती है। अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करनेका अधिकार दिया जाता है,

अगर इसमें किसी पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है और कंपनी को संपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ मिलते हैं और पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है सिवाय इसके कि 12 महीने या उससे कम और कम मूल्य के पट्टों की अवधि के पट्टे, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

उपयोग अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि के साथ- साथ कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि या उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन से कम है।

कंपनी पट्टे की देनदारी को पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापन तब करती है जब भुगतान पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर नहीं किया गया है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। लीज देनदारी और आरओयू संपत्ति को तुलना पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) ऋण लागतें:

ऋण लागतों ब्याज एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं जो किसी इकाई द्वारा निधियों की प्राप्ति के वहन की जाती हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उधार लेने की लागत जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उस अवधि तक भी शामिल होती है जब तक कि वे उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

ङ) निवेशः

संव्यवहार की लागत सहित निवेश संपत्तियों का प्रारंभिक मापन किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, के अनुसार प्रस्तुति की जाती है।

कंपनी द्वारा निवेश परिसम्पतिके निर्माण घटक का मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची (ii) में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा जब उन्हें उपयोग के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है। किसी परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के अंतर की स्वीकृति अस्वीकृति की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

च) अमूर्त परिसम्पतियां

क) अमूर्त संपत्ति की प्रस्तुति संचित परिशोधन एवं अक्षमता हानि को घटाकर लागत पर की गई है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर उस तिथि से किया गया है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल के निर्धारण का आधार अप्रचलन,

मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता एवं ज्ञात प्रौद्योगिकी उन्नति) जैसे कारकों तथा परिसम्पति से भावी नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्यय पर निर्भर करती है।

ख) तकनीकी अनुभव पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

ग) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/ खरीदे गए सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति के की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है।

घ) अनुसंधान एवं विकास व्ययः

अनुसंधान चरण

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय का प्रभारण वर्ष में लाभ और हानि खाते में किया जाता है।

विकास चरणः

नई अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने गए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित विकास लागतों पर किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छ) मूल्यह्रास और परिशोधनः

संपति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा के आधार पर अधिनियम की अनुसूची खख में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोज्यता काल पर, आवर्धन अथवा संवर्धन की तिथि के संदर्भ में यथानुपात प्रदान किया जाता है। जब कभी भी संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाता है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण के बही मूल्य के रूप में 1/- रुपये का मूल्य रखा जाता है। संपति, संयंत्र एवं उपकरण 10,000/- रुपये से कम लागतकी खरीद के वर्ष में रु. 1/- के मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है।

- संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' के रूप में भी जाना जाता है) की लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और संपति, संयंत्र एवं उपकरण से अलग उपयोज्यता काल है, उसका अलग से मूल्यह्रास किया जाएगा।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों का पांच साल की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और जिन वस्तुओं की कीमत 750 रुपये से कम है, उनका अधिग्रहण / निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रास किया जाता है।

परिशोधन विधियों और अमूर्त संपत्ति के उपयोज्यता काल की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भी शामिल है।

ज) स्वामियों को वितरण के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद परिचालनः

यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री/वितरण के माध्यम से वसूलीय है तो कंपनी गैर-वर्तमान संपत्तियों का वर्गीकरण स्वामियों को बिक्री / वितरण के लिए धारित के रूप में करती है। बिक्री/ वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को यह संकेत देना चाहिए कि बिक्री/वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है अथवा बिक्री / वितरण का निर्णय

वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/वितरण के लिए प्रबंधन प्रतिबद्ध होना चाहिए।

बिक्री के लिए/स्वामियों और निपटान समूहों को वितरण के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों को उनकी अग्रणीत राशि और बेचने/वितरित करने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं

झ) सरकारी अनुदानः

सरकारी अनुदानों के लिए स्वीकृति तब दी जाती है जब अनुदान प्राप्ति और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन का औचित्यपरक आश्वासन होता है। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति की जानी है, व्यय हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोज्यता काल पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

अ) मालसूचीः

कच्चे माल, भंडार, कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। भारित औसत लागत विधि अपनाकर सामग्रियों की लागत ज्ञात की जाती है।

कार्य प्रगति की लागत, तैयार माल और मार्गस्थ माल में प्रत्यक्ष सामग्रियां, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले परिवर्तनीय एवं निश्चित ओवरहेड का उचित भाग शामिल है।

नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए अतिरेक को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाते है। तथापि, नॉन मूविंग मालसूची के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब पांच साल से अधिक समय तक उनमें संचलन नहीं होता है और वे सामान्य अथवा विशिष्ट ऑर्डर के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

ट) राजस्व स्वीकृतिः

यदि किसी ग्राहक अनुबंध की संग्रहणीयता को अनुबंध के अंतर्गत तब संभावित माना जाता है, जब अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व, भुगतान शर्तों के साथ दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी गई है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और इसलिए, ये कंपनी को मिलने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व / आय से बाहर रखा गया है।

i) माल की बिक्रीः

राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब ग्राहक को माल अयवा सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जब उसे उत्पादों का अधिकार प्राप्त होता है और उत्पाद अथवा सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को ग्रहण करता है। आम तौर पर, शीर्षक और जोखिमों का हस्तांतरण और माल के स्वामित्व का प्रतिफल अनुबंधित रूप से परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) सेवाओं का प्रतिपादनः

सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व को पूरा होने के चरण के संदर्भ में मान्यता दी जाती है। पूर्णता के चरण को अब तक की गई सेवाओं के आधार पर कुल निष्पादित सेवाओं के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।

iii) उद्यमी आयः

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के

आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए किराए की संरचना की जाती है, ऐसी वृद्धि को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष में इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं।

iv) लाभांश आय

लाभांश आय को स्वीकृति तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यतः तब होता है जब शेयरधारक लाभांश के लिए अनुमोदन देते हैं।

v) ब्याज आयः

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय लिखितों से होने वाली आय सहित ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

vi) वारंटी:

जब उत्पाद की बिक्री की जाती है अथवा ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है, तो वारंटी-संबंधित लागतों के प्रावधानों को स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक स्वीकृति ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। वारंटी-संबंधित लागतों का प्रारंभिक अनुमान वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में क्रय मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से वारंटी का प्रावधान है।

vii) विस्तारित वारंटीः

जब कंपनी विस्तारित वारंटी का विक्रय करती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से राजस्व आस्थगित हो जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में स्वीकृति प्राप्त होती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद के मूल्य में शामिल हैं और संबंधित उत्पाद के लिए बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कंपनी इन दो मदों के लिए लेखांकन करती है।

ठ) विदेशी मुद्रा अंतरण

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि की प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है। इस तरह के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है।

गैर-मौद्रिक संपत्ति और गैर-मौद्रिक देनदारियों को एक विदेशी मुद्रा का मापन ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंतरण करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ अथवा हानि उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ का निर्धारण करने में शामिल होते हैं जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह मदों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित किया जाता है. लेनदेन की तिथि पर प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अंतरण किया जाता है।

डी) निवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभः

परिभाषित लाम योजना के अंतर्गत भविष्य निधि प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के अंतर्गत छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है।

परिभाषित लाम योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके योग्य कर्मचारियों को उपदान प्रदान किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिए आवश्यक सीमा तक वार्षिक योगदान दिया जाता है,

जिसके अंतर्गत कवरेज प्रति पात्र कर्मचारी 50,000/- रुपये तक सीमित है। उपदान के भुगतान की अतिरिक्त देनदारी की पूर्ति के लिए शेष प्रावधान बहियों में किए जाते हैं।

एक परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके पात्र कर्मचारियों को सैटलमेंट भत्ता (एसए) प्रदान किया जाता है।

कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना अर्थात उपदान और एसए के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में स्वीकृति देती है। निवल परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ और हानि अन्य व्यापक आय में मान्य हैं। इंड एएस के अनुसार, अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ और हानियों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है। जो कि इंड एएस अनुपालन अनुसूची खखख के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी घारित आय के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) पर पुनः मापित लाभ और हानियों की स्वीकृति देती है।

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में उपदान दावों के कारण एलआईसी से प्रति व्यक्ति प्राप्त/प्राप्ति योग्य 50,000/- रुपए की राशि को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में, 50,000/- रुपए से अधिक का भुगतान किया गया उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए संबंधित प्रावधान खाते में नाम से किया जाता है। उपदान, ईएलई और एसए के लिए किए गए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पुनर्लेखन किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान, ईएलई, एसए और एकमुश्त मुआवजे को चुकता किए जाने के वर्ष में पूरी तरह से बट्टा किया जाता है।

बीआरएस के अंतर्गत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए ब्राड़ों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ण) अय करः

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति अथवा देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि की प्रस्तुति में वर्तमान और आस्थगित कर को स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में भी स्वीकृति प्राप्त है।

i) चालू कर :

चालू आयकर संपत्ति और देनदारियों का मापन कराधान अधिकारियों से वसूल अथवा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित हैं।

ii) अष्टगित करः

आस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देनदारियों के कर आधारों और उनकी

अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है।

त) प्रयोजनः

किसी प्रावधान को स्वीकृति तब दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है, जिसमें यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने से आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और उससे दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेंगे। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के प्रभाव से प्रावधान में हुई वृद्धि को लाभ और हानि में विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने की पुष्टि करता है अथवा किसी गैर स्वीकृति प्राप्त वर्तमान दायित्व की क्योंकि उसमें दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की पुष्टि नहीं होती है। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देवता को स्वीकृति नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है।

थ) अक्षमता हानिः

i) वित्तीय परिसम्पत्तियांः

कंपनी द्वारा तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय परिसम्पतियों का समूह क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं है। इंड एएस 109 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का हानि भत्ता के माध्यम से मापन आवश्यक है। कंपनी उन सभी व्यापार प्राप्तियों के उपयोज्यता काल की अपेक्षित हानि को संज्ञान में लेती है जो वित्तीय संव्यवहार नहीं हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से काफी बढ़ गया है तो अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों के लिए, अनुमानित क्रेडिट हानियों को 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि अथवा उपयोज्यता काल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियांः

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, अथवा जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति अथवा नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन

और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों कोदर्शाता है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मांडल का उपयोग किया जाता है।

हानि नुकसान लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है। हानि के बाद, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

द) वित्तीय प्रपत्रः

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के संविदाकारी प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है तथा प्रारंभ में इनका मापन संव्यवहार लागतों का समायोजन करके उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। संव्यवहार लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य से जोड़ा अथवा घटाया जाता है।

i) नकदी और नकदी समतुल्य

कंपनी प्रत्येक अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्रों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद समतुल्य हैं। नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा वह शेष राशि शामिल होती है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

ii) वित्तीय परिसम्पत्ति पर शोधित लागत

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित होती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों का धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए उन निर्दिष्ट तिथियों की प्रस्तुति करती हैं जब पूरी तरह से हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हो सकेगा।

iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तिः

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतिः वित्तीय परिसम्पति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

पर तब मापा जाता है जब ये वित्तीय परिसम्पति एक व्यवसाय के भीतर धारित होती हैं तथा जिनका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसम्पति बेचने और अनुबंध की शर्तों दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसम्पति का प्रतिशत नकद प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होता है जब केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में अनुवर्तीं परिवर्तनों की प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ हानि के माध्यम से मूल्य पर वित्तीय लाभ

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं मापा गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार

लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत स्वीकृति दी जाती है।

v) वित्तीय देयताएं:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके बाद में वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

vi) वित्तीय साधनों की स्वीकृति समाप्त करना:

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण इंडस्ट्रीज़ एएस 109 के तहत अमान्यता के लिए योग्य हो जाता है, तो कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को पहचान नहीं देती है। किसी भी वित्तीय संपत्ति को उसकी संपूर्णता में मान्यता न देने पर, कैरिंग राशि (गैर-मान्यता की तारीख पर) और प्राप्त किसी भी प्रतिफल (किसी भी नई संपत्ति और नई देवता के बीच अंतर सहित) के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक हिस्सा) को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है।

vii) वित्तीय सलाहकार का मूल्य:

अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित तारतम्यता और स्वीकृतियों का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

मूल्य तारतम्यता:

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर ।- समान संपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय

  बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2- मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है
- स्तर 3- मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है,

  आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) संपूर्ण) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में।

iii) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, पूर्वानुमान एवं धारणाएं:

कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, पूर्वानुमान तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की सूचित मात्रा और साथ-साथ प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। इन धारणाओं और अनुमानों की अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन करने पड़ते हैं।

1) निर्णयः

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

क) परिचालन पट्टा - पट्टाकार के रूप में कंपनी:

कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो पर वाणिज्यिक संपत्ति किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का एक बड़ा भाग नहीं है, कि इनसे स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों का धारण होता हो तथा ये अनुबंध परिचालन पट्टे हो सकते हों।

ii) पूर्वानुमान एवं धारणाएँ

वे प्रमुख धारणाएं जिनसे भविष्य में एवं रिपोर्टिंग तिथि को पूर्वानुमानों के प्रमुख स्रोतों के प्रति अनिश्चितता हो सकती है तथा जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में संपत्ति और देनदारियों की बहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन किए जाने एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास की धारणाएं तथापि, बाजार में परिवर्तन अथवा परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर ये पूर्वानुमानों में परिलक्षित होते हैं।

क) आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति कटौतियोग्य अस्थाई के लिए उस विस्तार तक की जाती है जिनमें कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं के प्रति उपयोग के लिए भावी करयोग्य लाभ प्राप्त होने संभावित हों। कंपनी आस्थगित कर संपत्ति की स्वीकृति नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अप्रयुक्त कर हानियां हुई है और इनसे भविष्य के कर योग्य लाभ के लिए विश्वास योग्य लाभ की कोई निश्चितता नहीं है।

ख) परिभाषित लाभ देयः

परिभाषित लाभ उपदान योजना, भविष्य निधि और सैटलमेंट भत्ते की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर; भविष्य वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन और इसकी लंबी अवधि में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

अधिकांश मापदंड छूट दर में परिवर्तन की शर्त पर हैं। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन द्वारा सरकारी बांडों की ब्याज दरों को विचार में लिया जाता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित होती है।

ग अन्य कार्मिक कर्मचारी लाभः

अर्जित अवकाश नकदीकरण जैसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने की उम्मीद के रूप में संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत

का मापन। गैर-संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियों पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थितियां होती हैं। सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मूल्यांकन और दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

दीर्घावधि के कर्मचारी लाभों का मापन परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के अनुसार अनिश्चितता की डिग्री के अनुसार नहीं है। इस कारण से, अन्य व्यापक आय में पुनः मापन की स्वीकृति नहीं की जाती है।

घ) वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मापनः

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य का मापन एनएवी / एनआरवी मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, सुस्पष्ट बाजारों से प्राप्त की जाती है, लेकिन जहां यह संभव नहीं होता, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्धारण करने पड़ते हैं। ऐसे निर्धारणों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, मूल्यों में अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से धारणाओं के परिवर्तन वित्तीय प्रपत्रों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

रुपये लाख में

विवरण	नोट्स	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
परिसंपत्तियाँ			
क. गैर-चालू संपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3ए	2,435.04	2,679.46
(ख) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	3ए	209.70	331.29
(ग) निवेश संपत्ति	3बी	27.17	27.60
(घ) बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियां	3सी	-	-
(ई) वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-
(i) नविश	4	-	-
(ii) अन्य वत्तिीय परसिंपत्तयिां	9	264.50	301.51
(च) पारगमन में मशीनरी और उपकरण	3डी	-	-
(छ) अन्य परिसंपत्तियां	10	306.07	312.44
		3,242.48	**3,652.30**
ख. वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) इन्वेंटरी	5	8,379.49	10,408.16
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-
(क) व्यापार प्राप्य	6	9,523.29	11,065.81
(ख) नकदी और नकदी समकक्ष	7ए	203.97	1,177.66
(ग) नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा बैंक शेष	7बी	1,954.98	2,067.02
(घ) ऋण	8	-	-
(ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	0.40	0.21
(ग) अन्य परिसंपत्तियां	10	3,081.24	2,967.37
(घ) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10ए	-	-
		23,143.37	**27,686.23**
कुल परिसंपत्तियां		**26,385.85**	**31,338.53**
कुल परिसंपत्तियां			
क. इक्विटी			
(क) शेयर पूंजी	11	27,659.91	27,659.91
(ख) अन्य इक्विटी	12	(2,41,288.44)	(2,24,862.58)

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

रुपये लाख में

विवरण	नोट्स	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कुल इक्विटी		**(2,13,628.53)**	**(1,97,202.67)**
ख. गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	13	-	-
(ii) गैर-वर्तमान वित्तीय देयता	14	-	-
(ख) प्रावधान		-	-
(i) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	15	3,299.38	3,300.65
(ग) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	14अ	1,898.93	1,921.21
		5,198.33	**5,221.86**
ग. वर्तमान देयताएं			
(क) वत्तितीय देयताएं			
(i) उधार	13	73,355.70	69,348.16
(ii) व्यापार देयताएं	16	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि		684.94	370.67
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य को देय राशि		5,776.14	7,006.40
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	1,08,956.10	1,02,766.91
(ख) अन्य चालू देयताएं	18	44,127.30	41,457.18
(ग) प्रावधान		-	-
(i) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	15	1,810.84	2,287.88
(ii) अन्य	19	105.03	82.14
		2,34,816.05	**2,23,319.34**
कुल देयताएँ		**2,40,014.36**	**2,28,541.20**
कुल शेयर और देनदारियां		**26,385.85**	**31,338.53**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

(राजेश कोहली) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन 10333951	(राजेश कुमार) निदेशक डीआईएन 09403746	राजगोपाल और बद्री नारायण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटस एफआरएन : 003024एस
(वाय रमादेवी) (संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त))	(ओम प्रकाश सिंह) कंपनी सचिव	(एम एस राजगोगाल) भागीदार एम.नं.020244

स्थान : बेंगलुरु.
दिनांक :11.07.2025
यूडीआईएन:-25020244BMIVCI5031

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

रुपये लाख में

विवरण	नोट्स	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
सतत संचालन			
माल की बिक्री		10,461.50	9,502.21
सेवाएं प्रदान करना		615.77	467.78
संचालन से राजस्व	20	**11,077.27**	**9,969.99**
अन्य आय	21	4,617.78	3,161.85
कुल आय		**15,695.05**	**13,131.84**
व्यय			
उपभोग किये गये कच्चे माल की लागत	22	4,999.48	5,483.80
तैयार माल, व्यापार में स्टॉक और कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन	23	1,675.75	113.67
कर्मचारी लाभ व्यय	24	5,355.75	6,575.75
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	586.41	604.26
वित्त लागत	26	9,160.04	8,349.80
अन्य व्यय	27	10,202.31	7,827.62
कम: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य	28	185.41	298.91
कुल व्यय		**31,794.35**	**28,656.01**
असाधारण मदों और निरंतर परिचालन से कर से पहले लाभ/(हानि)		**(16,099.30)**	**(15,524.17)**
असाधारण वस्तुएं		-	-
कर से पहले लाभ/(हानि) और चालू परिचालन से कर		**(16,099.30)**	**(15,524.17)**
(क) वर्तमान कर		-	-
(ख) आस्थगित कर		-	-
		-	-
चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**(16,099.30)**	**(15,524.17)**
अन्य व्यापक आय को आगामी अवधियों में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनः मापन		(326.58)	(6.82)
शुद्ध अन्य व्यापक आय को आगामी अवधियों में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		**(326.58)**	**(6.82)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, कर के बाद शुद्ध		**(326.58)**	**(6.82)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, कर के बाद शुद्ध		**(16,425.88)**	**(15,530.98)**

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

रुपये लाख में

विवरण	नोट्स	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
जारी कार्यकलापों के लिए प्रति शेयर आय			
i) जारी कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ		**(5.82)**	(5.61)
ii) जारी कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय कम किया गया (या तनुभूत) लाभ		**(5.82)**	(5.61)
बंद किए गए कार्यकलापों के लिए प्रति शेयर आय			
i) बंद किए गए कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ		**-**	-
ii) बंद किए गए कार्यकलापों से इक्विटी धारकों को देय कम किया गया (या तनुभूत) लाभ		**-**	-
जारी और बंद किए गए कार्यकलापों से प्रति शेयर आय			
i) वर्ष के लिए इक्विटी धारकों को देय मूल लाभ		**(5.82)**	(5.61)
ii) वर्ष के लिए इक्विटी धारकों को देय कम किया गया (या तनुभूत) लाभ		**(5.82)**	(5.61)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

(राजेश कुमार)
निदेशक
डीआईएन 09403746

राजगोपाल और बद्री नारायण के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
एफआरएन : 003024एस

(वाय रमादेवी)
(संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त))

(ओम प्रकाश सिंह)
कंपनी सचिव

(एम एस राजगोगाल)
भागीदार
एम.नं.020244

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक :11.07.2025
यूडीआईएन:-25020244BMIVCI5031

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

रुपये लाख में

विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
परिचालन गतिविधियाँ		
परिचालन जारी रखने से कर पूर्व लाभ/(हानि)।	(16,099.30)	(15,524.17)
बंद परिचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)।	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(16,099.30)**	**(15,524.17)**
कर-पूर्व लाभ को शुद्ध नकदी प्रवाह से समायोजित करने के लिए समायोजन:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास और क्षति	586.41	603.83
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ	(17.30)	(23.09)
वित्त आय	(124.55)	(129.65)
वित्त लागत	9,160.04	8,349.80
कार्यशील पूंजी समायोजन:		
प्रावधानों में आंदोलन	(782.00)	(475.20)
व्यापार एवं अन्य प्राप्य एवं पूर्व भुगतानों में (वृद्धि)/कमी	1,471.84	5,016.93
इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	2,028.67	12.07
व्यापार एवं अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1,754.13	1,780.36
	(2,022.05)	**(389.13)**
आयकर का भुगतान/वापसी		
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(2,022.05)**	**(389.13)**
गतिविधियों की जांच		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त आय	17.30	23.09
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(219.97)	(397.94)
प्राप्त ब्याज	124.55	129.65
सहायता अनुदान की प्राप्ति/(आवेदन)	(22.28)	(20.35)
बैंक में जमा	112.05	(322.19)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह	**11.64**	**(587.74)**
वित्तपोषण गतिविधियाँ		
ब्याज भुगतान	(2,970.85)	(2,191.70)
उधार से प्राप्त आय/(चुकौती)	**4,007.55**	2,734.13
वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह	**1,036.70**	**542.43**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (कमी)।	(973.71)	(434.44)
निवल विदेशी मुद्रा अंतर		
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	1,177.66	1,611.67
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**203.97**	**1,177.66**

नोट: 1) उपरोक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

(राजेश कुमार)
निदेशक
डीआईएन 09403746

राजगोपाल और बद्री नारायण के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
एफआरएन : 003024एस

(वाय रमादेवी)
(संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त))

(ओम प्रकाश सिंह)
कंपनी सचिव

(एम एस राजगोगाल)
भागीदार
एम.नं.020244
यूडीआईएन:-25020244BMIVCI5031

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक :11.07.2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

3क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	भूमि एवं भूमि विकास	इमारतें	कारखाना भवन	सामान्य भवन	संयंत्र और मशीनरी	फर्नीचर, फिटिंग और कार्यालय उपकरण	वातानुकूलन और वेंटिलेशन	कंप्यूटर और डेटा प्रक्रिया	विद्युत प्रतिष्ठान	मापने के उपकरण	फैक्टरी उपकरण	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	वाहन	विशेष उपकरण	आंतरिक विभाजन	सड़क की दीवार और बाड़ लगाना	कुल
सकल वहन मूल्य																	
1 अप्रैल 2023 तक	101.36	1,446.72	479.84	241.34	21,706.76	519.45	488.59	1,286.20	878.14	708.82	2,900.25	174.32	24.31	1,680.43	8.63	40.74	32,685.90
परिवर्धन	-	-	-	-	65.00	-	-	4.48	29.55	-	-	-	-	298.91	-	-	397.94
निपटान	-	-	-	-	-2.92	-0.06	-5.00	-	-	-	-9.76	-	-	-	-	-	-17.74
31 मार्च 2024 तक	**101.36**	**1,446.72**	**479.84**	**241.34**	**21,768.84**	**519.39**	**483.59**	**1,290.68**	**907.69**	**708.82**	**2,890.49**	**174.32**	**24.31**	**1,979.34**	**8.63**	**40.74**	**33,066.10**
संचित मूल्यह्रास																	
1 अप्रैल 2023 तक	-	1,356.86	449.07	225.88	19,495.58	506.54	482.74	1,263.26	875.39	686.50	2,865.87	165.52	24.31	1,353.65	8.63	40.74	29,800.55
अवधि के लिए	-	4.64	3.77	1.16	398.56	2.19	0.35	14.16	1.14	0.35	3.53	2.02	-	171.96	-	-	603.83
मूल्यह्रास प्रभार कटौती/समायोजन	-	-	-	-	-2.92	-0.06	-5.00	-	-	-	-9.76	-	-	-	-	-	-17.74
31 मार्च 2024 तक	**-**	**1,361.50**	**452.84**	**227.04**	**19,891.22**	**508.67**	**478.09**		**876.53**	**686.85**	**2,859.64**	**167.54**	**24.31**	**1,525.61**	**8.63**	**40.74**	**30,386.64**
सकल वहन मूल्य																	
1 अप्रैल 2024 तक	**101.36**	**85.22**	**27.00**	**14.30**	**1,877.62**	**10.72**	**5.50**	**13.26**	**31.16**	**21.97**	**30.85**	**6.78**	**-**	**453.73**	**-**	**-**	**2,679.46**
संचित मूल्यह्रास																	
1 अप्रैल 2024 तक	101.36	1,446.72	479.84	241.34	21,768.84	519.39	483.59	1,290.68	907.69	708.82	2,890.49	174.32	24.31	1,979.34	8.63	40.74	33,066.10
परिवर्धन	-	-	20.34	-	110.00	1.28	18.52	-	-	-	6.01	-	-	185.41	-	-	341.56
निपटान	-	-	-	-	-	0.34	-	-	-	-	-4.84	-	-5.36	-	-	-	-9.86
31 मार्च 2025 तक	**101.36**	**1,446.72**	**500.18**	**241.34**	**21,878.84**	**521.01**	**502.11**	**1,290.68**	**907.69**	**708.82**	**2,891.67**	**174.32**	**18.95**	**2,164.75**	**8.63**	**40.74**	**33,397.80**
संचित मूल्यह्रास																	
1 अप्रैल 2024 तक	-	1,361.50	452.84	227.04	19,891.22	508.67	478.09	1,277.42	876.53	686.85	2,859.64	167.54	24.31	1,525.61	8.63	40.74	30,386.63
अवधि के लिए	-	6.12	3.43	1.16	376.40	2.12	1.48	9.21	2.10	0.35	3.51	0.93	-	179.17	-	-	585.98
मूल्यह्रास प्रभार कटौती/समायोजन		-	-	-	-	0.34	-	-	-	-	-4.84	-	-5.36	-	-	-	-9.86
31 मार्च 2025 तक	**-**	**1,367.62**	**456.27**	**228.20**	**20,267.62**	**511.13**	**479.57**	**1,286.63**	**878.63**	**687.20**	**2,858.31**	**168.47**	**18.95**	**1,704.78**	**8.63**	**40.74**	**30,962.75**
शुद्ध वहन मूल्य																	
31 मार्च 2025 तक	**101.36**	**79.10**	**43.91**	**13.14**	**1,611.22**	**9.88**	**22.54**	**4.05**	**29.06**	**21.62**	**33.36**	**5.85**	**-0.00**	**459.96**	**-**	**-**	**2,435.04**

		31.03.2025	31.03.2024
3क पूंजीगत कार्य प्रगति पर			
1 अप्रैल 2024 तक		**331.29**	**331.29**
परिवर्धन		-	-
निपटान/समायोजित		(121.59)	-
31 मार्च 2025 तक		**209.70**	331.29

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

चालू वित्त वर्ष के अंत तक आयुवार विवरण:

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	-	-	-	209.70	209.70
	-	-	-	**209.70**	**209.70**

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक आयुवार विवरण:

ववरिण	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
नए हैंगर का निर्माण	-	-	-	11.59	11.59
प्रगति पर परियोजनाएं	-	-	110.00	209.70	319.70
	-	-	**110.00**	**221.29**	**331.29**

(चालू वित्तीय वर्ष के अंत में सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम का विवरण:) पूंजीगत कार्य-प्रगति के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है

सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3वर्ष	3 वर्ष से अधिक
एचएमटी सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, एचएमटी-1000	170.00			
एचएमटी सीएनसी लेथ स्टैलियन 200 यूएल	38.98			
रेक्सरोथ मेक एक्सटर्नल गियर पंप	0.72			
	209.70	-	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

क कंपनी मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित व्यवस्था योजना के पैरा 10 (जे) और अनुलग्नक 12 के अनुरूप 01.04.2000 तक 202.10 करोड़ रुपये के सकल मूल्य पर अचल संपत्तियां होल्डिंग कंपनी से सहायक कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई हैं। मूल्यह्रास हेतु 151.46 करोड़ रुपये आरक्षित तथा 50.64 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य है।

ख अचल संपत्तियों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यवस्था योजना के अंतर्गत निहित अचल संपत्तियां शामिल हैं। हालाँकि, उस प्रभाव के लिए राजस्व अभिलेखों में शीर्षक विलेखों का उत्परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है। लीज होल्ड भूमि के संबंध में नए लीज विलेख निष्पादित किए जाने के लिए लंबित हैं।

ग कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के अनुसार, कंपनी ने अनुसूची II में निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी जीवन लागू किया है। तदनुसार, असंशोधित वहन मूल्य को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास/परिशोधित किया जा रहा है। अचल संपत्तियों का लिखित मूल्य, जिनकी अवधि 1 अप्रैल 2014 को समाप्त हो गई है, को वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लाभ और हानि विवरण के आरंभिक शेष में कर के बाद समायोजित किया गया है, जिसकी राशि 321.73 लाख रुपये है।

घ भूमि:

क राजस्थान सरकार द्वारा दरों को अंतिम रूप दिए जाने तक, मशीन टूल्स यूनिट अजमेर में औद्योगिक उपयोग के लिए राजस्व भूमि के रूपांतरण के लिए देय रूपांतरण शुल्क, यदि कोई हो, का प्रावधान खातों में नहीं किया गया है क्योंकि मामला विचाराधीन है और लीज डीड का निष्पादन लंबित है। खसरा संख्या: 6767 (2.17 बीघा / 0.87 एकड़ भूमि) 1976 से एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, अजमेर के नाम पर हस्तांतरित नहीं हुई है। सरकार द्वारा इस भूमि का खाली कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि भूमि के लिए मुआवजा भूमि मालिक को दिया गया है, लेकिन इस भूमि पर स्थित निर्मित पक्के/खाचे घरों के लिए मुआवजे का भुगतान तब तक नहीं किया गया है जब तक कि सरकार द्वारा समझौते के अनुसार मुआवजे की राशि को अंतिम रूप नहीं दिया जाता।

ख `कंपनी के पास बेंगलुरु, कलामस्सेरी और हैदराबाद में उपहार भूमि है, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 177.75 एकड़, 166 एकड़ और 227.30 एकड़ भूमि उपहार में दी गई है, जिनका नाममात्र मूल्य 1 रुपये प्रति है।

ग `प्रागा टूल्स डिवीजन के पास आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई 195 एकड़ और 33 गुंटा जमीन का कब्जा है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की फाइल पर रिट याचिका संख्या 20012/2003 दायर की है जिसमें कंपनी ने कंपनी को सौंपने के लिए 195.33 एकड़ जमीन चिह्नित करने के निर्देश मांगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर रंगा रेड्डी जिले के सर्वेक्षण और बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह सामने आया है कि लगभग 39 एकड़ जमीन कंपनी के वास्तविक कब्जे में नहीं है, लेकिन कंपनी ने डिक्री धारकों को पूरी 195.33 एकड़ जमीन का भुगतान कर दिया है। उपरोक्त भूमि में से 6000 वर्ग मीटर 33 केवी स्विचिंग स्टेशन और 33/11 केवी विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए एपीएसईबी को 1.50 लाख रुपये की भूमि आवंटित की गई है। एपीएसईबी द्वारा देय मुआवजा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। जीएचएमसी ने नोटिस संख्या 41/86/आरडब्ल्यू/टीपीएस/जीएचएमसी//एससी/2007 दिनांक 01.12.2007 के माध्यम से एक नोटिस जारी किया जिसमें उनके द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यक्रम के लिए कावड़ीगुडा, सिकंदराबाद में उपलब्ध 3000 वर्ग गज भूमि में से 238.86 वर्ग गज भूमि बिना किसी मुआवजे के लेने का अनुरोध किया गया। कंपनी ने इसका विरोध किया और सड़क चौड़ीकरण कार्यक्रम के लिए उनके द्वारा ली जाने वाली प्रस्तावित भूमि के लिए प्रचलित बाजार दर पर मुआवजे की मांग की जो लंबित है।

पीएफ बकाया का भुगतान न होने पर ईपीएफओ द्वारा कवडिगुडा, हैदराबाद में स्थित 0.57 एकड़ भूमि को संलग्न (अटैच) किया गया।

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले नोट्स

3ख. निवेश संपत्ति

(रुपये लाख में)

विवरण	भूमि	इमारतें	कुल
लागत या मूल्यांकन			
31 मार्च 2024 को	7.36	26.17	33.53
अतिरिक्त	-	-	-
निपटान के लिए रखी गई संपत्तियां	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2025 को	7.36	26.17	33.53
मूल्यह्रास और क्षति			
31 मार्च 2024 को	-	5.93	5.93
अवधि के लिए मूल्यह्रास शुल्क	-	0.43	0.43
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-
कटौती/समायोजन	-	-	-
निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	-	-	-
31 मार्च 2025 को	-	6.36	6.36
शुद्ध बही मूल्य			
31 मार्च 2025 को	7.36	19.81	27.17
31 मार्च 2024 को	7.36	20.24	27.60

अतिरिक्त जानकारी

i) कंपनी ने कुछ भूमि और भवन को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है, जो मालिकाना हक वाली संपत्ति नहीं है

ii) कंपनी ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से निवेश संपत्ति का कोई उचित मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 53,163.63 लाख रुपये है (पिछले वर्ष भी 53,163.63 लाख रुपये)

iii) कंपनी के पास कलामस्सेरी और हैदराबाद में स्थित उपहार भूमि है, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपहार में दी गई है, जो क्रमशः 182.83 एकड़ और 28.42 एकड़ है, जिसका नाममात्र मूल्य 1 रुपये प्रति एकड़ है।

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के बारे में जानकारी

(रुपये लाख में)

विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
निवेश संपत्तियों से प्राप्त किराये की आय	8.02	7.57
किराये की आय उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	0.00	0.00
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) जो किराये की आय उत्पन्न नहीं करते हैं	0.00	0.00
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	8.02	7.57
घटाएँ - मूल्यह्रास	0.43	0.43
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	7.59	7.14

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले नोट्स

3ग.बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू संपत्तियाँ		
		(रुपये लाख में)
विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
संयंत्र और मशीनरी	0.00	0.00
फ़ैक्ट्री उपकरण	-	-
	0.00	0.00

3 घ विकसाधीन अमूर्त संपत्तिया

		रुपये लाख में
विवरण	31.03.2025	31.03.2024
विकसाधीन अमूर्त संपत्तिया	123.38	-
कम : सरकारी अनुदान समायोजित	123.38	-

(रुपये लाख में)

	31-मार्च-25	**31-मार्च-24**
4. इन्वेंटरी		
कच्चा माल और घटक	2,583.45	2,618.34
पारगमन में सामग्री और घटक	26.76	9.37
कार्य-प्रगति	3,968.48	4,470.98
तैयार माल #	1,557.13	2,975.95
दूसरी जगह ले जाया जाता सामान	253.94	0.00
स्टोर और स्पेयर्स	1,264.17	1,427.92
उपकरण और यंत्र	247.86	247.76
स्क्रैप	56.00	64.36
	9,957.79	**11,814.69**
कम: गैर-चलती इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	1,578.30	1,406.53
	8,379.49	**10,408.16**
5. व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	0.00	0.00
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	9,523.29	11,065.81
संदिग्ध	10,150.88	9,491.01
	19,674.17	**20,556.82**
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	10,150.88	9,491.01
	9,523.29	**11,065.81**

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले नोट्स

6क व्यापार प्राप्य चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक आयुवार ब्यौरा।

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्विवाद-अच्छा माना जाता है	3,019.98	477.59	1,120.76	1,155.51	3,749.45	9,523.29
निर्विवाद - संदिग्ध माना गया	24.09	10.31	5.99	137.24	9,973.25	10,150.88
विवादित- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	0.00	0.00
विवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	0.00	0.00
	3,044.07	**487.90**	**1,126.74**	**1,292.75**	**13,722.70**	**19,674.17**

6ख व्यापार प्राप्य चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक आयुवार ब्यौरा।

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्विवाद-अच्छा माना जाता है	3,211.29	661.52	3,008.06	1,084.51	3,100.44	11,065.81
निर्विवाद - संदिग्ध माना गया	-	1.26	34.15	144.96	9,310.64	9,491.01
विवादित- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	0.00	0.00
विवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	0.00	0.00
	3,211.29	**662.77**	**3,042.21**	**1,229.47**	**12,411.07**	**20,556.82**

7. नकद और नकद समतुल्य

क. नकद और नकद समतुल्य		
बैंकों के पास शेष:		
– चालू खातों पर	201.47	1,175.27
– हाथ में नकद और चेक	2.50	2.39
ख. अन्य बैंक शेष		
– चालू खाते (सर्ज)	9.43	22.67
– एस्क्रो खाते	49.92	49.92
"– तीन महीने से अधिक लेकिन बारह महीने से कम की परिपक्वता वाली जमाराशि"	1,895.63	1,994.43
	2,158.95	**3,244.69**

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपये लाख में)

	31-मार्च-25	31-मार्च-24
8. ऋण		
9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
वर्तमान		
अर्जित और देय ब्याज	0.40	0.21
गैर-चालू		
अनुसूचित बैंकों के साथ जमा खाते में - मार्जिन मनी	264.16	301.17
बैंकों के साथ बारह महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियाँ	0.34	0.34
कुल	**264.90**	**301.71**
10. अन्य परिसंपत्तियाँ		
क. अन्य परिसंपत्तियाँ गैर-वर्तमान		
पूंजीगत अग्रिम	1.97	1.97
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(1.97)	(1.97)
	-	-
सुरक्षा जमा	306.07	312.44
	306.07	**312.44**
वर्तमान		
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि		
एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड.	649.69	3.57
	649.69	**3.57**
पुंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अच्छा माना जाता है	2,245.59	2,784.59
संदिग्ध माना गया	786.22	762.72
	3,031.81	**3,547.31**
कम: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	786.22	762.72
	2,245.59	**2,784.59**
करों और अन्य कर प्राप्तियों को रोकना*	171.79	164.27
सुरक्षा जमा	14.17	14.94
	185.96	**179.21**
कुल अन्य परिसंपत्तियां	**3,081.24**	**2,967.37**

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

11. शेयर पूंजी

अधिकृत शेयर पूंजी **(रुपये लाख में)**

	10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर	
	संख्या	राशि
31 मार्च 2025 को	35,50,00,000	35,500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)		
31 मार्च 2025 को	**35,50,00,000**	**35,500.00**

जारी पूँजी

	10/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर जारी और पूर्णतः भुगतान किये गये	
	संख्या	राशि
31 मार्च 20234को	27,65,99,137	27,659.91
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)		
31 मार्च 2025 को	**27,65,99,137**	**27,659.91**

क. कंपनी के पास 44500 लाख रुपये की अधिकृत वरीयता शेयर पूंजी है, जिसमें 100 रुपये प्रति शेयर के 44500000 शेयर हैं।

ख. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित करती है और उसका भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले का विवरण				
	31 मार्च 2025 तक		**31 मार्च 2024तक**	
शेयरधारक का नाम	**शेयरों की संख्या**	**% धारण**	**शेयरों की संख्या**	**% धारण**
10 रुपये प्रति पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर				
एचएमटी लिमिटेड	27,65,99,137	100%	27,65,99,137	100%

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

12.अन्य इक्विटी

विवरण	अन्य इक्विटी				
	रिजर्व एवं अतिरेक		अन्य व्यापक आय		
	पूंजी रिजर्व	धारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी
1 अप्रैल 2024 तक शेष	2,270.82	(2,21,915.25)	-	(5,218.16)	(2,24,862.58)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्ववधि चूक					-
1 अप्रैल 2024 तक पुनः घोषित शेष राशि	**2,270.82**	**(2,21,915.25)**	**-**	**(5,218.16)**	**(2,24,862.58)**
निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्तियां का पुनर्मूल्यांकन, कर प्रभाव का निवल	-	-	-	(326.58)	(326.58)
अवधि के दौरान लाभ		(16,099.30)			(16,099.30)
31 मार्च 2025 को	**2,270.82**	**(2,38,014.55)**	**-**	**(5,544.74)**	**(2,41,288.46)**

विवरण	अन्य इक्विटी				
	रिजर्व एवं अतिरेक		अन्य व्यापक आय		
	पूंजी रिजर्व	धारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी
1 अप्रैल 2023 तक शेष					
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्ववधि चूक	2,270.82	(2,06,391.08)	-	(5,211.34)	(2,09,331.60)
1 अप्रैल 2023तक पुनः घोषित शेष राशि	**2,270.82**	**(2,06,391.08)**	**-**	**(5,211.34)**	**(2,09,331.60)**
निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्तियां का पुनर्मूल्यांकन, कर प्रभाव का निवल				(6.82)	(6.82)
अवधि के दौरान लाभ		(15,524.17)			(15,524.17)
31 मार्च 2024 को	**2,270.82**	**(2,21,915.25)**	**-**	**(5,218.16)**	**(2,24,862.58)**

नोट: दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता:

44300000 3.5% रिडीम्बल वरीयता शेयर, प्रत्येक 100/- रुपये, अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाए गए।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

(राजेश कुमार)
निदेशक
डीआईएन 09403746

राजगोपाल और बद्री नारायण के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
एफआरएन : 003024एस

(वाय रमादेवी)
(संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त))

(ओम प्रकाश सिंह)
कंपनी सचिव

(एम एस राजगोगाल)
भागीदार
एम.नं.020244
यूडीआईएन:-25020244BMIVCI5031

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक :11.07.2025

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

(रुपये लाख में)

विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
13. उधार		
मौजूदा		
वर्तमान सुरक्षित		
नकद क्रेडिट (नीचे नोट संख्या 1 देखें)	3,834.49	3,912.95
कुल वर्तमान सुरक्षित	3,834.49	3,912.95

टिप्पणी
क. सुरक्षित ऋण

उधार लेने का प्रकार	ऋणदाता का नाम और सीमा	सुरक्षा की प्रकृति	पुनर्भुगतान की शर्तें	पुनर्भुगतान में चूक
नकद ऋण	यूको बैंक - 3842 लाख रुपये	इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्य का परिकल्पना	कार्यशील पूंजी सुविधाएं, ब्याज @ 16.65 प्रति वर्ष	टिप्पणी
नकद ऋण	पीएनबी 1175 लाख रुपये	इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्य का परिकल्पना	कार्यशील पूंजी सुविधाएं, ब्याज @ 16.65 प्रति वर्ष	टिप्पणी
नकद ऋण	एसबीआई 565 लाख रुपये	इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्य का परिकल्पना	कार्यशील पूंजी सुविधाएं, ब्याज @ 16.65 प्रति वर्ष	टिप्पणी
नकद ऋण	यूनियन बैंक 100 लाख रुपये	इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्य का परिकल्पना	कार्यशील पूंजी सुविधाएं, ब्याज @ 16.65 प्रति वर्ष	टिप्पणी

ख. वर्तमान असुरक्षित		
भारत सरकार से ऋण (डिफ़ॉल्ट)		
5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण (वैधानिक बकाया 2006-07) 15.50% की ब्याज दर के साथ	782.00	782.00
5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण (पूंजीगत व्यय 2006-07) 15.50% की ब्याज दर के साथ	395.00	395.00
5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण (वीआरएस 2007-08 और 2008-09) 3.50% की ब्याज दर के साथ	4,001.19	4,001.19
5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण (वैधानिक बकाया 2012-13,13-14,14-15) 13.50% ब्याज दर के साथ	16,070.61	16,070.61
5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण (कार्यशील पूंजी) ब्याज दर @13.50%)	7,500.00	7,500.00
5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण (ब्रिज लोन-1997 वेतनमान) 7.00% ब्याज दर के साथ	6,104.00	6,104.00
ब्याज सहित भारत सरकार का कुल ऋण	34,852.80	34,852.80
होल्डिंग कंपनी से ऋण		
होल्डिंग कंपनी से ऋण	34,668.41	30,582.41
कुल वर्तमान असुरक्षित	69,521.21	65,435.21
शुद्ध चालू उधारी	73,355.70	69,348.16

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

विवरण	31-मार्च-25	(रुपये लाख में) 31-मार्च-24
14. अन्य गैर वित्तीय देयताएं	-	-
15. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
गैर चालू		
ग्रेच्युटी	2,191.54	2,230.92
अर्जित अवकाश नकदीकरण	923.44	956.87
निपटान भत्ता	184.41	112.86
	3,299.39	3,300.65
वर्तमान		
ग्रेच्युटी	618.70	655.09
अर्जित अवकाश नकदीकरण	207.76	232.96
निपटान भत्ता	33.56	34.56
मजदूरी और वेतन संशोधन (1992)	950.82	1,365.27
	1,810.84	2,287.88
कुल	5,110.24	5,588.53

16. व्यापार देयताएं		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि	684.94	370.67
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य को देय राशि	5,776.14	7,006.40
कुल	**6,461.08**	**7,377.07**

16क चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यापार देय आयुवार विवरण:

ववरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	418.16	100.02	39.94	126.81	684.94
अन्य	3,481.59	412.22	727.37	1,154.96	5,776.14
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	3,899.75	**512.24**	**767.32**	**1,281.78**	**6,461.08**

16ख पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में कालक्रम वार व्यापार देय विवरण

ववरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	235.52	36.92	51.21	47.01	370.67
अन्य	4,288.44	935.49	351.94	1,430.53	7,006.40
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	4,523.96	**972.42**	**403.15**	**1,477.54**	**7,377.07**

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

विवरण	31-मार्च-25	(रुपये लाख में) 31-मार्च-24
17. अन्य वित्तीय देयताएं		
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता		
100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 4,43,00,000 3.5% शोध्य वरीयता शेयर**	44,300.00	44,300.00
उधार पर अर्जित और देय ब्याज		
भारत सरकार से ऋण	59,384.25	53,145.05
एच सी ऋण से ऋण	5,271.85	5,321.85
कुल	1,08,956.10	1,02,766.91
18. अन्य चालू देयताएं		
गैर-चालू		
भारत सरकार से सरकारी अनुदान-आस्थगित आय	25.28	47.56
एचएमटी लिमिटेड से सहायता/ भूमी के बिक्रि से मिला अग्रिम	22.80	22.80
भूमी के बिक्रि के नामें मिला अग्रिम	1,850.85	1,850.85
	1,898.93	1,921.21
चालू		
होल्डिंग कंपनी को बकाया		
एचएमटी लिमिटेड	1,386.02	1,288.02
ईएमडी जमा प्राप्त	106.19	109.81
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	4,122.75	4,714.90
विविध लेनदार- बकाया	791.28	995.99
अन्य देयताएं	37,721.07	34,348.47
कुल	44,127.31	41,457.18

19. प्रावधाने – अन्य

विवरण	वारंटी के दावे	कुल
1 अप्रैल 2024	**82.14**	**82.14**
अवधि के दौरान उप्तन्न हुआ	103.50	**103.50**
उपयोग किया गया	-75.46	**-75.46**
अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई	-5.15	**-5.15**
31 मार्च 2025	**105.03**	**105.03**
चालू	105.03	105.03
1 अप्रैल 2023	**97.42**	**97.42**
अवधि के दौरान उप्तन्न हुआ	67.63	**67.63**
उपयोग किया गया	-81.91	**-81.91**
उपयोग किया गया	-0.99	**-0.99**
31 मार्च 2024	**82.14**	**82.14**
चालू	**82.14**	82.14
गैर चालू		

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
20. परिचालनों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
मशीन टूल्स की बिक्री	8,976.98	8303.11
एस्सेसरिज की बिक्री	1,484.52	1,199.10
	10,461.50	9,502.21
सेवाओं की बिक्री		
विविध एवं कार्य विविध बिक्री	264.06	161.32
पैकिंग/प्रेषण प्रभार	33.82	31.31
सेवाओं की बिक्री	317.89	275.15
	615.77	467.78
परिचालनों से राजस्व	11,077.27	9,969.99
21. अन्य आय		
क. अन्य आय		
स्टाफ/अन्यों से वसूलियां	30.87	47.00
भाड़ा और बीमा की वसूली	3.63	2.57
प्राप्त किराया	803.52	575.87
यात्रा व्यय वसूली	0.28	0.14
जल प्रभार वसूली	1.47	2.36
बिजली प्रभार वसूली	12.74	16.28
विविध आय	614.77	315.78
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से लाभ	17.30	23.09
प्रावधान समाप्ति	544.30	428.46
सरकारी अनुदान		20.35
रद्दी सामान की बिक्री	102.29	
प्रशिक्षण व्यय वसूली	79.56	32.66
सीएचओ ऋण पर ब्याज माफ	10.23	23.53
क्रेडिटर पट्टा	2,272.27	1,544.11
कुल अन्य आय	4,493.23	3,032.19
ख. ब्याज आय	117.44	123.11
बैंक जमा से ब्याज	7.11	6.55
डीलरों/अन्यों से ब्याज	124.55	129.65
कुल अन्य आय	4,617.78	3,161.85

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
22. प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों की लागत		
कच्ची सामग्रियां एवं कंपोनेंट्स	2,618.34	2,372.60
वर्ष/तिमाही के प्रारंभ में मालसूची	3,668.11	4,233.33
जोड़ें.: खरीद	6,286.45	6,605.93
जोड़ें/घटाएं: अंर्त-फैक्टरी अंतरण	2,583.44	2,618.34
प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों एवं कंपोनेंट्स की लागत	3,703.01	3,987.59
भंडार, पुर्जे, टूल्स वं पैकिंग सामग्रियों की खपत	1,296.47	1,496.21
खपत की गई कुल कच्ची सामग्रियां एवं कंपोनेंट्स	4,999.48	5,483.80
23. मालसूची में परिवर्तन		
तैयार माल		
वर्ष/तिमाही के प्रारंभ में मालसूची	2,975.95	3,382.02
घटाएं / वर्ष के अंत में मालसूची	1,557.13	2,975.95
मालसूची में परिवर्तन	1,418.82	406.07
कार्य प्रगति पर		
वर्ष/तिमाही के प्रारंभ में मालसूची	4,470.98	4,147.67
घटाएं / वर्ष के अंत में मालसूची	3,968.84	4,470.98
मालसूची में परिवर्तन	502.50	-323.31
सामग्रि परागमन		
वर्ष/तिमाही के प्रारंभ में मालसूची		
घटाएं / वर्ष के अंत में मालसूची	253.94	
मालसूची में परिवर्तन	-253.94	
स्क्रेप		
वर्ष/तिमाही के प्रारंभ में मालसूची	64.36	95.28
घटाएं / वर्ष के अंत में मालसूची	56.00	64.63
मालसूची में परिवर्तन	8.37	30.91
कुल	1,675.75	113.67
24. वेतन, मुनाफा एवं बोनस	3,778.42	4,588.52
मकान, किराया भत्ता	58.78	75.00
उपदान	328.73	374.47
पीएफ एवं ईपीएफ में अंशदान	417.91	457.91
डिपोजीत सम्बद्ध बीमा	32.66	47.46
ईएसआई में अंशदान	3.40	3.77
कल्याण व्यय	735.85	1,028.61
	5,355.75	6,575.75

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
25. मूल्यह्रास और परिशोधन		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	585.98	603.83
निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.43	0.43
	568.41	604.26
26. वित्तीय लागत		
भारत सरकार ऋण	6,239.19	6,208.10
बैंकों से नकद ऋण ऋण	648.85	597.59
अंतर कॉर्पोरेट ऋण	2,272.27	1,544.11
कुल वित्तीय लागत	9,160.04	8,349.80
27. अन्य व्यय		
बिजली और ईंधन	790.40	902.57
देर से प्रेषण के लिए ब्याज	1,597.37	897.87
आकस्मिक श्रम शुल्क	1,725.68	1,662.71
गैर-चलती इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	320.43	209.04
बिक्री, विज्ञापन और प्रचार	10.37	14.57
किराया	33.39	29.37
दरें और कर	2,178.85	81.12
बीमा	31.88	32.39
भुगतान किए गए सेवा शुल्क	5.50	3.32
प्रशिक्षण व्यय - कौशल विकास	88.55	83.21
पानी और बिजली	41.27	35.15
इमारत की मरम्मत	20.08	26.00
मशीनरी की मरम्मत	23.53	22.77
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.30	0.63
सम्मेलन, सेमिनार और प्रशिक्षण	6.75	6.68
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक #	762.81	1,601.29
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	105.55	70.92
वारंटी दावे	867.16	769.36

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
पीएफ ट्रस्ट द्वारा सहन किया गया नुकसान	130.58	155.23
यात्रा व्यय		0.52
विनिमय अंतर	195.04	116.57
बैंक शुल्क	18.82	19.05
होल्डिंग कंपनी का व्यय	103.53	156.87
गाड़ी का बाहरी हिस्सा	128.84	143.98
मरम्मत और रखरखाव सामान्य	306.57	254.53
सुरक्षा शुल्क		
प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म "सर्ज" व्यय		19.27
अन्य व्यय	607.92	512.60
पहले मान्यता प्राप्त आय अब उलट दी गइ (आस्थिगत अनुदान आय	101.10	
	10,202.31	7,827.62
वैधानिक लेखा परीक्षा	3.59	3.59
कर लेखा परीक्षा	1.69	1.83
लागत लेखा परीक्षा	1.47	1.26
	6.75	6.68
28. आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य	185.41	
दुकान में निर्मित विशेष उपकरण	185.41	298.91
29. असाधारण आइटम		
	-	-

*इसमे बीबीएमपी के ओटीएस के अंतर्गत आनेवाले बेंगलुरु के संपत्ति के कर भुगतान रुपये 1,999. 84 लाख है।

**इस वित्तीय वर्ष संस्था लेखांकन में लागत व्यवहार और संबंधित सरकारी अनुदान के लिए "योजना सर्ज" नरम विकास उपक्रम का पनः आश्वस्त किया है। पहले विकास के खर्च लागत को लाभ और हानि के विवरण और अनुदान को आस्थगित अनुदान आय के रुप में पहचाना जाता था। अंकेक्षण (आडीट) के आधार के टिप्पणीयों और लेखांकन मानक के अनुसार, संस्था ने निर्धारित किया है की व्यय योग्य राशी को "विकासाधीन अमूर्त संपत्ति" माना जायेगा।. फल स्वरुप पहले निर्धारित लागत और अनुदान आय अब उलटकर , और विकास लागत पुंजीकृत कर के विकासाधीन अमूर्त संपत्ति और सरकार से मिले अनुदान राशी के सीमा के साथ समायोजन का खुलासा है।

नोट संख्या 30 अतिरिक्त प्रकटीकरण

रुपये लाख में

	विवरण	तक 31.03.2025	तक 31.03.2024
1	आकस्मिक देयताएं		
	कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
	क. कर संबंधी दावे अपील में लंबित हैं		
	i) उत्पाद शुल्क	-	-
	ii) बिक्री कर	213.55	213.55
	iii) संपत्ति कर	3,933.66	8,080.05
	iv) विवादित आयकर		
	बी. तालाबंदी, बकाया वेतन, प्रोत्साहन और वार्षिक बोनस आदि से संबंधित कर्मचारी संबंधी दावे, न्यायनिर्णयन लंबित, जहां तक पता लगाया जा सके	1,762.86	1,719.53
	सी. अन्य (जैसा कि अनुबंध-क में दिखाया गया है)	10,821.57	10,538.72
2	रियायती बिक्री कर लगाने के विरुद्ध संबंधित प्रपत्र प्राप्त न होना	54.40	54.40
3	पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	-	-
		16,786.04	20,606.24
3.क	**वरीयता शेयर पूंजी**		
	भारत सरकार को देय अधिमान्य शेयरों पर निश्चित संचयी लाभांश (उस पर कर सहित) का बकाया	5,607.63	5,607.63
4	**सूची में शामिल हैं:**		
	उपयोग योग्य, धीमी गति से चलने वाला/गैर-चलने वाला और अधिशेष भंडार और सामग्री/कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड:	213.06	405.47
5	व्यापार प्राप्य में शामिल हैं:		
	एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निर्माण और कमीशनिंग के लिए बकाया राशि।	194.13	243.41
6	अग्रिम में शामिल हैं:		
6.1	कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि, अग्रिम, बोनस आदि, लंबित न्यायनिर्णयन/ बातचीत।	2.54	2.54
6.2	वेतन/मजदूरी/महंगाई भत्ते के संशोधन बकाया के लिए कर्मचारियों को तदर्थ भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, समायोजन लंबित है जिसके लिए खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया है।	3.05	123.08
7	वर्तमान देनदारियां		
7.1	कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि		
क	i) प्रिंसिपल	684.94	370.67
	ii) ब्याज	141.84	70.69
ख	भुगतान की गई ब्याज राशि	1.78	1.14
ग	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि	141.84	70.69

नोट संख्या 30 अतिरिक्त प्रकटीकरण

रुपये लाख में

	विवरण	तक 31.03.2025	तक 31.03.2024
8	व्यापार प्राप्य', 'ऋण एवं अग्रिम' तथा 'व्यापार देय' के अंतर्गत शेष राशि पुष्टि के अधीन है, यद्यपि अधिकांश मामलों में पुष्टि मांगी गई है।		
9	अन्य में वर्ष के लिए ऋण पर ब्याज शामिल है, जिसे एचएमटी लिमिटेड द्वारा माफ कर दिया गया है	2,272.27	1,544.11
10	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	99.16	122.96
11	बेसकॉम ने एमबीएक्स के बिजली बिल में 122 लाख रुपये जोड़ दिए हैं। एबीडी पहले ही 61 लाख रुपये का भुगतान कर चुका है और बेसकॉम के जुर्माने/दावे के खिलाफ अदालत जा चुका है। एबीडी कानूनी मामले को देख रहा है और संपत्ति उसके नियंत्रण में है। इससे संबंधित कोई भी वित्तीय बोझ एबीडी द्वारा वहन किया जाएगा।		
12	एमबीएक्स ने अपनी जगह को गेल संश्था को पट्टे में दिया है। आदलत में चल रहे कानूनी मुद्दों के वजह से गेल संस्था से बिल जारी नही कर पा रहा है। एक करोड चालिस लाख रुपयों को सुरक्षा जमा राशी के रुप में गेल संस्था से ले चुके है।		
13	जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनः वर्गीकृत किया गया है।		

वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग नोट

31. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31-मार्च -2025	31-मार्च -2024
इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
निरंतर परिचालन	₹ (16,099.30)	₹ (15,524.17)
बंद परिचालन		
मूल आय के लिए इक्विटी धारकों को देय लाभ	₹ (16,099.30)	₹ (15,524.17)
परिवर्तनीय वरीयता शेयरों पर ब्याज		
कमजोरी के प्रभाव के लिए समायोजित मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ	₹ (16,099.30)	₹ (15,524.17)
मूल ईपीएस* के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	₹27,65,99,137	₹27,65,99,137
कमजोरी का प्रभाव:		
परिवर्तनीय वरीयता शेयर		
कमजोर पड़ने के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	₹27,65,99,137	₹27,65,99,137
निरंतर संचालन के लिए प्रति शेयर आय		
मूल, मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को देय सतत परिचालन से लाभ	₹ (5.82)	₹ (5.61)
• मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए जिम्मेदार निरंतर संचालन से लाभ	₹ (5.82)	₹ (5.61)

* रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित कोई अन्य लेनदेन नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट: 32. भारतीय लेखा मानक 19 - "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, परिभाषित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

1. परिभाषित अंशदान योजना:

पेंशन में योगदान (रुपये लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
एफपीएस में कुल योगदान	83.33	93.41

2.2. परिभाषित लाभ योजनाएँ:

कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट में योगदान देती है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और निपटान भत्ता दिया जाता है, जो परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। कंपनी ने भविष्य निधि के लिए स्वतंत्र एक्चुअरी से एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

कंपनी की योजना के लिए ग्रेच्युटी और रोजगार के बाद लाभ दायित्वों को निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं नीचे दर्शाई गई हैं:

	31-03-2025	31-03-2024
	%	%
छूट दर:		
ग्रेच्युटी योजना	6.79	7.10
निपटान भत्ता	6.79	7.10
अर्जित अवकाश नकदीकरण	6.79	7.10
भविष्य में वेतन वृद्धि:		
ग्रेच्युटी योजना	7.00	7.00
निपटान भत्ता	7.00	7.00
अर्जित अवकाश नकदीकरण	7.00	7.00

जनसांख्यिकीय अनुमानों का सारांश	ग्रेच्युटी योजना		निपटान भत्ता		नकदीकरण छुट्टी	
	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2024
मृत्यु दर (आईएएलएम (2012-14) के % के रूप में (संशोधित) अंतिम मृत्यु दर तालिका)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
विकलांगता दर (उपर्युक्त मृत्यु दर के प्रतिशत के रूप में)	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-
निकासी दर	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%		
संघर्षण					1% to 3%	1% to 3%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	58yrs	58yrs	58yrs	58yrs	58yrs	58yrs
औसत भावी सेवा	12.83	12.72	12.83	12.72		
रोजगार के दौरान अवकाश नकदीकरण दर					-	-
अवकाश उपयोगिता दर					100%	100%

वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग नोट

परिभाषित लाभ दायित्व

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना, अर्जित अवकाश नकदीकरण और निपटान भत्ता की लागत और ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य एक्चुरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक्चुरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

क. उपदान

31 मार्च 2025 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च							
विवरण	01-अप्रैल-24	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है	नियोक्ता द्वारा योगदान	**31-03-2025**
परिभाषित लाभ दायित्व	(4,018.37)	(142.67)	(261.92)	(404.59)	658.65			(52.20)	(211.01)	(263.21)		(4,027.52)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,132.35		80.40	80.40	(658.65)	4.53				4.53	658.65	1,217.28
लाभ देयता	**(2,886.02)**	**(142.67)**	**(181.52)**	**(324.19)**	**0.00**	**4.53**	**0.00**	**(52.20)**	**(211.01)**	**(258.68)**	**658.65**	**(2,810.24)**

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च							
विवरण	01-अप्रैल-23	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है	नियोक्ता द्वारा योगदान	**31-03-2025**
परिभाषित लाभ दायित्व	(4,310.77)	(183.79)	(283.77)	(467.56)	782.94			(24.20)	1.22	(22.98)		(4,018.37)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,077.94		70.93	70.93	(782.94)	10.04				10.04	756.38	1,132.35
लाभ देयता	**(3,232.83)**	**(183.79)**	**(212.84)**	**(396.63)**	**-**	**10.04**	**-**	**(24.20)**	**1.22**	**(12.94)**	**756.38**	**(2,886.02)**

391 of 546
HMT Group Annaul Report FY24-25-Hindi.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/HMT%20Group%20Annaul%20Rep...
12/5/2025, 12:33 PM

बी. अर्जित अवकाश नकदीकरण

31 मार्च 2025 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च											31-03-2025
विवरण	01-अप्रैल-24	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है	नियोक्ता द्वारा योगदान	
परिभाषित लाभ दायित्व	(1,189.82)	(83.86)	(76.17)	(160.03)	233.98	-	0.00	(24.38)	9.06	(15.32)	-	(1,131.19)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00											-
लाभ देयता	**(1,189.82)**	**(83.86)**	**(76.17)**	**(160.03)**	**233.98**	**0.00**	**0.00**	**(24.38)**	**9.06**	**(15.32)**	**0.00**	**(1,131.19)**

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत				लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च							31-03-2025
विवरण	01-अप्रैल-23	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है	नियोक्ता द्वारा योगदान	
परिभाषित लाभ दायित्व	(1,228.27)	(131.60)	(84.69)	(216.29)	282.22	-	0.00	(12.93)	(14.55)	(27.48)	-	(1,189.82)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-											-
लाभ देयता	**(1,228.27)**	**(131.60)**	**(84.69)**	**(216.29)**	**282.22**	**-**	**-**	**(12.93)**	**(14.55)**	**(27.48)**	**-**	**(1,189.82)**

ग. निपटान भत्ता

31 मार्च 2025 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च					लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च							नियोक्ता द्वारा योगदान	31-03-2025
	01-अप्रैल-24	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है				
परिभाषित लाभ दायित्व	(147.42)	(25.60)	(9.16)	(34.76)	36.64		0.00	-6.38	(66.05)	(72.43)				(217.97)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00													-
लाभ देयता	**(147.42)**	**(25.60)**	**(9.16)**	**(34.76)**	**36.64**	**0.00**	**0.00**	**(6.38)**	**(66.05)**	**(72.43)**			**0.00**	**(217.97)**
31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन														
	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च					लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च							नियोक्ता द्वारा योगदान	31-03-2025
विवरण	01-अप्रैल-24	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है				
परिभाषित लाभ दायित्व	(167.95)	(19.70)	(10.69)	(30.39)	44.80		0.00	-1.31	7.43	6.12				(147.42)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-													-
लाभ देयता	**(167.95)**	**(19.70)**	**(10.69)**	**(30.39)**	**44.80**	**0.00**	**0.00**	**(1.31)**	**7.43**	**6.12**			**-**	**(147.42)**

वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग नोट

संवेदनशीलता का विश्लेषण:

मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ जिनके प्रति परिभाषित लाभ योजनाएँ विशेष रूप से संवेदनशील हैं, वे हैं छूट दर और पूर्ण वेतन वृद्धि दर। निम्न तालिका रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रिपोर्ट किए गए परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को सारांशित करती है जो मान्यताओं में 100 आधार अंकों की वृद्धि या कमी के कारण उत्पन्न होती है:

(क) ग्रेच्युटी

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	कम	ज्यादा	कम	ज्यादा
छूट दर में परिवर्तन	184.98	160.65	153.51	135.25
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	165.50	175.57	104.40	101.68
निकासी दरों में परिवर्तन	1.29	1.19	24.59	21.13

(ख) निपटान भत्ता

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	कम	ज्यादा	कम	ज्यादा
छूट दर में परिवर्तन	23.09	19.41	8.37	7.30
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	20.63	24.10	7..37	8.30
निकासी दरों में परिवर्तन	24.88	20.91	7.98	9.09

(ग) अर्जित अवकाश नकदीकरण

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	कम	ज्यादा	कम	ज्यादा
छूट दर में परिवर्तन	86.74	74.89	82.92	71.74
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	81.18	92.18	74.11	84.09
निकासी दरों में परिवर्तन	1.32	1.17	2.72	2.35

अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रेच्युटी हेतु अपेक्षित अंशदान 1592.95 लाख रुपये तथा निपटान भत्ता शून्य होगा।

वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग नोट

टिप्पणी सं : 33 खंडीय विवरण

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ

		(रुपये लाख में)
विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
बाहरी ग्राहकों से राजस्व		
भारत	4092.64	3,118.00
भारत के बाहर		
लाभ या हानि के समेकित विवरण के अनुसार कुल राजस्व	4092.64	3,118.00

यह दिये गये राजस्व के जानकारी ग्राहकों के जगह की अधार पर दिये गये है
साल 31 मार्च 2025 तक की एक ग्राहक से आया राजस्व 4092.64 रुपये है जो संचालन राजस्व से 10% अधिक है
साल 31 मार्च तक की एक ग्राहक से आया राजस्व 3118.00 रुपये है जो संचालन राजस्व से 10%अधिक है

आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण की अवश्यकता (इंड एएस - 37) 31.03.2025 तक

अनुबंध क

रुपये लाख में

क्र. सं	मामलों की श्रेणी	मामलों के स्वरुप **	धन राशि
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग	धीमी और गैर चलती इनवेंटरी प्रदान करने की वजह से प्रावधानों को उलटने के अनुरोध सूचना की मांग *	291.29
2	पीएफ / ईपीएस / ईएस आय के मामले	पीएफ / इपीएस/ इएसआइ अधिकारियों द्वारा उठाइ गये दावा	4675.21
3	ए पी सेंट्रल पवर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड आंड वाटर बोर्ड	विकास कार्यों के लिए लिए गये शुल्क राशी, आंध्रप्रदेश एलेट्रिसिटि रेग्युलेटरी कमीशन के सामाने निवेदन लंबित है।	1219.33
4	गेल संस्था से खरीद दावे का अपाय	साल 1996-97 के समय गेल संस्था के ओर से खरीद दावे का अपाय	8.09
5	वाहन अपघात प्रकरण	वाहन दुर्घटना से संबंधित प्रकरण/दावे जिसमे हमारे वाहनों से चोट लगने के कारण एच एमटी थर्ड पार्टी (तीसरे पक्ष) , इन सभी प्रकरण/दावों में बीमा कंपनी/संस्था बचाव पक्ष	13.00
6	आपूर्तिकर्ता का दावा	सामग्रि की आपूर्ति और भुगतान से संबंधित विवादित दावें	217.02
7	कर्मचारी सहकारी समिति	ऋण वसूली पर ब्याज	58.29
8	एचएमडल्बूएसएसबी	बिल्लिंग विवाद	129.14
9	2007 का सीएमए सं.540	2007 का सीएमए सं.540	58.48
10	ग्राहक दावा	ग्राहक / अदालत प्रकरण	2615.33
11	ग्राचुटी प्रकरण और व्याज	हैदराबाद के एएलसी के सामने दर्ज किया हुए प्रकरण (दावे)	320.18
12	सामग्रि और सेवा शुल्क, टीडीएस/टीसीएस	जि एसटी ब्या ज पर जि एसटी	1156.01
13	जमा	ग्राहक के पास लंबे समय से लंबित जमा राशी	60.21
	कुल		10821.58

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण के अभिन्न भाग नोट

(रुपये लाख में)

विवरण		वर्ष समाप्त 31.03.2025			वर्ष समाप्त 31.03.2024		
क कच्चे माल और घटकों की खपत							
	इकाई	**मात्रा**	**कीमत**	**इकाई**	**मात्रा**	**कीमत**
इस्पात	एमटी	486.47	435.55	एमटी	224.28	211.74
अलौह धातु	एमटी	3.22	6.58	एमटी	48.60	125.38
फेरस कास्टिंग्स	एमटी	503.83	588.85	एमटी	456.77	557.24
अलौह कास्टिंग	एमटी	11.30	14.75	एमटी	23.70	31.06
फोर्जिंग्स	एमटी	34.87	52.42	एमटी	27.84	36.75
मानक भाग			1,781.62			2,004.52
अवयव			560.41			496.82
अन्य			262.83			524.08
			3,703.01			3,987.59
कारोबार	**इकाई**	**मात्रा**	**कीमत**	**इकाई**	**मात्रा**	**कीमत**
मशीन के उपकरण	संख्या.	239	8,976.98	संख्या.	280	8,258.43
मुद्रण मशीनें	संख्या.			संख्या.	2	44.68
सहायक सामग्री			317.89			275.15
सेवाओं की बिक्री			1,484.52			1,199.10
विविध नौकरियाँ और विविध बिक्री			264.06			161.32
विविध पैकिंग और विविध बिक्री			33.82			31.31
			11,077.27			9,969.99

लाभ एवं हानि खाते का अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रुपये लाख में)

बिन्दु सं.	ब्यौरा	वर्ष समाप्त 31.03.2025		वर्ष समाप्त 31.03.2024	
3	आयात से संबंधित जानकारी, विदेश में व्यय और आय मुद्रा/विनिमय और उपभोग				
	(क) आयात का सीआईएफ मूल्य:				
	कच्चा माल		141.64		178.22
	घटक और स्पेयर पार्ट्स		53.75		40.75
	पूंजीगत माल		-		-
	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण		-		-
	(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय यात्रा व्यय के कारण (भुगतान के आधार पर)				2.20
	(ग) कच्चे माल की खपत, घटक, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स				
	आयातित	0.04	195.39	0.04	223.10
	स्वदेशी	0.96	4804.09	0.96	5260.70
		100%	5,483.80	**100%**	5,045.97
	(घ) विदेशी मुद्रा में आय निर्यात				
	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के माध्यम से,		999.19		141.34
	अन्य		-		-

नोट्स 31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले

नोट 34. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन

कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रु.लाख में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	27.73	24.64
ii) रोजगार के बाद के लाभ	4.22	3.74
iii) अन्य दीर्घकालिक लाभ	2.31	2.01
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया कुल मुआवजा	**34.26**	**30.39**

संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
एचएमटी लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	सहायक कंपनी
श्री कृष्णास्वामी रविशंकर (5.4.2024 से)	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी)
श्री राजेश कुमार (5.4.2024 से)	
श्री आलोक कुमार बेहरा	
श्री ओमप्रकाश सिंह	

संबंधित पक्ष का नाम	पर जैसा	आरंभिक बैलेंस	ऋण प्राप्त	चुकौती	समाशोधन बैलेंस
क) ऋण					
एचएमटी लिमिटेड	चालू वर्ष	30582.41	4086.00		34668.41
	पिछले वर्ष	27470.43	3111.98		30582.41
	चालू वर्ष	5321.85		-50.00	5271.85
	पिछले वर्ष	5371.85		-50.00	5321.85
ख) अग्रिम (डेबिट/क्रेडिट)					
एचएमटी लिमिटेड	चालू वर्ष	1288.02	0.00	98.00	1386.02
	पिछले वर्ष	1198.30	0.00	89.72	1288.02
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	चालू वर्ष	3.57		646.12	649.69
	पिछले वर्ष	256.73	253.16		3.57
*अग्रिम में देय व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है					

ग) लेन-देन करने वाले संबंधित पक्ष का नाम		एच एम टी	एच एम टी (आय)	कुल
परिचालन से राजस्व				
	चालू वर्ष		999.19	999.19
	पिछले वर्ष		141.34	141.34
अन्य आय				
	चालू वर्ष	2272.27		2272.27
	पिछले वर्ष	1544.11		1544.41
सामान्य व्यय: (व्यय की प्रतिपूर्ति)				
	चालू वर्ष	18.82		18.82
	पिछले वर्ष	19.05		19.05
ब्याज				
	चालू वर्ष	2272.27		2272.27
	पिछले वर्ष	1544.11		1544.11

(घ) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन:	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
हरिकुमार एम	-	4.48
आलोक कुमार बेहरा	20.98	13.40
ओमप्रकाश सिंह	13.28	12.51
	34.26	30.39

नोट संख्या 35 अनुपात विश्लेषण

अनुपात	मीटर	भाजक	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	% विचरण	विचरण का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.10	0.12	-20.50	बिक्री में वृद्धि और बेहतर प्राप्य प्रबंधन के कारण
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	-1.12	-1.16	-3.05	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	-0.05	-0.06	-7.28	
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	-8%	-8%	-4.36	
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत या बिक्री	औसत इन्वेंट्री	1.92	1.65	16.50	
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	क्रेडिट बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	1.08	0.75	42.78	
व्यापार देयता कारोबार अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद/सेवाएं	औसत व्यापार देयताएं	0.72	0.81	-11.01	
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	-5%	-5%	3.01	
शुद्ध लाभ अनुपात	करों से पहले शुद्ध लाभ	आय	-103%	-118%	-13.23	
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल/निवेश पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल संपत्ति + कुल ऋण	-0.03	-0.04	-10.71	

टिप्पणि : अंश और भाजक के साथ. पिछले वर्ष से अनुपात तुलना में 25% अधिक परिअवर्तन के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए

मार्च 31, 2025 तक के वित्तीय विवरण के हिस्सेवाले टिप्पणियां (नोंट्स)

टिप्पणी संख्या (नोट नं)

36 धारा 248 कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन संस्था किसी भी अटकी हुयी संस्थाओं के साथ कोई लेन- देन नही रखती है।

37 संस्था कहीं भी उधार या निवेश के रुप में निधि का उपयोग नही किया है (या ऋण राशी या शेयर प्रिमियम या कोइ अन्य स्रोत द्वारा या किसी भी तरह के निधि) के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या इकाई या ईकाइयों के लिए (मध्यवर्ती संस्थाए) समझोते के लिए यदि लिखित रुप से दर्जा किया हो या अन्यथा, वाह मध्यस्थ संस्था प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से उधार या निवेश किसी अन्य व्यक्ती या इकाइयों जिसे संस्था द्वारा पहचान किया गया हो वह संस्था के ओर से ऋण या निवेश करेगा। (अतिम लाभार्थी) या किसी भी तरह की गारंटी देनेवाले, सुरक्षा देनेवाले या अंतिम लाभार्थी के तरह से।

38 संस्था किसी भी व्यक्ति (यों) से निधि प्राप्त किया है या इकाइ (य्यों) , विदेशी इकाइयों से (निवेश करनेवाले व्यक्तियों से) समझोते के लिए यदि लिखित रुप से दर्जा किया हो या अन्यथा, वाह मध्यस्थ संस्था प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से उधार या निवेश किसी अन्य व्यक्ती या इकाइयों जिसे संस्था द्वारा पहचान किया गया हो वह संस्था के ओर से ऋण या निवेश करेगा। (अतिम लाभार्थी) या किसी भी तरह की गारंटी देनेवाले, सुरक्षा देनेवाले या अंतिम लाभार्थी के तरह से।

39 संस्था ने साल में हुए नुकसान के कारण लांभाश की घोषणा नही किया है।

40 संस्था को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था ने विलफुल डिफाल्टर (जानबूझकर चूककर्ता) घोषित नही किया है।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट: 41 डिफ़ॉल्ट को अवधि और राशि निम्नानुसार है:

कैपेक्स ऋण को 15.50% ब्याज दिनांक 30.03.2006	भारत सरकार	1)02.04.2007 से 79 लाख रुपये बकाया	6,572.00
		2) 02.04.2008 से 79 लाख रुपये बकाया	6,206.00
		3) 02.04.2009 से 79 लाख रुपये बकाया	5,841.00
		4) 02.04.2010 से 79 लाख रुपये बकाया	5,476.00
		5) 02.04.2011 से 79 लाख रुपये बकाया	5,111.00
वीआरएस ऋण को 3.5% ब्याज दिनांक 01.11.2007	भारत सरकार	1) 27.12.2008 से 556.95 लाख रुपये बकाया	5,937.00
		2) 27.12.2009 से 556.95 लाख रुपये बकाया	5,572.00
		3) 27.12.2010 से 556.95 लाख रुपये बकाया	5,207.00
		4) 27.12.2011 से 556.95 लाख रुपये बकाया	4,842.00
		5) 27.12.2012से 556.95 लाख रुपये बकाया	4,748.00
दिनांक 29.03.2007 को 15.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 30.03.2008 से रु.156.40 लाख बकाया	6,209.00
		2) 30.03.2009 से रु.156.40 लाख बकाया	5,844.00
		3) 30.03.2010से रु.156.40 लाख बकाया	5,479.00
		4) 30.03.2011से रु.156.40 लाख बकाया	5,114.00
		5) 30.03.2012 से रु.156.40 लाख बकाया	4,748.00
वीआरएस ऋण को 3.5% ब्याज दिनांक 31.12.2008	भारत सरकार	1) 15.01.2010 से 243.29 लाख रुपये बकाया	5,553.00
		2) 15.01.2011 से 243.29 लाख रुपये बकाया	5,188.00
		3) 15.01.2012 से 243.29 लाख रुपये बकाया	4,823.00
		4) 15.01.2013 से 243.29 लाख रुपये बकाया	4,457.00
		5) 15.01.2014 से 243.29 लाख रुपये बकाया	4,092.00
दिनांक 24.07.2012 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 01.08.2013 से रु.888.52 लाख बकाया	4,259.00
		2) 01.08.2014 से रु.888.52 लाख बकाया	3,894.00
		3) 01.08.2015 से रु.888.52 लाख बकाया	3,529.00
		4) 01.08.2016 से रु.888.52 लाख बकाया	3,163.00
		5) 01.08.2017 से रु.888.52 लाख बकाया	2,798.00

दिनांक 18.03.2014 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 21.03.2015 से 392 लाख रुपये बकाया 2) 21.03.2016 से 392 लाख रुपये बकाया 3) 21.03.2017 से 392 लाख रुपये बकाया 4) 21.03.2018 से 392 लाख रुपये बकाया 5) 21.03.2019 से 392 लाख रुपये बकाया	3,662.00 3,296.00 2,931.00 2,566.00 2,201.00
दिनांक 23.09.2014 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 04.10.2015 से 480 लाख रुपये बकाया 2) 04.10.2016 से 480 लाख रुपये बकाया 3) 04.10.2017 से 480 लाख रुपये बकाया 4) 04.10.2018 से 480 लाख रुपये बकाया 5) 04.10.2019से 480 लाख रुपये बकाया	3,465.00 3,099.00 2,734.00 2,362.00 2,004.00
कार्यशील पूंजी ऋण को13.50% ब्याज दिनांक 23.09.2014	भारत सरकार	1) 04.10.2015 से 500 लाख रुपये बकाया 2) 04.10.2016 से 500 लाख रुपये बकाया 3) 04.10.2017 से 500 लाख रुपये बकाया 4) 04.10.2018से 500 लाख रुपये बकाया 5) 04.10.2019 से 500 लाख रुपये बकाया	3,46500 3,099.00 2,734.00 2,369.00 2,004.00
दिनांक 09.10.2014 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 11.10.2015 से 378.20 लाख रुपये बकाया 2) 11.10.2016 से 378.20 लाख रुपये बकाया 3) 11.10.2017 से 378.20 लाख रुपये बकाया 4) 11.10.2018 से 378.20 लाख रुपये बकाया 5) 11.10.2019 से 378.20 लाख रुपये बकाया	3,458.00 3,092.00 2,727.00 2,362.00 1,997.00
वेतन एवं मजदूरी के भुगतान हेतु को 13.50% ब्याज दिनांक 09.10.2014	भारत सरकार	1) 11.10.2015 से 548.60 लाख रुपये बकाया 2) 11.10.2016 से 548.60 लाख रुपये बकाया 3) 11.10.2017 से 548.60 लाख रुपये बकाया 4 11.10.2018 से 548.60 लाख रुपये बकाया 5) 11.10.2019 से 548.60 लाख रुपये बकाया	3,458.00 3,092.00 2,727.00 2,362.00 1997.00
1997 वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 06.02.2015 को 13.50% ब्याज दर	भारत सरकार	1) 10.02.2016 से 586.80 लाख रुपये बकाया 2) 10.02.2017 से 586.80 लाख रुपये बकाया 3) 10.02.2018 से 586.80 लाख रुपये बकाया 4) 10.02.2019 से 586.80 लाख रुपये बकाया 5) 10.02.2020 से 586.80 लाख रुपये बकाया	3,336.00 2,970.00 2,605.00 2,240.00 1,8750.00

कार्यशील पूंजी ऋण को7%% ब्याज दिनांक 06.02.2015	भारत सरकार	1) 10.02.2016 से 1000 लाख रुपये बकाया 2) 10.02.2017 से 1000 लाख रुपये बकाया 3) 10.02.2018 से 1000 लाख रुपये बकाया 4) 10.02.2019 से 1000 लाख रुपये बकाया 5) 10.02.2020 से 1000 लाख रुपये बकाया	3,336.00 2,970.00 2,605.00 2,240.00 1,8750.00
दिनांक 31.03.2015 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया 2) 31.03.2017 से 526.80 लाख रुपये बकाया 1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया 1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया 1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	3,286.00 2,921.00 2,556.00 2,191.00 1,825.00
1997 के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 30.09.2015 को 7% ब्याज दर	भारत सरकार	1) 03.10.2016 से Rs.634 लाख रुपये बकाया 2) 03.10.2017 से Rs.634 लाख रुपये बकाया 3) 03.10. 018 से Rs.634 लाख रुपये बकाया 4) 03.10.2019 से Rs.634 लाख रुपये बकाया 5) 03..10.2020 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	3,100.00 2,735.00 2,370.00 2,005.00 1,639.00

अतिरिक्त जानकारी

संस्था के कब्जे में रहे भूमि विवरण का सारांश

क्रमांक	राज्य	जिला	इलाका	विनियमन प्रकार	क्षेत्र (एकड़ में)	खरीद का वर्ष
एचएमटी मशीन और टूल्स लिमिटेड						
1	कर्नाटक	बेंगलुरु	म्याकलचन्नेनहलल (सर्वे नं 2 से 14 तक)	भूमि अधिग्रहण अधिनियम	72.21	1,958
2			जरकबंडे कावल सर्वे नं 2 और 10	खरीदा हुआ	1.00	1,959
3			पीण्या प्लांटेशन 1	भूमि अधिग्रहण अधिनियम	48.36	1,961
4			जरकबंडे कावल सर्वे नं 18 और 19	उपहार में मिला	151.07	1,963
5			पीण्या विलेज 20	उपहार में मिला	26.67	1,953
6			पीण्या प्लांटेशन 2 (एमवैएस 357)	भूमि अधिग्रहण अधिनियम	2.34	1,963
7			जरकबंडे कावल सर्वे नं 17	मंजूर किया गया	21.27	1,965
8			जरकबंडे कावल सर्वे नं 21 और 22	भूमि अधिग्रहण अधिनियम	2.70	1,967
9.			जालहलल सर्व नं 10/1 और 11	भूमि अधिग्रहण अधिनियम	4.77	1,970
10				खरीदा हुआ	0.57	1,970
11				पूरा कर्नाटक	3.30	1,989
					334.26	
12	केरल	एर्नाकुलम	त्रिक्ककारा नार्थ	केरल ल्याड रिफार्म आक्ट के अंतर्गत पट्टे के माध्यम से सौंपा हुआ	348.85	1,973
13	तेलंगाना	हैदराबाद	जेडीमेट्ला	हस्तांतरण विलेख	227.30	1,972
14			बालनगर	खरीदा हुआ	195.82	1,963
15			कवडीगुड	खरीदा हुआ	0.57	1,962
16	राजास्थान		अजमेर	राजस्थान ल्यांड अक्विसिशन आक्ट और समझौता दिनांक द्वारा	170.00	1,972
पूरा एचएमटी मशीन और टूल्स लिमिटेड :					1,276.80	

1) साल 2020-21मे , कर्नाटक सरकार ने एक अंतर्वर्ती आवेदन (आय ए) पत्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने दायर किया था , जिसमे डिनोटिफिकेशन द्वारा एचएमटी के स्वामित्व (एचएमटी वाचेस लिमिटेड और एचएमटी द्वारा बेचे गये भूमि भी शामिल है) और यह भूमि की कब्जा (1960 तब से) से पीण्या प्लांटेशन प्रदेश, बेंगलुरु में (पूरा 443 एकड मंजूर किया गया/ उपहार में दिया हुआ/ एचएमटी द्वारा अधिग्रहित) और प्रस्तुतः बाकी 226 एकड स्वामित्व और कब्जा दोनो एचएम टी का ही यह प्रदेश 266 एकड,172.34 एकड एचएमटी, एमबीएक्स, बेंगलुरु से सांबंधित है कर्नाटक सरकार एक पत्र द्वारा आय ए की अर्जि को निकासी कर के और संस्था द्वारा दायर किया हुआ दावे को ही अनुसरण करने का और माननीय सर्वेच्चन्यायालय के सामने हस्तक्षेप और अभियोग करने का अर्जी दिया गया है वह सर्वेच्च न्यायलय के सामने लंबित है।

2. मुआवजे का भाग 1850 बीबीएमपी अधिअग्रहित भूमि की ओर अग्रिम के रुप मे भूमि के खरिद के लिया दर्शाया गया है "गैर वर्तमान के आलावा देयताओं" अंतर्गत बाकी रकम 152 अभी लंबिंत है

3. बीबीएमपी पीआयडी नं 07/77/5 (खाता पंजीकरण) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, जालहल्ली, बेंगलुरु के नाम संपत्ति बांटा था। भुगतान के बाद संपत्ति कर को एकमुश्त निपटान योजना के अंदर के लिए रुपये 26,36,00,555/-लाख, 1998 से 2023-24 तक. संस्था ने बीबीएमपी से अनेक वार याचना किया है, खाता प्रमाण पत्र प्रकाशित करने के लिए और उसी का सार देने की विनती किया है लेकिन अब तक वह नही दिया गया है। भूमि के हिसाब किताब में यह 330.28 एकड. दिखाई पडता है जब की कुल 334.26 में बाकी बचा हुआ अंतर के भूमि 3.98एकड को नापते है लेंखाकन करते समय खराब जमीन मानकर निकाला गया है। हालांकी इसमें कोई अस्पष्टता नही है और इससे संबंधित दस्तावेज भी स्पष्ट नही है।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
51वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

अध्यक्ष महोदय का संबोधन एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की 51 वीं वार्षिक आम बैठक

मेरे प्रिय शेयरधारको,

मैं आपको वर्ष 2024-25 के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सम्मानित हूं। हम पिछले वर्ष की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करेंगे। वैश्विक दृष्टिकोण, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और हमारे राष्ट्र के भविष्य पर विनिर्माण पहलों के प्रभाव को स्वीकार करना भी अनिवार्य है।

वैश्विक दृष्टिकोण

वैश्विक अर्थव्यवस्था साल में वास्तव में चुनौती पूर्ण अवस्था से गुजर रही थी, विकास का दर मंदी में चल रहा था, लगातार मुद्रास्फीति और व्यापार कॊ कमजॊर कर रहा था।

वैश्विक विकास की गति धीमी हॊने की अनुमान 3.3% 2024 में ,2.9% से साल भर के लिए 2025 और 2026 तक अनुमान लगया गया है। वैश्विक दृष्टिकोण में तेजी से चुनौतीपूर्ण अवस्था में आ रही है। व्यापार में आनेवाले बाधाओं में वृद्धि दिखाइ दिया है, सख्त वित्तीय स्थितियां, धीमी गति का व्यापार और ग्राहक आत्मविश्वास और उन्नत नीति सभी ढंग से अनिश्चितता अभिवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अपाय बन गये है।

उभरते व्यापार के बाधाएं, सामग्रि के मुक्त प्रवह में बाधा औए सेवाएँ, बढती हुइ महंगाइ और स्थापित आपूर्ती श्रृंख्ला कॊ बाधित करना। तंग वित्तीय स्थिति से प्रतिबंधित उपलब्धिताएँ और पूंजी की सामर्थ्य कॊ सिमित करना, निवेश और उपभॊक्ता खर्च पर अंकुश लगाना। व्यापक निति अनिश्चितता लपकग्रस्त बल के रुप में कार्य करता है। इससे उद्यम और उपभॊक्ता के निर्णय में मंदि और अत्मविश्वास कॊ कम कर सकता है।

साथ में यह सभी बलो से अबिवृद्धि में धीमी गति के परिसर का निर्माण, बधति हुए मुद्रास्फिति की अपाय और लचीलापन में कमी, वैश्विक दृष्टिकोण स्वाभाविक रुप से अधिक चुनैतीपूर्ण और कम पूर्वानुमानित।

बावजूद वैश्विक आर्थिक सवालो के परिसार 2024-25, भारती अर्थव्यवस्था गणनीय लचीलापन कर प्रदर्शन किया है, और अभिवृद्धि का मजबूत गति से हॊता है, विश्व में सब से तेजी से बढते प्रमुख आर्थव्यवस्था के रुप में अपने स्थिति कॊ मजबूत करना।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के दृष्टी वैश्विक उत्पादन और आयत क्षेत्र के शिख्रर तक पहुंचना जॊ सीधी तौर से भारत सरकार के राष्ट्रीय उद्देश्य से जुडा हुआ है। आगे बडकर हम इससे भारतीय आयात को अभिमानित करके उमदे गुणवत्ता वाले सामान और सेवा प्रदान करने से जी लगातार उपभोक्त की जरुरत कॊ पूरा करते है, जबकि अपने क्षेत्र में अग्रमान्य बनने के लिए नए बाजारॊं की आक्रामक रुप से खॊज और उनमे प्रवेश करना|

भारतीय अर्थव्यवस्था:

भारत ने वर्ष के आर्थिकता विकास पथ पर 2024-25 प्रभावशाली वृद्धी कॊ चालू रखा है, और उभरते हुए प्रमुख आर्थिकता बनते हुए वैश्विक अर्थ व्यवस्था के रुप में मान्यता प्राप्त किया है। वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद में अनुसार में 6.5% की स्थिर वृद्धि बनाए रखा है इस वर्ष 2024-25 में, देश का स्थिर अर्थिकता का बुनियाद और प्रभावी नितिगत हस्तक्षेप का उत्तम उदाहरण है। अगले साल का वित्तीय परिस्थितियॊं का पुर्नानुमान यही मजबूती के ओर संकेत कर रहे है 2025-26 में भी स्थिर अर्थ व्यवस्था चालू रहेगा ।

वैश्विक आर्थिक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारत से इंजीनियरिंग वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में ज्यादान्यानी यूएस डालर 116.67 बिलियन, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक वृद्धि देखी गई है । पिछले वित्तीय वर्ष के अधिक आकडॊं कॊ पार करते हुए जो यूएस डालर 112.10 बिलियन था साल 2021-22 में। यह बटकर 6.74% साल दर साल बढते भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का सामना करने

के बावजूद लचीलेपन और निरंतर विकास का प्रदर्शन किया है। कुल व्यापरिक निर्यात में इंजनियरिंग सामग्रियों का निर्यात का हिस्सा 26.67% है जो पिछले वर्ष 25.01% था।

उप्तन्नों से औद्योगिक विकास, मेक-इन-इंडिया पहल, एफडीआई और घरेलू निवेश, सरकारी नीतियों, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से प्रेरित होकर, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का सामना करने के बावजूद लचीलेपन और निरंतर विकास का प्रदर्शन किया

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड देश के आर्थिक विकास में अपने योगदान पर गर्व करता है और आने वाले वर्षों में अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन देता है। और हमारे परिचालनाओं से प्रगतिपर आर्थिक कार्यसूची में बागिदार बनते रहेंगे।

निष्पादन एवं व्यावसायिक उपलब्धियां

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड [एचएमटी (आई)], ने पिछले वर्ष के 2024-25 में कारोबार 15.35

करोड़ रुपये की तुलना में 17.59 करोड़ रुपये जो साल 2023-24 में था। इस वर्ष के कारोबार 15.35करोड इससे संस्था ने कर के बाद 184 लाख के लाभांश कमाया है जब की पिछले साल 80 लाख रुपये थे, जिससे लाभंश की बढोत्रि का प्रवृत्ति जारी रहा है।

कंपनी म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, बेलीज, चेन्नई और विशाखापत्तनम में विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना/उन्नयन में सफल रही है।

यह पहल प्रमुख बाजारों में कौशल्य विकास और प्रौद्योगिक विनिमय के लिए महत्वपूर्ण है।

एचएमटी (आई) विभिन्न देशों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के - लिए तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्तावों के लिए विचार-विमर्श में है।

एचएमटी ने सहायता अनुदान परियोजनाओं के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए टर्नकी परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से विदेश मंत्रालय (एमईए) से संपर्क किया है। अनुदान सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत विकास केंद्र। इस से देश और विदेशों में अपने सामर्थ्य निर्माण में सहायता मिलती है।

भविष्य का दृष्टिकोण:

निर्यात व्यवसाय

आने वाले वर्षों में कम्पनी एचएमटी के उत्पादों एवं अन्य इंजीनियरिंग सामान्य को नए गंतव्यों तक ले जाकर अपने राजस्व में वृद्धि के लिए कमर कस रही है तथा इसके लिए अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में और अधिक टर्नकी परियोजनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया कर रही है। 31.03.2025 को एचएमटी (आई) का ऑर्डर 30.77 करोड़ रुपये है।

कॉर्पोरेट शासन

कंपनी निरंतर मूल्यों के उच्चतर मानकों एवं सिद्धांतों को अंगीकार करने एवं उनका अनुरक्षण करने की प्रक्रियाएं करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन के सरकारी निदेशों का कम्पनी अनुपालन कर रही है।

कम्पनी अपने स्टेकधारकों की प्रत्याशाओं के अनुकूल विकास दर को बनाए रखने के निरंतर प्रयास कर रही है। जहां एक और आपकी कम्पनी विकास में संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है वहीं यह कॉपर्पोरेट शासन के उत्तम मानकों एवं पारदर्शिता, उत्तरदेयता एवं व्यावसायिकता पर बल देने के साथ आचारपूर्ण व्यवसाय व्यवहारों को अंगीकार करके अपने सभी स्टेकधारकों एवं मुख्यतः समाज के दीर्घकालिक आर्थिक मूल्यों के संवर्धन के लक्ष्य को बरकरार रखेगी।

आभारोक्ति

मैं इस अवसर पर माननीय भारी उद्योग मंत्री, माननीय भारी उद्योग राज्य मंत्री, सचिव (भारी उद्योग), अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव, आर्थिक सलाहकार और भारी उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त अत्यधिक समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं कंपनी के

सुचारू संचालन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षकों आदि के सभी अधिकारियों के समर्थन के लिए उनका भी आभारी हूं। मैं संबंधित राज्य सरकारों, संयुक्त कार्य भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी मूल्यवान सहायता और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं यहां अपनी सम्मानित सहकर्मियों एवं एचएमटियन्स का भी उनकी अनथक प्रतिबद्धता, एवं विश्वास के लिए हृदय से आभार एवं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं।

मैं भारत और विदेशों के अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और कम्पनी के प्रति अपने आकर्षण को बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं अन्य सभी स्टेकधारकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग, सहायता एवं कम्पनी के निष्पादन में उनकी निरंतर रूचि के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारियों के समर्पित एवं प्रतिबद्ध संसाधनों एवं हमारे मान्य शेयरधारकों के मूल्यवान सहयोग से आपकी कम्पनी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करेगी तथा अपने स्टेकधारकों के मूल्य में संवर्धन करेगी।

मैं एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड में निरंतर विश्वास एवं प्रबंधन के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हू और आप सभी को शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
अतिरिक्त प्रभार
बेंगलूरू

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

विषय सूची

निदेशक मंडल	6
निष्पादन हाइलाइट्स	7
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	8
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	18
कॉर्पोरेट शासन से संबंधित प्रमाण पत्र	26
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	27
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट	32
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	42
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	43
तुलन पत्र	55
लाभ एवं हानि लेखा	57
नकदी प्रवाह विवरण	59
वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट	60

निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डयरेक्टरस) (26.08.2025 तक)

श्री राजेश कोहिली	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)(05.04.2024 से)
श्री प्रेमचंद्र मौर्य	सरकार द्वारा नाम निर्देशित निदेशक (17.007.2025से)
श्री विमल आनंद	सरकार द्वारा नाम निर्देशित निदेशक (23.07.2024से)
श्रीमती अंजु मखिजा	स्वतंत्र निदेशक
सविधिक लेखा परीक्षक मे/स नागराज और अजित चार्टेड अकौंटंटस (लेखा परीक्षक बेंगलूरू	**साचिविक लेखा परीक्षक** जी. हरिता एंड असोसिएट्स वृत्तिशील कंपनी सेकरेटरीस, बेंगलूरू
बैंकर्स बैंक आफ महाराष्ट्रा यूको बैंक ऐक्सिस बैंक	
पंजीकृत कार्यालय एचएमटी भवन 59, बेल्लारी रोड बेंगलूरू 560032	
कापोरेट पहचान संख्या U33309KA1974GOI002707	

वैश्विक, गतिशील और विश्व स्तरीय व्यापारिक संगठन बनना

कुल ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए
(क) प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण
(ख) गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की समय पर डिलीवरी

निष्पादन हाइलाइट्स

रुपये मिलियन में

	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
परिचालन सांख्यिकी											
बिक्री	**153.52**	175.86	141.55	109.12	198.35	671.49	570.74	249.45	239.76	339.07	334.01
अन्य आय	**11.78**	4.21	2.74	11.38	18.52	2.65	2.39	6.76	8.12	4.33	14.97
स्टॉक वृद्धि			-	-	-	-	-	-	-	(0.35)	(1.25)
ब्याज लागत	**21.86**	16.91	15.19	15.16	17.63	24.43	18.30	19.41	22.53	23.65	27.71
	187.16	196.98	159.47	135.66	234.50	698.57	591.43	275.62	270.41	366.70	375.44
क्रय	**133.701**	108.42	117.275	88.55	178.44	556.14	469.72	225.76	174.62	230.54	224.95
कर्मचारी लागत	**20.425**	25.16	24.067	30.33	29.50	28.12	31.04	27.89	38.49	55.60	64.81
अन्य संचालन लागत	**11.742**	13.99	13.756	12.69	13.15	74.16	68.99	20.40	53.34	70.16	67.64
मूल्य ह्रास	**1.381**	1.31	1.303	1.26	1.38	1.40	1.48	1.46	1.38	1.35	1.46
	167.25	148.86	156.40	132.83	222.47	659.82	571.23	275.51	267.83	357.65	358.86
कुल लाभ	**19.91**	48.12	3.07	2.83	12.03	38.75	20.20	0.11	2.59	9.05	16.58
ब्याज			-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर पूर्व निवल लाभ (पूर्व अवधि के बाद)	**19.91**	48.12	3.07	2.83	12.03	38.75	20.20	0.11	2.59	9.05	16.58
कर और आस्थागित कर	**1.496**	40.13	1.05	0.7	2.33	11.64	5.09	(1.25)	1.94	3.22	11.39
करों के बाद में लाभ	**18.41**	7.99	2.02	2.13	9.70	27.11	15.11	1.36	0.65	5.83	5.19
वित्तीय स्थिति											
चालू परिसम्पतियां	**564.27**	544.66	545.717	508.948	548.12	771.83	767.90	417.79	488.92	425.24	473.91
चालू ऋण्ण और प्रावधान	**200.303**	203.28	213.358	180.339	216.57	449.94	472.27	132.56	207.06	143.40	201.43
निवल कार्यशील पुंजी	**363.97**	341.38	332.36	328.61	331.56	321.90	295.63	285.23	281.86	281.84	272.48
निवल अचल संपत्ती	**40.221**	41.58	42.664	43.525	44.79	45.77	47.15	48.53	49.99	50.83	52.14
नियोजित पूंजि	**404.19**	382.96	375.023	372.13	376.35	367.66	342.78	333.76	331.85	332.67	324.62
आस्थाजित कर ऋण	**3.578**	4.81	4.696	4.29	4.63	4.38	4.91	7.77	8.57	7.51	12.14
निवल सम्पति	**400.61**	378.15	370.33	367.84	371.72	363.28	337.87	325.99	323.28	325.16	312.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	-	(0.01)	0.00	(0.00)	0.01	0.00
हिस्सेदारी पुंजी विवरण		378.15	370.33	367.84	371.72	363.28	337.88	325.99	323.28	325.16	312.48
शेयर पूंजी	**7.20**	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
रिजर्व	**375.01**	362.96	361.11	358.51	354.82	328.97	315.57	317.43	315.43	314.14	304.52
धारित आय	**18.41**	7.99	2.02	2.13	9.70	27.11	15.11	1.36	0.65	3.82	0.76
लांभांश सामान्य	**-**	-	-	-	-	1.80	1.44	-	-	1.44	1.44
विषेश	**-**		-	-	-	-	-	-	-	-	
लांभांश(%) सामान्य	**-**	-	-	-	-	25	20	-	-	20	20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य सांख्यिकी											
नकदी प्रवाह	**19.80**	9.30	3.32	3.39	11.08	28.51	16.59	2.82	2.03	7.18	6.65
कारोबार / कार्यशील पुंजी अनुपात	**0.42**	0.52	0.43	0.33	0.60	2.09	1.93	0.87	0.85	1.20	1.23
पुंजी पर लाभ (%)	**4.93**	12.57	0.82	0.76	3.20	10.54	5.89	0.03	0.78	2.72	5.11
कर्मचारीयों की संख्या	**14**	16	19	21	23	22	25	27	28	33	40
प्रति व्यक्ति बिक्रि	**10.97**	10.99	7.45	5.20	8.62	30.52	22.83	9.24	8.56	10.27	8.35

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति
सदस्यगण,
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
बेंगलूरू

आपका निदेशक मंडल आपके सम्मुख आपकी कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

1. वित्तीय सार संक्षेप / कम्पनी का निष्पादन

(रु. लाख में)

विवरण	2023-25	2023-24
परिचालन से सकल आय	1353	1759
बिक्री की लागत	1337	1084
सकल लाभ	199	481
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	14	13
कर पूर्व निवल लाभ	199	481
कर का प्रावधान	15	401
कर के बाद निवल लाभ	184	80
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष	184	80
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
अन्य इक्विटी में अंतरण	-	-
तुलन पत्र में अग्रेषित अधिशेष	184	80

2. वर्ष के दौरान कम्पनी के कार्यों/कम्पनी की गतिविधियों का संक्षिप्त वर्णन

टर्नओवर के संदर्भ में आपकी कम्पनी का निष्पादन वर्ष 2024-25 के दौरान तथा पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2023-24 में प्राप्त 1535 लाख रुपए की तुलना में 1759लाख रुपए के सकल स्तर पर था। वर्ष के दौरान 620 लाख रुपए के आदेश प्राप्त किए गए जबकि पिछले वर्ष ये 1535 लाख रुपए के थे। टर्नओवर के रूप में हासिल 1535 लाख रुपए के साथ आपकी कम्पनी ने पिछले वर्ष 184 लाख रुपए की तुलना में 80 लाख रुपए का कर पश्चात लाभ (पीएटी) कमा कर लाभ अर्जित करने का रूझान जारी रखा है।

(रु. लाख में)

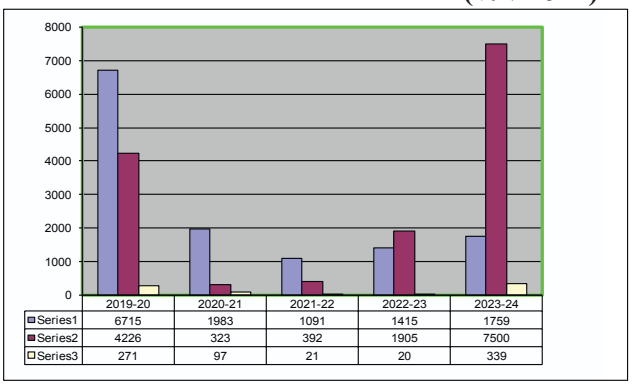

2.1 खंड-वार उपलब्धियां

2.1.1 उत्पाद

कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न एचएमटी और गैर-एचएमटी मशीनों की आपूर्ति के लिए विदेशी ग्राहकों को कई निविदाएं प्रस्तुत किए हैं।

एचएमटी (आई) ने एक क्षेत्र अध्ययन किया है,संभाव्य अवस्र को नये बाजार मे उससे संबंधित पदार्थों का उपभोक्त मांगे। कंपनी के लिए मारिटैम विश्वविद्यालय चेन्नई कैंपस और कोलकाता कैंपस से रुपये 265 लाख के क्रय आदेश मिला है

2.1.1.1 विपणन प्रयास

कंपनी की योजना बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से बिक्री प्रोत्साहन / बाजार विकास की दिशा में निम्नलिखित पहल करने की है:

- एचएमटी एमटीएल की निर्माण यूनिटों के सहयोग से विशिष्ट उत्पादों का उन्नयन करने की प्रक्रियाएं करते रहना।
- विशाल वीटीएल, फ्लोर बोरिंग मशीन, 80/100 मिमी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑयल कंट्री लेथ आदि जैसे उच्च मूल्य के उत्पादों की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करना।

❖ अंतरराष्ट्रीय बाजार में बने रहने के लिए अपने स्थिति मजबूत बनाने के लिए विश्व के अनेक देशों में अपने एजेंटो का व्यापक तंत्र विकसित करना

इसके अतिरिक्त कंपनी ने भारतीय मशीन टूल प्रदर्शनी (आइएमटीइएक्स 2025) में भाग लिया जो जनवरी माह के 23 से 29 , 2025 तक, बेंगलूरू में चला, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र (बीआइसी) बेंगलूरू में आयोजित हुआ था। एक समर्पित स्टाल रख था जिसने वहा उपस्थित विभिन्न संगठनों और उद्योग क्षेत्रों से आये पर्याप्त लोगो को अपनी ओर आकर्षित किया था।

2.1.2 परियोजनाएं और सेवाएं

2.1.2.1 विदेश मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर

एचएमटी (आई) ने निम्नलिखित देशों के लिए प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केंद्र, एमएसएमई उत्पादन केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आदि की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

- गांधी मंडेला विशेषज्ञता केंद्र (जीएमसीओएस), प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका के लिए तीन वर्षीय रखरखाव योजना
- 500 सामान्य मशीन और100 कढ़ाई सिलाई मशिनों के खरीद और आपूर्ति जाम्बिया के सरकार के लिए

2.1.2. 2 विदेश मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव :

एचएमटी (आई) ने विभिन्न मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, कौशल विकास केंद्रों, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास केंद्रों आदि की स्थापना करने के लिये निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

- नेपीडॉ राज्य अकादमी, नेपीडॉ, म्यांमार में पीएचडी कार्यक्रम अंतर्गत प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रयोगशाला (भौतिकी और रसायन विज्ञान) उपकरणों की आपूर्ति
- यांगून, म्यांमार में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) की स्थापना
- 14 प्रशांत द्वीप देशों (अर्थात कुक द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, फिजी, किरिबाती, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, नाउरू, मार्शल द्वीप समूह गणराज्य, समोआ, सोलोमन द्वीप समूह, टोंगा, तुवालु और वानुअतु) में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) का विकास।
- कैरिकॉम देशों में तकनीकी विकास संस्थान (टीडीआई) की स्थापना।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं पर अध्यतन :

1. भारत-म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईएमआईटीसी), मोन्यवा, म्यांमार की स्थापना:
   - आपूर्ति की गयी मशीनों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग, भारत में प्रशिक्षण पूरा हो गया है।
   - म्यांमार में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के कारण, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (ओजेटी) प्रदान करने के लिए म्यांमार में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति लंबित है।
   - म्यांमार स्थित भारतीय मिशन से पुष्टि के बाद ओजेटी की योजना बनाया जायेगा।
2. भारत-म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईएमआईटीसी), म्यिंग्यान, म्यांमार के लिए पाँच वर्षीय व्यापक रखरखाव योजना:
   - चौथे वर्ष तक रखरखाव पूरा हो गया है।
   - पाँचवें वर्ष का रखरखाव प्रगति पर है।
   - भारत में प्रशिक्षण (तीसरा बैच) 29 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।
   - म्यांमार में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के कारण रखरखाव विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति लंबित है।
   - म्यांमार में भारतीय मिशन से पुष्टि होने पर रखरखाव विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की योजना बनाया जायेगा।

3. गांधी मंडेला विशेषज्ञता केंद्र (जीएमसीओएस), प्रिटोरिया के लिए तीन वर्षीय रखरखाव योजना:
   - विदेश मंत्रालय और एचएमटी (आई) के बीच 24 मई 2024 को समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
   - एचएमटी (आई) को अग्रिम राशि प्राप्त हो गई है और उसने खरीद एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ शुरू कर दिया गया हैं।
   - एचएमटी (आई) ने इस परियोजना से संबंधित 3 अप्रैल 2025 से 2 जून 2025 तक कुल 18 आदमी, महीनों के लिए रखरखाव गतिविधियों पर 10 दक्षिण अफ्रीकी सुविधादाताओं का भारत में प्रशिक्षण फलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
4. जाम्बिया सरकार को 500 साधारण और 100 कढ़ाई सिलाई मशीनों की खरीद और आपूर्ति:
   - एचएमटी (आई) को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए डीपीए-III प्रभाग, विदेश मंत्रालय से 20 दिसंबर 2024 की तारीख का एक लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है।
   - 500 साधारण और 100 कढ़ाई सिलाई मशीनों की खरीद प्रगति पर है।

2.1.2.3 विदेश मंत्रालय के अलावा हस्ताक्षरित समझौते:

i. एचएमटी(आई) ने मेसर्स ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण (ओएसडीए), भुवनेश्वर द्वारा प्रदत्त 437 लाख रुपये मूल्य की 20 लेथ मशीनों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अनुबंध का प्रशिक्षण घटक वर्तमान में लंबित है और इसके यथासमय पूरा होने की उम्मीद है।

ii. एचएमटी(आई) ने मेसर्स ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण (ओएसडीए), भुवनेश्वर द्वारा प्रदत्त 787 लाख रुपये मूल्य की मिलिंग और ग्राइंडिंग मशीनों की आपूर्ति का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सरफेस ग्राइंडर्स का स्थापना और कमीशनिंग तथा प्रशिक्षण गतिविधियाँ वर्तमान में लंबित हैं और इनके आगामी अवधि में पूरा होने की उम्मीद है।

iii. एचएमटी (आई) को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय - कोलकाता परिसर से नियंत्रण एवं द्रव यांत्रिकी प्रयोगशालाओं के लिये प्रशिक्षण उपकरण स्थापित करने हेतु 76 लाख रुपये मूल्य का ऑर्डर प्राप्त हुआ।

iv. एचएमटी (आई) को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय - चेन्नई परिसर से एक समुद्री प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये 189 लाख रुपये मूल्य का ऑर्डर प्राप्त हुआ।

2.1.2.4 रणनीतियाँ

कंपनी का लक्ष्य उच्चतर मूल्य के आदेश प्राप्त करने के लिए मध्य पूर्व, अफ्रीकी देशों आदि के लक्षित बाजारों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना और आक्रामक विपणन प्रयास करना है। इसके अलावा कम्पनी अपनी आर्डर बुक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न बाजार रणनीतियों का अनुसरण करेगी तथा इसके लिए उत्पादन वार विभिन्न रणनीतियों का निर्माण कर लिया गया है।

कंपनी द्वारा अंगीकार की गई एक नीति के अनुसार गैर-एमईए (सरकार द्वारा प्रायोजित के अलावा) परियोजनाओं का भी अनुकरण करना है और साथ ही एमईए परियोजनाओं में और अधिक अंशभाग की प्राप्ति के लिए बांग्लादेश, बेलिज, इक्वेर्टियल गुआना, इरिलजिया, लाइबेरिया, इंडोनेशिया, जमायका, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, फिलिस्तीन, सेनेगल, श्रीलंका, सुडान, दक्षिण सुडान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिम्बावे आदि जैसे देशों की नई परियोनाओं में अवसरों का अंवेषण करना है।

2.1.2. 5 विपणन प्रयास

कंपनी ने अपनी उपस्थिति में बढ़तोरी के लिए बिक्री प्रोत्साहन / बाजार विकास पहलों के साथ निम्नानुसार अनुकरण करने की योजना बनाई है:

1. एचएमटी (आई) ने अनुदान सहायता परियोजनाओं के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण / कौशल विकास केंद्र जैसी

टर्नकी परियोजनाओं को लागू करने के लिए विदेश मंत्रालय के लिए एक नोडल एजेंसी बनने की पहल की है।

i. माननीय मंत्री (एमएचआई) ने विदेश मंत्रालय की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एचएमटी (आई) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है।

ii. जवाब में, माननीय मंत्री (एमईए) ने बताया कि उनकी पेशकशों की चल रही समीक्षा पूरी होने के बाद विभिन्न तौर-तरीकों पर फैसला लिया जाएगा।

iii. इसके अलावा, आर्थिक सलाहकार, एमएचआई ने अतिरिक्त सचिव (डीपीए-II और IV), विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे माननीय मंत्री (एमएचआई) की सिफारिश पर कार्रवाई की नवीनतम स्थिति/स्थिति पर गौर करें और एमएचआई को अवगत कराएं।

iv. इसके जवाब में, विदेश मंत्रालय के अपर सचिव (डीपीए-II एवं IV) ने बताया कि वे डीपीए-II एवं IV प्रभाग के अंतर्गत साझेदार देशों की वर्तमान आवश्यकताओं की समीक्षा कर रहे हैं।

v. एचएमटी (आई) नई विदेश मंत्रालय अनुदान सहायता परियोजनाओं के लिए विदेश मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के संपर्क में है। जीएम (ओ एंड एम), एचएमटी (आई) ने पहले से ही प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों और नए व्यापार अवसरों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 20.02.2024 को संयुक्त सचिव (डीपीए-III), निदेशक (डीपीए-III) और निदेशक (बीएम) से मुलाकात की।

2. एचएमटी (आई) ने एमओयू को एमएसएमइ सचिवालय के साथ हस्ताक्षर किया है। एमोयू के अनुसार एचएमटी (आई) टूल रूप और प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत विकास आयुक्त (एमएसएमइ) विदेशों में चलनेवाले परियोजनाओं के लिए संबधित प्रदेशों में सहयोग करेगा. विकास आयुक्त (एमएसएमइ) अपने जाल बंध के माध्यम से टूल रूप और प्रशिक्षण केंद्र एचएमटी (आई) के सहयोग से विविध तांत्रिक सेवाए प्रदान करेगा।

3. विदेश मंत्रालय के साथ सहायता अनुदान परियोजनाओं में अधिक हिस्सेदारी के लिए बातचीत करने की कोशिश करना

4. गैर विदेश मंत्रालय परियोजनाओं के लिए भी बातचीत करने की कोशिश करना

5. नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अन्य औद्योगिक घरानों और एजेंसियों के साथ गठजोड़ करना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त विशेषज्ञता का उपयोग करना।

2. 3 कार्यनिष्पादन विवरण

(रु. लाख मे)

विवरण	2023-24	2023-24
बिक्री टर्नओवर		
एचएमटी उत्पाद एवं तकनीकी सेवाएं	1101	953
एजेंसी एवं अन्य	304	169
परियोजनाएं एवं सर्विसेस	130	637
योग	**1535**	**1759**

3. रिजर्व

तुलन पत्र में 184 लाख रुपए की राशि अग्रेणित की गई है।

4. शेयर पूंजी

कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 800 लाख रुपए तथा चुकता शेयर पूंजी 72 लाख रुपए है।

5. लाभांश

परिचालनों के लिए निधियों की आवश्यकता के विचार से, निदेशक अपने शेयरधारकों के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा करने की स्थिति में नहीं हैं।

6. जमा

वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी प्रकार के सावधि जमा स्वीकार नहीं किए हैं तथा इस प्रकार वर्ष के प्रारंभ/वर्ष के अंत में कोई बकाया सावधि जमा नहीं है।

7. कर्मचारियों का विवरण

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 14 और 1 संविधा (0 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति सहित) है।

कम्पनी के किसी भी कर्मचारी ने कम्पनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

8. मंडल की बैठकों/ बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकों का आयोजन किया गया था जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है। बैठकों के आयोजन के मध्य अंतराल कम्पनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित अवधि के दायरे में है।

9. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, सभी निदेशकों की नियुक्ति और नियम एवं शर्तों का निर्धारण (कार्यात्मक निदेशकों के कार्यकाल और पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा किया जाता है। एम

केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के संबंध में नियुक्ति/ पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप एचएमटी के कार्मिक मैनुअल में शामिल नीतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

निदेशक मंडल/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

भारी उद्योग मंत्रालय ने 26 मार्च, 2024 के आदेश के तहत एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री राजेश कोहली, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को सौंपा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, कृष्णास्वामी रविशंकर को तत्काल प्रभाव से और पदभार ग्रहण करने की तिथि से, एक वर्ष की अवधि के लिए या किसी नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्व स्वीकृति के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने और कार्यभार ग्रहण करने के बाद, उन्हें 5 अप्रैल, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया जाएगा।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 23 जुलाई 2024 के आदेश के माध्यम से डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय और श्री विमल आनंद, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग को एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरू के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नियुक्त किया है। वे क्रमशः सुश्री मुक्ता शेखर, पूर्व संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय और श्री विपुल बंसल, पूर्व संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं।

ऊपर बताए गए को छोड़कर, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बाद, भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 28 अप्रैल, 2025 और 26 जून, 2025 के आदेश के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के कार्यकारी निदेशक श्री राजेश कोहली को एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 05 अप्रैल, 2025 से 30 जून, 2025 तक और 30 जून, 2025 से 24 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, अर्थात क्रमशः भेल में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक, या नियमित पदधारी के रुप में शामिल होने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अधीन।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 14 जुलाई, 2025 के आदेश के माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री प्रेम चंद्र मौर्य को एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरु के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक भारी उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार डॉ. रेणुका मिश्रा के स्थान पर नियुक्त करने की सूचना दिया गया है। निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने के बाद, उन्हें 17 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया जाएगा।

श्री प्रेम चंद्र मौर्य, संयुक्त सचिव (डीआईएन: 11198433) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के साथ पठित कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुसार आगामी वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है।

श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। बोर्ड उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करता है।

श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 31.03.2025 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के अंतर्गत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी वर्ग में शामिल हैं।

10. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स नाजराज और अजित , चार्टर्ड एकाउंटेंट, बेंगलूरू की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की गई है।

11 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2024-25 की अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों के संबंध में की गई टिप्पणियां संलग्न हैं।

12. आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स नाजराज और अजित, चार्टर्ड एकाउंटेंटकी सेवाएं कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में प्राप्त की हैं। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने उनके सुझावों एवं अनुशंसाओं का अनुपालन प्रणाली में सुधार के लिए किया जाना जारी रखा है।

13. राजभाषा का कार्यान्वयन

कंपनी ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अपने प्रयास जारी रखे है।

14. ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण शून्य है

'ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संरक्षण' के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं क्योंकि कम्पनी किसी प्रकार के विनिर्माण क्रियाकलाप नहीं करती है।

15. विदेशी मुद्रा विनिमय आय एवं बर्हिप्रवाह

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना नीचे प्रस्तुत है:-

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	अर्जित विदेशी मुद्रा		
	निर्यात का एफओबी मूल्य	54	909
	तकनीकी सेवाएं		-
	योग	54	909
2.	विदेशी मुद्रा व्यय		
	विदेशी मुद्रा में व्यावसायिक परामर्श, यात्रा एवं अन्य कार्यों के लिए व्यय	**6**	**37**

16. मानव संसाधन

कम्पनी अपने बढ़ते ग्राहक आधार के अनुरूप ग्राहकों को विविध प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति के प्रति कर्मचारियों को पूर्णत: सक्षम बनाने उनके कौशल का निरंतर उन्नयन करने का सुनिश्चय करना है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कनिष्ठ और मध्यम स्तर

के प्रबंधकों के लिए अनेक प्रशिक्षण पहल की हैं। कर्मचारियों के लिए कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों को विद्यमान व्यावसायिक व्यवहारों, वित्तीय मामलों, निर्यात प्रबंधन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी प्रदान करना था।

17. सतर्कता गतिविधियाँ

कंपनी ने कर्मचारियों, विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच सतर्कता के प्रति जागरूकता की उत्पति के लिए एक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अंगीकार किया है। कंपनी की समग्र गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि से नजर रखने के लिए कंपनी में एक सतर्कता कक्ष स्थापित है। वर्ष के दौरान उच्च मूल्य के अनुबंधों और क्रय प्रणाली में सुधार और गहन जांच सतर्कता प्रशासन के लिए प्रमुख कार्य रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई और जहां भी आवश्यक हुआ, वहां यथासंभव शीघ्र पारदर्शी निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। कंपनी द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

18. कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2023-25 के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत के लिए आंतरिक स्मिति का गठन और प्रावधानों का नियम का अनुपालन किया है कार्य के स्थल पर महिलाओं के उपर यौन उत्पीड़न कोई शिकायत (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013) और इसके बारे में निम्न निखित ब्योरा दिया गया है :

1) इस वित्तीय वर्ष में समीति के सामने आये शिकायत संख्या – शून्य है
2) मिले शिकायतों में निवारण किये गये मामलें की संख्या – शून्य है
3) समीति के सामने नब्बे दिन से ज्यादा लंबित मामलें की संख्या – शून्य है

19. उद्यम जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के सम्मुख होने वाले विभिन्न जोखिमों के लिए बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली तथा समय पर यथोचित कार्रवाई के लिए ऐसे जोखिमों के मूल्यांकन के उद्देश्य से कम्पनी में जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश स्थापित हैं।

20. व्हीसल ब्लोअर नीति

कम्पनी में निदेशकों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने वास्तविक सरोकार प्रस्तुत करने के लिए सतर्कता तंत्रव्यवस्था / व्हीसल ब्लोअर नीति स्थापित है।

21. जालसाजी रिपोर्टिंग

विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी प्रकार की जालसाजी की घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।

22. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के प्रावधानों के उपबंधों के अनुसरण में आपका निदेशक मंडल, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं क्षमता तथा उनके द्वारा प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह पुष्टि करता है कि:

- 31.3.2025 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के निर्माण के दौरान लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण उचित स्पष्टीकरणों तथा के सामग्रीगत व्युतक्रम के उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;
- ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन एवं उपयोग संगत स्वरूप में न्यायपरक निर्णय लेकर एवं ऐसे औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत अनुमान लगाए गए हैं जिनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों एवं इस अवधि के कम्पनी के लाभ एवं हानि विवरणों की सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत होती है;
- कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के प्रति कम्पनी की परिसम्पतियों के संरक्षण एवं जालसाजी एवं अन्य

अनियमितताओं से बचाव करने एवं उनका पता लगाने की यथोचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की गई है;

- ऑन गोइंग कंसर्न आधार पर वार्षिक वित्तीय विवरण चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू थे और पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे;
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां मौजूद पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं;

23. वार्षिक विवरण का संक्षेप सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार वार्षिक विवरण का संक्षेप सार निर्धारित प्रारूप में कम्पनी की वेबसाइट https://www.hmti.com पर अपलोड किया गया है।

24. स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा और आईआईसीए द्वारा अनुरक्षित डेटा बैंक में पंजीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को सुश्री. अंजू मखीजा, कम्पनी की स्वतंत्र निदेशकों से यह घोषणा प्राप्त हो गई है।

कंपनी ने प्रवीणता के संबंध में, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, मानेसर ('आईआईसीए') के साथ बनाए गए डेटा बैंक में सभी स्वतंत्र निदेशकों के नाम शामिल करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं। तदनुसार, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने उक्त उद्देश्य के लिए आईआईसीए के साथ खुद को पंजीकृत किया है। कंपनी की स्वतंत्र निदेशक सुश्री. अंजू मखीजा ने 18.07.2024 को ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा पूरी कर ली है।

25. बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

सरकारी कंपनी होने के नाते, एचएमटी को एमसीए अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 और 5 जुलाई 2017 के अनुसार कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन से छूट प्राप्त है, जो कि प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय और/या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जाता है।

26. वित्तीय विवरणों की तिथि के पश्चात घटित घटनाएँ

इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि 31 मार्च 2025 के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

27. संबंधित पार्टी संव्यवहार

संबंधित पार्टी संव्यवहार विवरण वित्तीय विवरणों के नोट में दिया गया है।

वर्ष के दौरान किए गए प्रत्येक संबंधित पार्टी संव्यवहार व्यापार के सामान्य क्रम और आर्म्स लेंथ के आधार पर किए गए थे। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई सामग्रीगत संव्यवहार, अर्थात पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% से अधिक, संबंधित पार्टी के साथ नहीं किया गया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत आवश्यक संबंधित पार्टी संव्यवहार का प्रकटीकरण प्रपत्र एओसी-2 की प्रस्तुति लागू नहीं है।

28. ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल ऋणों का विवरण वित्तीय विवरणों के नोट में दिया गया है।

29. सहायक कम्पनियां, सम्बद्ध कम्पनियां / संयुक्त उद्यम कम्पनियां

यह कम्पनी एचएमटी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व (100%) वाली सहायक कम्पनी है। कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम अथवा सम्बद्ध कम्पनी नहीं है।

30. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण की रिपोर्ट इस **अनुबंध-1** के के साथ प्रस्तुत की गई है ।

31. कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन पर एक रिपोर्ट में **अनुबंध-2** के रूप में संलग्न है और इसके साथ ही सांविधिक लेखा परीक्षक से कॉर्पोरेट गोवेर्नेंस पर प्रमाण पत्र **अनुबंध-3** के रूम में संलग्न है।

32. भारतीय लेखांकन मानक

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16.2.2015 की अधिसूचना संख्या 111(इ)) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2016-17 से भारतीय लेखांकन मानक ("इंड एएस") के अनुसरण में किया गया है।

33. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स जी हरिता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध-4** के रूप में संलग्न है।सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर **अनुबंध-5** के रूप में निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

34. आचार संहिता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल के सदस्य (सदस्यों) और वरिष्ठ प्रबंधन से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त किए जाने से संबंधित एक घोषणा इस रिपोर्ट के **अनुबंध-6** के रूप में प्रस्तुत है।

35. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर का संबंधित कारणों सहित विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एकमुश्त समाधान की कोई स्थिति नहीं है।

36. दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के प्रति कोई आवेदन नहीं किया गया है अथवा कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है।

37. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में एक विस्तृत नोट ।प्बंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

38. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

39. कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार लागत रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

40. अन्य

ऐसे कोई महत्वपूर्ण सामग्रीगत आदेश किसी विनियामक अथवा न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित नहीं किए गए हैं जिनके प्रभाव से कम्पनी के परिचालनों की गोइंग स्थिति प्रभावित होती हो।

41. आभारोक्ति

आपके निदेशक एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी तथा इसकी सहायक कम्पनियों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषत: भारी उद्योग विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रधान निदेशक,

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, भारतीय रिजर्व बैंक, कम्पनी के बैंकर्स, एजेंटों तथा अपने मूल्यवान ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहयोग एवं समर्थन तथा कम्पनी के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा व्यवसाय विकास के लिए उच्च स्तर की प्रतिबद्धता एवं समर्पण की प्रस्तुति की गई है। प्रतिभागितापूर्ण एवं व्यावसायिक कार्य संस्कृति के परिणामस्वरूप आपकी कम्पनी सुदृढ़ता का एक स्रोत बनी हुई है। आपके निदेशक, प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान कम्पनी के परिचालनों के लिए प्रदान किए गए योगदान के प्रति अपना आभार यहां रिकार्डबद्ध करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 09.09.2025

अनुबंध 1

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1) निर्यात सेक्टर-

भारत का निर्यात क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उत्पादों और सेवाओं की विविध श्रृंखला के साथ, भारत वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख भूमिका है। इस क्षेत्र को मजबूत करने और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भारत ने विभिन्न प्रकार की रणनीतियां विकसित और कार्यान्वित की हैं।

भारत ने हाल के वर्षों में, निर्यात क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, व्यापार तनावों भौगोलिक व राजनीतिक घटनाओं की प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, प्रमुख क्षेत्रों में लचीलेपन और सरकारी समर्थन के कारण बढ़ते निर्यात आंकड़ों के साथ उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकार कुछ बाजारों पर निर्भरता कम करने और निर्यात लचीलापन बढ़ाने के लिए निर्यातकों को उच्च तकनीक और मूल्य वर्धित सामान सहित गैर-पारंपरिक बाजारों और उत्पादों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार परिदृश्य विकसित होता है, नवाचार, बाजार विविधीकरण और स्थिरता पर निरंतर ध्यान देना भविष्य में भारत के निर्यात क्षेत्र को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

वित्त वर्ष 2024-25 तक, भारत का निर्यात प्रदर्शन वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रहे समायोजन और रुझानों को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, भारत का कुल व्यापारिक निर्यात लगभग 24.9 यूएस डालर बिलियन डॉलर था। साल 2024-25 के माल निर्यात इसमे पेट्रोलियम के उत्पन्न नही आते इसका मूल्य बठकर अभिलिखित यूएस डालर 374.1 बिलियन, साल 2023-24 के मुकाबले 352.9 बिलियन यूएस डालर 0.6 ज्यादा मुनाफा दर्ज किया है। अभी तक के सालान निर्यात के आकडे में गैर- माल निर्यात में सबसे ज्यादा दर्ज किया है।

भारत का इंजीनियरिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र में मशीनरी और उपकरणों से लेकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और घटकों तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भारत के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। आम तौर पर इसका योगदान करीब 24% है।

प्रमुख बाजार जहां कंपनी अपने संस्था एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (एचएमटी (आई) भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों को पूरा करती है वे मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश हैं। कंपनी के प्रमुख कार्य क्षेत्र तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा उत्पादों के निर्यात जैसे टर्नकी आधार पर विदेशों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन हैं। सभी परियोजनाएं बिना किसी लागत और समय की अधिकता के टर्नकी आधार पर क्रियान्वित की गई हैं, जिसमें भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों में मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग प्रशिक्षण और प्रबंधन में तकनीकी सहायता के अलावा एचएमटी (आई) के विशेषज्ञों द्वारा परियोजना स्थल पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण शामिल है।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में अपेक्षित अनुभव और क्षमताएं हैं, जो विदेश मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत विकासशील और अल्पविकसित देशों को प्रदान की जाती हैं।

1. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
2. उद्यमिता एवं तकनीकी विकास केंद्र (ई टी डी सी)
3. स्मार्ट कार्यशाला (वर्कशाप)/ स्मार्ट कक्षा (क्लासरूम)
4. इंजिनियरिंग विनिर्माण अधिष्ठान के लिए उपकरण कक्ष
5. लघु एवं मध्यम उद्यम विकास केंद्र

6. सामान्य सुविधा केंद्र (सी एफ सी)
7. इंजीनियरिंग/शैक्षिक संस्थानों के लिए कार्यशालाएं/ प्रयोगशालाएं
8. डेरी प्रसंस्करण इकाई
9. खाद्य/ फल प्रसंस्करण, काजू प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण आदि
10. परिधान निर्माण
11. (फौंडरी) कार्यशालाएं
12. आइटी परियोजनाएं
13. दमकल गाड़ियां आपूर्ति, ई रिक्शा, बुलेटप्रूफ वाहन, बस आदि

2) स्वॉट विश्लेषण

स्ट्रेंथ

1. वर्षों से एचएमटी के मजबूत तकनीकी आधार और संसाधनों के आधार पर, कंपनी को मशीन टूल्स के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. निर्यात के क्षेत्र में पांच दशकों का अनुभव
3. 75 से अधिक देशों को निर्यात
4. बिक्री के बाद सेवा और पुर्जों की आपूर्ति।
5. इंजीनियरिंग क्षेत्र की विस्तृत श्रेणियों का अनुभूत अनुभव, जिसमें विनिर्माण, अनुरक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टर्नकी परियोजनाओं का निष्पादन शामिल है। कम्पनी परामर्शी सेवाओं, तकनीकी एवं इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक के लिए टर्नकी आधार पर वृहद पैकेज प्रदान करती है।
6. एचएमटी की समूह कम्पनियों से तकनीकी एवं कार्य कुशल जनशक्ति का समर्थन प्राप्त
7. न केवल एचएमटी के कार्यक्षेत्र में, अपितु अन्य क्षेत्रों उदाहरण के लिए फल प्रसंस्करण, डेयरी, काजू प्रसंस्करण, वाहनों की आपूर्ति भी सफल निष्पादन किए हैं।
8. प्रशिक्षण एवं टूल रूम परियोजनाओं के निष्पादन की प्रमुख क्षमता
9. परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तकनीकी रूप से अर्हक एवं अनुभव प्राप्त टीम

वीकनेस

1. कम लागत वाले देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का अभाव
2. जटिल खरीद प्रक्रियाओं के कारण पूछताछ और निविदाओं के लिए अधिक प्रतिक्रिया समय।

अवसर

1. अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बेलिज, सेनेगल, बांग्लादेश आदि में व्यापक अवसर उच्च प्रौद्योगिकी वाली पश्चिमी वस्तुओं के स्थान पर मध्यम प्रौद्योगिकी और मध्यम कीमत वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाए।
2. लगातार तनावपूर्ण औद्योगिकरण विकासशील देशों में मशीनरी, इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवाओं के निर्यात के लिए बाजार खुल जाता है।

खतरे

1. कंपनी के लिए मामूली निश्चित लाभ और लॉजिस्टिक्स में अनिश्चितता निर्यात कारोबार के लिए खतरा बन रही है
2. चीन और पूर्वी यूरोपीय निर्माताओं के आक्रामक विपणन और मूल निर्धारित रणनीति कंपनी के निर्यात के लिए एक बड़ा जोखिम है
3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा बाली परियोजनाओं पर निर्भर होने का आसार ज्यादा होना, संभानीय प्रत्यक्ष नामांकन में कमी आना

घ) सेगमेंट वार/उत्पाद वार निष्पादन

उत्पाद-वार प्रदर्शन: कंपनी के वर्ष 2024-25 के लिए उत्पाद-वार बिक्री निम्नानुसार है -

क्षेत्र	रु. (लाख में)
मशीन टूल्स	1405
परियोजना और सेवाएं	130
योग	1535

ड) आउटलुक-

कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय मशीन टूल्स का निर्यात, परियोजनाओं और सेवाओं का निष्पादन है। वर्तमान में कंपनी केवल मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों को मशीन टूल्स का निर्यात कर रही है। अपनी बिक्री में संवर्धन के लिए कंपनी के लिए नए बाजारों का अंवेषण आवश्यक है। इंजीनियरिंग निर्यात के लिए श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, बेलीज, म्यांमार आदि प्रमुख बाजार बने हुए हैं। मशीन टूल्स के निर्यात के मामले में दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार आकर्षक है। यह बाजार मुख्य रूप से अपने मशीन टूल्स उपकरण की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। जहां एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड तकनीकी या वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है वहां अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीन टूल्स के विपणन पर विचार संभव होगा। कंपनी विपणन परियोजना विशेषज्ञता के अपने अम्बार को और अधिक विस्तारित करने के लिए विपणन परियोजनाओं में प्रवेश के लिए निर्यात संगठनों एवं कंपनियों के साथ सहकार्यता करेगी।

च) जोखिम और चिंता-

1. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा से मूल्य के प्रति संवेदनशील मशीन टूल्स के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है जिससे कंपनी का पहले से ही कम मार्जिन और कम हो गया है।
2. डिलीवरी में संभावित देरी और वैश्विक बाजार में मशीन टूल्स के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी कीमतों की चुनौती।
3. विस्तृत और संभावित रूप से लम्बी खरीद प्रक्रियाएं परियोजना खरीद की प्रक्रिया में देरी करती रहती हैं।
4. परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष नामांकन के बजाय विदेश मंत्रालय द्वारा निविदा जारी करने की बढ़ती प्रवृत्ति से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और इसके लिए उन्नत बोली क्षमताओं की आवश्यकता है।

छ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त प्रणालियां स्थापित हैं जो कम्पनी के आकार और प्रचालन के स्वरूप के अनुरूप हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रमुख आकर्षण निम्नानुसार हैं:

1. पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए प्राधिकरण सीमाओं के साथ शक्तियों का स्पष्ट प्रत्यायोजन।
2. लेखांकन, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट शासन के लिए विधिवत निर्धारित कॉर्पोरेट नीतियां। कंपनी सरकार के मार्गसूचियों का परिपालन सुचारू रुप से कर रही है, जो मार्ग सूची शासन प्रणाली कार्पोरेट संस्थाओं के लिए सार्वजनिक प्राद्योगिक विभाग सिपीइयों के लिए बनाया गया है उनका पालन करते है।
3. अनधिकृत उपयोग या निपटान के विरुद्ध परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि लेनदेन अधिकृत हों तथा उनका सही ढंग से अभिलेखन किया गया हो।
4. वार्षिक/समग्र और दीर्घकालिक/रणनीतिक व्यावसायिक योजनाओं को तैयार करने और उनकी समीक्षा करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का लगातार पालन किया गया है।
5. विभिन्न मदों के अंतर्गत लक्ष्यों के मासिक विवरण से युक्त विस्तृत वार्षिक बजट।
6. सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए निरंतर प्रतिबद्धता
7. कंपनी के लिए दस वर्ष का रोड मैप के साथ भविष्य के परिचालअनों के लिए रणनीति रुपरेखा बनाना

ज) वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की टर्नओवर पिछले वर्ष के 1759 लाख रुपये की तुलना में 1535 लाख रुपये है। पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी का कारोबार 1535 लाख रुपए है। कंपनी ने लाभ की तुलना में लाख रुपए (कर पश्चात लाभ) 184 रुपयों का लाभ पिछले साल 80 लाख बढ़कर अर्जित किया है इस लिए लाभंश का प्रवृत्ति जारी है।

झ) मानव संसाधन

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी का जनशक्ति बल 14 और 1 संविदा कर्मी है। कंपनी का लक्ष्य अपने बढ़ते ग्राहक आधार के अनुरूप ग्राहकों को विविध प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति के प्रति कर्मचारियों को पूर्णत: सक्षम बनाने उनके कौशल का निरंतर उन्नयन करने का सुनिश्चय करना है। कंपनी ने कर्मचारियों की कार्य क्षमता को अभ्युत्थान के लिए पहल किया है।

ञ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 09.09.2025

अनुबंध-2

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार जारी कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों, सरकारी कम्पनियों के लिए यथा लागू, तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करके आपकी कम्पनी एतद्द्वारा कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रही है।

कम्पनी कॉर्पोरेट शासन के उच्चतर मानकों के अनुरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इसके द्वारा कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए यथोचित कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया की गई है।

निदेशक मंडल

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्राभर), दो अंश-कालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) और एक अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल थे।

कंपनी के रोजमर्रा के कार्यों का प्रबंधन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्राभर) और निदेशक मंडल की देखरेख और नियंत्रण में किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, चार (4) बोर्ड बैठकें 19 जुलाई, 2024, 04 सितंबर, 2024, 11 दिसंबर, 2024 और 26 मार्च, 2025 को आयोजित की गईं।

निदेशकों की संरचना और वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है:

नाम	श्रेणी	उपस्थिति विवरण		अन्य निदेशकों और समिति के सदस्य / अध्यक्षता आयोजित की		
		मंडल बैठक	वार्षिक आम सभा	निदेशक पद	समिति	
					सदस्यता	अध्यक्षता
श्री राजेश कोहली (डीआईएनः10333951)	सी	4	हाँ	4	4	1
श्री. कृष्णस्वामी रविशंकर (डीआईएनः10540509)	सी	-	लागू नहीं	3	6	1
श्री विमल आनंद (डीआईएनः 10692946)	एनईएनआई	2	नहीं	-	-	-
डा. रेणुका मिश्रा (डीआईएनः08635835)	एनईएनआई	3	हाँ	9	3	1
श्रीमती मुक्ता शेखर (डीआईएनः10118859)	एनईएनआई	0	लागू नहीं	8	1	4
श्री. विपुल बंसल (डीआईएन: 02687229)	एनईएनआई	0	लागू नहीं	-	-	-
सुश्री. अंजू मखीजा (डीआईएन: 02414138)	एनईआई	4	हाँ	-	-	-

सी: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईएनआई: कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र, एनईएनआई: गैर कार्यकारी एवं गैर स्वतंत्र, एनईआई: गैर कार्यकारी एवं स्वतंत्र, एनईएनआई: गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक: लागू नहीं

नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा

श्री प्रेम चंद्र मौर्य को 17.07.2025 से एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। वे भारतीय राजस्व सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में वे भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।

57 वर्षीय श्री प्रेम चंद्र मौर्य ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वे 1995 में आयकर विभाग में शामिल हुए और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर रहे, जिनमें उप निदेशक (जांच)/उपायुक्त, आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) में अपर निदेशक (जाँच), राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र, दिल्ली में सीआईटी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के एक विभाग, एसएफआईओ में अपर निदेशक (जाँच) और प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) काम करने का अनुभव हैं।

श्री प्रेम चंद्र मौर्य को कर प्रशासन और जाँच-पड़ताल में 29 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जिसमें न्यायाधिकरण के समक्ष कर मामलों का प्रतिनिधित्व, आयकर विभाग में रेंज प्रमुख, फेसलेस असेसमेंट निदेशालय में सीआईटी के रूप में कार्य करने का अनुभव, आयकर विभाग में पीसीआईटी के रूप में कार्य करने का अनुभव, गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय में विभिन्न मामलों की जाँच आदि काम करने का अनुभव हैं।

श्री प्रेम चंद्र मौर्य राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और एचएमटी वॉचेस लिमिटेड में निदेशक पद पर कार्यरत हैं। वे सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, और एचएमटी लिमिटेड में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सदस्य हैं।

श्री. राजेश कोहली को 05.04.2024 से एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

श्री. राजेश कोहली मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में कार्यकारी निदेशक हैं। श्री. राजेश कोहली एनआईटी कुरुक्षेत्र (हरियाणा) से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्हें उद्योग में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे 1987 में हरिद्वार (उत्तराखंड) में बीएचईएल के हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरण संयंत्र में शामिल हुए थे। उन्होंने बीएचईएल में अनुसंधान एवं विकास तथा आईपीआर पोर्टफोलियो सहित सुपरकंडक्टिंग मशीनों, बड़ी विद्युत मशीनों और रक्षा व्यवसाय जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के विविध क्षेत्रों में काम किया है।

उन्होंने 2016 में नई दिल्ली स्थित बीएचईएल कॉर्पोरेट कार्यालय में कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रभाग में कार्यभार संभाला। उन्हें मूल उपकरण निर्माताओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों का व्यापक अनुभव है। बीएचईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके हालिया कार्यभार में प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग, संयुक्त उद्यम, एम एंड ए, आर एंड डी और इनोवेशन रणनीति, ज्ञान प्रबंधन, लागत अनुकूलन आदि सहित विविध भूमिकाएं शामिल थीं। उनके नेतृत्व में, बीएचईएल ने विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में वैश्विक ओईएम के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी की है; तथा हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला, कोयले से लेकर रसायन और रेल परिवहन क्षेत्रों में नई साझेदारियों पर काम कर रहा है।

हाल ही में, उन्होंने कोयला गैसीकरण के लिए बीएचईएल की आंतरिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और विविध औद्योगिक उपयोग के लिए रसायनों में इसके रूपांतरण का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप बीएचईएल ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बीएचईएल के पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए कई अन्य गठबंधनों पर सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के तत्वावधान में प्रबंधन बिरादरी

के साथ सक्रिय रूप से काम किया। वह एक प्रमाणित संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन निर्धारक हैं और सीआईएमडेटा यूएसए द्वारा प्रमाणित उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन (पीएलएम) लीड भी हैं।

श्री. राजेश कोहली, एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड की अन्य सहायक कंपनियों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पदों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक का पद संभाल रहे हैं। वह एचएमटी लिमिटेड में सीएसआर समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड में लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य हैं।

निदेशकों के लिए अनुकूलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

कम्पनी द्वारा कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी के परिचालनों, नीतियों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में उनकी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के लिए अनुकूलन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

निदेशकों के लिए अनुकूलन और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को स्वतंत्र निदेशको द्वारा भाग लेनेवालों की संख्या - शून्य

वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशक सुश्री. अंजू मखीजा सीपीएसइ के वित्तीय प्रदर्शन समीक्षा बैठक जो सीपीएसइ के एमएचआई के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 को नई दिल्ली में 30 अगस्त 2024 के दिन भारी उद्योग सचिवालय द्वारा आयोजित में भाग लिया।

निदेशक मंडल की समितियां

लेखापरीक्षा एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित मानदंड कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

निदेशकों का पारिश्रमिक

चूंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, इसलिए पूर्णकालिक निदेशक के पारिश्रमिक का विवरण शून्य है।

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर किसी भी निदेशक को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक को प्रति बोर्ड बैठक 5000/- का भुगतान किया जाता है। बैठक में भाग लेने के लिए वाहन की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा वास्तविक के अनुसार की जाती है।

कर्तव्यों के निर्वहन के बैठक की फीस और व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा, किसी भी गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

वर्ष 2024 -25 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है।

	रुपये में राशि
नाम	बोर्ड की बैठकों के लिए बैठक शुल्क का भुगतान
सुश्री. अंजू मखीजा	20,000/-

आम सभा का आयोजन

कम्पनी की पिछली तीन वार्षिक आम सभा के आयोजन से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2021-2022	20.09.2022	दोपहर 04.30 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय
2022-2023	29.09.2023	सुबह 09.20 बजे	
2023-2024	04.09.2024	दोपहर 03.12 बजे	

विशेष संकल्प, यदि कोई हो

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

चालू वर्ष की वार्षिक आम का आयोजन दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को या उससे पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाना अनुसूचित है।

विसल ब्लोअर नीति

एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ने वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो कंपनी पर भी लागू है। यह नीति निदेशक/कों या कर्मचारी/कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और उपयुक्त या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का भी प्रावधान करती है।

हम पुष्टि करते हैं कि किसी भी कार्मिक को एचएमटी लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति के निदेश और दिशानिर्देश

आपकी कंपनी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

वर्ष के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी को जारी किए गए राष्ट्रपति निर्देशों तथा उनके अनुपालन का ब्यौरा – शून्य

प्रकटीकरण

कम्पनी के प्रोमोटरो, निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों के मध्य किसी प्रकार के ऐसे सामग्रीगत संव्यवहार नहीं किए गए थे जिनसे मुख्यत: कम्पनी के किसी हित के प्रति संघर्ष की कोई संभावना हो।

कम्पनी की ओर से पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए किसी अन्य अन्यथा अनुपालन, सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी पर लगाए गए दंड, गुण दोष व्याख्या अथवा सरकार द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुपालन का और कोई मामला नहीं है।

कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है।

लेखा पुस्तकों में कोई भी ऐसा व्यय नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से न हो तथा कोई भी ऐसा व्यय नहीं दर्शाया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो तथा निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

अन्य व्यय (प्रशासनिक एवं अन्य विविध व्यय सहित) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 9.39% हैं।

संचार के माध्यम

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी होने के नाते कम्पनी अपने वित्तीय परिणामों की आवधिक रूप से प्रस्तुति एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी को करती है। वार्षिक परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.hmti.com पर भी अद्यतन किए जाते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित
राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन - 10333951

स्थान -बेंगलूरू
दिनांक- 09.09.2024

अनुबंध-3

कॉर्पोरेट शासन से संबंधित प्रमाण पत्र

सेवा में

सभी सदस्य गण

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, (''कम्पनी'') द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों का अनुपालन कम्पनी के प्रबंधन का है। हमारे द्वारा की गई जांच कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन क अनुपालन की स्थिति के सुनिश्चय के लिए अंगीकार की गई सम्बद्ध प्रक्रियाओं एवं कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो किसी प्रकार की लेखापरीक्षा थी तथा न ही यह कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे किसी मत की अभिव्यक्ति है।

कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशक पूर्णत: अपेक्षाओं के अनुसार हैं तथा लागू न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।

उपर्युक्त विषय के संबंध में, हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में कॉर्पोरेट शासन की प्रत्येक स्थितियों का ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि अनुपालन कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में तथा न ही यह कम्पनी के कौशल अथवा प्रभावशीलता के प्रति, जिसके प्रभाव से प्रबंधन द्वारा कम्पनी के कार्यों का संचालन किया गया है, किसी प्रकार का आश्वासन है।

नागराज और अजित के लिए,
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
(एफआरएन 010986एस)

सि ए नागराज आचार और
साझेदार
(एम नं. 214035)
यूडीआईएन: 25214035BMKNUP7013

स्थान- बेंगलूरू

दिनांक-15.05.2025

अनुबंध-4

फार्म संख्या: एमआर 03

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के परिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में सेबी (एलओडीआर) 2015 का विनियमन 24ए]

सेवा में,
सदस्य
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
न.59, बेल्लारी रोड बेंगलूरु-560032 , कर्नाटक ,भारत

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड कम्पनी'के नाम से संदर्भित (सीआईएन : U33309KA1974GOI002707) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए साचिविक लेखापरीक्षण किया है। साचिविक लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण/ सार्वधिक अनुपालन के मूल्यांक के लिए औचित्यपरक के आधार की प्राप्ति हो सके।

कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड के सत्यापन तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साचिविक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कम्पनी ने, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष (एतद्वारा ''लेखापरीक्षा अवधि'' के नाम से संदर्भित) के संबंध में लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान एतद्सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों के अनुसार अनुपालन नीचे की गई रिपोर्टिंग की शर्त पर विधिवत रूप से किया गया है तथा कम्पनी में निदेशक मंडल प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित अनुपालन के लिए तंत्र व्यवस्था स्थापित है:

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच की है:-

i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) उसके अध्याधीन निर्मित नियम ;

ii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियम; **कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में बनाए रखे जाते हैं।**

iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाए गए नियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; **रिपोर्ट के तहत अवधि के लिए लागू नहीं**

iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियमय 1993; **कम्पनी के संबंध में लागू नहीं, क्योंकि कम्पनी ने विचाराधीन लेखापरीक्षा अवधि में इक्विटी शेयरों का भौतिक स्वरूप में अनुरक्षण नहीं किया है**

v) कम्पनी के संबंध में विशिष्ट लागू अन्य कानून, नामत; हमें दी गई सूचना के अनुसार यह कम्पनी एक ट्रेडिंग कम्पनी है तथा इसके द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 सहित सभी लागू कानूनों का पालन किया गया है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) न द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस-1) और

सामान्य बैठकों (एसएस-2) की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानकों के लागू खंडों - के अनुपालन की भी जांच की है।

तदनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी में विचाराधीन अवधि के दौरान, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किए जाने के सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित थी।

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी होने के कारण निम्नलिखित अधिनियम, नियम, दिशानिर्देश तथा विनियम **लागू नहीं होते हैं**:-

अ) प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमन 2011इसके संशोधन सहित

आ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर व्यापर निषेध) विनिमय 2015 इसके संशोधन सहित

इ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 इसके संशोधन सहित

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021

उ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 इसके संशोधन सहित

ऊ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993;

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 इसके संशोधनों सहित;

ऐ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियम, 1998 और इसके संशोधन सहित

ओ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 इसके संशोधन सहित

औ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009; इसके संशोधन सहित

अं) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन 2013 और इसमें संशोधन।

हमने कम्पनी के संबंध में निम्नलिखित के अनुपालन की जांच नहीं की है :

1. वित्तीय कानून, जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानून, वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण इत्यादि, क्योंकि इनकी समीक्षा सांविधिक (वित्तीय) लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों एवं अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिकों द्वारा की जानी है।
2. स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता अनुबंध, यह कम्पनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी, और सूचीबद्ध सरकारी कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, एचएमटी लिमिटेड की एक गैर-मैटिरियल सहायक कम्पनी है।
3. कम्पनी द्वारा सूचित किए गए अनुसार कम्पनी के संबंध में लागू उद्योग विशिष्ट कानूनों / सामान्य कानूनों का अनुपालन किया गया है। प्रबंधन ने यह प्रस्तुति तथा पुष्टि की है कि उद्योग / श्रम इत्यादि से सम्बद्ध सभी कानूनों, नियमों एवं विनियमों, आदेशों, मनको तथा दिशानिर्देश का अनुपालन कंपनी ने किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन निम्नलिखित को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे:

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, यह देखा गया कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24(1) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक निदेशक मंडल में निदेशक होना चाहिए, एक असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया।

हालाँकि, श्रीमती अंजू मखीजा को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2023 के आदेश के अनुसार 10.06.2023 से कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री वेलपांडियन अपने कार्यकाल की सेवानिवृत्ति के कारण 26.01.2023 से कंपनी के निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं रहे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अध्यक्ष द्वारा विधिवत दर्ज और हस्ताक्षरित बोर्ड बैठकों के मिनटों के अनुसार, बैठकों में निर्णय सर्वसम्मत थे और कोई भी असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई संशोधन / परिवर्तन नहीं किया गया था।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं थीं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कोई अन्य विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाई नहीं हुई, जिनका उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर पड़ा हो।

कृते जी हरिता एंड एसोसिएट्स

जी.हरिता
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफसीएस 5521
सीपी संख्या: 10749
पियर रिव्यू प्रमाणपत्र संख्या 6491/2025
यूडीआईएन: : F005521G001018071

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 14 अगस्ट 2025

नोट:

इस रिपोर्ट को **'अनुबंध क'** के साथ पढ़ा जाना है जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध 'क'

सेवा में,
सदस्य,
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
न.59 , बेल्लारी रोड बेंगलूरु-560032 कर्नाटक, भारत

यह समतिथि की हमारी रिपोर्ट के साथ पठनीय है।

1. सचिवीय रिकार्ड का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन सचिवीय रिकार्डों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने प्रत्येक उन लेखांकन व्यवहारों एवं प्रक्रियायओं का उपयोग किया है जो सचिवीय रिकार्डों के सार की शुद्धता का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित हैं। सचिवीय रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने का परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार हमारे मत की अभिव्यक्ति का उचित आधार है।
3. कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों एवं लेखा बहियों यथा आयकर, जीएसटी, सीमाशुल्क इत्यादि का सत्यापन हमने नहीं किया है।
4. जब कभी आवश्यकता प्रतीत हुई है तो हमने प्रबंधन से कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।
5. कम्पनी अधिनियम 2013 धारा 134(5) (च) के उपबंधो के अनुसार कार्पोरेट और अन्य लागू कानूनो, नियमो एवं विनियमों, मानकों के प्रावधानों का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित है।
6. यह सचिवीय रिपोर्ट कम्पनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।
7. यह लेखापरीक्षा हमें प्रस्तुत की गई अथवा कम्पनी इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्राप्त की गई तथा कम्पनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा ऑडियो तथा/अथवा विजुअल माध्यमों से प्रदान की गई कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, बैठकों के कार्यवृत, फार्मों, तथा फाइल की गई विवरणियों, दस्तावेजों एवं रिकार्डों के सत्यापन के आधार पर की गई है।

कृते जी हारित एंड एसोसिएट्स

जी.हारित
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफसीएस 5521
सीपी संख्या: 10749
पियर रिव्यू प्रमाणपत्र संख्या 6491/2025
यूडीआईएन: : F005521G001018071

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 14 अगस्ट 2025

अनुबंध -5

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट

संदर्भ	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	कंपनी का जवाब
01	रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, यह देखा गया कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24(1) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक निदेशक मंडल में निदेशक होना चाहिए, एक असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। हालाँकि, श्रीमती अंजू मखीजा को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2023 के आदेश के अनुसार 10.06.2023 से कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।	प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि सूचीकरण आवश्यकताओं का पालन करने के लिए एचएमटी लिमिटेड के एक स्वतंत्र निदेशक, कंपनी को एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, गैर-सूचीबद्ध सामग्री सहायक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरू
09.09.2025

अनुबंध-6

प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

विषय: धारा 3.4.2 के अंतर्गत आचार संहिता की घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट शासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता स्थापित है।

उक्त आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है तथा इसका वितरण निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को किया गया है; तथा,

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, पूर्णकालिक एवं अंशकालिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरू
09.09.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

सेवा में,

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

रायः

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन लाभ और हानि के विवरण, स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा स्टेंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लेखांकन नोट तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर उल्लेखित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित, भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त स्थिति के अनुसार, कंपनी के क्रियाकलापों एवं इसकी हानियों, कुल व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह तथा वर्ष में उक्त तिथि को इक्विटी परिवर्तन के संबंध में उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम) में की गई है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उनके तहत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप किया गया है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया की आचारसंहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे राय की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो मुख्यतः चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे स्वविवेक के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को चालू वर्ष के प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचाना है।

हमने वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले लेखापरीक्षा अवलोकन नोटों की रिपोर्ट कर दी है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों से भिन्न सूचना तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन सूचना एवं विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट तथा शेयरधारक सूचना शामिल होती है, परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं इससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे राय में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है तथा इसके लिए हम आश्वासन रूपी किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है

कि क्या अन्य सूचना स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी से संगत है अथवा नहीं है तथा यह किसी प्रकार से सामग्रीगत मिथ्या विवरण प्रतीत हो रही है अथवा नहीं हो रही है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य में, हमें इस अन्य सूचना में कोई सामग्रीगत मिथ्या कथन प्रतीत होता है तो हमसे तथ्य की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके बारे में रिपोर्ट किए जाने के लिए कोई तथ्य नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134 (5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कम्पनी की नकदी स्थिति की सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टैडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत/मान्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं उचित प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने राय के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के अंतर्गत हमने लेखापरीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

- वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जाल- साजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने राय के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से

कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के अंतर्गत, हम इस राय की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी सामग्रीगत स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता प्रतीत होती है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना राय संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा- परीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता की जानकारी प्रदान करने के लिए हमने हमारे द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में,

हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

ख) हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय सहित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ) हमारे मतानुसार, उपरोक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

ड) कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के उपबंधों के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान सरकारी कम्पनी होने के कारण से कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता "अनुलग्नक-क" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कम्पनी के आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के बारे में अपरिवर्तित राय की अभिव्यक्ति की गई है।

छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलो के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं। कि वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने निदेशकों को अधिनियम की धारा 197 के अनुसरण में पारिश्रमिक चुकता किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को किया गया पारिश्रमिक, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है। (जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।)

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम ।। के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:-

क) कम्पनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण कर दिया है।

ख) कंपनी के डिरिवैटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्व-पूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।

ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

घ) प्रबंधन द्वारा यह प्रस्तुति दी गई है कि :

क. अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई भी निधि विदेशी इकाई ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को कम्पनी द्वारा अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर

प्रीमियम अथवा अन्य किन्हीं स्रोतो अथवा अन्य प्रकार की निधियों में से किसी में से) के लिए इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में, अन्य व्यक्तियों अथवा कम्पनी ('अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से किसी भी विधि से निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश के लिए अथवा किसी गारंटी, प्रतिभूति अथवा अंतिम लाभग्राहियों की ओर किसी प्रकार की प्रतिभूति के लिए प्रदान की जाएंगी।

ख. अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी फंडिंग पार्टी (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने जाने वाले अन्य व्यक्ति या संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

ग. हमारे द्वारा परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित मानकर निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण से इस राय की स्थापना होती हो कि उपर्युक्त उल्लेख मे के उप-खंड (i) तथा (ii) के अंतर्गत किसी प्रकार का सामग्रीगत मिथ्याकथन किया गया है।

घ. कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया गया है और न ही चुकता किया गया है।

ड. कम्पनी ने लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए ऐसे लेखांकन साफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की रिकार्डिंग के फीचर्स हैं तथा ये वर्ष के दौरान साफ्टवेयर में रिकार्ड किए गए सभी संव्यवहारों के लिए किया गया है तथा लेखापरीक्षा ट्रायल फीचर में किसी प्रकार की फेरबदल नहीं की गई है तथा लेखापरीक्षा ट्रायल का संरक्षण कम्पनी द्वारा रिकार्ड रक्षण की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है।

च. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (11) के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की अपेक्षाओं का अनुसरण करके हम पैराग्राफ 3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित विवरण की प्रस्तुति 'अनुलग्नक ख' में कर रहे हैं।

नागराज और अजित के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 010986एस
सी ए नागराज आचार
साझेदार
एम नं- 214035

स्थान -बेंगलूरू
दिनांक-

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित हमारी समतिथि की रिपोर्ट के भाग 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं' के पैराग्राफ 1(च) में दिए गए गए संदर्भ के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के संबंध में 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशनिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदयित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के दिशनिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशनिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए। हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शमिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के भिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा राय की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है, (1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; (3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर पता लगाने के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को सामग्रीगत रुप से प्रभावित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत मिथ्याकथन की संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमारे मतानुसार, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करते हुए, कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित अनिवार्य मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार यह प्रभावी रूप से कार्यशील थी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के सभी सामग्रीगत पहलुओं मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का पर्याप्त अनुरक्षण हुआ है।

नागराज और अजित के लिए,

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन - 010986एस

सी ए नागराज आचार

साझेदार

एम नं- 214035

स्थान -बेंगलूरु

दिनांक-

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

(एचएमटी (इंटरनेशनल) लमिटिड के सदस्यों को संबोधति हमारी समतर्थि की रपिोर्ट के भाग 'अन्य वधिकि एवं वनियिामक अपेक्षाएं' के पैराग्राफ 1(च) में दएि गए गए संदर्भ के अनुसार)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और ऑडिट के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई खाता पुस्तकों और रिकॉर्ड के अनुसार, हम बताते हैं किः

1. क. कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकार्ड का रखरखाव किया गया है, जिसमें संम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का परिमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है।

ख. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने कम्पनी के आकार एवं परिसम्पतियों की प्रकृति के अनुसार संम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का औचित्यपरक अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया है। ऐसे सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

ग. तुलन पत्र तिथि को सभी अचल संपतियों के हक विलेख कम्पनी के नाम से धारित हैं।

घ. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी संम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का मूल्यन नहीं किया है अतः आदेश के खंड 3(1)(iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

ङ. कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत किसी बेनामी संपति के धारण से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है तथा इस प्रकार आदेश का खंड 3(1)(v) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

2. क. मालसूचियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा औचित्यपरक अंतराल में किया गया है। ऐसे सत्यापन के दौरान किसी प्रकार अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।(जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि वर्ष के दौरान कोई इन्वेंट्री नहीं रखी गई है)

ख. कम्पनी ने किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से किसी प्रकार की कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा प्राप्त नहीं की है तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3(2)(ii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

3. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा किसी कंपनी, फर्म, अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किए गए अन्य पक्षकारों को किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया गया है।

4. हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का धारक कम्पनियों को प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में अनुपालन नहीं किया है।

5. कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

6. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कम्पनी के लिए कम्पनी की किन्हीं भी गतिविधियों के संबंध में लागत रिकार्डो का अनुरक्षण करने की निर्दिष्टि नहीं की गई है।

7. हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसारः

क. कम्पनी के रिकार्डों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, सेवा कर तथा अन्य सांविधिक देयताओं का संबंधित प्राधिकरणों को भुगतान नियमित रूप किया गया है;

ख. भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर तथा अन्य गैर

विवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भुगतान की तिथि से छह माह से अधिक अवधि की कोई देयता नहीं है।

ग. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर आय कर अथवा वस्तु एवं सेवा कर अथवा बिक्री कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्य संवर्धित कर से संबंधित ऐसी कोई देयता नहीं है जो सम्बद्ध प्राधिकरणों को किसी विवाद के कारण जमा न की गई हो।

8. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान अपनी लेखा बहियों में किसी ऐसे संव्यवहार का लेखांकन नहीं किया गया है जो वर्ष के दौरान आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत सरेंडर किए गए हों अथवा प्रकटीकरण किए गए हों, इस प्रकार आदेश के खंड 3(viii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी के संबंध में नहीं लागू नहीं हैं।

9. हमारे मतानुसार एवं दी गई सूचना एवं प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा सरकार को किसी ऋण अथवा उधार के पुनर्भुगतान के प्रति किसी प्रकार की चूक नहीं की है।

10. कंपनी द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से किसी धन की उत्पति नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) के प्रावधान कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

11. हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कम्पनी के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारियों को जालसाजी के किसी कृत्य में रिपोर्टिंग की जानकारी हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रकाश में नहीं आई है।

12. हमारे मतानुसार तथा प्रबंधन की ओर से हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13. हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अंतर्गत, जहां लागू हैं, सम्बद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के सभी यथा लागू लेन-देन के प्रकटीकरण स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किए हैं।

14. हमारे मतानुसार, कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है। इसके अलावा, हमने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को विचार में लिया है।

15. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन की ओर से हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी द्वारा स्वयं से संबंधित निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकद लेनदेन नहीं किया गया है तथा इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-1 ए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

17. हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान भी नकद हानियां नहीं हुई हैं।

18. वर्ष के दौरान कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 का खंड 3(xiii) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

19. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल एवं उनसे लाभ प्राप्ति की संभावित तिथियों, वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य सूचना के आधार पर हमारा ऐसा मानना है कि लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग की तिथि को ऐसी कोई सामग्रीगत अनिश्चितता

व्याप्त नहीं है कि कम्पनी तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान देयताओं की पूर्ति, तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में जब कभी वे देय हों, न कर सके।

20. हमें दी गई सूचना एवं प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 135 (5) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3 (xx) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

21. कम्पनी के प्रति कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) में किसी प्रकार की अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई हैं। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xxi) लागू नहीं है।

नागराज और अजित के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 010986एस
सी ए नागराज आचार
साझेदार
एम नं- 214035

स्थान -बेंगलूरू
दिनांक- 15-05-2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायित्व हैं। यहा यह उल्लेखनीय है की दिनांक 15 , 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट मे उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के वित्तीय विवरण का पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रुप से वैधानिक लेखा परीक्षक के दस्तावेज को देखे बिना किया गया है। और वैधानिक लेखा परीक्षक के सीमित प्राथमिक पुछताछ और कंपनी (संस्था) के अधिकारी तथा चुने हुए लेखांक्न अभिलेख का परीक्षा किया गया है।

इस के आधार पर मै अपने पूरक लेखा परीक्षा में कुछ एसा महत्वपूर्ण विषय मेरी जानकारी मे नही आया है, जिस कारण पूरक वैधानिक लेखा परीक्षा के बारे में अधिनियम की धारा 143(6)(ब) के तहत टिप्पणी करूं ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

(वी एम वी नवल किशोर)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक
हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 16 जुलाई 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) निर्माण का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत और उसके बाद कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू प्रासंगिक संशोधन नियम जारी किए गए।

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण नीचे लेखांकन नीतियों में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापन किए गए कुछ वित्तीय प्रपत्रों के अलावा, प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी का अनुसरण करके किया गया है। ऐतिहासिक लागत सामान्यतः माल एवं सेवाओं के विनिमय में किए गए निर्धारण के अनुसार उचित मूल्य पर आधारित होती है।

ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप

1) अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों का निर्माण इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार करने के लिए प्रबंधन को न्यायपरक निर्णय, अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे राजस्व, व्यय,, परिसम्पतियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, ऐसे अनुमान विद्यमान घटनाओं एवं कार्रवाईयों के संबंध में प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पर आधारित होती हैं, ऐसे पूर्वानुमानों एवं अनुमानों के परिणामस्वरूप प्रतिफल में भावी अवधियों में परिसम्पतियों अथवा देयताओं की वहन राशियों में समायोजन करना पड़ सकता है। लेखांकन अनुमानों में किया जाने वाला कोई भी संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से किया जाता है।

2) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की प्रस्तुति अधिग्रहण अथवा निर्माण, निवल वैटेबल करों की लागत में से तिथि के अनुसार संचित मूल्यह्रास के अनुसार की गई है। लागत में पूंजीयन की गई परिसम्पति को उपयोग के लिए तैयार किए जाने तक की प्रत्यक्ष लागत और अधिग्रहण से सम्बद्ध ऋण की संबंधित वित्तीयन लागतें शामिल हैं।

भूमि के विकास से संबंधित व्यय का पूंजीयन व्यय किए जाने के वर्ष में किया जाता है।

तुलन पत्र की प्रत्येक तिथि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों के बकाया शेष का वर्गीकरण अन्य गैर-चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की लागत की परिसम्पति के रूप में स्वीकृति तब की जाती है जबः

1) यह संभावना हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे; तथा

2) मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप किया जा सकता हो;

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 माह की अवधि में बिक्री के लिए धारित संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मदों का वहन लागत अथवा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम मूल्य पर प्रकटीकरण किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब;

1) निपटान किए जाने पर; अथवा

2) जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होते हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में तब शामिल किया जाता है जब मद की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

विशेष उपकरण:

माल अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग के लिए निर्मित और क्रय किए गए विशेष उपकरणों पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद माना जाता है और 5 वर्षों के उपयोगी जीवन पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

3) पट्टे

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकार होती है उन पट्टों का वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टाकार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टाकार होती है, तो यह हेड लीज और सब-लीज में अलग-अलग अपने हितों के अंतगर्त आती है। उप पट्टे को मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली उपयोग के अधिकार संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टाकार के रूप में परिचालन पट्टे

क) परिचालन पट्टों से किराये की आय को सामान्यतः प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की संभावित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए इनके किराए की संरचना संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप की जाती है, ऐसी वृद्धि की स्वीकृति उस वर्ष की जाती जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं।

ख) मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भुगतान को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उनका वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

क) पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति के उपयोग का कोई अधिकार नहीं होता है और ऐसे पट्टे पर भुगतान प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, उपयोग के अधिकार (आरओयू) और अपनी पट्टे की व्यवस्था, यदि अनुबंध में स्वीकृत की जाने वाली संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है, के लिए किसी पट्टा देयता को स्वीकृति देती है। अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, अगर इसमें किसी पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है और कंपनी को संपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ मिलते हैं और पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है सिवाय इसके कि 12 महीने या उससे कम और कम मूल्य के पट्टों की अवधि के पट्टे, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

उपयोग अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समयोजित पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि के साथ-साथ कोई

प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समयोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि या उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन से कम है।

कंपनी पट्टे की देनदारी को पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापन तब करती है जब भुगतान पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर नहीं किया गया है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। लीज देनदारी और आरओयू संपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4) ऋण लागतें:

ऋण लागतों ब्याज एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं जो किसी इकाई द्वारा निधियों की प्राप्ति के वहन की जाती हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उधार लेने की लागत जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उस अवधि तक भी शामिल होती है जब तक कि वे उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

5) निवेश संपत्ति:

संव्यवहार की लागत सहित निवेश संपत्तियों का प्रारंभिक मापन किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, के अनुसार - प्रस्तुति की जाती है।

कम्पनी द्वारा निवेश परिसम्पतिके निर्माण घटक का मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची ।। में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा जब उन्हें उपयोग के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है। किसी परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के अंतर की स्वीकृति अस्वीकृति की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

6) अमूर्त परिसम्पतियां

i) अमूर्त संपत्ति की प्रस्तुति संचित परिशोधन एवं अक्षमता हानि को घटाकर लागत पर की गई है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर उस तिथि से किया गया है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल के निर्धारण का आधार अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता एवं ज्ञात प्रौद्योगिकी उन्नति) जैसे कारकों तथा परिसम्पति से भावी नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्यय पर निर्भर करती है।

ii) तकनीकी अनुभव पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

iii) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/ खरीदे गए सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति के की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है।

iv) अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान चरण:

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय का प्रभारण वर्ष में लाभ और हानि खाते में किया जाता है।

विकास चरण:

नई अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने गए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित विकास लागतों पर किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

7) मूल्यह्रास और परिशोधन:

संपति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा के आधार पर अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोज्यता काल पर, आवर्धन अथवा संवर्धन की तिथि के संदर्भ में यथानुपात प्रदान किया जाता है। जब कभी भी संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाता है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण के बही मूल्य के रूप में 1/- रुपये का मूल्य रखा जाता है। संपति, संयंत्र एवं उपकरण 10,000/- रुपये से कम लागतकी खरीद के वर्ष में रु. 1/- के मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' के रूप में भी जाना जाता है) की लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और संपति, संयंत्र एवं उपकरण से अलग उपयोज्यता काल है, उसका अलग से मूल्यह्रास किया जाएगा।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों का पांच साल की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और जिन वस्तुओं की कीमत 750 रुपये से कम है, उनका अधिग्रहण / निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रास किया जाता है।

परिशोधन विधियों और अमूर्त संपत्ति के उपयोज्यता काल की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भी शामिल है।

8) स्वामियों को वितरण के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद परिचालन:

यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री/वितरण के माध्यम से वसूलीय है तो कंपनी गैर-वर्तमान संपत्तियों का वर्गीकरण स्वामियों को बिक्री / वितरण के लिए धारित न के रूप में करती है। बिक्री / वितरण को पूरा करने के लिए न आवश्यक कार्रवाइयों को यह संकेत देना चाहिए कि बिक्री/वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है अथवा बिक्री / वितरण का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/ वितरण के लिए प्रबंधन प्रतिबद्ध इस होना चाहिए।

बिक्री के लिए / स्वामियों और निपटान समूहों को वितरण के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों को उनकी अग्रणीत राशि और बेचने / वितरित करने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर- वर्तमान परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं

9) सरकारी अनुदान:

सरकारी अनुदानों के लिए स्वीकृति तब दी जाती है जब अनुदान प्राप्ति और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन का औचित्यपरक आश्वासन होता है। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति की जानी है, व्यय हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोज्यता काल पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

10) मालसूची:

कच्चे माल, भंडार और पुर्जे, टूल्स और उपकरण, स्क्रैप, कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। भारित औसत लागत विधि अपनाकर सामग्रियों की लागत ज्ञात की जाती है।

कार्य प्रगति की लागत, तैयार माल और मार्गस्थ माल में प्रत्यक्ष सामग्रियां, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले परिवर्तनीय एवं निश्चित ओवरहेड का उचित भाग शामिल है।

नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए अतिरेक को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाते है। तथापि, नॉन मूविंग मालसूची के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब पांच साल से अधिक समय तक उनमें संचलन नहीं होता है और वे सामान्य अथवा विशिष्ट ऑर्डर के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

11) राजस्व स्वीकृति:

यदि किसी ग्राहक अनुबंध की संग्रहणीयता को अनुबंध के अंतर्गत तब संभावित माना जाता है, जब अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व, भुगतान शर्तें है, और साथ दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी गई है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और इसलिए, ये कंपनी को मिलने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व / आय से बाहर रखा गया है।

i) माल की बिक्री

राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब ग्राहक को माल अथवा सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जब उसे उत्पादों का अधिकार प्राप्त होता है और उत्पाद अथवा सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को ग्रहण करता है। आम तौर पर, शीर्षक और जोखिमों का हस्तांतरण और माल के स्वामित्व का प्रतिफल अनुबंधित रूप से परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) सेवाओं का प्रतिपादन:

सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व को पूरा होने के चरण के संदर्भ में मान्यता दी जाती है। पूर्णता के चरण को अब तक की गई सेवाओं के आधार पर कुल निष्पादित सेवाओं के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।

iii) किराये की आय:

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए किराए की संरचना की जाती है, ऐसी वृद्धि को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष में इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं।

iv) लाभांश आय:

लाभांश आय को स्वीकृति तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यतः तब होता है जब शेयरधारक लाभांश के लिए अनुमोदन देते हैं।

v) ब्याज आय:

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय लिखतों से होने वाली आय सहित ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

vi) वारंटी:

जब उत्पाद की बिक्री की जाती है अथवा ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है, तो वारंटी-संबंधित लागतों के प्रावधानों को स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक स्वीकृति ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। वारंटी-संबंधित लागतों का प्रारंभिक अनुमान वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में क्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से वारंटी का प्रावधान है।

vii) विस्तारित वारंटी:

जब कंपनी विस्तारित वारंटी का विक्रय करती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से राजस्व आस्थगित हो जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में स्वीकृति प्राप्त होती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद के मूल्य में शामिल हैं और संबंधित उत्पाद के लिए बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कंपनी इन दो मदों के लिए लेखांकन करती है।

12) विदेशी मुद्रा हस्तांतरण

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि की प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है। इस तरह के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है। गैर-मौद्रिक संपत्ति और गैर-मौद्रिक देनदारियों को एक विदेशी मुद्रा का मापन ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंतरण करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ अथवा हानि उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ का निर्धारण करने में शामिल होते हैं जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह मदों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित किया जाता है, लेनदेन की तिथि पर प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अंतरण किया जाता है।

13) सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी लाभ।

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के अंतर्गत छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है।

बीमांकिक मूल्यांकन पर निर्धारित पात्र कर्मचारियों की देनदारी को कवर करने के लिए, एक परिभाषित लाभ योजना के तहत ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित और प्रशासित ट्रस्ट के लिए अपेक्षित सीमा तक वार्षिक योगदान किया जाता है, जिसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पूरी तरह से कवर की जाती है।

एक परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके पात्र कर्मचारियों को सैटलमेंट भत्ता (एसए) प्रदान किया जाता है।

कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना अर्थात उपदान और एसए के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में स्वीकृति देती है। निवल परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ

और हानि अन्य व्यापक आय में मान्य हैं। इंड एएस के अनुसार, अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ और हानियों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है। जो कि इंड एएस अनुपालन अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी धारित आय के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) पर पुनः मापित लाभ और हानियों की स्वीकृति देती है।

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए संबंधित प्रावधान खाते में नाम से किया जाता है। उपदान, ईएलई और एसए के लिए किए गए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पुनर्लेखन किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान, ईएलई, एसए और एकमुश्त मुआवजे को चुकता किए जाने के वर्ष में पूरी तरह से बट्टा किया जाता है। वीआरएस के अंतर्गत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए बांडों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

14) आयकर:

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान अस्थगित कर परिसंपत्ति अथवा देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि की प्रस्तुति में वर्तमान और अस्थगित कर को स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और अस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में भी स्वीकृति प्राप्त है।

i) चालू कर:

चालू आयकर संपत्ति और देनदारियों का मापन कराधान अधिकारियों से वसूल अथवा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित हैं।

ii) अस्थगित कर:

अस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है।

15) प्रावधान:

किसी प्रावधान को स्वीकृति तब दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है, जिसमें यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने से आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और उससे दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेंगे। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के प्रभाव से प्रावधान में हुई वृद्धि को लाभ और हानि में विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित

भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने की पुष्टि करता है अथवा किसी गैर स्वीकृति प्राप्त वर्तमान दायित्व की क्योंकि उसमें दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की पुष्टि नहीं होती है। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देयता को स्वीकृति नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है।

16) अक्षमता हानि

i) वित्तीय परिसम्पतियांः

कंपनी द्वारा तुलन पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय परिसम्पतियों का समूह क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं है। इंड एएस 109 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का हानि भत्ता के माध्यम से मापन आवश्यक है। कंपनी उन सभी व्यापार प्राप्तियों के उपयोज्यता काल की अपेक्षित हानि को संज्ञान में लेती है जो वित्तीय संव्यवहार नहीं हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से काफी बढ़ गया है तो अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों के लिए, अनुमानित क्रेडिट हानियों को 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि अथवा उपयोज्यता काल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ii) गैर-वित्तीय परिसम्पतियांः

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, अथवा जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति अथवा नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

हानि नुकसान लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है। हानि के बाद, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

17) वित्तीय प्रपत्रः

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के संविदाकारी प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है तथा प्रारंभ में इनका मापन संव्यवहार लागतों का समयोजन करके उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। संव्यवहार लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों

के अधिग्रहण अथवा जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य से जोड़ा अथवा घटाया जाता है।

i) नकदी और नकदी समतुल्यः

कंपनी प्रत्येक अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्रों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद समतुल्य हैं। नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा वह शेष राशि शामिल होती है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित होती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों का धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए उन निर्दिष्ट तिथियों की प्रस्तुति करती हैं जब पूरी तरह से हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हो सकेगा।

(iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तिः

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतिः वित्तीय परिसम्पति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर तब मापा जाता है जब ये वित्तीय परिसम्पति एक व्यवसाय के भीतर धारित होती हैं तथा जिनका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसम्पति बेचने और अनुबंध की शर्तों दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसम्पति का प्रतिशत नकद प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होता है जब केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों की प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं मापा गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत स्वीकृति दी जाती है।

v) वित्तीय देयताएं:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके बाद में वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

vi) वित्तीय साधनों की स्वीकृति समाप्त करनाः

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और स्थानांतरण इंड एएस 109 के अंतर्गत अस्वीकृति के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की स्वीकृति समाप्त कर देती है। वित्तीय

देयता (अथवा वित्तीय देयता का भाग) जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है अथवा समाप्त कर दिया जाता है अथवा समाप्त हो जाता है, तो इसे अमान्य कर दिया जाता है।

vii) वित्तीय साधनों का उचित मूल्यः

अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित तारतम्यता और स्वीकृतियों का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

उचित मूल्य तारतम्यता:

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

► स्तर 1 - समान संपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असयोजित) बाजार मूल्य

► स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है

► स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अप्राप्य है

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत मेंवर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है संपूर्ण तरीके से) हुआ है।

18) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, पूर्वानुमान एवं धारणाएं

कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, पूर्वानुमान तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की सूचित मात्रा और साथ-साथ प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। इन धारणाओं और अनुमानों की अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन करने पड़ते हैं।

i) निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

क) परिचालन पट्टा - पट्टाकार के रूप में कंपनीः

कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो में वाणिज्यिक संपत्ति में प्रवेश किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का एक बड़ा भाग नहीं है, कि इनमें स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों का धारण होता हो तथा ये अनुबंध परिचालन पट्टे हो सकते हो।

ख) बंद परिचालनः

दिनांक 27/10/2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुसार ट्रैक्टर डिवीजनों के परिचालनों को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इंड एएस 16, इंड

एएस 40 और इंड एएस 105 की परिभाषाओं के आधार पर किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि कंपनी पट्टा किराया उत्पन्न करने के लिए भूमि और भवनों के प्रमुख भाग तीसरे पक्ष को पट्टे पर देगी और तदनुसार, इनका वर्गीकरण निवेश संपत्तियों के रूप में किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणः

कॉर्पोरेट मुख्यालय का भवन, जिसमें संपत्ति के महत्वपूर्ण भाग का उपयोग कंपनी के स्वामित्व की संपत्ति के रूप में किया जाता है और कुछ भाग कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया गया है। प्रबंधन की भवन को बेचने की कोई मंशा नहीं है और भवन का जो भाग पट्टे पर दिया गया है वह अल्पावधि के लिए है और तदनुसार, इसे संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) पूर्वानुमान एवं धारणाएँ

वे प्रमुख धारणाएं जिनसे भविष्य में एवं रिपोर्टिंग तिथि को पूर्वानुमानों के प्रमुख स्रोतों के प्रति अनिश्चितता हो सकती है। तथा जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन किए जाने एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास की धारणाएं तथापि, बाजार में परिवर्तन अथवा परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर ये पूर्वानुमानों में परिलक्षित होते हैं।

क) अस्थगित कर

अस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति कटौतियोग्य अस्थाई के लिए उस विस्तार तक की जाती है जिनमें कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं के प्रति उपयोग के लिए भावी करयोग्य लाभ प्राप्त होने संभावित हों। कंपनी अस्थगित कर संपत्ति की स्वीकृति नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अप्रयुक्त कर हानियां हुई है और इनसे भविष्य के कर योग्य लाभ के लिए विश्वास योग्य लाभ की कोई निश्चितता नहीं है।

ख) परिभाषित लाभ दायित्व:

परिभाषित लाभ उपदान योजना, भविष्य निधि और सैटलमेंट भत्ते की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर; भविष्य वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन और इसकी लंबी अवधि में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

अधिकांश मापदंड छूट दर में परिवर्तन की शर्त पर हैं। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन द्वारा सरकारी बांडों की ब्याज दरों को विचार में लिया जाता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित होती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अर्जित अवकाश नकदीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जमा हुई अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत का माप। गैर-संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है। सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (संपत्ति) का पुनर्माप और दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

दीर्घावधि के कर्मचारी लाभों का मापन परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के अनुसार अनिश्चितता की डिग्री के अनुसार नहीं है। इस कारण से, अन्य व्यापक आय में पुनः मापन की स्वीकृति नहीं की जाती है।

घ) वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मापनः

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य का मापन एनएवी / एनआरवी मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, सुस्पष्ट बाजारों से प्राप्त की जाती है, लेकिन जहां यह संभव नहीं होता, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्धारण करने पड़ते हैं। ऐसे निर्धारणों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, मूल्यों में अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से धारणाओं के परिवर्तन वित्तीय प्रपत्रों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलना पत्र

रुपये लाख में

		विवरण	नोट संख्या	की स्थिति 31.03.2025	की स्थिति 31.03.2024
		परिसंपत्तियाँ			
क		गैर-चालू संपत्ति			
	(क)	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	**402.21**	415.83
	(ख)	अन्य गैर-चालू संपत्तियां	4	**92.45**	66.77
		वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
		अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**-**	-
				494.66	482.59
ख		चालू परिसम्पतियां			
	(क)	* मालसूचियां	5	**31.82**	18.58
	(ख)	वित्तीय परिसम्पतियां			
		(i) व्यापार प्राप्य	6	**1,594.94**	841.08
		(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	7	**3,531.93**	4,007.51
		(iii) ऋृण	8	**-**	-
		(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	9	**73.57**	63.20
	(ग)	अन्य चालू परिसम्पतियां	10	**498.11**	449.49
				5,550.37	5,379.85
ग		योग परिसम्पतियां (क + ख)		**6,045.03**	5,883.81
		इक्विटी एवं देयताएं			
क		**इक्विटी**			
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	11	**72.00**	72.00
	(ख)	अन्य इक्विटी	12	**3,932.28**	3,709.49
		योग इक्विटीy		**4,004.28**	3,781.49
ख		देयताएं			
		अन्य चालू देयताएं			
	क	प्रावधान			
	(i)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	13	**113.66**	112.39
	(ख)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)		**35.78**	48.10
		योग गैर-चालू देयताएं		**149.44**	160.49

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलना पत्र

रुपये लाख में

	विवरण	नोट संख्या	की स्थिति 31.03.2025	की स्थिति 31.03.2024
	चालू देयताएं			
(क)	(क) वित्तीय देयताएं			
(i)	व्यापार प्राप्य	14	**743.33**	316.00
	अन्य चालू देयताएं	15	**1,097.91**	1,413.25
(ख)	प्रावधान			
(i)	कर्मचारी हित के लिए प्रावधान	13	**5.08**	52.47
(c)	चालू कर देयताएं (निवल)	15	**45.00**	138.75
	योग चालू देयताएं		**1,891.31**	1,920.45
	योग देयताएं		**2,040.75**	2,080.95
ग	योग इक्विटी एवं देयताएं (क + ख)		**6,045.03**	5,862.44
			-	
	वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट	1		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीबीएमएन एंड को.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 0109868एस)

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त. प्रभार)
डीआईएन नं: 10333951

अंजू मखीजा
निदेशक
डीआईएन नं: 02414138

नागराज आचार
साझेदार
सदस्यता संख्या 241035)

पी गैरी शंकर
सहायक महाप्रबंधक

जी. दुर्गा देवी
प्रबंधक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 15-05-2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण

(रुपया लाख में)

		नोट संख्या	31/03/2025 रुपया लाख में	31/03/2024 रुपया लाख में
	जारी परिचालन			
(a)	क) परिचालनों से राजस्व्	16	**1,535.18**	1,758.62
(b)	(ख) अन्य आय	17	**336.82**	211.24
	योग आय		**1,871.56**	1,969.86
	व्यय			
(a)	(क) व्यापार माल, सेवा एवं कार्य की लागत	18.a	**1,350.26**	717.41
(b)	ख) तैयार माल एवं व्यापार माल की मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	18.b	**-13.25**	366.75
(c)	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	19	**204.25**	251.55
(d)	(घ) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्य	20	**13.81**	13.08
(e)	(ङ) वित्त लागतें	21	**-**	-
(f)	(च) अन्य व्यय	22	**117.42**	139.85
	योग व्यय		**1,672.49**	1,488.65
	अपरहार्य मदों तथा जारी परिचालनों के कर से पूर्व लाभ / (हानि)		**199.06**	481.21
	सम्बद्ध कम्पनी तथा संयुक्त उद्यम में (लाभ) / हानि का अंशभाग		**-**	-
	अपरहार्य मदों तथा जारी परिचालनों के कर से पूर्व लाभ / (हानि)		**199.06**	481.21
	अपरिहार्य वस्तुएं		**-**	-
	जारी परिचालनों के कर से पूर्व लाभ / (हानि		**199.06**	481.21
	1 चालू कर		**45.00**	138.75
	2 पूर्वावधियों से संबंधित कर का समायोजन		**-15.76**	261.40
	(3)आस्थगित कर		**-12.33**	1.14
	आय कर व्यय		**16.91**	401.29
	वर्ष के दौरान जारी परिचालनों से लाभ		**182.15**	79.92
	बंद परिचालन			
	वर्ष के दौरान जारी परिचालनों से लाभ / (हानि		**-**	-
	बंद परिचालनों से कर आय / (व्यय		**-**	-
	बंद परिचालनों से लाभ / (हानि)		**-**	-
	वर्ष के दौरान लाभ / (हानि)		**182.15**	79.25
	अन्य व्यापक आय			
	अनुवर्ती अवधियों में लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किए जाने वाली अन्य व्यापक आय			
	निवल परिभाषित देयता/परिसम्पति का पुनः मापन		**-**	-
	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रपत्र		**-**	-
	अनुवर्ती अवधियों में लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किए जाने वाली निवल अन्य व्यापक आय		**-**	-
	अन्य व्यापक आय को आगामी अवधियों में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ / (हानि) का पुनःमापन	22	**40.64**	-1.70

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण

(रुपया लाख में)

	नोट संख्या	31/03/2025 रुपया लाख में	31/03/2024 रुपया लाख में
आय कर प्रभाव		**46.64**	-
अनुवर्ती अवधियों में लाभ एवं हानि में वर्गीकृत न की जाने वाली अन्य व्यापक आय		**87.28**	-1.70
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय, कर निवल		**222.79**	78.22
वर्ष के दौरान लाभ / (हानि) निम्नलिखित से सम्बद्धता :			
मूल कम्पनी के इक्विटी धारक		**182.15**	79.92
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय निम्नलिखित से सम्बद्धता :			
मूल कम्पनी के इक्विटी धारक		**40.64**	-1.70
जारी परिचालनों से प्रति शेयर आय			
बेसिक, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध जारी परिचालनों से लाभ		**25.30**	11.10
डाय्ल्युटिड, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध जारी परिचालनों से लाभ		**25.30**	11.10
बंद परिचालनों से प्रति शेयर आय			
बेसिक, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध बंद परिचालनों से लाभ		**-**	-
डाय्ल्युटिड, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध बंद परिचालनों से लाभ		**-**	-
जारी एवं बंद परिचालनों से प्रति शेयर आय			
बेसिक, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध वर्ष के दौरान लाभ		**25.30**	11.10
डाय्ल्युटिड, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध वर्ष के दौरान लाभ लाभ		**25.30**	11.10
वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट	1		

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीबीएमएन एंड को.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 0109868एस)

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त. प्रभार)
डीआईएन नं: 10333951

अंजू मखीजा
निदेशक
डीआईएन नं: 02414138

नागराज आचार
साझेदार
सदस्यता संख्या 241035)

पी गैरी शंकर
सहायक महाप्रबंधक

जी. दुर्गा देवी
प्रबंधक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 15-05-2025

31 मार्च, 2025को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

रुपया लाख में

	31.03.2025 रुपया लाख में	31.03.2024 रुपया लाख में
परिचालन गतिविधियां		
जारी परिचालनों से कर पूर्व लाभ	**199.06**	481.21
बंद परिचालनों से कर पूर्व लाभ / (हानि)	**-**	-
कर पूर्व लाभ	**199.06**	481.21
निवल नकदी प्रवाह से कर पूर्व लाभ के समाधान के लिए समायोजन		
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	**13.81**	13.08
परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ		
वित्त आय (ब्याज)	**218.58**	169.16
कार्यशील पूंजी समायोजन :		
व्यापार प्राप्यों एवं अन्य प्रायों में (वृद्धि)/ कमी	**-812.58**	601.84
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	**-13.25**	366.75
व्यापार एवं अन्य देयों में (वृद्धि)/ कमी	**111.99**	-232.52
निवल कर्मचारी परिभाषित लाभ देयताओं में (वृद्धि)/कमी	**-5.48**	-2.17
	-288.14	1,397.34
चुकता आय कर	**-122.99**	-267.90
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**-411.13**	1,129.44
निवेश गतिविधिया		
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय	**-0.22**	-2.23
अन्य चालू परिसम्पतियां	**-25.68**	-30.00
प्राप्त ब्याज	**-218.58**	-169.16
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह	**-244.48**	-201.39
वित्तीय गतिविधिया		
चुकता लाभांष	**-**	-
चुकता ब्याज	**-**	-
निवेश क्रियाकलापों में से (प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	**-**	-
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि	**-655.61**	928.06
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**4,007.51**	3,079.45
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**3,351.93**	4,007.51

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीबीएमएन एंड को.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 0109868एस)

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त. प्रभार)
डीआईएन नं: 10333951

अंजू मखीजा
निदेशक
डीआईएन नं: 02414138

नागराज आचार
साझेदार
सदस्यता संख्या 241035)

पी गैरी शंकर
सहायक महाप्रबंधक

जी. दुर्गा देवी
प्रबंधक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 15-05-2025

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

	भवन	आंतरिक सजा	फैक्टरी उपकरण	फर्नीचर, फिक्सचर, सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण और मापन उपकरण	वाहनों	योग
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
1 अप्रैल 2022 किस स्थिति	676.75	41.61	0.61	101.78	15.67	836.42
अवधर्न	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को सकल ब्लॉक	676.75	41.61	0.61	106.21	15.67	840.85
1 अप्रैल 2023की स्थिति	676.75	41.61	0.61	106.21	15.67	840.85
अवधर्न	-	-	-	2.23	-	2.23
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को सकल ब्लॉक	676.75	41.61	0.61	108.44	15.67	843.08
1 अप्रैल 2024 को सकल ब्लॉक	676.75	41.61	0.61	108.44	15.67	843.08
अवधर्न	-	-	-	0.22	-	0.22
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को सकल ब्लॉक	676.75	41.61	0.61	108.66	15.67	843.30
मूल्यह्रास और परिशोधन						
1 अप्रैल 2022 किस स्थिति	242.97	41.61	0.61	100.30	15.67	401.17
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	11.28	-	-	1.75	-	13.03
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023को मूल्यह्रास रिज़र्व	265.52	41.61	0.61	103.85	15.67	414.20
1 अप्रैल 2023 की स्थिति	11.27	41.61	0.61	103.85	15.67	401.17
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार		-	-	2.53	-	13.03
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को मूल्यह्रास रिजर्व	265.52	41.61	0.61	106.38	15.67	414.20
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	11.28	0.00	0.00	1.80	0.00	13.07
निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च 2024 पर मूल्यह्रास रिजर्व	276.80	41.61	0.61	106.38	15.67	441.09
निवल बूक मूल्य						
31 मार्च 2025 को	399.95	0.00	0.00	2.28	0.00	402.23
31 मार्च 2024 को	411.23	-	0.0	4.59	0.00	415.83

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

	31.03.2025 रुपया लाख में	31.03.2024 रुपया लाख में
4. अन्य गैर चालू परिसम्पतियां		
उपदान	**92.45**	66.77
योग अन्य चालू परिसम्पतियां	**92.45**	66.77
5. मालसूचियां		
भेजा न गया तैयार माल - मशीनरियां	**31.82**	18.58
भेजा न गया तैयार माल - मशीनरियां	**31.82**	18.58
6. व्यापार प्राप्य		
प्रतिभूत तथा अच्छा समझा गया	**1,594.94**	841.08
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	**-**	-
संदिग्ध	**-**	-
सम्बद्ध पार्टियों से प्राप्य	**-**	-
योग व्यापार प्राप्य	**1,594.94**	841.08

6 क चालू वर्ष के अंत में काल वार व्यापार प्राप्यों का विवरण

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					योग
	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित - अच्छा समझा गया	1,227.98	34.26	164.97		167.72	1,594.94
अविवादित - संदिग्ध समझा गया	-	-	-	-		-
विवादित - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-
विवादित - संदिग्ध समझा गया	-	-	-	-	-	-

6 ख अंतिम वर्ष के अंत में काल वार व्यापार प्राप्यों का विवरण

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					योग
	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित - अच्छा समझा गया	391.92	23.76	69.12	181.59	174.69	841.08
अविवादित - संदिग्ध समझा गया						
विवादित - अच्छा समझा गया						
विवादित - संदिग्ध समझा गया						

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

	31.03.2025 रुपया लाख में	31.03.2024 रुपया लाख में
7. नकदी और बैंक शेष		
क नकदी और नकदी समतुल्य		
सामान्य नकद	-	-
चालू खातों में	72.14	103.87
तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशि	10.60	994.90
बी. अन्य बैंक बैलेंस		
तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियां	3,269.19	29.8.74
कुल नकदी और नकदी समकक्ष	3,351.93	4,007.51
8. ऋण		
गैर चालू	-	-
चालू		
एचएमटी लिमिटेड को अंतर-कॉर्पोरेट ऋण	-	-
कुल चालू ऋण	-	-
कुल ऋण	-	-
9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		
गैर चालू		
बारह माह से अधिक परिपक्कता वाले बैंक जमा	-	-
उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-
योग अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
चालू		
उपार्जित एवं देय ब्याज	73.57	63.20
योग अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	73.57	63.20
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	73.57	63.20
10. अन्य चालू परिसंपत्तियां		
जमा		0.05
ईएमडी	5.85	2.80
सेवा कर की धन वापसी संबंधित दावे	0.27	0.27
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य	11.23	11.27
कर्मचारियों को अग्रिम	2.12	1.48
अन्य		
आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को दिया गया अग्रिम भुगतान	0.68	3.06
अग्रिम सेवा कर	27.46	27.46
जीएसटी प्राप्य	177.23	163.98
धन वापसी योग्य आय कर	194.37	232.35
टीडीएस (वित्त वर्ष 2024-25)	65.26	-
जीएसटी टीडीएस	12.52	8.07
पूर्वभुगतान	0.08	-
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	498.11	449.49

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

11. इक्विटी शेयर पूंजी

प्राधिकृत शेयर पूंजी

		इक्विटी शेयर
	संख्या लाख में	संख्या लाख में
1 अप्रैल 2022 की स्थिति	80.00	800.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2023 की स्थिति	80.00	800.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2023 की स्थिति	80.00	800.00
1 अप्रैल 2024 की स्थिति	80.00	800.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2025 की स्थिति	80.00	800.00

जारी इक्विटी पूंजी

10 रुपये मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्किटी शेयर	संख्या लाख में	संख्या लाख में
31 मार्च 2022 की स्थिति	7.20	72.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
1 अप्रैल 2023 की स्थिति	7.20	72.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2024 की स्थिति	7.20	72.00
1 अप्रैल 2024 की स्थिति	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2025 की स्थिति	7.20	72.00

कंपनी के पास 10 रुपया मूल्य प्रत्येक के केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं। प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट देने का पात्र हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा एवं भुगतान भारतीय रुपया में किया जाता है।

कंपनी के 5 % से अधिक शेयरों का धरण करने वाले शेयर धारकों का विवरण

शेयर धारकों के नाम	31 मार्च 2025 की स्थिति		31 मार्च 2024 की स्थिति	
	संख्या लाख में	श्रेणी में % धारित	संख्या लाख में	श्रेणी में % धारित
एचएमटी लिमिटेड एवं उसके नामिती	7.2	100	7.2	100

बोनस के रूप में जारी शेयर, नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के रूप में जारी शेयरों की कुल संख्या तथा रेपोर्टिंग तिथि से निकतम पाँच वर्ष की अवधि के दौरान शेयरों का वापस क्रय :

	31.03.2025	31.03.2024
	संख्या लाख में	संख्या लाख में
नकद	0.005	0.005
नकदी के अलावा अन्य रूप से जारी	0.295	0.295
सिक्योरिटी प्रीमियम के पूंजीयन पर पूर्ण चुकता बोनस शेयरों के रूप में आबंटित इक्विटी शेयर	6.900	6.900
योग	7.200	7.200

इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

10 रूपए मूल्य प्रत्येक के जारी, अंशधारित एवं पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	संख्या लाख में	संख्या लाख में
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	7.20	72.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
31 मार्च 2023 को स्थिति	7.20	72.00
1 अप्रैल 2023 की स्थिति	7.20	72.00
31 मार्च 2024 को स्थिति	7.20	72.00
1 अप्रैल 2024 की स्थिति	7.20	72.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
31 मार्च 2025की स्थिति	7.20	72.00

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

12. अन्य इक्विटी

	रिजर्व एवं अधिशेष		अन्य व्यापक आय		
	सामान्य रिजर्व	धारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रपत्र	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध कुल इक्विटी
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
1 अप्रैल, 2022को शेष	3,065.26	622.88	-	-42.95	3,645.18
सामान्य रिजर्व में अंतरण					-
निवल परिभाषित देयता / परिसम्पति का पुन: मापन, कर प्रभाव का निवल (डीडीटी) सहित लाभांश				-60.06	-60.06
अवधि में लाभ		21.25			21.25
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**3,065.26**	**644.13**	**-**	**-103.01**	**3,606.37**

	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में
1 अप्रैल 2023 को शेष	**3,065.26**	**644.13**	**-**	**-103.01**	**3,606.37**
सामान्य रिजर्व में अंतरण					-
निवल परिभाषित देयता / परिसम्पति का पुन:मापन, कर प्रभाव का निवल (डीडीटी) सहित लाभांश				4.68	4.68
अवधि में लाभ		20.22			20.22
31 मार्च, 2024 की स्थिति	3,065.26	664.35	-	-98.33	3,631.27

	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में
1 अप्रैल 20224को शेष	3,065.26	744.27	-	-100.03	3,631.27
सामान्य रिजर्व में अंतरण					-
निवल परिभाषित देयता / परिसम्पति का पुन:मापन, कर प्रभाव का निवल (डीडीटी) सहित लाभांश				40.64	40.64
अवधि में लाभ		182.15			182.15
31 मार्च, 2025 की स्थिति	**3,065.26**	**926.42**	**-**	**-59.39**	**3,932.28**

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

	31.03.2025 रुपया लाख में	31.03.2024 रुपया लाख में
13. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
गैर चालू		
उपदान	**47.98**	43.74
अर्जित छुट्टी नकादिकरण	**29.16**	31.89
साइटलमेंट भत्ता	**19.58**	19.25
भविष्य निधि	**16.94**	17.51
कुल गैर चालू	**113.66**	112.39
चालू		
उपदान	**1.01**	20.24
अर्जित छुट्टी नकादिकरण	**4.07**	29.69
साइटलमेंट भत्ता	**-**	2.54
भविष्य निधि	**-**	-
कुल गैर चालू	**5.08**	52.47
कुल निवल कर्मचारी परिभाषित लाभ देयताएं	**118.74**	164.86

	31.03.2024 रुपया लाख में	31.03.2023 रुपया लाख में
14. व्यापार प्राप्य		
व्यापार प्राप्य		
व्यापार देय	**3.42**	**163.92**
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	**90.21**	**148.51**
सम्बद्ध पार्टियों को देय	**649.69**	**3.56**
योग व्यापार देय	**743.33**	**316.00**

14 क चालू वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार देय का काल-वार विवरण :

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि को बकाया			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
एमएसएमई	28.44	9.16	6.22	46.39
अन्य	652.77			0.35
विवादित देय - एमएसएमई				-
विवादित देय अन्य				-
योग	681.21	9.16	6.22	46.74

14 क पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार देय का काल-वार विवरण :

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि को बकाया			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
एमएसएमई	59.80	74.30	10.20	4.21
अन्य	28.40	98.86	21.37	18.86
विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-
विवादित देय अन्य	-	-	-	-
योग	88.20	173.16	31.57	23.07

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

	31.03.2025 रुपया लाख में	31.03.2024 रुपया लाख में
15. अन्य चालू देयताएं		
गैर चालू	**-**	-
चालू		
अग्रिम प्राप्त राजस्व	**659.68**	715.91
धारक कम्पनी को देय	**258.39**	311.51
देय वेतन एवं बकाया	**12.74**	45.32
अर्जित धन जमा	**29.46**	59.43
आपूर्तिकर्ताओं से धारित राशि	**18.53**	43.29
देय कर	**0.93**	3.49
एक्स ग्रेशिया के लिए प्रावधान	**0.16**	0.21
विविध लेनदार (टीए)	**0.10**	0.02
वारंटी	**115.81**	92.86
भविष्य निधि ट्रस्ट हानि देय	**-**	38.93
पीएफ में कंपनी का अंशदान देय	**1.32**	1.50
पेंशन फंड में कंपनी का योगदान	**0.08**	0.10
एसआईबी के लिए प्रावधान	**0.70**	0.28
निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए देय आयकर का प्रावधान	**-**	100.40
ए.वाई.24.25 के लिए आयकर प्रावधान	**45.00 -**	-
ए.वाई.23.24 के लिए आयकर प्रावधान	**-**	138.75
योग अन्य चालू देयताएं	**1,142.90**	1,552.00

नोट -1: वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स /31.03.2025

वत्तिीय ववरिण पत्र के भाग — लाखों रुपये में

क्र. सं	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1	कंपनी आकस्मिक रूप से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है: गारंटी और प्रति गारंटी और कंपनी के बैंकरों द्वारा विभिन्न पक्षों को जारी किए गये क्रेडिट पत्र, जो कि प्रावधानित सीमा तक नहीं हैं, जो कि शत-प्रतिशत मार्जिन राशि द्वारा समर्थित हैं।	**1383.63**	**3,060.66**
2	**व्यापार देयताएं:**		
	कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि के संबंध में प्रकटीकरण:		
	क. वर्ष के अंत तक बकाया राशि -मूलधन (बकाया नहीं)	**90.21**	**148.51**
	ख. वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किया गया भुगतान की राशि के साथ-साथ भुगतान के लिये ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
	ग. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत ब्याज को जोड़े बिना)।	-	-
	घ. लेखा अवधि के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि।	-	-
	च. आगामी वर्ष में भी देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक किया उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दी जाती।	-	-
3	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम में कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी, डीए बकाया के लिए तदर्थ भुगतान शामिल हैं, 1992 से संबंधित समायोजन लंबित है और इस सीमा तक प्रावधान खातों में किया गया है।	**1.03**	**1.03**
4	आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कराधान का प्रावधान किया गया है।		
5	ऋण को पूर्व में माफ कर दिया गया था, लेकिन वसूली की कार्यवाही न्यायालयों में जारी है।		
	a. मेसर्स नवाब काजू पैकर्स, केरल: ₹69.23 लाख रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार का निष्पादन विभिन्न अदालतों में विभिन्न चरणों में लंबित है।		
	b. मेसर्स नुकोर वायर्स लिमिटेड - कंपनी के पक्ष में ₹51.20 लाख का सिविल मुकदमा पारित। उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। कंपनी द्वारा ₹35 लाख के चेक बाउंस के विरुद्ध दायर मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।		
6.	हमारे द्वारा सत्यापित लेखा पुस्तकों के अनुसार, 'इन्वेंटरी - तैयार माल' शीर्षक के अंतर्गत, पारगमन में मशीनरी का मूल्य 31.82 लाख रुपये दिखाया गया है, क्योंकि यह मशीनरी 31 मार्च 2025 तक ग्राहक को वितरित नहीं किया गया है।		
7.	व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, व्यापार देय के अंतर्गत शेष राशि पुष्टि के अधीन है, यद्यपि अधिकांश मामलों में पुष्टि मांगी गयी है।		

नोट -1 : वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स/ 31.03.2025

भारतीय लेखा मानक - 24 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकता

क-संबंधित पार्टियां

रुपय लाख मे

संबंध	सहयोगी कंपनियां			एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी					
लेन-देन करने वाले संबंधित पक्ष का नाम	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	ट्रैक्टर यूनिट	एबीडी / सामान्य सेवा प्रभाग	खाद्य प्रसंस्करण प्रभाग	कॉर्पोरेट कार्यालय		
लेन-देन की प्रकृति का विवरण	ब्रिक्री				रखरखाव सेवाएँ	ब्रिक्री	प्रस्तावित लाभांश	सामान्य सेवाएँ	अंतर-कॉर्पोरेट ऋण नवीकरण *
लेन-देन का मूल्य								38.78	शून्य
वित्तीय विवरणों को कम करने के लिए आवश्यक संबंधित पार्टी लेनदेन के अन्य तत्व	वर्ष के दौरान कोई बड़ी राशि शामिल नहीं हुई								
वर्ष के अंत तक बकाया शेष राशि	649.68 (करोड़)	-	-	-	10.75 (करोड़)	6.94 (करोड़)	-	254.57 (करोड़)	शून्य
संदिग्धों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य

478 of 546
HMT Group Annaul Report FY24-25-Hindi.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/HMT%20Group%20Annaul%20Rep...
12/5/2025, 12:33 PM

नॉट १ :वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स /31.03.2025

रुपय लाख में

इंड एएस 108 के अनुसार सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी माल और सेवाओं के निर्यात और विदेशों में परियोजनाएं स्थापित करने का व्यवसाय कर रही है, जिसमें माल और सेवाओं की आपूर्ति उत्पाद के साथ-साथ परियोजनाओं का अभिन्न अंग है, फलस्वरूप कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय वर्ष के दौरान समान रहता है।इसमें रिपोर्ट करने के लिए कोई विशिष्ट खंड मौजूद नहीं है।

इंड एएस - 12 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

मूल्यह्रास

आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) 01.04.2024 तक	48.10
वर्ष के दौरान प्रभारित / (क्रेडिट)	12.33
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) 31.03.2025 तक	35.77

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

रुपया लाख में

	31.03.2025 रुपया लाख में	31.03.2024 रुपया लाख में
16. परिचालनों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	1,393.87	1,108.71
तकनीकी सेवाएं	10.67	12.90
उत्पादों की परियोजना बिक्री	15.70	129.14
परियोजना सेवाएं	114.21	507.87
निर्यात सहायक (ड्यूटी वापस प्राप्त)	0.73	
योग	1,535.18	1,758.62
17अन्य आय		
क. अन्य गैर परिचालन आय		
प्रावधान जो अब अपेक्षित नहीं	31.56	11.90
किराये की आय	65.88	27.28
निविदा शुल्क	0.05	-
विविध आय	20.32	2.91
	117.81	42.08
ख. ब्याज आय		
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	218.58	169.16
	218.58	169.16
योग अन्य आय	336.38	211.24
18. व्यापार माल, सेवा एवं कार्यों की लागत		
क व्यापार माल, सेवा एवं कार्यों की लागत		
क्रय	1,313.89	395.12
सेवा अनुबंध हेतु खरीदारी	5.19	181.41
निर्यात पर भाड़ा	1.62	27.08
निर्यात पर बीमा	0.05	0.20
ईसीजीसी प्रीमियम	-	0.64
समाशोधन, रख-रखाव और निरीक्षण	0.09	4.69
यात्रा खर्च	6.30	107.74
वारंटी दावे	22.95	-
अन्य व्यय (नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार)	0.16	0.81
व्यापारित माल, सेवा और कार्यों की लागत	1,350.25	717.41
अन्य खर्चों	-	
कार्यालय के रखरखाव		0.02
यात्रा एवं परिवहन	0.16	0.15
प्रतिनिधिमंडल एवं निर्यात संवर्धन	-	0.14
मनोरंजन व्यय	-	0.35
प्रतिनिधिमंडल एवं निर्यात संवर्धन		0.14
विक्रय पश्चात सेवा		
मनोरंजन व्यय		
बैंक शुल्क		
कुल	0.16	0.81

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

रुपया लाख में

	31.03.2025 रुपया लाख में	31.03.2024 रुपया लाख में
ख. इन्वेंटरी में (वृद्धि) / कमी		
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	18.58	385.33
घटाएँ: वर्ष के अंत में इन्वेंट्री	31.82	18.58
	-13.25	366.75
कुल	1,337.00	1,084.16
19. कर्मचारियों लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, बोनस और अन्य लाभ	166.85	182.91
मकान किराया भत्ता	1.79	1.82
भविष्य निधि में अंशदान	16.07	18.83
पेंशन निधि में अंशदान	1.03	1.45
भविष्य निधि दायित्व		17.51
अर्जित अवकाश नकदीकरण	4.66	15.61
निपटान भत्ता	1.50	1.68
उपहार लागत	5.07	6.36
उपहार लागत ओसिटी		
बिक्री प्रोत्साहन बोनस	0.70	0.28
चिकित्सा लाभ	3.38	3.68
एक्सग्रेशिया	0.16	
कर्मचारी कल्याण व्यय	3.07	1.41
कुल	204.25	252
20. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		
मूल्यह्रास एवं मूर्त परिसंपत्तियों	13.81	13.08
कुल	13.81	13.08
21. वित्त लागत		
ऋण पर ब्याज	-	-
कुल	-	-
22. अन्य व्यय		
आय पर कर को छोड़कर दरें एवं कर	0.09	3.49
कार्यालय के रखरखाव	26.66	22.72
मुद्रण एवं स्टेशनरी	3.91	5.23
भर्ती व्यय		0.03
रॉयल्टी	7.68	8.82
पुस्तकें, पत्रिकाएँ और सदस्यता शुल्क	0.84	1.29
विज्ञापन एवं प्रचार		0.07
डाक, टेलीग्राम, कूरियर	0.29	0.71
संपर्क	1.85	2.38
लेखापरीक्षा शुल्क:		
सांविधिक लेखापरीक्षा	0.48	0.48

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

रुपया लाख में

	31.03.2025 रुपया लाख में	31.03.2024 रुपया लाख में
कर लेखा परीक्षा	8.98	10.41
यात्रा एवं परिवहन	0.48	1.84
डेलीगेशन एवं निर्यात प्रोत्साहन	0.63	1.06
मनोरंजन व्यय	0.97	0.88
भवन एवं मशीनरी के अलावा मरम्मत एवं रखरखाव	0.05	0.06
बीमा	0.89	1.72
वाहन अनुरक्षण	-	2.70
व्यावसायिक और विधिक शुल्क	6.51	26.03
बैंक शुल्क	2.84	2.54
प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क	38.78	39.24
होल्डिंग संस्था को भुगतान किया गया व्यय	10.00	-
सुरक्षा शुल्क	6.12	6.04
विविध व्यय	0.28	0.15
पीएफ ट्रस्ट हानि	0.06	0.11
सहायता अनुदान	-0.96	1.87
विनिमय भिन्नता (निवल)	-	
कुल	117.42	139.85

23. अन्य व्यापक आय

परिभाषित लाभ योजनाओं पुनर्मापन से लाभ (हानियाँ) अर्जित अवकाश नकदीकरण		
उपदान	39.26	-3.21
निपटान भत्ता	1.38	1.51
योग	40.64	-1.70

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीबीएमएन एंड को.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 0109868एस)

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त. प्रभार)
डीआईएन नं: 10333951

अंजू मखीजा
निदेशक
डीआईएन नं: 02414138

नागराज आचार
साझेदार
सदस्यता संख्या 241035)

पी गैरी शंकर
सहायक महाप्रबंधक

जी. दुर्गा देवी
प्रबंधक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 15-05-2025

नोट १ : वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट/31.03.2025

लाभ एवं हानि विवरण से संबंधित

क्रं सं	विवरण		31.03.2025 की स्तिथी		31.03.2024 की स्तिथी
1	परिचालनों से राजस्व में निम्नलिखित शामिल है :				
	परियोजना कार्यों में भारत सरकार के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार निष्पादित सेवाएं शामिल हैं जिनके अंतर्गत भौतिक निर्यात 31.03.2025 तक पूरे किए गए हैं।		114.21		549.30
2	अन्य व्ययों में शामिल (यात्रा एवं यात्रा माध्यम)				
	निदेशकों का यात्रा व्यय		1.35		-
3	कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त सूचना				
	I. बेचे गए माल की लागत				
	आयातित	%	-		-
	स्वदेशी	100%	1,337.02		1,084.16
	कुल	100%	1,337.02		1,084.16
	II. आयात का सीआईएफ मूल्य :				
	कंपोनेंट्स एवं सहायक सामान		-		
	III. विदेशी मुद्रा आय :				
	क. निर्यात का एफओबी मूल्य		53.83		909.48
	ख. तकनीकी / परियोजना सेवाएं		-		-
	कुल				909.48
	IV टर्नओवर का विवरण	मात्रा संख्या में	मूल्य	मात्रा संख्या में	मूल्य
	मशीन टूल्स, अतिरिक्त पूर्जे एवं सहायक सामान	90	1,393.87	19	1108.71
	परियोजना सेवा एवं आपूर्तियां	12	129.91		10637.01
	तकनीकी सेवाओं से आय		10.67		12.90
	निर्यात प्रोत्साहन		0.73		-
	कुल	102	1,535.18		1,758.62
	V विदेशी मुद्रा में व्यय :				
	यात्रा व्यय		6.30		37.43
	अन्य		-		-

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

भारतीय लेखा मानक - 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, परिभाषित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

i) परिभाषित अंशदान योजना: रुपया लाख में

विवरण	समाप्त वर्ष की स्थिति 31 मार्च 2025 को	समाप्त वर्ष की स्थिति 31 मार्च 2024 को
सेवानिवृत में नियोक्ता का अंशदान	1.03	1.45

ii) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट, उपदान एवं सैटलमेंट भते के लिए अंशदान किया जाता है जो परिभाषित हित योजनाएं हैं। कम्पनी ने भविष्य निधि के अलावा स्वतंत्र बीमांकिक से बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई है।

कम्पनी की योजना के अनुसार उपदान एवं सेवानिवृत्ति पश्चात परिभाषित लाभ दायित्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:/

	31 मार्च 2025 %	31 मार्च 2024 %
डिस्काउंट दर :		
उपदान योजना	7.03	7.26
सैटलमेंट भत्ता	7.03	7.26
अर्जित छुट्टी नकदीकरण	7.03	7.26
भावी वेतन वृद्धि :		
उपदान योजना	10.00	10.00
सैटलमेंट भत्ता	10.00	10.00
अर्जित छुट्टी नकदीकरण	10.00	10.00

जनसांख्यिकी अनुमानों का संक्षेप	उपदान योजना		सैटलमेंट योजना		छुट्टी नकदीकरण	
	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024
मृत्यु दर (आईएएलएम (2012-14) (संशोधित) मृत्यु तालिका के% के अनुसार मृत्यु दर)	100%	100%	0%	0%	100%	100%
विकलांगता दर (उपर्युक्त मृत्यु दर के % के अनुसार)	0.00%	0.00%	0%	0%	0.00%	0.00%
निकासी दर	1% to 3%	1% to 3%	0	0		
संघर्षन दर					1% to 3%	1% to 3%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 yrs	60 yrs	60 yrs	60 yrs	60 yrs	60 yrs
भावी सेवा औसत	24	23.17	24	23.17	24	23.17
रोजगार के दौरान छुट्टी नकदीकरण दर					10%	10%
छुट्टी उपयोग दर					2%	2%

कर्मचारी लाभ दायित्व

परिभाषित लाभ उपदान योजना, अर्जित छुट्टी नकदीकरण और सैटलमेंट भत्ता की लागत तथा ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

क. उपदान

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व एवं योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	लाभ एवं हानि में प्रभारित उपदान लागत				अन्य व्यापक आय में लाभ (हानियों) का पुनर्मापन								
	01-अप्रैल-24	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अर्जित छुट्टी नकदीकरण में उपयोग का समावेश	वित्तीय क्षेत्र में योगदान	31-मार्च-25
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	(63.98)	(5.50)	(3.68)	(10.26)	26.48			(1.81)	(0.49)	(2.30)		(48.98)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	66.76		4.12	4.12	(20.00)		41.56			41.56	0.00	92.45
लाभ दायित्व	**2.78**			**(5.06)**	**6.48**					**39.26**	**0.00**	**43.47**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व एवं योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	लाभ एवं हानि में प्रभारित उपदान लागत				अन्य व्यापक आय में लाभ (हानियों) का पुनर्मापन							
	01-अप्रैल-23	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अर्जित छुट्टी नकदीकरण में उपयोग का समावेश	वित्तीय क्षेत्र में योगदान	31-मार्च-24
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	(74.40)	(5.41)	(4.85)	(10.26)	20.00			(1.97)	2.65	0.68		(63.98)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	36.76		3.90	3.90	(20.00)	(3.90)				(3.90)	50.00	66.76
लाभ दायित्व	**(37.64)**			**(6.36)**	**0.00**					**(3.22)**	**50.00**	**2.78**

बी. अर्जित अवकाश नकदीकरण

31 मार्च 2025 को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत			लाभ/(हानि) का लाभ या हानि में पुनर्मापन				निधियों द्वारा भुगतान	31-मार्च-25
01-अप्रैल-24	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अधिग्रहण में उप-योग शामिल	
रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	(61.85)	(2.22)	(3.27)	(5.49)	33.01		(0.51)	1.35	0.84	33.22
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(61.85)			(5.49)	33.01				0.84	0.00 33.22
लाभ दायित्व										

31 मार्च 2024 को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत			लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत				निधियों द्वारा भुगतान	31-मार्च-24
01-Apr-23	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अधिग्रहण में उप-योग शामिल	
रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	(67.89)	(2.60)	(4.29)	(6.89)	21.92		(0.68)	(8.04)	(8.72)	(61.58)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(67.89)			(6.89)	21.92				(8.72)	0.00 (61.58)
लाभ दायित्व										

सी. निपटान भत्ता

31 मार्च 2025 परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत			अन्य व्यापक आय में पुनर्मापन लाभ/(हानि)					निधियों द्वारा भोगदान	31-मार्च-25
01-अप्रैल-25	सेवा लागत	निवल ब्याज/ व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश।	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अंशधारकों में उप-योग शामिल	
रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ (21.79)		(1.49)	(1.49)	2.32			(0.98)	2.36	1.38	(19.58)
दायित्व योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य										
लाभ दायित्व										
(21.79)			(1.49)	2.32					1.38	0.00 (19.58)

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत			अन्य व्यापक आय में पुनर्मापन लाभ/(हानि)					निधियों द्वारा भोगदान	31-मार्च-24
01-अप्रैल-23	सेवा लागत	निवल ब्याज/ व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश।	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	अंशधारकों में उप-योग शामिल	
रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ (23.03)		(1.68)	(1.68)	1.42			(1.17)	2.67	1.50	(21.79)
दायित्व योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य										
लाभ दायित्व										
(23.03)			(1.68)	1.42					1.50	0.00 (21.79)

डी) भविष्य निधि (ब्याज की कमी) :

कंपनी द्वारा भविष्य निधि में दिया गया/देय अंशदान तथा देयता/दायित्व उपार्जन आधार पर मान्यता प्राप्त है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। छूट प्रदान करने की शर्त यह निर्धारित करती है कि नियोक्ता को ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में वैधानिक दर के मुकाबले यदि कोई कमी है, तो उसे पूरा करना होगा। कंपनी निकट भविष्य में फंड की परिसंपत्तियों और निवेश पर प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए किसी और दायित्व की आशा नहीं करती है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर दायित्व को मान्यता दी है। ट्रस्ट द्वारा अर्जित की जाने वाली अपेक्षित ब्याज दर और अपेक्षित भविष्य की ईपीएफओ ब्याज दर के बीच अंतर के कारण दायित्व का वर्तमान मूल्य 31.03.2025 तक 16.95 लाख रुपये की ब्याज कमी है।

वित्तीय विवरण का नोट

प्रति शेयर आय (ईपीएस)

	31.03.2025	31.03.2024
	INR Lakhs	INR Lakhs
इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
सतत संचालन	182.15	20.22
परिचालन बंद कर दिया गया	0.00	0.00
ओसीआई सहित कुल लाभ	182.15	20.22
अन्य व्यापक आय घटाएँ	0.00	0.00
मूल आय के लिए इक्विटी धारकों को देय लाभ	182.15	20.22
मूल कंपनी के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ को तनुकरण के प्रभाव के लिए समयोजित किया गया	182.15	20.22
मूल ईपीएस* के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	7,20,000	7,20,000
कमजोरीकरण का प्रभाव:		
परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर		
डाइल्यूशन के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	7,20,000	7,20,000

* रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तारीख के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़ा कोई अन्य लेनदेन नहीं हुआ है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

कर्मचारी लाभ (जारी):

संवेदी विश्लेषण :

प्रमुख बीमांकिक अनुमान, जिनके प्रति परिभाषित लाभ योजनाएं विशेषकर संवेदी हैं, वे छूट दर एवं संवर्धन दर हैं। नीचे प्रस्तुत तालिका में 100 बेसिस प्वांइट के अनुमानों में हुई वृद्धि अथवा कमी के कारण रिपोर्टिंग तिथि के अंत में उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्वों के प्रभाव का संक्षेपन किया गया है:

(i) उपदान

रुपया लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	घटत	बढ़त	घटत	बढ़त
डिस्काउंट दरों में परिवर्तन	**8.98**	**7.28**	8.37	6.76
वेतन दर की वृद्धि में परिवर्तन	**3.77**	**2.97**	3.22	3.45
निकासी दरों में परिवर्तन	**0.65**	**0.42**	0.85	0.60

ii) सैटलमेंट भत्ता

(Rs. In lakhs)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	घटत	बढ़त	घटत	बढ़त
डिस्काउंट दरों में परिवर्तन	**4.98**	**3.91**	2.69	1.78
वेतन दर की वृद्धि में परिवर्तन	**3.91**	**4.88**	2.67	2.68
निकासी दरों में परिवर्तन	**-**	**4.17**	2.18	1.75

अगले वित्तीय वर्ष में संभावित उपदान अंशदान शून्य तथा सैटलमेंट भत्ता शून्य रुपया होगा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

वर्ष 2019-20 और उसके बाद से लागू:

I. क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।

कंपनी ने अपने सभी लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए ईआरपी प्रणाली स्थापित की है। ईआरपी सिस्टम के बाहर कोई भी लेनदेन नहीं होता है। इसलिए इसका वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

II. क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।

लागू नहीं

III. क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाइये।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को केंद्रीय/स्टेज एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तदनुसार उपरोक्त खंड लागू नहीं है।

इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत कंपनी के पूरक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किसी भी अतिरिक्त कंपनी/क्षेत्र विशेष निर्देश का अनुपालन करना आवश्यक है।

नागराज और अजित के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन - 010986एस
सी ए नागराज आचार
साझेदार
एम नं- 214035

स्थान -बेंगलूरु
दिनांक-

अनुलग्नक-1

वार्षिक वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन ~~तथा समेकित के लिए अलग~~) के साथ प्रस्तुत लेखापरीक्षा अर्हता (संशोधित मत से युक्त लेखापरीक्षा के मामले में) के प्रभाव का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योग्यता के प्रभाव का विवरण
[सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम, 2016 का विनियम 33/52 देखें]

	क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षित आंकड़े (अर्हताओं के समायोजन से पूर्व सूचित) (रुपए लाख में)	समायोजित आंकड़े (अर्हताओं के समायोजन के पश्चात समायोजित)
I	1.	टर्नओवर / कुल आय (रुपए लाख में))	1535.18	-
	2.	कुल व्यय (रुपए लाख में)	1672.50	-
	3.	निवल लाभ / (हानि) (रुपए लाख में)	182.15	-
	4.	प्रति शेयर आय (रुपए में)	25.30	-
	5.	योग परिसम्पतियां (रुपए लाख में)	6045.03	-
	6.	योग देवताएं (रुपए लाख में)	2040.75	-
	7.	निवल संपति (रुपए लाख में)	4004.28	-
	8.	अन्य कोई वित्तीय मद (मदों) (प्रबंधन द्वारा यथोचित समझी गई)	-	-
II	लेखापरीक्षा अर्हता (प्रत्येक लेखापरीक्षा अर्हता के लिए अलग अलग):			
	क. लेखापरीक्षा अर्हता का विवरण: लागू नहीं			
	ख. लेखापरीक्षा अर्हता का प्रकार: अर्हक मत / मत का अस्वीकरण / प्रतिकूल टिप्पणी- लागू नहीं			
	ग. अर्हता की निरंतरता: क्या प्रथम बार / कब से जारी है-लागू नहीं.			
	घ. लेखापरीक्षा अर्हता (अर्हताएं) जहां लेखापरीक्षक, प्रबंधन के मतानुसार प्रभाव परिमाणात्मक है- लागू नहीं			
	ङ. लेखापरीक्षा अर्हता (अर्हताओं) के लिए जहां प्रभाव की मात्रा का निर्धारण लेखापरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है-लागू नहीं			
	(i) लेखापरीक्षा अर्हता के प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के अनुमान:			
	(ii) यदि प्रबंधन प्रभाव के अनुमान नहीं लगा पा रही है तो उसके कारण:			
	(iii) उपर्युक्त (i) अथवा (ii) के संबंध में लेखापरीक्षक की टिप्पणियां:			
III	हस्ताक्षरकर्ता :			
	• अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक			
	• सहायक महाप्रबंधक			
	• प्रबंधक (वित्त)			
	• लेखापरीक्षा समिति अध्यक्ष			
	• सांविधिक लेखापरीक्षक			
	स्थान : बेंगलूरू			
	दिनांक 19.07.2024			

WATCHES
एचएमटी वाचस लिमिटेड
26वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

एच एम टी वाचेस लिमिटेड

विषय सूचि

निदेशक मंडल	2
निष्पादन हाइलाइट्स	3
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	4
निगमित शासन प्रणालि	9
स्वतंत्र लेखा-परीक्षक का रिपोर्ट	11
वैधानिक लेखा परीक्षकों की योग्यता पर जवाब (से बी)	22
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कि टिप्पणियां	23
महत्वपूर्णा लेखाकरण नीतियां	24
तुलन पत्र	34
लाभ एवं हानि लेखा	35
नकद प्रवाह विवरण	37
समेकित वित्तीय विवरणों	38

निदेशक मंडल (02.09.2024 तक)

श्री राजेश कोहली	(05.04.2024 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
श्री प्रेमचंद्र मौर्य	(17.07.2025 से)	सरकारी नामित निदेशक
श्री नरेश कुमार	(27.03.2023 से)	सरकारी नामित निदेशक

सांविधिक लेख परीक्षक

मैसर्स ए एन के एच एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन संख्या 015330S
बेंगलूरू - 560032

पंजीकृत कार्यालय

"एचएमटी भवन"

59, बेल्लारी रोड,

बेंगलूरु - 560 032

निष्पादन हाइलाइट्स

(राशि लाखों रुपये में)

प्रदर्शन पर प्रकाश

(रुपए लाख में)

	2024-25 IND AS	2023-24 IND AS	2022-23 IND AS	2021-22 IND AS	2020-21 IND AS	2019-20 IND AS	2018-19 IND AS	2017-18 IND AS	2016-17 IND AS	2015-16 IND AS	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
परिचालन सांख्यिकी																				
बिक्री	0	0	0	0	0	0	0	424	729	490	844	812	1106	1024	882	1054	1352	1514	3688	2184
अन्य आय *	0	61	137	181	148	135	125	165	414	179	172	248	180	975	790	1087	371	618	3498	7710
सामग्री	0	0	0	0	570	628	0	424	0	12	285	516	200	353	253	434	357	551	1288	926
कर्मचारी लागत	0	0	0	0	0	21	783	909	1210	4798	5749	5089	5884	7406	12503	5599	5343	5426	4934	5793
अन्य लागत	0	122	166	190	178	322	2169	392	3201	802	1275	771	1572	873	1379	1539	1995	1952	11968	3622
मूल्यह्रास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	53	43	54	83	92	109	123	155	195	245
ब्याज पूर्व आय	0	-61	-29	-9	-600	-836	-2827	-1136	-3268	-4992	-6346	-5359	-6424	-6716	-12576	-5774	-6401	-5816	-11405	-314
ब्याज	0	0	-14	26	26	21	22	87	174	1732	19574	17948	17823	15688	12798	11061	9982	8864	8161	7269
कर पूर्व आय/(हानि)	0	-61	-43	-35	-626	-857	-2849	-1223	-3442	-6724	-25920	-23307	-24247	-22404	-25374	-16835	-16383	-14680	-19566	-7583
कराधान	0	84986	0	0	0	89	3335	0	0	0	0	0	-	-	-	-	22	15	15	17
शुध्द आय	0	-85047	-43	-35	-626	-946	-6184	-1223	-3442	-6724	-25920	-23307	-24247	-22404	-25374	-16835	-16405	-14695	-19581	-7600
अपरिहार्य मदें	0	353126	193	140	896	1042	18312	373	-16914	-8832										
ओसीआई	0	0	0	0	0	0	0	-518	2936	2140										
कुल आय	0	268079	150	105	270	96	12128	-1368	-17420	-13416										
																-	-	-	-	-
वित्तीय स्थिति																				
शुध्द अचल संपत्ति	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	722	842	886	939	1021	1135	1243	1337	1220	1412
चालू परिसंपत्तियां	0	0	1304	4245	3986	3859	6514	5004	7716	29548	6453	4575	5385	5278	5284	5772	6448	7769	9796	8600
चालू देयताएं एवं प्रावधान	0	0	269383	271873	272319	272462	275218	284971	287180	291592	21523	18496	18692	18788	25338	22875	21318	20106	18360	18586
कार्यशील पूंजी	0	0	-268079	-267628	-268333	-268603	-268704	-279967	-279464	-262044	-15070	-13921	-13307	-13510	-20054	-17103	-14870	-12338	-8563	-9986
नियोजित पूंजी	0	0	-268079	-267625	-268328	-268598	-268699	-279962	-279459	-262039	-14348	-13079	-12421	-12571	-19033	-15968	-13627	-11001	-7343	-8574
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
विविध व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	63	290	9733
ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236437	211718	188884	158915	135581	113273	98780	85064	74253	62984
निवल सम्पति	0	0	-268079	-268228	-268333	-268603	-268698	-280827	-279459	-262039	-250561	-224573	-201266	-177000	-154614	-129240	-112405	-96063	-81595	-71557
																	-	-	-	-
अन्य सांख्यिकी																				
पूंजीगत व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	27	195	1	18
आंतरिक संसाधनों से उत्पति	0.00	0.00	-43.00	-35.00	-626.00	-946.00	-6184.00	-1223.00	-3442.00	-6675.00	-25867.00	-23264	-24193	-22321	-25282	-16726	-16282	-14540	-19386	-7355
कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06	-0.08	-0.08	-0.04	-0.06	-0.09	-0.12	-0.43	-0.22
चालू अनुपात	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.10	0.30	0.25	0.29	0.28	0.21	0.25	0.30	0.39	0.53	0.46
पूंजी प्रतिफल(%)	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.22	-0.31	-1.03	-0.41	-1.21	-3.61	-46.28	-42.03	-51.41	-42.50	-71.86	-39.02	-51.98	-63.41	-143.31	#REF!
कर्मचारी (संख्या)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	640.00	640.00	1005.00	1055	1105	1219	1417	1976	2050	2126	2145	2162
प्रति व्यक्ति बिक्रि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	1.14	0.77	0.84	0.77	1.00	0.84	0.62	0.53	0.66	0.71	1.72	1.01

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य गण
एचएमटी वाचेस लिमिटेड,
बेंगलूरू

आपके निदेशक मंडल आपके सम्मुख आपकी कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों की 26 वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वर्ष 2024-25 के कम्पनी के वार्षिक लेखों की सहर्ष प्रस्तुति कर रहे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

कंपनी का वित्तीय सारांश / प्रदर्शन

आपकी कंपनी को वर्ष 2016 में बंद कर दिया गया था पूर्ण चुकता इसके सभी परिचालन (उत्पादन, बिक्री आदि) पूरी तरह से बंद हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के बंद होने के कारण कोई परिचालन बिक्री या आय नहीं है। वर्ष के लिए सकल बिक्री शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है और वर्ष के लिए उत्पादन भी शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है। वित्तीय वर्ष 25-2024 के दौरान शुद्ध लाभ/हानि शून्य है।

कम्पनी का वित्तीय सार संक्षेप / निष्पादन

(रुपये करोड में)

विवरण	वित्तीय वर्ष **2024-25**	वित्तीय वर्ष **2023-24**
सकल लाभ / (हानि) (पीबीटी)	0.00	(00.61)
जोड़ें: असाधारण मदें	0.00	00.00
जोड़ें: भारत सरकार का ऋण माफ किया गया	0.00	2693.79
भारत सरकार के अनुदान	0.00	837.47
सकल लाभ - पीबीटी (नेट)	0.00	3530.65
आयकर का भुगतान	0.00	849.86
शुद्ध लाभ (पीएटी)	0.00	2680.79
संचयी लाभ (हानि)	0.00	(6.49)

लाभांश

कंपनी के बंद होने के कारण, वर्ष के दौरान कोई परिचालन नहीं है, इसलिए, वर्ष 25-2024 के दौरान कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 7,00,00,000/- रुपये है, जो 10/- रुपये प्रति शेयर के 70,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। शेयरों प्रत्येक ₹10/- के शेयर। आपकी कंपनी की जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी ₹6,49,01,000/- हैं जो 64,90,100 इक्विटी शेयरों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक ₹10/- का था और पूरी तरह से चुकता था। सभी शेयरों का धारण एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी के पास हैं।

निवल संपत्ति

31 मार्च 2025 तक कंपनी का निवल संपत्ति शून्य है।

जमा

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया। वर्ष के प्रारंभ/अंत में कोई बकाया जमा नहीं था।

वर्तमान स्थिति

भारी उद्योग मंत्रालय (पूर्ववर्ती भारी उद्योग विभाग) ने 13 जनवरी 2016 के पत्र के माध्यम से एचएमटी वाचेस लिमिटेड को बंद करने के लिए सीसीईए ने अनुमोदान से सूचित किया। तदनुसार, डीपीइ दिशा-निर्देशों में एक बार की छूट और इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स नियम 1947 के तहत छंटनी द्वारा उन सभी कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया। कंपनी ने सभी चल संपत्तियों का निपटान पूरा कर लिया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 05 मई 2022 के अपने पत्र के माध्यम से एचएमटी वॉचेस लिमिटेड की पुस्तकों से सभी अचल संपत्तियों को एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों में ₹2,96,06,230/- (दो करोड़ छियानबे लाख छह हज़ार दो सौ तीस रुपये मात्र) के बही मूल्य पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी और यह भी बताया कि एचएमटी लिमिटेड एचएमटी वाचेस

लिमिटेड से संबंधित अचल संपत्तियों के निपटान करेगा और बिक्री की आय को लागू करों और संबंधित खर्चों को काटने के बाद जैसे ही बिक्री की आय प्राप्त होती है, भारी उद्योग मंत्रालय को हस्तांतरित करेगा।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 सितंबर 2022 और 01 दिसंबर 2022 के अपने पत्र के माध्यम से एचएमटी वाचेस लिमिटेड के सभी कानूनी मामलों और मामलों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक देनदारियों को एचएमटी लिमिटेड को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी और यह भी उल्लेख किया कि `80.00 करोड़ तक की आकस्मिक देनदारियों को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

एचएमटी लिमिटेड के शेयरधारकों ने 18 दिसंबर 2022 को और एचएमटी वाचेस लिमिटेड ने 21 दिसंबर 2022 को उक्त अचल संपत्तियों और कानूनी मामलों के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। इसलिए, उक्त लेनदेन (30 दिसंबर 2022 से प्रभावी) को प्रभावित करने के लिए 12 जनवरी 2023 को मैसर्स एचएमटी वाचेस लिमिटेड और मैसर्स एचएमटी लिमिटेड के बीच एक समझौता किया गया है।

एचएमटी वाचेस लिमिटेड को बंद करने के लिए 13 जनवरी 2016 के भारी उद्योग मंत्रालय के पत्र में, यह उल्लेख किया गया है कि सहायक कंपनी के बंद होने के बाद अमूर्त संपत्तियों और अन्य मदों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, लोगो आदि का होल्डिंग कंपनी को स्वचालित हस्तांतरण होगा। एचएमटी वॉचेस लिमिटेड उसके स्वामित्व वाली सभी अमूर्त संपत्तियों में सभी अधिकार, शीर्षक और हित का बिना शर्त और अप्रतिबंधित मालिक है। एचएमटी वॉचेस लिमिटेड ने 10 जनवरी 2023 के असाइनमेंट डीड के माध्यम से एचएमटी लिमिटेड को अमूर्त संपत्तियां सौंपी हैं।

एचएमटी वॉचेस लिमिटेड ने निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है / माफ कर दिया है। कंपनी को भारत सरकार के ऋणों की माफी पर आयकर के भुगतान के लिए भारत सरकार से ₹837.47 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ और आयकर विभाग को इसका भुगतान किया। कंपनी की बैलेंस शीट 01 अप्रैल, 2024 से शून्य है।

निदेशक मंडल कंपनी को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है।

कर्मचारियों का विवरण

31 मार्च 2025 तक कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है।

31 मार्च 2025 तक कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है। इसीलिए, कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक प्राप्त पारिश्रमिक लागू नहीं है।

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और इसका विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। बैठकों के मध्य का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के दायरे में था।

लेखा परीक्षक

मेसर्स एएनकेएच एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेंगलूरु को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में सी एंड एजी द्वारा नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट भी प्रस्तुत किया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अलग से दी गई हैं।

सतर्कता गतिविधियां

कंपनी में कोई परिचालन नहीं किए गए है और न ही कोई कर्मचारी है। एचएमटी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) का सतर्कता विभाग कार्यरत है और समग्र गतिविधियों पर नजर रख रहा है।

आचार संहिता

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बोर्ड सदस्य(यों) और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने आकार और अपने परिचालन की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था निम्नानुसार है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं:

- पूंजी और राजस्व व्यय के लिए प्राधिकार सीमाओं के साथ शक्ति का स्पष्ट प्रत्यायोजन।
- लेखांकन, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट शासन के लिए सुव्यवास्थित कॉर्पोरेट नीतियां।
- अनधिकृत उपयोग अथवा नुकसान अथवा स्थिति परिवर्तन के प्रति परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, और यह सुनिश्चित करना कि संव्यवहार प्राधिकृत, रेकार्ड बद्ध और सही ढंग से दर्ज और रिपोर्ट किए गए हैं।
- वार्षिक और दीर्घकालिक व्यवसाय योजनाओं को तैयार करने और उनकी समीक्षा करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- विभिन्न शीर्षों के तहत मासिक लक्ष्यों के आगे के विभाजन के साथ विस्तृत वार्षिक बजट।
- निरंतर आधार पर बजट के संदर्भ में प्रमुख समिति द्वारा निष्पादत की निरंतर समीक्षा।
- विधियों और विनियमों का अनुपालन।।

राजभाषा का कार्यान्वयन

इस कम्पनी को बंद करने की प्रक्रिया की जा रही है तथा 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार कम्पनी में कोई कर्मचारी न होने के कारण कम्पनी के संबंध में राजभाषा कार्यान्वयन अपेक्षित नहीं है।

निदेशक उत्तरदेयता विवरण

अपने जानकारि तथा विश्वास के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के संदर्भ में निम्नांकित विवरण कथित करते हैं:

- 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उचित संबंधित विवरण सामाग्री का पालन किया गया है;
- ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और लगातार उपयोग किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान किए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि के विवरण का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं;
- कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था की गयी है;
- वार्षिक वित्तीय विवरण एक चालू संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- यह कि उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थी और पर्याप्त थी और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी;
- लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ मौजूद है और पर्याप्त है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है;

सामग्री में परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी सामग्री में परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए हैं।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने 26 मार्च 2024 के आदेश के तहत एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री राजेश कोहली, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को सौंपा है, जो श्री के. रविशंकर, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्थान पर हैं, और यह तत्काल प्रभाव से और उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या एक नियमित पदधारक के कार्यभार संभालने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी स्वीकृति के अधीन। श्री राजेश कोहली (डीआईएन: 10333951) ने श्री के. रविशंकर (डीआईएन: 10540509) के स्थान पर 5 अप्रैल 2024 को दोपहर में एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के

पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला। भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने 23 जुलाई 2024 के आदेश के तहत डॉ. रेनूका मिश्रा (डीआईएन: 08635835), आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने 23 जुलाई, 2024 के आदेश के तहत डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835), आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को सुश्री मुक्ता शेखर (डीआईएन: 10118859), पूर्व-संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर 23 जुलाई, 2024 से और अगले आदेश तक कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया। श्री नरेश कुमार (डीआईएन: 10043608) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक बने रहे।

उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने 28 अप्रैल, 2025 के आदेश के तहत श्री राजेश कोहली, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के अतिरिक्त प्रभार के विस्तार को 05.04.2025 से 30.06.2025 तक की अवधि के लिए, या जब तक कोई नियमित पदधारक कार्यभार नहीं संभाल लेता, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी के अधीन, मंजूरी दी।

31.03.2025 तक, श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), डॉ. रेणुका मिश्रा, सरकारी नामित निदेशक और श्री नरेश कुमार, सरकारी नामित निदेशक, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य थे।

श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), 31.03.2025 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, वे पुनर्नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं। बोर्ड उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है।

बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड को एमसीए अधिसूचनाओं दिनांक 5 जून, 2015 और 5 जुलाई, 2017 के संदर्भ में, कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रदर्शन के मूल्यांकन से छूट दी गई है, जो प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारी उद्योग मंत्रालय और/या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है।

स्वतंत्र निदेशक से घोषणा और आईआईसीए द्वारा बनाए गए डेटा बैंक में पंजीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा और आईआईसीए द्वारा बनाए गए डेटा बैंक में पंजीकरण कंपनी पर लागू नहीं है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

क. ऊर्जा का संरक्षण

आपकी कंपनी लगातार ऊर्जा के संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देती है। हालांकि, चूंकि कंपनी बंद है और कोई परिचालन नहीं है, यह लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण

यह कम्पनी बंद होने की प्रक्रिया में है अत: यह लागू नहीं होता है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान व्यवसाय व्यय की ओर कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं हुआ। वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय भी नहीं हुई।

वार्षिक विवरण का संक्षेप सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के तहत आवश्यक कंपनी के वार्षिक रिटर्न को रखना लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी की कोई सक्रिय वेबसाइट नहीं है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के दौरान किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण इसके कारणों के साथ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत कंपनी के खिलाफ कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन और एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच के अंतर का विवरण, साथ ही उसके कारण।

नोट: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं है।

दिवालियापन और दिवाला संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के खिलाफ दिवालियापन और दिवाला संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था और न ही कोई कार्यवाही लंबित थी।

अन्य

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले जोखिमों पर लगातार नजर रखने के लिए कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन मौजूद है।

संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में दिया गया है।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में दिया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना सामने नहीं आई।

किसी भी विनियमन, न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में चालू व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

31 मार्च 2025 तक, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में कोई भी राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रखरखाव कंपनी पर लागू नहीं है।

आभार

निदेशक मंडल एचएमटी लिमिटेड, धारक कंपनी, भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों, महानिदेशक आपूर्ति और निपटान, महानिदेशक, आयुध कारखानों, विभिन्न राज्य सरकारों, आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों, और भारत और विदेशों में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के सम्मुख व्याप्त कठिन परिस्थिति के बावजूद, वर्ष के दौरान सभी संबंधित हितधारकों द्वारा किए गए योगदान की भी ईमानदारी से सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 15-05-2025

कॉर्पोरेट शासन

भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जैसा कि सरकारी कंपनियों पर लागू होता है और कंपनी अधिनियम की धारा 133 के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पढ़ा जाता है, आपकी कंपनी यहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उचित कार्रवाई शुरू की है।

निदेशकों का पारिश्रमिक

मंडल और समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए केवल स्वतंत्र निदेशकों को 1500/- रुपये की राशि देय है।

आम सभा की बैठकें

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2021-22	13.07.2022	शाम 04:00 बजे	एचएमटी भवन, बेंगलुरु
2022-23	24.08.2023	प्रातः 11:00 बजे	एचएमटी भवन, बेंगलुरु
2023-24	02.09.2024	प्रातः 11:45 बजे	एचएमटी भवन, बेंगलुरु

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:

चालू वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर, 2025 को या उससे पहले एचएमटी भवन, नंबर 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु-560 032 में आयोजित होने वाली है।

निदेशक मंडल

31 मार्च, 2025 तक, निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और दो (2) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक / सरकारी नामित निदेशक शामिल थे। वर्तमान में, अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों का पद रिक्त है।

कंपनी का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) / महाप्रबंधक (ओ एंड एम), एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (अतिरिक्त प्रभार), एचएमटी वॉचेस लिमिटेड द्वारा और निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, चार बोर्ड बैठकें 07 मई 2024, 02 सितंबर 2024, 18 दिसंबर 2024, 21 मार्च 2025 को आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान निदेशकों की संरचना और बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

नाम	श्रेणी	उपस्थिति विवरण		अन्य निदेशकों और समिति के सदस्य/अध्यक्षता की संख्या		
		(बोर्ड बैठकें)	(आम बैठक)	निदेशक	समिति	
					सदस्यत	अध्यक्षत
राजेश कोहली (डीआईएन:10333951)	अध्यक्ष और एमडी (प्रभारी)	4	1	4	5	1
के रविशंकर (डीआईएन:10540509)	अध्यक्ष और एमडी (प्रभारी)	0	0	3	6	1
डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835)	एनईएनआई	3	1	9	4	1
मुक्ता शेखर (डीआईएन:10118859)	एनईएनआई	1	लागू नहीं	8	1	4
नरेश कुमार (डीआईएन:10043608)	एनईएनआई	3	1	3	-	-

सी: अध्यक्ष, एमडी : प्रबंध निदेशक, ईएनआइ: कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र, एनईएनआई : गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र, एनएआई : लागू नहीं।

प्रकटीकरण

प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ है, जिससे कंपनी के हितों में संभावित संघर्ष हो। पिछले तीन वर्षों में वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई गैर-अनुपालन, जुर्माना या फटकार नहीं लगाई गई है।

संचार के साधन

एचएमटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी समय-समय पर अपनी वित्तीय रिपोर्ट धारक कंपनी को प्रस्तुत करती है। वार्षिक रिपोर्ट भी एचएमटी लिमिटेड की वेबसाइट www.hmtindia.com पर भी अद्यतन किए जाते हैं।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

डीपीई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक आचार संहिता मौजूद है। यह आचार संहिता एचएमटी लिमिटेड, धारक कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है और कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को भी परिचालित की गई है; और सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 15-05-2025

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत लेखा-परीक्षण टिप्पणियों के परिणामस्वरूप जारी की गई, जो सीएजी द्वारा पत्र संख्या निदेशक (प्रशासन)/संख्या पीडीसीए/एच वै डी एसी डेस्क/एचएमटी(डब्ल्यू)/2024-25/1.53 दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से जारी की गई, और यह हमारी स्वतंत्र लेखा-परीक्षणर्स रिपोर्ट दिनांक 15.05.2025 का अधिक्रमित करती है।)

वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण पर रिपोर्ट

मत:

1. हमने एचएमटी वॉचेस लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और रोकड़ प्रवाह का विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी उस तरीके से देते हैं जिस तरह से आवश्यक है और अधिनियम की धारा 133 के तहत जारी भारतीय लेखा मानक के अनुरूप हैं, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित ("आईएनडी एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाता है, और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके रोकड़ प्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

अर्हक मत

3. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा-परीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां" अनुभाग में दिया गया है। हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम और उसके नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

अन्य सूचना

4. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

   वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करने में, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों, या लेखा-परीक्षण या अन्यथा प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

   यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितत

5. हम वित्तीय विवरणों में नोट 2.8क की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो इंगित करता है कि कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया में है और उसके पास कोई संपत्ति या देनदारियां नहीं हैं। इसलिए, वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मुख्य लेखा-परीक्षण मामला

6. मुख्य लेखा-परीक्षण मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी

7. कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इन वित्तीय विवरणों की तैयारी शामिल है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उनका अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं।

8. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करना और चालू व्यवसाय के आधार पर लेखांकन का उपयोग करना, जब तक कि प्रबंधन का इरादा कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का न हो, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

   निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

9. हमारे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखा-परीक्षण हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत बयान का पता लगाएगा। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित उम्मीद की जा सकती है।

10. एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा भी निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया देने वाली लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत,

जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा-परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकलना और, प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो एक चालू व्यवसाय के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।
- खुलासों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

11. हम शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिस्मे की योजनाबद्ध सीमा और समय, और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष शामिल होते हैं। इसमें आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ भी शामिल हैं जिनकी पहचान हमने अपने लेखा-परीक्षण के दौरान की है।

- हम उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं जिन पर शासन का प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों से अवगत कराते हैं जिनके बारे में यथोचित रूप से यह सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

मामले पर जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

नोट संख्या 2.8क

हम "वित्तीय विवरणों के नोट्स" के नोट संख्या 2.8क की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वर्ष 2016-17 में बंद विनिर्माण परिचालन और भारत सरकार की अनुमोदन के अनुसार एचएमटीडब्ल्यूएल के बंद होने के संबंध में है, जिसमें समापन देनदारियों को पूरा करने के लिए सभी चल संपत्तियों का निपटान किया जा रहा है। एमएचआई द्वारा 05-05-2022 के पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने एचएमटीडब्ल्यूएल (बंद होने के तहत) की पुस्तकों से सभी अचल संपत्तियों को धारक कंपनी एचएमटी लिमिटेड की पुस्तकों में बुक वैल्यू पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अचल संपत्तियों के हस्तांतरण को सरकार द्वारा मान लिया गया है और एचएमटी लिमिटेड उनके निपटान तक संपत्तियों का संरक्षक है।

हम "वित्तीय विवरणों के नोट्स" के नोट संख्या 2.8क की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो परिसमापन के आधार पर वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है। कंपनी का प्रबंधन कंपनी को बंद करने का इरादा रखता है क्योंकि कंपनी को भारी नुकसान हुआ है और इसकी शुद्ध संपत्ति नष्ट हो गई है। नुकसान के मद्देनजर, हितधारकों ने कंपनी को बंद करने और कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदन करने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर कंपनी के खाते एक चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

12. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 ("आदेश") कि अपेक्षाओं के, हम «अनुलग्नक क» में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण प्रस्तुत कर रहें है।।

13. अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार, हमारे लेखा-परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

ग. इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र और लाभ और हानि का विवरण संबंधित बही-खातों से सहमत है।

घ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

च. 31 मार्च 2025 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है, 31 मार्च 2025 तक कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुलग्नक-ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

ज. कंपनी (लेखा-परीक्षण और लेखा-परीक्षणर्स) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. कंपनी को 31 मार्च 2025 तक लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत एक प्रावधान को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके पास दीर्घकालिक अनुबंध पर कोई भौतिक अनुमानित नुकसान नहीं है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।

iii. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई भी राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में खुलासा किए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, को कोई भी धन अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार लिए गए धन या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के धन से) नहीं दिया गया है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि बिचौलिया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कुछ भी प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में खुलासा किए गए के अलावा, कंपनी को किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्त पोषण पक्ष'') शामिल हैं, से कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कुछ भी प्रदान करेगी; और

(ग) हमने जो लेखा-परीक्षण प्रक्रियाएं उचित और उपयुक्त मानी, उनके आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदनों में कोई भी भौतिक गलत बयानी शामिल है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर जिसमें नमूना जांच भी शामिल हें, कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने बही-खातों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें लेखा-परीक्षण ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष इसका संचालन किया गया है। इसके अलावा, हमारे लेखा-परीक्षण के दौरान हमें लेखा-परीक्षण ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 04-07-2025

ए एन के एच एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 015330S

प्रकाश अडीगा बी
साझेदार
सदस्यता संख्या: 216858
यूडीआईएन: 25216858BMHYCH4625

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के एचएमटी वाचेस लिमिटेड, बेंगलुरू के वित्तीय विवरणों पर हमारी समतिथि की रिपोर्ट में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट" में संदर्भित अनुलग्नक – क

(हमारी संशोधित रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी के सदस्यों को 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों पर संदर्भित परिशिष्ट। हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के पास कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण नहीं थे, इसलिए मात्रात्मक विवरण, भौतिक सत्यापन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं थी, इसलिए अमूर्त संपत्तियों के पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) (पूर्व में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45)) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है, और इसलिए हमारे द्वारा इस पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में विवरणों का उचित खुलासा किया है।

ii) अपनी इन्वेंट्री के संबंध में:

क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ख) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाओं की तर्कसंगतता और पर्याप्तता पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए इन्वेंट्री रिकॉर्ड के रखरखाव पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) के उप-खंड (क), (ख), (ग), (घ), (च), के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी प्रदान नहीं की है या कोई सुरक्षा नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है जिस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) लागू नहीं है।

v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों, या आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के तहत कवर किए गए जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। इसलिए, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

vi) केंद्र सरकार ने कंपनी की किसी भी गतिविधि के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश के खंड 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने 31-12-2022 तक एमएचआई पत्र दिनांक 1-12-2022 के अनुसार सभी लंबित वैधानिक बकाया/कानूनी मामलों को एचएमटी लिमिटेड, धारक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया है। 31-03-2025 तक कंपनी के बही-खातों में कोई लंबित वैधानिक बकाया नहीं है।

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर, बही-खातों में कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया है, जिसे बही-खातों में दर्ज नहीं किया गया है।

ix) क) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। इसलिए, आदेश के खंड (ix) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों से कोई सावधि ऋण सुविधा नहीं ली है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तीय संस्थानों से कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों के गिरवी रखने पर कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x) क) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) या सावधि ऋणों के माध्यम से कोई पैसा नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

xi) क) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख) भारतीय लेखांकन प्रथाओं में आम तौर पर स्वीकृत के अनुसार किए गए कंपनी के बही-खातों और रिकॉर्ड की हमारी जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षण और लेखा-परीक्षणर्स) नियम,

2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में, अधिनियम की धारा 143(12) के तहत एक रिपोर्ट, केंद्र सरकार के पास दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

ग) भारतीय लेखांकन प्रथाओं में आम तौर पर स्वीकृत के अनुसार किए गए कंपनी के बही-खातों और रिकॉर्ड की हमारी जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और जैसा कि हमें प्रबंधन द्वारा दर्शाया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(सी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ। इसके अलावा, सभी लेनदेन, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं, और संबंधित लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में आवश्यक खुलासे किए गए हैं।

xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी समापन की प्रक्रिया में है। सभी लेनदेन एचएमटी लिमिटेड (एबीडी) के माध्यम से किए जाते हैं। कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त नहीं किया है।

xv) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय/आवास वित्त गतिविधियां नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

घ) कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है, जो समूह का हिस्सा हों। हालांकि, हमने अलग से मूल्यांकन नहीं किया है कि प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक और पूर्ण है या नहीं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है; हालांकि, इसे पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹60.97 लाख की नकद हानि हुई थी।

xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, इसलिए इस खंड पर टिप्पणी लागू नहीं है।

xix) कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया में है और उसके पास कोई परिसंपत्ति या देनदारियाँ नहीं हैं। इसलिए वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार नहीं किए जाते हैं। इसे हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता अनुभाग के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है।

xx) क) लेखा-परीक्षण की अवधि के दौरान कोई भी अप्रयुक्त राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो, इसलिए इस खंड पर टिप्पणी लागू नहीं होती है।

ख) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत ऐसी कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं रही, इसलिए इस खंड पर टिप्पणी लागू नहीं होती है।

xxi) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और सहायक कंपनियों की सी ए आर ओ रिपोर्ट में निहित योग्यताओं या प्रतिकूल टिप्पणियों पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 04-07-2025

ए एन के एच एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 015330S

प्रकाश अडीगा बी
साझेदार
सदस्यता संख्या: 216858
यूडीआईएन: 25216858BMHYCH4625

एचएमटी वाचेस लिमिटेड, बेंगलूरू के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

(हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" पैराग्राफ 13 (च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमें 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के साथ-साथ एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, बेंगलुरु ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्ष की हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आवश्यक घटकों जैसे कि नियंत्रण वातावरण, इकाई की जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, नियंत्रण गतिविधियां, सूचना प्रणाली और संचार और ऐसे नियंत्रणों की निगरानी के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट ऑन लेखा-परीक्षण ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") और लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखा-परीक्षण किया, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर लागू होते हैं, और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। वे मानक और दिशानिर्देश नोट यह आवश्यक करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए लेखा-परीक्षण की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा-परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा-परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा-परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि एक महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है या नहीं, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो:

1. ऐसे रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

2. यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और
3. कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों को अनुचित प्रबंधन अधिरोहण करने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लग सकता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भविष्य की अवधियों तक के अनुमानों में यह जोखिम होता है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्तर खराब हो सकती है।

मत

हमारी मतानुसार में, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे है, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर है।

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 15-05-2025

ए एन के एच एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 015330S

प्रकाश अडीगा बी
साझेदार
सदस्यता संख्या: 216858
यूडीआईएन: 25216858BMHXZU3740

एचएमटी वाचेस लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की दिनांक07-5-2025 परिशिष्ट

एचएमटी वाचेस लिमिटेड, बेंगलुरू के सदस्यों को संबांधित

यह पत्र हमारी दिनांक 15-05-2025 की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट है और इसे उसके भाग के रूप् में पठित है। यह परिशिष्ट हमारी रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 15-05-2025 के "कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हमारे लेखा-परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:" पैराग्राफ के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ का समावेश किया जाएगा:

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के खातों की सत्यता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ, यदि कोई हो, तो वित्तीय प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करें।	कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से किए गए है। हमारे सत्यापन के आधार पर, खातों की सत्यता या कंपनी के वित्तीय प्रभावों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ है।
2	क्या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को मौजूदा ऋण या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/माफी का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें।	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 13-01-2016 के माध्यम से सूचित किया कि 06-01-2016 को हुई अपनी बैठक में सीसीईए ने एचएमटी वॉचेस लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी थी और बंद होने के बाद कंपनी के ऋणों को माफ करने का निर्देश दिया था। एमएचआई ने पत्र दिनांक 08-05-2023, 06-02-2024 के माध्यम से कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत समापन याचिका दायर करने का निर्देश दिया। एमएचआई ने पत्र दिनांक 06-02-2024 के माध्यम से कंपनी को ₹2693.78 करोड़ के भारत सरकार के ऋणों को माफ करने का भी निर्देश दिया और जारी की गई ₹837.47 करोड़ की अनुदान राशि का उपयोग एमएटी / कर देयता के निपटान के लिए भुगतान के लिए किया जाएगा।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धन (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उसके नियमों और शर्तों के अनुसार ठीक से दर्ज/ उपयोग किया गया था? व्युतक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	वर्ष के दौरान ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए।

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 15-05-2025

ए एन के एच एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 015330एस

प्रकाश अडीगा बी
साझेदार
सदस्यता संख्या: 216858
यूडीआईएन: 25216858BMHXZU3740

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी वाचेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षण पर आधारित है। यह उनके द्वारा अपनी संशोधित लेखा-परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04 जुलाई 2025 के माध्यम से किया गया है, जो उनकी पिछली लेखा-परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15 मई 2025 का अधिक्रमण करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा-परीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग पेपर तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

पूरक लेखा-परीक्षण के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखा-परीक्षण टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधन को देखते हुए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आगे कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी नहीं है।

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 09 जुलाई 2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की निमित्त से और उनकी ओर से

Nawal

(वी.एम.वी. नवल किशोर)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षण
हैदराबाद

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) तैयारों की आधार:

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एएस"), कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियमों के साथ, जैसा कि कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू होता है, के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर उपार्जन के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के जिन्हें नीचे लेखांकन नीतियों में बताए अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापन किया गया है। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप

क) अनुमानों का उपयोग:

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के बारे में प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, लेकिन इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधियों में संपत्ति या देनदारियों की वहन राशि में एक महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (“पीपीई”) को अधिग्रहण या निर्माण की लागत पर, शुद्ध वेटेबल टैक्स, उक्त तारीख को जमा मूल्यह्रास की कीमत पर दिखाया गया है। लागत में प्रत्यक्श लागत और वित्तपोषण लागत में अधिग्रहण के कारण उधार लेने से संबंधित लागत शामिल होनी हैं, जब तक कि परिसंपत्तियां उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

भूमि के विकास के संबंध में व्यय को उस वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है जिसमें व्यय होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण की दिशा में भुगतान किए गए अग्रिम, जो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया हैं, को अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियों के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पीपीई की किसी वस्तु की लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाएगी अगर, और केवल तभी:

(क) यह संभाव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक अस्तित्व को कायम रखेंगे; तथा

(ख) वस्तु की लागत विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।

पीपीई की वस्तु जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 महीने के भीतर बिक्री के लिए रखी जाती है, उसे वहन लागत या उचित मूल्य से कम पर बिक्री की लागत पर खुलासा किया जाता है। पीपीई की किसी वस्तु की वहन राशि को मान्यता नहीं दी गयी है:

(क) निपटान किए जाने पर; अथवा

(ख) जहां उसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य का आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं है।

पीपीई की किसी वस्तु की मान्यता रद्द करने से उत्पन्न लाभ या हानि को उस वस्तु की मान्यता रद्द करने पर लाभ या हानि के विवरण में शामिल किया जाएगा।

विशेष उपकरण:

वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में बनाए गए विशेष उपकरणों के निर्माण और खरीदे गए मूल्य पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक होता है, उसे पीपीई की एक वस्तु माना जाता है और इसे 5 साल के अपने उपयोगी जीवन के ऊपर ह्रास हो जाता है।

ग) पट्टे

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी एक पट्टेदार है, उन्हें वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त

रूप से सभी जोखिमों और स्वामित्व के पुरस्कारों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टेदार होती है, तो यह हेड लीज और उप-पट्टे में अपने हितों को अलग-अलग करती है। उप-पट्टे को मुख्य लीज से उत्पन्न होने वाली उपयोग-के-अधिकार संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक पट्टेदार के रूप में परिचालन पट्टे

क) परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक सीधी-रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां किराये पूरी तरह से अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने के लिए संरचित होते हैं ताकि कंपनी के अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई हो सके, ऐसी वृद्धि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसे लाभ अर्जित होते हैं।

ख) मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भुगतानों को प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक सीधी-रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी एक पट्टेदार है, उन्हें वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) पट्टों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और स्वामित्व के पुरस्कारों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी संपत्ति का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होता है और ऐसे पट्टे पर भुगतानों को प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक सीधी-रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, एक उपयोग के अधिकार संपत्ति (आर-ओ-यू) और अपने पट्टे की व्यवस्था के लिए एक पट्टा देयता को पहचानती है, यदि अनुबंध एक पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुबंध एक पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, यदि इसमें एक पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है और कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से सभी आर्थिक लाभ हैं और पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है, सिवाय उन पट्टों के जिनकी अवधि 12 महीने या उससे कम है और कम मूल्य वाले पट्टों के, कंपनी पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि में एक सीधी-रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है।

उपयोग के अधिकार संपत्ति की लागत में पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि शामिल होगी जिसे प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया गया है, साथ ही किए गए कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत। उपयोग के अधिकार संपत्तियों को बाद में लागत से किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार संपत्तियों को प्रारंभ तिथि से पट्टे की अवधि या उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

कंपनी पट्टा देयता को उन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापती है जो पट्टे की प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किए गए हैं। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, यदि उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। पट्टा देयता और आर-ओ-यू संपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतानों को वित्तपोषण कैश फ्लो के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) ऋण लागतें

ऋण लागतों में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई उधार लेने के संबंध में वहन करती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लेने

की लागत, जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है, उसे भी उस अवधि तक शामिल किया जाता है जब तक कि ऐसी संपत्ति उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

अन्य सभी उधार लेने की लागतों को उस अवधि में व्यय किया जाता है जिसमें वे होते हैं।

च) निवेश संपत्ति

लेनदेन लागत सहित निवेश, संपत्तियों को कीमत पर प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत कम संचित अवमूल्यन और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, पर कहा गया है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी काल के अनुसार निवेश संपत्ति के निर्माण घटक को मूल्यह्रास करती है। निवेश संपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब उन्हें निपटाया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से वापस लिया जाता है और उनके निपटान से कोई भविष्य का आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। शुद्ध निपटान प्राप्ति आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच का अंतर को मान्यता के अस्वीकृति की समय में लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होता है।

छ) अमूर्त संपत्ति

i) अमूर्त संपत्ति कम कीमत पर एकत्रित परिशोधन और हानि पर दिखाया गया है। अमूर्त संपत्तियां अपने व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन से सीधी-रेखा के आधार पर परिमाण की जाती है, उस तारीख से जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। परिशोधित किया जाता है। एक पहचान योग्य अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित होता है जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा, और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग की स्थिरता, और ज्ञात तकनीकी प्रगति), के प्रभाव और रखरखाव के स्तर पर परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय शामिल है।

ii) तकनीकी जानकारी पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर दस साल से अधिक की अवधि के लिए सीधी-रेखा विधि पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

iii) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से उत्पन्न / खरीदी गई सॉफ्टवेयर की लागत जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है, उसे एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर दस साल से अधिक की अवधि के लिए सीधी-रेखा विधि पर परिशोधित किया जाता है।

iv) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान चरण:

अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को व्यय होने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।

विकास चरण:

विकास लागतों पर होने वाले व्यय, जो नई या बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों या सेवाओं के लिए एक चुने हुए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित हैं, उन्हें एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसी अमूर्त संपत्तियों को सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके दस साल से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

ज) मूल्यह्रास और परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी-रेखा के आधार पर, जोड़ या हटाने की तारीख के संदर्भ में, आनुपातिक रूप से प्रदान किया जाता है। जब भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पूरी तरह से मूल्यह्रासित हो जाता है, तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के बही मूल्य के रूप में रु.1/- को बरकरार रखा जाता है। ₹10,000/- से कम लागत वाले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को खरीद के वर्ष में रु.1/- तक मूल्यह्रासित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु का प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' भी कहा जाता है) जिसकी लागत वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और जिसका संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन से अलग उपयोगी जीवन है, उसे अलग से मूल्यह्रासित किया जाएगा।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों को पांच साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है और ₹750 से कम लागत वाली वस्तुओं को अधिग्रहण/निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनौपचारिक विधी और अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन की समम-समय पर समीक्षा की जाती है।

झ) मालिकों को वितरण के लिए रखी गई गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां और अवरूद्ध परिचालन

कंपनी गैर-चालू संपत्तियों को बिक्री/मालिकों को वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उनकी वहन राशि की वसूली मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री/वितरण के माध्यम से की जाएगी। बिक्री/वितरण को पूरा करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई से यह संकेत मिलना चाहिए कि बिक्री/वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने या बिक्री /वितरण करने के निर्णय को वापस लेने की संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/वितरण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

बिक्री के लिए/मालिकों को वितरण के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियां और निपटान समूहों को उनकी वहन राशि और उचित मूल्य से कम पर बिक्री/वितरण की लागत पर मापा जाता है। बिक्री के लिए/वितरण के लिए वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

ट) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा, और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि में एक व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लागतें, जिसके लिए इसका उद्देश्य मुआवजा देना है, व्यय होती हैं। जब अनुदान एक संपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर समान मात्रा में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ठ) माल सूची

कच्चे माल, भंडार और पुर्जे, टूल्स और उपकरण, स्क्रैप, कार्य प्रगति पर और तैयार माल को लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर मूल्यांकित किया जाता है। सामग्री की लागत को भारित औसत लागत विधि को अपनाकर सुनिश्चित किया जाता है।

कार्य प्रगति पर, तैयार माल और माल के पारगमन की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित परिवर्तनीय और निश्चित ओवरहेड का एक उपयुक्त हिस्सा शामिल होता है।

धीमी गति से चलने वाली इन्वेंट्री के लिए प्रावधान अप्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। हालांकि, गैर-चलती इन्वेंट्री के लिए प्रावधान तब किए जाते हैं जब वे पांच साल से अधिक समय तक अप्रयुक्त होते हैं और वे सामान्य या विशिष्ट आदेशों के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

ड) राजस्व स्वीकृति

एक ग्राहक अनुबंध तब मौजूद होता है जब अनुबंध के तहत संग्रहणीयता को संभावित माना जाता है, अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ होता है, भुगतान की शर्तें होती हैं, साथ ही दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को अनुमोदित किया गया है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और, इसलिए, ये कंपनी में प्रवाहित होने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व/आय से बाहर रखा गया है।

i) माल और सेवाओं की बिक्री

राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब ग्राहक माल या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है, जो तब होता है जब उसने उत्पादों का शीर्षक ले लिया है और उत्पाद या सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलो को ग्रहण कर लिया है। आम तौर पर, माल के शीर्षक और स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफल का हस्तांतरण अनुबंध के अनुसार परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) किराया आय

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर संबंधित पट्टे की अवधि में एक सीधी-रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहाँ किराये को केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित किया गया हो ताकि कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई हो सके, ऐसी वृद्धि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसे लाभ अर्जित होते हैं।

iii) लाभांश आय

लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो आम तौर पर तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देते हैं।

iv) ब्याज आय

ब्याज आय, जिसमें परिष्कृत लागत पर मापे गए अन्य वित्तीय साधनों से उत्पन्न आय शामिल है, को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।

v) वारंटी

उत्पाद बेचे जाने या ग्राहक को सेवा प्रदान किए जाने पर वारंटी-संबंधित लागतों के लिए प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित होती है। वारंटी-संबंधित लागतों के प्रारंभिक अनुमान को सालाना संशोधित किया जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में, खरीद मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से वारंटी प्रावधान प्रदान किया जाता है।

vi) विस्तारित वारंटी

जब कंपनी विस्तारित वारंटी बेचती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से प्राप्त राजस्व को स्थगित कर दिया जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में मान्यता दी जाती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद की कीमत में शामिल होती है और संबंधित उत्पाद की बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, कंपनी इन दोनों मदों को अलग करेगी और उनका अलग से लेखा-जोखा करेगी।

द) विदेशी मुद्रा अनुवाद

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं। विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट की तारीख को प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्रा में अनुवादित किया जाता है। ऐसे अनुवादों से होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों और गैर-मौद्रिक देनदारियों को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है और लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर अनुवादित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ या हानि को उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ निर्धारित करने में शामिल किया जाता है जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह की मदों को लेनदेन की तारीख को प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अनुवादित किया जाता है।

ण) सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि के लिए एक परिभाषित लाभ योजना के तहत प्रावधान किया जाता है। योगदान कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में किए जाते हैं।

छुट्टी के नकदीकरण के लिए एक दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के तहत अधिनियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

ग्रेच्युटी के लिए एक परिभाषित लाभ योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को कवर करने के लिए प्रावधान किया जाता है, देयता को अधिनियमित मूल्यांकन पर निर्धारित किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित और प्रशासित एक ट्रस्ट को आवश्यक सीमा तक वार्षिक योगदान किए जाते हैं, जिसके तहत कवरेज प्रति पात्र कर्मचारी ₹50,000/- तक सीमित है। ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए उस पर होने वाली किसी भी अतिरिक्त देयता को पूरा करने के लिए शेष प्रावधानों को बही-खातों में बनाए रखा जाता है।

निपटाने का भत्ता ("एसए") एक परिभाषित लाभ योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को कवर करने के लिए प्रदान किया जाता है, देयता को बीमांकिक मूल्यांकन पर निर्धारित किया जाता है।

कंपनी अपनी बैलेंस शीट में एक परिभाषित लाभ योजना यानी ग्रेच्युटी और एसए की शुद्ध देयता को एक परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता देती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। इंड एएस के अनुसार, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन लाभ और हानि को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुन:

वर्गीकृत नहीं किया जाना है। इंड एएस-अनुरूप अनुसूची III के तहत आवश्यक के रूप में, कंपनी परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन लाभ और हानि (कर के बाद) को प्रतिधारित आय में मान्यता देती है।

पेंशन एक परिभाषित योगदान योजना के तहत प्रदान की जाती है, योगदान सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी दावों के खाते में एलआईसी से प्राप्त/प्राप्य ₹50,000/- प्रति व्यक्ति की राशि को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अन्य तरीकों से अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में, ₹50,000/- से अधिक का भुगतान की गई ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए को संबंधित प्रावधान खातों में डेबिट किया जाता है। ग्रेच्युटी, ईएलई और एसए के लिए वर्ष के अंत में प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार फिर से बताया जाता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ("वीआरएस") के तहत कर्मचारियों को भुगतान की गई ग्रेच्युटी, ईएलई, एसए और एकमुश्त मुआवजे को घटना के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

वीआरएस के तहत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए बांडों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

त) आयकर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। चालू और आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित होते हैं जिन्हें ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, ऐसी स्थिति में, चालू और आस्थगित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

i) चालू कर

चालू आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कराधान अधिकारियों से प्राप्त होने या भुगतान किए जाने की अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं।

ii) आस्थगित कर

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी वहन राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

थ) प्रावधान

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का पिछले घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को एक वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो, जहां उपयुक्त हो, दायित्व के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

एक आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि होगा या एक वर्तमान दायित्व है जिसे मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि यह संभावित नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। एक आकस्मिक देयता अत्यंत दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न होती है जहां एक देयता होती है जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसे मज़बूती से मापा नहीं जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है।

द) हानि

i) वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है। इंड एएस 109 को हानि भत्ता के माध्यम से अपेक्षित क्रेडिट हानियों को मापने की आवश्यकता है। कंपनी उन सभी व्यापारिक प्राप्तियों के लिए जीवन भर की अपेक्षित हानियों को पहचानती है जो एक वित्तपोषण लेनदेन का गठन नहीं करती हैं। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानियों को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर या जीवन भर की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है।

ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादन इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उसके उपयोग में मूल्य से अधिक होती है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि तक लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो, तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। हानि के नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। हानि के बाद, परिसंपत्ति की शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित वहन राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

ध) वित्तीय लिखत

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों की एक पक्षकार बनती है। वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत जो सीधे तौर पर वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय संपत्ति या वित्तीय देनदारी की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

i) नकद और नकद समकक्ष

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय लिखतों को, जो नकदी की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जिनका मूल्य परिवर्तन का जोखिम नगण्य है तथा खरीद की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि है, नकद समकक्ष मानती है। नकद और नकद समकक्षों में बैंकों के साथ ऐसी शेष राशि शामिल होती है, जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित हैं।

ii) परिगणित लागत पर वित्तीय संपत्तियां

वित्तीय संपत्तियों को बाद में परिगणित लागत पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय संपत्तियां ऐसे व्यवसाय के अंतर्गत रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों को\ रखना है और वित्तीय संपत्ति के संविदात्मक नियम निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह को जन्म देते हैं, जो बकाया मूल राशि पर केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान होते हैं।

iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां

वित्तीय संपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय संपत्तियां ऐसे व्यवसाय के अंतर्गत रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने और वित्तीय संपत्तियों को बेचने दोनों से

प्राप्त होता है तथा वित्तीय संपत्ति के संविदात्मक नियम निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह को जन्म देते हैं, जो बकाया मूल राशि पर केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान होते हैं। कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां

वित्तीय संपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसे प्रारंभिक मान्यता पर परिगणित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी लेनदेन की लागत को तुरंत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

v) वित्तीय देनदारियां

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिगणित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशियों के लिए, इन लिखतों की कम परिपक्वता अवधि के कारण वहन की गई राशि उचित मूल्य के करीब होती है।

vi) वित्तीय लिखतों की मान्यता समाप्त करना

कंपनी एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता तब समाप्त करती है जब वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या वह वित्तीय संपत्ति को हस्तांतरित कर देती है और वह हस्तांतरण अइएन्डी एस 109 के तहत मान्यता समाप्ति के लिए योग्य होता है। किसी भी वित्तीय संपत्ति की पूरी तरह से मान्यता समाप्त होने पर, वहन की गई राशि (मान्यता समाप्ति की तारीख पर) और प्राप्त किसी भी प्रतिफल (किसी भी नई संपत्ति और नई देनदारी के बीच के अंतर सहित) के बीच का अंतर लाभ या हानि में दर्ज किया जाएगा।

एक वित्तीय देनदारी (या एक वित्तीय देनदारी का एक हिस्सा) की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन या उसे रद्द या समाप्त कर दिया जाता है।

vii) वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य

अपने वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य निर्धारित करने में, कंपनी निम्न पदानुक्रम और मान्यताओं का उपयोग करती है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद बाजार की स्थितियों और जोखिमों पर आधारित हैं।

उचित मूल्य पदानुक्रम

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा या प्रकट किया गया है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जो सबसे निचले स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।

- स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (बिना समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए सबसे निचले स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए सबसे निचले स्तर का इनपुट देखने योग्य नहीं है।

संपत्तियों और देनदारियों के लिए जिन्हें वित्तीय विवरणों में बार-बार मान्यता दी जाती है, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (जो समग्र रूप से उचित मूल्य के माप के लिए महत्वपूर्ण सबसे निचले स्तर के इनपुट पर आधारित है) यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच कोई हस्तांतरण हुआ है या नहीं।

viii) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को लागत मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

iii) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और धारणाएँ

कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनानी पड़ती हैं जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, और साथ ही संलग्न प्रकटीकरणों, और आकस्मिक देनदारियों के

प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता ऐसे परिणामों को जन्म दे सकती है जिनके लिए भविष्य की अवधियों में प्रभावित संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि में एक महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता हो।

i) निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

a) परिचालन पट्टा - पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी ने अपनी निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो पर वाणिज्यिक संपत्ति के पट्टों में प्रवेश किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि पट्टा अवधि का वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख हिस्सा नहीं होना, यह निर्धारित किया है कि यह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखती है और इन अनुबंधों को परिचालन पट्टों के रूप में दर्ज करती है।

b) बंद किए गए परिचालन

27/10/2016 को सीसीईए की मंजूरी के अनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि ट्रैक्टर डिवीजन के परिचालन को बंद कर दिया जाएगा। तदनुसार, संपत्तियों को अइएन्डी एस 16, अइएन्डी एस 40 और अइएन्डी एस 105 के तहत दी गई परिभाषाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि कंपनी अपनी भूमि और भवनों के प्रमुख हिस्सों को किसी तीसरे पक्ष को पट्टे पर देगी ताकि कंपनी के लिए पट्टा किराया उत्पन्न हो सके और तदनुसार, इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

c) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय में भवन, जहाँ संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कंपनी के स्वामित्व वाली और उपयोग की जाने वाली संपत्ति के रूप में उपयोग किया जाता है और कुछ हिस्से को कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया गया है। प्रबंधन का भवन को बेचने का कोई इरादा नहीं है और भवन का वह हिस्सा जिसे पट्टे पर दिया गया है, वह एक छोटी अवधि के लिए है और तदनुसार, इसे पीपीई के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) अनुमान और धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएँ और अनुमान की अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में एक महत्वपूर्ण समायोजन होने का पर्याप्त जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियाँ और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएँ बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। जब ऐसे बदलाव होते हैं तो उन्हें धारणाओं में परिलक्षित किया जाता है।

a) आस्थगित कर

आस्थगित कर संपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जानी चाहिए जहाँ तक यह संभाव्य है कि भविष्य में ऐसे लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। चूंकि कंपनी के पास अप्रयुक्त कर हानियाँ हैं और भविष्य के कर योग्य लाभ के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए कंपनी आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं देती है।

b) निर्धारित लाभ दायित्व

निर्धारित लाभ ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि और निपटान भत्ता की लागत तथा ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य एक्चुअरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक एक्चुअरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं बनाना शामिल होता है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी लंबी अवधि की प्रकृति के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व इन धारणाओं में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। सभी धारणाओं की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

सबसे अधिक बदलाव के अधीन पैरामीटर छूट दर है। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु तालिकाओं पर आधारित है। ये मृत्यु तालिकाएं जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में केवल अंतराल पर बदलती हैं। भविष्य में वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित है।

c) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अर्जित अवकाश नकदीकरण जैसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ एक्चुअरियल मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। संचित क्षतिपूरक अनुपस्थिति की अपेक्षित लागत का माप, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि के रूप में किया जाता है। गैर-संचित क्षतिपूरक अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है। सेवा लागत, शुद्ध निर्धारित लाभ देनदारी (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध निर्धारित लाभ देनदारी (संपत्ति) का पुनर्मापन और दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का माप निर्धारित लाभ दायित्व के माप के समान अनिश्चितता की डिग्री के अधीन नहीं है। इस कारण से, पुनर्मापन को अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी जाती है।

d) वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को एनएवी/एनआरवी (एनएवी/एनआरवी) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो वहां से देखे जाने योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्य स्थापित करने में कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल है। इन कारकों के बारे में धारणाओं में बदलाव वित्तीय लिखतों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

31.03.2025 की स्थिती के अनुसार तुलन पत्र

रू. लाखो में

ववरण	नॉट संख्या	तक 31-Mar-2025	तक 31-Mar-2024
परिसंपत्तियां			
गैर चालू संपत्तियां			
संपत्ती, सयंत्र तथा उपकरण	2.2	-	-
चालू परिसंपत्तियां			
क) मॉल्सूचियां	2.3	-	-
ख) वित्तीये परिसंपत्तीयां			
i. व्यापार प्राप्य	2.4	-	-
Ii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	2.5	-	-
iii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (सावधी जमा पर व्याज उपचय)	2.6	-	-
iv. उपदान ट्रस्ट के पास उपलब्ध निधियां	2.6 A	-	-
ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां (सावधि जमा पर ब्याज उपचय)	2.7	-	-
बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां	2.8	-	-
योग परिसंपत्तियां		-	-
ईक्विटि एवं देयताएं			
इक्विटि	2.9	649.01	649.01
इक्विटि शेयर पूंजी	2.10	(649.01)	(649.01)
अन्य इक्विटि			
गैर चालू देयताएं			
क) वित्तीये देयताएं			
ख) प्रावधान			
i. कर्मचारि लाभ दायित्व		-	-
ग) अन्य गैर-चालू दायित्व			
चालू देयताऐं			
क) वित्तीय देयताएं			
i. ऋण		-	-
ii. व्यापार और अन्य देय	2.11	-	-
iii. अन्य वित्तीय देयताएं	2.12	-	-
प्रावधान			
i. कर्मचारि लाभ दायित्व		-	-
ii. अन्य	2.13	-	-
ग) अन्य चालू देयताएं	2.14	-	-
योग देयताएं		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप	2.1		
संलग्न वित्तीय विवरणों के नॉट देखें	2.2 To 2.38	-	-

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S
प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
स सं: 216858
युडीआईएन : 25216858BMHXZU3740
स्थान : बेंगलूरू
दिनांक: 15-05-2025

कृते एवं एचएमटी वाचेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली	**रेणुका मिश्र**	**नरेश कुमार**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सरकारी नामित निदेशक	सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन : 10333951	डीआईएन: 08635835	डीआईएन : 10043608

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण

रू. लाखो में

विवरण	नोट संख्या	तक 31-Mar-2025	तक 31-Mar-2024
जारी परिचालन			
बंद परिचालन			
परिचालनों से राजस्व	2.15	-	-
अन्य आय	2.16	-	61.21
योग राजस्व		**-**	**61.21**
व्यय			
प्रयुक्त सामाग्री की लगत	2.17	-	-
कार्य-प्रगति, स्टाक-इन-ट्रेड, और तै यार माल की माल्सूची में परिवर्तन	2.18	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	2.19	-	-
अन्य व्यय	2.20	-	122.18
वित्तीय लागत	2.21	-	-
योग व्यय		**-**	**122.18**
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि)		-	(60.97)
असाधारण मदों			
सरकार द्वारा ऋण माफ किए गए	2.22	-	2,69,378.75
सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ		-	83,747.00
कर पूर्व लाभ/(हानि)		-	3,53,064.78
कर व्यय			
क) चालू कर		-	84,986.12
ख) अस्थगित कर		-	-
ग) पूर्व वर्षों के लिए आयकर		-	-
बंद परिचालन की अवधि के लिए लाभ / (हानि)		**-**	**2,68,078.66**
अवधि के लिए लाभ / (हानि)		**-**	**2,68,078.66**
अन्य व्यापक आय			
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जायेगा			
परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर लाभ/(हानि)		-	-
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जायेगा			
अन्य व्यापक आय		-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		-	**2,68,078.66**

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण

रू. लाखो में

ववरिण	नॉट संख्या	तक 31-Mar-2025	तक 31-Mar-2024
प्रति इक्विटि शेयर आय (जारी परिचालनों के लिए)			
क) बेसिक		-	-
ख) डाय्ल्युटिड		-	-
प्रति इक्विटि शेयर आय (बंद परिचालनों के लिए)			
क) बेसिक	2.38	-	4,130.58
ख) डाय्ल्युटिड		-	4,130.58
प्रति इक्विटि शेयर आय (बंद और चालू परिचालनों के लिए)			
क) बेसिक		-	4,130.58
ख) डाय्ल्युटिड		-	4,130.58
महत्वपूर्णा लेखांक्न नीतियों का सार संक्षेप	2.1		
संलग्न वित्तीय विवरणों के नॉट देखें	2.2 से 2.38		

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S
प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
स सं: 216858
युडीआईएन : 25216858BMHXZU3740
स्थान : बेंगलूरू
दिनांक: 15-05-202**5**

कृते एवं एचएमटी वाचेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली	**रेणुका मिश्र**	**नरेश कुमार**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सरकारी नामित निदेशक	सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन : 10333951	डीआईएन: 08635835	डीआईएन : 10043608

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

रू. लाखो में

विवरण	तक 31-Mar-25	तक 31-Mar-24
परिचालन गतिविधियां		
निरंतर परिचालन से कर पूर्व लाभ	-	-
निरंतर परिचालनों से कर पूर्व लाभ / (हानि)	-	3,53,064.78
कर पूर्व लाभ	-	**3,53,064.78**
निवल नकदी प्रवाह से कर पूर्व लाभ के मिलान के लिए समायोजन :		
संपत्ति, सयंत्र और उपकरण का मूल्यहास एवं क्षमता हानि	-	-
संपत्ति, सयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ / (हानि)	-	-
वित्त आय	-	(59.68)
वित्तीय लागत	-	-
कार्यशील पूंजी समायोजन:		
प्रावधानों, ग्रेच्युटी में संचलन	-	-
व्यापार और अन्न प्राप्तियों और पूर्व भुगतानों में वृध्दि	-	19.52
मूल्यसूचियों में कमी	-	-
व्यापार और अन्य देय में वृध्दि	-	(2,69,382.97)
	-	83,641.65
आय कर भुगुतान	-	(84,986.12)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	-	**(1,344.47)**
गतिविधियों के जांच		
संपत्ति, सयंत्र और उपकरण की बिक्री से अय	-	-
प्राप्त ब्याज	-	59.68
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	-	**59.68**
वित्तीय गतिविधियां		
ऋण से आय / (ऋण क पुनर भुगुतान)	-	-
व्याज का भुगुतान	-	-
वित्तीय गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नक्दी प्रवाह	-	-
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृध्दि	-	(1,284.79)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	1,284.79
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	**0.00**

नोट: 1) उपर्युक्त विवरण का निर्माण इंड एएस में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किया गया है
2) नकदी एवं नकदी समतुल्य को नोट संख्या 2.5 के अनुसार विचार में लिया गया है

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S
प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
स सं: 216858
युडीआईएन : 25216858BMHXZU3740
स्थान : बेंगलूरू
दिनांक: 15-05-2025

कृते एवं एचएमटी वाचेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली	**रेणुका मिश्र**	**नरेश कुमार**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सरकारी नामित निदेशक	सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन : 10333951	डीआईएन: 08635835	डीआईएन : 10043608

समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटि शेयर पूंजी

रू. लाखो में

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष (1 अप्रैल 2023)	वर्ष 2023-24 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष (31 मार्च 2024)	वर्ष 2024-25 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष (31 मार्च 2025)
6,49,01,000	शून्य	6,49,01,000	शून्य	6,49,01,000

ख. अन्य इक्विटि

विवरण	रिजर्व और अधिशेष				बंद किए गए परिचालन	अन्य व्यापक आय		कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी
	पूंजीगत रिजर्व	धारित आय	सामान्य रिजर्व	एफवीटीओसीआई रिजर्व		अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य व्यापक आय की अन्य मदे	
1 अप्रैल 2023 तक का शेष	-	-	-	-	(2,68,727.66)	-	-	(2,68,727.66)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ								-
1 अप्रैल 2024 तक का पुन: प्रस्तुत शेष	-	-	-	-	**(2,68,727.66)**	-	-	**(2,68,727.66)**
बंद किए गए परिचालन					2,68,078.66			2,68,078.66
शुद्ध निर्धारित लाभ देनदारी/ परिसंपत्ति का पुनर्मापन, कर प्रभाव के बाद					-			-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय								-
31 मार्च 24 को	-	-	-	-	**(649.00)**	-	-	**(649.00)**

532 of 546
HMT Group Annaul Report FY24-25-Hindi.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/HMT%20Group%20Annaul%20Rep...
12/5/2025, 12:33 PM

विवरण	रिजर्व और अधिशेष				बंद परिचालन	अन्य व्यापक आय		कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी
	पुंजीगत रिजर्व	प्रतिधारित आय	सामान्य रिजर्व	एफवीटीओसीआई रिजर्व		अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य व्यापक आय के माध्यम से अन्य मदें	
1 अप्रैल 2023 तक का शेष	-	-	-	-	**(649.00)**	-	-	**(649.00)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ								-
1 अप्रैल 2024 तक का	-	-	-	-	**(649.00)**	-	-	**(649.00)**
पुन: प्रस्तुत शेष								
बंद किए गए परिचालन					-	-	-	-
शुद्ध निर्धारित लाभ देनदारी/ परिसंपत्ति का पुनर्मापन, कर प्रभाव के बाद					-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय								-
31 मार्च 24 को	-	-	-	-	**(649.00)**	-	-	**(649.00)**

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S
प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
स सं: 216858
यूडीआईएन : 25216858BMHXZU3740
स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 15-05-2025

कृते एवं एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली	रेणुका मिश्र	नरेश कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सरकारी नामित निदेशक	सरकारी नामित निदेशक
	डीआईएन: 08635835	डीआईएन : 10043608

डीआईएन : 10333951

वित्तीय विवरणों पर नोट्स
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

रू. लाखो में

विवरण	भूमि-स्वामित्व	भूमि- पट्टाधारक	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	विशेष उपकरण	कुल
सकल ब्लॉक								
1 अप्रैल 2023 को	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री को रखी गई परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री को रखी गई परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल 2023 को	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास / परिशोधन शुल्क वर्ष के लिए								
बिक्री को रखी गई परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास / परिशोधन शुल्क वर्ष के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री								
बिक्री को रखी गई परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन मूल्य								
31 मार्च 2025 को	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को	-	-	-	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

रू. लाखो में

	विवरण	31-3-2024 रु लाखों में	31-3-2023 रु लाखों में
2.3	**मालसूचियां** (लागत या एनआरवी में से जो भी कम हो)		
	कच्चा माल	-	-
	एमआईटी	-	-
	स्टोर्स और पुर्ज	-	-
	रद्दी सामान	-	-
	तैयार माल	-	-
	निर्माणाधीन कार्य	-	-
	कुल	-	-
	घटाएँ: प्रावधान	-	-
	कुल	-	-
2.4	**व्यापार प्राप्य**		
	अन्य व्यापार प्राप्य	-	-
	कुल	-	-
	व्यापार प्राप्य		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया		
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
	कुल	-	-
	अवधि के लिए व्यापार प्राप्य > 6 महीने	-	-
	अवधि के लिए व्यापार प्राप्य < 6 महीने	-	-
2.5	**नकद और नकद समकक्ष**		
	अनुसूचित बैंकों में शेष		
	- चालू खाता	-	-
	अनुसूचित बैंकों में जमा > तीन महीने और < 12 महीने	-	-
	अनुसूचित बैंकों में जमा > तीन महीने और < 12 महीने	-	-
	कुल	-	-
2.6	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**		
	बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	-	-
	कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

रू. लाखो में

	विवरण	31-3-2024 रु लाखों में	31-3-2023 रु लाखों में
2.7	**अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां**		
	संबंधित पक्षों से देय राशि		
	चिनार वॉचेस लिमिटेड	-	-
	मशीन टूल्स लिमिटेड	-	-
	एचएमटी लिमिटेड	-	-
	एचएमटी (आई) लिमिटेड	-	-
	एचएमटी बेयरिंग	-	-
	सुरक्षित		
	अच्छा माना गया	-	-
	(असुरक्षित अच्छा माना गया)		
	अच्छा माना गया (वैधानिक)	-	-
	संदेहास्पद वसूलीय दावे	-	-
	घटाएं: किए गए प्रावधान	-	-
	अग्रिम		
	जीएसटी		
	पूंजीगत अग्रिम		
	अन्य अग्रिम		
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		
	वसूली योग्य दावे	-	-
	घटाएं: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	-
	विभिन्न प्राधिकरणों के पास जमा - अदालती मामले	-	-
	अग्रिम कर / टीडीएस प्राप्य	-	-
	कुल	**-**	**-**

2.8	**बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बंद किए गए**		
	भूमि – स्वामित्व	0.00	0.00
	भवन	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**0.00**
	*पुनर्समूहन		

2.8 A भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार, 2016-17 के दौरान विनिर्माण परिचालन बंद कर दिए गए थे और समापन देनदारियों को पूरा करने के लिए सभी चल संपत्तियों का निपटान किया जा रहा है। एम एच आई ने 5-5-2022 के पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि एच एम टी डब्ल्यू एल (समापन के तहत) की बही से सभी अचल संपत्तियों को होल्डिंग कंपनी एच एम टी लिमिटेड की बही में पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरित कर दिया जाए। अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के अधिकार सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं और एच एम टी लिमिटेड इनके निपटान तक इन संपत्तियों का संरक्षक है।.

कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया में है और उसके पास कोई संपत्ति या देनदारी नहीं है। इसलिए, वित्तीय विवरणों को "गोइंग कंसर्न" आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

रू. लाखो में

2.9 शेयर पूंजी

शेयर पूंजी		**अधिकृत शेयर पूंजी इक्विटी शेयर**
	संख्या (लाखों में राशि)	**राशि**
1 अप्रैल 2023 को	70	700.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2024 को	**70**	**700.00**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2025 को	**70**	**700.00**

	जारी की गई पूंजी ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी और पूर्ण चुकता किए गए	
	संख्या	**राशि**
1 अप्रैल 2023 को	**64,90,100**	**649.01**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	**-**	-
31 मार्च 2024 को	**64,90,100**	**649.01**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2025 को	**64,90,100**	**649.01**

"कंपनी के पास ₹10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का केवल एक ही वर्ग है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित और भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।.

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, सभी तरजीही राशियों के वितरण के बाद, इक्विटी शेयरों के धारक कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।"

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	**शेयरों की संख्या**	**% हिस्सेदारी**
एचएमटी लिमिटेड ₹10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पूर्ण चुकता	64,90,100	100.00%

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है।

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

रू. लाखो में

	विवरण	31-3-2025 रु लाखों में	31-3-2024 रु लाखों में
2.10	**अन्य इक्विटी**		
	प्रतिधारित आय	(649.01)	(649.01)
	कुल	**(649.01)**	**(649.01)**

अन्य व्यापक आय के घटक (ओसिअए)

इक्विटी में प्रत्येक प्रकार के रिजर्व द्वारा ओसीआई (ओसिअए) में परिवर्तनों का विवरण निम्नानुसार है:

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान

	प्रतिधारित आय रु लाखों में	कुल रु लाखों में
निर्धारित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ (हानि)	-	-
	-	-

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान

	प्रतिधारित आय रु लाखों में	कुल रु लाखों में
निर्धारित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ (हानि)		

	विवरण	31-03-2025 रु लाखों में	31-03-2024 रु लाखों में
2.11	**व्यापार और अन्य देय राशि**		
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि *	-	-
	व्यापार देय को देय राशि	-	-
	कुल	-	-

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित कुछ खुलासे करना आवश्यक है। कंपनी को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत अपने विक्रेताओं से उनकी स्थिति के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, और इसलिए, वर्ष के अंत तक अदत्त राशियों से संबंधित खुलासा नहीं किया गया है। .

2.12	**अन्य वित्तीय देनदारियां**		
	भारत सरकार की देनदारियां	-	-
	कुल	-	-

6 जनवरी 2016 को हुई सीसीइए की बैठक में दी गई मंजूरी और 13 जनवरी 2016 को डिएचआइ से प्राप्त पत्र के बाद परिचालन बंद करने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार से लिए गए ऋण और उस पर 2014-15 तक के अर्जित ब्याज को अन्य वित्तीय देनदारियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।.

2.13	**अन्य प्रावधान**		
	आयकर प्रावधान	-	-
	अंतिम शेष	-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

रू. लाखो में

	विवरण	31-3-2025 रु लाखों में	31-3-2024 रु लाखों में
2.14	**अन्य वर्तमान देनदारियां**		
	संबंधित पक्षों को देय राशि		
	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	-	-
	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (निदेशालय)	-	-
	एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड	-	-
	एचएमटी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	-	-
	एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	-	-
	वैधानिक देयता उत्पाद शुल्क	-	-
	अग्रिम प्राप्त परिसंपत्तियों की बिक्री (एमएसटीसी)	-	-
	भूमि और भवन की बिक्री के लिए प्राप्त अग्रिम	-	-
	प्राप्त ईएमडी	-	-
	प्रतिधारण जमा	-	-
	सुरक्षा जमा	-	-
	देय ग्रेच्युटी	-	-
	देय अर्जित अवकाश नकदीकरण	-	-
	वेतन संशोधन देय	-	-
	निपटान भत्ता देय	-	-
	अन्य	-	-
	टीडीएस लंबित भुगतान	-	-
	दूरदर्शन	-	-
	डब्लूएमडी से सुरक्षा जमा और ईएमडी	-	-
	व्यय देय	-	-
	7क्यू और 14बी ब्याज देय	-	-
	कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

रू. लाखो में

	विवरण	वर्ष के लिए समाप्त 31-03-2025	वर्ष के लिए समाप्त 31-03-2024
2.15	**परिचालन से राजस्व**		
	घड़ियों की बिक्री	-	-
	कुल	**-**	**-**
2.16	**अन्य आय**		
	क. अन्य आय		
	विविध आय (रद्दी और भवन सामग्री की बिक्री)	-	-
	जीएसटी धनवापसी	-	-
	विविध आय	-	1.53
		-	**1.53**
	ख. ब्याज आय		
	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	-	59.68
	सीएचओ से सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज		-
	ग्रेच्युटी से प्राप्त ब्याज		-
	आयकर वापसी		-
		-	**59.68**
	कुल	**-**	**61.21**
2.17	**उपभोग की गई सामग्री की लागत**		
	क, कच्चा माल और पुर्जे		
	वर्ष के प्रारंभ में माल सूची	-	-
	जोड़ें: खरीद	-	-
	वर्ष के अंत में माल सूची	-	-
		-	**-**
	ख, उपभुक्त भंडार, पुर्जे और अन्य घटक		
	प्रारंभिक	-	-
	अंतिम	-	-
		-	-
		-	**-**
	कुल		**-**

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

रू. लाखो में

	विवरण	वर्ष के लिए समाप्त 31-03-2025	वर्ष के लिए समाप्त 31-03-2024
2.18	अर्ध-निर्मित माल और व्यापारिक माल की माल सूची में परिवर्तन और तैयार माल.		
	तैयार माल		
	प्रारंभिक	-	-
	अंतिम	-	-
		-	-
	निर्माणाधीन कार्य		
	प्रारंभिक		-
	अंतिम		
		-	-
	कबाड़ की माल सूची		
	प्रारंभिक	-	-
	अंतिम	-	-
	कुल	**-**	**-**
2.19	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	कर्मचारी कल्याण व्यय.	-	-
	अन्य	-	-
	कुल	**-**	**-**
2.20	**अन्य व्यय**		
	पानी और बिजली	-	14.75
	दरें और कर	-	26.73
	यात्रा व्यय और वाहन भत्ता	-	1.75
	छपाई और लेखन सामग्री व्यय	-	0.39
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	0.89
	विज्ञापन और प्रकाशन		-
	विविध व्यय	-	0.96
	कानूनी व्यय और पेशेवर शुल्क	-	4.00
	डाक और टेलीफोन व्यय	-	0.05
	मरम्मत और रखरखाव	-	0.10
	एमएसटीसी सेवा शुल्क		-
	7क्यू/14बी ब्याज		
	सुरक्षा व्यय	-	36.41
	आकस्मिक श्रम शुल्क	-	29.79
	धारक कंपनी व्यय का हिस्सा.		-
	अन्य प्रावधान (डब्ल्यू.एफ.टी.)		
	सेवा शुल्क (एच.एम.टी. ए.बी.डी.)	-	6.36
	पी.एफ. ट्रस्ट हानि		
	बैंक शुल्क	-	-
	कुल	**-**	**122.18**

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

रू. लाखो में

	विवरण	वर्ष के लिए समाप्त 31-03-2025	वर्ष के लिए समाप्त 31-03-2024
2.21	**वित्त लागत**		
	अन्य व्यय	-	14.28
	कुल	**-**	**14.28**
2.22	**असाधारण मदें**		
	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	-	83,747.00
	भारत सरकार के ऋणों की छूट/माफी	-	2,69,378.75
	संयंत्र और मशीनरी स्क्रैप की बिक्री पर लाभ	-	-
	अनापेक्षित देयताएं		-
	अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	अनापेक्षित देयताएं नहीं है	-	-
	कुल	**-**	**3,53,125.75**
2.23	**आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (उस सीमा तक इनका प्रावधान नहीं किया गया है)**		
	आकस्मिक देयताएँ		
	कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
	कंपनी ने कानूनी और अन्य भुगतान के संबंध में आकस्मिक देयताएँ बनाईं	-	शून्य
	जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 1-12-2022 के पत्र के माध्यम से एच.एम.टी. लिमिटेड होल्डिंग कंपनी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है।-		
2.24	**वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आई.एफ. आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
	शून्य	शून्य	शून्य
2.25	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	वित्तीय वर्ष के दौरान रॉयल्टी, जानकारी पेशेवर और परामर्श शुल्क, ब्याज और अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय		
		शून्य	शून्य
2.26	**विदेशी मुद्रा में आय/अर्जन**	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

रू. लाखो में

विवरण	वर्ष के लिए समाप्त 31-03-2025	वर्ष के लिए समाप्त 31-03-2024

2.27 आई.एन.डी. ए.एस. 108 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग

कंपनी कलाई घड़ियों के निर्माण, बिक्री और सर्विसिंग का व्यवसाय कर रही थी।, व्यवसाय को बंद करने के निर्णय के कारण, संपूर्ण व्यवसाय को बंद, किए गए संचालन के तहत वर्गीकृत किया गया है।.

2.28 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (आई.एन.डी. ए.एस. 24)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेन-देन हुए:

रु लाखों में

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	राशि
एचएमटी लिमिटेड (एबीडी, बैंगलोर)	सेवा शुल्क	-
एचएमटी लिमिटेड (सीएचओ)	सामान्य व्यय	-
एचएमटी लिमिटेड (सीएचओ)	भुगतान किया गया ब्याज	-
एचएमटी लिमिटेड (सीएचओ)	प्राप्त ब्याज	-

2.29 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
जारी प्रचालन	-	-
बंद किया गया प्रचालन	-	3,53,064.78
घटाएँ: अन्य व्यापक आय		-
मूल आय के लिए इक्विटी धारकों को देय लाभ	**-**	**3,53,064.78**
परिवर्तनीय अधिमान शेयरों पर ब्याज		-
मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ, जो तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजित किया गया है	**-**	**3,53,064.78**
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या*	-	3,53,064.78
तनुकरण का प्रभाव:		-
परिवर्तनीय अधिमान शेयर		-
तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या*	**-**	**3,53,064.78**
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद किए गए प्रचालनों के लिए)	**-**	**4,130.58**

* "रिपोर्टिंग की तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्रमाणीकरण (authorization) की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़े कोई अन्य लेन-देन नहीं हुए हैं।".

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S
प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
स सं: 216858
युडीआईएन : 25216858BMHXZU3740
स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 15-05-2025

कृते एवं एचएमटी वाचेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली	रेणुका मिश्र	नरेश कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सरकारी नामित निदेशक	सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन : 10333951	डीआईएन: 08635835	डीआईएन : 10043608

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड को प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट (बड़ी एंटरप्राइज) श्रेणी में 54वीं ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है

श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री एस.के.कडबे, महाप्रबंधक (एफपीए), एचएमटी लिमिटेड, औरंगाबाद के खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग (एफपीए) द्वारा क्रियान्वित किए गए इंदौर (म.प्र.) स्थित मिल्क पाउडर प्लांट के दौरे के दौरान

एचएमटी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान

26 जनवरी 2025 को एचएमटी ऑटोमैटिक घड़ियों का विमोचन

एचएमटी की वर्ष 2024-25 की सीएसआर गतिविधियों में से एक

एचएमटी खेल दिवस - 15 अगस्त 2025

एचएमटी लिमिटेड

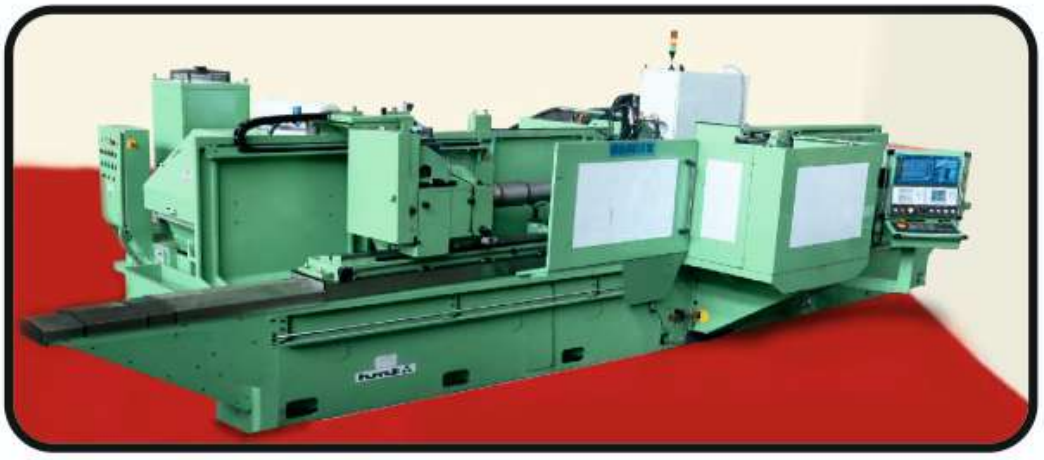

सीआईएन संख्या: L29230KA1953GOI000748

एचएमटी भवन, नं 59,
बेल्लारी रोड बेंगलुरु – 560 032
वेबसाईट : www.hmtindia.com